भारतीय समाज में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति अभिवृत्ति: लखनऊ जिले का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

Attitudes Towards Women Rape Victims in Indian Society: A Sociological Study of Lucknow District

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय) लखनऊ से
समाजशास्त्र विषय में पी–एच०डी० की
उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

शोध निर्देशक

डॉ० जया श्रीवास्तव

उपाचार्य
समाजशास्त्र विभाग

शोधार्थी

नेहा कुमारी

नामांकन सं०–1217/15

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

समाजशास्त्र विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ०प्र०)

2020

उद्घोषणा

मैं, नेहा कुमारी यह घोषणा करती हूँ कि मैंने **"भारतीय समाज में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति अभिवृत्तिः लखनऊ जिले का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"(Attitudes Towards Women Rape Victims in Indian Society: A Sociological Study of Lucknow District)** शोध प्रबंध मेरे द्वारा संग्रहित तथ्यों पर आधारित है तथा यह मेरा मौलिक कार्य है। इसे अंशतः या पूर्णतः इस विश्वविद्यायालय या किसी अन्य संस्थान में किसी उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह शोध कार्य मैंने डॉ० जया श्रीवास्तव जी के निर्देशन व मार्गदर्शन में पूरा किया है। मैं घोषणा करती हूँ कि इस शोध प्रबंध को पूरा करने में मैंने विश्वविद्यालय के शोध संबंधित सभी नियमों का पालन किया है। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि यह शोध पूर्णतः साहित्यिक चोरी से मुक्त है।

दिनांकः 28/12/2020

नेहा कुमारी
(शोधार्थी)
समाजशास्त्र विभाग
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

CERTIFICATE

This is to certify that the thesis titled "भारतीय समाज में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति अभिवृत्तिः लखनऊ जिले का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"(**Attitudes Towards Women Rape Victims in Indian Society: A Sociological Study of Lucknow District**) submitted by **Ms. Neha Kumari** is an original research work and has not been previously submitted in part or full for the award of any other degree or diploma to this or any other university.

This thesis submitted to Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Lucknow, satisfies all the requirements as stipulated in the *Doctor of Philosophy (Ph.D) regulations- 1999 as amended in 2008/2010/2013* and it is fit for submission and evaluation for the award of the degree of Doctor of Philosophy of the University.

Jaya 1.
28/12/2020
Supervisor

Date: 28/12/2020

28/12/2020
Head of the Department

आभार

सर्वप्रथम इस दुरूह कार्य को सम्पादित करने में मुझे माँ सरस्वती की जो कृपा प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं उनके चरणों में वंदन अर्पित करती हूँ।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य की न्यूनाधिक सार्थक परिणिति मेरे गुरुजनों, परिजनों और मित्रों का सहयोग रहा है मैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करती हूँ तथा आशा करती हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे।

सर्वप्रथम मैं सर्वहितकारी और विद्वत्ता की गरिमा से संम्पन्न मेरी शोध पर्वेक्षक ड० जया श्रीवास्तव के प्रति अपनी विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। जिनके के कुशल मार्गदर्शन से मेरी शोध यात्रा अनवरत चलती रही हैं। इनकी विद्वतापूर्ण मार्गदर्शन एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार के परिणामस्वरुप ही मैं यह शोध कार्य पूर्ण कर सकी। अपनी अति व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने प्रत्येक परिस्थितियों में मेरा पथ प्रदर्शित किया है। इसके लिए मैं सहृदय से इनके प्रति अति आभार व्यक्त करती हूँ।

इसके साथ ही साथ समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रो० बीरेन्द्र नारायण दूबे, प्रो० कामेश्वर चौधरी, प्रो० विभूति भूषण मल्लिक, प्रो० मनीष कुमार वर्मा, डा० ब्रजेश कुमार सदैव ही प्रेरणापूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते रहे है जो मेरे शोध कार्य के लिए अत्याधिक उपयोगी रहा है जिसके लिए मैं इनके प्रति आत्मीय रूप से आभारी हूँ।

इसके अतिरिक्त, मैं अपने प्रिय मित्रों इश्दीप कौर भण्डारी, रिया सिंह, शेखर सिंह राजपूत, मानस उपाध्याय, रूचि अवस्थी, सुनीता कुमारी, आरती कुरील, मोहम्मद समर, अजय कुमार (कार्यालय सहायक),तथा अन्य सभी शोधार्थियों एवं कार्यालय कर्मचारियों के प्रति सहृदय पूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ जिनके प्रेरणा एवं सहयोग से मेरा शोध कार्य आसान हो सका।

मैं अपनी पूजनीय माता रमावती देवी, आदरणीय पिता लालता प्रसाद गुर्जर, पूजनीय स्वर्गीय ससुर राजनारायण सिंह, सास मालती देवी, प्रिय नन्द रचना सिंह, प्रिय बहन दीप्ति भूषण और राजकुमारी सिंह,प्रिय भाई अमर सेन गुर्जर, आदरणीय

जीजा सत्यवीर सिंह एवं चन्द्र भूषण जी,प्रिय भाभी रोमा गुर्जर,के प्रति विशेष आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे शोध कार्य को पूर्ण करने में सराहनीय योगदान दिया है। मैं अपने पुत्र ओजस भदौरिया का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिसके स्नेहमयी स्पर्श ने मुझे हर पल आनंदित किया, जिससे मैं अपने शोध कार्य को कुशलता पूर्वक कर सकी।

मैं अपने प्रेरणामयी सहयोगी (प्रिय जीवनसाथी) आशीष भदौरिया को विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ उन्होने मुझ में अपना विश्वास व्यक्त किया तथा शोध कार्य को पूर्ण करने में प्रोत्साहित किया जिसके बिना यह शोध कार्य पूर्ण कर पाना असंभव था।

और अंत में मैं, मेरे शोध कार्य को पूर्ण करने में संलगन उत्तरदाताओं,केस स्टडी में सहयोग देने वाली बलात्कार पीड़िताओं एवं उनके परिवारों के सदस्यों के प्रति विशेष आभार प्रकट करती हूँ।

मेरा सावधानी पूर्वक यह प्रयास रहा है कि यह शोध प्रबंध त्रुटी रहित हो किन्तु यह पूर्णता सम्भव नहीं है। अतः मैं उन सभी अनजान त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।

नेहा कुमारी
(शोधार्थी)
समाजशास्त्र विभाग
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
लखनऊ

विषय सूची

उद्घोषणा	i
Certificate	ii
आभार	iii-iv
चित्रों की सूची	xi-xiii
सारणी सूची	xiv-xv
संक्षिप्त नामों की सूची	xvi
प्रथम अध्याय प्रस्तावना एंव शोध प्राविधि	**1–38**
1.1 प्रस्तावना	1
1.2 अध्ययन का तर्काधार	5
1.3 अध्ययन की आवश्यकता	15
1.4 अध्ययन विषय क्षेत्र	20
1.5 शोध अध्यायों की रूपरेखा	22
1.6 अनुसंधान अभिकल्प एवं पद्धतिशास्त्र	24
1.6.1 अध्ययन के उद्देश्य	25
1.6.2 शोध परिकल्पना अथवा शोध प्रश्न	26
1.6.3 अध्ययन क्षेत्र	27
1.6.4 शोध प्राविधि	31
1.6.5 शोध प्ररचना अभिकल्प	32
1.6.6 समग्र, प्रतिदर्श एवं निदर्शन	35
1.6.6 समग्र, प्रतिदर्श एवं निदर्शन	33
1.6.7 निदर्शन	34
1.6.8 गैर.संभावना प्रतिदर्शन	34
1.6.9 तथ्य संकलन के यंत्र एवं माध्यम	35
1.6.10 साक्षात्कार अनुसूची	35
1.6.11 तकनीक	36
1.6.12 वैयक्तिक अध्ययन पद्धति	36
1.6.13 संकलित आंकड़ों का सम्पादन, वर्गीकरण व सारणीयन	37

1.7 शोध कार्य की कठिनाइयाँ	38
द्वितिय अध्याय साहित्य समीक्षा	**39–66**
2.1 परिचय	39
2.2 पश्चिमी नारीवादी लेखनों की साहित्य समीक्षा	40
2.3 भारतीय नारीवादी लेखनों की साहित्य समीक्षा	51
तृतीय अध्याय बलात्कार एवं बलात्कार अभिवृत्ति संबंधी	**67–102**
3.1 परिचय	67
3.2 बलात्कार संबंधी अभिवृत्ति का सिद्धांत	67
3.2.1 बलात्कार अभिवृत्ति संबंधी प्रारम्भिक नारीवादी सिद्धांत	70
3.2.2 बलात्कार संबंधी सिद्धान्तों का समाजशास्त्रीय वर्गीकरण	72
3.2.3 बलात्कार के सामाजिक सीख का सिद्धांत	73
3.2.4 बलात्कार का सामाजिक जैविक सिद्धांत	74
3.2.5 बलात्कार का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत	74
3.2.6 बलात्कार के लिंग–तटस्थ समाधान का उदारवादी सिद्धांत	76
3.2.7 बलात्कार का रेडिकल नारीवादी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य	77
3.2.8 बलात्कार के सहमति का सिद्धांत	78
3.2.9 विश्व सिद्धांत	79
3.210 स्व–अभिवृत्ति सिद्धांत	80
3.2.11 एक नया सैद्धांतिक मॉडल	80
3.2.12.बलात्कार के समायोजन संबंधी सैद्धान्तिक व्याख्या	82
3.2.13 समायोजन संबंधी सैद्धान्तिक व्याख्या	83
3.2.14 प्रतीकात्मक अन्तक्रिया का सिद्धांत	84
3.2.15 परिवार व्यवस्थाओं का सिद्धांत	85
3.2.16 दोषारोपण का सिद्धांत	86
3.217 रक्षात्मक रोपण सिद्धांत	87
3.3 बलात्कार एवं बलात्कार अभिवृत्ति संबंधी अवधारणाएं	87
3.3.1 बलात्कार का अर्थ	87

3.3.2 बलात्कार की परिभाषा 90

3.4 बलात्कार पीड़िता 95

3.5 बलात्कार मिथक 95

3.6 बलात्कार अभिवृत्ति 97

3.7 बलात्कार अभिवृत्ति मापन के स्केल 98

3.8 बलात्कार अभिवृत्ति और विश्वास स्केल 100

3.9 स्थितिगत बलात्कार प्रक्रियात्मकता स्केल 100

3.10 यौन आक्रामक इतिहास प्रश्नावली 101

3.11 बलात्कार और पीड़िता की सहमति 101

चतुर्थ अध्याय बलात्कार पीड़िता के प्रति नगरीय समाज की अभिवृत्ति का मापन **103–193**

4.1 उत्तरदाताओं का वयैक्तिक परिवेश 103

4.2 बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का वर्णनात्मक विश्लेषण 114

4.3 बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण 124

4.4 बलात्कार पीड़िता के प्रति 400 नगरीय उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति की मिश्रित सारणी के माध्यम से विश्लेषण 149

4.4.1 बलात्कार पीड़िता के कम वांछनीयता से संबंधित अभिवृत्ति का मापन–एवं मिश्रित सारणी के माध्यम से विश्लेषण 170

पंचम अध्याय बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्ति कारण,प्रभाव एवं पुनर्वास का विश्लेषण। **194–273**

5.1 महिलाओं के प्रति अपराध 197

5.2 महिलाओं के प्रति यौन हिंसा के सामाजिक प्रेरणादायक श्रोत 200

5.2.1 बलात्कार के सामाजिक कारणों की नारीवादी व्याख्या 200

5.2.2 बलात्कार के सामाजिक कारणों की सामाजिक सीख के माध्यम से व्याख्या 201

5.2.3 पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण 203

5.2.4 सहकर्मी और पारिवारिक कारक (यौन अपराधियों का बाल्यावस्था में यौनशोषण का शिकार होना) 203

5.2.5 पारिवारिक सम्मान और यौन शुचिता 204
5.2.6 युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं 205
5.2.7 गरीबी 206
5.2.8 सामाजिक मानदंड 206
5.2.9 अंतर्वैयक्तिक शक्ति दृष्टिकोण 207
5.2.10 सन्दर्भ–विशेष दृष्टिकोण 207
5.2.11 शारीरिक क्षमता और पुरुषों की बलात्कार करने की लालसा 208
5.2.12 पुरुष लिंग–भूमिका संबंधी समाजीकरण 209
5.2.13 पौरुषत्व का दंभ 209
5.3 पुरुषों के प्रतिमानित यौन व्यवहार और बलात्कार में सह–संबंध 210
5.4 बलात्कार के सांस्कृतिक कारक 211
5.4.1 सांस्कृतिक मूल्य जो बलात्कार को प्रोत्साहित करते हैं 211
5.4.2 स्त्री कामुकता (Sexuality) को एक वस्तु के रूप में देखा जाना 212
5.4.3 बलात्कार समर्थक संस्कृति के परिणामस्वरूप बलात्कार 214
5.4.4 उपसंस्कृति मानदंडों के परिणाम के रूप में बलात्कार 216
5.4.5 बलात्कार के अन्य उत्तरदायी कारक 217
5.4.6 उपभोक्तावाद का विकास 217
5.4.7 पोर्नोग्राफी 218
5.5 बलात्कार के लिए जिम्मेदार व्यक्तिगत कारक 219
5.5.1 नशीले पदार्थों का सेवन 219
5.5.2 मनोवैज्ञानिक कारक 220
5.6 बलात्कार के कारण पीड़िता पर पड़ने वाले शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों का विश्लेषण एवं बलात्कार पीड़िताओं का वैयक्तिक अध्ययन 221
5.6.1 बलात्कार के कारण पीड़िता पर पड़ने वाले शारीरिक प्रभाव 223
5.6.2 व्यावहारिक प्रतिक्रियाएं 225

5.6.3 स्त्री संबंधी रोग (गायनेकोलॉजिकल प्रोब्लेम्स) 225
5.6.4 यौन संचारित रोग 228
5.7 बलात्कार के कारण पीड़िता पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव 229
5.7.1 प्रथम अवस्था 229
5.7.2 दूसरी अवस्था 230
5.7.3 तीसरी अवस्था 230
5.7.4 आत्म–दोष 232
5.7.5 शर्म का अनुभव 233
5.7.5 आत्महत्या 234
5.8 बलात्कार पीड़ित महिलाओं का वैयक्तिक अध्ययन 235
5.8.1 केस स्टडी– 1 235
5.8.2 केस स्टडी– 2 242
5.8.3 केस स्टडी–3 245
5.8.4 केस स्टडी–4 248
5.8.5 केस स्टडी–5 251
5.9 बलात्कार पीड़िता के सामाजिक समायोजन के चरण 255
5.10 बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपण शोध के मॉडल 258
5.11 अन्य बलात्कार मिथक 267
5.12 परिवार का पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति एवं पीड़िता के पुनर्वास के मध्य संबंध 268
5.13 पीड़िता के प्रति परिवार की प्रतिक्रिया 269
5.14 पुलिस की नकारात्मक अभिवृत्ति एवं पीड़िता के पुनर्वास में सहसंबंध 269
5.15 बलात्कार के संबंध में न्यायिक फैसले एवं पीड़िता के पुनर्वास पर प्रभाव 271
षष्टम अध्यायः बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने हेतु नीति में उपयोगी सुझाव एवं निष्कर्ष। **274–299**
6.1 भारत सरकार द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 274

बलात्कार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास हेतु प्रावधान
6.2 विशाखा गाइड लाइन्स 275
6.3 एकल विपणन केंद्र (वन स्टॉप सेंटर (सखी) 276
6.4 नारी संरक्षण गृह 277
6.5 गैर सरकारी संस्थान 277
6.6 निष्कर्ष 278
6.7 बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने हेतु नीति में उपयोगी सुझाव 292
6.7.1 प्राथमिक स्तर (परिवार, पड़ोस, नातेदार, मित्र, जीवनसाथी) 293
6.7.2 द्वितीयक स्तर (पुलिस, चिकित्सीय परिक्षण से जुड़े लोग, मनोचिकित्सक, वकील और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े न्यायाधीश) 295
6.7.3 तृतीयक स्तर (सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थान) 297
6.7.4 चतुर्थ स्तर बलात्कार पीड़िता की स्वयं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति 298
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची **300–320**
परिशिष्ट
साक्षात्कार अनुसूची

<u>चित्रों की सूची</u>

चित्र सं०	चित्र विवरण	पृष्ट संख्या
1.1	क्राइम इन इंडिया (2016) टेबल संख्या (E) पेज संख्या (XIX)	9
1.2	नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्युरो रिपोर्ट (2015)	10
1.3	नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्युरो रिपोर्ट (2016)	10
1.4	नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्युरो रिपोर्ट (2017)	11
1.5	नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्युरो रिपोर्ट (2018	11
1.6	नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्युरो रिपोर्ट (2015) बलात्कार पीड़िताओं का आयुवार सारणी तालिका संख्या (5.3) पेज संख्या (3)	12
1.7	नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्युरो रिपोर्ट (2017) बलात्कार पीड़िताओं का आयुवार वितरण सारणी संख्या (33-A) पेज संख्या (212)	13
1.8	नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्युरो रिपोर्ट (2018) बलात्कार पीड़िताओं का आयुवार वितरण सारणी संख्या (3A.3) पेज संख्या (212)।	14
1.9	रेप अब्युस एंड इंसेस्ट नेशनल नेटवर्क	16
1.10	नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्युरो रिपोर्ट वर्ष (2016) में दर्ज किये गए बलात्कार की घटनाओं का ताप संबंधी मानचित्र।	17
1.11	नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्युरो रिपोर्ट वर्ष (2016) में महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों की ताप संबंधी मानचित्र।	18
1.12	नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्युरो रिपोर्ट वर्ष (2001–2015) में दर्ज किये गए बलात्कार की घटनाओं का दिशावार चित्र।	19
1.13	नगर निगम लखनऊ जोन मानचित्र (लखनऊ सिटी)।	28
4.1	आयुवार उत्तरदाताओं का वितरण संबंधी चित्र।	104
4.2	उत्तरदाताओं का व्यवसायवार वितरण संबंधी चित्र।	15
4.3	उत्तरदाताओं की आर्थिक प्रस्थितिअनुसार वितरण संबंधी चित्र	106
4.4	उत्तरदाताओं की पारिवारिक स्वरुपनुसार वितरण संबंधी चित्र।	107
4.5	उत्तरदाताओं का धर्मानुसार विवरण संबंधी चित्र।	108

4.6	उत्तरदाताओं का जातिवार विवरण संबंधी चित्र।	109
4.7	उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति अनुसार वितरण संबंधी चित्रं।	110
4.8	शैक्षिक स्थिति के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण संबंधी चित्र।	111
4.9	उत्तरदाताओं का लिंगवार वितरण संबंधी चित्र।	113
4.10	बलात्कार के लिए बलात्कारी एवं बलात्कार पीड़िता के समान रूप से जिम्मेदार होने के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	124
4.11	बलात्कार पीड़ित महिला के विवाह हेतु कम वांछनिय मानने के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	126
4.12	बलात्कार पीड़िता को दोषी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	127
4.13	कार्यरत महिला के बलात्कार हो जाने पर उसके नौकरी छोड़ने के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	128
4.14	बलात्कार पीड़िता बलात्कार के लिए स्वंय जिम्मेदार होती है। के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	130
4.15	बलात्कार पीड़िता को शारीरिक आघात के साथ साथ मानसिक आघात पहुँचने के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	131
4.16	नशे में धुत महिला यौन संबंध के लिए तैयार रहती हैं के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	133
4.17	बलात्कार पीड़ित महिला के बलात्कृत हाने पर शर्म अथवा आत्मग्लानी महसूस करने के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	135
4.18	बलत्कार पीड़िता को बलात्कारी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर ने के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	136
4.19	बलात्कार पीड़िता को पति अथवा प्रेमी चुनने के अधिकार के	137

	सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	
4.20	अधिकतर बलात्कार के आरोप झूठे होते हैं। के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	139
4.21	अविवाहित महिला के बलात्कृत होने पर दोषी को अधिक दण्ड मिलना चाहिए के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	140
4.22	महिलाओं का पहनावा जैसे (अधिक अंग प्रदर्शित करने वाले कपड़े,तंग ब्लाउज,छोटे कपड़े) बलात्कार को आमंत्रित करते है के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	142
4.23	बलात्कार पीड़िता के परिवार को बलात्कार के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	143
4.24	बलात्कार पीड़िता का विवाह किसी भी व्यक्ति (जैसे की विकलांग, विधुर, बुजुर्ग आदि से) करा देना चाहिए के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	145
4.25	महिला का बलात्कार उसके पति द्वारा किए जाने के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	146
4.26	महिला अगर रात को अकेले बाहर जाती है तो वह स्वंय को बलात्कार होने की स्थिति में डालती है। के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण संबंधी चित्र।	148
5.1	श्रोत : वर्ष 2013 दिल्ली बलात्कार निर्णय (द हिन्दू : रुक्मणि श्रीवास्तव)	264

सारणी सूची

क्रम सं०	सारणी विवरण	पृष्ट संख्या
1.	सारणी क्रमांक –1.1	29
2.	सारणी क्रमांक – 4.1	103
	सारणी क्रमांक – 4.2	105
	सारणी क्रमांक – 4.3	106
	सारणी क्रमांक – 4.4	107
	सारणी क्रमांक – 4.5	108
	सारणी क्रमांक – 4.6	109
	सारणी क्रमांक – 4.7	110
	सारणी क्रमांक – 4.8	111
	सारणी क्रमांक – 4.9	112
	सारणी क्रमांक – 4.10	114
	सारणी क्रमांक – 4.11	114
	सारणी क्रमांक – 4.12	115
	सारणी क्रमांक – 4.13	116
	सारणी क्रमांक – 4.14	117
	सारणी क्रमांक – 4.15	118
	सारणी क्रमांक – 4.16	119
	सारणी क्रमांक – 4.17	120
	सारणी क्रमांक – 4.18	121
	सारणी क्रमांक – 4.19	122
	सारणी क्रमांक – 4.20	123
	सारणी क्रमांक – 4.21	124
	सारणी क्रमांक – 4.22	125
	सारणी क्रमांक – 4.23	127

	सारणी क्रमांक – 4.24	128
	सारणी क्रमांक – 4.25	129
	सारणी क्रमांक – 4.26	131
	सारणी क्रमांक – 4.27	133
	सारणी क्रमांक – 4.28	134
	सारणी क्रमांक – 4.29	136
	सारणी क्रमांक – 4.30	137
	सारणी क्रमांक – 4.31	138
	सारणी क्रमांक – 4.32	140
	सारणी क्रमांक – 4.33	141
	सारणी क्रमांक – 4.34	143
	सारणी क्रमांक – 4.35	144
	सारणी क्रमांक – 4.36	146
	सारणी क्रमांक – 4.37	147

संक्षिप्त नामों की सूची

NGO - Non-Government Organization

AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome

HIV - Human Immuno Deficiency Virus

NCRB – National Crime Record Bureau

RAIN – Rape Abuse Insets National

IPC – Indian Panel Code

FIR – First Information Report

IRM – Ilonoise Rape Myths

RAMS – Rape Attitude Measurement Scale

RABS - Rape Attitudes and Beliefs Scale

SRPS - Situational Rape Proclivity Scale

SAHQ - Sexually Aggressive History Questionnaire

IPSA - Intimate Partner Sexual Assault

STD - sesaesiD dettimsnarT yllauxeS

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना एंव शोध प्राविधि

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना एंव शोध प्राविधि

1.1 प्रस्तावना

बलात्कार किसी भी महिला के प्रति किया जाने वाला सबसे गंभीर अपराध है। इस अपराध की गंभीरता इसी बात से लगाया जा सकता है कि बलात्कार के मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ए० एस० आनंद और न्यायमूर्ति जी० एन० खरे की खण्डपीठ ने (1997) में कहा था कि किसी महिला का यौन शोषण, उसके सम्मान और गौरव के खिलाफ है एवं यौन शोषण सम्बन्धी घटनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाना चाहिए। खण्डपीठ का कहना था कि यौन–उत्पीड़न की घटना, संविधान–प्रदत्त स्त्री–पुरुष समानता, स्वतंत्रता और जीने के मौलिक अधिकारों का उलंघन है।

भारत एक विकासशील देश है और विकसित देश की श्रेणी में शामिल होने के लिए अग्रसर है। आज 21वीं सदी में भारत आधुनिक कहे जाने वाले समाज की लगभग सारी विशेषताएं अपने अन्दर समाहित करता है परन्तु इन सब के बावजूद आज भी तत्कालीन भारतीय समाज में बलात्कार एवं बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति की स्वीकृति अत्यधिक देखने को मिलती है। कहीं कहीं यह नकारात्मक अभिवृत्ति एवं मौनता अपने चरम पर दिखाई पड़ती है। कुछ गिने चुने लोगों एवं संस्थाओं द्वारा ही इस पर कार्य एवं चर्चा की जाती है, परन्तु सामान्य जीवन में बलात्कार के सम्बन्ध में अधिकतर लोग मूक ही प्रतीत होते हैं। बलात्कार को सभी अपराधों में सर्वाधिक अमानवीय अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है। बलात्कार के अपराध में सर्वाधिक हानि महिला बलात्कार पीड़िता को उठानी पड़ती है। यह हानि न केवल शारीरिक, मानसिक होती है बल्कि यह पीड़िता के मानवाधिकारों का हनन करने वाली, पीड़िता की दैहिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी छीनने वाली होती है। अन्य अपराधों की अपेक्षा बलात्कार ही एक मात्र ऐसा अपराध है, जिसमें अपराधी के बजाए बलात्कार पीड़िता को दंडित किया जाता है।

शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के अलावा पीड़िता को सर्वाधिक सामाजिक रूप से मानहानि उठानी पड़ती है। बलात्कार व्यक्ति एवं समाज के विरुद्ध यौन हिंसा का एक हथियार है। बलात्कार पीड़िता को इस अति कष्टकारी घटना से उबारने के लिए समाज का सहयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परन्तु इसके बावजूद समाज की सकारात्मक अभिवृत्ति भी पीड़िता के शारीरिक एवं मानसिक क्षति की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। वृहद् स्तर के साहित्यिक मूल्यांकनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति लगभग सभी समाजों में देखने को मिलती है, यहाँ तक कि इस नकारात्मक अभिवृत्ति में पीड़िता के परिवार के सदस्य, जीवनसाथी, मित्र एवं पड़ोसी भी शामिल होते हैं (कैमोबेल एहरैस, 2001)। बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों की भी पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति इस कारण भी होती है क्योंकि बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्य स्वयं को बलात्कार के दूसरे पीड़ित के रूप में महसूस करते हैं एवं इसका जिम्मेदार वे पीड़िता को समझते हैं। बलात्कार पीड़िता के साथ–साथ पीड़िता के परिवार के सदस्यों को भी नकारात्मक अभिवृत्ति का सामना करना पड़ता है, इस प्रकार के नकारात्मक अभिवृत्तियों के कारण परिवार के सदस्य पीड़िता पर अपना आक्रोश जाहिर करते हैं। ऐसी परिस्थितियों के चलते पीड़िता की दशा और भी खराब हो जाती है (बनीयार्ड, 2010)।

बलात्कार संबंधी मिथक, बलात्कार के संबंध में एक प्रकार के विवरण हैं, साथ ही साथ व्यवहार करने के नियमों व विश्वासों की एक प्रथा है और इन प्रथाओं व नियमों के अंतर्गत बलात्कार की घटना घटित होने के कारण परिणाम, अपराधी एवं पीड़िता के मध्य हुए संवाद भी शामिल होते हैं। इस प्रकार के मिथकों के प्रभावों में समाज की अभिवृत्ति पीड़िता के प्रति नकारात्मक हो जाती है जिससे पुरुषों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध किये गए अपराधों को तर्कसंगत ठहराते हैं (बोह्नर,1998)।

बलात्कार को सभी देशों में अलग–अलग रूप से परिभाषित किया गया है, परन्तु सभी परिभाषाओं का सारांश लगभग एक ही निकलता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में सैद्धांतिक अवधारणात्मक रूपरेखा के अध्याय में बलात्कार से संबंधित

परिभाषाओं एवं अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या की गयी है। अतः हम यहाँ बलात्कार एवं बलात्कार संबंधी अभिवृत्तियों की कुछ परिभाषाओं पर ही दृष्टिपात करेंगे।

सामान्यतः बलात्कार का अर्थ महिला के बिना सहमति के योनि/गुदा में, लिंग में प्रविष्ट कराने के रूप में परिभाषित किया जाता है, परन्तु बलात्कार पीड़ित महिला बलात्कार को अन्य नजरिये से देखती व परिभाषित करती है। बलात्कार पीड़िता बलात्कार को अपने भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों और परिणामों के रूप में परिभाषित करती है। नारीवादी लेखनों ने यह तर्क दिया है कि यौन हिंसा की व्यापकता लिंग असमानता के निर्माण में योगदान देती है और साथ ही बलात्कार पीड़िता या उन महिलाओं पर जो बलात्कार से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हैं उन महिलाओं के मन में डर पैदा करती है, एवं बलात्कार पुरुषों के प्रभुत्व की यथास्थिति का समर्थन करता है।

ब्राउनमिलर (1975) ने बलात्कार को परिभाषित करते हुए कहा "बलात्कार को एक ऐसी घटना के रूप में परभाषित किया जा सकता है, जिसमें निम्नतम सहमति को देखा जा सकता है। जिसके अंतर्गत पुरुष महिला पर अत्यधिक डर का इस्तेमाल उसके विरुद्ध करता है और उसका शारीरिक एवं मानसिक शोषण करता है (ब्राउनमिलर,1975)।

लिज़ केली के अनुसार (2008) "बलात्कार, व्यक्तिगत, अन्तरंग और मनोवैज्ञानिक सीमाओं का उल्लंघन है, मानव अधिकार की भाषा में बलात्कार मानव गरिमा का हनन है"।

लोंग्स्वय एवं फित्ज्गेरल्ड (1994) ने बलात्कार संबंधी मिथकों को परिभाषित करते हुए कहा कि "अभिवृत्ति व विश्वास सामान्यतः झूठे होते हैं इसके बावजूद यह व्यापक स्तर पर पाया जाता है, जो पुरुषों की महिला विरोधी आक्रमकता को सही साबित करता है। पुरुषों की तुलना में महिलायें बलात्कार पीड़िता के प्रति अधिक अनुकूल अभिवृत्ति रखती हैं जो कि लिंग भेद को दर्शाता है (वार्ड,1988)।

अभिवृत्ति का निर्माण सामाजिक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में जाना जाता है। जब से सामाजिक मनोविज्ञान विषय की शुरुवात हुई है, तब से ही अभिवृत्ति इसके मुख्य घटक के रूप में विद्यमान रहा है। वास्तव में सामाजिक मनोविज्ञान अभिवृत्ति के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है (कोर्सोनिक एवं अन्य,2005)।

अभिवृत्ति के अध्ययनों में यह जांच शामिल होती है कि अभिवृत्ति का निर्माण किस प्रकार होता है और यह किस प्रकार प्रेरणा व व्यवहारों को एक कारक के रूप में प्रभावित करता है (अल्बर्रसिंन,1972)।

अभिवृत्ति किसी वस्तु या व्यवहार का सारांश मूल्यांकन है, अभिवृत्ति की तीन घटकों के आधार पर व्याख्या की जा सकती है।

1. आवेग संबंधी– एक व्यक्ति किसी घटना, वस्तु, वर्ग या व्यक्ति के संबंध में क्या सोचता है।

2. संज्ञानात्मक संबंधी– इसके अंतर्गत किसी अभिवृत्ति या वस्तु के संबंध में विश्वास, मत और विचारधारा को दर्शाता है।

3. व्यवहार संबंधी– इसके अंतर्गत एक व्यक्ति किसी वस्तु, घटना के संबंध में कैसा व्यवहार करता है (सटेलबेर्ग एवं फ्रे,1996)।

बलात्कार के संबंध में कानून एवं समाज में जो कथन व्याप्त हैं उनमें अत्यधिक न्याय, अधिकार एवं समानता प्रदान की गयी है। एन० सी० आर० बी० (2015) के रिपोर्ट के अनुसार 10 बलात्कार में से मात्र 4 मामलों में ही बलात्कार की घटना की रिपोर्ट करायी जाती है, अधिकतर बलात्कार मामलों में पुलिस एवं बलात्कारी द्वारा समाज के नकारात्मक अभिवृत्ति के कारण पीड़िता द्वारा मामले को वापस ले लिया जाता है। बलात्कार पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति एवं बलात्कार हेतु उस पर दोषारोपण किये जाने के कारण पूरी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बलात्कार पीड़िता अत्यधिक मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है। न्यायालयों में मामलों की सुनवाई के दौरान पीड़िता को जिन मानसिक आघातों एवं दोषारोपण

करने वाले प्रश्नों से गुजरना पड़ता है उसे बलात्कार की पुनरावृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

1.2 अध्ययन का तर्काधार

बलात्कार मात्र एक व्यक्ति के विरुद्ध किया गया अपराध नहीं है बल्कि यह सम्पूर्ण समाज के विरुद्ध किया गया अपराध है। बलात्कार के लिए जिम्मेदार कारकों में सामजिक–सांस्कृतिक कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं एवं इस अपराध का विस्तार वृहद् स्तर पर देखा जा सकता है, साथ ही साथ यह अपराध लगभग सभी कालखंडों एवं समाजों में विद्यमान रहा है। परन्तु इस समस्या पर बात करना अथवा अध्ययन करना अत्यधिक कठिन प्रतीत होता है। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि बलात्कार यौन क्रिया से जुड़ा अपराध है और यह अत्यधिक निजी एवं व्यक्तिगत भी होता है। लगभग सभी समाजों में यौन प्रक्रिया के संबंध में पहले से ही अनेक निषेध, मिथक एवं चुप्पी व्याप्त रहती है, साथ ही महिलाओं की यौनाचरण, यौन शुद्धता, प्रदूषण, शर्म, कलंक, सम्मान एवं शुभ अशुभ जैसे विचारों से घिरी रहती है। यही कारण है कि बलात्कार से संबंधित समस्याओं पर आम जन खुल कर चर्चा करने से बचते हैं और यही व्यवहार बलात्कार की समस्या को गंभीर रूप से बढ़ा देती है। अतः बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति से संबंधित समस्याओं एवं मुद्दों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है।

समय के साथ साथ बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि तीव्र होती जा रही है। (राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरो) के अनुसार वर्ष 2015 में भारत में प्रतिदिन 93 महिलायें बलात्कार की शिकार हो जाती थी और वर्ष 2018 में यह आकड़ा बढ़ कर 106 तक पहुंच गया है। जबकि इन वर्षों के दौरान कानून व्यवस्था, बलात्कार अधिनियमों में पहले की तुलना में काफी सुधार लाया गया है, बलात्कार के मामलों को न्यायालयों में फास्ट ट्रेक के माध्यम से देखा जा रहा है एवं बलात्कार की जांच हेतु नए तकनीकों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। इन सब उपायों के बावजूद भी बलात्कार की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है परन्तु न्यायिक मामलों में दोषियों को सजा पाने का प्रतिशत अत्यधिक कम है।

समाज में तो बलात्कार के संबंध में अत्यधिक निषेध एवं चुप्पी दिखती है परन्तु यही चुप्पी और कमी साहित्यों में भी देखने को मिलती है। खास कर समाजशास्त्र में इस समस्या पर अत्यधिक कम प्रकाश डाला गया है, जबकि बलात्कार प्रतिमानों एवं मूल्यों के टूटने के कारण भी घटित होता है। इसलिए यह देखना जरूरी हो जाता है कि समाजशास्त्र इस संबंध में क्या दृष्टिकोण रखता है एवं बलात्कार और बलात्कार के लिए उत्तरदायी कारकों को समाजशास्त्री किस परिप्रेक्ष्य से देखते एवं इसकी व्याख्या करते है।

बलात्कार की समस्या को सामान्य बोध की दृष्टि से देखा जाय तो यह एक प्रकार का असामान्य यौन व्यवहार एवं व्यक्तिगत रूप से किया गया अपराध प्रतीत होता है। जिसमें लिंग असमानता, लिंग भेद, जैसे दृष्टिकोण शामिल होते हैं। परन्तु समाजशास्त्री इस प्रकार के मुद्दों की व्याख्या करने के दौरान अत्यधिक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाते हैं एवं बिना पूर्वाग्रहों से ग्रसित हुए बिना सामाजिक समस्यों एवं समस्या से संबंधित कारणों की सटीक व्याख्या करते। जबकि नारीवादियों का मानना है कि बलात्कार एक विपथन नहीं बल्कि एक सामान्य घटना है जो लगभग हर प्रकार के समाजों में सामान्य रूप से विद्यमान रहा है। नारीवादियों का यह मानना है कि समाजशास्त्र समस्या की व्याख्या महिला एवं पुरुष से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण से करता है। परन्तु समाजशास्त्र में इस समस्या पर प्रकाश नहीं डाला गया है जबकि बलात्कार एक व्यक्तिगत समस्या होने के साथ ही साथ सामाजिक समस्या भी है, क्योंकि बलात्कार से न केवल पीड़िता प्रभावित होती है बल्कि परिवार एवं समाज भी प्रभावित होता है। व्यक्तिगत संबंधों के साथ साथ सम्पूर्ण परिवार की मानसिक एवं सामाजिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी समाजशास्त्र में थोड़ा बहुत कुछ मिल भी सकता है परन्तु भारतीय समाजशास्त्र में बलात्कार एवं बलात्कार संबंधी मुद्दों की पूर्णतया अनदेखी की गयी है। बलात्कार पर जो लेख एवं साहित्य उपस्थित भी थे उन पर पश्चिमी नारीवादी लेखनों का अत्यधिक प्रभाव था। नारीवादियों के लेखनों के माध्यम से ही बलात्कार संबंधी साहित्य एवं लेखन दृश्यमान होने लगे एवं बलात्कार संबंधी समस्याओं को इसके माध्यम से पेशेवर साहित्यिक पहचान मिली। पश्चिमी आंदोलनों की दूसरी लहर

(दूसरी नारीवादी लहर संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक में प्रारंभ हुई थी और यह आन्दोलन दो दशक तक चला था। दूसरी नारीवादी लहर के अंतर्गत व्यापक मुद्दों को शामिल किया गया जैसे कि कामुकता, परिवार, कार्यस्थल, प्रजनन अधिकार, वास्तविक असमानताएं और आधिकारिक कानूनी असमानताएं, यह एक आन्दोलन था जो पूरे समाज में पितृसत्तात्मक, या पुरुष प्रधान, संस्थानों और सांस्कृतिक प्रथाओं की आलोचना करने पर केन्द्रित था। दूसरी नारीवादी लहर ने भी घरेलू हिंसा के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया और वैवाहिक बलात्कार, बलात्कार–संकट केंद्रों और महिलाओं के आश्रयों को शामिल किया गया। https://feminisminindia.com) के दौरान यह प्रश्न उठाया जाने लगा कि बलात्कार जैसे गंभीर समस्या को अनदेखा क्यों किया जाता रहा है। और यदि भारत में मात्र नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को ही देखा जाय तो वर्तमान समय में बलात्कार एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर आयी। भारत में बलात्कार एक गंभीर समस्या होने के बावजूद इससे संबंधित अध्ययनों की भारी कमी है। भारत जैसे परम्परागत समाजों में बलात्कार एवं बलात्कार मिथकों की स्वीकार्यता अपने चरम पर रहती है। जिस कारण बलात्कार पीड़िता को स्वंय को पुनः सामाज में पुर्नस्थापित करने में अत्यधिक समस्यायों का सामना करना पड़ता है। भारत में बलात्कार पीड़िता के प्रति व्याप्त नकारात्मक अभिवृत्ति उनके पुनर्स्थापन की संभावना को अत्यधिक कम कर देती है। एवं बलात्कार मिथकों की अत्यधिक स्वीकार्यता के कारण पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित रहती है, जिसके कारण बलात्कार पीड़िता के लिए न्याय की भी संभावना समाप्त हो जाती है। बलात्कार पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति बलात्कार अपराधियों को समर्थन प्रदान करती है एवं बलात्कार संस्कृति को पोषित करती है। इस नकारात्मक अभिवृत्ति एवं बलात्कार के सन्दर्भ में जो चुप्पी है, इसको समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि बलात्कार, बलात्कार मिथकों, एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति पर अध्ययन एवं लेखनों का कार्य वृहद् स्तर पर किया जाए, ताकि बलात्कार के सन्दर्भ में व्याप्त निषेध, नकारात्मक अभिवृत्ति, एवं बलात्कार मिथकों को कम किया जा सके और इस सन्दर्भ में अधिक जागरूकता फैलाई जा सके। बलात्कार के नवीन अध्ययनों के माध्यम से बलात्कार की वास्तविक प्रकृति एवं इससे संबंधित अन्य समस्यायों को

समझा जा सकता है। खास कर जो बलात्कार पीड़िता को सामना करना पड़ता है, न्यायिक प्रक्रिया में किस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है, साथ ही सामाजिक नकारात्मक अभिवृत्तियों को किस प्रकार कम किया जा सकता है। इसके अलावा नए शोधों के माध्यम से इस बात की भी पड़ताल की जा सकती है कि बलात्कार के लिए जिम्मेदार वास्तविक कारक कौन से हैं और क्यों अधिकतर बलात्कार पीड़िता एवं पीड़िता के परिवार वाले बलात्कार की घटना की रिपोर्ट कराने से बचते हैं।

बलात्कार संबंधी अध्ययनों की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्याख्या इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अभी तक जो अध्ययन हुए हैं, उन पर नारीवादी दृष्टिकोण का ही प्रभाव अधिक है, जो बलात्कार की घटना का सम्पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाते हैं। नारीवादी लेखन एवं अध्ययन लिंग असमानता, लिंग आधारित समाजीकरण एवं स्त्री पुरुष के शक्ति संबंधो पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। जबकि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बलात्कार के अन्य आयामों को उजागर किया जा सकता है जिसमें बलात्कार के लिए उत्तरदायी संरचनात्मक, संगठनात्मक, संस्थात्मक कारकों को भी उजागर किया जा सकता है। साथ ही बलात्कार पीड़िता के प्रति समाज की नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण के लिए कौन से सामाजिक सांस्कृतिक एवं संस्थागत कारक जिम्मेदार होते हैं, इन का निर्माण एवं संचालन किस प्रकार होता है एवं इनमें सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। इन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किये गए अध्ययनों के माध्यम से मिल सकता है। अतः इस अध्ययन की प्रासंगिकता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। प्रस्तुत अध्याय में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा एकत्रित आंकड़ों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे भारत में बलात्कार से संबंधित स्थिति से भली भाँति अवगत हो सके एवं प्रस्तुत शोध की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया जा सके।

Crime Against Women

Crime Head	Crime Incidence			Crime Rate			Percentage Variation	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014 - 2015	2015 - 2016
Total Crime against Women	3,39,457	3,29,243	3,38,954	56.6	54.2	55.2	-3.0%	2.9%

S. No.	Crime Head	Total Cases Reported	Major State/UT during 2016		
1.	Cruelty by husband or his relatives	1,10,378	West Bengal (19,302)	Rajasthan (13,811)	Uttar Pradesh (11,156)
2.	Assault on women with intent to outrage her modesty	84,746	Maharashtra (11,396)	Uttar Pradesh (11,335)	Madhya Pradesh (8,717)
3.	Kidnapping & Abduction	64,519	Uttar Pradesh (12,994)	Maharashtra (6,170)	Bihar (5,496)
4.	Rape	38,947	Madhya Pradesh (4,882)	Uttar Pradesh (4,816)	Maharashtra (4,189)

चित्र संख्या 1.1 स्रोत : क्राइम इन इंडिया (2016) टेबल संख्या (E) पेज संख्या (XIX)

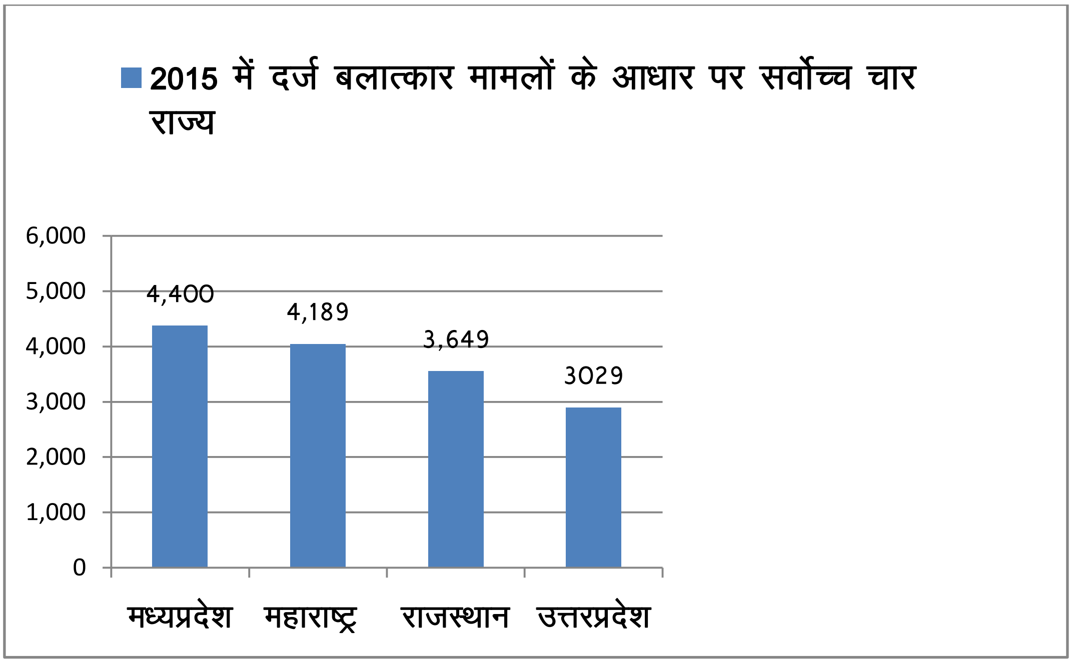

चित्र संख्या 1.2 स्रोतः नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट (2015)

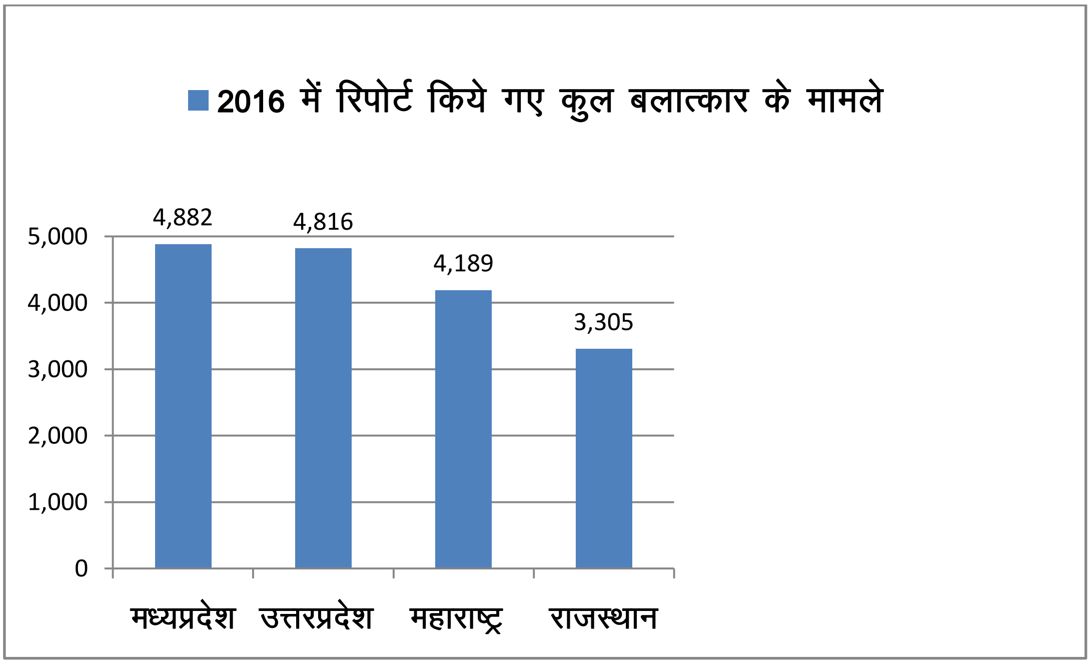

चित्र संख्या 1.3 स्रोतः नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट (2016)

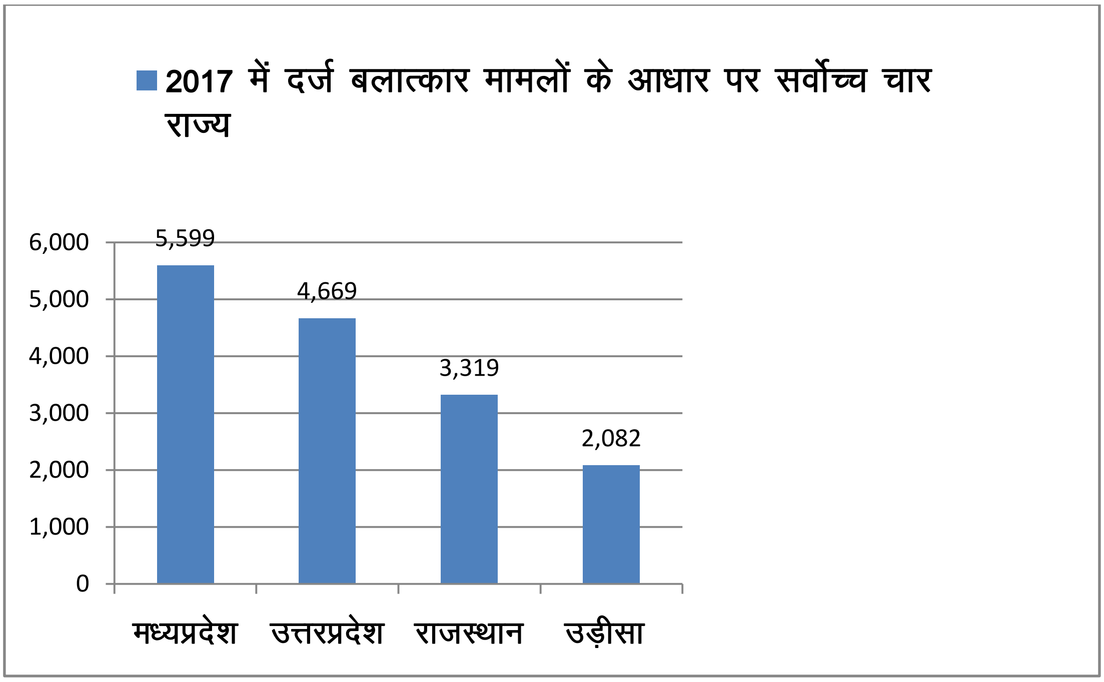

चित्र संख्या 1.4 स्रोतः नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट (2017)

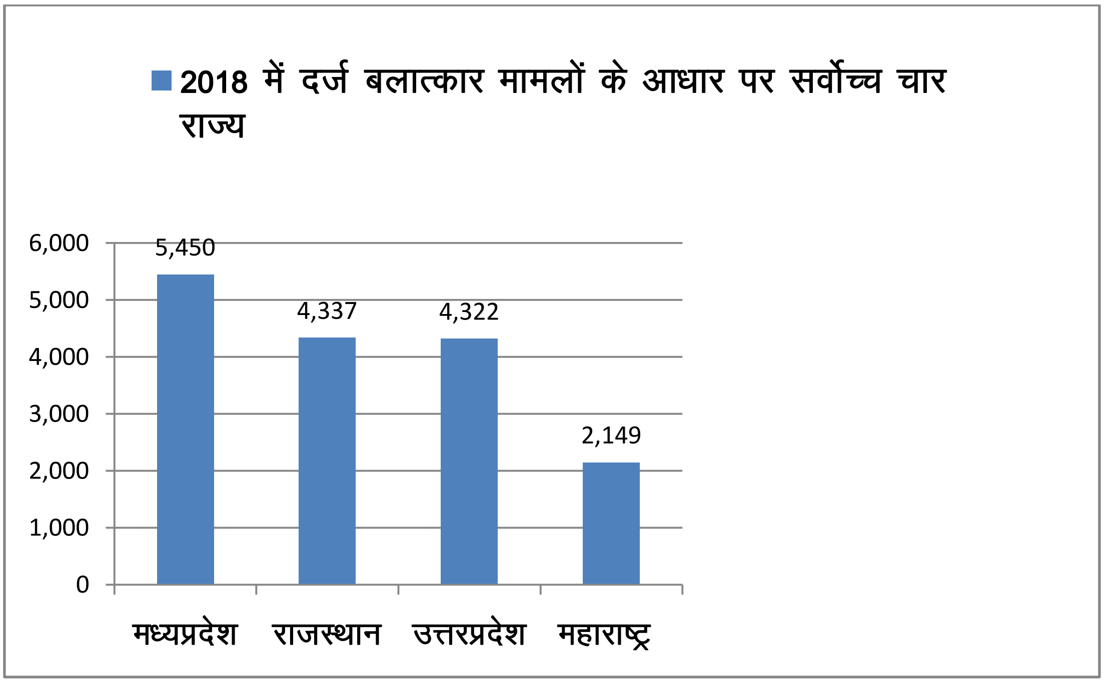

चित्र संख्या 1.5 स्रोतः नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट (2018)

TABLE 5.3

Victims of Rape (also Incest Rape Cases) under Different Age-Groups During 2015

S. No.	State/UT	Number of Cases Reported	Number of Victims ***								
			Below 6 Years	6 Years & Above - Below 12 Years	12 Years & Above – Below 16 Years	16 Years & Above – Below 18 Years	18 Years & Above – Below 30 Years	30 Years & Above – Below 45 Years	45 Years & Above – Below 60 Years	60 Years & Above	Total Victims
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
STATES:											
1	Andhra Pradesh	1027	21	70	179	221	432	98	5	3	1029
2	Arunachal Pradesh	71	3	7	10	14	32	3	2	0	71
3	Assam	1733	1	7	20	15	1074	583	33	0	1733
4	Bihar	1041	0	6	39	71	769	151	0	5	1041
5	Chhattisgarh	1560	20	46	292	418	582	177	21	5	1561
6	Goa	86	4	7	17	23	29	8	0	0	88
7	Gujarat	503	0	3	29	25	307	119	17	3	503
8	Haryana	1070	12	35	115	99	556	230	21	2	1070
9	Himachal Pradesh	244	12	19	59	55	76	21	6	2	250
10	Jammu & Kashmir	296	2	6	5	15	171	94	2	1	296
11	Jharkhand	1053	0	1	6	17	827	200	8	0	1059
12	Karnataka	589	0	0	0	0	458	107	22	2	589
13	Kerala	1256	33	90	221	385	346	165	22	6	1268
14	Madhya Pradesh	4391	32	137	554	847	1962	748	114	6	4400
15	Maharashtra	4144	110	262	865	1030	1385	456	72	9	4189
16	Manipur	46	1	4	6	2	15	17	1	0	46
17	Meghalaya	93	3	9	21	6	45	10	0	0	94
18	Mizoram	58	1	18	18	8	15	12	1	1	74
19	Nagaland	35	1	3	2	2	20	6	0	1	35
20	Odisha	2251	6	28	374	644	884	278	36	1	2251
21	Punjab	886	12	36	155	260	298	118	6	1	886
22	Rajasthan	3644	13	48	242	428	2018	789	109	2	3649
23	Sikkim	5	0	0	0	1	1	3	0	0	5
24	Tamil Nadu	421	0	0	0	0	331	69	18	3	421
25	Telangana	1105	35	59	284	328	290	86	17	6	1105
26	Tripura	213	12	20	36	30	78	28	5	4	213
27	Uttar Pradesh	3025	30	67	250	249	1833	528	43	29	3029
28	Uttarakhand	283	3	6	19	24	163	59	8	1	283
29	West Bengal	1199	0	0	0	0	883	279	35	2	1199
	TOTAL STATE(S)	**32328**	**367**	**994**	**3818**	**5217**	**15880**	**5442**	**624**	**95**	**32437**
UNION TERRITORIES:											
30	A & N Islands	36	1	2	20	3	4	5	1	0	36
31	Chandigarh	72	2	9	12	18	28	1	0	2	72
32	D&N Haveli	8	0	0	0	2	4	2	0	0	8
33	Daman & Diu	5	0	0	0	0	3	2	0	0	5
34	Delhi UT	2199	81	146	394	307	1045	225	11	1	2210
35	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Puducherry	3	0	0	0	0	2	0	1	0	3
	TOTAL UT(S)	**2323**	**84**	**157**	**426**	**330**	**1086**	**235**	**13**	**3**	**2334**
	TOTAL (ALL INDIA)	**34651**	**451**	**1151**	**4244**	**5547**	**16966**	**5677**	**637**	**98**	**34771**

TABLE 5.3 - Page: 3 of 3

Corrigendum : *** 'Number of Victims' be read as 'Number of Victims (Total Rape Cases)'.

चित्र संख्या 1.6

स्रोतः नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट (2015) बलात्कार पीड़िताओं का आयुवार सारणी तालिका संख्या (5.3) पेज संख्या (3)

TABLE 3A.3
Women & Girls Victims of Rape under Different Age-Groups - 2017

S. No	State/UT	Cases Repor-ted	Child Victims of Rape (Below 18 Yrs)					Women Victims of Rape (Above 18 Yrs)					Total Victims (Col.8+ Col.13)
			Below 6 Years	6 Years & Above - Below 12 Years	12 Years & Above – Below 16 Years	16 Years & Above – Below 18 Years	Total Girl /Child Victims	18 Years & Above – Below 30 Years	30 Years & Above – Below 45 Years	45 Years & Above – Below 60 Years	60 Years & Above	Total Women / Adult Victims	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STATES:													
1	Andhra Pradesh	988	14	46	185	296	**541**	333	121	6	4	**464**	**1005**
2	Arunachal Pradesh	59	1	9	19	13	**42**	24	5	0	0	**29**	**71**
3	Assam	1772	2	44	29	25	**100**	1291	582	75	0	**1948**	**2048**
4	Bihar	605	0	0	0	0	**0**	546	68	2	0	**616**	**616**
5	Chhattisgarh	1908	47	77	396	614	**1134**	525	245	14	8	**792**	**1926**
6	Goa	76	4	5	31	16	**56**	13	6	1	0	**20**	**76**
7	Gujarat	477	0	0	0	2	**2**	349	125	2	1	**477**	**479**
8	Haryana	1099	5	7	73	52	**137**	692	246	26	3	**967**	**1104**
9	Himachal Pradesh	249	7	18	52	68	**145**	78	23	5	0	**106**	**251**
10	Jammu & Kashmir	296	1	5	21	16	**43**	163	88	4	0	**255**	**298**
11	Jharkhand	914	0	2	10	72	**84**	632	203	8	0	**843**	**927**
12	Karnataka	546	0	0	0	1	**1**	452	94	9	2	**557**	**558**
13	Kerala	2003	32	115	372	566	**1085**	595	288	42	25	**950**	**2035**
14	Madhya Pradesh	5562	50	207	1275	1550	**3082**	1651	716	104	46	**2517**	**5599**
15	Maharashtra	1933	1	2	3	6	**12**	1428	454	34	17	**1933**	**1945**
16	Manipur	40	0	0	0	2	**2**	24	15	0	0	**39**	**41**
17	Meghalaya*	119	5	18	13	10	**46**	47	22	4	0	**73**	**119**
18	Mizoram	25	0	0	0	0	**0**	13	8	2	2	**25**	**25**
19	Nagaland	10	0	0	1	0	**1**	3	5	0	1	**9**	**10**
20	Odisha	2070	2	15	254	1026	**1297**	737	48	0	0	**785**	**2082**
21	Punjab	530	3	9	55	59	**126**	310	98	14	2	**424**	**550**
22	Rajasthan	3305	7	29	156	320	**512**	1988	744	71	4	**2807**	**3319**
23	Sikkim	17	0	0	0	0	**0**	12	4	1	0	**17**	**17**
24	Tamil Nadu	283	0	0	0	0	**0**	230	44	4	5	**283**	**283**
25	Telangana	552	0	0	0	0	**0**	502	178	14	5	**699**	**699**
26	Tripura	95	1	0	1	3	**5**	55	35	5	1	**96**	**101**
27	Uttar Pradesh	4246	105	190	713	552	**1560**	2313	779	9	8	**3109**	**4669**
28	Uttarakhand	374	8	12	71	69	**160**	189	41	6	1	**237**	**397**
29	West Bengal	1084	0	0	0	0	**0**	799	263	21	1	**1084**	**1084**
	TOTAL STATE(S)	**31237**	**295**	**810**	**3730**	**5338**	**10173**	**15994**	**5548**	**483**	**136**	**22161**	**32334**
UNION TERRITORIES:													
30	A & N Islands	13	0	0	0	1	**1**	8	4	0	0	**12**	**13**
31	Chandigarh	65	3	6	29	7	**45**	16	4	0	0	**20**	**65**
32	D&N Haveli	1	0	0	0	0	**0**	1	0	0	0	**1**	**1**
33	Daman & Diu	7	0	2	0	0	**2**	3	2	0	0	**5**	**7**
34	Delhi UT	1229	0	0	0	0	**0**	871	337	20	3	**1231**	**1231**
35	Lakshadweep	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
36	Puducherry	7	0	0	0	0	**0**	7	0	0	0	**7**	**7**
	TOTAL UT(S)	**1322**	**3**	**8**	**29**	**8**	**48**	**906**	**347**	**20**	**3**	**1276**	**1324**
	TOTAL (ALL INDIA)	**32559**	**298**	**818**	**3759**	**5346**	**10221**	**16900**	**5895**	**503**	**139**	**23437**	**33658**
Percentage Share of Age-Group of Victims			**0.9**	**2.4**	**11.2**	**15.9**	**30.4**	**50.2**	**17.5**	**1.5**	**0.4**	**69.6**	**100.0**

• As per data provided by States/UTs

TABLE 3A.3 Page 1 of 1

चित्र संख्या 1.7

स्रोतः नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट (2017) बलात्कार पीड़िताओं का आयुवार विवरण सारणी संख्या (33-A) पेज संख्या (212)

TABLE 3A.3

Women & Girls Victims of Rape under Different Age-Groups - 2018

S. No	State/UT	Cases Repor-ted	Child Victims of Rape (Below 18 Yrs)					Women Victims of Rape (Above 18 Yrs)					Total Victims (Col.8+ Col.13)
			Below 6 Years	6 Years & Above - Below 12 Years	12 Years & Above – Below 16 Years	16 Years & Above – Below 18 Years	Total Girl /Child Victims	18 Years & Above – Below 30 Years	30 Years & Above – Below 45 Years	45 Years & Above – Below 60 Years	60 Years & Above	Total Women / Adult Victims	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STATES:													
1	Andhra Pradesh	971	16	57	181	251	**505**	373	76	14	5	**468**	**973**
2	Arunachal Pradesh	67	4	4	13	11	**32**	29	9	0	0	**38**	**70**
3	Assam	1648	7	24	6	52	**89**	1043	523	107	5	**1678**	**1767**
4	Bihar	651	0	0	1	3	**4**	520	111	16	0	**647**	**651**
5	Chhattisgarh	2091	41	80	557	541	**1219**	644	190	42	6	**882**	**2101**
6	Goa	61	0	1	21	12	**34**	13	11	2	1	**27**	**61**
7	Gujarat	553	0	0	3	4	**7**	389	144	12	1	**546**	**553**
8	Haryana	1296	2	0	0	0	**2**	969	300	22	3	**1294**	**1296**
9	Himachal Pradesh	344	2	25	85	84	**196**	101	45	6	1	**153**	**349**
10	Jammu & Kashmir	320	0	6	18	18	**42**	172	109	5	0	**286**	**328**
11	Jharkhand	1090	0	0	6	63	**69**	798	217	14	0	**1029**	**1098**
12	Karnataka	492	0	0	2	2	**4**	369	120	3	1	**493**	**497**
13	Kerala	1945	48	129	334	645	**1156**	465	294	43	14	**816**	**1972**
14	Madhya Pradesh	5433	54	142	1143	1502	**2841**	1798	725	75	11	**2609**	**5450**
15	Maharashtra	2142	0	0	0	0	**0**	1524	552	62	11	**2149**	**2149**
16	Manipur	52	0	1	7	9	**17**	27	7	1	0	**35**	**52**
17	Meghalaya*	87	0	4	6	15	**25**	49	14	1	0	**64**	**89**
18	Mizoram	50	2	12	8	1	**23**	20	5	1	1	**27**	**50**
19	Nagaland	10	0	0	1	2	**3**	5	1	1	1	**8**	**11**
20	Odisha	918	0	0	10	27	**37**	835	47	4	0	**886**	**923**
21	Punjab	831	10	30	151	139	**330**	381	108	15	3	**507**	**837**
22	Rajasthan	4335	17	48	392	575	**1032**	2263	912	129	1	**3305**	**4337**
23	Sikkim	16	0	0	0	4	**4**	5	4	3	0	**12**	**16**
24	Tamil Nadu	331	1	1	1	3	**6**	256	63	6	1	**326**	**332**
25	Telangana	606	0	0	0	0	**0**	465	123	17	1	**606**	**606**
26	Tripura	97	0	0	0	0	**0**	73	21	3	0	**97**	**97**
27	Uttar Pradesh	3946	67	174	570	600	**1411**	2235	603	70	3	**2911**	**4322**
28	Uttarakhand	561	3	5	79	186	**273**	194	101	8	0	**303**	**576**
29	West Bengal	1069	0	0	1	3	**4**	736	310	18	1	**1065**	**1069**
	TOTAL STATE(S)	**32013**	**274**	**743**	**3596**	**4752**	**9365**	**16751**	**5745**	**700**	**71**	**23267**	**32632**
UNION TERRITORIES:													
30	A & N Islands	30	0	1	3	10	**14**	12	3	1	0	**16**	**30**
31	Chandigarh	86	7	13	16	17	**53**	14	12	7	0	**33**	**86**
32	D&N Haveli	7	0	0	0	0	**0**	6	1	0	0	**7**	**7**
33	Daman & Diu	3	0	0	1	0	**1**	2	0	0	0	**2**	**3**
34	Delhi UT	1215	0	0	0	0	**0**	851	345	19	2	**1217**	**1217**
35	Lakshadweep	2	0	0	0	0	**0**	0	2	0	0	**2**	**2**
36	Puducherry	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
	TOTAL UT(S)	**1343**	**7**	**14**	**20**	**27**	**68**	**885**	**363**	**27**	**2**	**1277**	**1345**
	TOTAL (ALL INDIA)	**33356**	**281**	**757**	**3616**	**4779**	**9433**	**17636**	**6108**	**727**	**73**	**24544**	**33977**
Percentage Share of Age-Group of Victims			**0.8**	**2.2**	**10.6**	**14.1**	**27.8**	**51.9**	**18.0**	**2.1**	**0.2**	**72.2**	**100.0**

● As per data provided by States/UTs

TABLE 3A.3 Page 1 of 1

Clarifications are pending from West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya & Sikkim

चित्र संख्या 1.8

स्रोतः नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट (2018) बलात्कार पीड़िताओं का आयुवार विवरण सारणी संख्या (3A.3) पेज संख्या (212)।

1.3 अध्ययन की आवश्यकता :

जहां अमेरिका में एक ओर बलात्कार पर लिखी गयी स्त्रीवादी सिद्धांत से संबंधित तीसरे–चौथे स्कूल स्थापित किये जा चुके हैं। तथा दार्शनिकों, वकीलों, स्त्रीवादियों, कैरेट प्रशिक्षकों, मनोचिकित्सकों से लेकर बलात्कार पीड़िताओं तक ने अपने अनुभवों को पुस्तकों एवं लेखों के माध्यम से साझा किया है, वहीं भारत में बलात्कार एक गंभीर समस्या होने के बावजूद इससे संबंधित लेखों, साहित्यों सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों में अत्यधिक कमी है। बलात्कार पीड़िताओं द्वारा अपने अनुभव साझा करने की बात तो दूर अनेक पीड़ितायें घटना की रिपोर्ट तक नहीं करती हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बलात्कार पीड़िता के प्रति समाज द्वारा बरती जाने वाली नकारात्मक अभिवृत्ति है। जिसमें बलात्कार के लिए अपराधी के बजाय पीड़िता को बलात्कार के लिए दोषी ठहराया जाता जाता। लगभग सभी समाजों में बलात्कार मिथकों की स्वीकृति के कारण ही पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। इसके कारण बलात्कार के सारे नकारात्मक परिणाम पीड़िता को भुगतने पड़ते है। मिथकों के प्रभाव में पीड़िता को ही बलात्कार के लिए उकसाने का दोषी माना जाता है, जिस कारण बलात्कार अपराधी की जवाबदेही लगभग समाप्त हो जाती है। समाज की सारी नकारात्मक अभिवृत्ति पीड़िता के प्रति केन्द्रित होने के कारण बलात्कार संस्कृति का जन्म होता है, जिसमें बलात्कारियों एवं अपराधियों द्वारा पीड़िता के प्रति किये गए यौन हमलों को न्यायसंगत ठहराने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है।

बलात्कार के संबंध में और बलात्कार पीड़िता के प्रति समाज की अभिवृत्ति का अध्ययन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बलात्कार के संबंध में अभी तक जो भी अध्ययन हुए हैं उनमें बलात्कार एवं बलात्कार से संबंधित समस्यों की व्याख्या नारीवादी परिप्रेक्ष्यों से की गयी है परन्तु बलात्कार एवं बलात्कार से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर एवं समस्याओं का हल समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों एवं दृष्टिकोणों के माध्यम से अध्ययन करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बलात्कार पीड़िता एवं बलात्कार पीड़िता के परिवार वाले घटना की रिपोर्ट कराने से बचते क्यों हैं ? समाज में बलात्कारी के बजाय पीड़िता पर ही दोषारोपण क्यों किया जाता है ? बलात्कार मिथक क्या होते हैं ? किस प्रकार निर्माण होता है ? इन बलात्कार मिथकों का भरणपोषण एवं संचालन किस प्रकार होता है ? किसी भी समाज की

पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति नकारात्मक अथवा सकारात्मक कैसे होती है ? अभिवृत्तियों के निर्माण में कौन कौन से घटक उत्तरदायी होते हैं ? और किस प्रकार नकारात्मक अभिवृत्ति को सकारात्मक अभिवृत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है ? सबसे महत्वपूर्ण इस प्रश्न की खोज करना है कि बलात्कार पीड़िता के पुनर्वास में कौन–कौन से घटक बाधा उत्पन्न करते हैं और इन बाधाओं को किस प्रकार दूर करके बलात्कार पीड़िता के पुनर्वास को सहज बनाया जा सकता है?

बलात्कार अन्य अपराधों की अपेक्षा सर्वाधिक संवेदनशील होता है और बलात्कार अपराध के संबंध में सर्वाधिक गलत व्याख्यायें एवं धारणायें समाज में व्यापत होती हैं। बलात्कार के संबंध में सबसे बड़ा मिथक यह है कि बलात्कार की घटनाएं अजनबियों द्वारा एवं घर के बाहर होती है RAIN (रेप अब्यूज एंड इंसेस्ट नेशनल नेटवर्क) की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत में हुए बलात्कार के आंकड़ें यह बताते हैं की 93 प्रतिशत बलात्कार मामलों में बलात्कारी पीड़िता के जान पहचान के ही हैं। मात्र 7 प्रतिशत मामलों में ही अपरचित व्यक्ति शामिल होते हैं। **रेप अब्यूज एंड इंसेस्ट नेशनल नेटवर्क** द्वारा प्रस्तुत इस चित्र के माध्यम से यह और अधिक स्पष्ट हो जाता है।

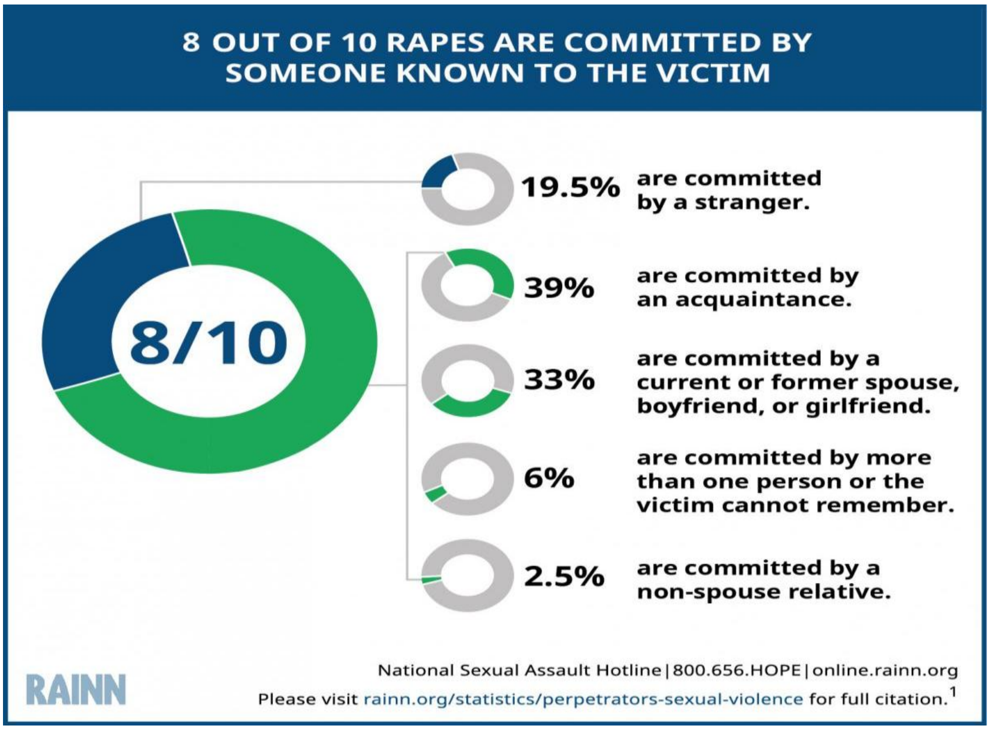

चित्र संख्या 1.9

स्रोत : रेप अब्यूस एंड इंसेस्ट नेशनल नेटवर्क

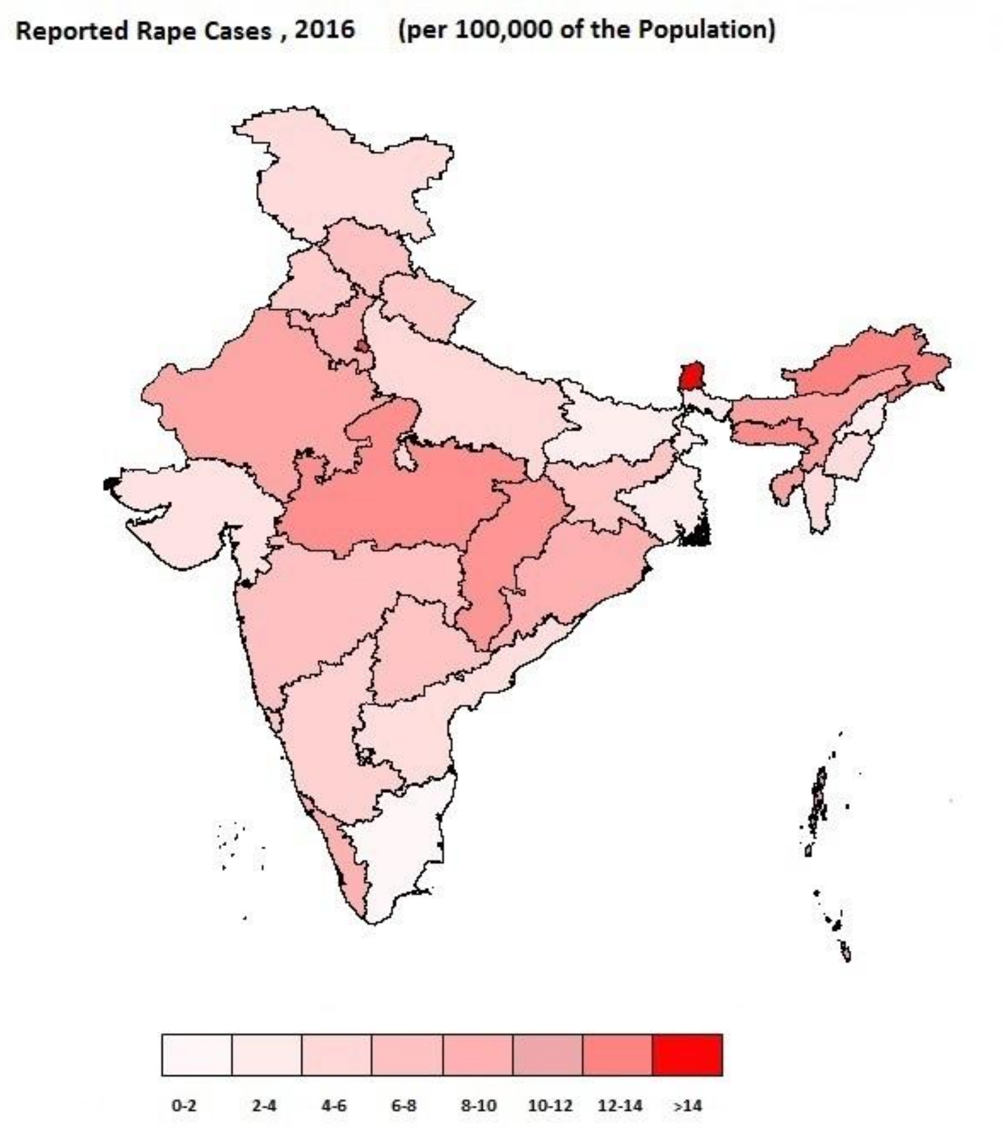

चित्र संख्या 1.10

स्रोत : नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट वर्ष (2016) में दर्ज किये गए बलात्कार की घटनाओं का ताप संबंधी मानचित्र।

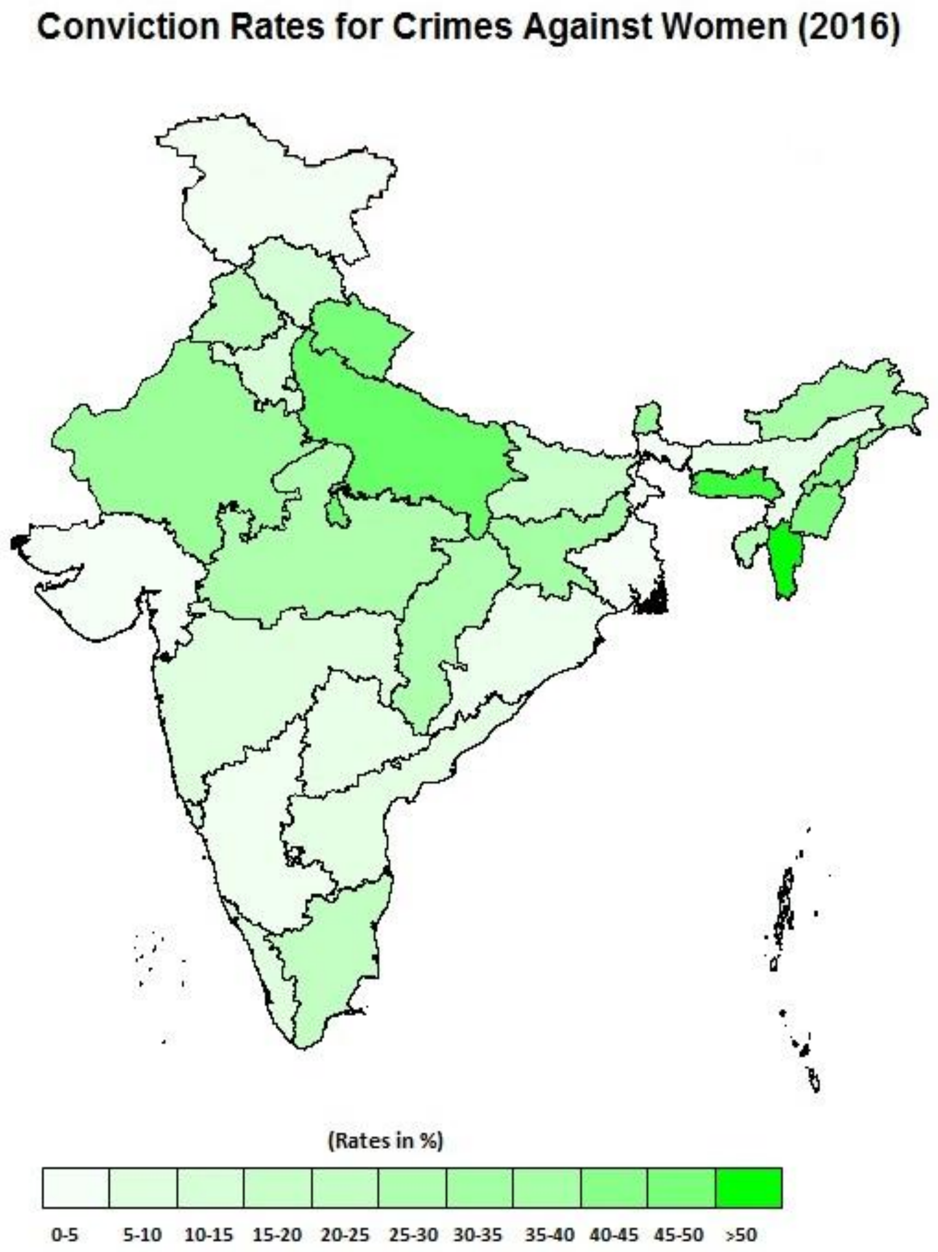

चित्र संख्या 1.11

स्रोतः नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट वर्ष (2016) में महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों की ताप संबंधी मानचित्र।

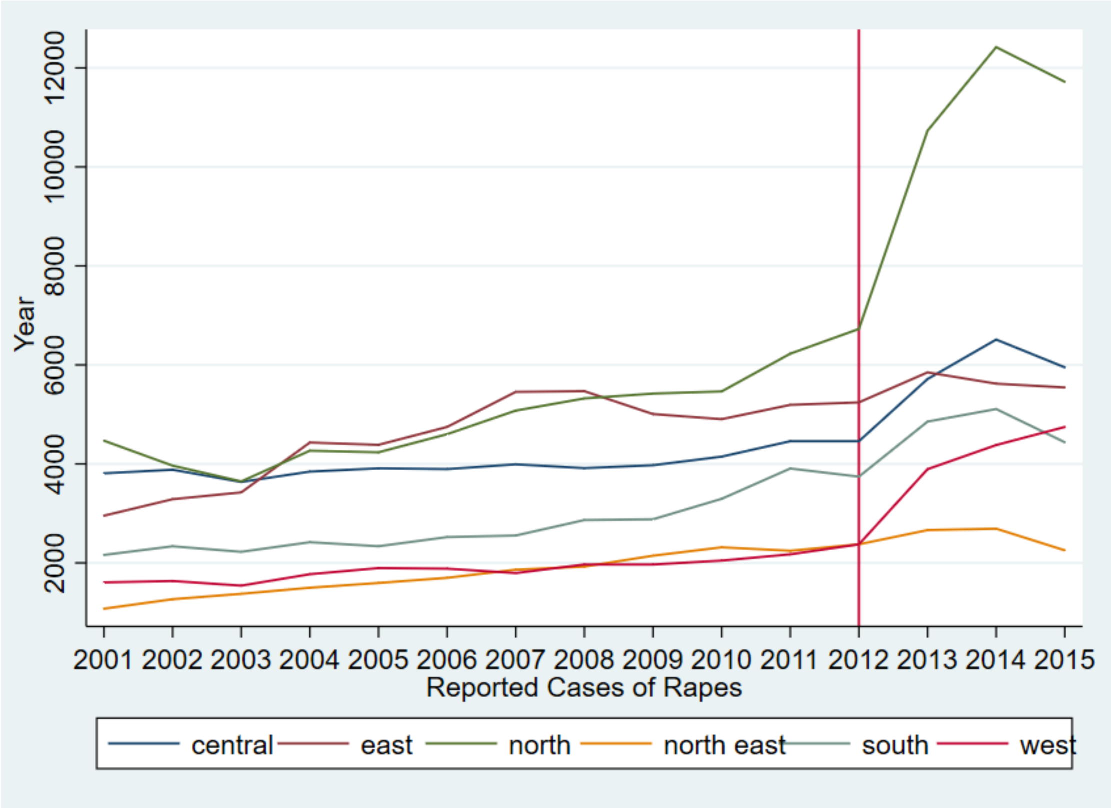

चित्र संख्या 1.12

स्रोत : नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट वर्ष (2001–2015) में दर्ज किये गए बलात्कार की घटनाओं का दिशावार चित्र।

बलात्कार के इन मानचित्रों एवं आकड़ों के आधार पर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि बलात्कार की घटना पर पूर्ण नियंत्रण पाना संभव नहीं है। अतः बलात्कार पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना अति आवश्यक हो जाता है।

बलात्कार का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बलात्कार से मात्र एक व्यक्ति नहीं अपितु एक पूरा परिवार, पड़ोस एवं सम्पूर्ण समाज भी प्रभावित होता है। बलात्कार अपने आप में एक संवेदनशील एवं जटिल अपराध है जिसके कारण आम जन इन मुद्दों पर बात करने से बचते हैं एवं बलात्कार से संबंधित मिथक इस अपराध की प्रकृति को अत्यधिक जटिल एवं भ्रामक बना देता है। अतः इस समस्या के प्रति व्याप्त साहित्यिक अल्पता

एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को समझने में एवं इसमें सुधार हेतु इस विषय पर अध्ययन करना अति आवश्यक प्रतीत होता है।

1.4 अध्ययन विषय क्षेत्र :

बलात्कार अपने आप में बहुत रहस्यपूर्ण प्रकृति का प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि बलात्कार के संबंध में समाज में अत्यधिक चुप्पी, निषेध एवं भ्रांतियां व्याप्त है। इस अध्ययन के संबंध में यह बात ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि इस सन्दर्भ में साहित्य की भारी कमी देखने को मिलती है और यदि यही अध्ययन भारत जैसे पारम्परिक समाज में किया जा रहा हो तो यह कमी अपने चरम पर देखने को मिलती है। बलात्कार के संबंध में व्याप्त इस, निषेध चुप्पी एवं भ्रांतियों के कारण इस विषय पर आम जन की राय एवं अभिवृत्तियों का मापन करना अत्यधिक कठिन कार्य रहा है। खासकर बलात्कार पीड़िता एवं बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों से साक्षात्कार करना सर्वाधिक दुरूह कार्य रहा है। सामाज की नकारात्मक अभिवृत्ति एवं समाज में व्याप्त बलात्कार मिथकों के कारण पीड़िता एवं उसके परिवार के सदस्य अत्यधिक अपमान, मानहानि एवं कलंकित हो जाने की भावना से ग्रसित रहते हैं, इस कारण आसानी से वे साक्षात्कार के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस कारण कुछ ही लोगों का साक्षात्कार किया जा सका है। इसके अलावा सामाज के लोगों की अभिवृत्ति के मापन के दौरान भी काफी लोगों द्वारा शर्म एवं असहजता महसूस करने के कारण साक्षात्कार अनुसूची भरने को तैयार नहीं हो रहे थे। अतः इस अध्ययन को करने के दौरान किसी भी प्रकार के भ्रम, भ्रान्ति एवं अल्पज्ञता को दूर रखने के लिए इन सीमाओं के प्रकाश में ही इस अध्ययन को पूर्ण किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के दौरान बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का मापन अनेक अवधारणाओं, आयामों एवं परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से किया गया है। इस परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि पीड़िता के प्रति समाज की अभिवृत्ति को नकारात्मक बनाने में कौन से कारक

जिम्मेदार होते ? किस प्रकार की संरचनात्मक मूल्य, संस्कृति अथवा संस्था नकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में योगदान देती है?

इन प्रश्नों के उत्तरों की खोज के साथ साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति में कैसे सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य आयामों पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। जैसे कि बलात्कार को समाज द्वारा किस प्रकार समझा जाता है और समाज किस प्रकार बलात्कार को व्याख्यायित करता है, इस प्रशन का उत्तर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से खोजने का प्रयास किया गया है। साथ ही बलात्कार मिथक एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति किस प्रकार अपनी निरन्तरता को बनाए रखती है, बलात्कार एवं बलत्कार पीड़िता के प्रति जो नकारात्मक अभिवृत्ति समाज में व्याप्त रहती है उसका पुनरुत्पादन किस प्रकार होता है, इसकी गहन पड़ताल करने का प्रयास किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अध्ययन के माध्यम से यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि बलात्कार की घटना घटित हो जाने के बाद पूरी नकारात्मक अभिवृत्ति, दोषारोपण, जिम्मेदारी एवं दुष्प्रभाव पीड़िता को ही क्यों उठानी पड़ती है? इन सभी प्रश्नों एवं समस्याओं का हल समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ढूँढने का प्रयास किया गया है। एवं अंत में नकारात्मक अभिवृत्ति और पीड़िता के पुनर्वास के मध्य अंतर्संबंधों को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हुए नीति निर्माण एवं नकारात्मक अभिवृत्ति को सकारात्मक बनाने हेतु कुछ उपयोगी सुझाव देने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोध में, बलात्कार से संबंधित नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सांख्यिकीय विश्लेषण का भी प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध में मुख्य रूप से इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि समाज की नकारात्मक अभिवृत्ति पीड़िता के प्रति क्यों होती है ? पीड़िता को ही बलात्कार के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है। समाज के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया भी पीड़िता के प्रति सहयोगात्मक अभिवृत्ति नहीं रखती है। इसके अतिरिक्त बलात्कार के कारण एवं बलात्कार पीड़िता पर बलात्कार के कारण पड़ने वाले मानसिक एवं

शारीरिक आघातों की व्याख्या की गयी है। एवं बलात्कार के लिए जिम्मेदार सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की भी व्याख्या की गयी है।

प्रस्तुत शोध बलात्कार के अपराध के सन्दर्भ में सम्पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता है क्योंकि इस संबंध में सम्पूर्ण समझ विकसित नहीं हो पायी है और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी इस विषय पर उपलब्धता बहुत कम है। इस कारण शोध में मात्र महिला बलात्कार पीड़िता एवं उसके प्रति नगरीय समाज की अभिवृत्ति को ही अध्ययन के केंद्र बिन्दु में रखकर शोध अध्ययन का कार्य पूर्ण किया गया है।

1.5 शोध अध्यायों की रूपरेखा :

प्रस्तुत शोध अध्ययन को सुविधानुसार कई अध्यायों में वर्गीकृत करके व्याख्या की गयी है।

1.5.1 प्रथम अध्याय :

प्रस्तुत अध्याय में बलात्कार पीड़िता के प्रति भारतीय समाज की अभिवृत्ति से संबंधित प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया है। जिसके अंतर्गत अध्ययन के तर्काधार, अध्ययन की आवश्यकता, अध्ययन विषय क्षेत्र, अध्ययन की रूपरेखा एवं अध्ययन की शोध प्रविधि का विश्लेषण किया गया है।

1.5.2 द्वित्तीय अध्याय :

"साहित्य समीक्षा" इस अध्याय में बलात्कार एवं बलात्कार अभिवृत्ति से संबंधित साहित्यों का समीक्षात्मक मूल्यांकन किया गया है। प्राप्त साहित्यों को दो भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन किया गया है, जो कि पश्चिमी केन्द्रित एवं भारतीय केन्द्रित है। प्रस्तुत अध्याय में नारीवादी दृष्टिकोण से लिखे गए साहित्यों, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखित साहित्यों, एवं अन्य दृष्टिकोणों से लिखे गए साहित्यों को सम्मिलित किया गया है। इस अध्याय के माध्यम से शोध संबंधी ज्ञान की विलम्बनाओं की पहचान की गयी है। और शोध से संबंधित साहित्य की कमी की पहचान कर कर इसका विश्लेषण किया गया है।

1.5.3 तृतीय अध्याय :

"बलात्कार एवं बलात्कार अभिवृत्ति संबंधी सिद्धांतों एवं अवधारणाओं की रूपरेखा" प्रस्तुत शोध अध्याय में बलात्कार एवं बलात्कार अभिवृत्ति से संबंधित परिभाषाओं, अवधारणाओं एवं सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा की गयी है एवं शोध में प्रयुक्त सिद्धांन्तों को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत शोध को सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

1.5.4 चतुर्थ अध्याय :

"बलात्कार पीड़िता के प्रति नगरीय समाज की अभिवृत्ति" इस अध्याय के अंतर्गत लखनऊ जिले से चार क्षेत्रों का चुनाव कर प्रत्येक क्षेत्र से 100–100 उत्तरदाताओं का चयन कर कुल 400 उत्तरदाताओं का चयन किया गया एवं शोध उद्देश्य के अनुसार प्रति 100 उत्तरदाताओं में 50 पुरुष एवं 50 महिलाओं को सम्मिलित करते हुए साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से बलात्कार पीड़िता के प्रति नगरीय समाज के लोगों की अभिवृत्ति का मापन किया गया है। एवं प्राप्त आकड़ों को सारणियों में वर्गीकृत करके अभिवृत्तियों की कारणात्मक व्याख्या की गयी है।

1.5.5 पंचम अध्याय :

बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्तिः कारण,प्रभाव एवं पुनर्वास का विश्लेषण। प्रस्तुत अध्याय में शोधकर्ता द्वारा बलात्कार के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही साथ बलात्कार के लिए उत्तरदायी अन्य कारकों को भी गहनता से समझने का प्रयास किया गया है। बलात्कार के सामाजिक सांस्कृतिक कारको का विश्लेषण करने के बाद बलात्कार के कारण बलात्कार पीड़िता पर पड़ने वाले शारीरिक मानसिक प्रभावों का विश्लेषण एवं बलात्कार पीड़िताओं के वैयक्तिक अध्ययनों को सम्मलित किया गया है।अध्याय के अंत में समाज में बलात्कार के प्रति धारणाओं,अभिवृत्ति या सामाजिक कलंक (social stigma) एवं बलात्कार पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के मध्य अंतःसंबंधों का विश्लेषण किया गया है।

1.5.6 छठवां अध्याय :

प्रस्तुत अध्याय बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने हेतु नीति में उपयोगी सुझाव एवं निष्कर्ष में भारत सरकार द्वारा बलात्कार पीड़िता को प्रदान की जाने वाली सुविधा एवं योजनाओं के संबंध में चर्चा की गयी है। एवं गैर सरकारी संस्थाओं की गुणवत्ता एवं प्रदान की जाने वाली सुविधा की भी जांच की गयी है। एवं इस अध्याय के अंतर्गत 400 उत्तरदाताओं के अभिवृत्ति के मापन के उपरांत प्राप्त परिणामों की व्याख्या की गयी है। इसके साथ साथ बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति को सकारात्मक बनाने एवं पीड़िता के पुनर्वास हेतु बेहतर विकल्पों पर चर्चा की गयी है। साथ ही बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक द्रिष्टिकोण में बदलाव लाने हेतु उपयोगी सुझाव भी देने का प्रयास किया गया है।

1.6 अनुसंधान अभिकल्प एवं पद्धतिशास्त्र :

पहला प्रश्न यह है कि अनुसंधान क्या है? अनुसंधान ज्ञान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किसी घटना का गहन और सावधानीपूर्वक किया गया अन्वेषण है। थियोडोरसन और थियोडोरसन 1969:347 के अनुसार यह सामान्य सिद्धांत निकालने के उद्देश्य से समस्या के अध्ययन का व्यवस्थित और वस्तुपरक प्रयास है। रॉबर्ट बार्न्स (2000:3) ने इसे किसी समस्या के समाधान खोजने में किया गया एक व्यवस्थित अन्वेषण कहा है। कोई भी अनुसंधान वैध तभी माना जाता है जब उसके निष्कर्ष सत्य हों।

अभिकल्प शब्द का अर्थ है रूपरेखा बनाना या नियोजन करना या विवरण को व्यवस्थित करना। यह स्थिति के उत्पन्न होने से पूर्व निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें निर्णय को क्रियान्वित किया जाना होता है। अनुसंधान संचालन की तैयारी की रणनीति बनाना है। यह योजना बनाई जाती है कि क्या अवलोकन करना है, इसका अवलोकन कैसे करना है, कब कहाँ अवलोकन किया जाना है? अवलोकन क्यों किया जाना है? अवलोकनों को आलेखबद्ध कैसे किया जाना है? अवलोकनों का विश्लेषण व्याख्या कैसे की जानी है? और सामान्यीकरण कैसे किया जाना है?

इस प्रकार अनुसंधान अभिकल्प अनुसंधान के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा इसकी योजना बनाना है (आहूजा राम, 2015)।

जिक्मंड(1988:41) ने अनुसंधान अभिकल्प को इस प्रकार परिभाषित किया है, "वांछित जानकारी के संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए विधियों एवं प्रक्रियाओं को बताने वाला मास्टर प्लान है।" सुरेन्द्र सिंह(1975) ने अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान प्ररचना को चार भागों में वर्गीकृत किया है जो इस प्रकार है (1) अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध प्ररचना (2) वणर्नात्मक अथवा विवरणात्मक शोध प्ररचना (3) प्रयोगात्मक अथवा परीक्षात्मक शोध प्ररचना (4) निदानात्मक शोध प्ररचना ।

समाजशास्त्र में अनेक शोध प्रारूपों का चयन शोध समस्या की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। प्रस्तुत शोध में विवरणात्मक अनुसंधान अभिकल्प का प्रयोग किया गया है।

वणर्नात्मक शोध प्रारूप मुख्य रूप से क्या है ? और कैसे है? से संबंधित शोध समस्याओं के अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। ऐसे शोध प्रारूप में क्या नहीं है? और कैसे नहीं है? जैसी शोध समस्याएं भी निहित होती है। दूसरे शब्दों में यह शोध प्रारूप परिभाषा संबंधी तथा विवरण संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त होती है।

1.6.1 अध्ययन के उद्देश्य:

किसी भी अनुसंधान के उद्देश्य अनुसंधान के प्रकार पर निर्भर करते हैं, अर्थात् यह अन्वेषी अनुसंधान है या व्याख्यात्मक अनुसंधान है या वर्णनात्मक अनुसंधान है। यंग के अनुसार सामाजिक शोध का उद्देश्य प्रयोगसिद्ध तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना है (यंग,1960:61)। प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य "भारतीय समाज में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति अभिवृत्ति लखनऊ जिले का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" करना है। विशिष्ट रूप से इसके उद्देश्य निम्नलिखित है–

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य :–

1. बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृतियों का मापन एव वश्लेषण करना ।

2. बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों के पीछे सामजिक–सांस्कृतिक कारणों को जानना।
3. बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों एवं बलात्कार के कारण बलात्कार पीड़िता पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक प्रभावों की विवेचना करना।
4. समाज में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृतियों एवं उनके पुनर्वास के अवसर के मध्य अंतःसंबंधों की व्याख्या करना।

5. बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोणों में बदलाव लाने हेतु नीतियों का मूल्यांकन करना एवं उपयोगी सुझाव देना।

1.6.2 शोध परिकल्पना अथवा शोध प्रश्नः

किसी भी शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए परिकल्पनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। परिकल्पना न केवल शोध का दिशानिर्देशन करती है बल्कि सीमांकन भी करती है। वेब्स्टर (1968) ने प्राक्कल्पना को निष्कर्ष निकालने और तर्क संगत या स्वानुभूत नतीजों का परीक्षण करने के लिए प्रयोगार्थ अनुमान कहकर परिभाषित किया है। विशेषीकृत रूप से प्रस्तुत शोध की प्रमुख परिकल्पनायें इस प्रकार हैं –

प्रस्तुत शोध की परिकल्पनाः

1. बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृति नकारात्मक होती है।
2. बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों के पीछे सामजिक–सांस्कृतिक कारक उत्तरदायी होते हैं।

3. बलात्कार पीड़ित महिलाओं पर उनके प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की नकारात्मक अभिवृतियों एवं बलात्कार के कारण बलात्कार पीड़िता पर गंभीर मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक प्रभाव पड़ता है।

4. समाज में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्तियां बलात्कार पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास में बाधक होते हैं।

5. बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण में बदलाव हेतु नवीन योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण की आवश्यकता है।

1.6.3 अध्ययन क्षेत्र :

किसी भी शोध अध्ययन के लिए सर्वप्रथम शोध समस्या का चुनाव, उसकी व्याख्या, शोध उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करने के पश्चात् शोध कार्य करने हेतु अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि, शोध विषय की प्रकृति, शोध के उद्देश्य एवं परिकल्पना किस प्रकार की है। कोई भी शोध अध्ययन हो उसकी शोध प्रकृति की कुछ न कुछ सीमाएं आवश्य होती हैं, और इसी कारण उस शोध विषय अथवा समस्या का अध्ययन में समाज के सभी, लोगों अथवा समूहों, के विचारों का समावेश नहीं किया जा सकता है। अतः शोधकर्ता को प्रारंभ में ही अपने प्रतिवेदन में अध्ययन की सीमाओं को स्पष्ट कर देना आवश्यक होता है। इन सीमाओं के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण भी सम्मिलित होता है।

प्रस्तुत शोध में भी अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करते समय शोध विषय (भारतीय समाज में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति अभिवृत्ति लखनऊ जिले का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन) की प्रकृति एवं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। प्रस्तुत शोध में सामुदायिक स्तर पर नगरीय निवासियों का बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति के मापन हेतु 400 उत्तरदाताओं के चयन हेतु (गोमतीनगर, जानकीपुरम, अमीनाबाद एवं आलमबाग) क्षेत्रों का चुनाव लखनऊ जिले के चार क्षेत्रों का चुनाव उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। इन चार क्षेत्रों को चुनने के दौरान शोध विषय के

उद्देश्य जो कि (बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्ति का मापन करना) को ध्यान में रख कर मात्र नागरीय क्षेत्रों को ही सम्मिलित किया गया है, किसी भी गांव या कस्बे को सम्मिलित नहीं किया गया है। सामुदायिक स्तर पर 400 उत्तरदाताओं का चयन सुविधाजनक नमूना का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध में 400 उत्तरदाताओं में महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या को तुलनात्मक रूप से समान रखा गया है ताकि बलात्कार पीड़िता के प्रति महिलाओं एवं पुरुषों की अभिवृत्ति का मापन समान रूप से किया जा सके, साथ ही शोधार्थिनी लखनऊ क्षेत्र के भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों से भलीभांती परिचित भी है।

I. ZONE-1 गोमतीनगर

II. ZONE-2 जानकीपुरम

III. ZONE-3 अमीनाबाद

IV. ZONE-4 आलमबाग

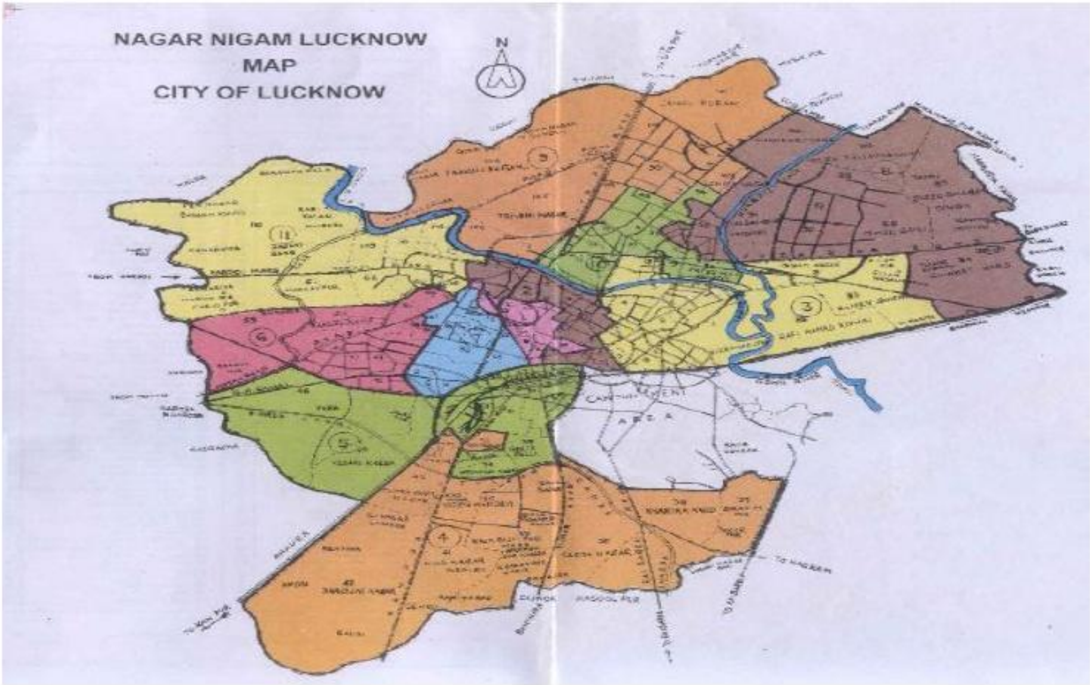

चित्र संख्या 1.13 मानचित्र – नगर निगम लखनऊ जोन मानचित्र (लखनऊ सिटी)

क्षेत्रीयवार उत्तरदाताओं की चयनित संख्या संबंधी सारणी

सारणी संख्या 1.1

क्रम संख्या	शोध अध्ययन क्षेत्र	महिला उत्तरदाताओं की संख्या	पुरुष उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं की कुल संख्या
1	गोमतीनगर	50	50	100
2	जानकीपुरम	50	50	100
3	अमीनाबाद	50	50	100
4	आलमबाग	50	50	100
कुल योग	—	**200**	**200**	**400**

अध्ययन क्षेत्र का विवरण :

लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यह हमेशा एक बहुसांस्कृतिक शहर रहा है। लखनऊ शहर शिया नवाबों द्वारा संरक्षित सभ्य रूप से शिष्टाचार, सुंदर, कविता, संगीत और ठीक भोजन भारतीयों और दक्षिण एशियाई संस्कृति और इतिहास के छात्रों में अच्छी तरह से जाना जाता है। लखनऊ को लोकप्रिय रूप से शहर के नवाबों के रूप में जाना जाता है। इसे पूर्व के गोल्डन सिटी, शिराज–ए–हिंद और भारत के कांस्टेंटिनोपल के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ एक जीवंत शहर है, जिसमें एक आर्थिक विकास दिखता है और यह भारत के तेजी से बढ़ रहे गैर–महानगरों के शीर्ष पंद्रह में से एक है। यह हिन्दी और उर्दू साहित्य के केंद्रों में से एक है। यहां अधिकांश लोग हिन्दी बोलते हैं। यहां की हिन्दी में लखनवी अंदाज है, जो विश्वप्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ उर्दू और अंग्रेजी भी बोली जाती है (http://lucknow-nic-in)।

लखनऊ भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इस शहर में लखनऊ जिले और लखनऊ मंडल के साथ प्रशासनिक मुख्यालय भी

स्थित हैं। लखनऊ शहर दशहरी आम के बागों तथा चिकन की कढ़ाई के काम के लिये जाना जाता है। लखनऊ जिले 26030 से 27010 उत्तरी अक्षांश एवं 80030 से 81013 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जिले का केन्द्रीय भाग समुद्र तल से 120 मी० ऊँचा है। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2528 वर्ग किलोमीटर है जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का (23566) वर्ग किलोमीटर का 1.06 है और उत्तर प्रदेश के जिलों में आकार के दृष्टिकोण से 51वें स्थान पर आता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार लखनऊ जिले की जनसंख्या 45,88,455 है जो की सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 2.29 है। जनसंख्या की दृष्टि से लखनऊ 5वां स्थान रखता है। लखनऊ जिले की जनसंख्या का दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर 25.79 एवं 2011 की जनगणना के आकड़ों के अनुसार जिले का जनसंख्या घनत्व 1815 प्रति वर्ग किमी० है। 2011 में स्त्री–पुरुष लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 906 महिलायें है। लखनऊ जिले की साक्षरता दर 79.33 प्रतिशत है जो की प्रदेश में छठे स्थान पर है (जनगणना 2011)। लखनऊ जिले के सीमा से जुड़े अन्य जिलों में लखनऊ की पूर्वी सीमा बाराबंकी जिले को स्पर्श करती है। और पश्चिम में उन्नाव जिले तथा उत्तर–पश्चिम में हरदोई जिले, उत्तर–पूर्व में सीतापुर एवं दक्षिण में रायबरेली जिले की सीमा को स्पर्श करती है। लखनऊ जिले के दक्षिण–पश्चिम में साई नदी बहती हुई कुछ दूरी तक उन्नाव जिले से अलग करती है। लखनऊ जिले को प्रशासनिक दृष्टिकोण से चार 4 तहसीलों (लखनऊ, बख्शी का तालाब, मोहनलालगंज तथा मलिहाबाद) में विभाजित है। लखनऊ जिले 8 विकास खण्डों में भी विभाजित है जो की क्रमशः (मलिहाबाद, माल, बख्शी का तालाब, काकोरी, चिनहट, सरोजनीनगर, गोसाईगंज और मोहनलालगंज) में विभाजित किया गया है (http://lucknow-nic-in)। लखनऊ जिले का मुख्यालय लगभग मध्य में स्थित है एवं 4 महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मार्गों एवं रेल मार्गों के माध्यम से राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है जिसके कारण सम्पूर्ण जिले को प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामजिक सुविधाएं प्रदान करता है (लखनऊ विकास दर्पण, 2000–2001)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपनी संस्कृति एवं कला के सौन्दर्य बोध के लिए भी जानी जाती है। भारत के प्राचीन इतिहास में इसका विशेष स्थान है। भारत के रोचक एवं महत्त्वपूर्ण शहरों में इसका स्थान विशिष्ट है (यू०पी० गेजिटीयर,1932)

1.6.4 शोध प्राविधि :

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक शोध पद्धतियों का प्रयोग करते हुए इस तथ्य की खोज की गयी है कि भारतीय नगरीय समाज के सदस्यों की बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति क्या अभिवृति है और कौन कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक कारक इन अभिवृत्तियों के निर्माण में सहायक होती है एवं किस प्रकार इसको प्रभावित भी करती है। साथ ही बलात्कार पीड़िता के पुनर्वास में कौन कौन से कारक बाधक होते हैं उन कारकों की भी खोज करने का प्रयास प्रस्तुत शोध अध्ययन में किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में बलात्कार पीड़िता पर पड़ने वाले नकारात्मक शारीरिक एवं मानसिक आघातों का भी अध्ययन किया गया है और किस प्रकार बलात्कार पीड़िता का समाज में पुनर्वास किया जा सकता है उन कारकों की भी खोज करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों प्रकार की है, प्रस्तुत शोध में आंकड़ों का संकलन त्रिस्तरीय आधार पर किया गया है जो क्रमशः इस प्रकार है (1) वैयक्तिक स्तर पर (Individual Level) इस स्तर के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता से प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार कर आकड़ें एवं सूचनायें संकलित करने का प्रयास किया गया है। (2) परिवार के स्तर पर (Family Level) इस स्तर के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों से साक्षात्कार कर सूचनायें संकलित किया गया है। और (3) समुदाय के स्तर पर (Community Level) इस स्तर पर नगरीय समाज के सदस्यों की पीड़िता के प्रति रखी जाने वाली अभिवृत्ति का मापन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है। अध्ययन हेतु लखनऊ जिले को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है जिसके अंतर्गत नगरपालिका द्वारा पूर्व विभाजित जोनों में से जो इस प्रकार है (ज़ोन–1 गोमतीनगर) (ज़ोन–2 जानकीपुरम) (ज़ोन–3 अमीनाबाद) (ज़ोन –4 आलमबाग) को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है। अध्ययन की सार्थकता के लिए जिन पद्धतियों, तकनीकों एवं उपकरणों का प्रयोग किया गया है उनका विवरण निम्नलिखित है।

1.6.5 शोध प्ररचना अभिकल्पः

अनुसंधान अभिकल्प अनुसंधान संचालन की तैयारी की रणनीति बनाना है। यह योजना बनाई जाती है कि क्या अवलोकन करना है, इसका अवलोकन कैसे करना है। कब कहाँ अवलोकन किया जाना है, अवलोकन क्यों किया जाना है, अवलोकनों को आलेखबद्ध कैसे किया जाना है, अवलोकनों का विश्लेषण व्याख्या और सामान्यीकरण कैसे किया जाना है (आहूजा:2015)।

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति विवरणात्मक, व्याख्यात्मक एवं कारणात्मक अनुसंधान शोध है। अनुसंधान सामाजिक घटनाओं के कारणों की व्याख्या करता है। इस शोध प्रारूप के माध्यम से भारतीय समाज में बलात्कार के सामाजिक सांस्कृतिक कारणों की खोज करना तथा बलात्कार पीड़िता के पुर्नस्थापन में कौन कौन से तत्त्व किस प्रकार बाधा का कार्य करते हैं, यह सभी व्याख्यात्मक अध्ययन है। सरल शब्दों में व्याख्यात्मक अनुसंधान का उद्देश्य चरों के बीच संबंध स्थापित करना है, अर्थात् एक चर दूसरे के कारण कैसे घटित होता है? अथवा जब एक चर घटित होता है तो दूसरा भी अवश्य घटित होगा।

प्रस्तुत शोध प्रारूप में शोध विषय के संबंध में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक (Descriptive) विवरण भी प्रस्तुत किया गया है जिसके अंतर्गत उद्देश्यों का निरूपण, परिकल्पना का निर्माण, तथा तथ्य संकलन, परिणामों का विश्लेषण तथा अंतिम स्तर पर प्रस्तुतीकरण किया गया है। इस प्रकार का अनुसंधान सामाजिक स्थितियों, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रणालियों तथा सामाजिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। अनुसंधानकर्ता अवलोकन, अध्ययन करता है तब वर्णन करता कि उसने क्या पता लगाया ? क्योंकि वर्णनात्मक अध्ययन के लिए वैज्ञानिक आधार पर आधार सामग्री एकत्र करना सावधानीपूर्वक और विचारपूर्वक किया जाता है इसलिए वैज्ञानिक वर्णन आकस्मिक अध्ययनों की अपेक्षा अधिक सटीक होते हैं। वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत अध्ययन विषय या शोध समस्या के विभिन्न आयामों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला जाता है। परन्तु इस शोध प्रारूप में आवश्यक है कि विषय से संबंधित एकत्र किये गए आकड़ें वास्तविक और विश्वसनीय हो।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में त्रिस्तरीय आधार पर उत्तरदाताओं का चुनाव करके उनसे साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उपयुक्त प्रश्न पूछ कर सही सूचनायें संकलित की गई हैं। साथ ही साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से बलात्कार पीड़िताओं के प्रति अभिवृत्ति का मापन किया गया ळें

1.6.6 समग्र, प्रतिदर्श एवं निदर्शन

प्रस्तुत अध्ययन में आकड़ों का चयन तीन स्तरों पर किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में लखनऊ जिले को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है प्रस्तावित शोध अध्ययन में समग्र के रूप में लखनऊ जिले के नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त परिवारों एवं लोगों को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन के उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं का चयन तीन स्तरों पर विभाजित किया गया है जैसे कि (वैयक्तिक स्तर पर, परिवार के स्तर पर एवं समुदाय के स्तर पर) प्रथम चरण में वैयक्तिक स्तर पर, बलात्कार पीड़ित महिला से साक्षात्कार किया गया है, चूँकि भारतीय समाज में बलात्कार एक कलंक और मानहानि के रूप में लिया जाता है, जिस कारण बलात्कार पीड़िता से संपर्क करना अत्यंत कठिन कार्य रहा है। प्रथम स्तर पर पीड़िता से संपर्क हेतु स्नोबॉल सेम्पलिंग (Snowball sampling) विधि के माध्यम से किया गया है। साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन हेतु (Case Study) विधि का प्रयोग किया गया है। वैयक्तिक अध्ययन (Case Study) के लिए अध्ययन क्षेत्र की अधिकतम पीड़िताओं व पीड़िताओं के परिवारों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। दूसरे चरण पर बलात्कार पीड़ित महिलाओं के परिवार के सदस्यों से साक्षात्कार किया गया है, इसके लिए भी स्नोबॉल सेम्पलिंग विधि का प्रयोग किया गया है। तथा तीसरे चरण में समुदाय के उत्तरदाताओं के अभिवृत्ति के मापन हेतु लखनऊ जिले को उद्देश्यपूर्ण ढंग से चार जोनों में विभाजित कर जो क्रमशः (ज़ोन–1 गोमतीनगर) (ज़ोन–2 जानकीपुरम) (ज़ोन–3 अमीनाबाद) (ज़ोन–4 आलामबाग) है प्रत्येक क्षेत्र (ज़ोन) से दैवनिदर्शन के माध्यम से 100–100 उत्तरदाताओं को चयनित किया गया है। चूँकि महिलाओं एवं पुरुषों का बलात्कार पीड़िता के प्रति व्यवहार एवं अभिवृति में भिन्नता होती है, इस कारण प्रतिदर्श में लिंगवार चुनाव किया गया है। इस प्रकार 400 उत्तरदाताओं में 200 पुरुष एवं 200 महिला उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया गया है।

1.6.7 निदर्शन

निदर्शन अध्ययन किये जाने वाले विशाल समग्र का एक अंश होता है और इसमें समग्र की मूल विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। अतः निदर्शन में हमारा संबंध इस बात से नहीं होता है कि किस प्रकार की इकाईयों (व्यक्तियों) का साक्षत्कार अवलोकन किया जायगा बल्कि इस बात से होता है कि किस विशेष वर्णन की कितनी इकाईयाँ हैं और उनका चयन किस विधि से किया जाना है (सिंगलटन और स्ट्रेटस, 1991:134)। बोगार्ड्स (1953) का मानना है कि "निदर्शन एक पूर्वनिर्धारित योजना के अनुसार इकाईयों के एक समूह में से इकाईयों का चुनाव है।"

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत 'बलात्कार पीड़िता के प्रति नगरीय समाज की अभिवृत्ति का अध्ययन, बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों का पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति एवं पीड़िता का स्वयं के प्रति अभिवृत्ति और उसकी मानसिक शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन है। यह शोध अध्ययन मुख्य रूप से गुणात्मक शोध है। अतः इस शोध में निदर्शन हेतु गुणात्मक शोध प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। सरंताकोस (1998:154) ने माना कि गुणात्मक अनुसंधानकर्ता सैद्धांतिक प्रतिदर्श का प्रयोग करते है। जब प्रतिदर्श सिद्धांत से निकटता से जुड़ा होता है, जब व्यक्तियों का चयन आधार सामग्री संग्रह से पूर्व होता है, आधार सामग्री संग्रह के दौरान सिद्धांत द्वारा निदर्शित होता है, और जब आधार सामग्री का उदीयमान सिद्धांत से नियंत्रित होता है कुछ विद्वानों का मानना है कि गुणात्मक अनुसंधान में प्रतिदर्श की आवाश्यकता नहीं होती है परन्तु यह सत्य नहीं है। वे प्रतिदर्श प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। फिर भी वे गैर सम्भावना प्रतिदर्श का प्रयोग करते है। प्रस्तुत शोध में गैर–सम्भावना प्रतिदर्श की प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

1.6.8 गैर-संभावना प्रतिदर्शन

गैर–सम्भावना प्रतिदर्शन प्रक्रिया में संभावना सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया होता है, यह प्रतिनिधित्व का दावा नहीं करता है और इसका प्रयोग गुणात्मक अन्वेषणात्मक विश्लेषण में होता है। इसके 5 प्रकार हैं (आहूजा, 2015) प्रस्तुत शोध में निदर्शन के चुनाव हेतु सौद्देश्य प्रतिदर्शन, कोटा निदर्शन, शनैः शनैः बढ़ने वाला प्रतिदर्शन एवं स्वैच्छिक प्रतिदर्शन का प्रयोग किया गया है। चूँकि प्रस्तुत शोध में

तीन स्तरों पर आकड़ों का संकलन करना था जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यकता एवं प्रासंगिकता के आधार पर निदर्शन विधियों का प्रयोग किया है। समुदायिक स्तर पर आकड़ों के संग्रहण के लिए उत्तरदाताओं के चयन हेतु कोटा निदर्शन का प्रयोग किया गया है एवं साक्षत्कार प्रश्नावाली के माध्यम से नगरिया सामाज के लोगों का पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का मापन किया गया है। पारिवारिक स्तर पर सौद्देश्य निदर्शन का प्रयोग किया गया है क्योंकि मात्र बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों को ही शामिल किया जा सकता था, इस कारण उत्तरदाताओं का चयन सौद्देश्य विधि द्वारा किया गया है। तृतीय स्तर पर पीड़िता से संबंधित आकड़ें एकत्र करने हेतु शनैः शनैः बढ़ने वाला प्रतिदर्शन एवं वैयक्तिक अध्ययन (case study) विधि का प्रयोग किया गया है।

1.6.9 तथ्य संकलन के यंत्र एवं माध्यमः

तथ्य संकलन की विधियां किसी भी सामाजिक वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता के लिए पूर्व निर्धारित, मान्य एवं तौर तरीके हैं, जिनका प्रयोग वे अपने शोध के दौरान अध्ययन से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों को एकत्र करने के लिए प्रयोग में लाता है (मोजर, 1991)।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोत के रूप में सरकारी गैर सरकारी प्रतिवेदनों, सर्वेक्षण के आकड़ें, शोध प्रतिवेदन, शोधपत्र, शोध आलेख तथा शोध विषय से संबंधित सामग्री का प्रयोग किया गया है। जबकि प्राथमित स्रोत के रूप में अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से साक्षात्कार एवं अवलोकन के माध्यम से पूर्ण किया गया है। तथा संकलन के यंत्र के रूप में साक्षात्कार अनुसूची एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1.6.10 साक्षात्कार अनुसूचीः

शोध के दौरान तथ्यों के संकलन की एक प्रमुख विधि अनुसूची है। अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कार एवं अवलोकन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अनुसूची वास्तव में शोध विषय से संबंधित प्रश्नों का क्रमबद्व एक सेट होता है जिसे अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से पूछ कर भरता एवं भरवाता है।

प्रस्तुत शोध में बलात्कार पीड़िता के प्रति नगरीय समाज की अभिवृत्ति के मापन हेतु 42 प्रश्नों की एक सूची का निर्माण किया गया है। सूची का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रश्नावाली की विषयवस्तु शोध उद्देश्य शोध परिकल्पना के सीमा से बाहर ना जाए। अनुसूची को एकदम सटीक बनाने के लिए उत्तरदाताओं के आयु, लिंग, धर्म, जाति, पारिवारिक, शैक्षिक एवं सामाजिक आर्थिक परिवेश को समाहित करते हुए प्रश्नावली का निर्माण किया गया है। साथ ही प्रश्नों की भाषा को त्रुटि मुक्त बनाने के लिए सपष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है एवं दो अर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रश्नावली के सटीक निर्माण हेतु विषय से संबंधित विशेषज्ञों के माध्यम से इसकी जांच भी करायी गयी है। एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही अनुसूची को एक व्यवस्थित रूप दिया गया है। प्रश्नों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह उत्तरदाता को आसानी से समझ आ सके। अनुसूची निर्माण के उपरान्त अनुसूची की जांच एवं परीक्षण हेतु उत्तरदाताओं के कुल संख्या के 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं के माध्यम से अनुसूची का परीक्षण किया गया है। जिसे प्रायोगिक सर्वेक्षण के माध्यम से सभी प्रश्नों की उपयुक्तता की जांच करने के उपरान्त ही अनुसूची को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। इसके लिए लखनऊ के चार क्षेत्रों का चयन यादृच्छिक (Random) विधि के द्वारा किया गया जो क्रमशः गोमतीनगर, जानकीपुरम, अमीनाबाद एवं आलमबाग हैं। प्रत्येक क्षेत्र से 100 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

1.6.11 तकनीक (Technique)

1.6.12 वैयक्तिक अध्ययन पद्धति (Case Study Method)

वैयक्तिक अध्ययन किसी एकल मामले का गहन अध्ययन होता है यह एक व्यक्ति, संस्था, एक व्यवस्था, एक समुदाय, एक संगठन, एक घटना और यहां तक कि सम्पूर्ण संस्कृति का अध्ययन हो सकता है। यिन ने वैयक्तिक अध्ययन को इस प्रकार परिभाषित किया है, "एक आनुभविक जांच जो एक तत्कालीन घटना की स्वयं के जीवन सन्दर्भ की सीमा में अन्वेषण करती है, (1991:23)।

प्रस्तावित शोध अध्ययन में उद्देश्यों एवं परिकल्पानाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं का चयन तीन स्तर पर किया गया है। प्राथमिक स्तर पर समुदाय के सदस्यों की बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का मापन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है एवं द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर पर (परिवार एवं वैयक्तिक स्तर) पर सूचनायें एकत्र करने हेतु वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। जिसमें बलात्कार पीड़िता एवं बलात्कार पीड़िता के परिवार का वैयक्तिक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। चूंकि बलात्कार एक गंभीर यौन अपराध की श्रेणी में आता है जिस कारण आम जन इस समस्या अथवा इससे संबंधित प्रश्नों पर खुल कर चर्चा करने से बचते है। खास कर बलात्कार पीड़िता एवं उसके परिवार के सदस्य शर्म, अपमान एवं कलंक जैसी भावनाओं से ग्रसित होने के कारण किसी भी प्रकार के साक्षत्कार से बचते है। बलात्कार पीड़िताओं का वैयक्तिक अध्यन करने के लिए गैर सरकारी संस्थानों, पुलिस रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया गया है। वैयक्तिक अध्ययन करने हेतु स्नोबॉल विधि का प्रयोग किया गया है। इस विधि के अंतर्गत किसी से कड़ी के माध्यम से अन्य कड़ी तक पहुंचा जाता है। इस विधि का प्रयोग गुणात्मक शोधों एवं ऐसे शोध विषयों के लिए किया जाता है जिसमें बहुत निजता, गंभीरता शामिल हो अथवा ऐसे उत्तरदाता जो आसानी से सूचना प्रदान नहीं करना चाहते उन तक पहुंचने के लिए स्नोबॉल विधि का प्रयोग किया जाता है।

1.6.13 संकलित आंकड़ों का सम्पादन, वर्गीकरण व सारणीयन :

प्रस्तुत शोध अध्ययन में तीनों स्तरों से उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं को संकलित करके संपादित किया गया है, इसी से यह ज्ञात हो जाएगा की शोध कार्य से संबंधित सम्पूर्ण सूचनाओं को संकलित कर लिया गया है। समस्त संकलित एवं सम्पादित सूचनाओं का वर्गीकरण करके इन्हें सारणियों में सूचीबद्ध करने के साथ साथ श्रेणीबद्ध किया गया है। सामुदायिक स्तर पर 400 उत्तरदाताओं की बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति को SPSS (Statistical Package for Social Sciences) के माध्यम से सारणियों में सूचीबद्ध एवं श्रेणीबद्ध करते हुए इसमें सारणियों को सामान्य और विशेष रूप से प्रस्तुत द्वितीयक किया गया है। ताकि आंकड़ों के विवरण के

साथ ही साथ नगरीय लोगों की अभिवृत्ति का लिंग, आयु, शिक्षा, धर्म, जाति, आर्थिक स्थितियों के आधार पर भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।

1.7 शोध कार्य की कठिनाइयाँ :

शोध कर्ता को शोधकार्य को पूर्ण करने में नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत शोध कार्य में बलात्कार पीड़िता के प्रति नगरीय समाज की अभिवृत्ति के मापन हेतु चुने गये अध्ययन क्षेत्र में शोधकर्ता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसमें मुख्य रूप से बलात्कार के संबंध में उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति को जानना था, क्योंकि बलात्कार अपने आप में कई प्रकार के निषेधों और मिथकों से घिरा हुआ विषय है। प्रस्तुत शोध को तीन स्तर पर बाँट करके अभिवृत्ति का मापन किया गया जिसमें 400 उत्तरदाताओं का अभिवृत्ति मापन एवं बलात्कार पीड़िता महिलाओं पर वैयक्तिक अध्ययन सफलता पूर्वक कर लिया गया है परन्तु बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों से साक्षात्कार करना अत्यधिक दुरूह कार्य रहा एवं इस साक्षात्कार हेतु अथक प्रयत्न के बाद भी किसी भी पीड़िता का परिवार तैयार नहीं हुआ। इसके अलावा विस्तृत अध्ययन क्षेत्र, उत्तरदाताओं की अनुपलब्धता, अरुचिकर व्यवहार, व्यक्तिगत गोपनीय एवं विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त करने में शोधकर्ता को उपरोक्त समस्याओं का सामना करना पड़ा। शोधकर्ता ने अपने स्तर पर इन समस्याओं को हल किया एवं अधिक से अधिक विश्वसनीय और प्रासंगिक सूचनाओं का संकलन कर शोध कार्य पूर्ण किया।

द्वितीय अध्याय

साहित्य समीक्षा

द्वितिय अध्याय

साहित्य समीक्षा

2.1 परिचयः

प्रस्तुत साहित्य समीक्षा भारत में बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति पर एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के संदर्भ में है। समाजशास्त्र में बलात्कार अध्ययनों पर दृष्टिपात किया जाए तो बलात्कार संबंधी साहित्यों, लेखों की अत्यधिक कमी देखने को मिलती है। समाज में बलात्कार संबंधी मुद्दों पर जो मौन रूप दिखाई पड़ता है, वही मौन रूप समाजशास्त्र के साहित्यों में भी देखने को मिलता है, खास कर भारतीय समाजशास्त्र में यौन अपराधों व बलात्कार संबंधी मुद्दों को नजर अंदाज किया गया है। और जो कुछ लिखा भी गया है वह अपर्याप्त मात्रा में है एवं खाना पूर्ति के रूप में परिलक्षित होता है। हालांकि भारतीय समाजशास्त्र में बलात्कार संबंधित जो लेख मिलते हैं वे पश्चिमी समाज के नारीवादी आंदोलनों एवं लेखों के प्रभाव में किये गए हैं।

प्रस्तुत शोध में विषय से संबंधित साहित्यों वा लेखों का समीक्षात्मक मूल्यांकन किया गया है, जिसके आधार पर ज्ञान की विलम्बनाओं की पहचान कर परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है। इस अध्याय में बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति पर आधारित साहित्यों एवं लेखों का विस्तृत अवलोकन करने का प्रयास किया गया है। प्रारम्भ से ही समाजशास्त्र में बलात्कार को अध्ययन का विषय नहीं माना गया है, बलात्कार को व्यक्तिगत मुद्दा बताकर इसकी गहनता को नकारा गया है, जबकि बलात्कार एक व्यक्ति के विरुद्ध किया गया अपराध नही है, वरन् सम्पूर्ण समाज के विरुद्ध किया गया अपराध है। क्योंकि बलात्कार जैसे अपराधों से ना केवल पीड़िता ही प्रभावित होती है वरन् परिवार, समाज, सामाजिक संबंध भी प्रभावित होते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत संबंध हो या सामाजिक संबंध हो, चूँकि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है तो इस दृष्टिकोण से बलात्कार समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है।

परन्तु भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को न केवल नकारा है बल्कि इसकी गंभीरता व समाज के ऊपर पड़ने वाले इसके गंभीर नकारात्मक प्रभावों को भी नजर अंदाज किया गया है। परन्तु नारीवादी लेखनों ने समाजशास्त्र में चले आ रहे इन विचारों पर रोक लगायी। नारीवादी लेखनों व महिला आंदोलनों के माध्यम से बलात्कार समाजशास्त्र में एक दृश्यमान घटना बन गई। इस अध्याय में बलात्कार पर उपलब्ध पश्चिमी नारीवादी लेखनों एवं भारत में बलात्कार पर उपलब्ध साहित्यों पर विस्तृत सिंहावलोकन करने का प्रयास किया गया है, साथ ही बलात्कार की प्रकृति और बलात्कार के संबंध में नारीवादियों द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाओं का भी साहित्यिक मूल्यांकन किया गया है। इस अध्याय में बलात्कार एवं बलात्कार मिथक संबंधी परिभाषाओं पर दृष्टिपात करने का प्रयास किया गया है।

2.2 पश्चिमी नारीवादी लेखनों की साहित्य समीक्षा

कॉलिन वार्ड (1988) ने बलात्कार और बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्तियों के मापन हेतु विस्तृत स्तर पर शोध कार्य किया। अपने लेख 'दा ऐटीट्यूड टुवर्ड्स रेप विक्टिम्स स्केल' में वार्ड ने बलात्कार पीड़िता के प्रति रखी जाने वाली अभिवृत्ति के मापन हेतु 25 मदों (आइटमों) का निर्माण किया, जिसके माध्यम से पीड़िता के प्रति सहयोगात्मक और असहयोगात्मक अभिवृत्ति संबंधी प्रश्नों को शामिल किया गया। इन प्रश्नों के माध्यम से पीड़िता के प्रति सहानुभूति, सहयोग तथा दोषारोपण संबंधी अभिवृत्ति का मापन किया गया। वार्ड ने उत्तरदाता के रूप में विभिन्न विभागों एवं वर्गों के लोगों को शामिल किया जैसे की सिंगापुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, डॉक्टर, वकील, सामाजिक कार्यकता, मनोवैज्ञानिक, एवं सिंगापुर की पुलिस आदि को सम्मिलित किया गया। वार्ड ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि बलात्कार पीड़िता के प्रति अधिकतर उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति नकारात्मक थी, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में पीड़िता को दोषारोपित करने की अभिवृत्ति अधिक प्रबल थी, अधिकतर उत्तरदाताओं ने यह माना की बलात्कार के लिए पीड़िता कहीं कहीं बराबर और कहीं पूर्णरूप से दोषी मानी गई है। अतः यह कहा जा सकता है की समाज में दोषी की अपेक्षा पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति अधिक होती है।

एंडरसन 2004 ने अपने लेख (जेंडर ऐज एंड रेप एंड सपोर्टिंइव) में यह बताया की यौन व्यवहार के बारे में सामाजिक नियमों से संकेत मिलते हैं अर्थात् किस परिस्थिति में कैसा यौन व्यवहार किया जाना चाहिए इस संबंध में समाज में पहले से ही कुछ नियम और मानदंड प्रचलित होते हैं। जिन्हें हम मिथक भी कहते हैं। एंडरसन ने अपने अध्ययन में पाया कि किस प्रकार समाज के कुछ नियम खास परीस्तिथियों में बलात्कार या यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों को वैध मानते हैं। एंडरसन ने कुछ परिस्थितियों का उल्लेख किया जिसमें महिलाओं का बलात्कार हो सकता है। एंडरसन ने अपने शोध में (मध्य विद्यालय, हाईस्कूल और विश्वविद्यालय) के छात्रों को शामिल किया। इन छात्रों को एक प्रश्नावली दी जिसमें उन्होंने उन परिस्थितियों का संकेत दिया जिसमें एक पुरुष एक महिला को मान सकता है कि वह सेक्स करना चाहती है। अपने शोध के परिणाम में पाया कि महिलाओं ने इन नियमों का कम समर्थन किया जबकि पुरुषों ने इन नियमों का न केवल समर्थन किया बल्कि विशेष परिस्थितियों में बलात्कार जैसे अपराधों को वैध भी ठहराया।एंडरसन ने अपने निष्कर्ष में कहा कि किशोरों के लिए यौन उत्पीड़न रोकने के कार्यक्रम के डिजाइन में यह निष्कर्ष उपयोगी हो सकते है(एंडरसन 2004)।

एरोनोविट्स, टी, एट अल (2012) ने अपने लेख में कालेज के छात्रों के बीच यौन व्यवहार के संबंध में सामाजिक मानदंडों के मिथकों के स्वीकृति की भूमिका के संबंध में चर्चा की। अपने अध्यन में इन्होंने (237) छात्रों को शामिल किया इसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक थी इस सर्वेक्षण में विश्वविद्यालय के छात्रों को शामिल किया गया। इस अध्ययन में यह जांच की गई कि सूचना, प्रेरणा, व्यवहार और कौशल ज्ञान बलात्कार मिथकों को स्वीकृत करने में किस प्रकार की भूमिका निभाता है। इस ऑनलाइन सर्वेक्षण में अधिकतर उत्तरदाताओं ने माना की नशे में पीड़ित महिला बलात्कार के लिए पुरुष की अपेक्षा ज्यादा जिम्मेदार होती है। एरोनोविट्स टी, एट अल ने अपने निष्कर्ष में पाया कि जिन छात्रों ने बलात्कार मिथकों को अधिक समर्थन दिया उन छात्राओं का यौन ज्ञान और सूचनायें भी कम थी।

वार्ड (1995) ने अपनी पुस्तक 'ऐटीटूड टुवर्ड्स रेपः फेमिनिस्ट एंड सोशल साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव' में समाज में यौन हिंसा के संबंध में लोगों की क्या धारणायें होती हैं के संबंध में गहन अध्यन किया है। इस पुस्तक में वार्ड ने इन धारणाओं का परीक्षण करने का प्रयास किया है और यह जानने का प्रयास किया कि समाज में लोगों द्वारा बलात्कार को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, बलात्कार किस प्रकार उनके मस्तिष्क में अंकित रहता है, बलात्कार के लिए किसे दोषी ठहराया जाता है, पीड़िता को अथवा बलात्कारी को। वार्ड ने बलात्कार को कैसे रोका जाए अथवा किस प्रकार इन अपराधों को कम किया जाए संबंधी प्रश्नों पर विस्तृत रूप से चर्चा की है।

बेल, एस टी, एट ऑल (1994) ने इस अध्ययन में उन कारकों की जांच की है जो बलात्कार पीड़ितों के आरोपों को प्रभावित कर सकते हैं। बेल ने अपने अध्ययन में तीन विश्वविद्यालय के 300 विद्यार्थियों को शामिल किया। इस अध्ययन में विद्यार्थियों से एक प्रश्नावली भरवाई गई, जिसमें एक बलात्कार पीड़िता के लिए अनुशासित और सहानुभूति पर एक संक्षिप्त वर्णन शामिल किया गया, इस प्रश्नावली में एक अजनबी व्यक्ति द्वारा बलात्कार की स्थिति को दर्शाया गया है। प्रश्नावली में इस विषय को भी शामिल किया गया है कि बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराये जाने और साथ ही उस समयावधि और अपराधी के साथ की गई पहचान को परिभाषित किया गया है। प्राप्त परिणाम दर्शाते हैं कि पुरुष छात्रों ने बलात्कार पीड़िता को महिला छात्रों की तुलना में अधिक दोषी ठहराया, विद्यार्थियों ने बलात्कार की स्थिति में पीड़िता की तुलना में अजनबियों को बलात्कार की स्थिति के लिए अधिक जिम्मेदार ठहराया और बेल ने पाया कि पीड़िता के प्रति सहानुभूति छात्रों की अपेक्षा छात्राओं में अधिक था, बेल ने अपने अध्ययन में पाया कि अजनबियों द्वारा किये गए बलात्कार में पीड़िता और अपराधी को समान रूप से जिम्मेदार माना जाता है। यह निष्कर्ष शेवर के रक्षात्मक एट्रिब्यूशन सिद्धांत (1970) में प्रस्तुत प्रलोभनीय उदारता की धारणा के अनुरूप है। बेल ने अपने अध्ययन में बलात्कार की रोकथाम के प्रयासों और भावी अनुसंधान के लिए भी चर्चा की है।

आइजेल (2009) ने अपने अध्ययन में पाया कि बलात्कार संबंधी मिथक घटना की रिपोर्ट करने एवं अपराधी को सजा दिलाने में बाधा पहुचाते हैं। पीड़िता को स्वयं अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने और सगे सम्बन्धियों की प्रतिक्रिया के साथ सामंजस्य बनाने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकी समाज में व्याप्त बलात्कार मिथकों के कारण पीड़िता के प्रति पूरी सहानुभूति पैदा नहीं हो पाती है और पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाता है जिस कारण बलात्कार पीड़िता को अत्यधिक रूप से नकारात्मक व्यवहार झेलना पड़ता है।

स्कॉलर एवं इदरीश (2006) ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में कहा कि बलात्कार के संबंध में व्याप्त मिथक पीड़िता से सामाजिक दूरी को बढ़ाते हैं और समाज के लोग पीड़िता व अपराधी दोनों से ही सामाजिक दूरी बनाना चाहते हैं। वहीं बलात्कार और बलात्कार पीड़िता के प्रति समाज की अभिवृत्ति सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है। यह अभिवृत्ति महिलाओं को उनकी परम्परागत स्थिति में बनाए रखने पर जोर देता है, जो महिलाओं को विवश करता है कि वे अपनी परम्परागत भूमिका का पालन यथावत् करती रहें। परम्परागत एवं रूढिवादी विचारधारा के लोग बलात्कार पीड़िता को ही बलात्कार का दोषी मानते हैं।

जे. एच. बोगार्ट, (1991) ने अपने लेख (ऑन दा नेचर ऑफ रेप) में बलात्कार की लिंग–तटस्थ परिभाषा देते हुए कहते हैं कि बलात्कार किसी व्यक्ति पर कामुकता के माध्यम से किया गया हमला है। बोगार्ट के अनुसार बलात्कार एक बलप्रयुक्त, अनैच्छिक और किसी व्यक्ति की असहमति के बिना किया गया सहवास है। बोगार्ट अपने लेख में सर्वस्वीकृत परिभाषा को अस्वीकार करते हुए कहते हैं बलात्कार का कोई भी अनुभव सामान्य नहीं हो सकता है। बोगार्ट का मानना है कि अलग–अलग बलात्कार की घटनाओं के अनुभव भी अलग अलग होते हैं और बलात्कार के कारण पीड़िताओं के अनुभव भी अलग–अलग होते हैं, इस कारण बोगार्ट ने बलात्कार की सर्वस्वीकृत परिभाषा को अस्वीकार किया है। बोगार्ट अपने लेख के अंत में कहती हैं कि अदालतों में पीड़िता को होने वाले अपमान से सुरक्षित किया जाना बहुत आवश्यक है। पीड़िता अदालत में सुनवाई की लम्बी प्रक्रिया के दौरान शर्मसार और लगातार अपमानित होती है। सुनवाई के दौरान पीड़िता को

बलात्कार का पूरा ब्योरा सुनाना पड़ता है। बोगार्ट बलात्कार को किसी विशिष्ट अनुभव के आलोक से परे रख कर देखने पर बल देती हैं और बलात्कार को स्त्री के अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखने का तर्क देती हैं।

ली एलिस (1989) ने अपने अध्ययन में कहा कि समाजशास्त्र बलात्कार संबंधी घटनाओं को समझने व इसके विश्लेषण हेतु इसे सैद्धान्तिक साधन के रूप में अध्ययन हेतु प्रयोग करता है। साहित्य मूल्यांकन के रूप में समाजशास्त्रियों ने तीन प्रकार के समकालीन परिप्रेक्ष्यों को चिन्हित किया है। प्रथम परिप्रेक्ष्य, जिसके अंतर्गत बलात्कार को सामाजिक सीख के सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है, इस सिद्धांत में आक्रामक व्यवहार को सामाजिक सीख के तौर पर देखा गया है। आक्रामक व्यवहार एक सीखा गया व्यवहार है जो फिल्मों, मास मीडिया के द्वारा सीखा जाता है (ली एलिस,1998)।

स्मिथ एवं लेवेट (2010) ने अध्ययन में यह पड़ताल किया कि किस प्रकार वृहत् स्तर पर छात्र व छात्राएं उत्पीड़न संबंधी सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे और वे सूचनायें किस प्रकार व किस स्तर तक बलात्कार संबंधी पूर्वानुमानों, विश्वासों, मिथकों और अभिवृत्तियों को प्रभावित कर रहे थे। इस अध्ययन में इस बात की भी पड़ताल करने का प्रयास किया कि इन सूचनाओं के माध्यम से कितनी जागरूकता उत्पन्न हो रही है और इस जागरूकता के कारण क्या पुरुष व महिला छात्र और छात्रायें अपने विरुद्ध हुये यौन शोषण के बारे में रिपोर्ट कराते हैं या नहीं। निष्कर्ष में यह तथ्य सामने आया कि महिलायें बलात्कार संबंधी मिथकों से कम प्रभावित होती हैं जबकि पुरूष अधिक प्रभावित होते हैं।

हैरिसन एवं अन्य (1991) ने अपने अध्ययन में बलात्कार पीड़िता के प्रति कॉलेज के छात्र व छात्राओं को उत्तरदाता के रूप में सम्मलित किया है। यह अध्ययन संरचित प्रश्नावली के माध्यम से किया गया और यह परीक्षण दो भागों में बांट कर किये गये परीक्षण से पूर्व व परीक्षण के बाद साथ ही कुछ छात्रों पर पश्चात् परीक्षण नहीं किया गया। इस अध्ययन में पूर्व एवं बाद के दोनों अभिवृत्तियों का मापन किया गया। इस परीक्षण के माध्यम से पीड़िता पर दोषारोपण व

दोषारोपण से इंकार करने को मापा गया, इसके बाद उत्तरदाताओं के सामने वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत किये गये। इस अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि उन छात्रों के उत्तर में अत्यधिक परिवर्तन आंका गया, जिसके पश्चात् परीक्षण किया था और वास्तविक आकड़ें प्रस्तुत किये गये थे।

हेंडरसन (1994) ने यह अध्ययन बहुत बड़े स्तर पर किया था। अध्ययन के अंतर्गत 12 विश्वविद्यालय के 1,033 अंडरग्रेजुएट विद्यर्थियों को शामिल किया गया था। इस अध्ययन में विद्यार्थियों के यौन शोषण संबंधी अनुभवों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये थे। निष्कर्ष में 88 प्रतिशत विद्यार्थियों ने यह माना कि हाईस्कूल में यौन शोषण संबंधी शिक्षा आवश्यक रूप से शामिल की जानी चाहिए, हालांकि इनमें से 50 प्रतिशत विद्यार्थियों ने हाईस्कूल में यौन शोषण संबंधी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। इस अध्ययन के निष्कर्ष में यौन शोषण के विरुद्ध शिक्षा को बलात्कार रोकने में एक अहम् कारक के रूप में चिह्नित किया।

हेप्पर एवं अन्य (1995) ने यह अध्ययन बी० जे0 गिल्बर्ट एवं अन्य (1991) द्वारा किये गये पूर्व अध्ययन पर आधारित है। यह अध्ययन मिडवेस्टर्न विश्वविद्यालय के छात्रों पर किया गया। इसमें 152 महिलायें व 105 पुरूषों को शामिल किया गया जिनकी उम्र 17 वर्ष की थी। इस अध्ययन में विद्यार्थियों को बलात्कार पीड़िता के प्रति उनके अभिवृत्ति का मापन किया गया साथ ही साथ यह भी अध्ययन किया गया कि इन अभिवृत्तियों का निर्माण किस प्रकार होता है और किन कारकों से परिवर्तित होता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की अभिवृत्ति जल्दी बदलती है।

हेर्नान्देज एवं अन्य (2004) ने माना कि वर्तमान समय में जब विज्ञान व तकनीक अपने चरम विकास पर पहुँच गया है, वहीं आज भी हम अनेक समस्याओं का समाधान नहीं कर पायें हैं। जिसमें सामजिक संबंध व मानव विकास के मुद्दे मुख्य हैं जिसमें बेहद गरीबी व लिंग हिंसा को समाज द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। समकालीन सभी समाजों में यौन हिंसा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इन समस्याओं के समाधान खोजने के बजाय इन समस्याओं के साथ कैसे

रहा जाय पर ज्यादा बल दिया जाने लगा है। प्रस्तुत अध्ययन में यौन हिंसा व बलात्कार जैसी समस्याओं को एक आम अपराध के रूप में स्वीकार करने पर प्रकाश डाला गया है। किस प्रकार लिंग भूमिका व असमान समाजीकरण के कारण महिला विरुद्ध हिंसा को स्वीकारा जा रहा है।

हिन्च्क एवं थॉमस, (1999) ने अपने अध्ययन में बलात्कार मिथकों की व्यक्तिगत अभिवृत्ति के निर्माण में क्या भूमिका रहती है और ये मिथक किस प्रकार आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन व निर्माण करते हैं का अध्ययन किया है। बलात्कार संबंधी अपराधों में इस अध्ययन का उद्देश्य कॉलेजों के विद्यार्थियों के वर्तमान बलात्कार संबंधी मिथकों के स्वीकार या अस्वीकार के स्तर को मापना था। इस अध्ययन में 15 उत्तरदाताओं पर दो डिग्री का प्रयोग किया गया। बलात्कार मिथकों की स्वीकार्यता व आस्वीकार्यता को मापने के लिए पुरुषों व महिलाओं के मिथकों की स्वीकृति में अत्यधिक अन्तर नहीं था। परन्तु जिन उत्तरदाताओं ने बलात्कार जागरूकता विषयों व कार्यक्रमों का अध्ययन किया था उनके मिथकों के स्वीकारने व अस्वीकार करने में अत्यधिक अन्तर पाया गया।

एन्सिंग (1996) ने इस अध्ययन को दो भागों में बाँट कर अध्ययन किया। प्रथम भाग में बलात्कार मिथकों की स्वीकार्यता व मिथकों की प्रकृति क्या होती है और परम्पराओं के साथ इसका क्या संबंध होता है, दोनों चरों के मध्य के अन्तःसंबंध को जानने का प्रयास किया है। इसमें दो विचारधारा को मानने वाली महिलाओं को उत्तरदाता के रूप में चुना गया। प्रथम, वे महिलाएं जो समतावादी लिंग भूमिका विचारधारा वाली महिलायें और दूसरी रूढ़िवादी विचारधारा को मानने वाली महिलायें, दोनों समूहों की महिलाओं के संबंध में पुरूष विद्यार्थियों के विचार पूछे गये व दूसरे भाग में रूढ़िवादी मिथक विचारधारा को जागरूकता अभियान के माध्यम से कितना परिवर्तित कर सकते हैं इसका मापन किया गया। इसके अन्तर्गत महिलाओं के दो समूहों को चुना गया एक समूह की महिलायें संग्रह में रहती थी जबकि दूसरी एथलीट समूह की थी। इस अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि संग्रह में रहने वाली महिलायें अधिक रूढ़िवादी मिथकों से ग्रसित थी और अधिक बलात्कार मिथकों को स्वीकार करती थी। संग्रह में रहने वाली महिलाओं पर

जागरूकता वाले कार्यक्रमों का बहुत कम प्रभाव पड़ा था जबकि एथलीट समूह की महिलाओं के विचारों में अत्यधिक परिवर्तन आया था।

कैमिले पैगालीय ने सन् (1992) में अपनी पुस्तक (आर्ट एंड अमेरिकन कल्चर) में कैमिले ने डेट रेप की आलोचना की है और बलात्कार की समस्या पर विस्तार से चर्चा की है। कैमिले का मानना है कि बलात्कार की घटना को समझने के लिए इतिहास में वापस जाना जरूरी है। कैमिले ने प्राचीन साहित्यों और लेखों का मूल्यांकन करने के उपरांत पाया कि साहित्य, धर्म तथा कला का इतिहास यह कहता है कि पुरुष स्त्रियों के प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यधिक उत्तेजना का अनुभव करते हैं। कैमिले ने अपनी पुस्तक में बलात्कार के पीछे जैविक कारणों पर जरूरत से ज्यादा बल दिया है। कैमिले अपनी पुस्तक में यह भी कहती हैं कि नारीवादियों ने भविष्य के निर्माण के प्रयास में अतीत की जड़ों को ही काट दिया है और कहती हैं कि नारीवादियों ने साहित्य, कला, और धर्म के इतिहास में पुरुष स्त्रियों के प्रति कितना अधिक उत्तेजित रहे हैं नारीवादियों ने इसकी अनदेखी की है।

ग्रे एवं अन्य, (1993) यह अध्ययन साउथर्न युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों पर किया गया। इस अध्ययन में बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपण संबंधी अभिवृत्ति का मापन संम्भाव्य नमूने (प्रोबेबिलिटी सैंपल) के माध्यम से 511 पुरुषों व 666 महिलाओं पर किया गया। पहला रक्षात्मक दोषारोपण व दूसरा बलात्कार मिथकों के प्रभाव में पीड़िता पर दोषारोपण, लिंग पूर्व महिला उत्पीड़न, पूर्व पुरुष आक्रामक व्यवहार और जोखिम उठाने वाले मिथकों का परीक्षण किया गया। इस अध्ययन के निष्कर्ष में यह तथ्य सामने आये कि महिलायें बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपण कम करती हैं। इन महिलाओं का मानना था कि बलात्कार मिथक नकारात्मक रूप से पीड़िता पर दोषारोपण में अहम् भूमिका निभाते हैं। इसके विपरीत पुरुष पीड़िता पर अधिक दोषारोपण करते हैं और मानते हैं कि बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपण में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं।

कॉलिन एवं वार्ड (1995) ने बलात्कार संबंधी समस्याओं पर गहनता से अध्ययन किया और बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया जैसे कि बलात्कार को कैसे परिभाषित किया जाये ? बलात्कार उत्पीड़न का जिम्मेदार कौन है ? बलात्कार को कैसे रोका जाये आदि। इस पुस्तक में कॉलेन एवं वार्ड ने नारीवादी और मनोवादी शोध की अभिवृत्ति का परीक्षण किया है एवं बलात्कार के अध्ययन पद्धतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। नार्थ अमेरिका और एशिया में प्रयुक्त पद्धतियों जैसे– किस प्रकार केस स्टडी का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, सर्वे, शोध, परीक्षणात्मक अध्ययनों, कार्यक्षेत्र संबंधी एक्शन रिसर्च आदि सभी शोध पद्धतियों का परीक्षणात्मक अध्ययन किया है। इस अध्ययन में वार्ड ने यौन हिंसा के अध्ययन हेतु गुणात्मक एवं परीक्षणात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन में वार्ड ने यौन हिंसा के अध्ययन हेतु गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों का प्रयोग किया है। इस पुस्तक में कॉलेन एवं वार्ड ने बलात्कार मिथकों के नकारात्मक प्रभावों का भी वर्णन किया है।

ब्राउनमिलर (1975) सुजन ब्राउनमिलर ने सन् 1975 में अपनी पुस्तक (अगेंस्ट अवर विल मेन वुमन एंड रेप) में विश्व में पहली बार सम्पूर्ण विश्व का ध्यान बलात्कार की समस्याओं की ओर खींचा, बलात्कार की गंभीरता और बलात्कार के परिणाम स्वरूप पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति लोगों को सचेत किया तथा पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री के मातहत की अवस्था पर गहराई के साथ विचार किया। यह पुस्तक बलात्कार के संबंध में सर्वाधिक विस्तृत अध्ययन के रूप में जानी जाती। मिलर ने अपनी इस पुस्तक में बलात्कार जैसे भयानक अपराध में पीड़िता के प्रति रखी जाने वाली असमानता पर अद्भुत ऐतिहासिक साक्ष्य, आंकड़ें, एवं सूचनायें प्रदान की हैं। और राजनीतिक आर्थिक असमानता के सभी पहलुओं पर गहराई से चर्चा की है।

मैककिनन कैथरीन, सूसन ब्राउनमिलर के बाद बलात्कार संबंधी मुद्दों पर गहनता से कार्य करने के लिए बहुत चर्चित नारीवादी लेखिका हैं। मैककिनन ने (1989) अपनी पुस्तक (टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट) में बलात्कार के संबंध में नए आयामों, परिभाषाओं और प्रस्थापनाओं को स्थापित किया। अपनी इस

पुस्तक में मैककिनन कहती है कि नारीवादी विश्लेषण के अनुसार बलात्कार नैतिकता का उलंघन या गलत व्यक्तिगत आदान प्रदान नही है बल्कि बलात्कार एक ऐसा कार्य है जो आतंक तथा यातना से संबंधित है। और यह यातना समाज की पूरी स्त्री जाति को व्यवस्था के सन्दर्भ में दी जाती है। अर्थात् पूरा स्त्री समुदाय पुरुष समुदाय के अधीन रहता है। मैककिनन का मानना है कि राज्य ने बलात्कार से संबंधित जो कानून बनाया है वह बलात्कार को "लिंग प्रविष्ट" से संबंधित अपराध मानता है। मैककिनन के अनुसार बलात्कार की यह परिभाषा त्रुटिपूर्ण है। मैककिनन कहती है अभी तक कामुक अपराध और हिंसक अपराध की भिन्नता पर ही बात होती आई है। जब जब कामुकता को हिंसा के साथ जोड़ा जाएगा तब तब स्त्रियों के उलंघन के प्रश्न को नजरअंदाज किया जाएगा।

बुच्वाल्ड, (2005) ने अपनी पुस्तक (ट्रांस्फोर्मिंग अ रेप कल्चर) में यौन हिंसा के संबंध में नये दृष्टिकोणों को उजागर किया है एवं यौन हिंसा के उदय के सांस्कृतिक कारणों पर चर्चा की है। इस पुस्तक में वैधानिक रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन व वैचारिकी परिवर्तन के आधार पर पूर्वानुमानों की पृष्ठभूमि को तोड़ा गया है। बुच्वाल्ड ने अपनी इस पुस्तक में शक्ति संबंध में हो रहे परिवर्तनों के सभी आयामों पर विस्तृत रूप से चर्चा की है जो लिंग, प्रजातीय व यौन आधारित असमानता पर निर्मित

जोड्य एवं राफेल, (2013) जोड्य और राफेल अपनी पुस्तक (रेप इस रेप हाउ डिनायल डिस्टरसन एंड विक्टिम ब्लेमिंग आर फुएलिंग अ हिडन एक्युएंट्स रेप क्राइसिस) में क्रियात्मक रूप से महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकार के संरक्षण के पक्ष में हैं। इस पुस्तक में जोड्य और राफेल ने यह माना है कि बलात्कार की घटना किसी भी महिला के मौलिक मानवाधिकारों का उलंघन है। जोड्य और राफेल ने माना है कि युनाइटेड स्टेट के 80 प्रतिशत बलात्कार के मामले परिवार के सदस्यों व परिचितों के द्वारा ही किये जाते हैं। जो इस परम्परागत भ्रामक सोच के विपरीत हैं कि अधिकतर बलात्कार अपरिचित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

हार्डिंग, (2015) की पुस्तक (अस्किंग फॉर इट द अलार्मिंग राइज ऑफ रेप कल्चर एंड व्हाट वी केन डू अबाउट इट) को वर्तमान समय की बलात्कार पुस्तकों में सर्वाधिक प्रासंगिक पुस्तक कहा जा सकता है। हार्डिंग ने अपनी पुस्तक में बलात्कार संबंधी अध्ययनों के मनोवैज्ञानिक वास्तविक समस्याओं को उजागर किया है। इस पुस्तक में हार्डिंग ने समाज के सदस्यों के मन मस्तिष्क में बलात्कार के संबंध में जो भी विचारधारा या अभिवृत्ति है उसका बहुत गहनता के साथ अध्ययन कर उसके सभी आयामों पर चर्चा की है। हार्डिंग ने अपनी पुस्तक में आंकड़ें देते हुए कहा कि अमेरिका में प्रत्येक सातवें मिनट में एक पुरुष बलात्कार करता है। इस पुस्तक में अमेरिका के 21वीं सदी के समाज की चर्चा की गयी है, जहां बलात्कारी को सह दिया जाता है, और पीड़िता पर दोषारोपण किया जाता है।

एंड्रीया ड्वोरकिन, (1976) एक प्रसिद्ध अमेरिकन रेडिकल फेमिनिस्ट हैं। एंड्रिया खासकर अपने पोर्नोग्राफी विरोधी लेखों के लिए प्रसिद्ध हैं। अपनी पुस्तक पोर्नोग्राफी मेन पोस्सेस्सिंग वूमेन (1989) में एंड्रिया ने माना कि समाज द्वारा निर्मित हेट्रोसेक्ससुएलिटी की प्रकृति एक तरह की जबरदस्ती है अर्थात् यह थोपी गई मजबूरी है। उसमें स्वायत्तता जैसी कोई चीज नही है। एंड्रिया ने अपनी पुस्तक में लिखा है हेट्रोसेक्सुअल सेक्स के संबंध में किसी भी प्रकार का चयन वेश्यावृत्ति के लिए चयन होता है। ड्वोरकिन अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि स्त्रियों के साथ हो रहे बलात्कारों के साथ पोर्नोग्राफी का प्रत्यक्ष रूप से गहरा संबंध है। और इसके फलस्वरूप समाज में स्त्रियों को एक भोगी जाने वाली कामुक वस्तु के रूप में देखने की विचारधारा और प्रबल होती जाती है।

जर्मन ग्रेयर, ने अपने लेख 'बलात्कार' में जो विचार दिये हैं वे अन्य नारीवादियों के बिल्कुल विपरीत परन्तु तर्कपूर्ण प्रतीत होते हैं। ग्रेयर मानती हैं कि बलात्कार का कानून पिछड़ा हुआ तथा बेकार है और इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह महिलाओं कि सुनवाई और पीड़िता के बेहतरी के लिहाज से अपर्याप्त रहा है। ग्रेयर का मानना है कि खुद बलात्कार की अवधारणा दोषपूर्ण है जिस कारण बलात्कार पीड़िता को न्याय मिलने की गुंजाइश न के बराबर है। ग्रेयर कहती हैं कि बलात्कार को पीड़िता के विरुद्ध किया गया अपराध न मान कर राज्य

के विरुद्ध किया गया अपराध मानते हैं, क्योंकि बलात्कार को अत्यंत संगीन अपराध माना जाता है, जिसे केवल हत्या से नीचे माना जाता है। ग्रेयर का मानना है बलात्कार के संबंध में यह परिभाषा औरतों की नहीं बल्कि पुरुषों द्वारा कहा गया है कि बलात्कार एक जघन्य अपराध है। ग्रेयर ने कहा हम यह चाहते हैं कि सेक्सुअल मामलों के संपूर्ण रहस्यावरण की पूरी जांच हर व्यक्ति के अधिकारों की पुनर्स्थापना, स्त्री–पुरुष, विवाहित–अविवाहित, बच्चे और बालिग सभी की सेक्सुअल स्वायत्तता से समझौता नहीं होना चाहिए (डिबेटऑनलाइन इन)।

तान्या होरेक्क, (2006) की पुस्तक "पब्लिक रेप : रिप्रेसेंटेसन वाईलेसन इन फिक्शन में होरेक्क ने अपनी इस पुस्तक में बलात्कार के संबंध में सार्वजनिक रूप से किस प्रकार की विचाधारा या मानसिकता रही है इसका विश्लेषण किया है। खासकर नारीवादी आन्दोलनों की दूसरी लहर के बाद नारीवादी लेखनों में बलात्कार को सांस्कृतिक रूप से किस प्रकार प्रस्तुत और परिभाषित किया गया था, इस संबंध में व्याख्या की है। होरेक्क ने अपनी पुस्तक में बलात्कार को किसी प्रभावशाली संस्कृति, साहित्य और फिल्मों में किस प्रकार निरूपित किया जाता है, इस संबंध में चर्चा की है। होरेक्क ने अनेक बलात्कार पीड़िताओं पर केस स्टडी की और बलात्कारियों का साक्षात्कार करके बलात्कार के प्रति उनके विचारों और मानसिकता का विश्लेषण किया है। होरेक्क कहती हैं कि पब्लिक रेप पुस्तक में बलात्कार को शारीरिक अपराध के रूप में नहीं देखा गया है बल्कि बलात्कार को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से किस प्रकार समझा या परिभाषित किया जाता है।

2.3 भारतीय नारीवादी लेखनों की साहित्य समीक्षाः

भारत में बलात्कार अत्यधिक संवेदनशील विषय है, जिसके संबंध में लोग खुल कर चर्चा नहीं करते हैं। यौन अपराध से जुड़े होने के कारण आमजन इस विषय पर बात करने में शर्म और असहजता महसूस करते हैं। पश्चिमी देशों में बलात्कार को जिस दृष्टिकोण से देखा व समझा जाता है उस दृष्टिकोण से भारत में बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता को नहीं देखा जाता है। यह भारत के लिए चिंता

का विषय है कि जहां अमेरिका में बलात्कार पर लिखी गई स्त्रीवादी सिद्धांत के तीसरे–चौथे स्कूल स्थापित हो गए हैं तथा दार्शनिकों, वकीलों, स्त्रीवादियों, मनोचिकित्सकों से लेकर बलात्कार पीड़िताओं तक ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बलात्कार पर पुस्तकें लिखी हैं, वही भारत में बलात्कार एक गंभीर समस्या होने के बावजूद अब तक विवेचन एवं विचार मंथन के केंद्र में नही है। नीचे बलात्कार के संबंध में भारतीय साहित्यों का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसके आधार पर भारत में होने वाले अध्ययनों की प्रकृति और कमियों को उजागर करके ज्ञान की विलम्बनाओं की पहचान करने का प्रयास किया गया है।

विमला वीराराघवन (1989) ने अपनी पुस्तक "रेप एंड विक्टिम्स ऑफ रेप अ सोसिओ–साइकोलोजिकल एनालिसिस" में बलात्कार और बलात्कार पीड़िता के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आयामों पर शोध कार्य किया है। विमला ने अपने शोध कार्य हेतु दिल्ली को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना और 1960 से 1984 तक 25 वर्षों के बलात्कार के आंकड़ों का गहन अध्ययन किया, जिसमें दिल्ली के 62 पुलिस थानों में बलात्कार के दर्ज मामलों का विश्लेषण किया। विमला ने अपने अध्ययन में पाया कि दिल्ली की जनसंख्या और घटित होने वाले बलात्कार के मामलों की अपेक्षा दर्ज होने वाले मामलों की संख्या अत्यधिक कम थी, नए पुलिस थानों में तो बलात्कार के मामले कई सालों से दर्ज तक नहीं हुए थे। विमला ने माना कि यह चौकाने वाला अंतर समाज में व्याप्त बलात्कार और बलात्कार पीड़िता के प्रति समाज के नकारात्मक रवैये के कारण है।

राम अहुजा ने अपनी पुस्तक "क्राइम अगेंस्ट वूमेन"(1987) में अध्याय 2 बलात्कार से संबंधित है। अहुजा ने बलात्कार और बलात्कार पीड़िता की पृष्ठभूमि का विश्लेषण करने के लिए अपने अध्ययन में सात चरों का प्रयोग किया है, उदहारण के लिए वैवाहिक स्तिथि ,उम्र, निवास, सामाजिक वर्ग, शिक्षा, धर्म और जाति। अहुजा ने अपने अध्ययन में पाया कि बलात्कार पीड़ितों के लिए बलात्कार का सबसे ज्यादा जोखिम 15–20 की आयु में होता है जबकि अपराधियों की एक बढ़ी संख्या की आयु 22–33.5 के मध्य रहती है जो की एक बड़ी संख्या है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन मामलों में पीड़िता अपराधी से पहले से

ही परिचित थी उन मामलों में बलात्कार की पूर्व योजना और यौन हिंसा आपस में महत्त्वपूर्ण रूप से अन्तर्सम्बंधित थी।

उर्वशी बुटालिया की पुस्तक खामोशी के पार (1998) बलात्कार अध्ययन के लिए अत्यधिक चर्चित रही है। बुटालिया की पुस्तक में भारत–पाक विभाजन (1947) के दौरान जो औरतें बड़े स्तर पर अपहृत और बलात्कृत की गई थी उन बलात्कार पीड़ित महिलाओं पर आधारित है। बुटालिया ने यह पुस्तक वृहद् स्तर पर शोध करके, बलात्कार पीड़ितों एवं उनके परिवारजनों के साथ साक्षात्कार करके, समाचार, पत्रों, लेखों और सरकारी दस्तावेजों के माध्यम से गहन शोध करने के बाद यह पुस्तक लिखी।

उर्वशी बुटालिया की एक अन्य पुस्तक "फादर डॉटर रेप" (1998) इस पुस्तक में बुटालिया ने परिवार में होने वाले बलात्कार एवं निकट संबंधों में होने वाले बलात्कार की घटनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। बुटालिया मानती हैं कि स्त्रियों के साथ होने वाली बलात्कार की अधिकतर घटनाओं में परिवार के सदस्य अथवा निकट संबंधी ही शामिल होते हैं, जो कि स्त्री सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक गंभीर समस्या है।

नागेल एवं अन्य (2005) ने बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति में लिंग, जाति, धर्म व सामाजिक वर्गों के प्रभावों का अध्ययन किया है। अपने अध्ययन में नागेल ने पाया कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में पीड़िता के प्रति अधिक संवेदना और सहानुभूति होती है, परन्तु सामाजिक आर्थिक भिन्नता के कारण संवेदना और सहानुभूति पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। वहीं लिंग, उम्र, शिक्षा और मासिक आय आदि कारक भी बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का निर्धारण करते है।

बाजपेई (2006) ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि बलात्कार के मनोवैज्ञानिक परिणामों में सदमा, जोखिम, चिंता, अवसाद, आत्मविश्वास में कमी, विक्षिप्तता, कुसमायोजन आदि सम्मिलित हैं। वहीं सेन व गर्सिया–मोरेनो, 2002; जेवेकस व अन्य, 2005; कोहसिन व अन्य, 2007 आदि ने बलात्कार के सामाजिक

दुष्परिणामों में सामाजिक बहिष्करण, पारिवारिक समस्याएं, काम व मजदूरी का नुकसान, आदि को सम्मिलित किया है।

टाकभौरे (2007) का मानना है कि यौन हिंसा औरतों पर पितृसत्तात्मक अनुशासन थोपने का एक तरीका है। जो औरतें इस अनुशासन का विरोध करती हैं, उन्हें उनकी इस धृष्टता के लिए बलात्कार द्वारा दंडित किया जाता है। यौन हिंसा और बलात्कार का खौफ फैसले लेने के औरतों के अधिकार पर स्थायी आंतरिक सेंसर के रूप में काम करता है। और यौन हिंसा से 'सुरक्षा' के नाम पर औरतों पर तरह–तरह की पाबंदियां लगायी जाती हैं। इनमें सबसे आम है महिला छात्रावासों में कर्फ्यू जैसे हालात। फिर ड्रेस कोड, मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध, दोस्ती (खासकर पुरुषों से) पर प्रतिबंध, घर से दूर के किसी कॉलेज में दाखिले को हतोत्साहित किये जाने जैसी अनेक बंदिशें सामने आती हैं।

रंजीत वर्मा ने अपनी पुस्तक बलात्कार और कानून (2007) में बलात्कार संबंधी विधिक समस्याओं पर गहनता से चर्चा की है। जैसा कि पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह पुस्तक बलात्कार से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया और बलात्कार पर विधिक दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालती है। रंजीत ने अपनी पुस्तक में भारत के स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 1947 से लेकर 2007 तक बलात्कार के संबंध में आये न्यायिक फैसलों का मूल्यांकन किया है। इस पुस्तक में रंजीत वर्मा ने बलात्कार पीड़िता को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होने वाली विधिक समस्यों पर चर्चा की है और बलात्कार संबंधी न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं और समस्याओं की ओर ध्यान खींचने का प्रयास किया है मसलन अदालतों में पीड़िता के बालिग और नाबालिग होने के संबंध में मांगे जाने वाले प्रमाण पत्र की समस्या, न्यायधीशों द्वारा चिकित्सीय विधिशास्त्र में उलझने के कारण बलात्कारियों को बरी कर देने की समस्या और चिकित्सीय जांच में देरी होने के कारण पीड़िता के ऊपर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की बात करते हुए कहा कि किस प्रकार प्राथमिक चिकित्सीय जांच की देरी होने के कारण बलात्कार के अहम् सुराग मिट जाते हैं जो दोषी को दंड दिलाने में अहम् भूमिका निभाते हैं और इसके अभाव में, पीड़िता की विश्वसनीयता पर शंका पैदा कर देता है और बलात्कारी दोषमुक्त हो जाते हैं।

रंजीत ने अपनी पुस्तक में न्यायधीशों द्वारा पारिस्थितिक साक्ष्यों को नजर अंदाज किये जाने पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है क्योंकी बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो अक्सर एकांत में ही घटित होते हैं। पीड़िता के अलावा कोई अन्य गवाह नही होता है और कई बार पीड़िता की मृत्यु तक हो जाती है, इन परिस्तिथियों में न्यायधीशों द्वारा पारिस्थितिक साक्ष्यों को नजर अंदाज किया जाना पीड़िता के लिए न्याय की संभावनाओं को समाप्त करने जैसा होगा। रंजीत ने अपनी पुस्तक के अंत में बलात्कार संबंधी विधेयक की कमियों के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभावों की भी चर्चा की है। और अदालत के फैसलों से टकराते सामाजिक फैसलों की भी चर्चा की है।

वेंकट कृष्णन एवं कुरियन (2008) ने केरल में बलात्कार पीड़ितों की पारिवारिक, सामाजिक पृष्ठभूमि व मनोसामाजिक दशाओं का अध्ययन किया है। इसके लिए न्यायालय व सरकारी/गैरसरकारी संस्थाओं की मदद से 30 बलात्कार पीड़ितों का पता लगाकर उनका गहन वैयक्तिक अध्ययन किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाता (75) निम्न आर्थिक सामाजिक वर्ग के थे। वहीं तीन चौथाई से भी अधिक घटनाओं में अपराधी पीड़िता के जानकार थे।

मिश्रा (2008) ने बलात्कार को महिलाओं के लिए भयानक दुष्कृत्य मानते हुए महिलाओं के लिए भय और अपमान का कारण बताया है तथा इसे महिलाओं, उनके परिवार और समाज पर पुरुषवादी हमला कहा है।

कमलेश जैन (2008) की पुस्तक "इन केस ऑफ रेप" एक प्रकार की गाइड है। इस पुस्तक को एक फर्स्ट ऐड के रूप में भी देखा जा सकता है, यदि बलात्कार की घटना घटित होती है तो बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को प्राथमिक रूप से कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या–क्या करना चाहिए, इस संबंध में जैन ने इस पुस्तक में संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास किया है। जैन का मानना है कि भारत में बलात्कार के आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जितने अपराध यहाँ होते हैं उसका मात्र दसवें हिस्से की ही रिपोर्ट दर्ज हो पाती है और इस दस प्रतिशत का कुछ हिस्सा जांच पड़ताल के

वक्त समाप्त हो जाता है तथा ज्यादातर हिस्सा अदालतों की लम्बी और जटिल प्रक्रियाओं के चलते दम तोड़ देते हैं, यानी 100 बलात्कार की घटनाओं में पाँच से भी कम अभियुक्त सजा पाते हैं। जैन के अनुसार इस पुस्तक का एक मात्र उद्देश्य है समाज को इस अपराध के प्रति जागरुक बनाना, यह बताना कि खुद का बचाव कैसे करें, यदि ये हादसा किसी के साथ हो ही जाए तो उसकी मदद कैसे करें।

दीपा दुबे (2008) ने अपनी पुस्तक 'रेप लॉस इन इंडिया' में प्राचीन भारतीय समाज और वर्तमान समय में बलात्कार के संबंध में जो धारणायें और विचार रहे हैं, उनका तुलनात्मक रूप से वर्णन किया है, साथ ही बलात्कार के संबंध में उद्विकासीय सिद्धान्तों पर चर्चा की है। बलात्कार और बलात्कार पीड़िता के प्रति समाज के नकारात्मक अभिवृत्ति का विश्लेषण किया है।

प्रो. राम पूनियानी (2009) ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तथा दिल्ली के शिक्षक मनीष सतीश के सांख्यकीय प्रेक्षण बलात्कार की घटनाओं पर शोध किया, इस शोध में अदालती आंकड़ों का प्रयोग किया गया। शोध के हवाले से यह तथ्य सामने रखा कि भारत में सन् 1983 से लेकर क्रिमिनल लॉ तक में दर्ज घटनाओं में से 75 प्रतिशत बलात्कार की घटनाएं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई थी।

सरबनी गुहा एवं गुहा घोष (2009) ने अपने लेख "सोसिओ–पोलिटिकल डाइमेंशन्स ऑफ रेप" में बलात्कार के सामाजिक–राजनीतिक आयामों पर चर्चा करते हुए कहा कि 'बलात्कार किसी महिला के विरुद्ध किया गया सबसे क्रूरतम अपराध है। सरबनी गुहा एवं गुहा घोष कहती हैं कि स्त्री की यौनिक शुचिता के भंग होने पर उसके सामाजिक स्तर को निम्नतम मानना ही परंपरागत रुढ़िवादी विचार है। अपने लेख में कहा कि बलात्कार की परिभाषा ही दोषयुक्त है 'बलात्कार को महिला के सहमति के बिना लिंग को उसकी योनि में प्रविष्ट करना जो कि उसका पति नहीं है' के रूप में परिभाषित किया जाता है। सरबनी गुहा एवं गुहा घोष के अनुसार इसमें पति द्वारा किये गए बलात्कार को सहमति प्रदान की जा रही है। बलात्कार की यह रुढ़िवादी परिभाषा कानून और प्रशासन के समर्थन के साथ–साथ पितृसत्तात्मक प्रणाली के जीत का प्रतीक है। सरबनी गुहा एवं घोष ने बलात्कार

पीड़िता के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में भी चर्चा करते हुए सुधार के सुझाव दिए, जैसे कि पुलिस और प्रशासन को पीड़िता के प्रति और अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। साथ ही बलात्कार की रूढ़िवादी परिभाषा में सुधार किया जाना चाहिए। भारत में पर्याप्त न्यायालयों को विकसित किये जाने की आवश्यकता है, साथ ही साथ वित्तपोषित की समस्या पर ध्यान दिया जाना चाहिए आदि।

निशांत सिंह (2010) ने अपनी पुस्तक यौन उत्पीड़न और बलात्कार में यौन उत्पीड़न और बलात्कार के विभिन्न पक्षों की विस्तार पूर्वक चर्चा की है। पुस्तक में इन दोनों अपराधों से संबंधित कानूनों और नियम कायदों की भी चर्चा की है। निशांत ने अपनी पुस्तक में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राथमिक स्तर पर की जाने वाली कानूनी प्रक्रियों की सूचना दी है। जिसके माध्यम से आम औरतें भी इस पुस्तक से लाभान्वित हो सकती हैं। निशांत ने अपनी पुस्तक को 14 अध्यायों में विभाजित करके यौन उत्पीड़न और बलात्कार के सभी पहलुओं को छूने का अच्छा प्रयास किया है। निशांत अपनी पुस्तक में यौन उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाओं को नियंत्रित करने के सुझाव देते हुए कहते हैं कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को नियंत्रित करने के लिए कई स्तरों पर काम किये जाने की आवश्यकता है।

सुरेज व गाडला (2010) ने बलात्कार मिथकों की स्वीकृति और पुरुषों का महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के मध्य धनात्मक सह–संबंध बताया है। अतः बलात्कार की घटनाओं में कमी लाने के लिए ऐसे मिथकों/भ्रमों को तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं समाज में बलात्कार के दोषारोपण संबंधी मिथकों की घातक प्रकृति की पुष्टि करने व बलात्कार पीड़िताओं के प्रति गलत सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने हेतु सतत शोध की आवश्यकता है। प्रस्तावित शोध अध्ययन इसी दिशा में एक प्रयास है।

नैमिशराय (2010) का मत है कि बलात्कार की अधिकांश घटनाएं गरीब, मजदूर, दलित आदिवासी स्त्रियों के साथ होती हैं, जिनमें न कोई चटक–मटक

होती है, न बनाव–शृंगार और बाजारवाद की शब्दावली में कहें तो न कोई सेक्स अपील। इसका मुख्य कारण है कि इनका निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर।

कवितेंदु इंदु (2012) ने अपने लेख "हम एक रेप कल्चर में जी रहे हैं" में बलात्कार की संस्कृति की स्वीकृति पर चर्चा करते हुए कहा है कि हम एक रेप कल्चर में रह रहे हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि बलात्कार हमारे लिए सामान्य सी घटना बन चुकी है। कवितेंदु ने अपने लेख में कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार की घटना ने प्रत्यक्ष कर दिया है कि हमारी न्याय और सुरक्षा व्यवस्था में कितने लू पोल हैं, और इनमें सुधार के लिए समाज का आक्रोश बेहद जरूरी है लेकिन बलात्कार संस्कृति का भी बदलना भी उतना ही जरूरी है। कवितेंदु ने अपने लेख में कहा कि यह समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग आज स्त्रियों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, उनमें से सभी उनकी आजादी के लिए भी चिंतित हो यह जरूरी नही है। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो घर की स्त्रियों को डराकर उन पर और पाबंदियां लादने के लिए इस तरह की घटनाओं के हवाले देते हों। इसीलिये अगर यह आक्रोश हमें हमारे व्यक्तिगत दायरे में स्त्रियों के प्रति अधिक सचेत और अधिक संवेदनशील नहीं बनाता तो फिर यह अपने आपको अपराध–बोध से मुक्ति दिलाने का दिखावा मात्र है।

आर्या (2012) ने अपने लेख में पश्चिम में होने वाले बलात्कार और भारत में किए गए बलात्कार में गुणात्मक अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सच्चाई यह है कि पश्चिम में बलात्कार यौन कुंठा की अभिव्यक्ति है, जबकि भारत में इसके साथ–साथ बलात्कार का एक वर्ग तथा जाति आधार पर भी है। पश्चिम में बलात्कार ज्यादातर शहरों में, पर्यटन स्थलों पर, हाइवे पर होते हैं, गाँवों में नहीं, पर हमारे यहाँ बलात्कार के ज्यादातर मामले गाँवों, कस्बों और पुलिस चौकियों में हो रहे हैं। बलात्कार हो रहे हैं, अपेक्षाकृत पिछड़े इलाकों में और वह भी सौ में नब्बे मामलों में गरीबों की औरतों के साथ, ये गरीब ज्यादातर निचली जातियों के हैं।

ए न. प्रभा उन्नीथन (2013) में अपनी पुस्तक क्राइम एंड जस्टिस इन इंडिया के 13वें अध्याय "एक्सामिंग लीगल रेस्पोंसे टू सेक्सुअल वायलेंस : अ रिव्यु ऑफ

कोर्ट सिस्टम्स इन इंडिया" में भारतीय अदालतों की यौन उत्पीड़ित महिलाओं और बलात्कार पीड़िताओं के संबंध में जो न्यायिक प्रक्रिया हैं उसकी कमियों को उजागर किया है। उन्नीथन का मानना है कि भारत में बलात्कार पीड़िताओं और यौन शोषण झेल रही पीड़िताओं के लिए न्यायिक प्रक्रिया दुबारा पीड़ित होने जैसा है। अक्सर पीड़िता को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक रूप से अपमान और नकारात्मक व्यवहार झेलना पड़ता है जो पीड़िता को और अधिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। उन्नीथन ने अपने अध्ययन में पाया कि भारत में बलात्कार संबंधी मामलों में न्याय मिलने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं, इसका कारण बलात्कार संबंधी मिथकों की स्वीकार्यता है, जिस कारण पीड़िता पर ही दोषारोपित किया जाता है। उन्नीथन ने अपराध और न्याय मिलने के बीच जो गहरी खाई है उसे खत्म करने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं।

ठाकुर (2013) ने बलात्कार का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हुए इसे ताकतवर द्वारा कमजोर पर नियंत्रण का एक ऐसा तरीका कहा है, जिसके द्वारा नियंत्रण और दमन का पाठ पीड़ित और पराजित जाति समाज को पढ़ाया जाता है। लेखिका के अनुसार बलात्कार पितृसत्तात्मक दमन नीति का एक ऐसा अचूक हथियार है जो महिलाओं को दैहिक शोषण व दमन द्वारा नियंत्रित और दमित करता है। यह एक ऐसा अपराध है जो औरत के शरीर ही नहीं बल्कि उसके पूरे वजूद और आत्मविश्वास पर गहरी चोट पहुँचाता है। परिवार और समाज का नजरिया न्याय की संभावनाओं को खत्म करता है। बलात्कार की कोई भौतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सीमा नहीं होती। उसका सीधा संबंध सत्ता से है, चाहे वह परिवार में हो, समुदाय में, धर्म या राज्य में। प्रायः इसके पीछे दंड/अपमान/बदला/सबक सिखाना जैसी भावनाएं काम करती हैं।

प्रो. पुनीयानी (2013) ने अपने लेख 'इंडियाज रेप कल्चरः अर्बन वर्सेस रूरल' में प्राचीन भारत में स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, इस बात की जांच अपने लेख में की। पुनीयानी ने पाया कि यह एक मिथक है कि प्राचीन समाज में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। महाकाव्य रामायण और महाभारत से पता चलता है कि राम द्वारा सीता का त्याग, द्रौपदी का वस्त्र हरण आदि प्रसंग स्त्रियों

की असम्माननीय स्थिति को उजागर करते हैं। मनु स्मृति में स्त्रियों को पुरुष की सम्पत्ति मानी गई थी, उसे शिक्षा का अधिकार नहीं था पुनीयानी का मानना है कि स्त्री उत्पीड़न की जड़ें पितृसत्तात्मक मूल्यों में है, जो प्राचीन और मध्यकालीन समाज से होते हुए सामंती समाज में आये और जो वर्तमान समाज पर हावी हैं ।

दत्ता (2013) ने महिलाओं के साथ हिंसा को स्त्री व पुरुष के बीच असमान सत्ता संबंधों की वह अभिव्यक्ति कहा है जो समाज के पितृसत्तात्मक ढांचों में गहरे पैठी है। दत्ता का मानना है कि महिलाओं के अंतरंग संबंधों में होने वाली हिंसा अधिकांशतः उनके जानकार पुरुषों द्वारा घरों व जाने–पहचाने माहौल में की जाती हैं। घरेलू हिंसा, बलात्कार, सम्मान जनित हत्या, बाल यौन हिंसा के मामलों में न्यायिक संरचनाएं भी इन विचारों से अछूती नहीं हैं और अक्सर निजी क्षेत्र की मर्यादा को वैधता प्रदान करने वाली पितृसत्तात्मक सीमाओं को पुनर्स्थापित करती हैं।

जितेन्द्र वर्मा, 2013 ने अपने लेख 'यौन अनाचार' (बलात्कार) में लिखा कि स्त्रियों के प्रति अब वस्तुवादी और उपभोगवादी विचारधारा अपने चरम पर है। जब चाहे तब छेड़ना, उठा लेना, बलात्कार करके मार देना या घायल स्थिति में छोड़ देना हमारे देश में अब आम बात हो गयी है। किशोरियों के साथ सामूहिक बलात्कार कर उनके शरीर को क्षत–विक्षत कर देना, थाना परिसरों (जहाँ लिखा होता है – परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्) के भीतर होने वाली घटनायें लगातार प्रकाश में आ रही हैं। भारतीय पुलिस का व्यवहार हैवानियत से भी बढ़कर होता जा रहा है। पुरुषों को प्राचीन समय से आज संविधान में भी स्त्री–पुरुष दोनों अधिकार बराबर हैं, किन्तु महिलाओं के प्रति हो रही दरिन्दगी हमें यही बता रही है कि आज भी महिला मात्र 'वस्तु' बनकर रह गयी है। जहाँ बलपूर्वक उस पर हमला उसकी अस्मिता को तहस–नहस करने के लिये ही किया जाता है।

ठाकुर, (2013) हमें यह समझने की ज़रूरत है कि बलात्कार में महिला का कोई दोष नहीं होता। यह पुरुषों की सत्ता और अहं का परिणाम होता है। इस अपराध को बढ़ाने में जितना दोष सामाजिक सोच व व्यवस्थाओं का है, उतना ही

दोष मौजूदा क़ानूनी ढाँचों का भी है, जो बलात्कार को महज एक शारीरिक अपराध के रूप में देखते हैं।

रॉय (2013) ने बलात्कार के कारणों का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि बलात्कार का संबंध सिर्फ़ संभोग से नहीं है बल्कि यह एक आक्रमण है जो औरत के शरीर पर उनके संदेश दाग़ देता है। ऐसे संदेश जो न सिर्फ़ उसकी व्यक्तिगत पीड़ा के जरिए बोलते हैं बल्कि दिखाई भी देते हैं। बलात्कार इस बात का स्मारक होता कि मर्दानगी का इस्तेमाल करके क्या हासिल किया जा सकता है। नारीद्वेष या औरतों के लिए नफरत मर्दानगी की इमारत का अहम् आधार है। मर्दानगी एक नियंत्रक व्यवस्था है जो सुनिश्चित करती है कि सभी पदानुक्रम, घड़ी के कांटों की तरह ठीक से काम करें। यह अपने साथ हमेशा बगैर किसी चूक के हिंसा का डर/धमकी लेकर भी आती है। इसका इस्तेमाल पितृसत्ता अपनी नजर में गुमराह औरतों को सजा देने के लिए करते हैं। बलात्कार पितृसत्ता के भीतर कई काम करता है, लेकिन उनमें एक घटक साझा होता है, वह यह कि मर्द, औरतों को दंड देते हैं।

शर्मा (2013) ने अध्ययन के निष्कर्ष में कहा है कि भारत में बलात्कार केवल व्यक्तिगत काम पिपासा शान्त करने के लिये ही नहीं किया जाता है, इसके पीछे महिला को प्रताड़ित कर उसके परिवार/समाज को अपमानित करने की भावना भी काम करती है। जातीय और साम्प्रदायिक हिंसाओं में विरोधी पक्ष की किसी स्त्री के साथ बलात्कार करने के काफी मामले होते रहते हैं। समाज में शराब पीने का चलन भी बलात्कार के मामलों को बढ़ाने में सहायक है।

छाबड़ा व अन्य (2014) ने बलात्कार के भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के निष्कर्ष में कहा गया है कि बलात्कार पीड़ितों को न केवल शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाता है बल्कि मानसिक रूप से भी बलात्कार पीड़ितो को बुरी तरह से तोड़ देता है। बलात्कार की घटना पीड़िताओं को डराने, अपमान करने एवं दमित करने में सफल होता है। इसलिए इसे पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

सागोरकर एवं वर्मा (2014) ने अपने लेख के निष्कर्ष में लिखा है कि परिवेश में घुलती अनैतिकता व लज्जाहीन आचरण ने पुरुषों के मानस में स्त्री को भोग्या ही निरूपित किया है जो कि स्त्री के वस्तुकरण और बाजारीकरण की ओर संकेत करता है। महिलाओं के प्रति बढ़ता अपमान–जनक वातावरण भी पुरुष के दुस्साहस में वृद्धि करने में उत्प्रेरण का काम करता है। दुश्मन को सबक सिखाने, प्रेम निवेदन के ठुकराये जाने पर अपने अहं की तुष्टि हेतु भी पुरुष बलात्कार करता है।

कविता कृष्णनन, 2014 ने अपने लेख बलात्कार संस्कृति के विरुद्ध में कहा कि बलात्कारी पैदा नही होते, उन्हें बनाया जाता है– उस समाज द्वारा जो महिलाओं को नीचा दिखाता है और गुलाम बना कर रखता है। जब महिलाएं समाज में आगे आएंगी, शिक्षित बनेंगी, नौकरी करेंगी, सार्वजनिक जीवन (व्यापार, उद्योग, खेती, मजदूरी, राजनीति, खेल, साहित्य, कला, समाजसेवा आदि) में आगे आएंगी, तो कई बार ऐसे मौके आते हैं, जब उन्हें अकेले बाहर जाना पड़ता है। सवाल यह है कि एक ऐसा समाज क्यों नहीं बना सकते, जिसमें महिलाएं आजादी के साथ सुरक्षित घूम सकें? या आप महिलाओं को घर की चारदीवारी में ही कैद रखना चाहते हैं? घर में बंद रहने पर महिलाओं में हिम्मत और आत्मविश्वास नहीं आएगा और वे ज्यादा आसानी से शिकार बन जाएंगी।

विभा हेतु (2014) ने अपने लेख में अत्यधिक हिंसात्मक बलात्कार व सामान्य बलात्कार के संबंध में लोगों के विचारों का गहनता के साथ विश्लेषण किया है। विभा ने अपने लेख में बलात्कार की घटनाओं के संबंध में मीडिया रिपोर्टिंग के चयनात्मक रिपोर्टिंग के नकारात्मक पक्षों को उजागर करते हुए कहा कि, मीडिया द्वारा मात्र उन्हीं घटनाओं की जानकारी दी जाती है जो बहुत वीभत्स रूप से घटित हुए हों, मीडिया की रिपोर्टिंग अवधारणा आधारित होती है जो बलात्कार संबंधित मिथकों को और अधिक पुष्टि प्रदान करती है। मीडिया की 'बढ़ती बलात्कार के मामले' की चयनात्मक रिपोर्टिंग से लोगों की मानसिकता भी उसी तरह सोचने पर प्रभावित होती है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि मीडिया को रिपोर्टिंग के मामले में कोई पूर्वाग्रह नहीं लेना चाहिए लेकिन 'साधारण बलात्कार' और 'असली बलात्कार' दोनों को समान बल देने पर विचार करें। मीडिया द्वारा बलात्कार के

मामलों का चित्रण समाज की आम धारणाओं को प्रभावित करता है जो अजनबियों से बलात्कार के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए घर के बाहर महिलाएं असुरक्षित हैं। विभा ने अपने लेख में बलात्कार पीड़ितों के पुनर्स्थापन हेतु एजेंसियों को प्रशिक्षित करने के लिए उचित माना है ताकि वे ऐसे समुदायों में जा सकें जैसे कि उन्हें 'लिंग' के लिए संवेदनशील बनाया जाये ताकि उन्हें लोगों की मानसिकता से बलात्कार के मिथकों का सफाया करने और उन्हें जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। साथ ही यह भी मानती हैं कि बलात्कार पीड़ितों को चिकित्सा करने और लोगों को उनसे जुड़ने में मदद करने के लिए यह बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ सकता है। पीड़ितों की जरूरतों की पूर्ति और उनके लिए सहायता के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिक लचीला और अधिक विविध समर्थन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए (ऑनलाइन एक्सेस)।

स्नेहा शाह (2014) ने अपने शोध में बलात्कार के प्रति युवाओं के विचारों और अभिवृत्तियों का विश्लेषण किया। शाह ने अपने लेख में उन तथ्यों पर भी प्रकाश डाला कि समाज में घटित होने वाले संवेदनशील घटनाओं जैसे यौन हिंसा बलात्कार आदि घटनाओं के संबंध में युवा कैसी प्रतिक्रया करते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, और बलात्कार की घटना युवाओं में किस प्रकार चिंता, आक्रामकता और क्रोध का कारण बनती हैं, आदि का भी विश्लेषण किया गया है। शाह ने अपने शोध कार्य हेतु (150) युवाओं पर शोध कार्य किया जिनकी आयु (17–23) वर्षीय पुरुष और महिलायें शामिल थी। शोधकर्ता ने उत्तरदाताओं से बलात्कार के संबंध में कई प्रश्न पूछे, साथ ही सामज में तेजी से गिरती नैतिकता के बारे में भी पूछा और अपने परिणाम में पाया कि, भारतीय युवा समाज तेजी से गिरती नैतिकता के बारे में गंभीर रूप से संवेदनशील और चिंतित है। शोधकर्ता ने पाया कि बलात्कार की घटनाओं के संबंध में पुरुष उत्तरदाता अपने विचार स्वतंत्र रूप से निःसंकोच रख रहे थे, जबकि महिला उत्तरदाता बलात्कार जैसी घटनाओं पर अपने विचार रखने में असहज थी, साथ ही जो भी प्रत्युत्तर वे दे रही थी उसके प्रति अधिक सतर्क थी। (ऑनलाइन एक्सेस)।

अरविन्द जैन (2015) महिला कानूनों के जानकार और समाज तथा अदालत दोनों जगह स्त्री–सम्मान की सुरक्षा पर अत्यधिक काम किया है, स्त्री समस्याओं पर लेख लिखने के साथ साथ एक न्यायविद भी हैं। अरविन्द जैन की पुस्तक "बचपन से बलात्कार यौन हिंसाः मानसिकता और कानून" में अरविन्द जैन ने अपनी पुस्तक में कहा कि स्त्री के प्रति यौन हिंसा उसकी किसी भी आयु में घटित होती दिख रही है इसके पीछे समाज में जितनी भी तरह की मानसिकताएं सक्रिय हैं और कानून की जो सीमाएं हैं अरविन्द जैन ने उन सभी समस्याओं का बड़ी बारीकी से विश्लेषण किया है। इस पुस्तक में जैन ने बलात्कार के सामाजिक, वैधानिक और नैतिक पहलुओं को गहरी संवेदनाओं के साथ व्यक्त किया है। जैन ने अपनी पुस्तक में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्त्रियों को न केवल घर के बाहर यौन हिंसा और बलात्कार का शिकार होना पड़ता है बल्कि घर की चार दिवारी भी स्त्रियों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बलात्कार की शिकार होने पर बलात्कार पीड़िता को कानून की हिफाजत में भी उसे कुछ ज्यादा सुरक्षा नहीं मिल पाती है। जैन ने इस पुस्तक में यौन उत्पीड़न, बलात्कार और न्यायिक फैसलों के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारियों को प्रदान किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी सामग्री को व्यापक स्त्री विमर्श से जोड़ा है।

जया श्रीवास्तव (2016) ने अपने लेख "मैपिंग दी ट्रेंड ऑफ रेप इन पंजाब एंड हरियाणा" में पंजाब एवं हरियाणा में घटित होने वाले बलात्कार की घटनाओं का मापन किया। इसके साथ साथ अन्य शहरो में भी बलात्कार की घटनाओं के घटित होने की प्रवृत्तियों का मापन किया। मापन करने हेतु बलात्कार की दर के आधार पर अति उच्च दर, उच्च दर, मध्यम दर एवं निम्न दर में विभाजित करके प्रवृत्ति का मापन किया, साथ ही साथ पंजाब एवं हरियाणा के कुछ शहरों में भी बलात्कार, बलात्कार की प्रवृत्ति का मापन किया एवं पाया कि इन शहरों में बलात्कार की घटनाओं के घटित होने की एक सामान्य प्रवृत्ति है। जिसमें 2001 से 2010 के मध्य बलात्कार की घटनाओं की दर में लगातार वृद्धि हुई है। यह दर 2001 में 1–2 से बढ़ कर 1–6 हो गयी एवं 2005 से 2010 तक यह दर बढ़ कर 1–7 हो गयी एवं

कुछ राज्यों में बलात्कार की दर में उतार–चढ़ाव रहा परन्तु कुछ राज्यों में बलात्कार की दर बढ़ी है।

शारदा बैनर्जी (2017) ने अपनी पुस्तक बलात्कार संस्कृति और स्त्रीवाद में शारदा ने बलात्कार और भारत में व्याप्त बलात्कार संस्कृति पर गहनता से विचार विमर्श किया है। अपने प्रथम अध्याय में स्त्री शरीर के प्रति आधुनिक दार्शनिकों, उत्तर–आधुनिक दार्शनिकों तथा स्त्रीवादियों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया है। शारदा ने वर्तमान समय में बलात्कार के प्रति समाज का रुख क्या है, और एक समस्या के रूप में बलात्कार के गति–प्रकृति तथा उसका सामाजिक मूल्यांकन किया है। शारदा ने अपनी पुस्तक में भारत में घटित चर्चित बलात्कार की घटनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की है और बलात्कार की व्यापकता एवं बलात्कार के प्रति सत्ता तंत्र के रवैये की विवेचना की है। शारदा ने बलात्कार पर विभिन्न स्त्रीवादियों द्वारा दिए गए बलात्कार के अलग–अलग सिद्धांतों के आधार पर बलात्कार की प्रकृति को समझने का प्रयास किया और बलात्कार का सैद्धांतिक अध्ययन किया।

उपरोक्त साहित्य के मूल्यांकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 80 के दशक में यौन हिंसा एवं बलात्कार संबंधी अपराधों के संबंध में बहुत कुछ लिखा गया। बलात्कार संबंधी गहन अध्ययनों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला पश्चिमी नारीवादी दृष्टिकोण में तो देखने को मिलती है परन्तु भारतीय परिप्रेक्ष्य में बलात्कार के संबंध में गहन अध्ययनों की भारी कमी रही है। जो कुछ अध्ययन हुए भी है वे बलात्कार की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को वास्तविक रूप में वर्णित करने में असफल रहे हैं। यह भारत के लिए चिंता का विषय है कि जहां अमेरिका में बलात्कार पर लिखी गई स्त्रीवादी सैद्धांतिकी के तीसरे चौथे स्कूल निर्मित हो गए हैं, तथा दर्शिनिकों, वकीलों, स्त्रिवादियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मनोचिकित्सकों से लेकर बलात्कार पीड़िताओं तक ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बलात्कार पर पुस्तके लिखी हैं, वहीं भारत में बलात्कार एक गंभीर समस्या होने के उपरान्त भी अब तक बलात्कार संबंधी मुद्दे विवेचना एवं विचार–मंथन के केंद्र में नहीं हैं। भारत में 2012 में निर्भया कांड के बाद अचानक भारतीय नारीवादियों एवं चिंतकों द्वारा बलात्कार संबंधी मुद्दों पर बहुत कुछ लिखा जाने लगा परन्तु इसके बावजूद इस संबंध में अत्यधिक शोध

कार्य करने की आवश्यकता है। अभी भारत में बलात्कार एक निषेध के रूप में पकड़ बनाए हुए है। भारत में बलात्कार अभिवृत्ति संबंधी जो अध्ययन हुए हैं, वे अत्यधिक सीमित क्षेत्र तथा सूक्ष्म स्तर पर हुए हैं जैसे स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में किये गए हैं, जिसके कारण अभिवृत्तियों का सही मापन नही हो पाया है और न ही सटीक परिणाम प्राप्त हो पायें हैं। बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति अभिवृत्ति का मापन एवं उसका परीक्षण सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक सभी वास्तविक क्षेत्र में अर्थात् समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों का मापन किया जाना चाहिए न कि केवल किसी संस्था के भीतर रहकर किया जाना चाहिए।

तृतीय अध्याय

बलात्कार एवं बलात्कार अभिवृत्ति संबंधी

तृतीय अध्याय

बलात्कार एवं बलात्कार अभिवृत्ति संबंधी सिद्धांतों एवं अवधारणाओं की रूपरेखा

3.1 परिचय :

बलात्कार एक सार्वभौमिक रूप से घटित होने वाली परिघटना है। बलात्कार पीड़िता के प्रति रखी जाने वाली नकारात्मक अभिवृत्ति भी सार्वभौमिक है जो भिन्न–भिन्न प्रकार के समाजों और संस्कृतियों में भिन्न–भिन्न हो सकती हैं। परन्तु इसके विपरीत मानवशास्त्रियों ने यह माना कि बलात्कार सभी समाजों में घटित होने वाली परिघटना नहीं है। इस संबंध में सेंडी (1981) में हुए अपने अध्ययन के माध्यम से 'बलात्कार रहित समाज' की अवधारणा दी और अधिकतर समाजों में यही माना जाता रहा कि बलात्कार सभी समाजों में समान रूप से नहीं पाया जाता है, जब तक कि नारीवादियों ने इस संबंध में अपने विचारों को प्रकट नहीं किया था।

इस संबंध में क्लार्क एवं लेविस 1977 का योगदान अति महत्त्वपूर्ण माना जाता है, जिन्होंने बलात्कार जैसी परिघटना को वृहद् परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए प्रेरित करते हैं, और बलात्कार को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में देखते एवं परिभाषित करते हैं। बलात्कार प्रत्येक युग और हर समाज में पाई जाने वाली घटना है, यद्यपि बलात्कार एक सार्वभौमिक घटना है परन्तु इसकी परिभाषा व्याख्या में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। प्रस्तुत अध्याय में प्रयुक्त हुई अवधारणाओं सिद्धान्तों एवं बलात्कार अभिवृत्ति के संबंध में प्रचलित सिद्धान्तों एवं अवधारणाओं पर यहाँ चर्चा की जा रही है जो निम्नलिखित है।

3.2 बलात्कार संबंधी अभिवृत्ति का सिद्धांत (Theory related to Rape Attitude)

यद्यपि अभिवृत्ति सामाजिक मनोविज्ञान अनुसंधान के अध्ययन की केन्द्रीय विषय वस्तु रही है, लेकिन नारीवादियों द्वारा भी अभिवृत्ति पर बहस और चर्चाएं की जाती रही हैं और साथ ही साथ अन्य लोगों द्वारा भी अभिवृत्ति पर विचार विमर्श किया जाता रहा है, और आश्चर्यजनक रूप से अभिवृत्ति की परिभाषा, अर्थ और प्रकृति के

संबंध में सभी दृष्टिकोणों में काफी हद तक समानता देखने को मिलती है। राबर्ट डावेस और टॉम स्मिथ ने (1985) में 1970 के दशक में अभिवृत्ति पर प्रकाशित 20,000 पुस्तकों और लेखों पर अध्ययन किया, उसी अवधि के दौरान (मार्टिन फिश्बेंन एवं इसेक अजेजन 1972) ने अभिवृत्ति के निर्माण के संबंध में 500 संक्रियात्मक परिभाषाओं को प्राप्त कर उनकी व्याख्या और अभिवृत्ति के निर्माण सम्बन्धी आयामों पर चर्चा की। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि इन विभिन्न परिभाषाओं में बहुत ही सूक्ष्म अंतर था। सामान्य बोल चाल की भाषा में 'किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति, समाज के किसी भी पक्ष के संबंध में अथवा विभिन्न सामाजिक उत्तेजनाओं के प्रति विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके अथवा व्यवहार को अभिवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। परन्तु अभिवृत्ति अपेक्षाकृत स्थिर और स्थायी संज्ञानात्मक प्रवृतियों के रूप में इसका वर्णन किया जा सकता है।

यह परिभाषा वैज्ञानिक शब्दमान के अंतर्गत आती है। अभिवृत्ति के संबंध में सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से अधिक सरल व्याख्या की जा सकती है जैसेः

(1) अभिवृत्ति संकीर्ण अथवा विशिष्ट होने के बजाय सामान्य या वैश्विक होती है, उदहारण के लिए किसी भी व्यक्ति की अभिवृत्ति उदारवादी ,रुढ़िवादी, राजनैतिक या सामाजिक हो सकती है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि सामान्य दृष्टिकोण विशिष्ट मुद्दों पर विचार में भिन्न हो सकती है। एक व्यक्ति आम तौर पर महिलाओं के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण का समर्थन कर सकता है लेकिन साथ ही साथ जीवन समूहों के अधिकारों का समर्थन भी करता है।

(2) अभिवृत्ति की परिभाषा के अंतर्गत लोगों की सामजिक उत्तेजनाओं, वस्तुओं या सारे विचारों को सम्मिलित किया जाता है।

(3) अभिवृत्ति के संबंध में यह मान्यता है कि अभिवृत्ति, बड़े पैमाने पर स्थायी होते हैं और समय और परिस्थितियों के साथ इसमें परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होता है। और इस अर्थ में वे किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वभाव का गठन करते हैं।

(4) विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति को तीन भागों में वर्गीकृत किया है (1) संज्ञानात्मक (2) मूल्यांकनात्मक और (3) अनुमानित संज्ञानात्मक भाग वास्तविक विश्वासों को संदर्भित करता है और यह मुख्यतया व्यवहार को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति यह नकारात्मक अभिवृत्ति रख सकता है कि पीड़िता ने अपने कपड़ों और अश्लील व्यवहार के माध्यम से बलात्कारी को, बलात्कार के लिए उकसाया होगा। आंकलनात्मक भाग समाज द्वारा, यौन उत्पीड़न के उपरान्त समाज और पीड़िता पर पड़ने वाला परिणाम सकारात्मक होगा अथवा नकारात्मक होगा इसका मूल्यांकन करता है। उदहारण के लिए, यदि किसी स्त्री का बलात्कार होता है तो नकारात्मक अभिवृत्ति के तौर पर यह विश्वास रखा जा सकता है उसके साथ जो हुआ वह उसी लायक होगी। तीसरा घटक व्यवहार को लागू करने से सम्बंधित है। बलात्कार पीड़िता के प्रति नकारात्मक व्यवहार रखते हुए यह विचारधारा रखना यदि स्त्रियां शालीन कपड़े पहनेंगी तो बलात्कार यौन हिंसा के अपराधों को कम किया जा सकता है।

(5) अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक और आंकलनात्मक घटक होने के बावजूद भी कुछ मनोवैज्ञानिक, बलात्कार अभिवृत्ति संबंधी धारणा जैसे विश्वासों में अंतर किया है। मूल्य वे होते हैं जो अधिक मूर्त होते हैं और राय को किसी व्यक्ति के व्यवहार के अधिक विशिष्ट अभिव्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है (सकस एवं क्रुपट,1988)।

(6) मूलतः अभिवृत्ति परिकल्पना पर आधारित होती है, जिसे देखा नहीं जा सकता है मात्र व्यवहार द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अभिवृत्ति की संरचना को मनोवैज्ञानिक स्तर पर वर्णित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति की अनुभूति नहीं कर सकते इसलिए अभिवृत्ति के विश्लेषण और उसकी व्याख्या करते समय मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति और व्यवहार में अपने विचारों एवं अनुभवों को मिला देते हैं।

(7) विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की धारणा यह है कि अभिवृत्ति अध्यात्मिक संबंधी संरचना है। जिसका अर्थ मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन, भावनाओं और कार्य से संबंधित

किया है। हमारी धारणाएं ही अभिवृत्ति का निर्माण करती हैं। हालांकि अभिवृत्ति और व्यवहार हमेशा से ही विवाद का केंद्र रहा है। और यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है कि किसी भी व्यवहार के लिए बहुकारक जिम्मेदार होते हैं (मक्गुइरे,1985)।

(8) अभिवृत्ति की संरचना विभिन्न सामजिक कारकों के कारण होती है यदि प्राथमिक स्तर पर अभिवृत्ति का निर्माण तीन स्तरों पर होता है (1) अधिगमन (सीखने) के माध्यम से (2) शास्त्रीय अनुकूलन ट्रेनिंग से होता है। (3) कार्यवाहक प्रतिरूपण के माध्यम से। प्रारंभिक समान्य प्रेरणाओं के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को निरंतर अनावरण अथवा पुनरावृत्ति करके बदला जा सकता है। (जजोंक, 1968) समाज में विद्यमान जितने भी कारक हैं जैसे (माता–पिता, स्कूल, सामाजिक संस्थाएं और मीडिया, फिल्में, और साहित्य) अभिवृत्ति के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती हैं।

(9) अभिवृत्ति का मापन करना संभव है, मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति का मापन विभिन्न प्रकार से करने की बात करते हैं। किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति का मापन उसके व्यवहार के प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से किया जा सकता है। सामान्य रूप से मनोवैज्ञानिक संख्यात्मक मापदंडों की अपेक्षा गुणात्मक मापदंडों पर अधिक निर्भर करते हैं और सावधानीपूर्वक निर्मित किये गए प्रश्नावली के प्रयोग से अभिवृत्ति का मापन किया जा सकता है।

(10) अभिवृत्ति में बदलाव संभव है, मनोविज्ञान में दशकों के शोध के परिणाम स्वरूप यह कह सकते हैं कि संवाद के प्राथमिक घटकों के माध्यम से अभिवृत्ति में बदलाव संभव होता है (वार्ड,1995)।

3.2.1 बलात्कार अभिवृत्ति संबंधी प्रारम्भिक नारीवादी सिद्धांत (Early feminist theory related to rape attitude) :

नारीवादियों ने यौन हिंसा की परिभाषा को कारण, कार्य, प्रकृति और बलात्कार के परिणामों पर केन्द्रित किया है। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में बलात्कार को लिंगात्मक आधार पर पुरुष एवं स्त्री के परस्पर संवाद अथवा व्यवहार से संबंधित बताया गया है। नारीवादियों ने हमेशा इस तथ्य पर बल दिया है कि यौन हिंसा,

यौन उत्पीड़न हमारे पुरुषसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का अविभाज्य अंग है या बलात्कार पुरुष वर्चस्व और स्त्री उत्पीड़न की परम्परागत सामाजिक व्यवस्था है। (ब्राउनमिलर,1975)

नारीवादी साहित्यों लेखनों में बलात्कार को शक्ति केन्द्रित माना गया है (ग्रिफिन, 1971) संघर्ष के सामाजिक सिद्धांतों के अनुरूप यह तर्क दिया गया है कि बलात्कार के घटित होने की दर, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिहीन होना पर निर्भर करता है। समाज में पुरुष और स्त्री के शक्ति धारण करने में जो असमानतायें हैं उसके आधार पर बलात्कार एवं यौन हिंसा की संभावनाओं का आंकलन किया जा सकता है। विभिन्न चिंतकों ने अपने शोध में पाया कि महिलाओं में यौन हिंसा अथवा बलात्कार के डर के प्रति अत्यधिक चेतन रूप से अभिज्ञता रहती है। इस डर के परिणाम स्वरूप ऐसे यौन हिंसा और बलात्कार के विरुद्ध महिलायें अपने विरोध को प्रकट नहीं कर पाती हैं और यौन हिंसा के प्रति यह चेतना ही यौन हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने में एक बाधक के रूप में कार्य करता है। (ग्रिफिन,1971)

नारीवादी चिंतकों ने मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक और सामाजिक कारकों को भी अपने यौन हिंसा के विश्लेषण में सम्मिलित किया है। इससे संबंधित सिद्धांतों पर आगे चलते हुए इस बात पर बल दिया गया है कि बलात्कार न सिर्फ सामाजिक लिंगात्मक भेद का ही परिणाम नही है वरन् सामाजिक स्तरीकरण का भी परिणाम है (रोज,1977 एवं रसेल,1975)।

नारीवादियों ने लिंग आधारित व्यवहारों का विश्लेषण करते हुए पाया कि पुरुषों का व्यवहार हमेशा आक्रामक होता है और स्त्री हमेशा पीड़ित होती है। सामाजिक स्तर पर नियंत्रण एवं बल के आधार पर नारीवादियों ने बलात्कार को यौन हिंसा बताते हुए इसे अपराध की श्रेणी में रखा। नियंत्रण, बल एवं स्त्री के अधिपत्य के साथ पुरुषों का नारी पर वर्चस्व से जोड़ कर देखा गया है। इसके परिणामस्वरूप स्त्रियों को उपभोग की वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया (मिलेट,1969) इस परिप्रेक्ष्य को ऐतिहासिक एवं परम्परागत रूप से बलात्कार संबंधी कानूनों एवं

न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। उदाहरण के लिए एंग्लो–सैक्सन कानून में बलात्कारी को दंड स्वरूप पीड़िता के पिता, पति, जो भी उसका संरक्षक होता है उसे सम्पत्ति देनी पड़ती थी अथवा विवाह करना पड़ता था (क्लार्क एवं लेविस,1977)। अरब देशों में बलात्कार संबंधी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत बलात्कारी को पीड़िता से विवाह करने पर माफी प्रदान कर दी जाती थी (नवल इल, सदवाई, 1980)। वर्तमान में यह एक बहस का मुद्दा बन गया है कि बलात्कार केवल एक यौन अपराध ही नही है बल्कि गैर कानूनी संभोग है। (हेर्मन,1989)

हालांकि नारीवादी सिद्धांतों ने अपने विश्लेषण में बलात्कार के प्रमुख कारणों एवं उसके परिणामों पर ध्यान केन्द्रित किया है, कई साहित्यिक संस्करणों में बलात्कार संबंधी मिथकों एवं अभिवृत्तियों पर बल दिया गया है। प्रारंभिक चिंतकों ने यौन प्रेरित अभिवृत्तियां एवं यौन हिंसा की चारित्रिक विशेषताओं को पुरुषसत्तात्मक व्यवस्था का मुख्य अंग माना है, यही कारण है जो यौन हिंसा को बल देता है। प्रारंभिक चिंतकों ने यह माना कि यौन हिंसा का निर्माण पुरुषसत्तात्मक व्यवस्था के कारण निर्मित होता हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से यौन हिंसा को प्रेरित करता है (ब्राउनमिलर(1975), ग्रिफिन,(1997) मेहरोहोफ एवं केअरो(1973)

अन्य चिंतकों ने सांस्कृतिक मूल्यों के महत्त्व को सामाजिक संस्थाओं की यौन हिंसा के प्रति संवेदनशीलता पर बल दिया है। किसी भी समाज में बलात्कार पीड़िता के प्रति सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक संस्थाओं के यौन हिंसा के प्रति संवेदनशीलता ही अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं (बर्ट एवं एस्टेप,1977)। नारीवादी इस बात को प्रस्थापित करते हैं कि वर्चस्व एक विशेषाधिकार है जो किसी भी समाज में उसके सांस्कृतिक मूल्यों के निर्माण, पीड़िता के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करती है, नारीवादियों ने बलात्कार संबंधी मिथकों के दुष्प्रभाव का वर्णन किया है (मेडा एवं थोम्पसन,1974)।

3.2.2 बलात्कार संबंधी सिद्धान्तों का समाजशास्त्रीय वर्गीकरण

समाजशास्त्र बलात्कार सम्बन्धी परिघटना पर महत्त्वपूर्ण अवधारणात्मक दृ ष्टिकोण और टूल प्रदान कर सकता है, जो बलात्कार के सामाजिक सांस्कृतिक

कारणों की सुव्यवस्थित व्याख्या कर सकता है (ली एलिस,1989)। समाजशास्त्रियों ने बलात्कार पर तीन समकालीन परिप्रेक्ष्यों की पहचान की है ये परिप्रेक्ष्य हैः–

3.2.3 बलात्कार के सामाजिक सीख का सिद्धांत (The social learning theory of rape)

यह सिद्धांत यह विचारधारा प्रस्तावित करता है कि "आक्रामकता" प्राथमिक स्तर पर अनुकरण के माध्यम से एक सीखा हुआ व्यवहार है। और उसके उपरान्त यह व्यवहार निरंतर अनेक माध्यमों से स्वपोषित होता रहता है (एलिस,1989) जिस प्रकार बलात्कार को परिभाषित किया जाता है और व्याख्या की जाती है, सामाजिक सीख का सिद्धांत बलात्कार को एक आक्रामक व्यवहार के रूप में देखता और परिभाषित करता है। यह एक ऐसा व्यवहार है, जो बलात्कारी ने अपने वास्तविक जीवन का अवलोकन करते हुए मॉस मीडिया, काल्पनिक पात्रों, आस पड़ोस और परिवार से सीखा था। खास कर फिल्मों में महिला विरोधी हिंसा और बलात्कार सम्बन्धी दृश्यों में अक्सर अपराधी को बिना किसी दण्ड के छोड़े जाने जैसे दृश्यों के माध्यम से आक्रामक व्यवहार आम जन के मन में गहरी छाप छोड़ता है।

यद्यपि सामाजिक सीख का सिद्धांत अपने विश्वासों और दृष्टिकोणों में नारीवादी सिद्धांतों के सामान है। नारीवादी सिद्धांत और सामाजिक सीख के सिद्धांत बलात्कार के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों को जिम्मेदार मानते हैं। परन्तु इन दोनों सिद्धांतों में मूलभूत अंतर है। सामाजिक सीख का सिद्धांत उन सांस्कृतिक परंपराओं को बलात्कार के अंतर्निहित कारणों के रूप में देखता है जो पारस्परिक आक्रामकता और कामुकता के साथ सीधे जुड़ा हुआ मानते हैं, जबकि नारीवादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े विचारक मानते हैं कि बलात्कार यौन प्रेरित घटना है। संक्षेप में, ''सामाजिक सीख के सिद्धांतकारों ने बलात्कार को सांस्कृतिक और अनुभवात्मक कारकों के प्रभावों, व्यवहारों, और सेक्स भूमिका के संयुक्त रूप में देखते हैं। पुरुषों के मस्तिष्क में शारीरिक आक्रामकता और कामुकता संबन्धी अन्य विचार भी बलात्कार के लिए जिम्मेदार होते हैं। (एलिस,1989)

3.2.4 बलात्कार का सामाजिक जैविक सिद्धांत :

इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि कोई भी पुरुष कुछ जैविक एवं अनुवांशिक समस्याओं के कारण बलात्कार करता है और उसके लिए ऐसा करने की प्रवृत्ति आकर्षक और भयावह दोनों हो सकती है। इस तथ्य को कुछ नारीवादियों की विचारधारा और आधार प्रदान करती है कि संभवतः सभी पुरुष बलात्कारी हैं" और सुसन ब्राउनमिलर ने बाद की स्थितियों के संबंध में अपनी पुस्तक (अगेंस्ट अवर विल,1975) में विस्तार पूर्वक चर्चा की है।

अन्य जैविक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि बलात्कार के लिए अनुवांशिकी एक महत्त्वपूर्ण घटक हो सकता है। सामाजिक जैविक सिद्धांतकार यह कहते हैं कि यदि बलात्कार के सभी आयामों को समझना हो और बलात्कार की व्याख्या करनी हो तो उनके उद्विकासवादी दृष्टिकोण को खारिज नहीं किया जा सकता है (एलिसन एवं व्रिघहटमन,1993 में उद्घृत) सामाजिक जैव वैज्ञानिक सामाजिक व्यवहार के जैविक आधारों पर व्याख्या करते है और मनुष्य के साथ साथ अनेक प्रजातियों पर भी यह अध्ययन करते है।

इस सिद्धांत को एक बलात्कारी के व्यवहार पर लागू करने के संबंध में सामाजिक–जैववैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया है कि बलात्कार इसलिए घटित होता है क्योंकि यह संतान पैदा करने के लिए अनुकूल व्यवहार का एक रूप है। कुछ बुनियादी आधारों पर सारी मानव प्रजाति संतान पैदा करने एवं वंश चलाने के लिए प्रेरित होती है, और इसके अंतर्गत सहमति और असहमति से किया गया संभोग दोनों ही शामिल होते है।

3.2.5 बलात्कार का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत :

20वीं शताब्दी में जब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का महत्त्व अपने चरम पर था, उस समयकाल में बलात्कार की परम्परागत परिभाषा में परिवर्तन हुआ। 20वीं शताब्दी से पूर्व बलात्कार को हिंसक अपराध न मान कर मात्र एक संभोग की क्रिया माना जाता था। (डोनट एवं एमिलियो, 1992, पृष्ट.12)।

इसके पश्चात् बलात्कारियों को एक अपराधी के रूप में न देख कर एक मानसिक रोगी के रूप में देखे जाने का दृष्टिकोण विकसित हुआ और बलात्कार को एक उपचारात्मक अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। बलात्कार की मनोवैज्ञानिक परिभाषा के पूर्व बलात्कार सम्बन्धी अवधारणाओं में 'बलात्कार' के कारण होने वाले शारीरिक क्षति पर सारा ध्यान केन्द्रित किया गाया था और मानसिक क्षति की उपेक्षा की गयी थी। बलात्कार के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में बलात्कार के संभावित कारणों की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बलात्कार के चिकित्सीय कारणों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की खराब परवरिश, लैंगिकता में बाधा, तनाव, सामाजिक कुशलता की कमी, और उन व्यक्तियों को शामिल किया जिनकी सेक्सुअल आवश्यकता सामान्य से अधिक होती है। मनोविज्ञान में बलात्कार के पीछे इन कारणों के आधार पर व्याख्या की गई है। (ब्रैंडन एवं ग्रिएर, 2011)

बलात्कार के संबंध में जो प्रारंभिक दौर के सिद्धांतों में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के दृष्टिकोणों और अनुभवों और संभोग की आवश्यकता को पूर्णतया उपेक्षित किया गया था। परन्तु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महिलाओं के सम्भोगीय आवश्यकता को महत्त्व दिया जाने लगा परन्तु दुर्भाग्यवश इस नयी अवधारणा के कारण पीड़िता को ही बलात्कार के लिए दोषी माना जाने लगा, और इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जहाँ कहीं भी बलात्कार की घटनाएं होती थी पीड़िता पर ही सारा दोषारोपण किया जाने लगा, उदाहरण स्वरूप पीड़िता ने ही पुरुष को बलात्कार हेतु उकसाया होगा, पीड़िता ने अश्लील कपड़े पहने होंगे आदि (डोनट एवं एमिलियो,1992 पृष्ट,13)।

इस संबंध में आमिर जो एक शोध कर्त्ता थे उन्होंने बलात्कार पर शोध कार्य करके यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि कभी भी बलात्कार के लिए पीड़िता पूर्णतया अथवा बराबर की दोषी होती है। अर्थात् आमिर के अनुसार बलात्कार की घटना में पीड़िता और बलात्कारी आपस में एक पूरक भूमिका में होते हैं, यदि बलात्कार होता है तो पीड़िता भी पूरक के रूप में बलात्कार के लिए जिम्मेदार होती ही है, हालांकि

इस अवधारणा के लिए आमिर की नारीवादियों द्वारा न केवल कटु आलोचना हुई बल्कि इनके सिद्धांत को पूर्णतया खारिज कर दिया गया। (आमिर,1971 पृष्ट.260)।

3.2.6 बलात्कार के लिंग–तटस्थ समाधान का उदारवादी सिद्धांत

सत्तर के दशक में अमेरिका के उदारवादी नारीवादी चिंतकों ने बलात्कार जैसे अपराध का समाधान लिंगरहित कानूनी परिभाषाओं में देखा। इस सिद्धांत में मिलर ने माना कि बलात्कार की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि सवप्रथम लिंगरहित कानूनी परिभाषा का निर्माण किया जाय जो सभी प्रकार के कामुक हमलों का विरोध करता है। ब्राउनमिलर के इस मांग को केंद्र में रख कर अनेक नारीवादियों ने बलात्कार संबंधी कानून की लिंगकेन्द्रित परिभाषा को हटाने का समर्थन किया। सत्तर के दशक में यह माना जाता था कि स्त्रियों के शोषण के कारण स्त्री–पुरुष भेदभाव है यदि इस भेदभाव को समाप्त कर दिया जाय तो पीड़िता को जल्दी न्याय मिलने की संभावनाए बढ़ सकती हैं। इस संबंध में मिशेल डेविस बलात्कार को एक विशेष अपराध की श्रेणी में रखने के बजाय सामान्य अपराध की श्रेणी में रखने की वकालत करती हैं। इनके अनुसार बलात्कार में अंतर्निहित कामुक प्रसंग आप्रासंगिक हैं। क्रिश्टीना हाफ सौमर्स भी बलात्कार की लिंगमुक्त परिकल्पना की समर्थक हैं सौमर्स स्त्रियों के विरुद्ध हो रही हिंसा के पीछे छिपे असल कारणों को समझने का प्रयास करती हैं और कहती है कि, क्यों हिंसा में लगातार वृद्धि हो रही है, लोगों में नैतिकता का लोप और संवेदनहीनता बढ़ती ही जा रही है। सौमर्स के अनुसार यदि बलात्कार को पक्षपात और पितृसत्ता की समस्या के सन्दर्भ में देखेंगे तो इससे सम्बंधित समस्याओं के सही रूप को नहीं समझा जा सकता।

बलात्कार के लिंगतटस्थ कानून की अनेक स्त्रीवादियों ने खंडन किया है। इनमें आईसेनस्टीन प्रमुख हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि पुरुष मानक है, इसलिए स्त्रियाँ पुरुषों से अलग हैं। स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार हो इसके लिए जरूरी है कि स्त्रियों के साथ पुरुषों जैसा व्यवहार हो या उन्हें पुरुषों के समान्तर समझा जाए। चूंकि इस ढांचें में पुरुष केंद्र में हैं इस कारण स्त्रियाँ हाशिये

पर आ गई हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि स्त्रियाँ इस समानता के ढांचें में अनुपस्थित हैं और शायद इसी को लिंगतटस्थता कहते हैं। (एइसेंसटिन,1988)

जिन संस्थानों में स्त्रियां समान प्रवेश चाहती हैं वे संस्थान ऐतिहासिक तौर पर पुरुष के अनुकूल थे और हैं। इन संस्थानों को बदलने की ओर स्त्रीवादियों का रुख होना चाहिए। एक समतामूलक तथा मानवोचित समाज की ओर बढ़ने के लिए पहले निर्मित संस्थानों का पूर्ण रूप से रुपांतरण करना होगा। (डेबोराह,2009)

वेस्ट ने भी बलात्कार के लिंगरहित कानून के बनने पर आपत्ति दर्ज की है। वेस्ट का मानना है कि स्त्री और पुरुष की पीड़ा की अनुभूति में गुणात्मक अंतर होता है। एक पुरुष ने कभी भी अवांछित गर्भाधान की पीड़ा और आतंक, किसी अपरिचित द्वारा किए गए बलात्कार की यातना, हिंसा और वैवाहिक बलात्कार के हिंसक एवं अहिंसक रूप को न ही स्त्री के परिप्रेक्ष्य देखा और न ही झेला है। इसलिए अहिंसक बलात्कार क्या है, इसकी समझ और परिकल्पना कोई भी पुरुष कर ही नहीं सकता है, (कैथ,1999)।

3.2.7 बलात्कार का रेडिकल नारीवादी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

स्त्रीवादी दर्शन का दूसरा सम्प्रदाय अमेरिकी नारीवादी, मार्क्सवादी, वकील, शिक्षिका एवं कार्यकर्ता कैथरीन ऐलिस मैककिनन के विचारों पर केन्द्रित है। मैककिनन ने 1989 में अपनी पुस्तक "टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ दी स्टेट" में बलात्कार के संबंध में नए आयामों, परिभाषाओं और प्रस्थापनाओं को स्थापित किया। मैककिनन ने अपनी पुस्तक में सूसन ब्राउनमिलर की बलात्कार की परिभाषा से बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण रखते हुए बलात्कार की अलग परिभाषा दी है तथा बलात्कार के अन्य जटिल समस्याओं की ओर समाज का ध्यान खींचा है। अपनी इस पुस्तक में मैककिनन कहती हैं कि नारीवादी विश्लेषण के अनुसार बलात्कार एक पृथक् घटना, नैतिकता का उलंघन या गलत व्यक्तिगत आदान प्रदान नही है बल्कि बलात्कार एक ऐसा कार्य है जो आतंक तथा यातना से सम्बंधित है। यह यातना समाज की पूरी स्त्री जाति को व्यवस्था के सन्दर्भ में दी जाती है। मैककिनन ने इस हमले की तुलना मृत्यु से की है। मैककिनन सूसन ब्राउनमिलर द्वारा दी गई

बलात्कार की परिभाषा को अस्वीकार करते हुए कहती हैं कि बलात्कार को केवल हिंसा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, इससे बलात्कार की गंभीरता एवं प्रकृति को समझाने में भारी त्रुटि हो सकती है। मैककिनन का मानना है कि राज्य ने बलात्कार से सम्बंधित जो कानून बनाया है वह बलात्कार को लिंग प्रविष्ट से सम्बंधित अपराध मानता है। मैककिनन के अनुसार बलात्कार की यह परिभाषा त्रुटिपूर्ण है। यह परिभाषा पुरुष–लिंगीय परिभाषा है। यह परपीड़न कामुकता की परिभाषा है। जिसके अनुसार यह मान लिया जाता है कि स्त्री एक ही पुरुष के आगमन के लिए बनी स्त्री के प्रति किया गया अपराध है न कि स्त्री की कामुक प्रतिष्ठा या आतंरिक अखंडता के विरुद्ध किया गया अपराध है। (मैकीनन,1989)।

अमेरिकी रेडिकल फेमिनिस्ट और पोर्नोग्राफी–विरोधी लेखन के लिए चर्चित लेखिका एंड्रिया ड्वोरकिन ने मैककिनन की तरह माना कि समाज द्वारा निर्मित हेट्रोसेक्सुअलिटी की प्रकृति एक तरह की जबरदस्ती है यानी वह थोपी गई मजबूरी है। उसमें स्वायत्तता जैसी कोई चीज नहीं होती है। एंड्रिया का मानना है स्त्रियों के साथ हो रहे बलात्कारों के साथ पोर्नोग्राफी का सीधा और प्रमुख संबंध है। ड्वोरकिन कहती हैं कि बलात्कार का सार इस विश्वास में है कि 'कोई भी स्त्री, चाहे कितनी भी अपमानित हुई हो वह पीड़िता नहीं है। ड्वोरकिन मानती हैं कि पोर्न चित्र में स्त्री की कामुकता और अस्तित्व पुरुषों के ही अधीन है बल्कि यूं कहना अधिक उचित होगा कि यह पुरुषवादी समाज की ही अभिव्यक्ति है। (डोवेर्किन,1976)

3.2.8 बलात्कार के सहमति का सिद्धांत

कुछ नारीवादियों ने बलात्कार को सहमति के आधार पर अपराध माना है। अर्थात् अगर संभोग में स्त्री की सहमति थी तो स्त्री अपनी स्वतंत्र प्रकृति का व्यवहार कर रही थी, इसलिए वह बलात्कार नहीं है, इसके विपरीत यदि संभोग स्त्री की सहमति के बिना हुआ है तो यह बलात्कार की श्रेणी में आएगा। कैरोलिंन शेफर, मैरीलीन फ्रै, स्टीफेंन जे. स्क्ल्होफेर, जे. एच. बोगार्ट, कैरोल आदि ने इसी रूप में बलात्कार को परिभाषित एवं इसकी व्याख्या की है। कैरोलिंन शेफर, मैरीलीन फ्रै का

मानना है कि बलात्कार नैतिक रूप से गलत काम है और बलात्कार में नैतिक रूप से यह गलत है कि उसमें स्त्रियों की सहमति का आभाव होता है। बलात्कार के जरिये जब स्त्री की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय पर हमला होता है तब वह हमला उसके अस्तित्व पर होता है। कैरोल पेटमेन ने भी सहमति के सिद्धांत के आधार पर बलात्कार को अपराध माना है। लेकिन पेटमेन ने यह भी माना है कि आधुनिक सिद्धांतकारों ने समाज में हर एक इंसान की समानता और स्वतन्त्रता यानी अधिकार के आधार पर सहमति के सिद्धांत की रचना की है। सहमति के सिद्धांत का फायदा पुरुषों को ही होता है। बलात्कार हर रंग, हर उम्र, हर जाति, हर वर्ण, हर वर्ग की स्त्रियों के साथ हुआ है और हो सकता। चाहे स्त्री शिक्षित हो चाहे अशिक्षित, बलात्कार संभव हैं। बलात्कार भोगवाद का अपराधिक रूप है, वह भोगवाद का हिंसात्मक रूप है। भोगवादी मानसिकता को बलात्कार शक्ल प्रदान करता है और उसे प्रतिष्ठित करता है (बैनर्जी, 2017 में उद्घृत)।

3.2.9 विश्व सिद्धांत (Just world theory):

इस सिद्धांत का प्रतिपादन (लेर्नर, 1980) द्वारा किया गया है (अल्बर्ट, 2009 में संदर्भित) लेर्नर ने वाद विवाद के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि कोई भी पीड़िता निर्दोष नहीं होती है, यदि किसी के साथ कुछ भी अप्रिय घटना घटी होती है तो, वह व्यक्ति अथवा पीड़ित उसी के लायक होता है। यह सिद्धांत इस विचारधारा पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा है तो उसके साथ गलत नहीं होता है। यही विचारधारा बलात्कार संबंधी मामलों में पीड़िता के विरुद्ध नकारात्मक व्यवहार और पीड़िता को दोषी ठहराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जस्ट वर्ल्ड थ्योरी का प्रयोग कारणात्मक व्याख्या हेतु किया जाता है अर्थात् पीड़िता पर दोषारोपण करने के लिए आधार के तौर पर प्रयोग किया जाता है और पीड़िता के साथ हुए बलात्कार को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया जाता है। हालांकि विश्व सिद्धांत का प्रयोग मात्र कारण और घटना के संबंध के स्पष्टीकरण के रूप में किया जाता है, परन्तु इसका प्रयोगात्मक रूप से कोई परीक्षण नहीं किया गया है। परन्तु इसके अपवाद भी देखने को मिलते है (स्ल एवं बुल,2010)।

चूंकि विश्व सिद्धांत एक सामान्य विश्वास पर आधारित है जिसे मापा भी जा सकता है और इसका मापन अभिवृत्ति माप के माध्यम से किया जा सकता है जिसके अंतर्गत पीड़िता के प्रति समाज के सदस्यों के नकारात्मक व्यवहार का माप लिया जाता है। (डलर्ट, 2000 फुर्नहम, 2003)।

3.210 स्व–अभिवृत्ति सिद्धांत (self attitude theory):

यह सिद्धांत समाज में किसी संस्कृति अथवा एक समूह में हिंसा के प्रति विद्यमान मूल्यों को दर्शाता है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि जिन व्यक्तियों में आत्म सम्मान की कमी होती है उन व्यक्तियों को ऐसा महसूस होता है कि हिंसक व्यवहार को अपना कर अथवा हिंसक अपराध को अंजाम देकर वे समाज में अपनी दुर्बल छबि को बदल सकते हैं, और हिंसक कृत्यों का पालन करके वे स्वयं को दूसरों की नजरों में शक्तिशाली प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि हिंसक अपराधों को समाज में इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि यह बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है, और जो भी व्यक्ति इस सिद्धांत को स्वीकार करके हिंसक अपराधों की तरफ आकर्षित होकर महिला विरोधी अपराध करते हैं, जैसे कि (बलात्कारी, अपहरणकर्ता, हत्यारे और बलात्कार करने वाले) वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कम आत्मसम्मान से पीड़ित व्यक्ति होते हैं (आहूजा,1998)।

3.2.11 एक नया सैद्धांतिक मॉडल (New Theoretical Model) :–

महिलाओं के प्रति अपराधों या उनके शोषण को समझने के लिए एक नवीन सैद्धांतिक मॉडल विकसित किया गया है। इस सिद्धांत में समष्टिवादी उपागम का प्रयोग किया गया है। यह उपागम शोषित महिला के व्यक्तित्व के गुणों, तथा उन सामाजिक परिस्थितियों में जिनमें वह रहती है या कार्य करती है, के बीच सहलग्नता पर केन्द्रित है। यह मॉडल इस कल्पना पर आधारित है कि महिला का शोषण (बलात्कार, यौन छेड़छाड़, मारपीट, दहेज के लिए सताया जाना, वैश्या बनाने के लिए अपहरण) महिला के व्यक्तित्व (उसकी साहस हीनता व भीरुता की भावना) और उसकी परिस्थितियों के बीच की अंतःक्रिया का प्रतिफल है।

इस सैद्धांतिक मॉडल में यह माना गया है कि महिला के प्रति अपराध व महिला के प्रति शोषण पांच बिंदुओं पर निर्भर करता है।

(1) सामाजिक पृष्ठभूमि (इसमें उसकी आयु शैक्षिक स्तर और उसका प्रशिक्षण) आदि है।

(2) समर्थन का स्तर (जो उसके माता–पिता, ससुराल वालों, सहेलियों और अन्य लोगों) के समर्थन पर निर्भर करता है।

(3) दूसरों की अपेक्षाएं (उसके पति, सास–ससुर, बच्चे, रिश्तेदार) काम के सहयोगी आदि सहित।

(4) आर्थिक आधार (वह निम्न मध्यम या उच्च आय वर्ग से सम्बंधित है)।

(5) उसकी स्वयं की छवि (वह अपने को दयालु, असहाय, कमजोर तथा साहसिक और बलवान समझती है।

उपरोक्त मॉडल महिलाओं के प्रति किये गए अपराध की सामाजिक संरचनात्मक स्थितियों के सन्दर्भ में व्याख्या करता है, जैसे (परिवार संकट, भूमिका सम्बन्धी कुंठाएं, अनुपयुक्त पालन पोषण और जीवन में अभागी घटनाएं) जो कि चिन्तायें एवं तनाव उत्पन्न करती हैं, जो फिर व्यक्ति की भूमिकाओं संबंधी प्रतिबद्धता, परिस्थितियों संबंधी समायोजन तथा समूहों से लगाव को प्रभावित करती हैं। समायोजन एक परिस्थिति से दूसरी में सहजता से चले जाना है। लगाव का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति स्नेह बंधनों से है तथा प्रतिबद्धता एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के दायित्व की भावना या विशेष कार्य प्रणाली को अपनाना है।

कुण्ठाग्रस्त एवं सापेक्ष्य उपेक्षित व्यक्ति दो बातों से प्रभावित हो कर अपराध करते हैं, जिन महिलाओं के प्रति अपराध किया जाना है, अर्थात् महिलाओं को शिकार होना पड़ता हैं, जिनमें विचलित या आक्रामक व्यवहारकर्ता के प्रति प्रतिरोध करने की शक्ति कम होती है, और अपराध से पूर्व और पश्चात् अपराधी अपने कार्य के न्याय बोध से प्रेरित होकर। इस प्रकार कुंठाग्रस्त लोग तब अपराध करते हैं जब वे किसी महिला को उपयुक्त शिकार समझते हैं या किसी परिस्थिति में अपराध का

मौका देखते हैं, अर्थात् विशेष परिस्थितियों में ही अपराध करते हैं न कि सभी परिस्थितियों में।

इस प्रकार राम आहूजा का यह सिद्धांत संयोजी विचार पर आधारित है, जिसमें सामाजिक कारकों को भी सम्मिलित किया गया है, जैसे, तनावपूर्ण स्थितियां (परिवार के अन्दर तथा परिवार के बाहर की), शोषित और अपराधी के व्यक्तित्व सम्बन्धी गुण तथा सांस्कृतिक वातावरण जैसे मानदंडीय दबाव या अनिश्चितताएं आदि। उपरोक्त सिद्धांत भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसक अपराधों जैसे बलात्कार, यौन हिंसा को समझने और व्याख्या करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिनके माध्यम से महिला विरोधी अपराधों की न केवल प्रकृति को भली भांति समझा जा सकता है बल्कि इन अपराधों को रोकने में भी अहम् भूमिका निभा सकते हैं (राम आहूजा एवं मुकेश, 1998)।

3.2.12.बलात्कार के समायोजन संबंधी सैद्धान्तिक व्याख्या

कष्ट, अपमान सहने एवं शोषण के बाद अपराध व कलंक का सामना करने के पश्चात् समायोजन संबंधी दृष्टिकोणों को स्पष्ट करने के लिए मोटे तौर पर दो सिद्धांत निरूपित किये जा सकते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत और परिवार व्यवस्था का सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत की व्याख्या बर्जर और केलनर मारिस (1974), लोफ्लैंड (1985), रोसेंबलाट एवं व्रिघट (1984) जैसे समाजशास्त्रियों की हैं। जबकि दूसरे सिद्धांत की व्याख्या बर्कोव्ज (1977), क्रिल और राब्किन, और रोजेंबलाट (1983) जैसे विचारकों ने की थी ।

प्रतीकात्मक अंतःक्रिया दो बातों पर बल देता है 1• अपमान के कारण आदर की हानि और 2• अपमान को परिभाषित करने, अपमानित अनुभव करना और अपमान के साथ समझौता करने में दूसरे लोग कैसे महत्त्वपूर्ण (सहयोगी बाधक) होते हैं। परिवार व्यवस्थाओं का सिद्धांत भी दो बातों पर बल देता हैः– (1) परिवार प्रतिमान और स्वरूप किस प्रकार अपमान के अनुभव को प्रभावित करते हैं (2) अपमान परिवार, नातेदार व सामाजिक संबंधों को कितना प्रभावित करता है।(राम आहूजा एवं मुकेश, 1998 में संदर्भित)

3.2.13 समायोजन संबंधी सैद्धान्तिक व्याख्या

शोषित किये जाने, बलात्कार किये जाने, पति द्वारा पीटे जाने, लगातार छेड़—छाड़ का शिकार होने, अपहरण के पश्चात् वापस आने, कई महीनों सप्ताहों नारी गृह में रहने आदि के पश्चात् पीड़ितायें एवं महिलायें किस प्रकार अपना समायोजन करती हैं? सामाजिक कलंक, अपमान, शर्मिंदगी और दुःख का किस प्रकार सामना करती हैं? अपमानित होना (डिसग्रेस) व कलंकित होना अत्यधिक कष्ट कारक संवेग (इमोशन्स) होते हैं। संवेग कुछ तो सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित होते हैं और कुछ व्यक्तित्व व्यवस्था के साथ संबंध से बनते हैं। अतः पीड़ा और कष्ट का उस सामाजिक सन्दर्भ में सामना किया जाता है जिसमें ये घटित होते हैं तथा समायोजन सामाजिक संबंधों व संस्कृति के सन्दर्भ में संभव होता है।

कष्ट, अपमान सहने एवं शोषण के बाद अपराध एवं कलंक का सामना करने के पश्चात् समायोजन संबंधी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए मोटे तौर पर दो प्रकार के सिद्धांत निरूपित किये जा सकते है। (1) प्रतीकात्मक अन्तःक्रिया (सिंबॉलिक इंटेरेक्शन) का सिद्धांत एवं (2) परिवार व्यवस्था का सिद्धांत (फैमिली सिस्टम) प्रथम सिद्धांत की व्याख्या बर्जर केलनर (1964), मारिस (1974), लाफ्लेंड (1985), तह रोजान्बाल्ट और राइट (1984) जैसे विचारकों की है। जब कि दूसरे सिद्धांत की व्याख्या बरकोविज (1977), क्रिल और राबकिन (1979), और रोजेंब्लाट (1983) जैसे विचारकों ने की है।

प्रतीकात्मक अन्तःक्रिया सिद्धांत दो बातों पर बल देता है — (1) अपमान (हुमिलीऐशन) के कारण आदर की हानि और (2) अपमान को परिभाषित करने, अपमानित अनुभव करने और अपमान के साथ समझौता करने में दूसरे लोग कैसे महत्त्वपूर्ण (सहयोगी/बाधक) होते हैं। परिवार व्यवस्था का सिद्धांत भी दो बातों पर बल देता है। (1) परिवार प्रतिमान (नॉर्म्स) और स्वरूप (पैटर्न्स) किस प्रकार अपमान के अनुभव को प्रभावित करते हैं। (2) अपमान परिवार, नातेदारों एवं सामाजिक संबंधों को कितना प्रभावित करता है।

3.2.14 प्रतीकात्मक अन्तःक्रिया का सिद्धांत :

बलात्कार पीड़िता मानहानि एवं कलंक का सामना करती हुई तथा अपमानित होने के बाद पुनः समायोजन का प्रयत्न करती हुई, पीड़िता पर इस सिद्धांत को लागू करते हुए यह कहा जा सकता है कि सामाजिक सन्दर्भ का वह भाग है जिसमें उसने स्व–छवि का विकास किया था और अपने कार्यों को निश्चित किया था, परन्तु बलात्कार की शिकार होने पर यह समाप्त हो जाता है। "सामाजिक सन्दर्भ" का वह भाग जो उसके जीवन के लिए अर्थ बताता था, अब विद्यमान नहीं रहता है। वह प्रतिष्ठा जो पीड़ित महिला की 'स्व' को एवं उसकी परिस्थिति को स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण थी, अब उसकी हानि, उसकी पीड़ा, कष्ट और अपमान को एक लक्षण प्रदान करती है। यह लक्षण महिला को स्वयं के विषय में अनिश्चितता की स्थिति का अर्थ खोजने, जो कुछ (पीड़ा) हुआ है उसका क्या किया जाये, घबराहट, अविश्वास आदि, कष्टकारी गुणों को उत्पन्न करता है। 'स्व' को और परिस्थिति की परिभाषा खोजने, में सामाजिक संबंधों की हानि उस महिला को दूसरे आधार ढूढ़ने को बाध्य करती है। इस प्रकार किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ लगाव विकसित करने की प्रक्रिया जटिल है तथा इसमें ऐसी सामजिक क्रियाएं निहित होती हैं जो रचनात्मक या समझौते वाली हों, आदि अर्थात् इसमें दूसरों के द्वारा परिभाषित क्रियाओं की स्वीकृति और बलात्कार, अपहरण, मारपीट में पूर्व के दिनों का चिंतन सम्मिलित होता है।

पीड़ा, सम्मान और समायोजन के प्रयत्नों को संस्कृति भी प्रभावित करती है। उदारहण के लिए संस्कृति/उपसंस्कृति में प्रचलित विश्वास जो बताते हैंः 'दुखी मत हो क्योंकि तुम उस घटना में अपनी इच्छा से भागीदार नहीं थी बल्कि तुम तो परिस्थितियों का शिकार हो गयी' इन सब बातों से पीड़ित महिला का दुःख कुछ कम हो जाता है। अतः इसमें आश्चर्य नहीं जब यह कहा जाता है कि पीड़ा और अपमान के प्रति एक ही प्रतिक्रिया नहीं होती है बल्कि मानहानि या कष्ट को अभिव्यक्त करने वाली अनेक भावनाएं होती हैं।

पीड़ित महिला में संबंधों के निर्धारण में लचीलेपन का आभाव होता है। उसके चारो ओर के लोग उसके कष्ट की विद्यमान सांस्कृतिक मानदंडों एवं प्रतिमानों के सन्दर्भ में महसूस करते हैं तथा उसके द्वारा घटना का सामना करने के लिए प्रयुक्त संवेगात्मक नियंत्रण (इमोशनल कंट्रोल) का भी मूल्यांकन करते हैं।यदि पीड़ित महिला अपराध में स्वेच्छा से भागीदार प्रतीत होती है तो वे (परिवार के सदस्य एवं रिश्तेदार) उसके लिए कम उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार कष्ट के प्रति दूसरों की प्रतीकात्मक प्रतिक्रियाओं का भी सामना करती हैं। परिवार के सदस्यों, नातेदारों, पड़ोसियों, मित्रों, कार्य सहयोगियों की उनके कार्य के प्रति प्रतिक्रियाओं का पूर्वानुमान उन महिलाओं को अपने व्यवहार एवं जीवन शैली में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करा देता है। (रोसेनब्लाट, 1988)

3.2.15 परिवार व्यवस्थाओं का सिद्धांत :

परिवार व्यवस्थाओं का सिद्धांत व्यक्ति के मनोविज्ञान से संबंधित है। क्योंकि यह संबंधों को प्रभावित करता है। यह सिद्धांत इस तथ्य को समझने में सहायता करता है कि जब कोई महिला किसी अपराध का शिकार हो जाती है तो किस प्रकार अपराध हो जाने के बाद परिवार खुद को संतुलित बनाए रख पाता है? जहां एक ओर पीड़िता बलात्कार का शिकार होने के बाद अत्यधिक अपमान, कलंक, आघात एवं अवसाद का सामना कर रही होती है वहीं दूसरी ओर परिवार के सदस्य भी कलंक, अपमान, बलात्कार के कारण मान सम्मान की हानि, आघात का सामना कर रहे होते हैं। बलात्कार की प्रथम पीड़ित, पीड़िता होती है जबकि बलात्कार के द्वितीयक पीड़ित परिवार के सदस्य होते हैं। लेकिन परिवार के सदस्य अपनी पीड़ाएं भिन्न भिन्न तरीके से सहते हैं। जब परिवार के सदस्य पीड़ित महिला की सहायता नहीं कर पाते हैं तो पीड़िता को ऐसा अनुभव होता है कि मानो सम्पूर्ण परिवार व्यवस्था उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपर्याप्त है। सामाजिक संबंधों के सन्दर्भ में भी परिवार पीड़िता के सामाजिक समायोजन एवं पुनर्स्थापन को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करता है। परिवार पीड़िता के समायोजन में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं। दूसरों के साथ अन्तःक्रिया या उसके अस्तित्व की चेतना मात्र भी कष्टकारी या सहायक हो सकती है। जो

पीड़ित महिलायें एकाधिक होती हैं, वे प्रतिष्ठा संबंधी हानि का सामना करने में धीमी प्रगति करती हैं।

बलात्कार मिथकों एवं बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति एवं धारणाओं को समझने के लिए हम यहाँ दोषारोपण सिद्धांत (एट्रीब्यूशन थ्योरी) के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता के संबंध में अभिवृत्ति रखता है उसका निर्माण करने वाले करक कौन कौन से हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं।

3.2.16 दोषारोपण का सिद्धांत :

दोषारोपण सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया के संबंध में विचारों एवं अवधारणाओं का एक समूह है–संज्ञानात्मक प्रक्रिया वह है जिसके द्वारा लोग अपने जीवन जगत के बारे में समझ पैदा करते हैं, उन्हें अर्थ प्रदान करते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात की व्याख्या है कि लोग अपने दैनिक जीवन एवं कार्य कलापों को अर्थ प्रदान करने के लिए, दूसरों के प्रति अपने व्यवहार का निर्माण एवं अभिवृत्ति को प्रस्थापित कब? कैसे? क्यों? करते हैं। प्रारंभिक सिद्धांत जैसे कि फ्रिट्ज हैदर (फ्रिट्ज हैदर, 1958) ने दोषारोपण के सिद्धांत के सैद्धांतिक प्रारूप का विश्लेषण किया है। हैदर ने दोषारोपण के प्रकारों का उल्लेख किया, जिस पर व्यक्तियों की अभिवृत्ति निर्भर करती है। हैदर ने दोषारोपण के सिद्धांत के दो प्रकारों में अंतर किया है, (1) आंतरिक (इसके अंतर्गत व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वभाव) संबंधी कारकों को रखा गया है (2)वाह्य (इसके अंतर्गत परिस्थितियों एवं भाग्य संबंधी) कारकों को रखा गया है। बाद में अपने कार्य को और परिष्कृत करते हुए हैदर ने दोषारोपण संबंधी अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थिरता, नियंत्रणात्मक और वैश्विक कारकों को भी सम्मिलित कर दिया क्योंकि यह भी किसी व्यक्ति के दोषारोपण करने के व्यवहार एवं विचार को प्रभावित करता है (हैदर, 1958)।

इस सन्दर्भ में मिल्टन लर्नर ने अग्रणी कार्य किया है। ऐलन वाल्सेर एवं इलियट आर्सन ने संश्लेषित करते हुए कहा कि विश्व–परिकल्पना की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित होती है कि व्यक्तियों को वही मिलता है जिसके वे हकदार

होते हैं, यह भी कहा जा सकता है यदि किसी के साथ बुरा घटित होता है तो वह जरूर उसी के लायक होता है इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। दोषारोपण के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जाता है कि जो भी उनके साथ हुआ वह उनकी किस्मत थी और और वे उसी के लायक थी।

3.217 रक्षात्मक रोपण सिद्धांतः

विश्व परिकल्पना सिद्धांत की लोकप्रियता के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ितों के साथ विशेष सहानुभूति में कुछ सीमा है, एवं इस सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रसंस्करण में प्रेरक आधार को प्रभावित करने और पीड़ित पर दोषारोपण और बदनामी को कम करने के लिए सुझाव दिया गया है। इसके विकल्प के रूप में केली शेवार्स ने दुर्घटना की शिकार पीड़ितों पर कार्य करते हुए रक्षात्मक रोपण का सिद्धांत दिया शेवार्स ने अपने अध्ययन में पाया कि पीड़िता स्वयं देखने वालों के समान हो जाती है। जिसके कारण घटना के प्रति उसकी जिम्मेदारी को घटा देती है। रक्षात्मक रोपण के विकास के लिए दो आवश्यक शर्तें होती हैं। (1) पीड़ित के साथ समानता और मान्यता एवं (2) एक समान भाग्य वाले पर्यवेक्षक को प्रभावित करता है। रक्षात्मक रोपण सिद्धांत बलात्कार लिंग असमानता पर आधारित होता है, जिस कारण पीड़िता पर ही बलात्कार के लिए दोषरोपण किया जाता है एवं जिम्मेदार ठहराया जाता है (शेवार्स,1970)।

3.3 <u>बलात्कार एवं बलात्कार अभिवृत्ति संबंधी अवधारणाएं</u>

3.3.1 बलात्कार का अर्थ

सामान्यतः बलात्कार का अर्थ महिला के बिना सहमती के योनि/गुदा, में लिंग के प्रवेश रूप में परिभाषित किया जाता है, परन्तु बलात्कार पीड़िता, महिला बलात्कार को अलग नजरिये से देखती व परिभाषित करती है। बलात्कार पीड़िता बलात्कार को अपने भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों और परिणामों के अंतर्गत परिभाषित करती है। नारीवादी लेखनों ने यह तर्क दिया है कि यौन हिंसा की व्यापकता लिंग असमानता के लिए योगदान देती है और लगातार पीड़िता या उन

महिलाओं पर जो बलात्कार से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हैं, उन महिलाओं के मन में डर पैदा करती हैं, साथ ही साथ बलात्कार पुरुषों के प्रभुत्व के यथास्थिति का समर्थन करता है ब्राउनमिलरै,1975)।

बलात्कार का शाब्दिक अर्थ है ''बलात् अर्थात् बलपूर्वक किया गया कोई कार्य'', लेकिन अपराधिक सन्दर्भ में, बलपूर्वक किए गये सभी कार्य बलात्कार नहीं है। वस्तुतः बलपूर्वक किसी महिला के साथ किया गया मैथुन या शारीरिक संसर्ग ही बलात्कार कहलाता है। बलात्कार की परिभाषा समय के साथ बदलती रहती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बलात्कार का अर्थ है कि किसी महिला के साथ उसकी सहमती के विरुद्ध, जबरदस्ती स्थापित किया जाने वाला यौन संबंध। भारतीय दंड संहिता की धारा – 375 और धारा 376 बलात्कार से ही संबंधित है। धारा 375 में जहां बलात्कार को परिभाषित किया गया है, वहीं धारा 376 में बलात्कार के लिए दिए जाने वाले दंड का प्रावधान है। बलात्कार दंड संहिता (आई० पी० सी० इंडियन पेनेल कोड) की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में महिला के साथ किया गया मैथुन, बलात्कार की श्रेणी में आता है। ये विशेष परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं: –

- स्त्री की इच्छा के विरुद्ध
- स्त्री को डरा–धमका कर
- स्त्री की सहमति के बिना
- बल प्रयोग करके
- स्त्री को भ्रमित करके
- स्त्री को बहला–फुसला कर

सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना अथवा उसे डरा–धमका कर किसी स्त्री के साथ किया गया सहवास,

बलात्कार के दायरे में आता है। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि किसी कन्या की आयु 16 वर्ष से कम हो तो उसके साथ उसकी सहमति से किया गया सहवास भी बलात्कार की ही श्रेणी में आता है। बलात्कार को एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें निम्नतम सहमति को देखा जा सकता है। जिसके अंतर्गत पुरुष महिला पर अत्यधिक डर का इस्तेमाल उसके विरुद्ध करता है एवं उसका शारीरिक एवं मानसिक शोषण करता है (ब्राउनमिलर, 1975)।

2013, निर्भया बलात्कार हत्याकाण्ड के बाद बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसे अपराधों के लिए नए और सख्त कानून बनाए गए हैं, उसके कुछ अहम् बिंदु इस प्रकार हैं :

बलात्कार की परिभाषा अब और अधिक विस्तृत कर दी गई है।

- 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ उसकी मर्जी या मर्जी के खिलाफ संबंध बलात्कार माना जाएगा।
- आईपीसी की धारा – 375 के तहत रेप के दायरे में जबरन शारीरिक संबंध बनाना या अप्राकृतिक संबंध बनाना, ओरल सेक्स आदि को रखा गया है। साथ ही, प्राइवेट पार्ट के पेनेट्रेशन के अलावा किसी अन्य चीज के पेनेट्रेशन को भी इस दायरे में रखा गया है।
- बलात्कार के वैसे मामले जिसमें पीड़िता कोमा में चली जाए या जख्मी होने के कारण उसकी मौत हो जाए, इसके लिए आईपीसी की धारा 376–ए का प्रावधान किया गया है, जिसमें कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा जीवन भर के लिए उम्रकैद या फिर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।
- सामूहिक बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376–डी का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद (अजीवन कारावास) की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर इस दौरान बलात्कार पीड़िता कोमा में चली जाए या उसकी मौत हो जाए तो अधिकतम फांसी की सजा लागू होगी।

- सीरियल रेपिस्ट के लिए आईपीसी की धारा 376–ई का प्रावधान किया गया है। इसके तहत उम्रकैद जिसमें आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।
- आई० पी० सी० में छेड़छाड़ के अपराध में सजा के दायरे को बढ़ा दिया गया है और आईपीसी की धारा–354 में कई सब–सेक्शन बनाए गए हैं। इनमें कई प्रावधान गैरजमानती कर दिए गए हैं।
- अगर किसी महिला के खिलाफ बल प्रयोग कर उसे निर्वस्त्र किया जाता है तो आईपीसी की धारा 354–बी के तहत 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।
- आईपीसी की धारा 354–सी के तहत वोयरिज्म (अश्लील हरकत देखकर आनंदित) के मामले में पीड़िता की शिकायत पर एक साल से लेकर 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। (इंडिया टाइम्स.कोम)

3.3.2 बलात्कार की परिभाषा :

बलात्कार एक ऐसा कृत्य है जिसे विभिन्न अपराधशास्त्रियों और विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। यहाँ हम कुछ महत्त्वपूर्ण बलात्कार संबंधी परिभाषाओं पर दृष्टिपात करेंगे।

बलात्कार को एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें निम्नतम सहमति को देखा जा सकता है। जिसके अंतर्गत पुरूष महिला पर अत्यधिक डर का इस्तेमाल उसके विरुद्ध करता है व उसका शारीरिक व मानसिक शोषण करता है।(ब्राउन मिलर,1975)

क्रिस्टीना हॉफ सौमर्स बलात्कार की लिंगमुक्त परिकल्पना की समर्थक हैं। सौमर्स के अनुसार यदि बलात्कार को लिंगीय पक्षपात या पित्रसत्ता की समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, यदि इस दृष्टिकोण से बलात्कार को देखा जाएगा तो इसके सही स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। बलात्कार अपराधियों द्वारा किये जा रहे हैं और वे अपने आचरण से पीड़िताओं का शोषण कर रहे हैं और इस व्यवहार से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सौमर्स बलात्कार को इंसान के विरुद्ध किये गये

अपराध का एक रूप मानती हैं और स्त्रियों के विरुद्ध किये गये बलात्कार एक उप–प्रकार है।

बलात्कार शब्द लैटिन भाषा के "रैपरे" शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ चोरी करना, जब्त करना या लूट लेने से है, अतः जब किसी पुरुष द्वारा अपनी यौन इच्छा की पूर्ति के लिए कोई पुरुष किसी महिला पर हमला करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करता है तो वह बलात्कार कहलाता है। जब कोई पुरुष बलात्कार करता है तो वह सार्वभौमिक रूप से प्रत्येक महिला के मन में बलात्कृत किये जाने का भय पैदा कर देता है (प्लासाक, 1968)।

जबकि अंग्रेजी शब्दकोश में बल का प्रयोग करके कुछ भी लेने अथवा छीन लेने के रूप में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। चिकित्सकों के मतानुसार कोई भी वयस्क किसी महिला का तब तक बलात्कार नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं न चाहती हो। इसका अर्थ यह है कि बलात्कार के लिए सम्पूर्ण संभोग की प्रक्रिया आवश्यक होती है। इस आधार पर बलात्कार को सामान्य रूप से अथवा कानूनी तौर पर परिभाषित किया जा सकता है (कुपर और कुपर, 1992)।

सामाजिक मनोविज्ञान ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि बलात्कार एक सार्वभौमिक घटना नही है। सन्दे द्वारा किये गए अपने अध्ययन में बलात्कार मुक्त समाजों की अवधारणा दी। जबकि नारीवादी विचारकों ने बलात्कार सम्बन्धी मुद्दों पर ताजा व नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। बलात्कार के संबंध में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर सामाजिक संस्थाओं, मिथकों, विश्वासों और दृष्टिकोणों के माध्यम से ढूंढे जा सकते हैं। इन्हीं के माध्यम से बलात्कार के कारणों की खोज की जा सकती है। बलात्कार की घटना व बलात्कार पीड़िता के प्रति भारतीय समाज की अभिवृत्ति का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए बलात्कार पर आधारित नारीवादी दृष्टिकोणों और अवधारणाओं को समझना न केवल आवश्यक है बल्कि यह बलात्कार के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। हालांकि सामाजिक विज्ञान समाज के अंतर्निहित है, इस कारण यह समाज के अनेक मुद्दों पर प्रकाश डालता है।

बर्ट ने बलात्कार को परिभाषित करते हुए कहा कि बलात्कार उन अपराधों में से एक है जहाँ बलात्कार उत्तरजीवी को बलात्कार के लिए दोषी ठहराया जाता है, 'बलात्कार अभिवृत्ति, स्वीकृति अवधारणा, जो बलात्कार समर्थित संस्कृति के अंतर्गत मान्यताओं व विश्वासों को परिभाषित करता है, यह अवधारणा सर्वप्रथम एम0 आर0 बर्ट ने दिया था। बर्ट ने बलात्कार की परिभाषा देते हुए कहा कि बलात्कार मिथक स्वीकृति, बलात्कार पीड़िता व दोषी के संबंध में घिसे पिटे पूर्वानुमान मिथक व रूढ़िवादी विचार होते हैं। बलात्कार मिथकों से जुड़े शोध में पाया गया है कि बलात्कार सहायक अभिवृत्ति रूढ़िवादी लिंग भूमिका को बढ़ाने में सहायक भूमिका निभाते हैं, साथ ही साथ यह पारस्परिक संबंधों में हिंसा को अधिक स्वीकृति प्रदान करने में घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं (बर्ट,1980)।

कहिला के अनुसार बलात्कार सिर्फ किसी भी शारीरिक गतिविधि में की गई अस्थायी बाधा नही है, न ही केवल एक अरुचिकर कामुक मुटभेड़ है। कहिला के अनुसार जब हम बलात्कार को मूर्त अंतर वैशेषिक सत्ता के उल्लंघन के तौर पर देखेंगे तब बलात्कार में अंतर्निहित सभी अनुभवों को दर्ज कर पाएंगे। इसलिए बलात्कार के परम्परागत भेदभाव स्व/पर, शरीर/बुद्धि/कामुकता/हिंसा/स्वायत्तता/निर्भरता के स्थान पर बलात्कार को एक मूर्त विषय के रूप में देखा जाना चाहिए।

जे० एच० बोगार्ट ने अपने लेख (ऑन दा नेचर ऑफ रेप) में बलात्कार की लिंग तटस्थ परिभाषा दी है। बोगार्ट के अनुसार "बलात्कार किसी व्यक्ति पर कामुकता के जरिये किया गया आक्रमण है। बलात्कार एक बलप्रयुक्त, मजबूरन, बिना इच्छा और बिना सहमति के किया जाने वाला सेक्स है"(बैनर्जी, 2017 में संदर्भित)।

लिज़ केली के अनुसार (2008) बलात्कार व्यक्तिगत अन्तरंग और मनोवैज्ञानिक सीमाओं का उलंघन हैं, मानव अधिकार की भाषा में बलात्कार मानव गरिमा का हनन है (रिचर्डसन, 2000)।

हॉल रुथ के अनुसार "बलात्कार कोई यौन अपराध न होकर एक हिंसक अपराध है क्योंकि यह सिर्फ शरीर पर किया गया हमला न होकर पीड़िता के सम्मान और उसके अस्तित्व पर किया गया आक्रमण भी है"(हॉलरुथ)।

भारत में बलात्कार को एक गंभीर अपराध के रूप में तब स्वीकृति मिली जब सन् 1860 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने बलात्कार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 377 में गंभीर अपराध के तौर पर शामिल किया। लेकिन सन् 1860 से पहले भारतीय हिन्दू न्यायशास्त्र में बलात्कार कोई भी संगीन अपराध नहीं था। हिन्दू कानून मूलतः 'मनुस्मृति' में निरूपित कानून पर आधारित था। 'मनुस्मृति' में कुल बारह अध्याय और 2,665 श्लोक हैं लेकिन बलात्कार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है और न ही इसमें सजा का कोई प्रावधान है। हालांकि मनुस्मृति में बलात्कार का कोई उल्लेख नहीं था उसके बावाजूद भी भारत में बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार लगातार होते रहे हैं। सन् 1947 में प्रकाशित 'टुवर्ड्स इक्वलिटीः रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वोमेन इन इंडिया' के अनुसार द मद्रास देवदासी प्रिवेंशन एंड देडीकेशन एक्ट ऑफ '1974' तथा 'द बॉम्बे देवदासी प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1954' लागू करने के बावजूद भारत में कई क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, मैसूर और उड़ीसा आदि में अब भी देवदासी प्रथा प्रचलित है। खास कर निम्न जाति की महिलाओं के परिवार द्वारा इसे धंधें में झोका जाता है (बैनर्जी, 2017)।

यहाँ भारतीय नारीवादियों द्वारा दी गई बलात्कार की परिभाषाओं पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है। एम० एन० अंसारी ने बलात्कार को परिभाषित करते हुए कहा कि "बलात्कार किसी महिला के साथ किया गया सबसे क्रूरतम अपराध है। इसके कारण पीड़िता को शारीरिक पीड़ा होने के साथ साथ उसे मानसिक वेदना भी होती है। बलात्कार के कारण पीड़ित महिला, जीवन भर अपराध–बोध से ग्रसित रहती है।" भारतीय समाजशास्त्री डा० राम आहूजा ने कहा "बलात्कार में पुरुष और स्त्री की आयु महत्त्वपूर्ण कारक होती है और युवावस्था इसे प्रेरित करने के मूल में होती है"।

प्रभा आप्टे ने बलात्कार की परिभाषा में अनेक आयामों का समावेश करने का प्रयास करते हुए कहा ″बलात्कार का संबंध अत्याचार से है लेकिन अत्याचार के बिना भी बलात्कार किया जा सकता है। किसी महिला के साथ धोखे से बलात्कार किया जा सकता है। किसी महिला को मजबूर करके या उसे डरा–धमका कर उसके साथ संभोग करने की सहमति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इस कृत्य को भी बलात्कार कहा जाता है जबकि यहाँ किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है"(आप्टे)।

राम आहुजा ने बलात्कार के संबंध में कहा कि ″बलात्कार में पुरुष और स्त्री की आयु एक महत्त्वपूर्ण कारक होता है और युवावस्था इसे प्रेरित करने में मूल रहती है।

वी० पी० शर्मा ने बलात्कार को परिभाषित करते हुए दृष्टिकोण को ध्यान में रखा और कहा कि ″अधिकतर बलात्कार, परिस्थितियों से सम्बंधित होते है। गरीब कन्याओं, मध्यम वर्ग की महिला कर्मचारियों और श्रमिक औरतों के साथ बलात्कार की घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। इंडियन पेनल कोड की धारा–375 के तहत रेप को परिभाषित किया गया है। कानून के तहत अगर किसी महिला के साथ कोई पुरुष जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो वह रेप होगा। महिला के साथ किया गया यौनाचार या दुराचार दोनों ही रेप के दायरे में होगा।

रेप के लिए आई० पी० सी० की धारा–376 के तहत कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है। आई० पी० सी० की धारा–376–ए के तहत प्रावधान किया गया है कि अगर रेप के कारण महिला वेजिटेटिव स्टेज (मरने जैसी स्थिति) में चली जाए तो दोषी को अधिकतम फांसी की सजा हो सकती है। गैंग रेप के लिए 376–डी के तहत सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रभर के लिए जेल (नेचरल लाइफ तक के लिए जेल) का प्रावधान किया गया। अगर कोई शख्स रेप के लिए पहले भी दोषी करार दिया गया हो और दोबारा रेप या

गैंग रेप के लिए दोषी पाया जाता है तो 376–ई के तहत उसे उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है (http%//www-अमरउजाला.कोम)।

अतः इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बलात्कार एक शारीरिक हिंसा होने के साथ साथ एक सामाजिक हिंसा भी है। और एक व्यक्तिगत हिंसा के साथ–साथ एक सार्वजनिक हिंसा भी है। हालांकि बलात्कार दो व्यक्तियों अथवा कुछ व्यक्तियों के बीच (सामूहिक बलात्कार) घटित होता है परन्तु इसके परिणाम पीड़िता, परिवार और समाज पर भी पड़ता है।

3.4 बलात्कार पीड़िता (Rape Victim) :

बलात्कार पीड़ित कोई भी हो सकता है पुरुष और महिला दोनों ही बलात्कार के पीड़ित हो सकते हैं। वर्तमान समय में पुरुषों के साथ भी बलात्कार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। परन्तु पुरुष बलात्कार पीड़ितों को महिला पीड़ितों की तरह नहीं देखा जाता है और पुरुष भी स्वयं को बलात्कार पीड़ित स्वीकार नहीं करते हालांकि पुरुषों को भी बलात्कार के कारण शारीरिक और मानसिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है परन्तु महिला बलात्कार पीड़िता को पुरुषों की अपेक्षा बलात्कार के कारण अत्यधिक शारीरिक और मानसिक अघात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बलात्कार के कारण पीड़िता न केवल शारीरिक रूप से आहत होती है वरन् मानसिक तौर पर भी अत्यधिक रूप से टूट जाती है और बलात्कार के परिणाम स्वरूप पड़ने वाले कुप्रभाव पीड़िता को शारीरिक अघात के साथ ही मानसिक, सामाजिक और कभी कभी आर्थिक रूप से भी प्रभावित करते हैं। लेविस हर्मन ने अपनी पुस्तक ट्रोमा एंड रिकवरी में लिखा है कि बलात्कार के दौरान स्त्रियों को एसा लगता है कि वे विकलांगता और मृत्यु का सामना कर रही हैं। (हर्मन,1992)

3.5 बलात्कार मिथक (Rape Myths) :

1970 में समाजशास्त्रियों द्वारा बलात्कार मिथकों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था (श्वाइन्डरर और श्वाइन्डरर, 1974) और नारीवादी कार्यकर्ता (ब्राउनमिलर, 1975) ने जब प्रारंभ में यह अध्ययन किया था, तब बलात्कार मिथकों

अन्य निर्माणों के साथ जोड़ कर देखा जा रहा था। जैसे कि लर्नर की (1980) अवधारणा–ही विश्व मान्यताओं (जस्ट वर्ल्ड थ्योरी) और रयान (1976) ने अपनी परिकल्पना में पाया कि बलात्कार मिथक पीड़िता को दोषारोपण करने और बलात्कार के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने को न्यायसंगत ठहराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि दूसरी ओर लग रहा था कि बलात्कार मिथक और पीड़िता को दोषी ठहराने की धारणा एक साथ काम करती है (पायने, लॉन्सवे और फिजराल्द, 1999)।

बलात्कार मिथक यौन उत्पीड़न, बलात्कारी और बलात्कार पड़िता के संबंध में गलत और रूढ़िवादी पूर्वाभ्यास विश्वास हैं जो गलत और रूढ़िवादी होते हैं। लोंग्स्वे और फिट्ज्गेराल्ड 1994 ने बलात्कार मिथकों को परिभाषित करते हुए कहा कि "बलात्कार मिथक वे अभिवृत्ति और विश्वास हैं जो सामान्यतः झूठे होते हैं" इसके बावजूद भी यह व्यापक स्तर पर सभी समाजों में पाया जाता है । बलात्कार मिथक पुरुषों द्वारा महिला पर किये गए यौन आक्रमण को सही ठहराने का काम करते हैं (स्च्वेंडिगर एवं स्च्वेंडिगर, 1974)। बलात्कार मिथक विभिन्न संस्कृति और रूढियों से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि पारंपरिक लिंग भूमिकाएं, पारस्परिक हिंसा की स्वीकृति और यौन उत्पीड़न की प्रकृति के संबंध में होने वाली गलतफहमी से उत्पन्न होती हैं। किसी भी समाज में बलात्कार मिथक के कारण पीड़िता को दोषी ठहराने और कलंक लगाने में अहम् भूमिका निभाते हैं। बलात्कार मिथकों के कारण ही बलात्कार उत्तरजीविता के पुनर्वास में अत्यधिक समस्याएं आती हैं। (बर्ट,1980)

इलिनोइस बलात्कार मिथक स्वीकार्यता स्केल (IRM) के डेवलपर्स ने अपने 45–आइटम (मदों) स्केल को बनाने के लिए 95 बलात्कार मिथकों के समूहों का विश्लेषण किया। निम्नलिखित मिथक विभिन्न सर्वेक्षणों का हिस्सा थे।

- अगर एक महिला अपनी पहली ही मीटिंग में एक आदमी के घर जाती है, तो वह सेक्स करने को तैयार है।
- छोटे, भड़काऊ या आधुनिक पोशाक पहनने से भी महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

- कोई भी स्वस्थ महिला बलात्कारी का सफलतापूर्वक विरोध कर सकती है यदि वह वास्तव में चाहती है तो।
- अधिकतर महिलाएं प्रेमी या पुरुषों के मुकरने के बाद अपनी गर्भावस्था के संबंध में झूठे आरोप लगाती हैं।
- यदि महिला शराब का सेवन करती है और यदि उसका बलात्कार हो जाए तो महिला बलात्कार के लिए बराबर की दोषी होती है।
- कुछ महिलाओं को सबक सिखाने के लिए बलात्कार किया जाना चाहिए ।
- यदि कोई महिला विवाहपूर्व यौन सम्बंध रखती है तो अन्य पुरुष भी उसके साथ बलात्कार कर सकते हैं ।
- अच्छी महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होता है ।
- बलात्कार के लिए महिला भी बराबर की जिम्मेदार होती है ।
- महिलाएं बलात्कार का आनंद लेती हैं।

उपरोक्त प्रकार के मिथक बलात्कार पीड़िताओं के संघर्षों को अत्यधिक कठिन कर देते हैं । बलात्कार मिथक पीड़िता को और अधिक अवसाद की स्थिति में डालते हैं। बलात्कार पीड़िता अपने आस पड़ोस, सगे सम्बन्धियों से कट जाती है और पुनः सामान्य होने में अत्यधिक समय लगता है (लोंग्स्वे एवं स्च्वेंडिगर, 2011) में उद्घृत।

3.6 बलात्कार अभिवृत्ति (Rape Attitude) :

समाज का प्रत्येक सदस्य अपने अभिवृत्ति के निर्माण हेतु सामाजिक ज्ञान को एक श्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अतः बलात्कार की घटना से सम्बन्धित दोषी, पीड़िता के परिवार के सदस्य, साथ ही साथ पुलिस, मुवक्किल व न्यायाधीश स्वयं भी इस अभिवृत्ति से खुद को अलग नहीं रख पाते हैं। अतः सभी व्यक्तियों व समाज का व्यवहार इन्हीं नकारात्मक अभिवृत्तियों से नियंत्रित व निर्धारित होते हैं, और यह अभिवृत्तियां न्याय की प्रक्रिया व घटना के संबंध में निर्णय लेने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अभिवृत्ति किसी वस्तु या व्यवहार का सारांश मूल्यांकन है। अभिवृत्ति की तीन घटकों के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। 1. आवेग संबंधी, 2.संज्ञानात्मक 3. व्यवहार सामान्यतः सभी समाजों में महिलाओं के संबंध में जब कोई निर्णय लिया जाता है तो, पुराने और बेहद रूढ़िवादी पूर्वानुमानों से प्रभावित हो कर पक्षपात पूर्ण निर्णय लिया जाता है और बलात्कार की घटनाओं में दोषी के बजाय पीड़िता को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बलात्कार दोषियों को अदालतों द्वारा यह कह कर बरी कर दिया जाता है कि पीड़िता ने बलात्कार के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाई, पीड़िता शारीरिक रूप से घायल नहीं हुई है, वह यौन रूप से सक्रिय थी साथ ही साथ पीड़िता ने स्वेच्छा से सेक्स के लिए सहमति दी थी।

विभिन्न रिपोर्ट किये गये मामले दुःख व क्रोध को भड़काते हैं साथ ही पीड़िता के प्रति दया भी उत्पन्न करते हैं। बलात्कार अभिवृत्ति पीड़िता व दोषी दोनों मे पाए जाते हैं, अभिवृत्ति को मानने वालों में किशोरों की संख्या अधिक रही है। इस संबंध में यह माना जाता है कि बलात्कार पीड़िता को, बलात्कार पीड़ित नहीं संबोधित करना चाहिए, इसके बावजूद भी हम पीड़ित के प्रति सहानुभूति और दुर्भाग्यपूर्ण अभिवृत्ति रखते हैं। बलात्कार अभिवृत्ति, स्वीकृति अवधारणा, जो बलात्कार समर्थित संस्कृति के अंतर्गत मान्यताओं व विश्वासों को परिभाषित करता है, यह अवधारणा सर्वप्रथम एम0 आर0 बर्ट ने दिया था। (बर्ट,1980)। पुरुषों की तुलना में महिलायें बलात्कार पीड़िता के प्रति अधिक अनुकूल व्यवहार रखती हैं जो कि लिंग भेद को दर्शाता है (वार्ड,1988)   अभिवृत्ति का निर्माण सामाजिक मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में जानी जाती है। जब से सामाजिक मनोविज्ञान विषय की शुरूआत हुई है, तब से ही अभिवृत्ति इसके मुख्य घटक के रूप में विद्यमान रहा है। वास्तव में सामाजिक मनोविज्ञान अभिवृत्ति के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है (क्रोसनिक एवं अन्य, 2005)।

3.7 बलात्कार अभिवृत्ति मापन के स्केल (Rape attitude Measurement Scale):

बलात्कार समर्थक अभिवृत्ति स्केल का उद्देश्य उन व्यवहारों को मापना है जो बलात्कार पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति समाज में विद्यमान है, अथवा बलात्कार के लिए पीड़िता को दोषारोपण के रूप में जो मान्यता होती है जिसमें

बलात्कार और बलात्कारियों के बारे में झूठी मान्यताएं शामिल हैं। इस पैमाने के अंतर्गत सात प्रकार के विश्वासों को मापा जा सकता है जो बलात्कार, बलात्कार पीड़िता एवं बलात्कारी के संबंध में रखी जाने वाली मान्यताएं हैं। (1) महिलाओं को यौन हिंसा का आनंद मिलता है, (2) महिलायें बलात्कार के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, (3) शक्ति के बजाए संभोग बलात्कार के लिए प्राथमिक प्रेरणा होती है। (4) बलात्कार केवल कुछ विशेष प्रकार की महिलाओं के साथ होता है। (5) एक महिला बलात्कार के बाद कम वांछनीय होती है। (6) कई महिलायें बलात्कार के दावों की झूठी रिपोर्ट करवाती है और (7) कुछ स्थितियों में बलात्कार उचित है। (बर्ट, 1980, मरोल्ला एवं स्कुल्ली, 1982 रसेल, 1975 विलियम्स एवं होल्मेस, 1981) शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया कि इन मान्यताओं ने न केवल बलात्कार को बढ़ावा दिया बल्कि 'बलात्कार उत्तरजीवियों' के पुनर्स्थापना की प्रक्रिया को गंभीर रूप से बाधित किया है और साथ ही इस प्रक्रिया को और लम्बी और जटिल बना देती है (सी० डब्लू० रॉउतेलज.कोम)।

बर्नेट एवं फील्ड (1977), बर्ट (1980), कोस (1981) एवं व्हीलर एवं उठीगार्ड (1984) द्वारा विकसित बलात्कार अभिवृत्ति मापने वाले उपाय से 40 आइटमों के एक समूह से बलात्कार सहायक आइडेंट स्केल विकसित किया गया था। पैमाने के लिए चुने गए 20 आइटम दो मापदण्डों से मिलते हैं : (1) मदों की सामग्री वैध है अथवा नहीं (यानी, वे ऊपर सूचीबद्ध सात बलात्कार और बलात्कार पीड़िता संबंधित मान्यताओं में से एक का आंकलन करते हैं), और (2) इन सात आइटमों, सात आइटमों के प्रतिक्रिया के रूप में पांच विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों के आधार पर बलात्कार अभिवृत्ति का सहसंबंध देखा जाता है। ये पांच विकल्प लिकर्ट पैमाने के विकल्पों में से एक हैं जो निम्न हैं : (1) दृढ़ता से असहमत (2) असहमत (3) अनिश्चित (4) सहमत (5) या दृढ़ता से सहमत (लोट्स,1991)।

बलात्कार संबंधी अभिवृत्तियों को मापने के लिए अनेक प्रकार के स्केलों को विकसित किया गया है। यहाँ बलात्कार अभिवृत्ति को मापने के लिए प्रयोग किये गये प्रमापों पर चर्चा करेंगे जो निम्नलिखित हैं।

3.8 बलात्कार अभिवृत्ति और विश्वास स्केल (Rape Attitudes and Beliefs Scale) (RAB)

बर्गेस द्वारा स्थापित स्केल के अंतिम संस्करण हैं जिसमें 50 आइटम शामिल हैं और वर्तमान में अभिवृत्ति मापन के अध्ययनों के विश्लेषण में प्रयोग किया गया है।

1. तर्कसंगतता इसके अंतर्गत 10 आइटम शामिल होते हैं जिसके आधार पर महिलाओं के प्रति किये जाने वाले यौन हमलों, हिंसा और बलात्कार जैसे व्यवहारों को तर्कसंगत ठहराया जाता है।
2. दोष में शामिल होना (बेलेम कॉनटैंस) इसमें 11 आइटम शामिल किया गया हैः इसके अंतर्गत यौन हिंसा और बलात्कार के लिए अपराधी को दोष देने के बजाय पीड़िता पर दोषारोपण किया जाता है और महिलाओं के मोहक व्यवहार को जिम्मेदार ठहराया जाता है।
3. स्थिति (स्टेटस) में 13 आइटम शामिल हैं जो यह दर्शाता है कि यौन उत्पीड़न और सामाजिक स्थिति के बीच सहसंबंध है, जिसे पुरुषों के साथी समूह द्वारा (विशेष प्रकार से यौन व्यवहार और स्थिति को) प्राप्त करने के लिए दबाव डाला जाता है।
4. रणनीति (टैक्टिस) के अंतर्गत एक महिला से जबरदस्ती यौन अनुपालन प्राप्त करने के 8 आइटम शामिल किये गए हैं साथ ही इसमें शराब सेवन भी शामिल किया गया है।
5. लिंग (जेंडर) में 10 आइटम शामिल हैं इसके अंतर्गत परम्परागत लिंग भूमिकाओं और चीजों को नापसंद करने की प्रवृत्ति का पालन करते हैं।

संज्ञा (RABS) में आइटमों के प्रति प्रतिक्रियाओं को मापने के लिए 4 विकल्पों का प्रयोग किया जो कोड के रूप में प्रस्तुत किया गया था जैसे : (1) दृढ़ता से सहमत (2) आंशिक सहमत (3) आंशिक असहमत और (4) दृढ़ता से असहमत।

3.9 स्थितिगत बलात्कार प्रक्रियात्मकता स्केल (Situational Rape Proclivity Scale (SRPS)

(SRPS) इस मापन स्केल में सात आइटम को शामिल किया गया है। इस स्केल को मलामुथ (1981) से ग्रहण किया गया है। इस स्केल में किसी महिला के

सहमति के बिना सेक्स करने के संबंध में कुछ परिस्थितियों को शामिल किया गया है, जिसमें ऐसा करने पर कोई दंड अथवा जुर्माना नहीं देना होगा। इसके अंतर्गत जवाब 4 बिन्दु के पैमाने पर दिए गए थे या तो (1) नहीं सभी संभावना पर, (2) संभव, लेकिन संभावना नहीं, (3) काफी संभावना है, और (4) बहुत संभावना है। संभावना है कि उच्च अंक मिले, जो यह साबित करता है बलात्कार के लिए एक बड़ी प्रबलता से संकेत मिलता है।

3.10 यौन आक्रामक इतिहास प्रश्नावली (Sexually Aggressive History Questionnaire (SAHQ)

इसमें 2 आइटम शामिल हैं (1) क्या कॉलेज के पुरुषों का अतीत यौन आक्रामक–युक्त था। (कोस एवं ओरोस (1982) ने अपने इस मापन में यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, अतः इसमें आक्रामक यौन अतीत को, बिना सहमति के बलपूर्वक सेक्स करने को स्वतंत्र रूप से सहमति के तौर पर परिभाषित किया गया है। इन घटकों को समाहित किया गया (1) क्या आपने किसी महिला के (मौखिक अथवा अन्य) संकेतों को नजरअंदाज किया कि वह आप के साथ संभोग नहीं करना चाहती, और उसकी सहमति के बिना भी आपने संभोग करने के लिए उस पर दबाव बनाया (2) क्या आपने किसी महिला की संभोग के लिए सहमति उसे डरा धमका के लेने का प्रयास किया है? इस खण्ड में जवाब प्राप्त करने के लिए 4 विकल्पों का प्रयोग किया गया है। (1) कभी नहीं (2) एक बार (3) दो बार और (4) दो से अधिक बार (बर्गेस 2007, कोस एवं क्रोस, 1982)।

3.11 बलात्कार और पीड़िता की सहमतिः

बलात्कार की घटना में पीड़िता की सहमति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह निर्धारण करने में कि कोई भी सहवास बलात्कार है अथवा नहीं। अधिकतर बलात्कार की परिभाषाओं एवं बलात्कार की विधिक परिभाषाओं में पीड़िता की सहमति के आधार पर किसी संभोग की क्रिया को बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। बलात्कार के प्रत्येक मामले में मैथुन या सहवास के लिए स्त्री की सहमति अत्यंत महत्त्व रखती है। सहवास के लिए स्त्री की सहमति होती है

तो इस कृत्य को बलात्कार नहीं माना जाता है लेकिन स्त्री की सहमति के बिना (जबरन) यौन संबंध स्थापित करने को बलात्कार के अंतर्गत माना जाता है।

इस सन्दर्भ में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक स्त्री को यह अधिकार है कि वह किसी पुरुष के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के दौरान, सहवास के लिए अपनी सहमति कभी भी वापस ले सकती है। उदहारण के लिए, अविवाहित स्त्री और पुरुष परस्पर सहमति से यौन संबंध स्थापित करते हैं और कई बार ऐसा करने के उपरान्त यदि स्त्री अपनी सहमति न दे तो इसके बाद जो संबंध स्थापित होगा वह बलात्कार की श्रेणी में आयेगा। जबकि इससे पहले स्थापित संबंध, किये गए शारीरिक संबंध, किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आयेगा। यहाँ यह बताना प्रासंगिक होगा कि यदि कोई नाबालिग लड़की, सहवास के लिए अपनी सहमति दे तो भी उसके साथ बनाए गए शारीरिक संबंध, बलात्कार की श्रेणी में ही आयेगा। किसी नाबालिग लड़की के साथ उसकी सहमति से बनाए शारीरिक संबंध को संविधिक बलात्कार अथवा गैरकानूनी सहवास भी कहा जाता है।

यदि पति अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना अथवा जोर–जबरदस्ती से यौन संबंध स्थापित करता है तो इस कृत्य को भारतीय कानून के अनुसार बलात्कार नहीं माना जाता है। 2006 में लागू किये गए 'घरेलू हिंसा निरोधक' कानून के बाद पति का यह कृत्य, घरेलू हिंसा के दायरे में जरूर आ जाता है। लेकिन कुछ देशों में इसे बलात्कार की श्रेणी में न रख कर शरीर पर आक्रमण कहा जाता है (निशांत, 2010)।

पिछले दो दशकों में भारत में भी बलात्कार संबंधी अनेक अध्यन हुए हैं एवं इन अध्ययनों में नारीवादी सिद्धातों का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध में बलात्कार पीड़िता के प्रति समाज की अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है, जिसके अंतर्गत अभिवृत्ति संबंधी सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का प्रयोग किया जाएगा और बलात्कार एवं पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का विश्लेषण करते हुए महिलाओं के प्रति होने वाली बलात्कार की घटनाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयामों को पहचानने का प्रयास किया गया है।

चतुर्थ अध्याय

बलात्कार पीड़िता के प्रति नगरीय समाज की अभिवृत्ति का मापन

चतुर्थ अध्याय

बलात्कार पीड़िता के प्रति नगरीय समाज की अभिवृत्ति का मापन

4.1 उत्तरदाताओं का वयैक्तिक परिवेश

प्रस्तुत शोध अध्याय में 400 उत्तरदाताओं के सामान्य विवरण से परिचय कराया गया है। मूलतः साक्षात्कार में शामिल होने वाले उत्तरदाताओं की आयु, धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक एवं पारिवारिक संरचना से संबंधित प्रश्न पूछे गये हैं। ये सभी आयाम उत्तरदाताओं के अभिवृत्ति के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः प्रस्तुत शोध 400 उत्तरदाताओं का सामान्य विवरण इस अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

आयुवार उत्तरदाताओं का विवरण

सारणी सं० 4.1

उत्तरदाताओं की आयु वर्षों में	उत्तरदाताओं की कुल संख्या प्रतिशत में	उत्तरदाताओं की कुल संख्या
18—25	18.50%	74
26—30	26.75%	107
31—35	25.75%	103
36—40	18.75%	75
40 से अधिक	10.25%	41
कुल योग	100%	400

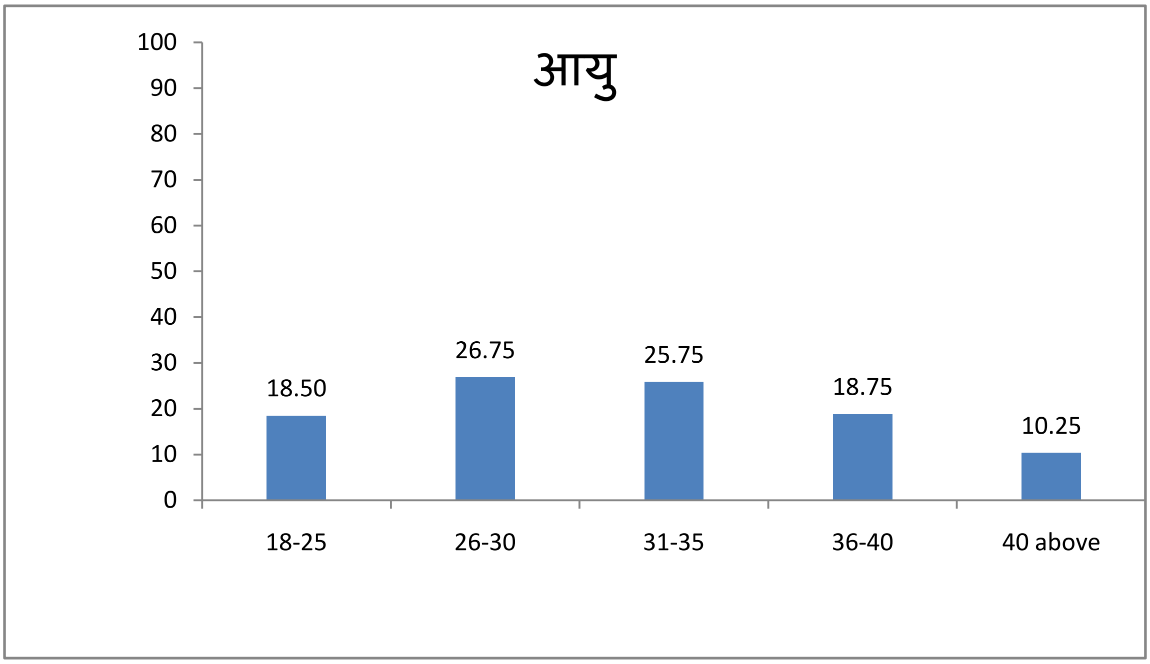

चित्र संख्या 4.1

4.1 सारणी से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं के आयु का विवरण लगभग सभी आयु समूहों तक है। परन्तु अधिकतर उत्तरदाता दो आयु वर्ग समूहों में से ही हैं। 26.75 प्रतिशत उत्तरदाता 26–30 आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं एवं 25.75 प्रतिशत 31–40 आयु वर्ग से संबंधित हैं जबकि 36–40 वर्ग समूह से 18.75 प्रतिशत एवं 18–25 आयु वर्ग समूह से 18.50 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हुए हैं। सबसे कम उत्तरदाता 40 से अधिक आयु वर्ग से सम्मिलित हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि बलात्कार एक संवेदनशील विषय है। अधिक आयु के उत्तरदाता इस विषय पर बात करने में असहज महसूस करने के कारण इस साक्षात्कार अनुसूची को भरने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो रहे थे जबकि युवा वर्ग के लोगों ने इस साक्षात्कार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बलात्कार के संबंध में अभी भी आम जन चर्चा करने में असहजता महसूस करते हैं।

उत्तरदाताओं का व्यवसायवार विवरण

सारणी सं० 4.2

उत्तरदाताओं का व्यवसाय	उत्तरदाताओं की कुल संख्या प्रतिशत में	उत्तरदाताओं की कुल संख्या
बेरोजगार	4.75%	19
सरकारी नौकरी	7.50%	30
गैर सरकारी नौकरी	26.25%	105
व्यवसाय	19.00%	76
विद्यार्थी	12.75%	51
गृहणी	22.00%	88
अन्य	7.75%	31
कुल योग	100%	400

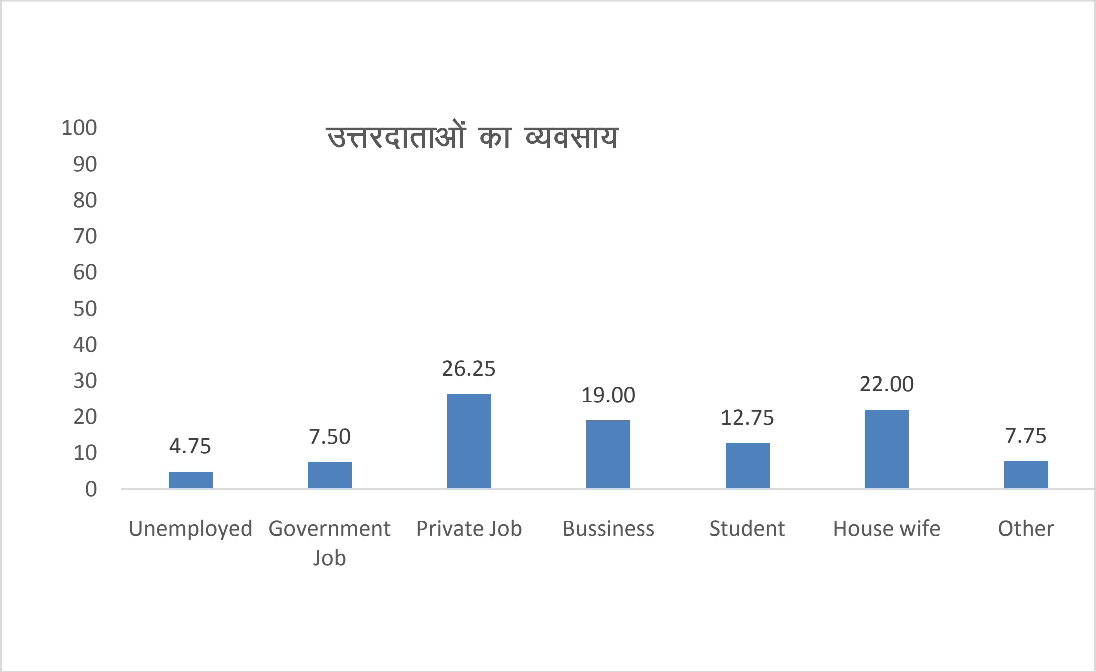

चित्र संख्या 4.2

सारणी 4.2 से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत अभिवृत्ति मापन के साक्षात्कार में सर्वाधिक प्रतिशत 26.25 गैर सरकारी नौकरी करने वालों का है, जबकि गृहणियों का प्रतिशत 22.00 है। इसके अलावा भी अन्य उपजीविका क्षेत्रों से भी संबंधित उत्तरदाताओं के अभिवृत्ति का मापन किया गया है। अत्यधिक भिन्नता होने के

कारण लगभग सभी आयामों से अभिवृत्ति का मापन किया गया है। समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के अभिवृत्ति के निर्माण में उसके द्वारा किये जाने वाले कार्य और प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है। अतः बलात्कार पीड़िता के प्रति भिन्न भिन्न उपजीविका हेतु कार्य करने वाले लोगों की अभिवृत्ति के मापन हेतु इसे शोध अध्ययन में एक महत्त्वपूर्ण आयाम माना गया है, ताकि पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति के बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें।

उत्तरदाताओं की आर्थिक परिस्थिति अनुसार विवरण

सारणी सं० 4.3

उत्तरदाताओं की आर्थिक परिस्थिति	उत्तरदाताओं का कुल योग प्रतिशत में	उत्तरदाताओं की कुल संख्या
अति उच्च वर्ग	2.00%	8
उच्च वर्ग	12.75%	51
मध्यम वर्ग	65.00%	260
निम्न वर्ग	20.25%	81
कुल योग	100%	400

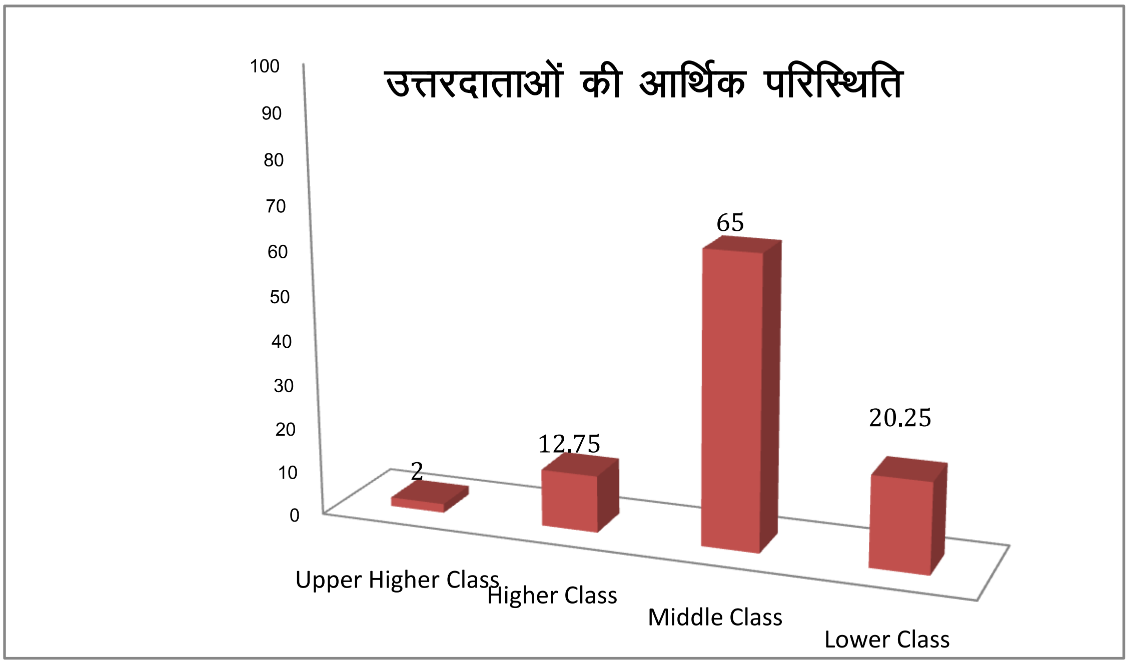

चित्र संख्या 4.3

सारणी 4.3 को देखने से यह पता चलता है कि 400 उत्तरदाताओं में से 65.00 प्रतिशत उत्तरदाता मध्यम वर्ग से हैं, जो सर्वाधिक संख्या है। 20.25 प्रतिशत निम्न वर्ग, 12.75 प्रतिशत उच्च वर्ग एवं सबसे कम 2.00 प्रतिशत अति उच्च वर्ग से हैं।

उत्तरदाताओं का पारिवारिक स्वरूपानुसार विवरण

सारणी सं० 4.4

उत्तरदाताओं का पारिवारिक स्वरूप	उत्तरदाताओं का कुल योग प्रतिशत में	उत्तरदाताओं की कुल संख्या
संयुक्त परिवार	58.50%	234
एकांकी परिवार	28.00%	112
विस्तृत परिवार	13.00%	52
अन्य	0.50%	2
कुल योग	100%	400

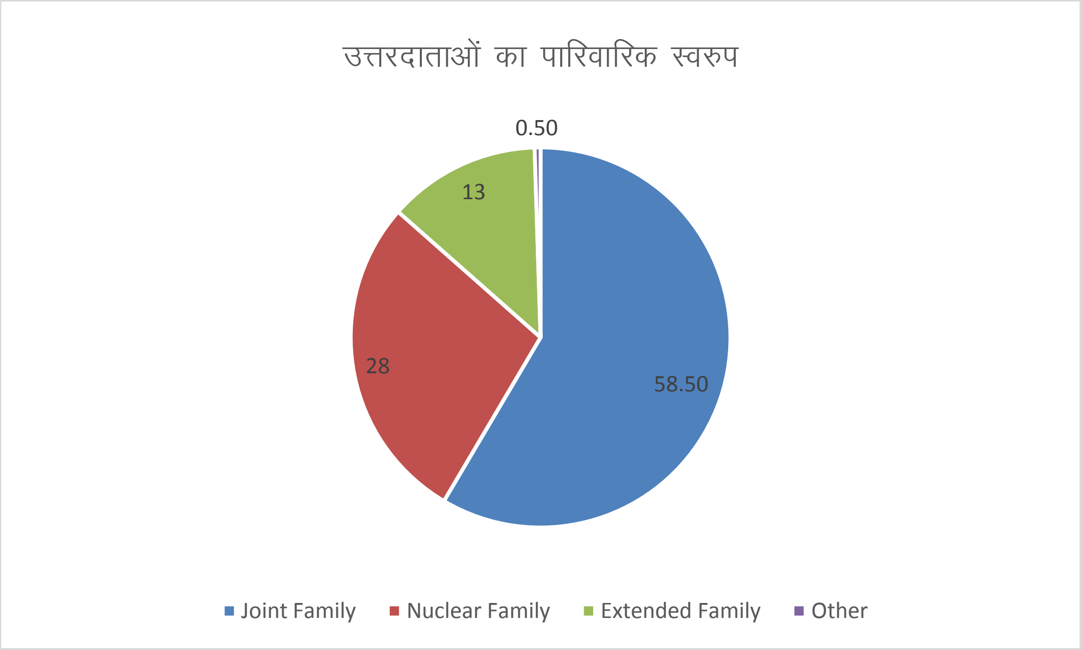

चित्र संख्या 4.4

उपरोक्त सारणी 4.4 से स्पष्ट होता है कि 400 उत्तरदाताओं में से 58.50 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार से हैं जबकि 28.00 प्रतिशत एकांकी परिवार, 13. 00 प्रतिशत विस्तृत परिवार एवं 0.50 प्रतिशत अन्य प्रकार के पारिवारिक स्वरूप से संबंधित है। यह तालिका यह भी प्रदर्शित करती है कि लखनऊ जिले में अभी भी अधिकतर लोग संयुक्त परिवारों में ही रहते हैं और विस्तृत परिवार भी अपनी मजबूत स्थिति में हैं।

उत्तरदाताओं का धर्मानुसार विवरण

सारणी सं० 4.5

उत्तरदाताओं का धर्म	उत्तरदाताओं का कुल योग प्रतिशत में	उत्तरदाताओं की संख्या
हिन्दू	63.25%	253
मुस्लिम	27.50%	110
सिक्ख	7.00%	28
इसाई	2.25%	9
कुल योग	100%	400

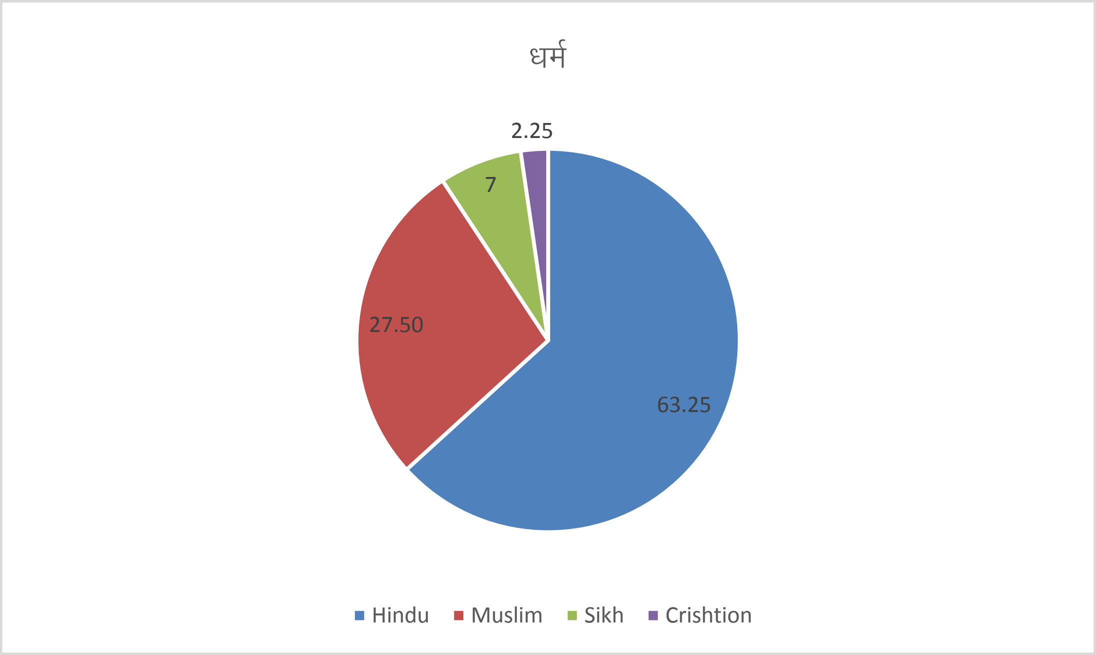

चित्र सं० 4.5

उपरोक्त सारणी यह दर्शाती है कि 400 में से 63.25 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं जबकि 27.50 उत्तरदाता मुस्लिम, 7 प्रतिशत सिक्ख एवं 2.25 प्रतिशत इसाई धर्म को मानने वाले हैं। लखनऊ जिले की जनसंख्या में अधिकतर हिन्दू एवं मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है।

उत्तरदाताओं का जातिवार विवरण

सारणी सं० 4.6

उत्तरदाताओं की जाति	उत्तरदाताओं का कुल योग प्रतिशत में	उत्तरदाताओं की कुल संख्या
सामान्य	47.00%	188
पिछड़ा वर्ग	15.00%	60
अनुसूचित जाति	17.00%	68
अनुसूचित जनजाति	0.50%	2
अल्पसंख्यक	20.50%	82
कुल योग	100%	400

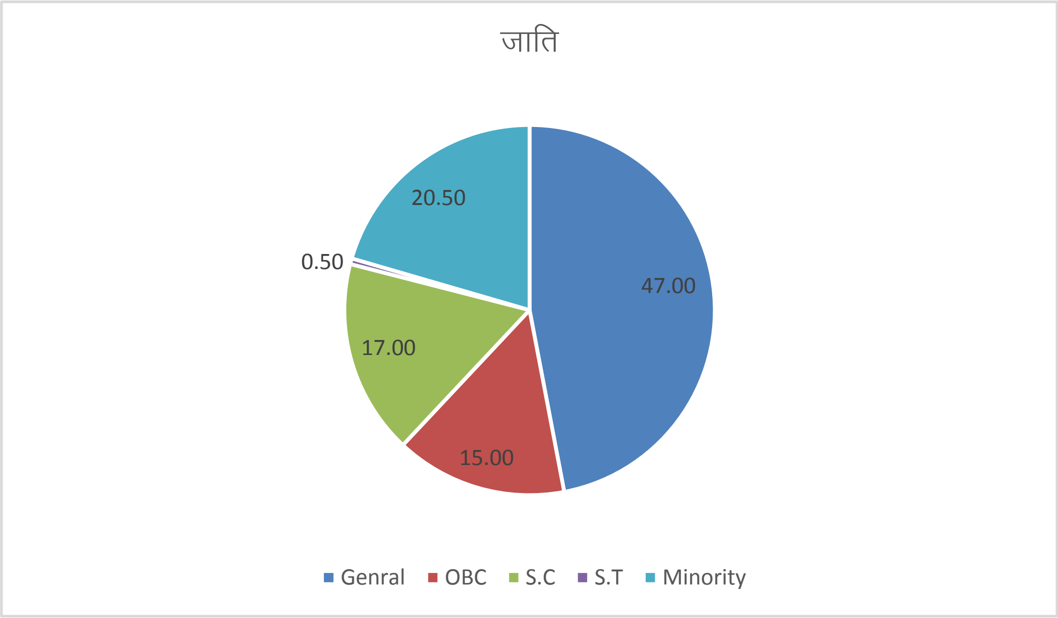

चित्र सं० 4.6

प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट होता है कि 400 उत्तरदाताओं में 47 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य वर्ग से हैं जो कि काफी बड़ा प्रतिशत है। दूसरा बड़ा प्रतिशत अल्पसंख्यकों का है जिसमें मुस्लिम उत्तरदाताओं की संख्या सिक्खों की अपेक्षा अधिक है। 17 प्रतिशत दलित उत्तरदाता हैं। 400 उत्तरदाताओं में अनुसूचित जनजाति से मात्र 0.50 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मलित हुए हैं।

<u>उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति अनुसार विवरण</u>

<u>सारणी सं० 4.7</u>

उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति	उत्तरदाताओं का कुल योग प्रतिशत में	उत्तरदाताओं की कुल संख्या
विवाहित	67.75%	271
अविवाहित	29.50%	118
तलाकशुदा	1.25%	5
विधवा/विधुर	1.25%	5
अन्य	0.25%	1
कुल योग	100%	400

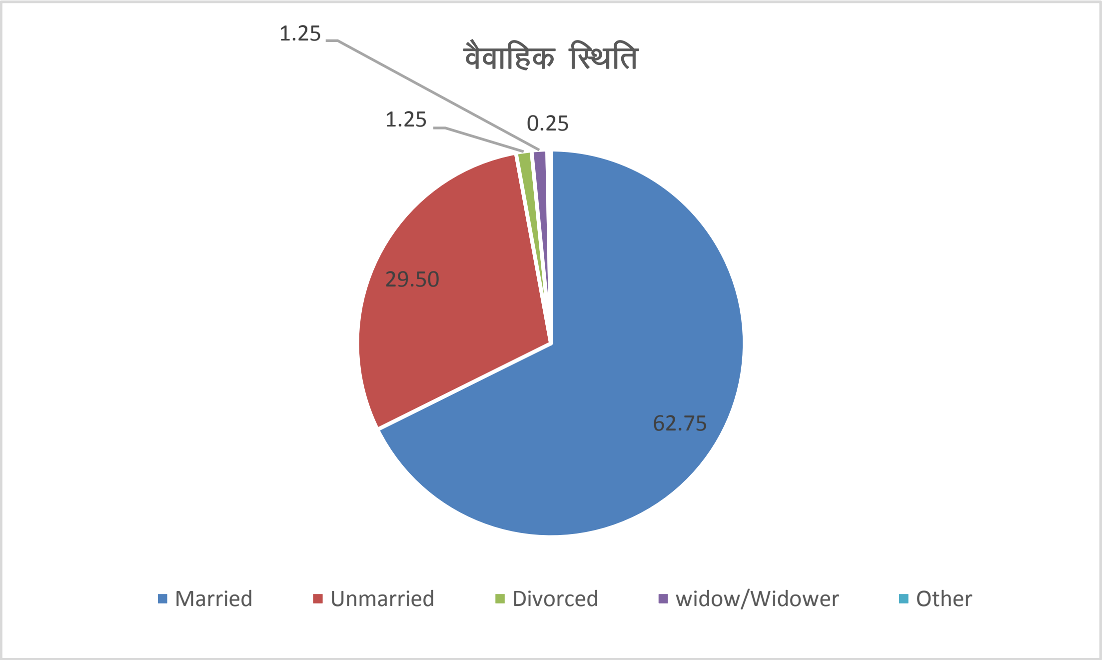

चित्र सं० 4.7

400 उत्तरदाताओं में विवाहित लोगों का प्रतिशत 67.75 प्रतिशत है जो तीन तिहाई से अधिक हैं। अविवाहित उत्तरदाताओं का प्रतिशत 29.50 प्रतिशत है, विधुर एवं विधवा और तलाकशुदा उत्तरदाताओं का प्रतिशत बराबर है जबकि अन्य वैवाहिक स्थिति वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत मात्र 0.25 प्रतिशत है।

शैक्षिक स्थिति के अनुसार उत्तरदाताओं का विवरण

सारणी सं० 4.8

उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति	उत्तरदाताओं का कुल योग प्रतिशत में	उत्तरदाताओं की कुल संख्या
अशिक्षित	2.00%	8
प्राथमिक स्तर	5.00%	20
इन्टर	31.00%	124
बी०ए०	40.00%	160
एम० ए०	18.00%	72
अन्य	4.00%	16
कुल योग	100%	400

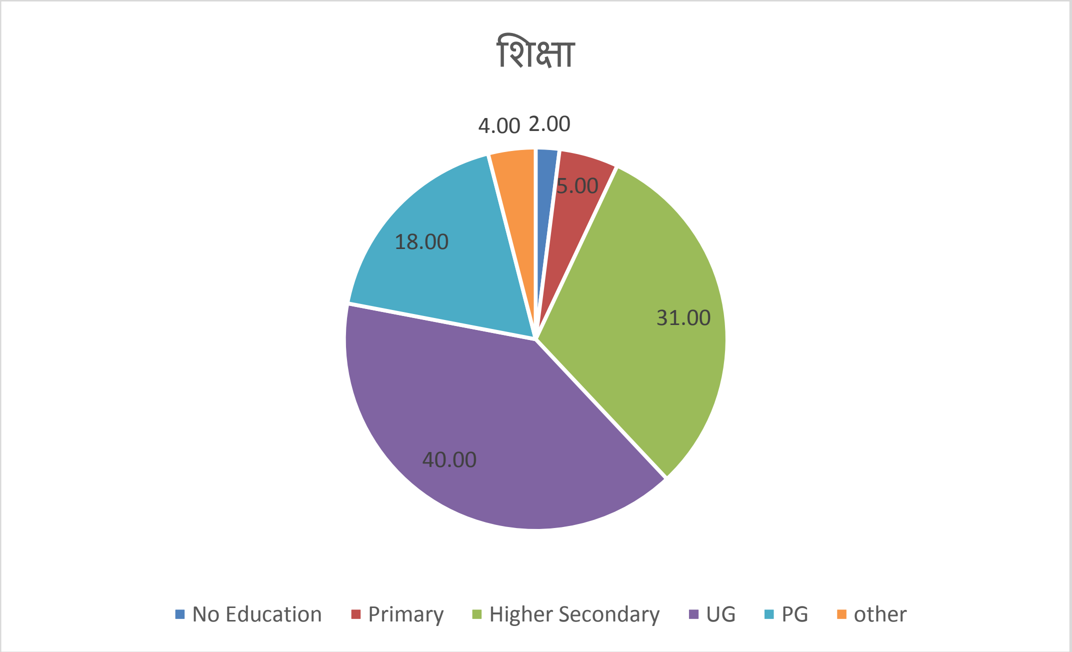

चित्र सं० 4.8

उपरोक्त सारणी 4.8 से उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति का ज्ञान होता है। नगरीय क्षेत्र का होने के कारण उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति अच्छी है। 400 उत्तरदाताओं में अशिक्षित उत्तरदाताओं का मात्र 2.0 प्रतिशत है जबकि स्नातक तक 40.0 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षित हैं। परास्नातक तक 18.0 प्रतिशत, इंटर तक 31.0 प्रतिशत एवं उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं का 4.0 प्रतिशत है जो कि एक बेहतर शिक्षा स्तर का आभास करवाता है एवं शोध के उद्देश्यों को भी सार्थक करता है। चूंकि शोध के उद्देश्य के अंतर्गत नगर वासियों का पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का मापन करना था और अच्छी शिक्षा का स्तर नगरीय समाज की एक विशेषता है। अतः बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति के मापन में नगरीय अभिवृत्ति का ही मापन किया गया है।

<u>उत्तरदाताओं का लिंगवार विवरण</u>

<u>सारणी सं० 4.9</u>

लिंग	विवरण	प्रतिशत	वैध प्रतिशत	संचयी
पुरुष	200	50.00	50.0	50.0
महिला	200	50.00	50.0	100.0
कुल योग	400	100.0	100.0	

चित्र संख्या 4.9

सारणी संख्या 4.9 में महिला और पुरुषों की समान संख्या प्रदर्शित करती है। 400 उत्तरदाताओं में 50 प्रतिशत पुरुषों एवं 50 प्रतिशत महिलाओं को उद्देश्यपूर्ण निदर्शन माध्यम से इस शोध कार्य के लिए सम्मिलित किया गया है ताकि बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति हेतु महिलाओं एवं पुरुषों की अभिवृत्ति का मापन समान तौर पर किया जा सके । किसी भी वस्तु एवं घटना के प्रति महिला एवं पुरुष की प्रतिक्रिया एवं अभिवृत्ति बिल्कुल भिन्न–भिन्न होती है। किसी भी समाज की जनसंख्या मोटे तौर पर महिलाओं एवं पुरुषों में ही विभाजित होती है। अतः बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति मापन हेतु महिलाओं एवं पुरुषों की समान संख्या सम्मिलित की गयी है।

4.2 बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का वर्णनात्मक विश्लेषण

प्रश्न.1 क्या बलात्कार गम्भीर अपराध है?

सारणी सं० 4.10

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की कुल संख्या	उत्तरदाताओं का कुल योग प्रतिशत में
हाँ	395	98.75%
पता नहीं	2	0.50%
नहीं	3	0.75%
उत्तर नहीं देना चाहते	—	—
कुल योग	400	100%

उपरोक्त सारणी सं० 4.10 में बलात्कार के संबंध में सामान्य प्रश्न पूछा गया जो कि जागरुकता से संबंधित है। उपरोक्त सारणी में 400 उत्तरदाताओं में 98.75 प्रतिशत लोग बलात्कार को एक गंभीर अपराध मानते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नगरीय समाज में बलात्कार को लेकर जागरूकता है जो बलात्कार को अन्य अपराध की तरह न समझ कर गंभीर अपराध की श्रेणी में सम्मलित करते हैं। इस प्रतिक्रिया से यह भी स्पष्ट होता है कि नगरीय जीवन में बलात्कार के प्रति जागरूकता है।

प्रश्न 2: जिन बलात्कार पीड़ित महिलाओं का पहले से ही यौन संबंध हो, तो क्या उन्हें बलात्कार की घटना की रिपोर्ट करानी चाहिए ?

सारणी संख्या 4.11

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की कुल संख्या	उत्तरदाताओं का कुल योग प्रतिशत में
हाँ	309	77.25%
पता नहीं	10	2.50%
नहीं	76	19.00%
उत्तर नहीं देना चाहते	4	1.00%
अन्य	1	0.25%
कुल योग	400	100. %

उपरोक्त सारणी 4.11 को देखने से पता चलता है कि 400 उत्तरदाताओं में 77.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना है कि जिन बलात्कार पीड़ित महिलाओं का पहले से ही यौन संबंध है उन्हें अपने प्रति हुए बलात्कार की घटना की रिपोर्ट करानी चाहिए। यह एक बड़ा प्रतिशत है जिससे स्पष्ट होता है कि नगरीय समाज के लोगों की अभिवृत्ति पीड़िता के प्रति काफी हद तक सकारात्मक है, परन्तु 19.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया इस बात की ओर इंगित कर रही है कि जिन महिलाओं का पहले से यौन संबंध है उन्हें बलात्कार की घटना की रिपोर्ट नहीं करानी चाहिये। यह भी एक बड़ा प्रतिशत है जिसके कारण नगरीय समाज के निवासियों का पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति को पूर्णतया सकारात्मक नहीं कहा जा सकता है। इसी के साथ यह 19.0 प्रतिशत का आंकड़ा यह भी इंगित कर रहा है कि महिलाओं की यौन शुचिता अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जिसके अभाव में महिलाओं के मौलिक अधिकार तक को भी कम करके देखा जाता है और यह बलात्कार संस्कृति को प्रोत्साहित करता है, साथ ही यह पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति को भी नकारात्मक कर देता है।

प्रश्न 3: <u>क्या बलात्कार मात्र निम्न तबकों अथवा निम्न वर्गों तक ही सीमित है?</u>

<u>सारणी सं० 4.12</u>

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की कुल संख्या	उत्तरदाताओं का कुल योग प्रतिशत में
हाँ	80	20.00%
पता नहीं	25	6.25%
नहीं	294	73.50%
उत्तर नहीं देना चाहते	1	0.25%
कुल योग	400	100%

प्रस्तुत सारणी सं० 4.12 में जो प्रश्न पूछा गया है यह बलात्कार मिथक संबंधी प्रश्न है। सामान्यतः भारत जैसे परम्परागत देश में यह माना जाता है कि

बलात्कार मात्र निम्न तबकों अथवा निम्न वर्गों तक ही सीमित है, उच्च वर्ग अथवा उच्च तबकों में इसकी पहुंच कम है। 400 उत्तरदाताओं में 294 उत्तरदाता जो कि 73.50 प्रतिशत हैं का मानना यह है कि बलात्कार मात्र निम्न वर्गों अथवा निम्न तबकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग एवं तबके में इसकी पैठ है, जबकि इसके विपरीत 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं जो कि अपेक्षाकृत तो कम है फिर भी एक बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि बलात्कार मात्र निम्न तबकों अथवा वर्गों तक ही सीमित है। इससे यह प्रतीत होता है कि नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में भी बलात्कार मिथक स्वीकृति है।

प्रश्न 4: यदि कोई महिला रोजमर्रा की जिंदगी में अपने प्रति किसी भी प्रकार के यौन छेड़ छाड़ का विरोध करती हैं, तो क्या महिला के साथ बलात्कार होने की संभावना बढ़ जाती है ?

<u>सारणी सं० 4.13</u>

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	103	25.75%
पता नहीं	26	6.50%
नहीं	267	66.75%
उत्तर नहीं देना चाहते	4	1.00%
कुल योग	400	100%

उपरोक्त सारणी 4.13 में बलात्कार मिथक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इस सारणी को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 66.75 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि यदि महिलायें अपने प्रति हुए छेड़ छाड़ का विरोध करती हैं अथवा कड़े कदम उठाती हैं तो उनका भविष्य में बलात्कृत होने की संभावना कम हो जाती है। इस आंकड़े से यह स्पष्ट होता है कि नगरीय समाज के सदस्यों में बलात्कार मिथक संबंधी स्वीकृति कम है यदि पहले से ही कड़े कदम उठाये जाएँ तो बलात्कार की कुछ घटनाओं को टाला जा सकता है। कई शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है कि अक्सर कमजोर एवं असहाय दिखने वाली महिलाओं को बलात्कार का

शिकार ज्यादा बनाया जाता है। इसके विपरीत 25.75 प्रतिशत उत्तरदाता का यह मानना है कि यदि महिलायें रोजमर्रा के जीवन में यौन छेड़ छाड़ का विरोध करती हैं तो भविष्य में उनके बलात्कृत किये जाने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इस आंकड़े से यह प्रदर्शित होता है कि अभी भी नगरीय समाज के लोगों में एक बड़ी संख्या में पुरुष द्वारा हिंसात्मक व्यवहार को अप्रत्यक्ष तौर पर स्वीकृति दी जाती है, जो न केवल बलात्कार को प्रोत्साहित करता है बल्कि बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति को भी नकारात्मक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रश्न 5: बलात्कार दोषी को किस प्रकार की सजा देनी चाहिए ?

सारणी सं० 4.14

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की कुल संख्या	उत्तरदाताओं का कुल योग प्रतिशत में
कठोर सश्रम कारावास	60	15.00%
आजीवन कारावास	36	9.00%
मृत्युदण्ड	280	70.00%
अर्थदण्ड	3	0.75%
अंग भंग	21	5.25%
कुल योग	400	100%

सारणी सं० 4.14 में बलात्कार के लिए दण्ड प्रावधान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। प्राप्त प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट होता है कि 70.0 प्रतिशत बलात्कार के लिए मृत्युदंड को उचित ठहराते हैं। जिससे यह तथ्य भी स्पष्ट हो जाता है कि नगरीय समाज के लोगों द्वारा बलात्कार को एक गंभीर अपराध के रूप में माना जाता है। इसके अलावा 15.0 प्रतिशत यह मानते हैं कि बलात्कार के लिए मृत्युदंड न देकर कठोर सश्रम कारावास देना चाहिए जो कि आधुनिक और उदार विचारधारा को प्रदर्शित करता है। 5.25 प्रतिशत उत्तरदाता अंग भंग को दंड प्रावधान के रूप में रखने की बात करते हैं जो बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण अभिवृत्ति की तरफ इंगित करता है।

प्रश्न 6: बलात्कार की घटनाएं महिलाओं को समाज में उनको, उनकी सही जगह (औकात) में रखने के लिए एक उपकरण अथवा यंत्र की तरह कार्य करता है?

सारणी सं० 4.15

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की कुल संख्या	उत्तरदाताओं का कुल योग प्रतिशत में
हाँ	58	14.50%
पता नहीं	17	4.25%
नहीं	317	79.25%
उत्तर नहीं देना चाहते	8	2.00%
कुल योग	400	100%

प्रस्तुत सारणी स० 4.15 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 79.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार एक नियंत्रण के उपकरण के रूप में कार्य नहीं करता है। 14.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार एक नियंत्रण करने वाले उपकरण के रूप में कार्य करता है। बलात्कार के डर के कारण महिलाएं अपनी दिनचर्या, आने जाने का समय, कपड़ों का चुनाव, नौकरी के चुनाव, रात में घर से बाहर निकलने के समय पर बलात्कार का डर एक सेंसर की तरह कार्य करता है। बलात्कार को एक नियंत्रणकारी उपकरण मामने के पीछे पितृसत्तात्मक विचारधारा भी आधार का कार्य करती है और 79.25 प्रतिशत उत्तरदाता बलात्कार को एक नियंत्रण के उपकरण के रूप में नहीं मानते हैं, तो यह आधुनिक एवं सकारात्मक अभिवृत्ति की ओर इंगित करता है।

प्रश्न 7: यदि किसी अविवाहित महिला का बलात्कार होता है, तो क्या दोषी को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए ?

<u>सारणी सं० 4.16</u>

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की कुल संख्या	उत्तरदाताओं का कुल योग प्रतिशत में
हाँ	228	57.00%
पता नहीं	34	8.50%
नहीं	77	19.25%
उत्तर नहीं देना चाहते	2	0.50%
दोनों मामलों में समान दण्ड	59	14.75%
कुल योग	400	100%

सारणी सं० 4.16 में बलात्कृत पीड़िता के विवाहित एवं अविवाहित होने के कारण दण्ड में समानता से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि यदि बलात्कार पीड़िता अविवाहित है तो दोषी को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। प्राप्त आकड़ें से यह पता चलता है कि आधे से ज्यादा लोग यह मानते हैं कि विवाहिता की अपेक्षा अविवाहित महिलाओं के बलात्कार से ज्यादा हानि पहुंचती है। इस सन्दर्भ में महिलाओं की यौन शुद्धता पर ज्यादा बल दिया जाता है, यौन शुचिता समाप्त होने पर समाज में महिलाओं को कम वांछनीय समझा जाता है, इस कारण 57 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित महिलाओं से बलात्कार के मामलों में अधिक दण्ड के प्रावधान की बात करते हैं। परन्तु 19.25 प्रतिशत उत्तरदाता इससे सहमति नहीं रखते एवं 14.75 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि दंड का विवाहिता अथवा अविवाहिता से बलात्कार का कोई संबंध नही है, दोनों को ही बराबर शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुंचता है। अतः दोनों ही मामलों में बराबर दण्ड दिया जाना चाहिए।

प्रश्न 8: अच्छी लड़कियों की तुलना में बुरी लड़कियों का बलात्कार होने की संम्भावना अधिक होती है ?

सारणी सं० 4.17

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की कुल संख्या	उत्तरदाताओं का कुल योग प्रतिशत में
हाँ	125	31.25%
पता नहीं	31	7.75%
नहीं	238	59.50%
उत्तर नहीं देना चाहते	6	1.50%
कुल योग	400	100%

सारणी संख्या 4.17 को देख कर यह ज्ञात होता है कि 59.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति बलात्कार पीड़िता के प्रति सकारात्मक है, प्राप्त आंकड़े से ज्ञात होता है कि 59.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार का लड़की के अच्छे अथवा बुरे चरित्र से कोई लेना देना नहीं होता है। परन्तु 31.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि यदि किसी महिला का चाल चलन सही नही है तो उसके साथ बलात्कार होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। हालांकि उत्तरदाताओं का एक बड़ा प्रतिशत चरित्र को कारण नहीं मानता परन्तु 31. 25 प्रतिशत भी एक बड़ा प्रतिशत है। अतः नगरीय समाज की अभिवृत्ति को पूर्णतः सकारात्मक नहीं कहा जा सकता है। यह एक प्रकार का बलात्कार मिथक है जो बलात्कार पीड़िता के प्रति समाज के दोषारोपण की अभिवृत्ति को अत्यधिक बढ़ा देती है।

प्रश्न 9: बलात्कार के लिए पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं ?

सारणी सं० 4.18

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की कुल संख्या	उत्तरदाताओं का कुल योग प्रतिशत में
हाँ	35	8.75%
पता नहीं	13	3.25%
नहीं	336	84.00%
उत्तर नहीं देना चाहते	9	2.25%
अधिकतर मामलों में	7	1.75%
कुल योग	400	100%

तालिका सं० 4.18 में बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपण से संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि कई समाजों में खास कर परम्परागत समाजों में बलात्कार पीड़िता को ही बलात्कार के लिए पूर्णतया दोषी ठहराया जाता है। यह एक प्रकार की नकारात्मक अभिवृत्ति है। उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि 84.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार के लिए मात्र महिलाएं ही जिम्मेदार नहीं होती हैं। 8.75 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि मात्र महिलाएं ही बलात्कार के लिए जिम्मेदार होती हैं। नकारात्मक अभिवृत्ति का प्रतिशत सकारात्मक अभिवृत्ति की अपेक्षा काफी कम है। अतः प्राप्त परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बलात्कार हेतु मात्र बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराने के संबंध में नगरीय समाज के लोगों की अभिवृत्ति सकारात्मक है।

प्रश्न 10: क्या बलात्कार के न्यायिक मामलों की प्रक्रिया में बलात्कार पीड़िता के पुराने चाल चलन अथवा चरित्र को जिम्मेदार मानना चाहिए ?

<u>सारणी सं० 4.19</u>

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की कुल संख्या	उत्तरदाताओं का कुल योग प्रतिशत में
हाँ	42	10.50%
पता नहीं	14	3.50%
नहीं	342	85.50%
उत्तर नहीं देना चाहते	2	0.50%
कुल योग	400	100%

उपरोक्त सारणी सं 4.19 को देख कर ज्ञात होता है कि 85.50 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि बलात्कार मामलों की न्यायिक सुनवायी के दौरान पीड़िता के पूर्व चाल चलन का संज्ञान नही लेना चाहिए। 400 उत्तरदाताओं का एक बड़ा प्रतिशत पीड़िता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है एवं पूर्व चाल चलन को अनदेखा करने की बात करते हैं। इसके बावजूद भी अधिकतर बलात्कार के मामलों की सुवाई के दौरान बलात्कार पीड़िताओं के पूर्व चाल चलन पर गौर किया जाता है एवं इसको ही आधार बना कर विपक्ष के वकीलों द्वारा बलात्कार पीड़िता पर दबाव बना कर मुकदमा खारिज करवाने का प्रयास किया जाता है। 10.50 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि पीड़िता के पूर्व चाल चलन को ध्यान में रख कर मामले की सुनवाई की जानी चाहिए। चरित्र के आधार पर अनेक बलात्कार मिथकों की स्वीकृति लगभग सभी समाजों व्याप्त होती है, जो बलात्कार पीड़िता के लिए नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण करती है और बलात्कार पीड़िता को ही बलात्कार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

प्रश्न11 : क्या बलात्कार, बलात्कारियों को अपनी मर्दानगी दिखाने का अवसर प्रदान करता है?

सारणी सं० 4.20

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की कुल संख्या	उत्तरदाताओं का कुल योग प्रतिशत में
हाँ	58	14.50%
पता नहीं	17	4.25%
नहीं	317	79.25%
उत्तर नहीं देना चाहते	8	2.00%
कुल योग	400	100%

उपरोक्त सारणी सं० 4.20 से ज्ञात होता है कि 79.25 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि बलात्कार बलात्कारियों को अपनी मर्दानगी दिखने का अवसर प्रदान नहीं करता बल्कि यह अपराधिक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। 400 उत्तरदाताओं में से 14.50 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि बलात्कार के माध्यम से बलात्कारी अपनी मर्दानगी साबित करना चाहते हैं जो कि बलात्कार मिथक की स्वीकार्यता से घनिष्ठता से संबंधित है एवं यह बलात्कार मिथक बलात्कार की घटना को अत्यधिक भ्रमित तो बनाते ही हैं साथ ही साथ बलात्कार पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का भी निर्माण करने में सहायक होते हैं।

4.3 बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का लिंगात्मक विश्लेषण

प्रश्न 12: क्या बलात्कार के लिए बलात्कारी एवं बलात्कार पीड़िता दोनों ही बराबर के दोषी होते हैं?

सारणी सं0 4.21

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	25 (12.50%)	14 (7.00%)	39 (9.80%)
पता नहीं	3 (1.50%)	3 (1.50%)	6 (1.50%)
नहीं	171 (85.50%)	179 (89.50%)	350 (87.50%)
उत्तर नहीं देना चाहते	1 (0.50%)	4 (2.00%)	5 (1.20%)
कुल योग	200 (100%)	200 (100%)	400 (100%)

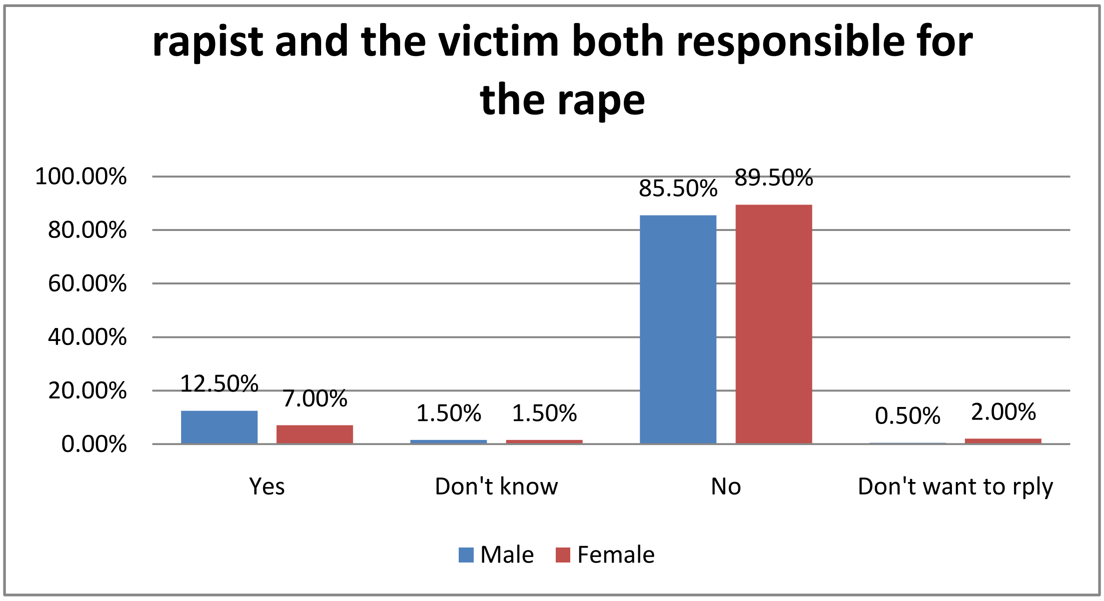

चित्र सं० 4.10

उपरोक्त सारणी संख्या 4.21 में पीड़िता को दोषारोपित करने वाली अभिवृत्ति से संबन्धित प्रश्न पूछा गया है। इस सारणी को देख कर यह ज्ञात होता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक प्रतिशत में बलात्कार पीड़िता एवं बलात्कारी को समान रूप से बलात्कार के लिए जिम्मेदार मानते हैं। बलात्कार पीड़िता एवं बलात्कारी दोनों को समान रूप से बलात्कार के लिए जिम्मेदार ठहराने में पुरुषों का प्रतिशत 12.50 प्रतिशत है जबकि मात्र 7.0 प्रतिशत महिलाएं ही बलात्कार पीड़िता एवं बलात्कारी को बराबर का जिम्मेदार मानती हैं। इस सारणी से ज्ञात हो जाता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराने की अभिवृत्ति अधिक नकारात्मक है। महिलायें स्वयं महिला होने के कारण महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं जबकि पुरुषों में पुरुष प्रधानता की भावना होने के कारण पीड़िता के प्रति दोषारोपण की अभिवृत्ति अधिक हो जाती है।

प्रश्न13 : क्या बलात्कार पीड़ित महिला समाज द्वारा विवाह हेतु कम वांछनीय (लेस डिसायरेबल) होती है ?

<u>सारणी संख्या 4.22</u>

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	111 (55.50%)	99 (49.50%)	210 (52.50%)
पता नहीं	9 (4.50%)	20 (10.00%)	29 (7.20%)
नहीं	79 (39.50%)	78 (39.00%)	157 (39.20%)
उत्तर नहीं देना चाहते	1 (0.50%)	3 (1.50%)	4 (1.00%)
कुल योग	200 (100.00%)	200 (100.00%)	400 (100.00%)

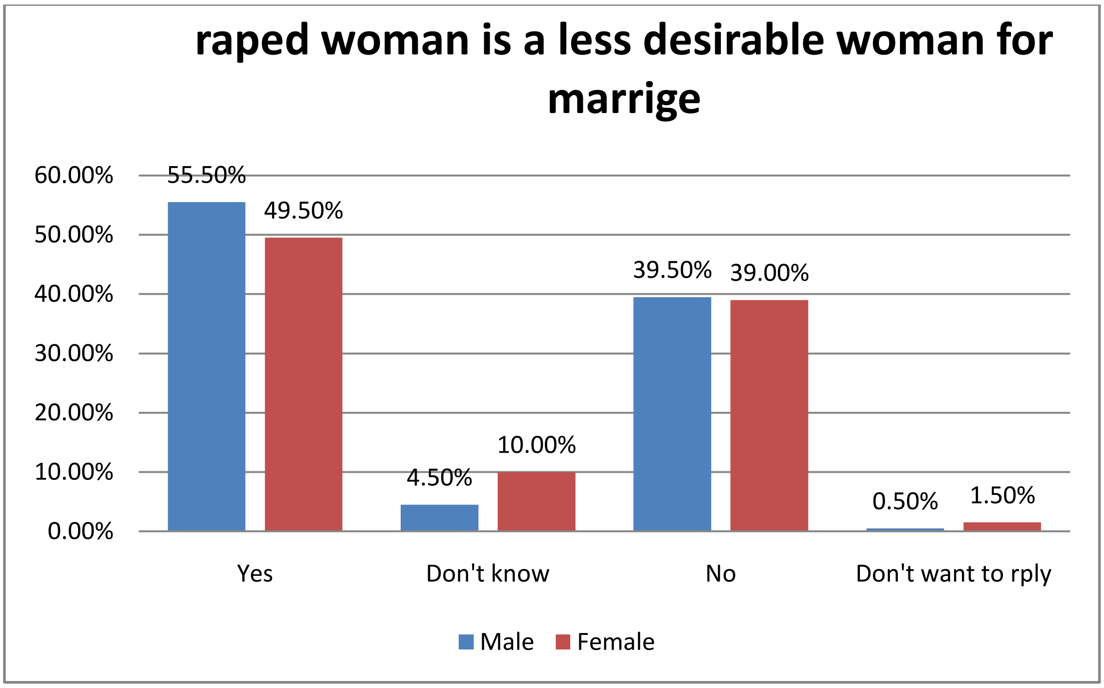

चित्र स० 4.11

उपरोक्त सारणी 4.22 के माध्यम से प्राप्त परिणामों से ज्ञात होता है कि 55.50 प्रतिशत पुरुषों का यह माना है कि बलात्कार पीड़ित महिला विवाह हेतु कम वांछनीय होती है। महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से अपेक्षाकृत कम है जो कि 49.50 प्रतिशत है। हालांकि यह अंतर कम है परन्तु इस अंतर से स्पष्ट हो जाता है कि पुरुषों द्वारा बलात्कार पीड़िता को विवाह हेतु कम वांछनीय माना जाता है। पीड़िता को विवाह हेतु कम वांछनीय मानने के लिए समाज में व्याप्त यौन शुचिता की विचारधारा जिम्मेदार होती है। भारतीय समाज में महिलाओं की यौन शुद्धता को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है एवं विवाह पूर्व यौन शुचिता के भ्रष्ट होने पर इसे निम्न दृष्टि, कलंक एवं परिवार के लिए अपमानजनक माना जाता है। इस प्रकार की विचारधारा के कारण ही बलात्कार पीड़िता को विवाह हेतु कम वांछनीय माना जाता है।

प्रश्न14 :क्या बलात्कार पीड़िता को दोषी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए?

सारणी संख्या 4.23

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	55 (27.50%)	28 (14.00%)	83 (20.80%)
पता नहीं	3 (1.50%)	4 (2.00%)	7 (1.80%)
नहीं	141 (70.50%)	168 (84.00%)	309 (77.20%)
उत्तर नहीं देना चाहते	1 (0.00%)	0 (0.00%)	1 (0.20%)
कुल योग	200 (100%)	200 (100%)	400 (100%)

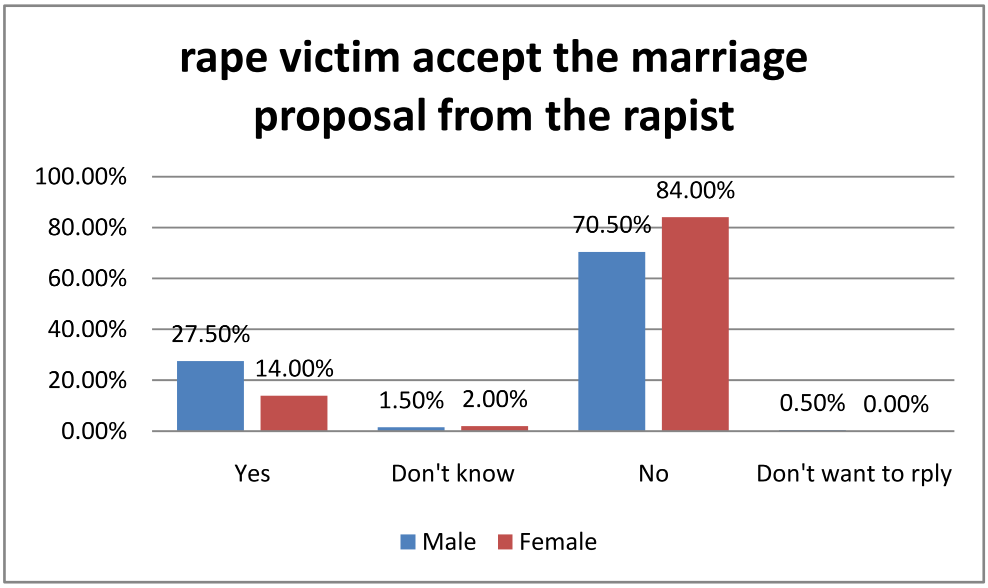

सारणी स० 4.12

उपरोक्त सारणी 4.23 से ज्ञात होता है कि महिलाओं की अपेक्षाकृत पुरुष इस बात से ज्यादा सहमत हैं कि बलात्कार पीड़िता का विवाह उसके बलात्कारी से करवा देना चाहिए। पुरुषों का प्रतिशत 27.50 प्रतिशत है जबकि महिलाओं का 14 प्रतिशत है। महिलाओं की अभिवृत्ति एवं पुरुषों की अभिवृत्ति में 13.50 प्रतिशत का अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि

महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अभिवृत्ति अधिक नकारात्मक है। बलात्कारी से ही पीड़िता का विवाह करा देने की विचारधारा लगभग सभी समाजों में देखने को मिल जाती है परन्तु यह निर्णय बलात्कार पीड़िता के अस्मिता, दैहिक एवं प्राणिक स्वतन्त्रता का हनन है। बलात्कारी से ही विवाह करा देने के कारण पीड़िता अपने प्रति हुए सदमे एवं अपमान से कभी नहीं उबर पाती है और पीड़िता का जीवन अत्यंत नरकीय हो जाता है। इस सारणी को देख कर ज्ञात होता है कि नगरीय समाज के पुरुषों की अभिवृत्ति महिलाओं की अपेक्षा अधिक नकारात्मक है।

प्रश्न 15 : क्या किसी कार्यरत महिला के बलात्कार हो जाने पर उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए ?

सारणी संख्या 4.24

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	32 (16.00%)	17 (8.50%)	49 (12.20%)
पता नहीं	2 (1.00%)	2 (1.00%)	4 (1.00%)
नहीं	166 (83.00%)	180 (90.00%)	346 (86.50%)
उत्तर नहीं देना चाहते	0 (0.00%)	1 (0.50%)	1 (0.20%)
कुल योग	200 (100%)	200 (100%)	400 (100%)

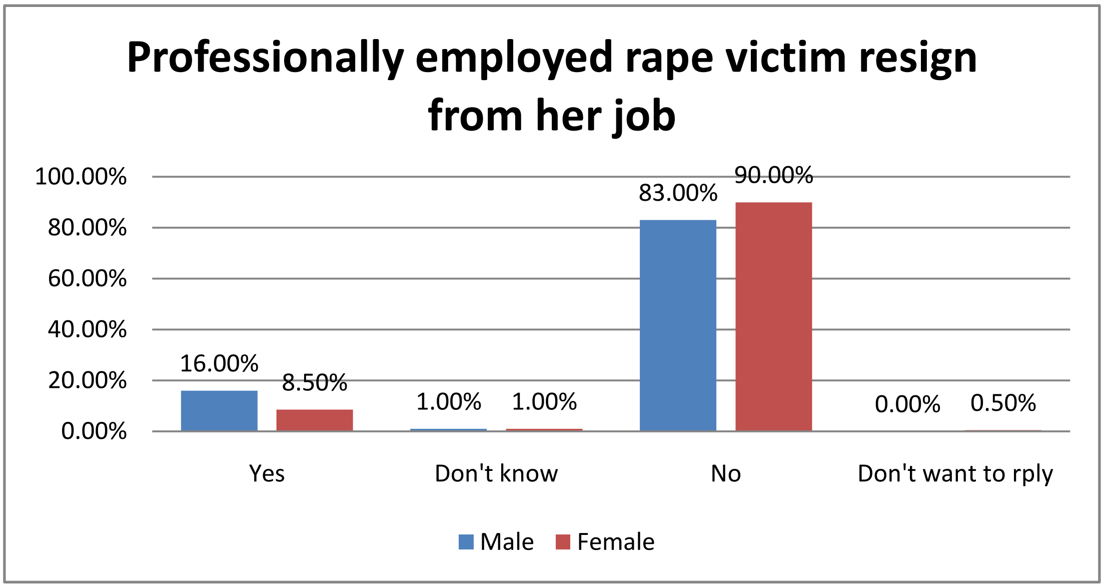

चित्र सं० 4.13

उपरोक्त सारणी 4.24 में बलात्कार पीड़िता के बलात्कार होने के बाद विस्थापना से संबंधित अभिवृत्ति का मापन किया गया है। इस सारणी से प्राप्त परिणाम से ज्ञात होता है कि बलात्कार के बाद पीड़िता के नौकरी छोड़ने की बात से सहमति रखने वाले पुरुषों का प्रतिशत 16.00 प्रतिशत है जबकि महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा आधा 8.50 प्रतिशत ही है। जिससे यह प्रदर्शित होता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बलात्कार पीड़िता के विस्थापना को अधिक समर्थन दिया जाता है जो कि पीड़िता के प्रति कम समर्थन को प्रदर्शित करता है। यदि उपरोक्त आंकड़ों को नगरीय लोगों की अभिवृत्ति के आधार पर देखा जाए तो यह सकारात्मक अभिवृत्ति एवं पीड़िता के प्रति समर्थन को दिखाता है परन्तु लिंगवार तुलना करने पर पुरुषों की अभिवृत्ति नकारात्मक प्राप्त हुई है।

प्रश्न16 : क्या बलात्कार पीड़िता अपने प्रति हुए बलात्कार के लिए स्वयं जिम्मेदार होती है?

<u>सारणी सं० 4.25</u>

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	19 (9.50%)	8 (4.00%)	27 (6.80%)
पता नहीं	1 (0.50%)	2 (1.00%)	3 (0.80%)
नहीं	178 (89.00%)	189 (94.50%)	367 (91.80%)
उत्तर नहीं देना चाहते	2 (1.00%)	1 (0.50%)	3 (0.80%)
कुल योग	200 (100.00%)	200 (100.00%)	400 (100.00%)

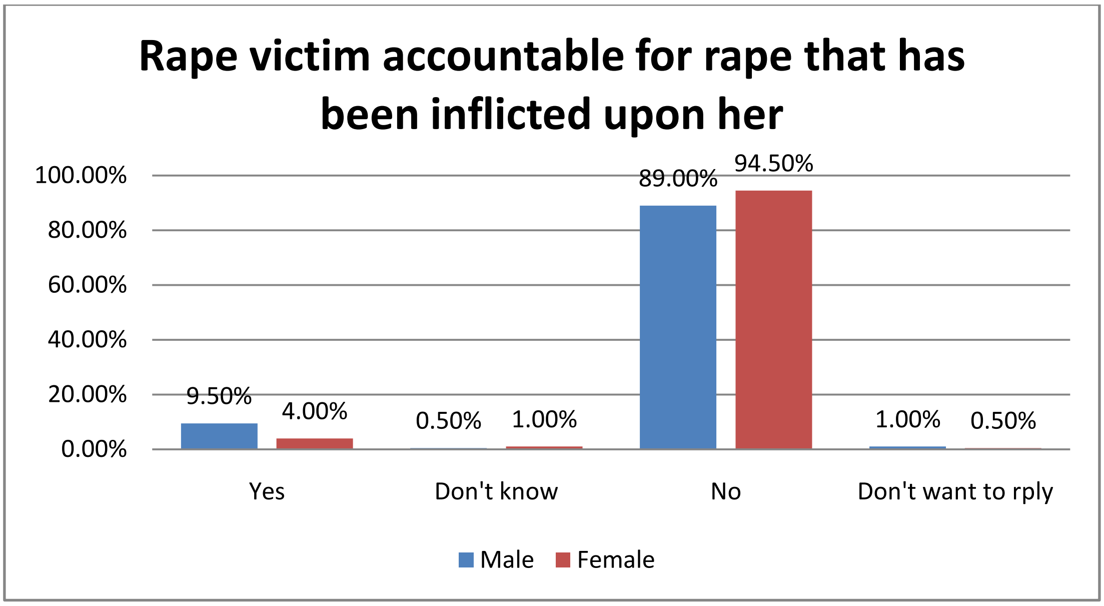

चित्र संख्या 4.14

उपरोक्त सारणी 4.25 को यदि नगरीय लोगों के पीड़िता पर दोषारोपण की अभिवृत्ति के आधार पर देखा जाए तो बलात्कार पीड़िता को बलात्कार के लिये दोषारोपित करने का प्रतिशत दोषारोपण न करने के प्रतिशत से काफी हद तक कम है जो कि सकारात्मक अभिवृत्ति की ओर इंगित करता है। परन्तु लिंगवार उपरोक्त सारणी को दृष्टिपात करने पर यह साफ स्पष्ट हो जाता है कि बलात्कार के लिए पीड़िता पर दोषारोपण करने में महिलाओं का प्रतिशत मात्र 4.00 प्रतिशत है जबकि पीड़िता को बलात्कार के लिए जिम्मेदार ठहारने में पुरुषों का प्रतिशत 9.50 प्रतिशत है जो कि महिलाओं के प्रतिशत से 5.50 प्रतिशत अधिक है। अतः इससे ज्ञात होता है कि पुरुषों के दोषारोपण करने की अभिवृत्ति महिलाओं की अपेक्षा अधिक है। बलात्कार पीड़िता को ही दोषी मानने के पीछे बलात्कार मिथकों की स्वीकार्यता के कारण होता है जिस कारण पीड़िता को ही बलात्कार के लिए दोषी मानने की प्रवृत्ति लगभाग सभी समाजों में देखने को मिलती है।

प्रश्न 17: क्या बलात्कार पीड़िता को शारीरिक आघात के साथ साथ मानसिक आघात भी पहुंचता है ?

<u>सारणी सं० 4.26</u>

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	143 (71.50%)	127 (63.50%)	270 (67.50%)
पता नहीं	2 (1.00%)	19 (9.50%)	21 (5.20%)
नहीं	54 (27.00%)	54 (27.00%)	108 (27.00%)
उत्तर नहीं देना चाहते	1 (0.50%)	0 (0.00%)	1 (0.20%)
कुल योग	200 (100.00%)	200 (100.00%)	400 (100.00%)
इकाई स्क्वायर परिणाम			
पियर्सन इकाई–2	15.71		
पी–वैल्यू	0.001		

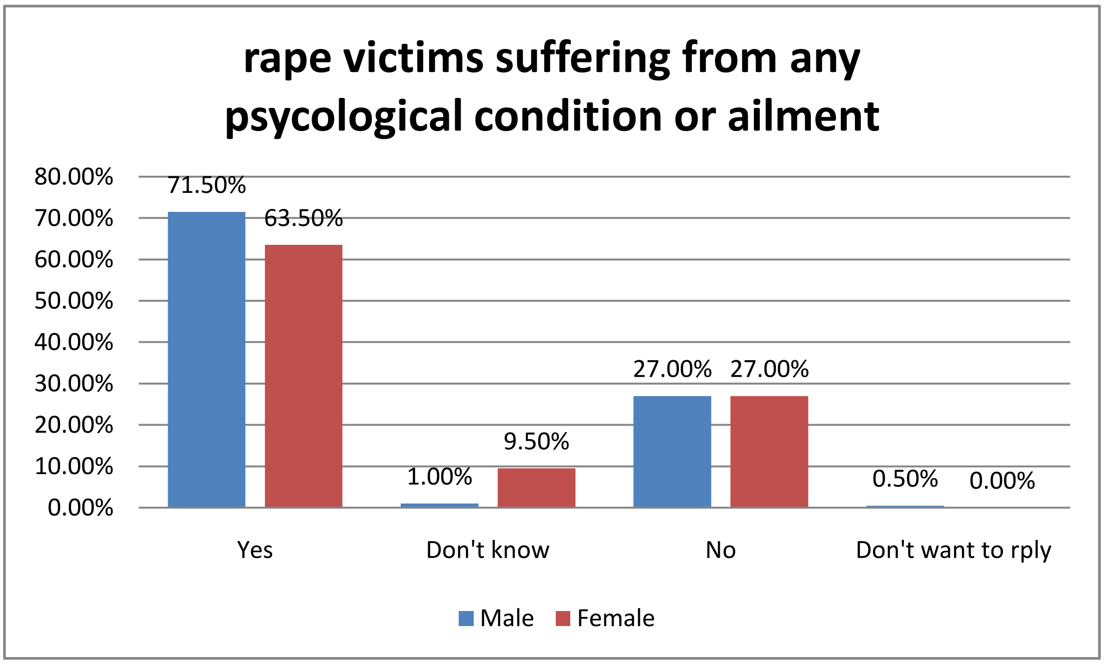

चित्र संख्या 4.15

HO : बलात्कृत पीड़िता के मानसिक रूप से प्रभावित होने के संबंध में पीड़िता के प्रति लिंग एवं अभिवृत्ति मतदान स्वतंत्र चर है।

निर्भर चर हैं –

Ha : बलात्कृत पीड़िता के मानसिक रूप से प्रभावित होने के संबंध में पीड़िता के प्रति लिंग एवं अभिवृत्ति मतदान निर्भर चर है।

उपरोक्त सारणी 4.26 में पाई स्क्वायर के माध्यम से उत्तरदाताओं का लिंगवार अभिवृत्ति का मापन किया गया है। उपरोक्त तालिका के आधार पर यह ज्ञात होता है कि (पी–वैल्यू का मान –0.001) है जो कि सार्थक स्तर (0.05) से कम है अतः यहाँ नल परिकल्पना को स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। परन्तु लिंगवार अभिवृत्ति मतदान में सहसंबंध देखा जा सकता है। महिला और पुरुष दोनों का प्रतिशत लगभग बराबर है और दोनों ही यह मानते हैं कि बलात्कार पीड़िता को शारीरिक आघात के साथ साथ मानसिक आघात भी पहुंचता है। अतः यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि पीड़िता के प्रति लिंग एवं अभिवृत्ति मतदान में सहसंबंध है। प्राप्त परिणाम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस सन्दर्भ में पुरुषों एवं महिलाओं की अभिवृत्ति सकारात्मक है।

प्रश्न 18 : क्या नशे में धुत महिला यौन संबंध के लिए तैयार रहती है ?

सारणी संख्या 4.27

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	65 (32.50%)	21 (10.50%)	86 (21.50%)
पता नहीं	30 (15.00%)	75 (37.50%)	105 (26.20%)
नहीं	105 (52.50%)	102 (51.00%)	207 (51.80%)
उत्तर नहीं देना चाहते	0 (0.00%)	2 (1.00%)	2 (0.20%)
कुल योग	200 (100.00%)	200 (100.00%)	400 (100.00%)

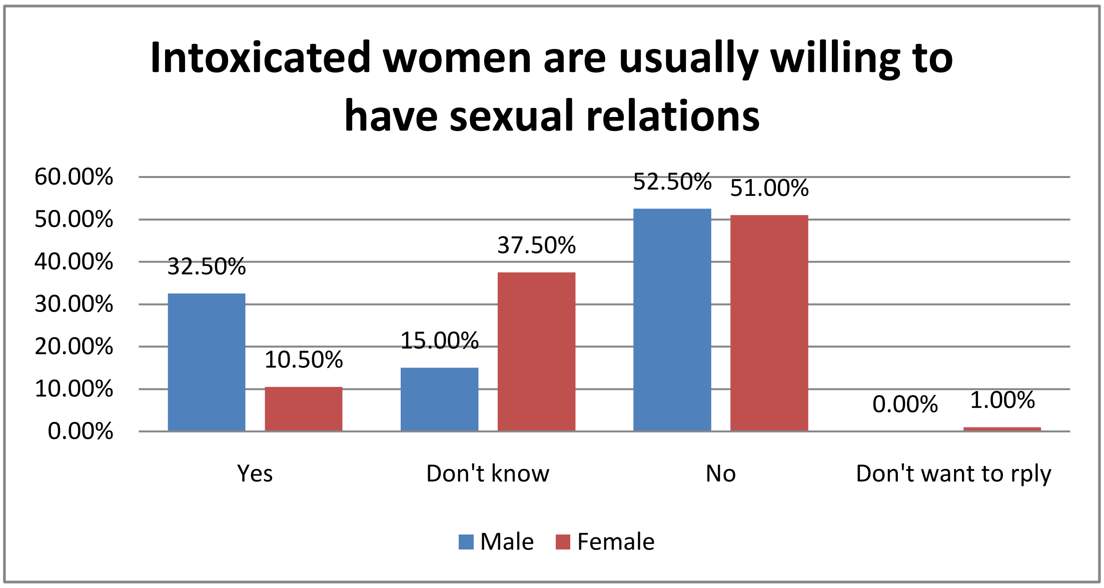

चित्र संख्या 4.16

उपरोक्त सारणी 4.27 में बलात्कार मिथक स्वीकार्यता से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि क्या नशे में धुत महिला यौन संबंध के लिए तैयार हो जाती है? जिससे प्राप्त आंकड़े से यह ज्ञात होता है कि पुरुष उत्तरदाताओं में 32.50 प्रतिशत का मानना है कि नशे में धुत महिला यौन संबंध के लिए तैयार रहती है जबकि मात्र

10.50 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं का मानना है कि नशे में धुत महिला यौन संबंध के लिए तैयार रहती है। महिला और पुरुषों में बलात्कार स्वीकार्यता में 20 प्रतिशत का अंतर है। पुरुष उत्तरदाता में बलात्कार मिथक स्वीकार्यता का प्रतिशत अधिक है अतः हम यहाँ यह कह सकते हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अभिवृत्ति नकारात्मक है।

प्रश्न19 : क्या बलात्कार पीड़ित महिला को शर्म अथवा आत्मग्लानि महसूस करना चाहिए ?

सारणी संख्या 4.28

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	35 (17.50%)	10 (5.00%)	45 (11.20%)
पता नहीं	3 (1.50%)	4 (2.00%)	7 (1.80%)
नहीं	162 (81.00%)	184 (92.00%)	346 (86.50%)
उत्तर नहीं देना चाहते	0 (0.00%)	2 (1.00%)	2 (0.50%)
कुल योग	200 (100.00%)	200 (100.00%)	400 (100.00%)
इकाई स्क्वायर परिणाम			
पियर्सन इकाई–2			17.431
पी–वैल्यू			0.001

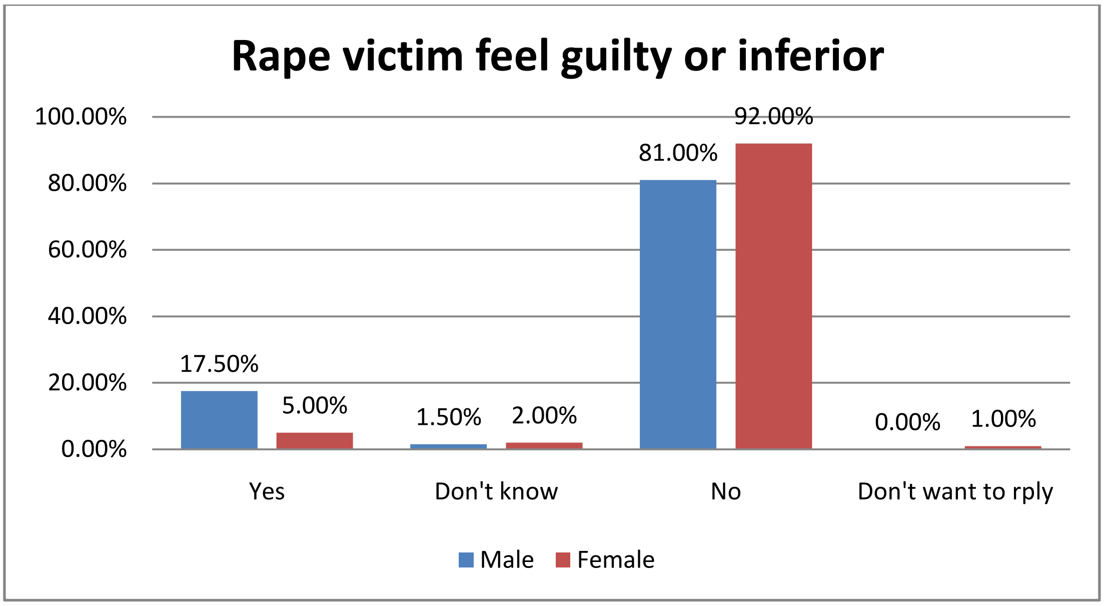

चित्र संख्या 4.17

Ho : बलात्कार पीड़िता का शर्म एवं आत्मग्लानि महसूस करने के सन्दर्भ में लिंगवार अभिवृत्ति स्वतंत्र चर है।

Ha : बलात्कार पीड़िता का शर्म एवं आत्मग्लानि महसूस करने के सन्दर्भ में लिंगवार अभिवृत्ति निर्भर चर है।

उपरोक्त सारणी 4.28 में बलात्कार पीड़िता को आत्मग्लानि एवं शर्म महसूस करने के संदर्भ में अभिवृत्ति का मापना किया गया है। प्राप्त परिणामों से ज्ञात होता है की (पी– मूल्य = 0.001) है जो सार्थक स्तर (0.05) से कम है। अतः यहाँ नल परिकल्पना स्वीकार्य नही होती है परन्तु लिंगवार परिणाम में लिंग एवं अभिवृत्ति में सहसंबंध स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 17.50 प्रतिशत पुरुषों का मानना है कि बलात्कार पीड़िता को बलात्कार हमले के बाद शर्म अथवा आत्मग्लानि महसूस होनी चाहिए। इसके विपरीत मात्र 5 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना कि बलात्कार पीड़िता को शर्म अथवा आत्मग्लानि महसूस करना चाहिए। इस सन्दर्भ में पुरुष उत्तरदाता महिलाओं की अपेक्षा पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति नकारात्मक है। इसके लिए समाज में व्याप्त बलात्कार मिथकों की स्वीकार्यता एवं संकीर्ण सामाजिक मूल्य उत्तदायी होते हैं।

प्रश्न 20: क्या बलात्कार पीड़िता को बलात्कारी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए?

सारणी संख्या 4.29

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	55 (27.50%)	28 (14.00%)	83 (20.80%)
पता नहीं	3 (1.50%)	4 (2.00%)	7 (1.80%)
नहीं	141 (70.50%)	168 (84.00%)	309 (77.20%)
उत्तर नहीं देना चाहते	1 (0.50%)	0 (0.00%)	1 (0.20%)
कुल योग	200 (100.00%)	200 (100.00%)	400 (100.00%)

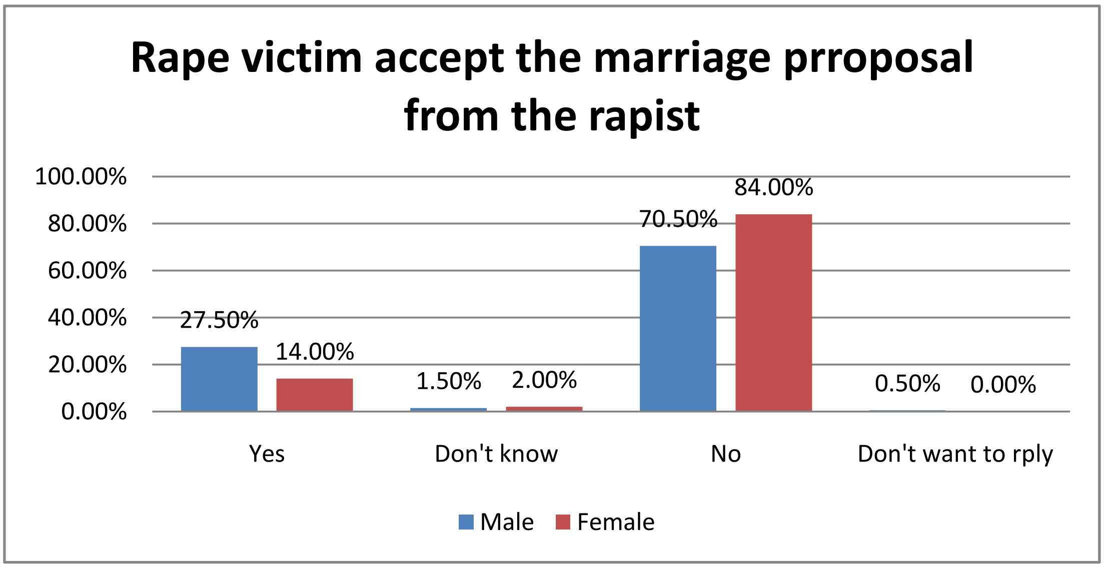

चित्र संख्या 4.18

उपरोक्त सारणी 4.29 में बलात्कार का बलात्कारी से विवाह के संबंध में अभिवृत्ति का मापन किया गया है। चित्र को देख कर ज्ञात होता है कि 84 प्रतिशत महिला एवं 70.50 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार पीड़िता का विवाह बलात्कारी से नहीं करना चाहिए। पीड़िता का बलात्कारी से विवाह कराने के सन्दर्भ में महिलाएं एवं पुरुष दोनों ही उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति सकारात्मक है। परन्तु महिलाओं की सकारात्मक अभिवृत्ति पुरुषों की अपेक्षा 14 प्रतिशत अधिक है।

अतः हम कह सकते हैं कि महिलाओं की अभिवृत्ति पुरुषों की अपेक्षा अधिक सकारात्मक है।

प्रश्न 21: क्या बलात्कार पीड़िता को पति अथवा प्रेमी चुनने का अधिकार होना चाहिए ?

सारणी संख्या 4.30

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	180 (90.00%)	159 (79.50%)	339 (84.80%)
पता नहीं	2 (1.00%)	3 (1.50%)	5 (1.20%)
नहीं	18 (9.00%)	38 (19.00%)	56 (14.00%)
उत्तर नहीं देना चाहते	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
कुल योग	200 (100.00%)	200 (100.00%)	400 (100.00%)
इकाई स्क्वायर परिणाम			
पियर्सन इकाई–2	8.644		
पी–वैल्यू	0.013		

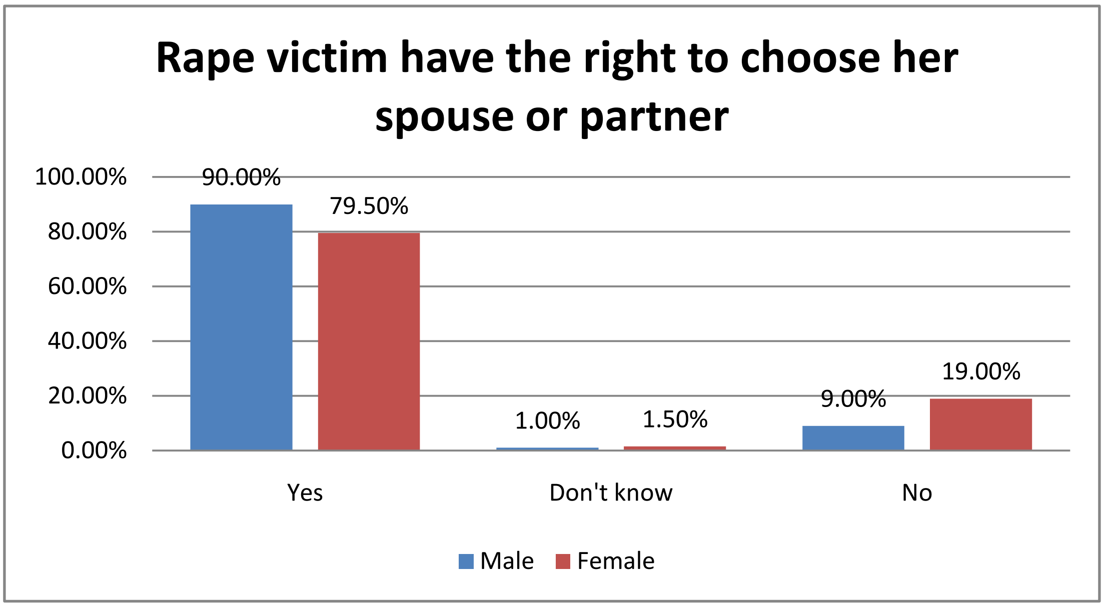

चित्र संख्या 4.19

HO– बलात्कार पीड़िता के पति अथवा प्रेमी चुनने के सन्दर्भ में लिंग एवं अभिवृत्ति स्वतन्त्र चर है।

Ha : बलात्कार पीड़िता के पति अथवा प्रेमी चुनने के सन्दर्भ में लिंग एवं अभिवृत्ति निर्भर चर है।

उपरोक्त सारणी 4.30 में बलात्कार पीड़िता के पति अथवा प्रेमी चुनने के अधिकार से संबंधित अभिवृत्ति का मापन किया गया है। जिसमें पी–मूल्य =0.013 है जो कि सार्थक मूल्य (0.05) से कम है। अतः नल परिकल्पना स्वीकार्य नहीं होती है परन्तु लिंगवार अभिवृत्ति में अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। पीड़िता के प्रेमी अथवा पति चुनने के सन्दर्भ में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की अभिवृत्ति नकारात्मक है। इसके लिए सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, लिंग आधारित समाजीकरण एवं यौन शुद्धता पर अत्यधिक बल देने के कारण महिलाएं यौन शुचिता पर अधिक ध्यान देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यौन शुचिता छिन जाने के कारण महिलाओं का अपने प्रति अभिवृत्ति नकारात्मक हो जाती है एवं वे स्वयं को ही जीवन साथी चुनने के अधिकार से वंचित मनाने लगती हैं।

प्रश्न 22: क्या अधिकतर बलात्कार के आरोप झूठे होते हैं ?

सारणी संख्या 4.31

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	35 (17.50%)	10 (5.00%)	45 (11.20%)
पता नहीं	13 (6.50%)	38 (19.00%)	51 (12.80%)
नहीं	144 (72.00%)	150 (75.00%)	294 (73.50%)
उत्तर नहीं देना चाहते	2 (1.00%)	1 (0.50%)	3 (0.80%)
अधिकतर मामलों में	6 (3.00%)	1 (0.50%)	7 (1.80%)
कुल योग	200 (100.00%)	200 (100.00%)	400 (100.00%)
काई स्क्वायर परिणम			
पियर्सन काई–2	30.171		
पी–वैल्यू	0.000		

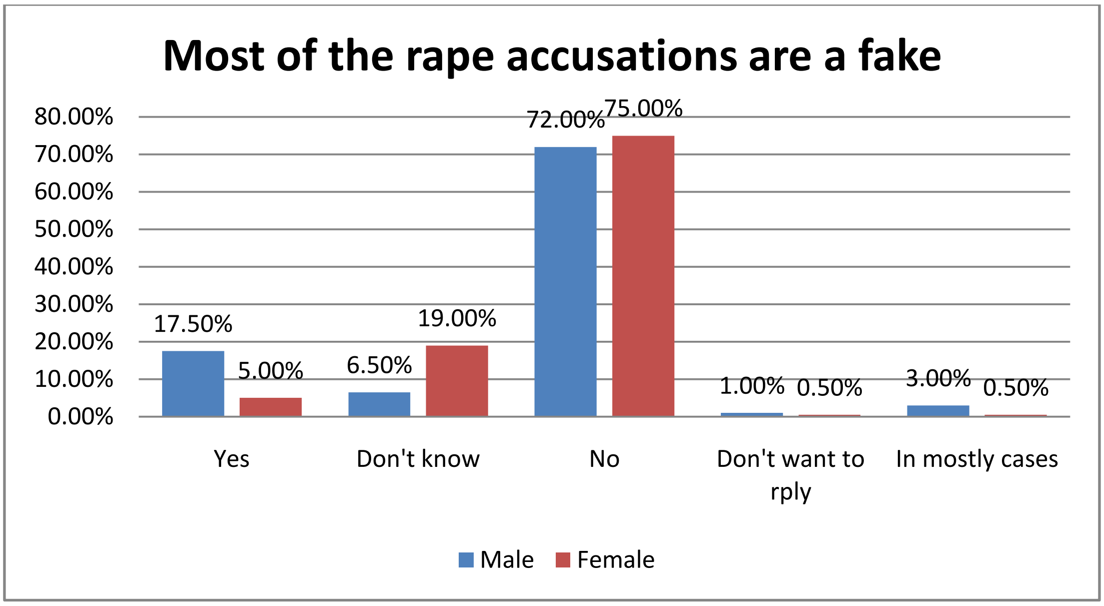

चित्र संख्या 4.20

Ho : बलात्कार के अधिकतर आरोप झूठे होते हैं के सन्दर्भ में लिंग एवं अभिवृत्ति स्वतंत्र चर है।

Ha : बलात्कार के अधिकतर आरोप झूठे होते हैं के सन्दर्भ में लिंग एवं अभिवृत्ति निर्भर चर है।

उपरोक्त सारणी 4.31 में बलात्कार में बलात्कार के आरोप के संबंध में अभिवृत्ति का मापन किया गया है। जिसमें पी—मूल्य = 0.000) है जो सार्थक स्तर (0.05) से कम है। अतः यहाँ नल परिकल्पना अस्वीकार्य हो गयी है परन्तु लिंगात्मक आधार पर बलात्कार के अधिकतर आरोप झूठे होते हैं के सन्दर्भ में लिंग एवं अभिवृत्ति निर्भर चर है। महिलाओं की अपेक्षा 17.50 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं का मानना है कि अधिकतर बलात्कार के आरोप झूठे होते हैं एवं मात्र 5 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि अधिकतर बलात्कार के आरोप झूठे होते हैं। अतः महिलाओं की अभिवृत्ति पुरुषों की अपेक्षा अधिक सकारात्मक प्राप्त हुई है।

प्रश्न 23: यदि किसी अविवाहित महिला का बलात्कार होता है तो दोषी को अधिक दण्ड मिलना चाहिए ?

सारणी संख्या 4.32

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	118 (59.00%)	110 (55.00%)	228 (57.00%)
पता नहीं	18 (9.00%)	18 (9.00%)	36 (9.00%)
नहीं	47 (23.50%)	30 (15.00%)	77 (19.20%)
दोनों मामलों में समान दण्ड	17 (8.50%)	42 (21.00%)	59 (14.80%)
कुल योग	200 (100.00%)	200 (100.00%)	400 (100.00%)

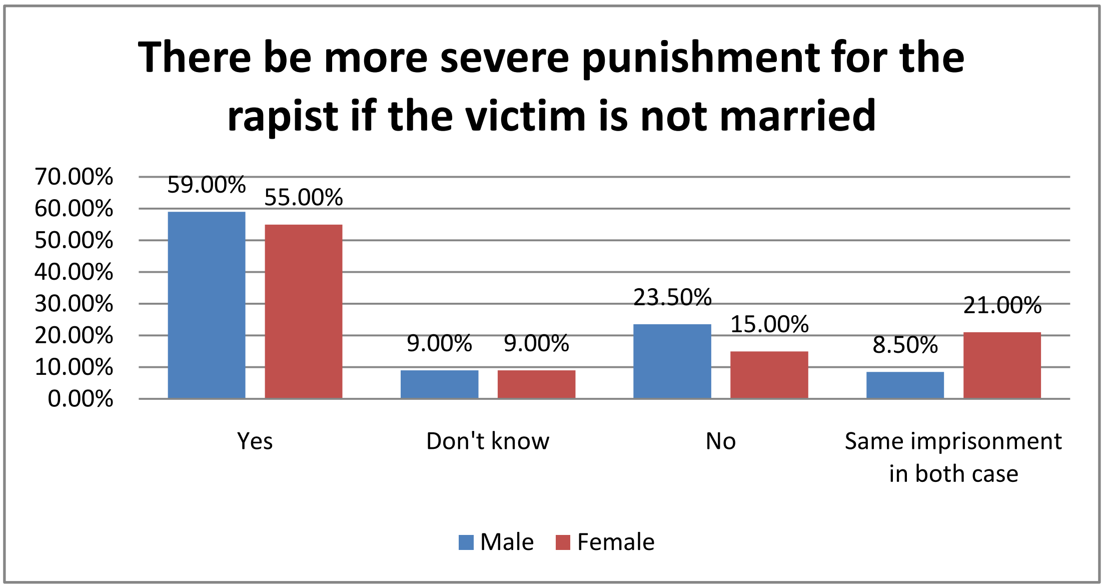

चित्र संख्या 4.21

उपरोक्त सारणी 4.32 में विवाहित एवं अविवाहित बलात्कार पीड़िता के दोषी को दण्ड देने के प्रावधान के संबंध में अभिवृत्ति का मापन किया गया है। उपरोक्त चित्र से ज्ञात होता है कि महिला एवं पुरुष उत्तरदाता का इस संबंध में नकारात्मक अभिवृत्ति है। 59 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं एवं 55 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने माना कि अविवाहित महिला का बलात्कार होने पर अधिक दंड मिलना चाहिए। इस

अभिवृत्ति के पीछे यह सामाजिक मूल्य कार्य करता है कि कौमार्य भंग होने पर बलात्कार पीड़िता की वांछनीयता कम हो जाती है, साथ ही यह भी माना जाता है कि विवाहित महिलाओं की अपेक्षा अविवाहित महिलाओं की मान सम्मान की हानि अधिक होती है। जबकि दोनों को समान रूप से शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुंचता है।

प्रश्न 24 : क्या महिलाओं का पहनावा, जैसे अधिक अंग प्रदर्शित करने वाले कपड़े, तंग ब्लाउज, छोटे कपड़े बलात्कार को आमंत्रित करते हैं ?

सारणी संख्या 4.33

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	99 (49.50%)	37 (18.50%)	136 (34.00%)
पता नहीं	1 (0.50%)	13 (6.50%)	14 (3.50%)
नहीं	98 (49.00%)	139 (69.50%)	237 (59.25%)
उत्तर नहीं देना चाहते	2 (1.00%)	11 (5.50%)	13 (3.25%)
कुल योग	200 (100.00%)	200 (100.00%)	400 (100.00%)
इकाई स्क्वायर परिणाम			
पियर्सन इकाई–2		51.92	
पी–वैल्यू		0.000	

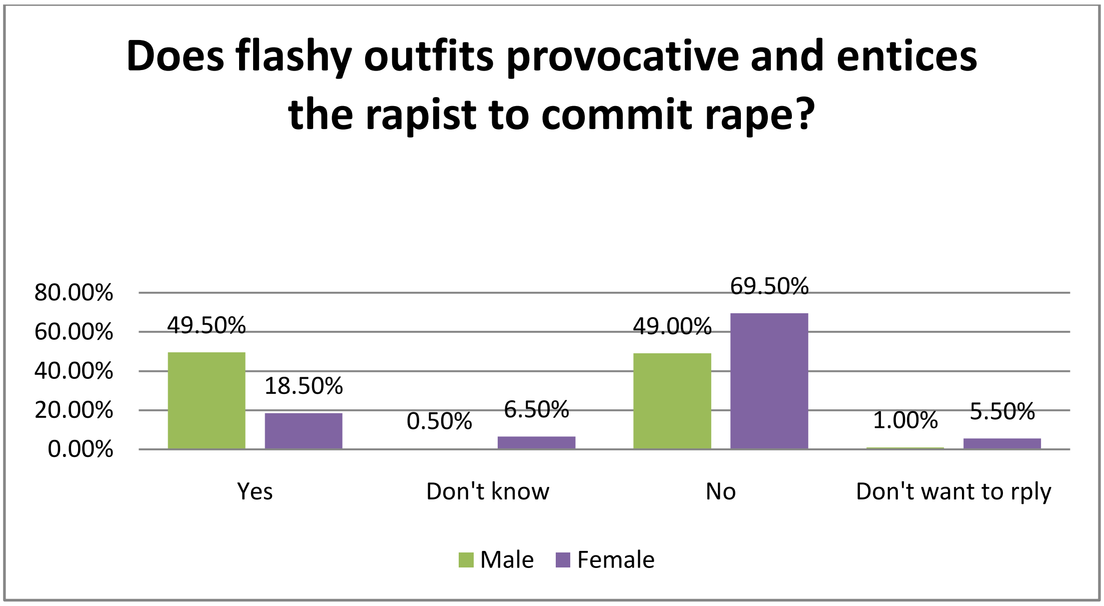

चित्र संख्या 4.22

Ho: बलात्कार पीड़िता का पहनावा बलात्कार को आमंत्रित करता है के सन्दर्भ में लिंग एवं अभिवृत्ति स्वतन्त्र चर है।

Ha: बलात्कार पीड़िता का पहनावा बलात्कार को आमंत्रित करता है के सन्दर्भ में लिंग एवं अभिवृत्ति निर्भर चर है।

उपरोक्त सारणी 4.33 को देख कर ज्ञात होता है कि पी–वेल्यु 0.00 < 0.05 है जो कि सार्थक स्तर (0.05) से कम है। अतः यहाँ नल परिकल्पना स्वीकार्य नहीं की जा सकती। परन्तु लिंगवार अभिवृत्ति में बलात्कार पीड़िता का पहनावा बलात्कार को आमंत्रित करता है के सन्दर्भ में लिंग एवं अभिवृत्ति स्वतन्त्र चर नहीं है क्योंकि 49.50 प्रतिशत लगभाग आधा प्रतिशत पुरुष यह मानते है कि महिलाओं का पहनावा (छोटे कपड़े, तंग ब्लाउज, अधिक अंग प्रदर्शित करने वाले कपड़े) बलात्कार को आमंत्रण देते हैं। इसके विपरीत मात्र 18.50 प्रतिशत महिलाएं ही यह मानती हैं कि महिलाओं का पहनावा बलात्कार को आमंत्रण देते हैं। यह एक बलात्कार मिथक संबंधी प्रश्न है जिसमें पुरुषों में बलात्कार मिथक की स्वीकार्यता महिलाओं की अपेक्षा अधिक है जो कि नकारात्मक अभिवृत्ति की तरफ इंगित करता है।

प्रश्न 25: क्या बलात्कार पीड़िता के परिवार को बलात्कार के लिए शर्मिंदा होना चाहिए ?

सारणी संख्या 4.34

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	60 (30.00%)	17 (8.50%)	77 (19.20%)
पता नहीं	0 (0.00%)	2 (1.00%)	2 (0.50%)
नहीं	139 (69.50%)	180 (90.00%)	319 (79.80%)
उत्तर नहीं देना चाहते	1 (0.50%)	1 (0.50%)	2 (0.50%)
कुल योग	200 (100.00%)	200 (100.00%)	400 (100.00%)

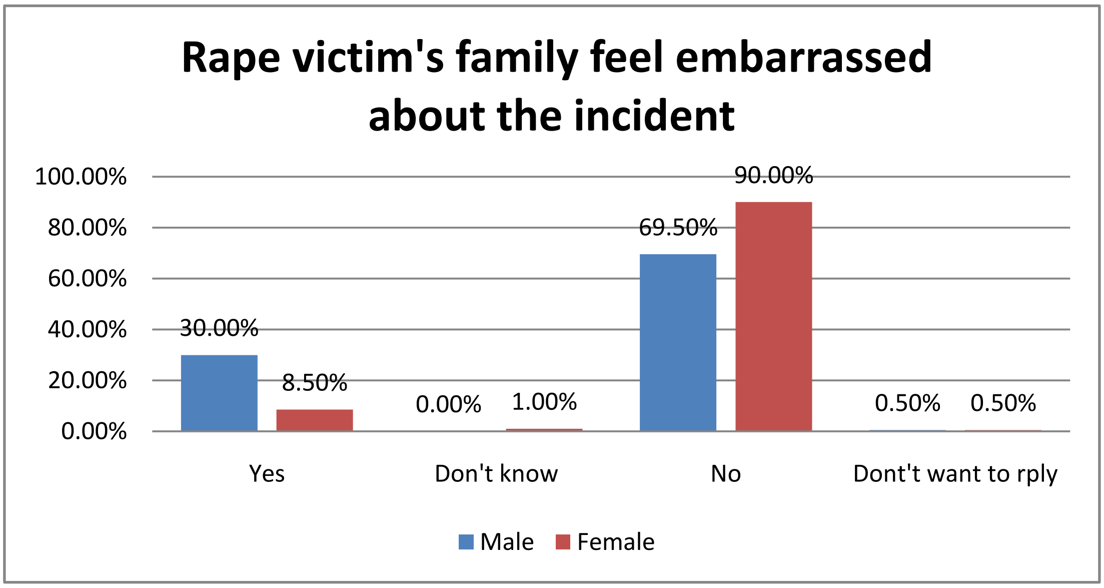

चित्र संख्या 4.23

उपरोक्त चित्र 4.34 से यह ज्ञात होता है कि बलात्कार पीड़िता के परिवार को शर्म अथवा अपमान महसूस करने के सन्दर्भ में पुरुषों की अभिवृत्ति 30.00 प्रतिशत है एवं महिलाओं का 8.50 प्रतिशत है, जो पुरुषों की अपेक्षा काफी कम है। इससे ज्ञात होता है कि महिलाओं की अभिवृत्ति इस सन्दर्भ में पुरुषों की अपेक्षा सकारात्मक है। अनेक शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि बलात्कार पीड़िता के परिवार

के सदस्यों को द्वितीयक पीड़ित के रूप में देखा जाता है, जिन्हें प्राथमिक स्तर पर पीड़िता के सामान ही मानसिक आघात पहुंचता है। उन्हें भी अपमानित होने, कलंकित होने एवं शर्म का अनुभव होता है। समाजीकरण के माध्यम से पारिवारिक आत्म सम्मान के मूल्यों को परिवार के सदस्यों को सिखाया जाता है। भारतीय परम्परागत समाज में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी एवं घर के सम्मान के रूप में देखा जाता है। अतः जब परिवार की स्त्री के साथ बलात्कार की घटना घटित होती है तो इन सारे सामाजिक मूल्यों एवं विश्वासों को आघात पहुंचता है और इसी आधार पर नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है।

प्रश्न 26 : क्या बलात्कार पीड़िता का विवाह किसी भी व्यक्ति से (जैसे की विकलांग, विधुर, बुजुर्ग आदि से) करा देना चाहिए?

सारणी संख्या 4.35

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	123 (61.50%)	72 (36.00%)	195 (48.80%)
पता नहीं	9 (4.50%)	5 (2.50%)	14 (3.50%)
नहीं	67 (33.50%)	121 (60.50%)	188 (47.00%)
उत्तर नहीं देना चाहते	1 (0.50%)	2 (1.00%)	3 (0.80%)
कुल योग	200 (100.00%)	200 (100.00%)	400 (100.00%)
इकाई स्क्वायर परिणाम			
पियर्सन इकाई–2	30.325		
पी–वैल्यू	0.00		

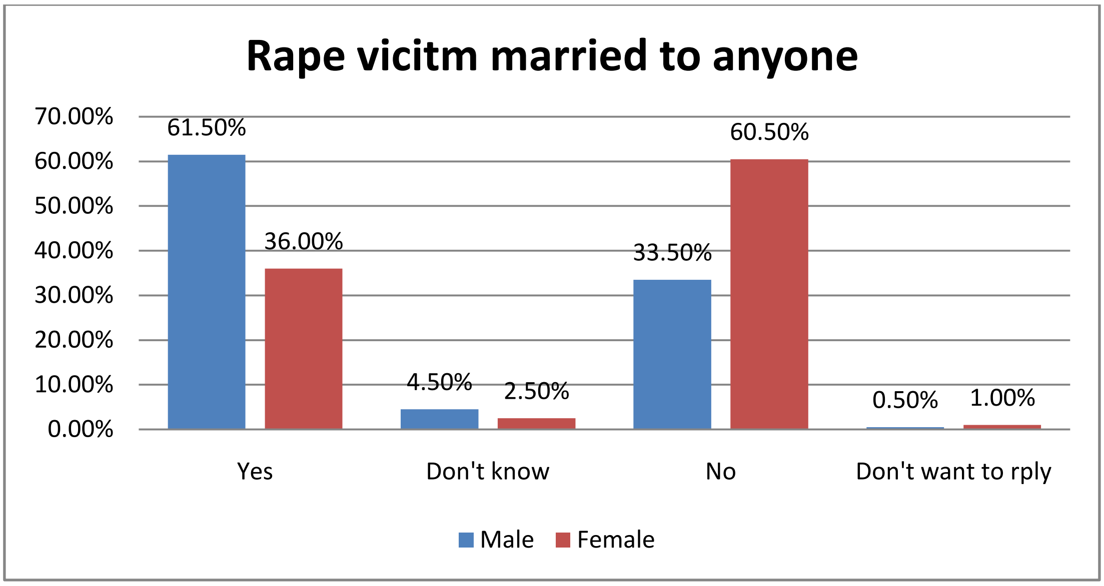

चित्र संख्या 4.24

Ho: बलात्कार पीड़िता के विवाह हेतु कम योग्य होने के सन्दर्भ में लिंग एवं अभिवृत्ति स्वतंत्र चर है।

Ha: बलात्कार पीड़िता के विवाह हेतु कम योग्य होने के सन्दर्भ में लिंग एवं अभिवृत्ति निर्भर चर है।

उपरोक्त सारणी 4.35 में बलात्कार पीड़िता के विवाह संबंधी योग्यता के संबंध में अभिवृत्ति का मापन किया गया है। उपरोक्त चित्र को देख कर ज्ञात होता है कि (पी–वैल्यू 0.00 <0.05 सार्थक स्तर से कम है। अतः यहाँ नल परिकल्पना अस्वीकार्य हो जाती है। लिंगवार इन कारणों का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि बलात्कार पीड़िता के विवाह हेतु कम योग्य होने के सन्दर्भ में लिंग एवं अभिवृत्ति स्वतंत्र चर नही है। इस सन्दर्भ में पुरुषों का 61.50 प्रतिशत है जो यह मानते हैं कि बलात्कार पीड़िता का विवाह किसी से भी करा देना चाहिए जैसे कि (विकलांग, विधुर, बुजुर्ग) आदि से परन्तु 36.00 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि बलात्कार पीड़िता का विवाह किसी से भी करा देना चाहिए। अतः यहाँ पुरुषों की अभिवृत्ति महिलाओं की अपेक्षा अधिक नकारात्मक है इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक मूल्यों में स्त्री की यौन शुचिता को मान सम्मान, पवित्रता, अपवित्रता, कलंक के सन्दर्भ में देखा जाता है। इस कारण बलात्कार पीड़िता को विवाह हेतु

कम योग्य होने की अभिवृत्ति विकसित होती जाती है एवं यह नकारात्मक अभिवृत्ति सामाजिक मूल्यों के माध्यम से स्वयं को पुनर्स्थापित करती रहती है।

प्रश्न 27: क्या एक महिला का बलात्कार उसके पति द्वारा किया जा सकता है?

सारणी संख्या 4.36

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	83 (41.50%)	118 (59.00%)	201 (50.20%)
पता नहीं	2 (1.00%)	20 (10.00%)	22 (5.50%)
नहीं	115 (57.50)	59 (29.50%)	174 (43.50%)
उत्तर नहीं देना चाहते	0 (0.00%)	3 (0.00%)	3 (0.00%)
कुल योग	200 (100.00%)	200 (100.00%)	400 (100.00%)
काई स्क्वायर परिणम			
पियर्सन काई 2		41.845	
पी–वैल्यू		0.000	

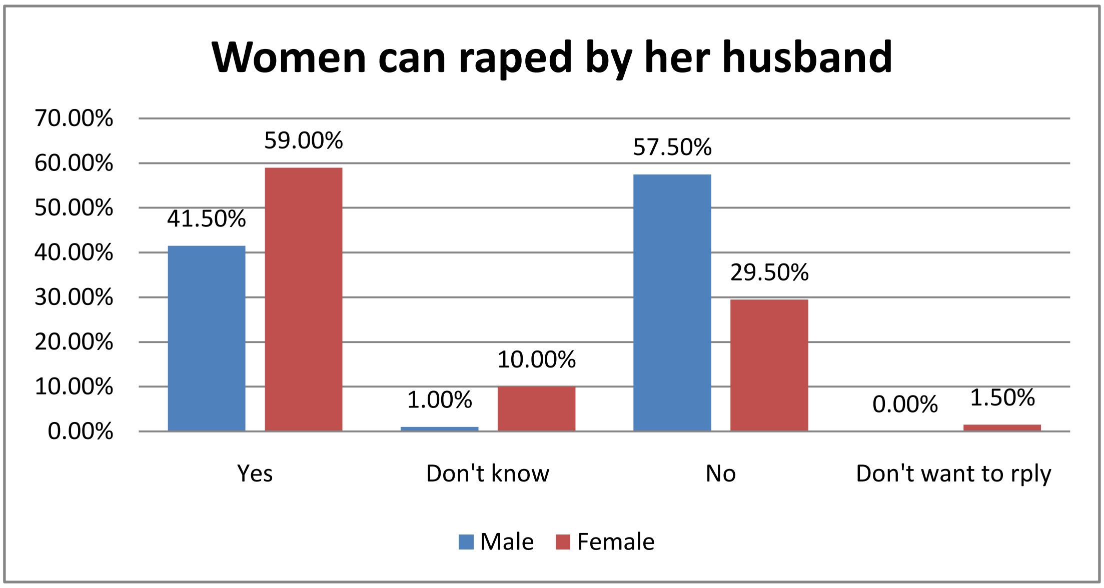

चित्र संख्या 4.25

Ho: जीवन साथी द्वारा बलात्कार के अभिवृत्ति के सन्दर्भ में लिंग एवं अभिवृत्ति स्वतंत्र चर है।

Ha: जीवन साथी द्वारा बलात्कार के अभिवृत्ति के सन्दर्भ में लिंग एवं अभिवृत्ति निर्भर चर है।

उपरोक्त चित्र 4.36 को देख कर ज्ञात होता है कि पी–वैल्यू. 0.00 < 0.05 सार्थक स्तर से कम है। अतः यहाँ नल परिकल्पना स्वीकार्य नहीं होती है। लिंगवार सारणी को देख कर यह ज्ञात होता है कि 41.50 प्रतिशत पुरुष का मानना है कि पति अपनी पत्नी का बलात्कार कर सकता है एवं 59.00 प्रतिशत महिलाएं मानती हैं कि पति द्वारा पत्नी का बलात्कार किया जा सकता है। इस बलात्कार मिथक के संबंध में विवाह सम्बन्धी संस्कार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि विवाह में माना जाता है कि विवाह में यौन संबंध हेतु सहमति सम्मिलित होती ही है। इसलिए जीवनसाथी द्वारा किये गए बलात्कार को बलात्कार के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

प्रश्न 28: एक महिला अगर रात को अकेले बाहर जाती है तो वह स्वयं को बलात्कार होने की स्थिति में डालती है ?

सारणी संख्या 4.37

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	पुरुष उत्तरदाताओं की कुल संख्या	महिला उत्तरदाताओं की कुल संख्या	कुल योग प्रतिशत में
हाँ	105 (52.50%)	65 (32.50%)	170 (42.50%)
पता नहीं	7 (3.50%)	23 (11.50%)	30 (7.50%)
नहीं	88 (44.00%)	107 (53.50%)	195 (48.80%)
उत्तर नहीं देना चाहते	0 (0.00%)	5 (2.50%)	5 (1.20%)
कुल योग	200 (100.00%)	200 (100.00%)	400 (100.00%)
इकाई स्क्वायर परिणाम			
पियर्सन इकाई 2		24.796	
पी–वैल्यू		0.000	

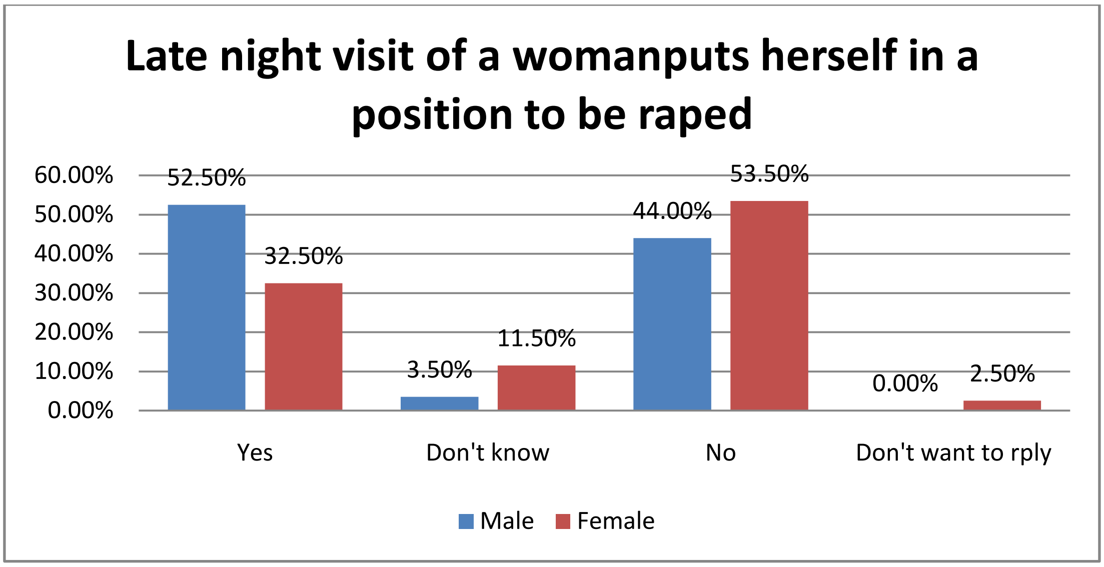

चित्र संख्या 4.26

Ho: बलात्कार पीड़िता पर देर रात बाहर निकलने के संबंध में दोषारोपण करने के संबंध में लिंग एवं अभिवृत्ति स्वतंत्र चर है।

Ha: बलात्कार पीड़िता पर देर रात बाहर निकलने के संबंध में दोषारोपण करने के संबंध में लिंग एवं अभिवृत्ति निर्भर चर है।

उपरोक्त सारणी 4.37 में बलात्कार पीड़िता पर देर रात बाहर निकलने के संबंध में दोषारोपण करने की अभिवृत्ति का मापन किया गया है। पी–वैल्यू 0.00< 0. 05 सार्थक स्तर से कम है। अतः यहाँ नल परिकल्पना स्वीकार्य नहीं होती है। लिंगवार सारणी को देख कर यह ज्ञात होता है कि महिलाओं के देर रात बाहर रहने पर बलात्कार के लिए दोषारोपण में पी–वैल्यू 0.00<0.05 सार्थक स्तर से कम है अतः यहाँ नल परिकल्पना स्वीकार्य नहीं होती है। लिंगवार सारणी को देख कर यह ज्ञात होता है कि 52.50 प्रतिशत पुरुषों का मानना है यदि महिलायें देर रात को बाहर निकलती है तो उनके साथ बलात्कार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जबकि 32.50 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि देर रात बाहर निकलने के कारण उनके साथ बलात्कार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। परन्तु महिलाओं की अभिवृत्ति पुरुषों की तुलना में अधिक सकारात्मक है। रात को आधार मान कर पीड़िता को दोषारोपित करने की अभिवृत्ति बलात्कार मिथकों की स्वीकार्यता कारण होती है।

4.4 बलात्कार पीड़िता के प्रति 400 नगरीय उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति की मिश्रित सारणी के माध्यम से विश्लेषण

मिश्रित सारणी के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता के प्रति 400 नगरीय समाज के लोगों की अभिवृत्ति को अलग अलग आयामों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। मिश्रित सारणी के अंतर्गत उत्तरदाताओं की आयुवार, शैक्षिक स्थितिवार, उत्तरदाता की आर्थिक स्थितिवार परिस्थिति एवं उत्तरदाता के जीविकोपार्जन के आधार पर पीड़िता के प्रति उनके अभिवृत्ति में किस प्रकार का अंतर होता है, को जानने का प्रयास किया गया है और साथ ही यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि क्या इन आयामों के कारण पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति में कुछ अपरिहार्य अंतर है अथवा नहीं। प्रस्तुत मिश्रित सारणी में साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों को तीन आधारों पर विभाजित करके उनका विश्लेषण किया गया है।

प्रथमः बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपण संबंधी अभिवृत्ति का मापन।

द्वितीयः बलात्कार पीड़िता का बलात्कार हमले के बाद कम वांछित होने के संबंध में।

तृतीयः बलात्कार हमले के बाद बलात्कार पीड़िता के स्थानापन्न से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है।

प्रश्न 29: क्या किसी महिला का बलात्कार उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा सकता है?

आयुवार उत्तरदाताओं के अभिवृत्ति का विश्लेषण

सारणी सं० 4.38

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं की आयु	**हाँ**	**पता नहीं**	**नहीं**	**उत्तर नहीं देना चाहते**	**कुल योग**
18-25	52 (70.30%) (15.30%)	2 (2.70%) (40.00%)	20 (27.00%) (36.40%)	0 (0.00%) (0.00%)	74 (100.00%) (18.50%)
26-30	96 (89.70%) (28.30%)	0 (0.00%) (0.00%)	11 (10.30%) (20.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	107 (100.00%) (26.80%)
31-35	96 (93.20%) (28.30%)	1 (1.00%) (20.00%)	6 (5.80%) (10.90%)	0 (0.00%) (0.00%)	103 (100.00%) (25.80%)
36-40	65 (86.70%) (19.20%)	2 (2.70%) (40.00%)	7 (9.30%) (12.70%)	1 (1.30%) (100.00%)	75 (100.00%) (18.80%)
40 से अधिक	30 (73.20%) (8.80%)	0 (0.00%) (0.00%)	11 (26.80%) (20.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	41 (100.00%) (10.30%)

उपरोक्त सारणी 4.38 में उत्तरदाताओं की पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का मापन आयुवार किया गया है। जिसमें 18–25 आयु वर्ग में 70.30 प्रतिशत, 26–30 आयु वर्ग में 89.70 प्रतिशत, 31–35 आयु वर्ग में 93.20 प्रतिशत, 36–40 आयु वर्ग में 86.70 प्रतिशत, 40 से अधिक आयु वर्ग में 73.20 प्रतिशत लोगों ने माना कि बलात्कार पीड़िता का बलात्कार उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा सकता है। सामान्यतः समाज में बलात्कार के संबंध में यह मिथक व्याप्त होता है कि किसी भी महिला का बलात्कार उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता और एक स्वस्थ महिला अपने प्रति होने वाले बलात्कार को रोक सकती है। सारणी को देख कर ज्ञात होता है कि इस सन्दर्भ में लगभग सभी आयु वर्गों में इस संबंध में बलात्कार मिथक की स्वीकृति कम है परन्तु तुलनात्मक रूप से कम आयु वर्ग एवं 40 से अधिक आयु वर्ग में बलात्कार मिथक की स्वीकृति अधिक है। कम आयु वर्ग के युवाओं में 74 में से 20 उत्तरदाता 27.00 प्रतिशत ने माना कि महिला के इच्छा के विरुद्ध उसका बलात्कर नहीं किया जा सकता है। युवाओं में मिथक की स्वीकृति

अधिक होने के कारण अपरिपक्वता हो सकती है। इन पर सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का दबाव अधिक होता है। इसके विपरीत 40 से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं में 41 में से 11 उत्तरदाताओं जो कि 26.80 प्रतिशत ने माना कि महिला का बलात्कार इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा के प्रति अधिक आस्था होने के कारण बलात्कार मिथकों की स्वीकृति अधिक होती है।

प्रश्न 29(1) : क्या किसी महिला का बलात्कार उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा सकता है?

उत्तरदाताओं का शैक्षिक आधार पर अभिवृत्ति मापन

सारणी स० 4.38(1)

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
अशिक्षित	3 (37.50%) (0.90%)	1 (12.50%) (20.00%)	4 (50.00%) (7.30%)	0 (0.00%) (0.00%)	8 (100.00%) (2.00%)
प्राथमिक शिक्षा	10 (50.00%) (2.90%)	1 (5.00%) (20.00%)	9 (45.00%) (16.40%)	0 (0.00%) (0.00%)	20 (100.00%) (5.00%)
उच्च माध्यमिक	106 (85.50%) (31.30%)	1 (0.80%) (20.00%)	17 (13.70%) (30.90%)	0 (0.00%) (0.00%)	124 (100.00%) (31.00%)
स्नातक	146 (91.30%) (43.10%)	0 (0.00%) (0.00%)	14 (8.80%) (25.50%)	0 (0.00%) (0.00%)	160 (100.00%) (40.00%)
परास्नातक	61 (84.70%) (18.00%)	1 (1.40%) (20.00%)	9 (12.50%) (16.40%)	1 (1.40%) (100.00%)	72 (100.00%) (18.00%)
अन्य	13 (81.30%) (3.80%)	1 (6.30%) (20.00%)	2 (12.50%) (3.60%)	0 (0.00%) (0.00%)	16 (100.00%) (4.00%)

उपरोक्त सारणी 4.38 (1) में बलात्कार पीड़िता के इच्छा के विरुद्ध बलात्कार के सन्दर्भ में शैक्षिक स्थितिवार अभिवृत्ति का मापन किया गया है। प्राप्त आंकड़ों को देख कर ज्ञात होता है कि अधिकतर उत्तरदाता शिक्षित की श्रेणी में आते हैं। अशिक्षित 50.0 प्रतिशत, प्राथमिक स्तर 45.00 प्रतिशत, उच्चमाध्यमिक 13.70

प्रतिशत, स्नातक 8.80 प्रतिशत, परास्नातक 12.50 प्रतिशत, अन्य डिग्री धारक 12.50 प्रतिशत। सम्पूर्ण आंकड़ों को देख कर स्पष्ट होता है कि शिक्षित होने के कारण पीड़िता के प्रति बलात्कार मिथक की स्वीकृति कम है। परन्तु तुलनात्मक रूप से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि अशिक्षित उत्तरदाताओं में बलात्कार मिथक स्वीकृति अधिक है। 400 उत्तरदाताओं में मात्र 8 उत्तरदाता अशिक्षित हैं, जिसमें 4 उत्तरदाता में बलात्कार मिथक की स्वीकृति अधिक है। हालांकि अशिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या मात्र 8 ही है अतः इसे हम निर्णायक नहीं मान सकते हैं।

प्रश्न 29(2) : क्या किसी महिला का बलात्कार उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा सकता है?

जीविकोपार्जन के आधार पर अभिवृत्ति का मापन

सारणी स० 4.38(2)

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
उत्तरदाता की जीविकोपार्जन स्थिति	हाँ	पता नही	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
बेरोजगार	9 (47.40%) (2.70%)	1 (5.30%) (20.00%)	9 (47.40%) (16.40%)	0 (0.00%) (0.00%)	19 (100.00%) (4.80%)
सरकारी कर्मचारी	27 (90.00%) (8.00%)	1 (3.30%) (20.00%)	2 (6.70%) (3.60%)	0 (0.00%) (0.00%)	30 (100.00%) (7.50%)
गैर सरकारी कर्मचारी	93 (88.60%) (27.40%)	0 (0.00%) (0.00%)	11 (10.50%) (20.00%)	1 (1.00%) (100.00%)	105 (100.00%) (26.30%)
व्यवसाय	65 (85.50%) (19.20%)	0 (0.00%) (0.00%)	11 (14.50%) (20.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	76 (100.00%) (19.00%)
विद्यार्थी	43 (84.30%) (12.70%)	1 (2.00%) (20.00%)	7 (13.70%) (12.70%)	0 (0.00%) (0.00%)	51 (100.00%) (12.80%)
गृहणी	79 (89.80%) (23.30%)	1 (1.10%) (20.00%)	8 (9.10%) (14.50%)	0 (0.00%) (0.00%)	88 (100.00%) (22.00%)
अन्य	23 (74.20%) (6.80%)	1 (3.20%) (20.00%)	7 (22.60%) (12.70%)	0 (0.00%) (0.00%)	31 (100.00%) (7.80%)

उपरोक्त सारणी 4.38 (2) में जीविकोपार्जन के आधार पर बलात्कार पीड़िता के इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किये जाने की अभिवृत्ति का मापन किया गया है। जिसमें बेरोजगार वर्ग में 47.40 प्रतिशत, सरकारी कर्मचारी वर्ग में 90.0 प्रतिशत, गैर सरकारी कर्मचारी वर्ग में 88.60 प्रतिशत, व्यावसायिक वर्ग में 85.50 प्रतिशत, गृहणी वर्ग में 89.80 प्रतिशत, विद्यार्थी वर्ग में 84.30 प्रतिशत, अन्य निम्न जीविकोपार्जन वर्ग में 74.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि महिला का बलात्कार उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा सकता है। आकड़ों को दृष्टिपात करने पर स्पष्ट हो जाता है कि बलात्कार पीड़िता के प्रति लगभग सभी जीविकोपार्जन के क्षेत्रों में सकारात्मक अभिवृत्ति है। बलात्कार पीड़िता के प्रति बलात्कार मिथक की स्वीकृति कम है। परन्तु तुलनात्मक रूप से देखने पर बेरोजगार लोगों में बलात्कार मिथकों की स्वीकृति अधिक है। 19 में से 9 लोगों ने माना कि महिला का बलात्कार उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 29(3) : क्या किसी महिला का बलात्कार उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा सकता है?

<u>आर्थिक परिस्थितिवार उत्तरदाता की अभिवृत्ति का मापन</u>

<u>सारणी सं० 4.38(3)</u>

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
उत्तरदाताओं की आर्थिक परिस्थिति	**हाँ**	**पता नहीं**	**नहीं**	**उत्तर नहीं देना चाहते**	**कुल योग**
अति उच्च वर्ग	2 (25.00%) (0.60%)	0 (0.00%) (0.00%)	6 (75.00%) (10.90%)	0 (0.00%) (0.00%)	8 (100.00%) (2.00%)
उच्च वर्ग	44 (86.30%) (13.00%)	1 (2.00%) (20.00%)	6 (11.80%) (10.90%)	0 (0.00%) (0.00%)	51 (100.00%) (12.75%)
मध्यम वर्ग	223 (85.80%) (65.80%)	2 (0.80%) (40.00%)	34 (13.10%) (61.80%)	1 (0.40%) (100.00%)	260 (100.00%) (65.00%)
निम्न वर्ग	70 (86.40%) (20.60%)	2 (2.50%) (40.00%)	9 (11.10%) (16.40%)	0 (0.00%) (0.00%)	81 (100.00%) (20.25%)

डपरोक्त सारणी को देख कर यह स्पष्ट होता है कि बलात्कार पीड़िता के प्रति बलात्कार मिथकों की स्वीकृति के सन्दर्भ में लगभग सभी वर्गों में बलात्कार मिथकों की स्वीकृति कम है। अतः यहाँ कहा जा सकता है कि बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति पर जीविकोपार्जन के कारण ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। परन्तु सापेक्षिक रूप से देखने पर पता चलता है कि अति उच्च वर्ग में 8 में से 6 लोगों ने माना है कि बलात्कार पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध बलात्कार नहीं किया जा सकता है, जबकि निम्न वर्ग में 81 उत्तरदाताओं में से 70 उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति नकारात्मक आयी है। मध्यमवर्ग में 65.05 प्रतिशत उत्तरदाताओं की सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है।

प्रश्न 30: क्या बलात्कार के लिए बलात्कारी एवं पीड़िता दोनों ही जिम्मेदार होते हैं?

<u>**आयुवार पीड़िता पर दोषारोपण करने की अभिवृत्ति का मापन**</u>

<u>**सारणी सं० 4.39**</u>

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं की आयु	**हाँ**	**पता नहीं**	**नहीं**	**उत्तर नहीं देना चाहते**	**कुछ मामलों में**	**कुल योग**
18-25	9 (12.20%) (23.10%)	2 (2.70%) (33.30%)	63 (85.10%) (18.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	74 (100.00%) (18.50%)
26-30	10 (9.30%) (25.60%)	2 (1.90%) (33.30%)	95 (88.80%) (27.10%)	0 (0.00%) (0.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	107 (100.00%) (26.80%)
31-35	9 (8.70%) (23.10%)	1 (1.00%) (16.70%)	90 (87.40%) (25.70%)	2 (1.90%) (50.00%)	1 (1.00%) (100.00%)	103 (100.00%) (25.75%)
36-40	6 (8.00%) (15.40%)	0 (0.00%) (0.00%)	68 (90.70%) (19.40%)	1 (1.30%) (25.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	75 (100.00%) (18.80%)
40 से अधिक	5 (12.20%) (12.80%)	1 (2.40%) (16.70%)	34 (82.90%) (9.70%)	1 (2.40%) (25.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	41 (100.00%) (10.25%)

उपरोक्त सारणी 4.39 को देख कर यह ज्ञात होता है कि बलात्कार पीड़िता पर बलात्कार के लिए दोषारोपित करने की अभिवृत्ति लगभग सभी आयु वर्ग में

सकारात्मक अभिवृत्ति है? इन सभी आयु वर्गों में बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराने की अभिवृत्ति का प्रतिशत अत्यधिक कम है जो महत्वपूर्ण नहीं है। प्राप्त आकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि नगरीय समाज के लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों की दोषारोपण की अभिवृत्ति सकारात्मक है परन्तु तुलनात्मक रूप से 26–30 आयु वर्ग में 25.6 प्रतिशत लोगों में दोषारोपित करने की अभिवृत्ति सर्वाधिक है।

प्रश्न 30(1) : क्या बलात्कार के लिए बलात्कारी एवं पीड़िता दोनों ही जिम्मेदार होते है?

शैक्षिक स्थितिवार बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपण अभिवृत्ति मापन

सारणी सं० 4.39 (1)

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुछ मामलों में	कुल योग
अशिक्षित	0 (0.00%) (0.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	8 (100.00%) (2.25%)	0 (0.00%) (0.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	8 (100.00%) (2.00%)
प्राथमिक शिक्षा	4 (20.00%) (10.25%)	1 (5.00%) (16.70%)	15 (75.00%) (4.25%)	0 (0.00%) (0.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	20 (100.00%) (5.00%)
उच्च माध्यमिक	15 (12.10%) (38.50%)	1 (0.80%) (16.70%)	108 (87.10%) (30.90%)	0 (0.00%) (0.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	124 (100.00%) (31.00%)
स्नातक	14 (8.80%) (35.85%)	2 (1.30%) (33.30%)	143 (89.40%) (40.90%)	0 (0.00%) (0.00%)	1 (0.60%) (100.00%)	160 (100.00%) (40.00%)
परास्नातक	3 (4.20%) (7.70%)	2 (2.80%) (33.30%)	64 (88.90%) (18.30%)	3 (4.20%) (75.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	72 (100.00%) (18.00%)
अन्य	3 (18.80%) (7.70%)	0 (0.00%) (0.00%)	12 (75.00%) (3.40%)	1 (6.30%) (25.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	16 (100.00%) (4.00%)

उपरोक्त सारणी 4.39(1) से यह स्पष्ट होता है कि लगभग सभी शैक्षिक स्तर पर बलात्कार पीड़िता को दोषारोपित करने की अभिवृत्ति सकारात्मक है। सभी शैक्षिक सत्र के लोगों में बलात्कार पीड़िता पर बलात्कार के लिए दोषी ठहराने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अत्यधिक कम है। यह कम प्रतिशत सकारात्मक अभिवृत्ति

की ओर इंगित करता है। तुलनात्मक रूप से देखने पर पता चलता है कि अशिक्षित उत्तरदाताओं में मात्र 8 उत्तरदाता ही सम्मिलित हुए और सकारात्मक अभिवृत्ति का प्रतिशत 100 प्रतिशत आया है। इसके विपरीत अति शिक्षित लोगों में कुछ प्रतिशत लोगों ने बलात्कार पीड़िता को बलात्कार के लिए दोषी माना है। अतः जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि नकारात्मक अभिवृत्ति एवं अशिक्षित होने का कोई संबंध नहीं है।

प्रश्न 30(2) : क्या बलात्कार के लिए बलात्कारी एवं पीड़िता दोनों ही जिम्मेदार होते हैं?

उत्तरदाताओं की जीविकोपार्जन–वार पीड़िता को दोषी ठहराने की अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.39(2)

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाता की जीविकोपार्जन स्थिति	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुछ मामलों में	कुल योग
बेरोजगार	4 (21.10%) (10.30%)	1 (5.30%) (16.60%)	13 (68.30%) (3.70%)	0 (0.00%) (0.00%)	1 (5.30%) (100.00%)	19 (100.00%) (4.75%)
सरकारी कर्मचारी	4 (13.30%) (10.30%)	1 (3.30%) (16.70%)	25 (83.40%) (7.10%)	0 (0.00%) (0.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	30 (100.00%) (7.50%)
गैर सरकारी कर्मचारी	9 (8.60%) (23.10%)	1 (1.00%) (16.70%)	92 (87.60%) (26.30%)	3 (2.80%) (75.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	105 (100.00%) (26.25%)
व्यवसाय	8 (10.50%) (20.50%)	0 (0.00%) (0.00%)	68 (89.50%) (19.40%)	0 (0.00%) (0.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	76 (100.00%) (19.00%)
विद्यार्थी	3 (5.90%) (7.70%)	0 (0.00%) (0.00%)	48 (94.10%) (13.70%)	0 (0.00%) (0.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	51 (100.00%) (12.75%)
गृहणी	6 (6.80%) (15.30%)	2 (2.30%) (33.30%)	79 (89.80%) (22.70%)	1 (1.10%) (25.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	88 (100.00%) (22.00%)
अन्य	5 (16.10%) (12.80%)	1 (3.25%) (16.70%)	25 (80.65%) (7.10%)	0 (0.00%) (0.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	31 (100.00%) (7.75%)

उपरोक्त सारणी 4.39(2) में जीविकोपार्जन के आधार पर बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराने की अभिवृत्ति का मापन किया गया है। जिसमें बेरोजगार वर्ग में 68.30 प्रतिशत, सरकारी कर्मचारी वर्ग में 83.40 प्रतिशत, गैर सरकारी कर्मचारी वर्ग में 87.60 प्रतिशत, व्यवसायिक वर्ग में 89.50 प्रतिशत, गृहणी वर्ग में 89.80 प्रतिशत, विद्यार्थी वर्ग में 94.10 प्रतिशत, अन्य जीविकोपार्जन वर्ग में 80.65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना है कि बलात्कार के लिए बलात्कारी एवं पीड़िता दोनों जिम्मेदार नहीं होते हैं। इन आंकड़ों को देखने पर स्पष्ट होता है कि सभी प्रकार के जीविकोपार्जन से जुड़े उत्तरदाताओं में बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराने की अभिवृत्ति सकारात्मक है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि नगरीय क्षेत्र में जीविका अर्जित करने वालों में बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति अत्यधिक कम है।

प्रश्न 30(3): क्या बलात्कार के लिए बलात्कारी एवं पीड़िता दोनों ही जिम्मेदार होते हैं?

<u>सारणी सं० 4.39(3)</u>

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं की आर्थिक परिस्थिति	**हाँ**	**पता नहीं**	**नहीं**	**उत्तर नहीं देना चाहते**	**कुछ मामलों में**	**कुल योग**
अति उच्च वर्ग	1 (12.50%) (2.60%)	0 (0.00%) (0.00%)	7 (87.50%) (2.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	8 (100.00%) (2.00%)
उच्च वर्ग	3 (5.90%) (7.70%)	2 3.90% 33.30%	46 (90.20%) (13.15%)	0 (0.00%) (0.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	51 (100.00%) (12.75%)
मध्यम वर्ग	24 (9.20%) (61.50%)	3 1.20% 50.00%	228 (87.70%) (65.15%)	4 (1.50%) (100.00%)	1 (0.40%) (100.00%)	260 (100.00%) (65.00%)
निम्न वर्ग	11 (13.60%) (28.20%)	1 1.20% 16.70%	69 (85.20%) (19.70%)	0 (0.00%) (0.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	81 (100.00%) (20.25%)

उपरोक्त सारणी 4.39(3) में उत्तरदाताओं के आर्थिक परिस्थिति के आधार पर बलात्कार पीड़िता को बलात्कार के लिए दोषी ठहराने की अभिवृत्ति के मापन के सन्दर्भ में नगरीय समाज के लोगों की अभिवृत्ति सकारात्मक प्राप्त हुई है। अति

उच्च वर्ग में 87.50 प्रतिशत लोगों की अभिवृत्ति सकारात्मक है। उच्च वर्ग में 90.20 प्रतिशत लोगों की अभिवृत्ति सकारात्मक प्राप्त हुई है। मध्यम वर्ग में सर्वाधिक उत्तरदाताओं की संख्या है उसके बावजूद भी मध्यम वर्ग का प्रतिशत 87.70 प्रतिशत प्राप्त हुई है जो कि सापेक्षिक रूप से कम सकारात्मक प्रतीत हो रही है एवं निम्न वर्ग में 85.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि बलात्कार के लिए बलात्कारी एवं पीड़िता दोनों ही जिम्मेदार नहीं होते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि नगरीय समाज के सभी वर्गों में बलात्कार के लिए पीड़िता एवं बलात्कारी दोनों को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। इस सन्दर्भ में सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है।

प्रश्न 31: क्या बलात्कार पीड़िता अपने प्रति हुए बलात्कार के लिए जिम्मेदार होती है?

आयुवार बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराने की अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.40

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं की आयु	**हाँ**	**पता नहीं**	**नहीं**	**उत्तर नहीं देना चाहते**	**कुल योग**
18-25	4 (5.40%) (14.81%)	0 (0.00%) (0.00%)	70 (94.60%) (19.10%)	0 (0.00%) (0.00%)	74 (100.00%) (18.50%)
26-30	9 (8.40%) (33.33%)	1 (0.95%) (33.30%)	96 (89.70%) (26.20%)	1 (0.95%) (33.33%)	10 (100.00%) (26.75%)
31-35	7 (6.80%) (25.93%)	2 (1.90%) (66.70%)	93 (90.30%) (25.30%)	1 (1.00%) (33.33%)	103 (100.00%) (25.75%)
36-40	1 (1.25%) (3.70%)	0 (0.00%) (0.00%)	73 (97.50%) (19.90%)	1 (1.25%) (33.33%)	75 (100.00%) (18.75%)
40 से अधिक	6 (14.60%) (22.22%)	0 (0.00%) (0.00%)	35 (85.40%) (9.50%)	0 (0.00%) (0.00%)	41 (100.00%) (10.25%)

उपरोक्त सारणी 4.40 में बलात्कारक पीड़िता को बलात्कार हेतु दोषी ठहराने के सन्दर्भ में आयुवार उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति का मापन किया गया है। 18–25 वर्ष के आयु का सकारात्मक प्रतिशत 94.60 प्रतिशत है। 26–30 आयु वर्ग के लोगों का 89.70 प्रतिशत सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है। 36–40 आयु वर्ग के

लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक 97.50 प्रतिशत है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि नगरीय समाज के सभी आयु वर्ग के लोगों की अभिवृत्ति सकारात्मक होती है। तुलनात्मक रूप से देख कर पता चलता है कि 36–40 आयु वर्ग के लोगों में पीड़िता को दोषारोपण करने की प्रवृत्ति सबसे कम है। 40 से आधिक आयु वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 85.40 प्रतिशत है। सम्पूर्ण आंकड़े बलात्कार पीड़िता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति की ओर इंगित करते हैं।

प्रश्न 31(1) : क्या बलात्कार पीड़िता अपने प्रति हुए बलात्कार के लिए जिम्मेदार होती है?

शैक्षिक स्थितिवार पीड़िता को दोषारोपित करने वाली अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.40 (1)

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
अशिक्षित	0 (0.00%) (0.00%)	1 (12.50%) (33.33%)	7 (87.50%) (1.90%)	0 (0.00%) (0.00%)	8 (100.00%) (2.00%)
प्राथमिक शिक्षा	4 (20.00%) (14.82%)	0 (0.00%) (0.00%)	16 (80.00%) (4.40%)	0 (0.00%) (0.00%)	20 (100.00%) (5.00%)
उच्च माध्यमिक	11 (8.90%) (40.74%)	1 (0.80%) (33.33%)	112 (90.30%) (30.50%)	0 (0.00%) (0.00%)	124 (100.00%) (31.00%)
स्नातक	8 (5.00%) (29.63%)	0 (0.00%) (0.00%)	151 (94.40%) (41.10%)	1 (0.60%) (33.30%)	160 (100.00%) (40.00%)
परास्नातक	4 (5.60%) (14.81%)	1 (1.40%) (33.33%)	65 (90.25%) (17.70%)	2 (2.75%) (66.70%)	72 (100.00%) (18.00%)
अन्य	0 (0.00%) (0.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	16 (100.00%) (4.40%)	0 (0.00%) (0.00%)	16 (100.00%) (4.40%)

प्रस्तुत सारणी 4.40 (1) में शैक्षिक स्थितिवार उत्तरदाताओं का बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराने की अभिवृत्ति का मापन किया गया है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 8 बेरोजगार उत्तरदाताओं में से 7 उत्तरदाताओं न माना कि बलात्कार पीड़िता बलात्कार के लिए उत्तरदायी नहीं होती है यह 87.50 प्रतिशत सकारात्मक अभिवृत्ति दिखा रहा है। जबकी 1 उत्तरदाता ने प्रत्युत्तर नहीं दिया।

अतः इस सन्दर्भ में हम कह सकते हैं कि बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराने में बेरोजगार वर्ग में सकारात्मक अभिवृत्ति है। इसके अलावा अन्य शैक्षिक स्थिति वाले उत्तरदाता में 100.0 प्रतिशत सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है। स्नातक एवं परास्नातक स्तर प्रशिक्षित उत्तरदाताओं का प्रतिशत क्रमशः 94.40 प्रतिशत एवं 90.30 प्रतिशत सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक स्थितिवार उत्तरदाताओं के अभिवृत्ति में अधिक अंतर नहीं आया है एवं नगरीय समाज में शैक्षिक स्थितिवार बलात्कार पीड़िता को दोषारोपण करने की अभिवृत्ति सकारात्मक है।

प्रश्न 31(2) : क्या बलात्कार पीड़िता अपने प्रति हुए बलात्कार के लिए जिम्मेदार होती है?

जीविकोपार्जन–वार बलात्कार पीड़िता को दोषारोपित करने की अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.40 (2)

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
उत्तरदाताओं की जीविकोपार्जन स्थिति	**हाँ**	**पता नहीं**	**नहीं**	**उत्तर नहीं देना चाहते**	**कुल योग**
बेरोजगार	0 (0.00%) (0.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	19 (100.00%) (5.20%)	0 (0.00%) (0.00%)	19 (100.00%) (4.75%)
सरकारी कर्मचारी	1 (3.30%) (3.70%)	0 (0.00%) (0.00%)	27 (90.00%) (7.35%)	2 (6.70%) (66.70%)	30 (100.00%) (7.50%)
गैर सरकारी कर्मचारी	7 (6.70%) (26.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	98 (93.30%) (26.65%)	0 (0.00%) (0.00%)	105 (100.00%) (26.25%)
व्यवसाय	8 (10.53%) (29.60%)	1 (1.31%) (33.30%)	66 (86.85%) (18.00%)	1 (1.31%) (33.30%)	76 (100.00%) (19.00%)
विद्यार्थी	1 (2.00%) (3.70%)	0 (0.00%) (0.00%)	50 (98.00%) (13.60%)	0 (0.00%) (0.00%)	51 (100.00%) (12.75%)
गृहणी	5 (5.70%) (18.50%)	2 (2.30%) (66.70%)	81 (92.00%) (22.10%)	0 (0.00%) (0.00%)	88 (100.00%) (22.00%)
अन्य	5 (16.10%) (18.50%)	0 (0.00%) (0.00%)	26 (83.90%) (7.10%)	0 (0.00%) (0.00%)	31 (100.00%) (7.75%)

उपरोक्त सारणी 4.40 (2) के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपण से संबंधित अभिवृत्ति का मापन उत्तरदाताओं की जीविकोपार्जन के आधार पर जांचने

का प्रयास किया गया है। प्राप्त आंकड़ों को विश्लेषित करने के बाद यह ज्ञात होता है कि बेरोजगार उत्तरदाताओं की सकारात्मक अभिवृत्ति 100.0 प्रतिशत प्राप्त हुई है। सरकारी कर्मचारी उत्तरदाताओं का 90.00 प्रतिशत, गैर सरकारी उत्तरदाताओं का 93.30 प्रतिशत, व्यवसायिक कार्य करने वालों का 86.85 प्रतिशत, विद्यार्थी का 98.00 प्रतिशत, गृहणी का 92.00 प्रतिशत एवं अन्य रोजगार करने वालों का 83.90 प्रतिशत है। कुल मिलाकर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बलात्कार पीड़िता को दोषारोपित करने में जीविकोपार्जन के आधार पर सकारात्मक अभिवृत्ति की प्राप्ति हुई है। एवं जीविका के आधार पर दोषारोपण करने की अभिवृत्ति एवं जीविकोपार्जन में कोई संबंध नहीं है।

प्रश्न 31(3): क्या बलात्कार पीड़िता अपने प्रति हुए बलात्कार के लिए जिम्मेदार होती है?

आर्थिक परिस्थितिवार बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपण अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.40(3)

उत्तरदाताओं की आर्थिक परिस्थिति	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
अति उच्च वर्ग	2 (25.00%) (7.40%)	0 (0.00%) (0.00%)	6 (75.00%) (1.60%)	0 (0.00%) (0.00%)	8 (100.00%) (2.00%)
उच्च वर्ग	1 (2.00%) (3.70%)	1 (2.00%) (33.30%)	48 (94.00%) (13.10%)	1 (2.00%) (33.30%)	51 (100.00%) (12.70%)
मध्यम वर्ग	15 (5.80%) (55.60%)	2 (0.75%) (66.70%)	241 (92.70%) (65.70%)	2 (0.75%) (66.70%)	260 (100.00%) (65.00%)
निम्न वर्ग	9 (11.10%) (33.30%)	0 (0.00%) (0.00%)	72 (88.90%) (19.60%)	0 (0.00%) (0.00%)	81 (100.00%) (20.30%)

उपरोक्त सारणी 4.40(3) में बलात्कार के लिए दोषी ठहराए जाने वाली अभिवृत्ति का मापन उत्तरदाता की आर्थिक स्थिति के आधार पर किया गया है। बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपण करने के सन्दर्भ में सभी वर्गों में अभिवृत्ति सकारात्मक है परन्तु सापेक्षिक उपरोक्त तालिका को देख कर ज्ञात होता है कि

अति उच्च वर्ग सकारात्मक अभिवृत्ति का प्रतिशत 75.00 प्रतिशत, उच्च वर्ग 94.00 प्रतिशत, मध्यम वर्ग 92.70 प्रतिशत एवं निम्न वर्ग का 88.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि सभी वर्गों से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बलात्कार पीड़िता के प्रति अति उच्च वर्ग में बाकी के तीन वर्गों की अपेक्षा नकारात्मक अभिवृत्ति है परन्तु यह स्पष्ट रूप से निर्णायक नहीं प्रतीत हो रहा है।

प्रश्न 32: जिन बलात्कार पीड़ित महिलाओं का पहले से ही यौन संबंध हो तो, क्या उन्हें बलात्कार की घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए ?

आयुवार बलात्कार पीड़िता को दोषारोपित करने की अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.41

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं की आयु	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
18-25	28 (37.80%) (27.20%)	9 (12.20%) (34.62%)	35 (47.30%) (13.11%)	2 (2.70%) (50.00%)	74 (100.00%) (18.50%)
26-30	22 (20.60%) (21.40%)	3 (2.80%) (11.54%)	81 (75.70%) (30.34%)	1 (0.90%) (25.00%)	107 (100.00%) (26.75%)
31-35	19 (18.40%) (18.40%)	7 (6.80%) (26.92%)	77 (74.80%) (28.84%)	0 (0.00%) (0.00%)	103 (100.00%) (25.75%)
36-40	18 (24.00%) (17.50%)	3 (4.00%) (11.54%)	54 (72.00%) (20.22%)	0 (0.00%) (0.00%)	75 (100.00%) (18.75%)
40 से अधिक	16 (39.00%) (15.50%)	4 (9.80%) (15.38%)	20 (48.80%) (7.49%)	1 (2.40%) (25.00%)	41 (100.00%) (10.25%)

उपरोक्त सारणी 4.41 में बलात्कार पीड़िता के संबंध में उसके पूर्व चाल चलन एवं यौन संबंध के आधार पर पीड़िता को दोषारोपित करने के संबंध में आयुवार अभिवृत्ति का मापन करने का प्रयास किया है। जिसमें 18–25 आयु वर्ग के 47.30 प्रतिशत लोगों ने माना कि यदि बलात्कार पीड़िता का पहले से यौन संबंध हो तो पीड़िता को घटना की रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए। 26–30 आयु वर्ग में 75.70 प्रतिशत लोगों ने समान बात कही, 31–35 आयुवर्ग के 74.80 प्रतिशत ने

नकारात्मक प्रतिक्रिया दी 36–40 आयु वर्ग की 72.00 प्रतिशत एवं 40 से अधिक आयु वाले वर्ग में 48.80 प्रतिशत लोगों ने माना है कि जिन महिलाओं का पहले से ही यौन संबंध हो उन्हें बलात्कार की घटना की रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए। पीड़िता की यौन शुचिता के भंग होने पर नकारात्मक अभिवृत्ति अधिक प्राप्त हुई है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की यौन शुचिता के सन्दर्भ में अभी भी नगरीय समाज के लोग काफी परम्परागत विचार रखते हैं, इस कारण इस सन्दर्भ में नगरीय समाज के लोगों की अभिवृत्ति नकारात्मक प्राप्त हुई है।

प्रश्न 32(1) : जिन बलात्कार पीड़ित महिलाओं का पहले से ही यौन संबंध हो तो, क्या उन्हें बलात्कार की घटना की रिपोर्ट करानी चाहिए?

<u>शैक्षिक आधार पर बलात्कार पीड़िता को दोषारोपित करने की अभिवृत्ति का मापन</u>

<u>सारणी सं० 4.41 (1)</u>

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति	**हाँ**	**पता नहीं**	**नहीं**	**उत्तर नहीं देना चाहते**	**कुल योग**
अशिक्षित	2 (25.00%) (1.90%)	1 (12.50%) (3.80%)	5 (62.50%) (1.90%)	0 (0.00%) (0.00%)	8 (100.00%) (2.00%)
प्राथमिक शिक्षा	11 (55.00%) (10.70%)	0 (0.00%) (0.00%)	9 (45.00%) (3.40%)	0 (0.00%) (0.00%)	20 (100.00%) (5.00%)
उच्च माध्यमिक	26 (20.97%) (25.20%)	10 (8.06%) (38.50%)	87 (70.16%) (32.60%)	1 (0.81%) (25.00%)	124 (100.00%) (31.00%)
स्नातक	39 (24.38%) (37.90%)	6 (3.75%) (23.10%)	113 (70.63%) (42.30%)	2 (1.25%) (50.00%)	160 (100.00%) (40.00%)
परास्नातक	17 (23.60%) (16.50%)	8 (11.10%) (30.80%)	46 (63.90%) (17.20%)	1 (1.40%) (25.00%)	72 (100.00%) (18.00%)
अन्य	8 (50.00%) (7.80%)	1 (6.25%) (3.80%)	7 (43.75%) (2.60%)	0 (0.00%) (0.00%)	16 (100.00%) (4.00%)

उपरोक्त सारणी 4.41 (1) को देख कर ज्ञात होता है कि बलात्कार पीड़िता का पहले से यौन संबंध होने पर अशिक्षित वर्ग के 62.50 प्रतिशत लोगो ने माना कि पीड़िता को घटना की रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। प्राथमिक स्तर तक शिक्षित 45.00 प्रतिशत, उच्च माध्यमिक 70.16 प्रतिशत, स्नातक 70.63 प्रतिशत, परास्नातक 63.90 प्रतिशत एवं अन्य शैक्षिक डिग्री धारको में 43.75 प्रतिशत ने माना कि यदि बलात्कार

पीड़िता का पहले से यौन संबंध हो तो उन्हें रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए। प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि लगभग सभी शैक्षिक स्तर पर उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति नकारात्मक प्राप्त हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षित होने के बावजूद भी बलात्कार पीड़िता के यौन शुचिता को अधिक महत्व दिया जाता है एवं बलात्कार पीड़िता के पूर्व यौन संबंध होने के सन्दर्भ में अभी भी नगरीय समाज के लोगों की मानसिकता संकीर्ण है। अतः इस सन्दर्भ में नकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है।

प्रश्न 32(2): जिन बलात्कार पीड़ित महिलाओं का पहले से ही यौन संबंध हो तो, क्या उन्हें बलात्कार की घटना की रिपोर्ट करानी चाहिए ?

<u>जीविकोपार्जन–वार बलात्कार पीड़िता को दोषारोपित करने की अभिवृत्ति का मापन</u>

<u>सारणी सं० 4.41(2)</u>

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
उत्तरदाताओं की जीविकोपार्जन स्थिति	हाँ रिपोर्ट करानी चाहिए	पता नहीं	रिपोर्ट नही करानी चाहिए	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
बेरोजगार	6 (31.58%) (5.83%)	1 (5.26%) (3.80%)	12 (63.16%) (4.50%)	0 (0.00%) (0.00%)	19 (100.00%) (4.75%)
सरकारी कर्मचारी	7 (23.30%) (6.80%)	2 (6.70%) (7.70%)	21 (70.00%) (7.90%)	0 (0.00%) (0.00%)	30 (100.00%) (7.50%)
गैर सरकारी कर्मचारी	21 (20.00%) (20.39%)	4 (3.80%) (15.40%)	79 (75.20%) (29.60%)	1 (1.00%) (25.00%)	105 (100.00%) (26.25%)
व्यवसाय	14 (18.42%) (13.59%)	3 (3.95%) (11.50%)	58 (76.32%) (21.70%)	1 (1.32%) (25.00%)	76 (100.00%) (19.00%)
विद्यार्थी	16 (31.37%) (15.53%)	6 (11.76%) (23.10%)	28 (54.90% (10.50%	1 (1.96%) (25.00%)	51 (100.00%) (12.75%)
गृहणी	30 (34.10%) (29.13%)	10 (11.40%) (38.50%)	47 (53.40%) (17.60%)	1 (1.10%) (25.00%)	88 (100.00%) (22.00%)
अन्य	9 (29.00%) (8.74%)	0 (0.00%) (0.00%)	22 (71.00%) (8.20%)	0 (0.00%) (0.00%)	31 (100.00%) (7.75%)

उपरोक्त सारणी 4.41 (2) से प्राप्त परिणामों के आधार पर बलात्कार पीड़िता का पहले से ही यौन संबंध होने पर रिपोर्ट कराने के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का मापन जीविकोपार्जन के आधार पर किया गया है। जिसमें 63.16 प्रतिशत बेरोजगार उत्तरदाताओं ने माना रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए, सरकारी कर्मचारी 70.00 प्रतिशत, गैर सरकारी 75.20 प्रतिशत, व्यवसायिक 76.32 प्रतिशत, विद्यार्थी 54.90 प्रतिशत, गृहणी 53.40 एवं अन्य जीविकोपार्जन में से 71.0 0 प्रतिशत ने माना कि यदि बलात्कार पीड़िता का पहले से ही यौन संबंध हो तो उसे घटना की रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि लगभग सभी जीविकोपार्जन क्षेत्र से जुड़े लोगों में पूर्व यौन संबंध होने पर घटना की रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए के सन्दर्भ में नगरीय समाज के लोगों की अभिवृत्ति नकारात्मक है। एवं नकारात्मक अभिवृत्ति का और जीविकोपार्जन से कोई सहसंबंध नहीं है।

प्रश्न 32(3) : जिन बलात्कार पीड़ित महिलाओं का पहले से ही यौन संबंध हो तो, क्या उन्हें बलात्कार की घटना की रिपोर्ट करानी चाहिए ?

आर्थिक परिस्थितिवार बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपित करने की अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.41 (3)

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
उत्तरदाता की आर्थिक परिस्थिति	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
अति उच्च वर्ग	4 (50.00%) (3.90%)	0 (0.00%) (0.00%)	4 (50.00% (1.50%	0 (0.00%) (0.00%)	8 (100.00%) (2.00%)
उच्च वर्ग	19 (37.25%) (18.40%)	3 (5.88%) (11.50%)	29 (56.86%) (10.86%)	0 (0.00%) (0.00%)	51 (100.00%) (12.75%)
मध्यम वर्ग	59 (22.69%) (57.30%)	23 (8.85%) (88.50%)	174 (66.92%) (65.17%)	4 (1.54%) (100.00%)	260 (100.00%) (65.00%)
निम्न वर्ग	21 (25.90%) (20.40%)	0 (0.00%) (0.00%)	60 (74.10%) (22.47%)	0 (0.00%) (0.00%)	81 (100.00%) (20.25%)

उपरोक्त सारणी 4.41(3) को देख कर ज्ञात होता है कि अति उच्च वर्ग में बलात्कार पीड़िता का पहले से यौन सबंध होने के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया का प्रतिशत

50.00 प्रतिशत है जो यह मानता है कि पीड़िता को पूर्व यौन संबंध होने पर रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए। यह लगभग आधा प्रतिशत है, उच्च वर्ग 56.86 प्रतिशत, मध्यम वर्ग 66.92 प्रतिशत एवं निम्न वर्ग का 74.10 प्रतिशत सभी वर्गों से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बलात्कार पीड़िता के पूर्व यौन संबंध होने पर घटना की रिपोर्ट कराने के सन्दर्भ में नगरीय वासियों के सभी वर्गों में नकारात्मक अभिवृत्ति है एवं आर्थिक परिस्थिति एवं नकारात्मक अभिवृत्ति का कोई संबंध नहीं है।

प्रश्न 33 : क्या महिलायें अपने कपड़ों व व्यवहार से बलात्कार की घटना को आमंत्रण देती हैं?

आयुवार बलात्कार पीडिता को दोषारोपित करने की अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.42

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं की आयु	**हाँ**	**पता नहीं**	**नहीं**	**उत्तर नहीं देना चाहते**	**कुल योग**
18-25	22 (29.70%) (25.60%)	0 (0.00%) (0.00%)	49 (66.20%) (16.40%)	3 (4.10%) (30.00%)	74 (100.00%) (18.50%)
26-30	15 (14.00%) (17.40%)	1 (0.90%) (16.70%)	86 (80.40%) (28.90%)	5 (4.70%) (50.00%)	107 (100.00%) (26.75%)
31-35	16 (15.53%) (18.60%)	2 (1.94%) (33.30%)	85 (82.52%) (28.50%)	0 (0.00%) (0.00%)	103 (100.00%) (25.75%)
36-40	16 (21.33%) (18.60%)	1 (1.33%) (16.70%)	58 (77.33%) (19.50%)	0 (0.00%) (0.00%)	75 (100.00%) (18.75%)
40 से अधिक	17 (41.46%) (19.80%)	2 (4.88%) (33.30%)	20 (48.78%) (6.70%)	2 (4.88%) (20.00%)	41 (100.00%) (10.25%)

उपरोक्त सारणी 4.42 में महिलाओं के कपड़ों पहनावे के तरीकों एवं बलात्कार की घटना के बीच सहसंबंध बताने वाली अभिवृत्ति का मापन किया है। जिसमें 18–25 आयु वर्ग के 66.20 प्रतिशत लोगों ने माना कि बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता के कपड़ों का कोई संबंध नहीं है। 26–30 आयु वर्ग में 80.40 प्रतिशत लोगों ने माना कि पीड़िता के कपड़े बलात्कार को आमंत्रित नहीं करते हैं।

31–35 आयुवर्ग के 82.52 प्रतिशत ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। 36–40 आयु वर्ग की 77.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि महिलाओं के कपड़े बलात्कार की घटना को आमंत्रित नहीं करते हैं एवं 40 से अधिक आयु वाले वर्ग में 48.78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि बलात्कार के लिए महिलाओं के कपड़े जिम्मेदार नहीं होते हैं। संपूर्ण आंकड़ों को देखा जाये तो नगरीय समाज की अभिवृत्ति सकारात्मक प्राप्त हुई है परन्तु सापेक्षिक रूप से 40 से आधिक आयु वर्ग में बालात्कार एवं कपड़ों के मध्य अंन्तःसंबंध बताने वालों का प्रतिशत 41.46 प्रतिशत है जो कि नकारात्मक अभिवृत्ति की तरफ इंगित कर रहा है। अतः कहा जा सकता है कि 40 से अधिक आयु वर्ग के लोगों में कपड़ों को लेकर बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपण करने की अभिवृत्ति नकारात्मक प्राप्त हुई है।

प्रश्न 33(1) : क्या महिलायें अपने कपड़ों व व्यवहार से बलात्कार की घटना को आमंत्रण देती हैं?

शैक्षिक आधार पर बलात्कार पीड़िता को दोषारोपित करने की अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.42 (1)

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर	**हाँ**	**पता नहीं**	**नहीं**	**उत्तर नहीं देना चाहते**	**कुल योग**
अशिक्षित	4 (50.00%) (4.65%)	0 (0.00%) (0.00%)	4 (50.00%) (1.34%)	0 (0.00%) (0.00%)	8 (100.00%) (2.00%)
प्राथमिक शिक्षा	11 (55.00%) (12.79%)	0 (0.00%) (0.00%)	9 (45.00%) (3.02%)	0 (0.00%) (0.00%)	20 (100.00%) (5.00%)
उच्च माध्यमिक	33 (26.60%) (38.37%)	1 (0.80%) (16.70%)	89 (71.80%) (29.87%)	1 (0.80%) (10.00%)	124 (100.00%) (31.00%)
स्नातक	24 (15.00%) (27.91%)	3 (1.88%) (50.00%)	130 (81.25%) (43.62%)	3 (1.88%) (30.00%)	160 (100.00%) (40.00%)
परास्नातक	12 (16.70%) (13.95%)	2 (2.80%) (33.30%)	52 (72.20%) (17.45%)	6 (8.30%) (60.00%)	72 (100.00%) (18.00%)
अन्य	2 (12.50%) (2.33%)	0 (0.00%) (0.00%)	14 (87.50%) (4.70%)	0 (0.00%) (0.00%)	16 (100.00%) (4.00%)

उपरोक्त सारणी 4.42(1) में शैक्षिक चर को आधार मान कर बलात्कार एवं कपड़ों के मध्य सहसंबंध बताने वाली अभिवृत्ति का मापन किया गया हैं, जिसमें अशिक्षित वर्ग के 50.00 प्रतिशत लोगों ने माना कि पीड़िता के कपड़े बलात्कार की

घटना को आमंत्रित करते हैं। प्राथमिक स्तर तक शिक्षित 55.00 प्रतिशत, उच्च माध्यमिक 26.60 प्रतिशत, स्नातक 15.00 प्रतिशत, परास्नातक 16.70 प्रतिशत एवं अन्य शैक्षिक डिग्री धारको में 12.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि बलात्कार की घटना के लिए पीड़िता के कपड़े जिम्मेदार होते हैं। सम्पूर्ण आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अन्य उच्च शैक्षिक स्तर पर शिक्षित लोगों की अभिवृत्ति सर्वाधिक सकारात्मक है। एवं अशिक्षित वर्ग में बलात्कार को आमंत्रित करने लिए पीड़िता के कपड़ों को जिम्मेदार माना गया है, प्राप्त परिणाम नकारात्मक अभिवृत्ति की ओर इंगित करता है।

प्रश्न 33(2) : क्या महिलायें अपने कपड़ो एवं व्यवहार से बलात्कार की घटना को आमंत्रण देती हैं?

जीविकोपार्जन–वार बलात्कार पीड़िता को दोषारोपित करने की अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.42 (2)

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
उत्तरदाताओं की जीविकोपार्जन स्थिति	**हाँ**	**पता नहीं**	**नहीं**	**उत्तर नहीं देना चाहते**	**कुल योग**
बेरोजगार	10 (52.60%) (11.60%)	0 (0.00%) (0.00%)	9 (47.40%) (3.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	19 (100.00%) (4.75%)
सरकारी कर्मचारी	3 (10.00%) (3.50%)	0 (0.00%) (0.00%)	27 (90.00%) (9.10%)	0 (0.00%) (0.00%)	30 (100.00%) (7.50%)
गैर सरकारी कर्मचारी	17 (16.20%) (19.80%)	2 (1.90%) (33.30%)	86 (81.90%) (28.90%)	0 (0.00%) (0.00%)	105 (100.00%) (26.25%)
व्यवसाय	16 (21.10%) (18.60%)	1 (1.30%) (16.70%)	56 (73.70%) (18.75%)	3 (3.90%) (30.00%)	76 (100.00%) (19.00%)
विद्यार्थी	6 (11.76%) (7.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	42 (82.35%) (14.10%)	3 (5.88%) (30.00%)	51 (100.00%) (12.75%)
गृहणी	21 (23.90%) (24.40%)	1 (1.10%) (16.70%)	62 (70.50%) (20.75%)	4 (4.50%) (40.00%)	88 (100.00%) (22.00%)
अन्य	13 (41.90%) (15.10%)	2 (6.50%) (33.30%)	16 (51.60%) (5.40%)	0 (0.00%) (0.00%)	31 (100.00%) (7.75%)

उपरोक्त सारणी 4.42 (2) में जीविकोपार्जन को आधार मान कर बलात्कार पीड़िता के कपड़ों एवं बलात्कार की घटना के मध्य सहसंबंध बताने वाली अभिवृत्ति

का मापन किया है। प्राप्त परिणामों में जिसमें 52.60 प्रतिशत बेरोजगार उत्तरदाताओं ने माना कि बलात्कार की घटना के लिए पीड़िता के कपड़े जिम्मेदार होते हैं। सरकारी कर्मचारी 10.00 प्रतिशत, गैर सरकारी 16.20 प्रतिशत, व्यावसायिक 21.10 प्रतिशत, विद्यार्थी 11.76 प्रतिशत, गृहणी 23.90 प्रतिशत एवं अन्य जीविकोपार्जन में से 41.90 प्रतिशत ने माना कि बलात्कार पीड़िता के कपड़े बलात्कार के लिए जिम्मेदार होते हैं। सम्पूर्ण आंकड़ों को देखा जाय तो यह ज्ञात होता है कि लगभग सभी जीविकोपार्जन के क्षेत्र में संलग्न लोगों की अभिवृत्ति बलात्कार एवं पीड़िता के कपड़ों के मध्य संबंध नहीं मानते हैं। परन्तु सापेक्षिक रूप से देखा जाय तो यह ज्ञात होता है कि बेरोजगार वर्ग के लोगों की अभिवृत्ति इस सन्दर्भ में नकारात्मक है एवं वे बलात्कार पीड़िता के पहनावे को बलात्कार के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं।

प्रश्न 33(3) : क्या महिलायें अपने कपड़ों व व्यवहार से बलात्कार की घटना को आमंत्रण देती हैं?

<u>आर्थिक परिस्थितिवार बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपण अभिवृत्ति का मापन</u>

<u>सारणी सं० 4.42(3)</u>

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं की आर्थिक परिस्थिति	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
अति उच्च वर्ग	5 (62.50%) (5.80%)	0 (0.00%) (0.00%)	3 (37.50%) (1.00%)	0 (0.00%) (0.00%)	8 (100.00%) (2.00%)
उच्च वर्ग	14 (27.45%) (16.30%)	0 (0.00%) (0.00%)	36 (70.59%) (12.10%)	1 (1.96%) (10.00%)	51 (100.00%) (12.75%)
मध्यम वग	41 (15.80%) (47.70%)	5 (1.90%) (83.30%)	205 (78.80%) (68.80%)	9 (3.50%) (90.00%)	260 (100.00%) (65.00%)
निम्न वर्ग	26 (32.10%) (30.20%)	1 (1.20%) (16.70%)	54 (66.70%) (18.10%)	0 (0.00%) (0.00%)	81 (100.00%) (20.25%)

उपरोक्त तालिका 4.42(3) में बलात्कार की घटना एवं पीड़िता के पहनावे के मध्य सहसंबंध स्थापित करने वाली अभिवृत्ति का मापन उत्तरदाताओं की आर्थिक

परिस्थिति के आधार पर किया गया है। तालिका को देख कर ज्ञात होता है कि अति उच्च वर्ग में बलात्कार एवं पीड़िता के वस्त्र के संबध में 62.50 प्रतिशत हैं, जो यह मानते हैं कि पीड़िता के पहनावे के कारण बलात्कार की घटना को आमंत्रण मिलता है। उच्च वर्ग 27.45 प्रतिशत, मध्यम वर्ग 15.80 प्रतिशत एवं निम्न वर्ग का 32.10 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं का पहनावा बलात्कार की घटना को आमंत्रित करने का कार्य करती है। सभी वर्गों से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अति उच्च वर्ग में इस सन्दर्भ में सर्वाधिक नकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है।

4.4.1 बलात्कार पीड़िता के कम वांछनीयता से संबंधित अभिवृत्ति का मापन—एवं मिश्रित सारणी के माध्यम से विश्लेषण

प्रश्न 34 : क्या बलात्कार पीड़िता विवाह हेतु कम वांछनीय होती है?

आयुवार बलात्कार पीडिता को दोषारोपित करने की अभिवृत्ति का मापन
सारणी सं० 4.43

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
उत्तरदाताओं की आयु	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
18-25	40	13	21	0	74
	54.05%	17.57%	28.38%	0.00%	100.00%
	19.00%	44.83%	13.38%	0.00%	18.50%
26-30	56	8	43	0	107
	52.30%	7.50%	40.20%	0.00%	100.00%
	26.70%	27.59%	27.39%	0.00%	26.75%
31-35	51	5	45	2	103
	49.50%	4.90%	43.70%	1.90%	100.00%
	24.30%	17.24%	28.66%	50.00%	25.75%
36-40	38	3	33	1	75
	50.70%	4.00%	44.00%	1.30%	100.00%
	18.10%	10.34%	21.02%	25.00%	18.75%
40 से अधिक	25	0	15	1	41
	61.00%	0.00%	36.60%	2.40%	100.00%
	11.90%	0.00%	9.55%	25.00%	10.25%

उपरोक्त तालिका 4.43 में बलात्कार हमले के बाद पीड़िता के विवाह हेतु कम वांछनीय समझे जाने की अभिवृत्ति का मापन आयुवार किया गया है। जिसमें

18—25 आयु वर्ग के 54.05 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना कि यदि महिला का बलात्कार हो जाता है तो वह विवाह हेतु कम वांछनीय हो जाती है। एवं 26—30 आयु वर्ग में 52.30 प्रतिशत, 31—35 आयुवर्ग के 49.50 प्रतिशत ने नकारात्मक प्रतिक्रया की। 36—40 आयु वर्ग के 50.70 प्रतिशत एवं 40 वर्ष से अधिक उत्तरदाताओं में 61.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार हमले के बाद बलात्कार पीड़िता विवाह हेतु कम वांछनीय हो जाती है। लगभग सभी आयु समूहों में आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने यह माना है कि बलात्कार हमले के बाद बलात्कार पीड़िता कम वांछनीय हो जाती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कौमार्य भंग होने पर नगरीय समाज में भी बलात्कार पीड़िता को कम वांछनीय माना जाने लगता है जो कि नकारात्मक अभीवृति को प्रदर्शित करता है।

प्रश्न 34(1) : क्या बलात्कार पीड़िता विवाह हेतु कम वांछनीय होती है?

<u>शैक्षिक आधार पर बलात्कार पीड़िता को दोषारोपित करने की अभिवृत्ति का मापन</u>

<u>सारणी सं० 4.43 (1)</u>

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्तर	**हाँ**	**पता नहीं**	**नहीं**	**उत्तर नहीं देना चाहते**	**कुल योग**
अशिक्षित	3	0	5	0	8
	37.50%	0.00%	62.50%	0.00%	100.00%
	1.43%	0.00%	3.18%	0.00%	2.00%
प्राथमिक शिक्षा	14	0	6	0	20
	70.00%	0.00%	30.00%	0.00%	100.00%
	6.67%	0.00%	3.82%	0.00%	5.00%
उच्च माध्यमिक	59	11	54	0	124
	47.60%	8.90%	43.50%	0.00%	100.00%
	28.10%	37.90%	34.39%	0.00%	31.00%
स्नातक	87	6	65	2	160
	54.38%	3.75%	40.63%	1.25%	100.00%
	41.43%	20.70%	41.40%	50.00%	40.00%
परास्नातक	36	12	23	1	72
	50.00%	16.70%	31.90%	1.40%	100.00%
	17.14%	41.40%	14.65%	25.00%	18.00%
अन्य	11	0	4	1	16
	68.75%	0.00%	25.00%	6.25%	100.00%
	5.24%	0.00%	2.55%	25.00%	4.00%

उपरोक्त तालिका 4.43 (1) में शैक्षिक चर को आधार मान कर बलात्कार हमले के बाद बलात्कार पीड़िता के विवाह हेतु कम वांछनीय माने जाने की अभिवृत्ति का मापन किया गया है। जिसमें अशिक्षित वर्ग के 37.50 प्रतिशत लोगों ने माना कि पीड़िता का बलात्कार हो जाने के बाद पीड़िता विवाह हेतु कम वांछनीय हो जाती है। प्राथमिक स्तर तक शिक्षित 70.00 प्रतिशत, उच्च माध्यमिक 47.60 प्रतिशत, स्नातक 54.38 प्रतिशत, परास्नातक 50.00 प्रतिशत एवं अन्य शैक्षिक डिग्री धारको में 68.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि बलात्कार पीड़िता बलात्कार के बाद विवाह हेतु कम वांछनीय हो जाती है। सामान्यतः प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पीड़िता को विवाह हेतु कम वांछनीय समझने के सन्दर्भ में हर शैक्षिक स्तर पर नकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है परन्तु तुलनात्मक रूप से प्राथमिक स्तर तक शिक्षित उत्तरदाताओ में नकारात्मक अभिवृत्ति अधिक प्राप्त हुई है।

प्रश्न 34(2) : क्या बलात्कार पीड़िता विवाह हेतु कम वांछनीय होती है?

जीविकोपार्जन–वार बलात्कार पीडिता को दोषारोपित करने की अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.43(2)

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं की जीविकोपार्जन स्थिति	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
बेरोजगार	12	1	5	1	19
	63.16%	5.26%	26.32%	5.26%	100.00%
	5.70%	3.45%	3.20%	25.00%	4.75%
सरकारी कर्मचारी	18	1	11	0	30
	60.00%	3.30%	36.70%	0.00%	100.00%
	8.60%	3.45%	7.00%	0.00%	7.50%
गैर सरकारी कर्मचारी	51	5	47	2	105
	48.57%	4.76%	44.76%	1.90%	100.00%
	24.30%	17.24%	29.90%	50.00%	26.25%
व्यवसाय	42	6	28	0	76
	55.30%	7.90%	36.80%	0.00%	100.00%
	20.00%	20.69%	17.80%	0.00%	19.00%
विद्यार्थी	24	9	18	0	51
	47.10%	17.60%	35.30%	0.00%	100.00%
	11.40%	31.03%	11.50%	0.00%	12.75%
गृहणी	43	7	37	1	88
	48.90%	8.00%	42.00%	1.10%	100.00%
	20.50%	24.14%	23.60%	25.00%	22.00%
अन्य	20	0	11	0	31
	64.50%	0.00%	35.50%	0.00%	100.00%
	9.50%	0.00%	7.00%	0.00%	7.75%

उपरोक्त सारणी में जीविकोपार्जन के आधार पर बलात्कार हमले के बाद पीड़िता के विवाह हेतु कम वांछनीय समझने की अभिवृत्ति का मापन किया गया है। जिसके अंतर्गत बेरोजगार वर्ग समूह में 63.16 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी, 60.00 प्रतिशत, गैर सरकारी कर्मचारी 48.57 प्रतिशत, व्यावसायिक वर्ग से 55.30 प्रतिशत,

विद्यार्थी वर्ग से 47.10 प्रतिशत, गृहणी उत्तरदाताओं में से 48.90 प्रतिशत एवं अन्य जीविकापार्जन से संबंधित 64.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि बलात्कार हमले के बाद बलात्कार पीड़िता विवाह हेतु कम वांछनीय हो जाती है। प्राप्त परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नगरीय क्षेत्र मे लगभग सभी जीविकोपार्जन क्षेत्र से जुड़े लोगों में आधे से ज्यादा लोगों ने यह माना है कि बलात्कार के बाद पीड़िता विवाह हेतु कम वांछनीय हो जाती है। तुलनात्मक रूप से सरकारी कर्मचारियों में यह नकारात्मक अभिवृत्ति अधिक पायी गयी है। अतः यह कहा जा सकता है कि नगरीय समाज में महिलाओं की यौन शुचिता के सन्दर्भ में परम्परागत विचारधारा को ही मान्यता प्रदान की जाती है एवं यौन शुचिता भंग होने पर पीड़िता को कम वांछनीय समझा जाने लगता है।

प्रश्न 34(3) : क्या बलात्कार पीड़िता विवाह हेतु कम वांछनीय होती है?

<u>आर्थिक परिस्थितिवार बलात्कार पीड़िता के कम वांछनीय अभिवृत्ति का मापन</u>

<u>सारणी सं० 4.43 (3)</u>

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
उत्तरदाताओं की आर्थिक परिस्थिति	**हाँ**	**पता नहीं**	**नहीं**	**उत्तर नहीं देना चाहते**	**कुल योग**
अति उच्च वर्ग	5	0	3	0	8
	62.50%	0.00%	37.50%	0.00%	100.00%
	2.40%	0.00%	1.91%	0.00%	2.00%
उच्च वर्ग	21	9	20	1	51
	41.20%	17.60%	39.20%	2.00%	100.00%
	10.00%	31.00%	12.74%	25.00%	12.75%
मध्यम वर्ग	139	16	103	2	260
	53.46%	6.15%	39.62%	0.77%	100.00%
	66.20%	55.20%	65.61%	50.00%	65.00%
निम्न वर्ग	45	4	31	1	81
	55.60%	4.90%	38.30%	1.20%	100.00%
	21.40%	13.80%	19.75%	25.00%	20.25%

उपरोक्त सारणी में बलात्कार पीड़िता के विवाह हेतु कम वांछनीय समझने की अभिवृत्ति का मापन उत्तरदाताओं की आर्थिक परिस्थिति के आधार पर किया गया है। जिसमें अति उच्च वर्ग में 62.50 प्रतिशत, उच्च वर्ग में 41.20 प्रतिशत, मध्यम

वर्ग में 53.46 प्रतिशत एवं निम्न वर्ग में 55.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना है कि बलात्कार के हमले के बाद बलात्कार पीड़िता विवाह हेतु कम वांछनीय हो जाती है। नगरीय समाज में रह रहे सभी वर्गों में बलात्कार पीड़िता को विवाह हेतु कम वांछनीय समझने की अभिवृत्ति नकारात्मक प्राप्त हुई है। तुलनात्मक रूप से यह नकारात्मक अभिवृत्ति उच्च एवं निम्न वर्ग में सर्वाधिक है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि नकारात्मक अभिवृत्ति एवं आर्थिक परिस्थिति का कोई संबंध नहीं है।

प्रश्न 35: क्या बलात्कार पीड़िता को दोषी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए ?

आयुवार बलात्कार पीड़िता के कम वांछित होने की अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.44

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं की आयु	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
18-25	21	3	49	1	74
	28.38%	4.05%	66.22%	1.35%	100.00%
	25.30%	42.86%	15.90%	100.00%	18.50%
26-30	17	1	89	0	107
	15.90%	0.90%	83.20%	0.00%	100.00%
	20.48%	14.29%	28.80%	0.00%	26.75%
31-35	13	1	89	0	103
	12.60%	1.00%	86.40%	0.00%	100.00%
	15.66%	14.29%	28.80%	0.00%	25.75%
36-40	18	1	56	0	75
	24.00%	1.30%	74.70%	0.00%	100.00%
	21.69%	14.29%	18.10%	0.00%	18.75%
40 से अधिक	14	1	26	0	41
	34.15%	2.44%	63.41%	0.00%	100.00%
	16.87%	14.29%	8.40%	0.00%	10.25%

उपरोक्त सारणी 4.44 में बलात्कार पीड़िता का बलात्कारी द्वारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार किये जाने के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का मापन आयुवार किया गया है। जिसमें 18–25 आयु वर्ग 28.38 प्रतिशत, 26–30 आयु वर्ग के 15.90 प्रतिशत, 31–35 आयु वर्ग के 12.60 प्रतिशत, 36–40 आयु वर्ग के 24.00 प्रतिशत और 40 से अधिक आयु

वर्ग के 34.15 प्रतिशत लोगों ने यह माना है कि बलात्कार पीड़िता को बलात्कारी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार लेना चाहिए। सम्पूर्ण आंकड़ों को देखा जाय तो यह स्पष्ट होता है कि बलात्कार पीड़िता को बलात्कारी द्वारा दिए गए विवाह प्रस्ताव को समर्थन देने वालों की अपेक्षा समर्थन न देने वालों का प्रतिशत अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि बलात्कार पीड़िता का बलात्कारी द्वारा विवाह प्रस्ताव के स्वीकार किये जाने के सन्दर्भ में नगरीय समाज की अभिवृत्ति सकारात्मक है तुलनात्मक रूप से अधिक आयु वर्ग के लोगों में नकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त की गयी है। जो इस आयु वर्ग के लोगों की अधिक सामाजिक मूल्यों की एवं परम्परागत होने की स्थिति को दर्शाता है।

प्रश्न 35(1): क्या बलात्कार पीड़िता को दोषी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए ?

शैक्षिक स्थितिवार बलात्कार पीड़िता के कम वांछनीय अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.44 (1)

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
अशिक्षित	4	0	4	0	8
	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%
	4.82%	0.00%	1.30%	0.00%	2.00%
प्राथमिक शिक्षा	12	0	8	0	20
	60.00%	0.00%	40.00%	0.00%	100.00%
	14.46%	0.00%	2.60%	0.00%	5.00%
उच्च माध्यमिक	19	1	103	1	124
	15.30%	0.80%	83.10%	0.80%	100.00%
	22.89%	14.29%	33.30%	100.00%	31.00%
स्नातक	32	3	125	0	160
	20.00%	1.90%	78.10%	0.00%	100.00%
	38.55%	42.86%	40.50%	0.00%	40.00%
परास्नातक	13	2	57	0	72
	18.06%	2.78%	79.17%	0.00%	100.00%
	15.66%	28.57%	18.40%	0.00%	18.00%
अन्य	3	1	12	0	16
	18.75%	6.25%	75.00%	0.00%	100.00%
	3.61%	14.29%	3.90%	0.00%	4.00%

उपरोक्त सारणी 4.44 (1) में बलात्कार पीड़िता का बलात्कारी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की अभिवृत्ति के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति के आधार पर अभिवृत्ति का मापन किया गया है। जिसमें अशिक्षित वर्ग में 50.00 प्रतिशत, प्राथमिक शिक्षा वर्ग में 60.00 प्रतिशत, उच्च माध्यमिक वर्ग में 15.30 प्रतिशत, स्नातक वर्ग में 20.00 प्रतिशत, परास्नातक वर्ग में 18.06 प्रतिशत अन्य डिग्री धारक वर्ग में 18.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना है कि बलात्कार पीड़िता को बलात्कारी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चहिये। अशिक्षित एवं प्राथमिक रूप से शिक्षित वर्ग के उत्तरदाता बलात्कारी द्वारा विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करने में सहमति रखते हैं। इसके विपरीत अन्य शैक्षिक वर्ग में नकारात्मक अभिवृत्ति कम है अतः यह कहा जा सकता है कि कम शिक्षित उत्तरदाता बलात्कार पीड़िता का विवाह बलात्कारी से कराने में सहमति रखते है जो कि नकारात्मक अभिवृत्ति को दर्शाता है।

प्रश्न 35(2): क्या बलात्कार पीड़िता को दोषी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए ?

जीविकोपार्जन–वार बलात्कार पीड़िता के कम वांछित होने की अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.44 (2)

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं की जीविकोपार्जन स्थिति	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
बेरोजगार	9	0	10	0	19
	47.40%	0.00%	52.60%	0.00%	100.00%
	10.80%	0.00%	3.20%	0.00%	4.75%
सरकारी कर्मचारी	6	0	24	0	30
	20.00%	0.00%	80.00%	0.00%	100.00%
	7.20%	0.00%	7.80%	0.00%	7.50%
गैर सरकारी कर्मचारी	18	1	86	0	105
	17.10%	1.00%	81.90%	0.00%	100.00%
	21.70%	14.29%	27.80%	0.00%	26.25%
व्यवसाय	19	2	55	0	76
	25.00%	2.60%	72.40%	0.00%	100.00%
	22.90%	28.57%	17.80%	0.00%	19.00%
विद्यार्थी	6	2	42	1	51
	11.76%	3.92%	82.35%	1.96%	100.00%
	7.20%	28.57%	13.60%	100.00%	12.75%
गृहणी	11	2	75	0	88
	12.50%	2.30%	85.20%	0.00%	100.00%
	13.30%	28.57%	24.30%	0.00%	22.00%
अन्य	14	0	17	0	31
	45.20%	0.00%	54.80%	0.00%	100.00%
	16.90%	0.00%	5.50%	0.00%	7.75%

उपरोक्त सारणी 4.44 (2) में बलात्कारी द्वारा पीड़िता को विवाह प्रस्ताव देने और पीड़िता के स्वीकार किये जाने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के जीविकोपार्जन के आधार पर अभिवृत्ति का मापन किया गया है। बेरोजगार वर्ग में 52.60 प्रतिशत, सरकारी कर्मचारी वर्ग में 80.00 प्रतिशत, गैर सरकारी कर्मचारी वर्ग में 81.90 प्रतिशत, व्यवसायिक वर्ग में 72.40 प्रतिशत, गृहणी वर्ग में 85.20 प्रतिशत, विद्यार्थी वर्ग में 82.35 प्रतिशत अन्य निम्न जीविकोपार्जन वर्ग में 54.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं

ने कहा कि बलात्कार पीड़िता को बलात्कारी द्वारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अतः प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि बलात्कारी द्वारा विवाह प्रस्ताव एवं पीड़िता के स्वीकार किये जाने की अभिवृत्ति के संबंध में लगभग सभी जीविकोपार्जन वर्ग में सकारात्मक अभिवृत्ति है। परन्तु तुलनात्मक रूप से देखा जाय तो निम्न जीविकोपार्जन से जुड़े उत्तरदाताओं में से 45.20 प्रतिशत लोगों ने कहा कि पीड़िता को बलात्कारी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। जो कि काफी मात्रा में नकारात्मक अभिवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि निम्न जीविकोपार्जन से जुड़े उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति नकारात्मक है।

श्न 35(3) : क्या बलात्कार पीड़िता को दोषी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए ?

<u>आर्थिक परिस्थितिवार बलात्कार पीड़िता के कम वांछित होने की अभिवृत्ति का मापन</u>

<u>सारणी सं० 4.44 (3)</u>

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
उत्तरदाताओं की आर्थिक परिस्थिति	**हाँ**	**पता नहीं**	**नहीं**	**उत्तर नहीं देना चाहते**	**कुल योग**
अति उच्च वर्ग	3	0	5	0	8
	37.50%	0.00%	62.50%	0.00%	100.00%
	3.60%	0.00%	1.60%	0.00%	2.00%
उच्च वर्ग	11	2	38	0	51
	21.60%	3.90%	74.50%	0.00%	100.00%
	13.30%	28.60%	12.30%	0.00%	12.75%
मध्यम वर्ग	43	4	212	1	260
	16.54%	1.54%	81.54%	0.38%	100.00%
	51.80%	57.10%	68.60%	100.00%	65.00%
निम्न वर्ग	26	1	54	0	81
	32.10%	1.20%	66.70%	0.00%	100.00%
	31.30%	14.30%	17.50%	0.00%	20.25%

उपरोक्त सारणी 4.44 (3) में बलात्कार पीड़िता का बलात्कारी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने के सन्दर्भ में आर्थिक **परि**स्थितिवार अभिवृत्ति का मापन

किया गया है जिसमें अति उच्च वर्ग में 37.50 प्रतिशत, उच्च वर्ग में 21.60 प्रतिशत, मध्यम वर्ग में 16.54 प्रतिशत, निम्न वर्ग में 32.10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि बलात्कार पीड़िता को बलात्कारी का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लगभग सभी वर्गों में बलात्कार पीड़िता का बलात्कारी द्वारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने में सकारात्मक अभिवृत्ति है। तुलनात्मक रूप से देखा जाय तो अति उच्च वर्ग में नकारात्मक अभिवृत्ति ज्यादा है परन्तु यह प्रतिशत में निर्णायक भूमिका नहीं निभाता है।

प्रश्न 36 : क्या बलात्कार पीड़िता का विवाह किसी भी व्यक्ति (जैसे की विकलांग, विधुर, बुजुर्ग आदि से) करा देना चाहिए ?

आयुवार बलात्कार पीडिता के कम वांछनीय होने की अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.45

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं की आयु	**हाँ**	**पता नहीं**	**नहीं**	**उत्तर नहीं देना चाहते**	**कुल योग**
18-25	29	4	41	0	74
	39.20%	5.40%	55.40%	0.00%	100.00%
	14.87%	28.57%	21.81%	0.00%	18.50%
26-30	59	3	45	0	107
	55.10%	2.80%	42.10%	0.00%	100.00%
	30.26%	21.43%	23.94%	0.00%	26.75%
31-35	60	4	38	1	103
	58.25%	3.88%	36.89%	0.97%	100.00%
	30.77%	28.57%	20.21%	33.33%	25.75%
36-40	35	1	38	1	75
	46.70%	1.30%	50.70%	1.30%	100.00%
	17.95%	7.14%	20.21%	33.33%	18.75%
40 से अधिक	12	2	26	1	41
	29.30%	4.90%	63.40%	2.40%	100.00%
	6.15%	14.29%	13.83%	33.33%	10.25%

उपरोक्त सारणी 4.45 में बलात्कार पीड़िता का विवाह किसी से भी करा देने की अभिवृत्ति के संबंध में उत्तरदाताओं के आयु वर्ग से संबंधित करके अभिवृत्ति का मापन किया है। इसमें 18–25 आयु वर्ग में 39.20 प्रतिशत, 26–30 आयु वर्ग में 55.

10 प्रतिशत, 31–35 आयु वर्ग में 58.25 प्रतिशत, 36–40 आयु वर्ग में 46.70 प्रतिशत, एवं 40 से अधिक आयु वर्ग में 29.30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि बलात्कार पीड़िता का विवाह किसी भी व्यक्ति (जैसे कि विकलांग, विधुर, बुजुर्ग आदि से) करा देना चाहिए। आयुवार इन परिणामों को देख कर यह ज्ञात होता है कि लगभग सभी आयु वर्गों में बलात्कार पीड़िता का विवाह किसी से भी करा देने के सन्दर्भ में नकारात्मक अभिवृत्ति परिलक्षित हो रही है। परन्तु तुलनात्मक रूप से देखने पर पता चलता है 26–30 एवं 31–35 आयु वर्ग के लोगों में यह नकारात्मक अभिवृत्ति अधिक है।

प्रश्न 36(1) : क्या बलात्कार पीड़िता का विवाह किसी भी व्यक्ति (जैसे की विकलांग, विधुर , बुजुर्ग आदि से) करा देना चाहिए ?

शैक्षिक स्थितिवार बलात्कार पीड़िता के कम वांछनीय होने की अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.45 (1)

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
अशिक्षित	6	0	2	0	8
	75.00%	0.00%	25.00%	0.00%	100.00%
	3.10%	0.00%	1.06%	0.00%	2.00%
प्राथमिक शिक्षा	13	1	6	0	20
	65.00%	5.00%	30.00%	0.00%	100.00%
	6.70%	7.10%	3.19%	0.00%	5.00%
उच्च माध्यमिक	74	2	47	1	124
	59.70%	1.60%	37.90%	0.80%	100.00%
	37.90%	14.30%	25.00%	33.33%	31.00%
स्नातक	84	6	69	1	160
	52.50%	3.80%	43.10%	0.60%	100.00%
	43.10%	42.90%	36.70%	33.33%	40.00%
परास्नातक	17	5	49	1	72
	23.60%	6.90%	68.10%	1.40%	100.00%
	8.70%	35.70%	26.06%	33.33%	18.00%
अन्य	1	0	15	0	16
	6.25%	0.00%	93.75%	0.00%	100.00%
	0.50%	0.00%	7.98%	0.00%	4.00%

उपरोक्त सारणी में शिक्षा के आधार पर बलात्कार पीड़िता का किसी से भी विवाह करा देने के संदर्भ में अभिवृत्ति का मापन किया गया है। जिसमें अशिक्षित वर्ग में 75.00 प्रतिशत, प्राथमिक शैक्षिक प्राप्त वर्ग में 65.00 प्रतिशत, उच्च माध्यमिक वर्ग में 59.70 प्रतिशत, स्नातक वर्ग में 52.50 प्रतिशत, परास्नातक वर्ग में 23.60 प्रतिशत एवं अन्य डिग्री धारक वर्ग में 6.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना है कि बलात्कार पीड़िता का विवाह किसी भी व्यक्ति (जैसे कि विकलांग, विधुर, बुजुर्ग आदि से) करा देना चाहिए। अशिक्षित वर्ग एवं प्राथमिक स्तर तक शिक्षित उत्तरदाता इस विचार से अधिक सहमति रखते हैं। इसके विपरीत अन्य उच्च डिग्री धारकों में सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है। सम्पूर्ण आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बलात्कार पीड़िता को नगरीय समाज में कम वांछनीय समझा जाता है एवं उसका विवाह किसी से भी करा देने में सहमति रखते हैं, नकारात्मक अभिवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

प्रश्न 36(2) : क्या बलात्कार पीड़िता का विवाह किसी भी व्यक्ति(जैसे की विकलांग, विधुर, बुजुर्ग आदि से) करा देना चाहिए ?

जीविकोपार्जन स्थितिवार बलात्कार पीड़िता के कम वांछनीय होने की अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.45 (2)

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं का जीविकोपार्जन स्थिति	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
बेरोजगार	13	0	6	0	19
	68.40%	0.00%	31.60%	0.00%	100.00%
	6.67%	0.00%	3.19%	0.00%	4.75%
सरकारी कर्मचारी	15	1	14	0	30
	50.00%	3.30%	46.70%	0.00%	100.00%
	7.69%	7.14%	7.45%	0.00%	7.50%
गैर सरकारी कर्मचारी	51	7	46	1	105
	48.57%	6.67%	43.81%	0.95%	100.00%
	26.15%	50.00%	24.47%	33.33%	26.25%
व्यवसाय	37	3	35	1	76
	48.70%	3.90%	46.10%	1.30%	100.00%
	18.97%	21.43%	18.62%	33.33%	19.00%
विद्यार्थी	20	1	30	0	51
	39.20%	2.00%	58.80%	0.00%	100.00%
	10.26%	7.14%	15.96%	0.00%	12.75%
गृहणी	36	2	49	1	88
	40.90%	2.30%	55.70%	1.10%	100.00%
	18.46%	14.29%	26.06%	33.33%	22.00%
अन्य	23	0	8	0	31
	74.20%	0.00%	25.80%	0.00%	100.00%
	11.79%	0.00%	4.26%	0.00%	7.75%

उपरोक्त सारणी 4.45 (2) में उत्तरदाताओं की जीविकोपार्जन के आधार पर बलात्कार पीड़िता के किसी से भी विवाह करा देने के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का मापन किया गया है। जिसमें बेरोजगार वर्ग में 68.40 प्रतिशत ने माना है कि बलात्कार पीड़िता का विवाह किसी से भी करा देना चाहिए और सरकारी कर्मचारी वर्ग में 50.00 प्रतिशत, गैर सरकारी कर्मचारी वर्ग में 48.57 प्रतिशत, व्यावसायिक वर्ग में 48.70 प्रतिशत, गृहणी वर्ग में 40.90 प्रतिशत, विद्यार्थी वर्ग में 39.20 प्रतिशत एवं अन्य

जीविकोपार्जन वर्ग में 74.20 प्रतिशत। उपर्युक्त आंकड़ों को देख कर यह स्पष्ट हो जाता है कि बलात्कार पीड़िता का विवाह किसी से भी करा देने के सन्दर्भ में नकारात्मक है एवं यह बलात्कार पीड़िता के कम वांछनीय समझे जाने को स्वीकृति प्रदान करता है। बेरोजगार एवं अन्य निम्न जीविकोपार्जन कार्य से जुड़े लोगों की अभिवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक नकारात्मक है।

प्रश्न 36(3) : क्या बलात्कार पीड़िता का विवाह किसी भी व्यक्ति (जैसे की विकलांग, विधुर, बुजुर्ग आदि से) करा देना चाहिए ?

आर्थिक परिस्थितिवार बलात्कार पीडिता के कम वांछनीय होने की अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.45(3)

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं की आर्थिक परिस्थिति	**हाँ**	**पता नहीं**	**नहीं**	**उत्तर नहीं देना चाहते**	**कुल योग**
अति उच्च वर्ग	4	1	3	0	8
	50.00%	12.50%	37.50%	0.00%	100.00%
	2.10%	7.14%	1.60%	0.00%	2.00%
उच्च वर्ग	9	2	39	1	51
	17.60%	3.90%	76.50%	2.00%	100.00%
	4.60%	14.29%	20.74%	33.30%	12.80%
मध्यम वर्ग	127	8	123	2	260
	48.80%	3.10%	47.30%	0.80%	100.00%
	65.10%	57.14%	65.43%	66.70%	65.00%
निम्न वर्ग	55	3	23	0	81
	67.90%	3.70%	28.40%	0.00%	100.00%
	28.20%	21.43%	12.23%	0.00%	20.30%

उपरोक्त सारणी में बलात्कार पीड़िता के उत्तरदाताओं की आर्थिक परिस्थिति के अनुसार अभिवृत्ति का मापन किया गया है। किसी भी व्यक्ति से विवाह करा देने के संदर्भ में अति उच्च वर्ग में 50.00 प्रतिशत, उच्च वर्ग में 17.60 प्रतिशत, मध्यम वर्ग में 48.80 प्रतिशत और निम्न वर्ग में 67.90 प्रतिशत लोगों ने माना है कि बलात्कार पीड़िता का विवाह किसी भी व्यक्ति (जैसे की विकलांग, विधुर, बुजुर्ग आदि से) करा देना चाहिए। प्राप्त परिणामों से ज्ञात होता है कि सभी आर्थिक

परिस्थिति के उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति इस सन्दर्भ में बलात्कार पीड़िता की वांछनीयता को कम करके आंकते हैं। यह परिणाम नकारात्मक अभिवृत्ति की ओर इंगित करता है। तुलनात्मक रूप से देखने पर पता चलता है कि निम्न वर्ग की अभिवृत्ति सर्वाधिक नकारात्मक है।

प्रश्न 37: क्या बलात्कार पीड़िता को बलात्कार हमले के बाद अपना निवास स्थान बदल देना चाहिए?

आयुवार बलात्कार पीडिता के प्रति स्थानापन्न संबंधित अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.46

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया			
उत्तरदाताओं की आयु	हाँ	नहीं	कुल योग
18-25	3	71	74
	4.10%	95.90%	100.00%
	9.70%	19.20%	18.50%
26-30	9	98	107
	8.40%	91.60%	100.00%
	29.00%	26.60%	26.75%
31-35	8	95	103
	7.80%	92.20%	100.00%
	25.80%	25.70%	25.75%
36-40	6	69	75
	8.00%	92.00%	100.00%
	19.40%	18.70%	18.75%
40 से अधिक	5	36	41
	12.20%	87.80%	100.00%
	16.10%	9.80%	10.25%

उपरोक्त सारणी 4.46 में बलात्कार के हमले के बाद पीड़िता के निवास स्थान के बदलने से संबंधित अभिवृत्ति का मापन आयुवार किया गया है। जिसमें 18–25 आयु वर्ग में 95.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि बलात्कार पीड़िता को अपना निवास स्थान नहीं बदलना चाहिए। क्रमशः 26–30 आयु वर्ग में 91.60 प्रतिशत, 31–35 आयु वर्ग में 92.20 प्रतिशत, 36–40 आयु वर्ग में 92.00 प्रतिशत, 40 से अधिक आयु वर्ग में 87.80 प्रतिशत लोगों ने माना है कि बलात्कार हमले के

बाद बलात्कार पीड़िता को अपना निवास स्थान नहीं बदलना चाहिए। सम्पूर्ण आंकड़ों को देख कर स्पष्ट होता है कि नगरीय क्षेत्र में निवास कर रहे सभी आयुवर्ग के लोगों को पीड़िता के निवास स्थान बदलने के सन्दर्भ में सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है।

प्रश्न 37(1) : क्या बलात्कार पीड़िता को बलात्कार हमले के बाद अपना निवास स्थान बदल देना चाहिए?

<u>शैक्षिक स्थितिवार बलात्कार पीडिता के प्रति स्थानापन्न से संबंधित अभिवृत्ति का मापन</u>

<u>सारणी सं० 4.46 (1)</u>

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया			
उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति	हाँ	नही	कुल योग
अशिक्षित	1	7	8
	12.50%	87.50%	100.00%
	3.20%	1.90%	2.00%
प्राथमिक शिक्षा	9	11	20
	45.00%	55.00%	100.00%
	29.00%	2.98%	5.00%
उच्च्य माध्यमिक	12	112	124
	9.70%	90.30%	100.00%
	38.70%	30.35%	31.00%
स्नातक	2	158	160
	1.25%	98.75%	100.00%
	6.50%	42.82%	40.00%
परास्नातक	5	67	72
	6.90%	93.10%	100.00%
	16.10%	18.16%	18.00%
अन्य	2	14	16
	12.50%	87.50%	100.00%
	6.50%	3.79%	4.00%

उपरोक्त सारणी 4.46 (1)में बलात्कार पीड़िता के निवास स्थान के बदलने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति का मापन उनकी शैक्षिक स्थिति के आधार पर किया गया है। जिसमें अशिक्षित वर्ग में 87.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि बलात्कार पीड़िता को अपना निवास स्थान नहीं बदलना चाहिए एवं प्राथमिक स्तर

पर शिक्षित वर्ग में 55.00 प्रतिशत, उच्च माध्यमिक वर्ग में 90.30 प्रतिशत, स्नातक वर्ग में 98.75 प्रतिशत, परास्नातक वर्ग में 93.10 प्रतिशत एवं अन्य डिग्री धारक वर्ग में 87.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि बलात्कार पीड़िता को बलात्कार हमले के बाद अपना निवास स्थान नहीं बदलना चाहिए। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नगरीय क्षेत्र में निवास कर रहे सभी शैक्षिक वर्ग के लोगों की अभिवृत्ति पीड़िता के निवास स्थान बदलने के सन्दर्भ में सकारात्मक प्राप्त हुई है।

प्रश्न 37(2) : क्या बलात्कार पीड़िता को बलात्कार हमले के बाद अपना निवास स्थान बदल देना चाहिए?

जीविकोपार्जन–वार बलात्कार पीड़िता के प्रति स्थानापन्न संबंधी अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.46(2)

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया			
उत्तरदाताओं की जीविकोपार्जन स्थिति	हाँ	नहीं	कुल योग
बेरोजगार	3	16	19
	15.80%	84.20%	100.00%
	9.68%	4.34%	4.75%
सरकारी कर्मचारी	2	28	30
	6.70%	93.30%	100.00%
	6.45%	7.59%	7.50%
गैर सरकारी कर्मचारी	4	101	105
	3.80%	96.20%	100.00%
	12.90%	27.37%	26.25%
व्यवसाय	5	71	76
	6.60%	93.40%	100.00%
	16.13%	19.24%	19.00%
विद्यार्थी	2	49	51
	3.90%	96.10%	100.00%
	6.45%	13.28%	12.75%
गृहणी	9	79	88
	10.20%	89.80%	100.00%
	29.03%	21.41%	22.00%
अन्य	6	25	31
	19.40%	80.60%	100.00%
	19.35%	6.78%	7.75%

उपरोक्त सारणी 4.46(2) में उत्तरदाताओं की जीविकोपार्जन के आधार पर बलात्कार पीड़िता के निवास स्थान के बदलने के सन्दर्भ में अभिवृत्ति का मापन किया गया है। जिसमें बेरोजगार वर्ग में 84.20 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी वर्ग में 93. 30 प्रतिशत गैर सरकारी कर्मचारी वर्ग में 96.20 प्रतिशत, व्यावसायिक वर्ग में 93.40 प्रतिशत, गृहणी वर्ग में 89.80 प्रतिशत, विद्यार्थी वर्ग में 96.10 प्रतिशत एवं अन्य निम्न जीविकोपार्जन वर्ग में 80.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना है कि बलात्कार हमले के बाद बलात्कार पीड़िता को अपना निवास स्थान नहीं बदलना चाहिए। उपर्युक्त आंकड़ों को देख कर यह ज्ञात होता है कि नगरीय क्षेत्र में जीविकोपार्जन के सभी उत्तरदाताओं की बलात्कार पीड़िता के निवास स्थान बदलने की अभिवृत्ति के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है।

प्रश्न 37(3) : क्या बलात्कार पीड़िता को बलात्कार हमले के बाद अपना निवास स्थान बदल देना चाहिए?

आर्थिक परिस्थिति–वार बलात्कार पीड़िता के प्रति स्थानापन्न से संबंधित अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.46 (3)

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया			
उत्तरदाताओं की आर्थिक परिस्थिति	**हाँ**	**नहीं**	**कुल योग**
अति उच्च वर्ग	3	5	8
	37.50%	62.50%	100.00%
	9.68%	1.36%	2.00%
उच्च वर्ग	7	44	51
	13.70%	86.30%	100.00%
	22.58%	11.92%	12.75%
मध्यम वर्ग	14	246	260
	5.40%	94.60%	100.00%
	45.16%	66.67%	65.00%
निम्न वर्ग	7	74	81
	8.60%	91.40%	100.00%
	22.58%	20.05%	20.25%

उपर्युक्त सारणी 4.46 (3) में बलात्कार पीड़िता के निवास स्थान के बदले जाने के सन्दर्भ में उत्तरदाता की आर्थिक परिस्थिति के आधार पर अभिवृत्ति का मापन किया गया है। जिसमें अति उच्च वर्ग में 62.50 प्रतिशत ने उत्तरदाताओं ने

माना कि बलात्कार पीड़िता को निवास स्थान नहीं बदलना चाहिए। उच्च वर्ग में 86.30 प्रतिशत, मध्यम वर्ग में 94.60 प्रतिशत, निम्न वर्ग में 91.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना कि बलात्कार पीड़िता को निवास स्थान नहीं बदलना चाहिए। प्राप्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि सभी आर्थिक वर्गों से जुड़े उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति सकारात्मक है। सापेक्षिक रूप से देखा जाय तो अति उच्च वर्ग के उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति नकारात्मक है परन्तु यह प्रतिशत अत्यधिक कम होने के कारण निर्णायक भूमिका नहीं निभाता है।

प्रश्न 38 : क्या किसी बालिका का बलात्कार होने पर उसे स्कूल बदल लेना चाहिए?

आयुवार बलात्कार पीड़िता के प्रति स्थानापन्न संबंधित अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.47

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं की आयु	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
18-25	13	0	61	0	74
	17.60%	0.00%	82.40%	0.00%	100.00%
	12.62%	0.00%	20.90%	0.00%	18.50%
26-30	36	1	70	0	107
	33.64%	0.93%	65.42%	0.00%	100.00%
	34.95%	25.00%	24.00%	0.00%	26.75%
31-35	28	1	74	0	103
	27.20%	1.00%	71.80%	0.00%	100.00%
	27.18%	25.00%	25.30%	0.00%	25.75%
36-40	22	2	50	1	75
	29.30%	2.70%	66.70%	1.30%	100.00%
	21.36%	50.00%	17.10%	100.00%	18.75%
40 से अधिक	4	0	37	0	41
	9.80%	0.00%	90.20%	0.00%	100.00%
	3.88%	0.00%	12.70%	0.00%	10.25%

उपरोक्त सारणी 4.47 में बलात्कार पीड़िता के बलात्कृत होने के उपरान्त स्कूल बदलने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की आयुवार अभिवृत्ति का मापन किया गया है। जिसके अंतर्गत 18–25 आयु वर्ग में 82.40 प्रतिशत ने माना कि बलात्कार के बाद पीड़िता को अपना स्कूल नहीं बदलना चाहिए। 26–30 आयु वर्ग में 65.42

प्रतिशत, 31–35 आयु वर्ग में 71.80 प्रतिशत, 36–40 आयु वर्ग 66.70 प्रतिशत, 40 से अधिक आयु वर्ग में 90.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि बलात्कृत बालिका को अपना स्कूल नहीं बदलना चाहिए। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बलात्कृत बालिका के स्कूल बदलने के सन्दर्भ में नगरीय समाज के सभी आयु वर्गों में सकारात्मक अभिवृत्ति है। एवं तुलनात्मक रूप से देखा जाय तो 26–30 आयु वर्ग के लोगों की अभिवृत्ति नकारात्मक मापी गयी है।

प्रश्न 38(1) : क्या किसी बालिका का बलात्कार होने पर उसे स्कूल बदल लेना चाहिए?

शैक्षिक स्थितिवार बलात्कार पीड़िता के प्रति स्थानापन्न संबंधी अभिवृत्ति का मापन

सारणी स० 4.47(1)

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया				
उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
अशिक्षित	3	0	5	0	8
	37.50%	0.00%	62.50%	0.00%	100.00%
	2.90%	0.00%	1.70%	0.00%	2.00%
प्राथमिक शिक्षा	8	0	12	0	20
	40.00%	0.00%	60.00%	0.00%	100.00%
	7.80%	0.00%	4.10%	0.00%	5.00%
उच्च माध्यमिक	42	2	80	0	124
	33.90%	1.60%	64.50%	0.00%	100.00%
	40.80%	50.00%	27.40%	0.00%	31.00%
स्नातक	35	2	123	0	160
	21.85%	1.30%	76.85%	0.00%	100.00%
	34.00%	50.00%	42.10%	0.00%	40.00%
परास्नातक	13	0	58	1	72
	18.10%	0.00%	80.55%	1.35%	100.00%
	12.60%	0.00%	19.90%	100.00%	18.00%
अन्य	2	0	14	0	16
	12.50%	0.00%	87.50%	0.00%	100.00%
	1.90%	0.00%	4.80%	0.00%	4.00%

प्रस्तुत सारणी में बलात्कार हमले की शिकार बालिका के स्कूल परिवर्तन के संबंध में उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्थिति के आधार पर अभिवृत्ति का मापन किया है। जिसमें अशिक्षित वर्ग में 62.50 प्रतिशत, प्राथमिक स्तर वर्ग में 60.00 प्रतिशत,

उच्च माध्यमिक वर्ग में 64.50 प्रतिशत, स्नातक वर्ग में 76.85 प्रतिशत, परास्नातक वर्ग में 80.55 प्रतिशत, उच्च अन्य डिग्री धारक वर्ग में 87.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना है कि बालिका को अपना स्कूल नहीं बदलना चाहिए। प्रत्येक शैक्षिक वर्ग में बलात्कार पीड़ित बालिका के स्कूल परिवर्तन के सन्दर्भ में सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है। अतः यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक आधार पर अभिवृत्ति अंतर नहीं किया जा सकता है एवं नगरीय समाज में सभी शैक्षिक वर्ग में सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है।

प्रश्न 38(2) : क्या किसी बालिका का बलात्कार होने पर उसे स्कूल बदल लेना चाहिए?

जीविकोपार्जन–वार बलात्कार पीडिता के प्रति स्थानापन्न संबंधी अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.47 (2)

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं का जीविकोपार्जन	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
बेरोजगार	5	0	14	0	19
	26.30%	0.00%	73.70%	0.00%	100.00%
	4.85%	0.00%	4.79%	0.00%	4.75%
सरकारी कर्मचारी	4	1	25	0	30
	13.33%	3.33%	83.33%	0.00%	100.00%
	3.88%	25.00%	8.56%	0.00%	7.50%
गैर सरकारी कर्मचारी	26	1	77	1	105
	24.75%	1.00%	73.25%	1.00%	100.00%
व्यवसाय	25.24%	25.00%	26.37%	100.00%	26.25%
	20	0	56	0	76
	26.30%	0.00%	73.70%	0.00%	100.00%
विद्यार्थी	19.42%	0.00%	19.18%	0.00%	19.00%
	12	0	39	0	51
	23.50%	0.00%	76.50%	0.00%	100.00%
गृहणी	11.65%	0.00%	13.36%	0.00%	12.75%
	22	2	64	0	88
	25.00%	2.30%	72.70%	0.00%	100.00%
अन्य	21.36%	50.00%	21.92%	0.00%	22.00%
	14	0	17	0	31
	45.20%	0.00%	54.80%	0.00%	100.00%

प्रस्तुत सारणी 4.47 (2) में बलात्कार हमले की शिकार बालिका के स्कूल परिवर्तन के संबंध में उत्तरदाताओं के जीविकोपार्जन के आधार पर अभिवृत्ति का मापन किया है। जिसमें बरोजगार वर्ग में 73.70 प्रतिशत, सरकारी कर्मचारी वर्ग में 83.33 प्रतिशत, गैर सरकारी कर्मचारी वर्ग में 73.25 प्रतिशत, व्यवसायिक वर्ग में 73. 70 प्रतिशत, गृहणी वर्ग मे 72.70 प्रतिशत, विद्यार्थी वर्ग में 76.50 प्रतिशत एवं अन्य जीविकोपार्जन वर्ग में 54.80 प्रतिशत तुलनात्मक रूप से देखने पर ज्ञात होता है कि अन्य निम्नजीविका से जुड़े उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति सापेक्षिक रूप से अन्य की अपेक्षा नकारात्मक है जो कि आधे से ज्यादा प्रतिशत है। अतः कहा जा सकता है कि निम्न जीविकोपार्जन से जुड़े उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति नकारात्मक है। अन्य जीविकोपार्जन वर्ग में उत्तरदाताओं ने माना है कि बालिका का बलात्कार हो जाने पर उसे स्कूल परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उपरोक्त आंकड़ों को देख कर ज्ञात होता है कि सभी प्रकार के जीविकोपार्जन से संबंधित उत्तदाताओं की अभिवृत्ति इस सन्दर्भ में सकारात्मक प्राप्त हुई है।

प्रश्न 38(3) : क्या किसी बालिका का बलात्कार होने पर उसे स्कूल बदल लेना चाहिए?

आर्थिक स्थितिवार बलात्कार पीड़िता के प्रति स्थानापन्न संबंधी अभिवृत्ति का मापन

सारणी सं० 4.47(3)

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया					
उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति	हाँ	पता नहीं	नहीं	उत्तर नहीं देना चाहते	कुल योग
अति उच्च वर्ग	4	0	4	0	8
	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%
	3.85%	0.00%	1.40%	0.00%	2.00%
उच्च वर्ग	4	1	46	0	51
	7.80%	2.00%	90.20%	0.00%	100.00%
	3.85%	25.00%	15.75%	0.00%	12.75%
मध्यम वर्ग	66	2	191	1	260
	25.40%	0.75%	73.50%	0.35%	100.00%
	64.10%	50.00%	65.35%	100.00%	65.00%
निम्न वर्ग	29	1	51	0	81
	35.80%	1.20%	63.00%	0.00%	100.00%
	28.20%	25.00%	17.50%	0.00%	20.25%

प्रस्तुत सारणी 4.47(3) में बलात्कार हमले की शिकार बालिका के स्कूल परिवर्तन के संबंध में उत्तरदाताओं के आर्थिक स्थिति के आधार पर अभिवृत्ति का मापन किया है। जिसमें अति उच्च वर्ग में 50.00 प्रतिशत, उच्च वर्ग में 90.20 प्रतिशत, मध्यम वर्ग में 73.50 प्रतिशत, निम्न वर्ग में 63.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना है कि बलात्कार की शिकार बालिका को स्कूल नहीं बदलना चाहिए। सम्पूर्ण आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि बलात्कार की शिकार पीड़िता के स्कूल के विस्थापन के सन्दर्भ में सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है।

पंचम अध्याय

बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्ति कारण,प्रभाव एवं पुनर्वास का विश्लेषण

पंचम अध्याय

बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्तिः कारण, प्रभाव एवं पुनर्वास का विश्लेषण

प्रस्तुत अध्याय में शोधकर्ता द्वारा बलात्कार के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही साथ बलात्कार के लिए उत्तरदायी अन्य कारकों को भी गहनता से समझने का प्रयास किया गया है। बलात्कार के सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का विश्लेषण करने के बाद बलात्कार के कारण, बलात्कार पीड़िता पर पड़ने वाले शारीरिक, मानसिक प्रभावों का विश्लेषण एवं बलात्कार पीड़िताओं के वैयक्तिक अध्ययनों को सम्मिलित किया गया है। अध्याय के अंत में समाज में बलात्कार के प्रति धारणाओं, अभिवृत्ति या सामाजिक कलंक (social stigma) एवं बलात्कार पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के मध्य अंतःसंबंधों का विश्लेषण किया गया है।

बलात्कार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के संबंध में जब भी चर्चा की जाती है तो सामाजिक संरचना, संस्थाओं और स्त्री एवं पुरुष से संबंधित समाजीकरण की प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बलात्कार के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों में लिंग के आधार पर जो भेदभाव, एवं असमानता की विचारधारा व्याप्त है, वह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस सन्दर्भ में जया श्रीवास्तव (2018) ने "जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी इन कंटेम्पररी इंडिया" में यह सपष्ट किया है कि लिंग संबंधी भेदभाव एवं असमानता हमेशा से प्रचलित रही है, जिसे रोजमर्रा के दैनिक जीवन में देखा जा सकता है और यह भेदभाव एवं असमानता को हर स्तर पर देखा जा सकता है। जैसे कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक स्तर पर एवं वृहद् स्तर पर सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों एवं परम्पराओं के माध्यम से यह लिंगात्मक भेदभाव एवं असमानता परिलक्षित होते हैं। भारतीय समाज जैसे परम्परागत समाज में लिंग सम्बन्धी भूमिकाओं के समबन्ध में अत्यधिक परम्परागत विचारों को ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है। और लिंग सम्बन्धी भूमिकाओं को सामाजिक संस्थाओं द्वारा बाध्यतापूर्ण रूप से लागू करने पर बल देता

है। इस कारण महिलायें व्यवस्थित ढंग से विभिन्न असमानताओं की ओर धकेली गयी हैं और यह विचारधारा महिलाओं की पहचान, विचार, आवाज एवं अस्तित्व का नामों निशान मिटा देती है। लिंगात्मक भेदभाव एवं असमानता भारतीय समाज की एक आवश्यक विशेषता है जो प्राकृतिक रूप से संरचना में ही निहित है (श्रीवास्तव, 2018)। समाजशास्त्रीय दृष्टि से बलात्कार एक विचलित और अपराधिक व्यवहार है, जिसके अनेक सामाजिक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। राबर्ट के. मर्टन का मानना है कि विचलित व्यवहार के कारक स्वयं सामाजिक संरचना में ही निहित होते हैं और यह विचलित व्यवहार सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के असफलता को दर्शाते हैं। समाजीकरण के सिद्धांतों के आलोक में देखा जाए तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है एवं व्यक्ति का व्यवहार और विचार समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होते हैं। यदि समाजीकरण की प्रक्रिया में कोई बाधा होगी तो व्यक्ति के व्यवहार में होने की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। प्रस्तुत अध्याय में बलात्कार के सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के सम्बन्ध में समाजशास्त्रीय दृष्टि से गहनता से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

किसी भी समाज में महिला के विरुद्ध किये गए अपराधों की संख्या इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकृति क्या है ? और क्या थी? किन कारणों से किसी भी समाज में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होती है। इन महिला विरोधी अपराधों एवं हिंसा के मूल में कौन से प्रेरणादायक स्रोत हैं जो महिला विरोधी हिंसा को प्रेरित करते हैं। इस संदर्भ में नारीवादी क्लार्क एवं लेविस ने बलात्कार के संबंध में अध्ययन करने एवं बलात्कार की परिघटना को समझने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास किया और बलात्कार को वृहद् सन्दर्भ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सन्दर्भों में विश्लेषित किया है। (क्लार्क एवं लेविस, 1977)

महिला विरोधी हिंसा और यौन आक्रामकता कोई वैयक्तिक घटना न हो कर यह एक ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिघटना है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है

क्योंकि यौन आक्रामकता एवं महिला विरोधी हिंसा किसी एक समाज, संस्कृति अथवा एक समय काल की विशेषता नहीं है। यद्यपि यह तो समाज द्वारा निर्मित एवं परिभाषित होती है (लाना इ. स्टेरमक, गिल, 1971)। बलात्कार संबंधी कारकों का ऐतिहासिक परीक्षण किया जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बलात्कार के पीछे जो मंतव्य अथवा प्रेरणा श्रोत होते हैं उसकी जड़ें सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारधारा में गहराई से समाहित रही हैं। कुछ मातृसत्तात्मक परिवारों को छोड़ कर लगभग सभी समाजों में पितृसत्तात्मक परिवार ही मुख्य रूप से एक विशिष्ट विशेषता रही है। पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था में वधू, वर पक्ष के निवास स्थान पर जाकर परिवार का निर्माण करती है। इस कारण महिलाओं की स्थिति निम्न होती है, जिस कारण महिलाओं को पितृसत्तात्मक परिवार एवं समाज में पुरुषों की अपेक्षा कम अधिकार एवं सम्मान दिया जाता है, साथ ही इस पितृसत्तात्मक परिवारों में अत्यधिक झगड़ों का प्रदर्शन होता है और पितृसत्तात्मक के कारण बलात्कारों की भी अधिकता होती है (क्वीनसे, 1986)। इस संबंध में सन्डे ने कहा है कि जनजातीय समाजों में बलात्कार के घटना की आवृत्ति में सामाजिक कारक सकारात्मक रूप से अंतर्संबंधित रहे हैं। इसके मुख्य कारण यह रहे हैं (1) अपनी पत्नियों का अन्य समूहों में व्यापार करना। (2) पारस्परिक संघर्षों की अधिक मात्रा का होना। (3) पुरुषों का स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बलशाली होने की वैचारिकी। (4) महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा निम्नतर एवं शक्तिहीन मानने की वैचारिकी। (5) सामान्यतः महिलाओं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखना एवं (6) युद्ध की अधिकता। सूसन ब्राउनमिलर ने 1975 में यह बात स्पष्ट रूप से कही कि पुरुषों द्वारा युद्ध में विजित समूह का होने पर अत्यधिक पुरुषत्व का अभिमान होता है उन्हें जमीन, धन के साथ साथ वे स्त्रियों पर बलात्कार को भी एक इनाम स्वरूप देखते हैं, स्त्रियों पर बलात्कार करने को पुरुष विरोधी समूह से प्रतिशोध लेने का एक औजार के रूप में प्रयोग करते हैं। (सैंडी, 1981)

अनेक शोध कर्ताओं एवं चिकित्सकों ने अपने अध्ययनो में पाया है कि सामाजिक प्रक्रियाओं एवं पुरुष आक्रामकता में सीधा संबंध होता है। इस सन्दर्भ में विल्सन, फैसन एवं ब्रित्तोंन (1983) ने यह कहा कि बलात्कार, सामाजिक प्रक्रियाओं

का हिस्सा है जो यौन स्तरीकरण की व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस विचार की पुष्टि के संबंध में अनेक अध्ययन हुए हैं, उदहारण के लिए (क्लार्क एवं लेविस, 1977) ने अपने लेख में उल्लखित किया कि यौन शोषण एक सामाजिक परिघटना है न कि प्राकृतिक। और यह यौन शोषण का व्यवहार विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं द्वारा निर्मित एवं संपोषित किया जाता है न कि व्यक्तियों के अप्रवर्तनीय व्यवहार द्वारा। वास्तव में यौन आक्रामक व्यवहार के सन्दर्भ में जो अनेक सांस्कृतिक अध्ययन हुए हैं उन पर गौर किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि कुछ विशिष्ट सामाजिक चर प्रत्यक्ष रूप से यौन शोषण और यौन शोषण के डिग्री (मात्रा) से संबंधित होते हैं। इन सामाजिक चरों में से अधिकतर चर समाज में स्त्रियों एवं पुरुषों के समाज में तुलनात्मक परिस्थिति से संबन्धित होते हैं।

ब्राउनमिलर, (1975) तर्क देती हैं कि पुरुषों द्वारा महिलाओं पर आधिपत्य जमाने एवं नियंत्रण स्थापित करने में यौन शोषण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस उपकल्पना को आधार प्रदान करते हुए अपने अध्ययन में पाया कि यौन शोषण एवं यौन आक्रामकता सामान्यतः पुरुषों की विशेषता होती है एवं उनके सामान्य संबंधों में ही निहित होता है। इन अध्ययनों के माध्यम से बलात्कार के प्रभावों और सहनशीलता के संबंध में परीक्षण किये गए हैं। जैसे कि डेट, बलात्कार परिचितों द्वारा बलात्कार यौन शोषण, यौन आक्रामकता के प्रति अभिवृत्ति आदि का परीक्षण किया गया है। यौन शोषण के प्रति जो लोगों की सहनशीलता की अभिवृत्ति होती है, वह समाज द्वारा ही निर्मित होती है। और यही सहनशीलता बलात्कार, यौन शोषण एवं यौन आक्रामकता के प्रति अप्रत्यक्ष सहमति प्रदान करता है। इस यौन आक्रामकता की स्वीकृति के कारण बलत्कार पीड़िता को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है और अनेक मिथकों का इसमें योगदान होता है (एडेलबर्ग,1961)।

5.1 महिलाओं के प्रति अपराध

पुरुषों को महिलाओं के प्रति अपराध करने, हिंसक होने, अपशब्दावली बोलने या निर्दयी होने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है ? अपराधिक हिंसा के सम्बन्ध में तीन

सम्प्रदाय इस प्रकार हैं जो महिलाओं के प्रति पुरुषों का हिंसात्मक व्यवहार और महिलाओं के प्रति पुरुषों के हिंसात्मक यौन व्यवहारों एवं अपराधों की व्याख्या करते हैं :

(1) मनोविकार निदान सम्प्रदाय (साइको पैथोलॉजिकल स्कूल) (जो शोषक व शोषित के व्यक्तित्व के गुणों पर प्रकाश डालता है।

(2) सामाजिक मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय (सोसिओ साइकोलॉजिकल स्कूल) जो व्यक्ति के दैनिक क्रियाकलापों पर बाह्य कारकों के प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

(3) सामाजिक सांस्कृतिक या समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय (सोसिओ–कल्चरल और सोशियोलॉजिकल स्कूल) जो व्यक्ति पर सामाजिक संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था के दबाव पर प्रकाश डालता है।

बलात्कार की घटना के घटित होने के पीछे सामाजिक मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय के पांच महत्त्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रस्ताव (प्रोपोजिसन) प्रकार हैं जो महिला विरोधी हिंसा को आधार प्रदान करते हैं।

(1) आक्रामक मूल प्रवृत्ति कुण्ठा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध उपयोग की जाती है (कुण्ठा आक्रामकता सिद्धांत फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी)।

(2) विचलित क्रिया शैशवी मूलप्रवृत्तियों (इन्फेंटाइल इनस्टीन्कट्स), कुत्सित भावनाओं (डिस्टॉर्टेड फीलिंग्स) और अपराधी के आहत अहं (स्पलिट ईगो) का प्रतिफल होती हैं, इसे विपयार्स सिद्धांत (परवरजन थ्योरी) भी कहा जाता है।

(3) निम्न सम्मान के लोग विचलित या हिंसात्मक कार्यों द्वारा दूसरों एवं स्वयं की दृष्टि में अपनी छवि सुधारने का प्रयत्न करते हैं (स्व–अभिवृत्ति सिद्धांत, सेल्फ ऐटीट्यूड थ्योरी)।

(4) विचलन उत्तेजना का प्रतिफल है (उत्तेजना सिद्धांत, प्रोवोकेसन थ्योरी)।

(5) व्यक्ति विचलित व्यवहार में तब संलग्न होते हैं जब कि दूसरे व्यक्तियों के कार्यों पर दुर्भावना से उनका क्रोध बढ़ जाता है (अभिप्राय गुणारोपण सिद्धांत, मोटिव एट्रीब्यूशन थ्योरी)।

अक्सर यह देखा गया है कि बलात्कार के पीछे कहीं न कहीं यही कारण उत्तरदायी होते हैं। समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय के भी महत्त्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रस्ताव इस प्रकार हैं– प्रथम सांस्कृतिक मूल्य और मानदण्ड अपराध को सरलता एवं समर्थन प्रदान करते हैं इसे हिंसा की उपसंस्कृति का सिद्धांत कहा जाता है–थ्योरी ऑफ सबकल्चर वायलेंस)। दूसरा सिद्धांत लक्ष्यों और संसाधनों के तनाव के कारण खाई के फलस्वरूप अपराध होते हैं इसे अप्रतिमानता (मानक शून्यता) का सिद्धांत कहा जाता है– एनोमी थ्योरी)। तीसरा सिद्धांत सीखने का सिद्धांत है जिसे सीखने का सामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है (सोशल लर्निंग थ्योरी)। यह कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की व्याख्या की जा सकती है ।

आहूजा (1989) का तर्क है कि महिलाओं के प्रति अपराधों को पांच कारकों से ज्ञात किया जा सकता है। (1) जिस स्थिति में अपराध किया जाता है उस स्थिति की संरचना (2) परिस्थितिजन्य सुविधाएं जिन्होंने अपराध करवाया (3) उत्तरदायी कारक जिनके कारण अपराध किया गया (4) व्यक्ति द्वारा अनुभव किये गए दबाव, जैसे उसकी अपनी समस्याएं ।(5) और अपराध किये जाने से पूर्व अपराधी के प्रति शोषित महिला का व्यवहार कैसा था। इन सभी कारकों को मिला कर समष्टिवादी (होलिस्टिक) दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति अपराधों के कारणों का सही ज्ञान दे सकते हैं।

पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रति अपराध करने के विशेष रूप से तीन कारण मालूम पड़ते हैं। प्रथम तो यह कि अपराधी का बचपन दुरूपयुक्त (अब्यूसिव) इतिहास रहा हो जैसे– कष्टप्रद पालन–पोषण, माँ बाप द्वारा शारीरिक यातनायें एवं संवेगात्मक उपेक्षा। दूसरा कारण परिवार की तनावपूर्ण स्थितियां और तीसरी परिस्थिति कुंठाएं (स्टेटस फ्रस्ट्रेशन) प्रथम कारण बताता है कि अपराधी का

विचलित व्यवहार अधिकतर उसने बचपन और किशोर अवस्थाओं के दबाव भरे अनुभवों से सीखा है। यह निश्चित रूप से पीढ़ीगत सिद्धांत (जेनरेशनल थ्योरी) की ओर संकेत करता है कि हिंसा और आवेशपूर्ण परिवारों में पालन पोषण होने पर युवावस्था में व्यक्ति के अधिक हिंसात्मक होने की संभावना होती है। सामाजिक सीख के सिद्धांत को महिलाओं द्वारा हिंसा को सहन करने की क्षमता को "अर्जित असहायता/ विवशता सिद्धांत" (लेर्नेड हेल्पलेसनेस थ्योरी) तथा "परंपरागत समाजीकरण सिद्धांत'' (ट्रेडिशनल सोसियोलाईजेशन थ्योरी) के अर्थों से भी स्पष्ट किया जा सकता है। बाद के समाजीकरण सिद्धांत का सन्दर्भ महिलाओं के इस परम्परागत मूल्यों के अनुसार था। समाजीकरण की प्रक्रिया से या यौन भूमिका आदर्श (सेक्स रोल आइडियोलॉजी) को मानने से है कि पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ होता है और स्त्री को पुरुष का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है (मुकेश आहूजा, 1998 में उद्‌घृत)।

उपरोक्त सैद्धांतिक व्याख्याओं के अतिरिक्त महिलाओं के शोषण द्वारा उनके विरुद्ध किये गए अपराधों की व्याख्या के लिए तीन अन्य सैद्धांतिक उपागम हैं जिन पर चर्चा करना आवश्यक है। (1) पितृसत्तात्मक उपागम (2) अंतर्वैयक्तिक शक्ति उपागम और (3) सन्दर्भ–विशेष उपागम।

5.2 महिलाओं के प्रति यौन हिंसा के सामाजिक प्रेरणादायक श्रोतः

बलात्कार के सामाजिक कारणों की व्याख्या के सन्दर्भ में दो सिद्धांत अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। (1) बलात्कार के सामाजिक कारणों की नारीवादी व्याख्या एवं (2) बलात्कार के सामाजिक कारणों की सामाजिक सीख के सिद्धांतवादियों द्वारा व्याख्या। प्रस्तुत अध्याय में दोनों परिप्रेक्ष्यों पर चर्चा की जाएगी।

5.2.1 बलात्कार के सामाजिक कारणों की नारीवादी व्याख्या

नारीवादी विचारकों में अधिकतर नारीवादियों का बलात्कार के कारणों की व्याख्या में समाज एवं सामाजिक संरचना को बलात्कार के लिए मुख्य कारण माना है। जिसमें मुख्य नारीवादी विचारक (मेहरोफ एवं करोन (1972), लर्ग्रंडे (1973),

ब्राउनमिलर (1975), डेविस (1975), क्लार्क एवं लेविस (1977), रोज (1977), ग्रोथ (1979), डोर्किन (1981), एवं स्च्वेंदिन्गेर एवं स्च्वेंदिन्गेर (1983)। स्मिथ एवं बेन्नेंट (1985), के अनुसार नारीवादी सिद्धांत जल्दी सामाजिक विज्ञानों में बलात्कार के कारणों की व्याख्या करने में महत्त्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य बन गया।

5.2.2 बलात्कार के सामाजिक कारणों की सामाजिक सीख के माध्यम से व्याख्या

बलात्कार को सामाजिक सीख के सिद्धांत से प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ कर देखा जा सकता है। बलात्कार के कृत्य में पुरुष का महिला के प्रति अभिवृत्ति, पुरुष के यौन आक्रामकता का व्यवहार एवं स्त्री लिंग विशेष के प्रति उसकी मानसिकता का विकास समाजीकरण के माध्यम से ही निर्मित होता है। अतः कथित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि बलात्कार एक सीखा हुआ व्यवहार होता है जिसे अपराधी विशेष सामाजिक सांस्कृतिक सन्दर्भों में समझता सीखता एवं व्यवहार में शामिल करता है। बलात्कार के सामाजिक सीख के अवधारणा का प्रादुर्भाव 60 के दशक के शोध के कार्यों में देखा जा सकता है। 60 के दशक में इस विचारधारा पर विशेष बल दिया जाने लगा कि किसी भी व्यवहार अथवा कृत्य के पुनरावृत्ति से उस विशिष्ट कार्य के प्रति उद्दीपन जाग्रत होता है एवं उस कार्य के प्रति व्यक्ति विशेष में वैसा ही व्यवहार करने की इच्छा जागृत होती है। इस विचारधारा को प्रोत्साहन देने वालों में मुख्य रूप से (विल्सन एवं नकाजो 1965, जजोंक, 1968, हैरिसन 1968, मोर्लंड एवं जजोंक 1976) आदि विचारक शामिल थे। इस प्रकार के यौन हिंसा के बार बार पुनरावृत्ति होने पर यह महिलाओं एवं समाज में अत्यधिक भय उत्पन्न कर देता है और साथ ही साथ यह विचारधारा पैदा करता है कि स्त्रियों पर एकाधिकार एवं नियंत्रण स्थापित करने और पौरुषता का प्रदर्शन इसके मध्यम से किया जा सकता है (बंदुरा,1967)।

बलात्कार के सामाजिक सीख की अवधारणा के सन्दर्भ में बंदुरा ने इस सिद्धांत में उत्तरगामी महत्त्वपूर्ण कार्य किये (1973,1978,1986) के कार्यों एवं अध्ययनों के माध्यम से यह कथन प्रस्तावित किया कि यौन आक्रामक व्यवहार प्राथमिक तौर पर सीख के माध्यम से सीखा जाता है एवं तदुपरांत पुनरावृत्ति के

माध्यम से प्रभावी होता रहता है। बंदुरा(1978) ने तर्क दिया कि महिला के प्रति आक्रामकता का मॉडल मुख्य रूप से तीन श्रोतों से उत्पन्न होता है। (1) प्रथामिक रूप से आक्रामक व्यवहार की सीख परिवार एवं मित्र समूह से सीखा जाता है। (2) किसी व्यक्ति विशिष्ट संस्कृति अथवा उपसंस्कृति (3) वर्तमान समय में जनसंचार। बंदुरा ने जनसंचार में टेलीविजन अन्य दृश्य सामग्री एवं उनके प्रभावित करने के तरीकों पर बल दिया है जिसके अंतर्गत कुछ मुख्य बिन्दुओं को शामिल किया (क) जनसंचार के माध्यम से वास्तविक आक्रामक व्यवहार एवं तरीके सीखे जाते हैं। (ख) जनसंचार टेलीविजन, नाटक एवं अपराधिक नाट्य रूपांतरण में सामाजिक नियंत्रण के प्रभाव को अक्सर कम अथवा प्रभावहीन करके दिखाया जाता है। (ग) जनसंचार आमजन को महिलाओं के शोषण के प्रति संवेदनहीन बनाता है और (घ) जनसंचार आक्रामक व्यवहार को तर्कसंगत ठहराता है साथ ही साथ आक्रामक व्यवहार के लिए महिला को ही दोषारोपित करने की मानसिकता में वृद्धि करता है। (बंदुरा, 1978)। बलात्कार के सामाजिक सीख का सिद्धांत मुख्य रूप से बलात्कार को महिलाओं के प्रति प्रकट की जाने वाली पुरुषों के आक्रामक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सामाजिक प्रक्रियाओं से अंतर्संबंधित होता है जैसे : (क) महिलाओं के प्रति यौन हिंसा एवं बलात्कार के दृश्यों को जिस प्रकार चित्रण एवं वर्णन किया जाता है, दृश्यों को कुछ व्यक्तियों द्वारा वास्तविक जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। (नेल्सन, 1982, हुजमैन एवं मलामुथ, 1986 (ख) इसी प्रकार मादक दृश्यों एवं हिंसा को पोर्नोग्राफी और डरावनी फिल्मों में यौन आक्रामकता को बार बार परोसा जाता है और यह आमजन के यौन व्यवहार एवं आक्रामकता पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव डालता है (मलामुथ,1983)।

मलामुथ (1983) ने सामाजिक सीख के सिद्धांत एवं नारीवादियों को अनेक सन्दर्भों में एक सामान मानते हैं और कहीं कहीं दोनों सिद्धांत एकसमान ही जान पड़ते हैं। उदहारण स्वरूप (1) दोनों ही सिद्धांत बलात्कार के लिए सामाजिक सांस्कृतिक कारणों को मुख्य रूप से जिम्मेदार मानते हैं। (2) दोनों ही सिद्धांत आधुनिक एवं पश्चिमी संस्कृति को महिलाओं के प्रति यौन शोषण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक मुख्य घटक के रूप में मानते हैं जो समाज में महिलाओं के लिए

बलात्कार संकट उत्पन्न कर देता है (बर्ट, 1980, पृ० 229)। (3) सामाजिक सीख एवं नारीवादी दोनों ही सिद्धांत इस पक्ष को पूर्णतः नकारते हैं कि बलात्कार करने वाले पुरुषों की अलग मानसिकता अथवा उपसंस्कृति होती है। अतः दोनों ही विचारधारा यह मानती है कि बलात्कार एवं यौन आक्रामकता समाज द्वारा सीखा हुआ व्यवहार है। इस सन्दर्भ में नारीवादियों का सामाजिक सीख के विचारों की अपेक्षा इस बात पर ज्यादा बल है कि बलात्कार के कारण सामाजिक संरचना में ही निहित होते हैं (स्च्वेन्दिंगर एवं स्च्वेन्दिंगर 1982)।

5.2.3 पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण

इस विचार के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा एक महिला का शोषण, उसके साथ दुर्व्यवहार, या उसका अपमान एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है। यह तो महिलाओं पर पुरुषों के प्रभावशीलता/प्रधानता की व्यवस्था की एक अभिव्यक्ति है। महिलाओं की दयनीय दशा की सामाजिक सहनशीलता पितृसत्तात्मक मानदंडों की ही अभिव्यक्ति है जो समाज व परिवार में पुरुषों के वर्चस्व प्रभुत्व का समर्थन करती है।

डेल मार्टन प्रसिद्ध नारीवादी हैं, ने कहा है पितृसत्तात्मक परिवार स्वरूप की ऐतिहासिक जड़ें बड़ी प्राचीन एवं गहरी हैं, जब तक विवाह एवं परिवार के नए प्रतिमान नहीं बनाए जाएँगे, महिलाओं का शोषण प्राचीन समय से चली आ रही परम्पराओं से स्वाभाविक रूप में पनपता रहेगा। (मार्टिन,1977) पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण बलात्कार पीड़िता को बलात्कार के लिए दोषी ठहराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण महिलाओं के विरुद्ध होने वाली यौन हिंसा और बलात्कार को तर्कसंगत ठहराते हैं।

5.2.4 सहकर्मी और पारिवारिक कारक (यौन अपराधियों का बाल्यावस्था में यौनशोषण का शिकार होना)

सिमोंस के बलात्कार सम्बन्धी जैविकीय कारणों के विपरीत निकोलस ग्रोथ ने यौन हिंसा के लिए अन्य कारणों पर चर्चा करते हुए बलात्कार के लिए मनोवैज्ञानिक अप्रकार्यात्मक का कारण माना है और कहा कि यौन हिंसा एवं यौन आक्रामकता के

लिए विशेष कारकों में मनोवैज्ञानिक कारक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रोथ ने 1979 के अपने अध्ययन में 500 से अधिक यौन अपराधियों पर अध्ययन किया और अपने अध्ययन में ग्रोथ ने पाया कि अधिकतर यौन अपराधी अपने बचपन में यौन हिंसा का शिकार हुआ था। अधिकतर यौन अपराधियों के बचपन का इतिहास यौन हिंसा से ग्रसित था। ग्रोथ ने अपने अध्ययन में पाया कि इन अपराधियों में से तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बचपन में अपने सामने माँ अथवा बहन के साथ यौन शोषण को देखा था, वे स्वयं शिकार नहीं थे फिर भी उनके मन में यौन हिंसा का अत्यधिक आघात पहुंचा था। ग्रोथ ने अपने अध्ययन में यह भी पाया कि जो यौन अपराधी अपने बचपन में यौन हिंसा के शिकार हुए थे वे बलात्कार के साथ साथ बाल यौन शोषण में भी संलिप्त पाए गए थे। ग्रोथ ने अपने अध्ययन में पाया कि बचपन में यौन हिंसा का शिकार होने पर व्यक्ति का मानसिक विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है जिस कारण व्यक्ति में आवेग एवं मनोभाव संबंधी अवरोध उत्पन्न हो जाता है और किसी लिंग के प्रति अत्यधिक आक्रामकता उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति का विकास कुंठित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति यौन हिंसा अथवा बलात्कार जैसे अपराध में संलिप्त हो जाता है।

5.2.5 पारिवारिक सम्मान और यौन शुचिता

बलात्कार के लिए सामाजिक संबंधों को शामिल करने वाला एक अन्य कारक एक परिवार की प्रतिक्रिया भी है। इस प्रतिक्रिया में पुरुषों को दंडित किये बिना महिलाओं पर दोषारोपण किया जाता है। परिवार के सदस्यों द्वारा पीड़िता को ही परिवार के मान सम्मान को कलंकित करने के लिए दोषी ठहराया जाता है। परिवार का पूरा ध्यान अपने मान सम्मान को वापस लाने पर ही केन्द्रित रहता था बजाय पीड़िता के। बलात्कार पीड़िता के परिवार को द्वितीयक पीड़ित माना जाता है। परिवार के मान सम्मान खो जाने के कारण स्वयं आहत होते हैं, जिस कारण पीड़िता के प्रति परिवार की अभिवृत्ति नकारात्मक हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसमें बलात्कार एक गैर दण्डित अपराध के रूप में स्थापित होता है।

जबकि परिवार अक्सर अपनी महिलाओं को बलात्कार से बचाने की कोशिश करता है। और बलात्कार के नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए गर्भनिरोधक दवाइयों का भी प्रयोग विकल्प के रूप में करते हैं परन्तु बलात्कार की घटना की रिपोर्ट कराने से बचते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि बलात्कार को बढ़ावा देता है (वुड के० जे०, एवं जेव्केस, 1997)।

अधिकतर पीड़िताओं के शरीर पर गोली एवं घाव के निशान थे एवं उनमें से कई पीड़ितायें गर्भवती थी। इन पीड़िताओं की हत्या परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए किया गया था। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अधिकतर आरोपी इन आरोपों से बरी हो गये थे, कुछ पर आरोप साबित नहीं हो पाए। इस प्रकार की हत्याएं महिलाओं की यौन शुचिता पर अत्यधिक बल देती है। जिसके परिणाम स्वरूप बलात्कार एवं यौन हिंसा के लिए महिलाओं को ही दण्डित एवं दोषी ठहराया जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप समाज के पुरुषों एवं युवाओं को बलात्कार की प्रेरणा मिलती है (हडीदी एम, कुल्विक्की ए. एवं जह्शन, 2001)।

5.2.6 युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं

युद्धों और नागरिक संघर्षों के दौरान अराजकता, नागरिकों के मानवाधिकारों के हनन के प्रति असभ्यता की संस्कृति पैदा कर सकती है। कुछ अनियमित सेनायें और मलेशिया सैनिकों के लिए एक मामूली रास्ते के रूप में नागरिक क्षेत्रों की लूटपाट का समर्थन करती हैं और जीत के लिए एक इनाम के रूप में नागरिकों के साथ खासकर महिलाओं के साथ बलात्कार को बढ़ावा देती हैं (वार ऑन वीमेन,2011, ब्राउन सी,2012)।

युद्ध और प्रमुख आपदाओं के दौरान अपने घरों से पलायन करने वाले शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित लोग अर्थव्यवस्थाओं, कानून और व्यवस्था के टूटने के कारण यौन या श्रम शोषण के लिए मानव तस्करी का अनुभव कर सकते हैं। 2010 के हेती भूकम्प के बाद अनेक महिलाओ ने आंतरिक रूप से

विस्थापित व्यक्तियों के शिविरों में रहने वाली बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों ने यौन हिंसा का अनुभव किया (माद्रे एवं अन्य, 2011)।

5.2.7 गरीबी

बलात्कार के आकड़ों के संबंध में हुए अनेक शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है कि, गरीबी, यौन हिंसा के अपराध और इसके शिकार होने के जोखिम से प्रत्यक्ष रूप से सम्बंधित हैं। कई लेखकों ने तर्क दिया है कि मर्दाना पहचान (मेल आईडेनटिटी) के संकट के रूपों के माध्यम से गरीबी और यौन हिंसा के अपराध के बीच संबंध की मध्यस्थता की जाती है (मोररेल आर, 2001)।

बोर्गोइस, ने पूर्व हार्लेम, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन के बारे में लिखते हुए बताया कि कैसे युवा पुरुषों ने सफल मर्दानगी और परिवार की संरचना के मॉडल से दबाव महसूस किया कि वे अपने माता–पिता और दादा दादी की पीढ़ियों से गुजर गए, साथ ही साथ मर्दानगी के आधुनिक दिनों के आदर्श भी। भौतिक उपभोग पर जोर दें। उनकी मलिन बस्तियों में फंसकर, काम या कोई उपलब्ध रोजगार नहीं होने से, वे इन मॉडलों या मर्दाना सफलता की अपेक्षाओं को प्राप्त करने की संभावना नहीं रखते हैं। इन परिस्थितियों में, दुर्भावना, मादक द्रव्यों के सेवन और अपराध में भागीदारी पर जोर देने के लिए मर्दानगी के आदर्शों को दोहराया जाता है और अक्सर जेनोफोबिया और नस्लवाद भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सामूहिक बलात्कार और यौन विजय सामान्यीकृत हैं, क्योंकि पुरुष महिलाओं के खिलाफ अपनी आक्रामकता को बदल देते हैं और वे अब नियंत्रण नहीं कर सकते हैं या आर्थिक रूप से समर्थन नहीं कर सकते हैं (बोउरगोइस, पी०, 1996)।

5.2.8 सामाजिक मानदंड

पुरुषों द्वारा की गई यौन हिंसा, पुरुष यौन अधिकारों की विचारधाराओं में निहित विश्वास की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। ये विश्वास प्रणाली महिलाओं को यौन अग्रिमों (पहल) को अस्वीकार करने के लिए बहुत कम वैध विकल्प प्रदान करते

हैं क्योंकि किसी भी समाज में महिलाओं को उनके यौन अधिकारों से वंचित रखा गया है, यदि महिलायें अपने यौन अधिकारों के प्रयोग की पहल करती हैं तो उन्हें समाज में चरित्रहीन की दृष्टि से देखा जाता है (सेन, पी, 1999)। कुछ पुरुष इस तरह इस संभावना को बाहर कर देते हैं कि किसी महिला के प्रति उनकी सेक्सुअल एडवांस रिजेक्ट हो सकती है या किसी महिला को सेक्स में भाग लेने के बारे में स्वायत्त निर्णय लेने का अधिकार है। कुछ संस्कृतियों में, महिलाओं के साथ–साथ पुरुषों का भी मानना है कि विवाह को महिलाओं पर दायित्व के रूप में बिना किसी सीमा के यौन रूप से उपलब्ध कराने के लिए बाध्य किया जाता है (आर०, अब्राहम्स एन०, 2002)।

5.2.9 अंतर्वैयक्तिक शक्ति दृष्टिकोण

इस विचार का केंद्र–बिन्दु समाज के स्तर पर रचित संरचनात्मक असमानता नही है, बल्कि समाज और परिवार में असमानता तथा शक्ति संतुलन (बेलेंस ऑफ पॉवर) है। वे लोग जो 'शक्ति की समानता' (इक्विलिटी ऑफ पावर) में विशवास करते हैं, घर और बाहर दोनों जगह स्त्रियों का आदर करते है, जबकि असमतावादी शक्ति संरचना (नॉन–इगेलेटेरियन पॉवर स्ट्रक्चर) में विश्वास करने वाले लोग उनका अपमान करते हैं व उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यह शक्ति का असमान संतुलन पुरुषों को महिलाओं के प्रति हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं।

5.2.10 सन्दर्भ–विशेष दृष्टिकोण

महिलाओं के शोषण की व्याख्या करने में यह विचार तीन विशेष कारकों पर केन्द्रित हैः परिवार संरचना, शोषक के गुण, तथा शोषित महिला के तनाव। परिवार संरचना में न केवल संबंधों का आयाम एवं भूमिकायें बल्कि अंतःक्रिया के तरीके भी सम्मिलित हैं। शोषक के गुणों का अर्थ है जैसे कामुकता, लालच, प्रभुत्व, स्वार्थीपन, आदि। शोषित का सीधापन (डोसाइल नेचर) और निष्क्रियता जिनके कारण वह विरोध की इच्छा का दमन कर देती हैं, यह उसकी साधनहीनता, आर्थिक निर्भरता, तथा परिवार के समर्थन के अभाव का प्रतिफल है। सन्दर्भ–विशेष दृ

ष्टिकोण के कारण बलात्कार पीड़िताओं में हीन भावना और स्वयं को दोषी ठहराने की मानसिकता विकसित होती है और पीड़िता स्वयं को परिवार के लिए कलंकित मानने लगती है हालांकि यह विचार समाज एवं पुंसवादी समाज की विचारधारा होती है (अहुजा, 1998)।

5.2.11 शारीरिक क्षमता और पुरुषों की बलात्कार करने की लालसा

सूसन ब्राउनमिलर एवं अन्य नारीवादियों ने बलात्कार संबन्धी सिद्धांतों में यह माना है कि बलात्कार के कारणों में शारीरिक तत्त्व अंतर्निहित होते हैं। ब्राउनमिलर के अनुसार पुरुषों की बलात्कार करने की संरचनात्मक अभिक्षमता एवं महिलाओं की संरचनात्मक भिन्नता का यह व्यवहार पशुओं के यौनाचरण के समान प्रतीत होती है। स्त्रियों में संरचनात्मक रूप से प्रभावित होने के गुण के कारण जबरन बलात्कार के नकारात्मक शारीरिक प्रभाव मात्र स्त्रियों को ही झेलना पड़ता है। एवं यही प्राकृतिक गुण पुरुषों को बलात्कार करने के लिए न केवल आकर्षित करता है वरन् पुरुषों में स्त्री विरोधी यौन हिंसा के लिए विचारधारा का भी निर्माण करता है। यही कारण है कि स्त्रियों एवं पुरुषों की शारीरिक अंतर और प्रभावित होने की क्षमता के कारण बलात्कार के लिए एक महत्त्वपूर्ण अभिप्रेरक का काम करते हैं। (ब्राउनमिलर, 1975) इस संबंध में ब्राउनमिलर ने आगे कहा कि "पुरुष अपने लिंग का प्रयोग एक औजार के रूप में करते हैं जिसका प्रयोग वे महिलाओं में अत्यधिक डर पैदा करने के लिए करते हैं और यह कार्य आदिकाल से ही प्रचलित रहा है (ब्राउनमिलर 1975, पृ० 14–15)।

बलात्कार के जैविक कारणों को प्रोत्साहन देते हुए जीववैज्ञानिकों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि प्रजनन से संबंधित बुनियादी सेक्स अंतर यौन रूप से आक्रामक पुरुषों का पक्ष लेते हैं। हालांकि, इस बुनियादी धारणा को बड़े पैमाने पर चुनौती दी गई है। प्रजनन केवल शुक्राणु और अण्डे के आकार के बारे में नहीं है, बल्कि पुरुषों के लिए प्रजनन में बहुत अधिक योगदान नहीं देने के तर्कों को रेखांकित किया गया है। (https%//www-साईकोलॉजीटुडे.कोम)।

5.2.12 पुरुष लिंग–भूमिका संबंधी समाजीकरण

महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा, यौन हिंसा अथवा यौन आक्रामकता से सम्बंधित कारणों एवं आयामों को समझने के लिए पुरुष लिंग–भूमिका समाजीकरण के सन्दर्भ में चर्चा करना प्रासंगिक है। समाजशात्र के समाजीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत यह मान्यता प्रचलित है कि व्यक्ति विशेष अपने व्यवहार एवं विचार का निर्माण समाजीकरण के माध्यम से ही प्राप्त करता है। समाजीकरण के अंतर्गत किसी विशेष अथवा विपरीत लिंग के प्रति हमारे व्यवहार एवं विचार का भी निर्माण किया जाता है। एक बालक को अपने लिंग के प्रति स्त्री अथवा पुरुष होने का भाव भी समाजीकरण के माध्यम से ग्रहण करता है।

5.2.13 पौरुषत्व का दंभ

बलात्कार को परिभाषित करने के सन्दर्भ में, बलात्कार को विशेष रूप से पुरुषों के यौन आक्रामकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बलात्कार को पुरुषों के पौरुषत्व के प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। इसके साथ साथ बलात्कार अपने पौरुषत्व को साबित करने के लिए यौन उत्पीड़न को एक साधन के रूप में प्रयोग करता है। इस उपकल्पना को नार्मन द्वारा दिये गये वक्तव्य को आधार प्रधान करता है जिसमें उन्होंने कहा कि (अ लिटिलबिट रेप इज गुड फॉर मैन्स सोल) नॉर्मन मेलर के शब्दों में "मैं 17 वर्ष का था और मैं अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों को यह दिखाना चाहता था कि मैं एक नौजवान पुरुष हूँ, परन्तु मेरा व्यक्तित्व एक निर्धारित पुरुषत्व के सामान नहीं था, जिस कारण मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे यह साबित हो कि मैं एक पुरुष हूँ और इसी के आधार पर मैं अपने आप को एक पुरुष साबित कर सकता हूँ" (रेपिस्टय रसेल, 1975, पृ०–249) नॉर्मन के इस वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि समाज में पुरुषों के समाजीकरण के दौरान जो लिंग भूमिका संबंधी प्रतिमान स्थापित किये जाते हैं वे महिलाओं के लिंग के प्रति कम संवेदनशील होते एवं अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठता की भावना से परिपूर्ण होते हैं, यही श्रेष्ठता की भावना पुरुषों को महिलाओं के प्रति यौन हिंसा के लिए सदैव प्रेरित करती है। (1975, पृ०,260)

5.3 पुरुषों के प्रतिमानित यौन व्यवहार और बलात्कार में सह–संबंध :

समाज में पुरुषों एवं स्त्रियों के यौन व्यवहार करने के संबंध में पूर्वनिर्धारित कुछ प्रतिमान एवं मानदण्ड होते हैं। जिसके अंतर्गत महिलाओं एवं पुरुषों को उसी के अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है। यदि इन प्रतिमानित मानदंडों के विपरीत व्यवहार किया जाता है तो समाज द्वारा नियंत्रित एवं दण्डित किया जाता है। विशेषकर स्त्रियों के यौन आचरण को नियंत्रित करने के लिए समाज एवं पुरुषों द्वारा अत्यधिक दबाव डाला जाता। यौन संबंध बनाने के दौरान महिलाओं का यौन व्यवहार पुरुषों के अनुरूप ही होना चाहिए। रसेल का कहना है कि पुरुष यौन सम्बन्ध बनाने में तब तक खुश नहीं होते हैं जब तक कि वह सम्पूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं कर लेता है अथवा हावी नहीं हो जाता है। पुरुषों द्वारा यौन क्रिया में पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार मात्र पुरुषों को ही होता है यहाँ तक कि यौन सम्बन्ध स्थापित करने में स्त्रियों की सहमति ज्यादा महत्व नहीं रखता, यह विचारधारा भी पुरुषों को स्त्रियों के प्रति यौन हिंसा के लिए प्रेरित करती है (जे,1971;पृ०35–36)।

सामान्यतः सभी समाजों में महिलाओं को उनकी स्वयं की कामुकता से विमुक्त अर्थात् महिलाओं को यौन स्वतन्त्रता नहीं प्रदान की जाती है जबकि इसके विपरीत पुरुष अपनी यौन तृप्ति के लिए महिलाओं के यौन अधिकार को न केवल खरीद सकते हैं बल्कि कुछ समाजों में तो बेच भी सकते हैं। यौन स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में इस प्रकार की असमान सौदेबाजी महिलाओं के प्रति अनेक असामान्य एवं भयानक अपराधों को जन्म देते हैं जैसे कि महिला तस्करी, मानव कामुकता का बढ़ता बाजार (पोर्नोग्राफी) आदि जिसे महिलाएं और अधिक असुरक्षित हो जाती हैं। यौन स्वतन्त्रता पर असामान्य अधिकार महिला और पुरुष के संबंध अपनी प्राकृतिक में एक तरफ झुक जाते हैं एवं बल द्वारा निर्धारित होने लगते हैं (क्लर्क एवं लेविस, 1977, पृ०128–129)।

केट मिलेट ने 1970 में प्रकाशित अपनी पुस्तक "दी सेक्सुअल पॉलिटिक्स" अति प्रभावशाली तर्क दिया कि "बलात्कार को महिलाओं के प्रति होने वाले अन्य यौन शोषण के सन्दर्भ में देखना चाहिए एवं इसकी व्याख्या करनी चाहिए। इस

दिशा में प्रसिद्ध नारीवादी जर्मन ग्रेयर ने कहा कि लुभाने (सुडकटिव) एवं बलात्कार में गहरा संबंध है। (जर्मन ग्रेयर, 1995) रसेल का कथन है कि विवाह ही एक ऐसा संबंध है जिसमें औरतों को यौन संबंध बनाने के लिए अपनी मौन स्वीकृति देनी ही पड़ती है चाहे उसकी इच्छा हो अथवा न हो। इस विवाह संबंध में स्त्री को अपनी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध के लिए राजी होने का अर्थ कर्तव्य निर्वाह से जोड़ कर देखा जा रहा है। कुछ वर्षों पूर्व नारीवादियों के अथक प्रयास के कारण ही वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार की श्रेणी में रखा जाने लगा, मगर यह कानून कुछ ही देशों में लागू किया जा सका है (रसेल,1982)।

इन रेपः दी प्राइस ऑफ कोएरसीव सेक्सुअलिटी पुस्तक के अध्याय ″रेपिस्ट्स एंड अदर नॉर्मल मेन″ में क्लार्क एवं डेबरा लेविस ने समान विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि ″पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य असमान शक्ति का वितरण ही बलपूर्वक यौन संबंध को वैधानिकता प्रदान करता है और बलात् कामवासना को एक मानदण्ड के रूप में स्थापित करता है। पुरुष यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि अनिच्छुक साथी के साथ यौन संबंध बनाने के बारे में कुछ भी आसामान्य है क्योंकि उन्हें यह डर है कि, यदि सहमति से यौन संबंध मानदण्ड की तरह स्थापित हो जाएगा तो, पुरुष उन सभी यौन लाभों से वंचित हो जाएंगे जिसका लाभ वे उठाते हुए आये हैं (नॉर्मल मेन,1977;पृ०,142)।

इस शब्दपूर्ण प्रश्नों से यह परिप्रेक्ष्य उभर कर आता है कि स्त्रियों के प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार एवं यौन आक्रामकता अपवाद के बजाय नियम होते हैं। फिर सभी पुरुषों को असली या संभावित बलात्कारी के रूप में क्यों नहीं देखा जाय क्लार्क एवं लेविस ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि सभी पुरुषों के व्यक्तित्व का आकार एक ही सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होता है, अतः वे सभी अपने जीवन में कम से कम कुछ समय के लिए यौन रूप से जबरदस्ती अवश्य करते हैं (क्लार्क एवं लेविस, 1977; पृ० –145)।

5.4 बलात्कार के सांस्कृतिक कारक

5.4.1 सांस्कृतिक मूल्य जो बलात्कार को प्रोत्साहित करते हैंः

बलात्कार के संबंध में प्राचीन समाज से ले करके पिछले कुछ दशकों तक, यहाँ तक कि आज भी अनेक विकसित एवं सभ्य समाजों में यह माना जाता है कि बलात्कार के लिए व्यक्तिगत शारीरिक एवं मानसिक कारक उत्तरदायी होते हैं। परन्तु पिछले 3 दशकों में हुए अनेक नारीवादी शोध, अध्ययनों, लेखनों एवं पत्रों से कुछ नए आयाम उभर कर आये हैं। बलात्कार के लिए उत्तरदायी कारकों के लिए सामाजिक के साथ साथ सांस्कृतिक कारकों को महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में उत्तरदायी माना गया है।

यदि इस तर्क के आधार पर देखा जाय तो बलात्कारी समाज एवं संस्कृति द्वारा निर्मित किये जाते हैं एवं स्त्रियों के प्रति यौन व्यवहार के लिए प्रोत्साहित किये जाते हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक महिलाओं के प्रति होने वाली यौन हिंसा की विचारधारा संस्कृति के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुषों में हस्तांतरित होती रही है। यह विचारधारा अप्रत्यक्ष तौर पर यह भी प्रदर्शित करता है कि मात्र बलात्कारी ही बलात्कार के लिए उत्तरदायी नही है, मात्र बलात्कारी को ही दंड देकर बलात्कार की घटना को नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए सांस्कृतिक मानदंडों एवं प्रतिमानों को भी बदलने की आवश्यकता होगी परन्तु उसके पहले इन सांस्कृतिक मानदंडों एवं प्रतिमानों की पहचान करना आवश्यक है जो बलात्कार के लिए उत्तरदायी है।

5.4.2 स्त्री कामुकता (Sexuality) को एक वस्तु के रूप में देखा जाना

हिते ने अपने अध्ययन (मेल रेस्पोन्ड) में पुरुषों की बलात्कार के प्रति विचारों को मापा जिसके आधार पर बलात्कार के प्रति पुरुषों की मानसिकता का निर्माण किस प्रकार होता है? पुरुष महिलाओं की कामुकता को किस प्रकार देखते हैं को स्पष्ट किया गया है। "मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है, जो इसे सिर्फ एक मुट्ठी भर पैसे वाले व्यक्ति के सामने अपनी कामुकता को बेचने को तैयार रहती हैं

और इन पैसों के आधार पर ही कई पुरुष यह समझते हैं कि महिलाओं की कामुकता को खरीदा जा सकता है। पुरुषों के लिए महिलाओं की कामुकता खरीदने एवं बेचने की वस्तु जान पड़ती है। विश्व के हर समाज में महिलाओं की कामुकता को खरीदने एवं बेचने हेतु बड़ी बड़ी मण्डियां लगती हैं जिससे यह साफ स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की कामुकता एक उपभोग की वस्तु है। और यह उपभोग की संस्कृति प्राचीन काल से ही निरंतर चलती चली आ रही है। मैं महिलाओं के लिए सहानुभूति भी महसूस करता हूँ, जब कोई चोरी होने के डर से अपना पैसा बचाना चाहता है, तो वह अपने पैसे बैंक में रख सकता है, लेकिन एक महिला अपने शरीर को जो उसके लिए अमूल्य धन के समान है, को चोरी अथवा लूटने से नहीं बचा सकती है,, मुझे लगता है मैं जानता हूं कि मुझे थोड़ा और विवेक एवं समझदारी चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं आदमी हूँ, और मुझे बलात्कार किये जाने का कोई डर नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी रात को आ जा सकता हूँ (हिते,1981)।

पुरुषों के दृष्टिकोण में महिला की कामुकता एक वस्तु के समान है, यहाँ तक कि इस कामुकता को पुरुष स्वयं उचित परिस्थितियों में इसको नियंत्रित भी करता है। महिला की कामुकता को पाने के लिए पुरुष चापलूसी से लेकर इसका मोलभाव तक करते हैं एवं महिला की कामुकता को पाने के लिए दाम भी चुकाते हैं। इसके विपरीत यदि महिला अपनी इच्छा से यदि अपनी कामुकता देना चाहे तो पुरुषों की प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत हो जाती है। यदि कोई स्त्री स्वयं यौन संबंध के लिए तैयार हो तो पुरुष उस महिला को चरित्रहीन स्त्री के रूप में देखते हैं। इस अर्थ में महिलाओं की कामुकता पर स्वयं का अधिकार न होकर पुरुषों का होता है। जो महिलाएं यौन संबंध के लिए सहमति नहीं देती हैं उन महिलाओं को उनकी ही कामुकता से अलग कर दिया जाता है अथवा उनकी कामुकता को छीन लिया जाता है। यही मानसिकता महिलाओं एवं पुरुषों के यौन संम्बंध की प्रकृति को बलपूर्वक यौन संबंध में परिवर्तित कर देती है (क्लार्क एवं लेविस, 1977, पृ०. 128–129)।

5.4.3 बलात्कार समर्थक संस्कृति के परिणामस्वरूप बलात्कार

किसी समाज में बलात्कार की घटनाओं की मात्रा इस बात पर भी निर्भर करती है कि, बलात्कार की संस्कृति को कितना समर्थन किया जाता है। बलात्कार संस्कृति शब्द पहली बार 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रयोग किया गया था। सामान्यतः दूसरी नारीवादी लहर के दौरान बलात्कार संस्कृति शब्द का चलन नारीवादियों में अत्यधिक बढ़ गया था। बलात्कार एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, जिसमें लिंग (जेंडर) और कामुकता (सेक्सुएलिटी) के बारे में सामाजिक अभिवृत्ति के कारण बलात्कार एक व्यापक एवं सामान्यीकृत घटना के रूप में स्थापित हो गयी है (ओल्फमैन, शारना, 2009)।

आमतौर पर बलात्कार संस्कृति को स्वीकार्य करने वाले लोगों में पीड़िता को दोषी ठहराने, महिला को फूहड़ शर्मनाक, लैंगिक अपेक्षा, अत्याचार, बलात्कार एवं व्यापक बलात्कार को नकारना, यौन हिंसा के कारण महिलाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को नकारना आदि कुछ व्यवहार बलात्कार समर्थित संस्कृति की परिभाषा के अंतर्गत आता है। बलात्कार के लिए मात्र सामाजिक सांस्कृति कारक ही जिम्मेदार नहीं होते बल्कि बलात्कार को समर्थन प्रदान करने वाली संस्कृति भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने कभी भी महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं किया, या करना नहीं चाहता था, इस बात से मुझे लगता है कि मैं कुछ अजीब हूँ। मेरे कई दोस्त बलात्कार के बारे में बात करते हैं और इसके बारे में कल्पना करते हैं। यह सारे विचार मुझे अत्यधिक विचलित करते हैं और मुझे अपने प्रति यह महसूस कराता है कि यदि मैं यह सब नहीं सोचता हूँ तो मुझे अपने प्रति असामान्य प्रतीत होता है (हिते, मेल रेस्पोंडेन्ट 1981, पृ.० 719)।

70 के दशक में प्रारंभिक नारीवादियों ने यह गौर किया एवं पाया कि, समाज में अनेक ऐसे सांस्कृतिक मिथक मौजूद थे जिसमें यह माना जाता था कि किसी महिला का बलात्कार उसकी इच्छा के विरुद्ध किया ही नहीं जा सकता है (रसेल ,1975, पृ.० 257—259)। यह धारणा कि सभी महिलायें गुप्त रूप से बलात्कृत होने की इच्छा रखती हैं, यह मिथक इस बात पर बल देता है कि बलात्कार पीड़िता

स्वयं भी यही चाहती होगी की उसे बलात्कृत किया जाये और उसने भी बलात्कार का आनंद लिया होगा। इन्हीं बलात्कार सांस्कृतिक मिथकों के कारण बलात्कार पीड़िता को बलात्कार के लिए दोषी ठहराया जाता है। यदि एक महिला को बलात्कार के लिए दोषी ठहराया जाता है तो पुरुष अधिक आसानी से उनके साथ बलात्कार करने की इच्छा कर सकते हैं क्योंकि महिलाओं को दोषी ठहराने पर बलात्कार की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की होगी न कि पुरुषों की और ये आसानी से बलात्कार करके बच सकते हैं। अनेक बलात्कार घटनाओं की रिपोर्ट बलात्कार पीड़िता इसलिए भी नहीं कराती क्योंकि उन्हें डर होता है कि समाज द्वारा उन्हें ही बलात्कार के लिए दोषी ठहराया जाएगा, जो बलात्कार पीड़िता बलात्कार की घटना की रिपोर्ट कराती हैं। उनके प्रति न्यायिक प्रक्रिया पूर्व शत्रुतापूर्ण व्यवहार होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। और इसका अन्य एवं सबसे अधिक नकारात्मक परिणाम यह होता है कि पीड़िता को दोषी ठहराने के कारण बलात्कार दोषी स्वयं को निर्दोष मानते हैं और यह विचार विकसित कर लेते हैं कि इस बालात्कार के लिए पीड़िता ही जिम्मेदार थी और वे निर्दोष। इस प्रकार की विचारधारा पुरुषों को बलात्कार करने के लिए प्रोत्साहित करती है (रसेल, 1975,पृ.० 259)।

समाजशास्त्री मार्था ने बलात्कारी सांस्कृतिक मिथकों की नारीवादी सिद्धांत के सन्दर्भ में इनका परीक्षण किया एवं अपने अध्ययन में पाया कि इस तरह के मिथक न केवल बलात्कार का समर्थन करते हैं बल्कि बलात्कार की घटना के घटित होने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बर्ट ने बलात्कार सांस्कृतिक मिथकों को बलात्कार, बलात्कार पीड़िता एवं बलात्कारी के संबंध में रखी जाने वाली न्यायिक–पूर्व, रूढ़िवादी एवं झूठे विश्वासों के रूप में परिभाषित किया है, जो वास्तव में वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत होता है (बर्ट, 1980,पृ० 217)। कोई भी स्वस्थ महिला एक बलात्कारी का विरोध कर सकती है। बलात्कार के अधिकांश मामलों में, पीड़िता का नाम बदनाम था या उसकी प्रतिष्ठा खराब थी। ''अगर कोई लड़की अपने प्रेमी अथवा साथी से गले लगाने या प्रेम करने में व्यस्त रहती है और वह बात को हाथ से निकल जाने देती है, तो यह उसकी गलती है, यदि उसका साथी उस पर यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालता है या मजबूर करता है तो ऐसा

इसलिए होता है क्योंकि पीड़िता ऐसा करने के लिए उसे संकेत देती है और जब बात पीड़िता के अनुरूप नहीं बन पाती तो महिलाएं झूठे बलात्कार की रिपोर्ट करती हैं। महिलाओं को इन परिस्थितियों को टालने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता होती है"। बर्ट ने मिनिसोटा में 598 घरों को प्रतिदर्श के रूप में चुन कर बलात्कार संबन्धी सांस्कृतिक मिथकों के संबंध में प्रश्न पूछे बर्ट ने अपने अध्ययन में पाया कि 598 परिवारों में से आधे से ज्यादा लोगों ने उपरोक्त बलात्कार समर्थक मिथकों को स्वीकार किया एवं उन्हे तर्कसंगत बताया। बर्ट ने अपने अध्ययन यह भी पाया कि इन बलात्कार मिथकों में विश्वासों और दृष्टिकोणों के एक बड़े अंतर्संबंधित संरचना का हिस्सा होती हैं जिसमें "सेक्स भूमिका स्टीरियोटाइपिंग, पारस्परिक हिंसा की यौन रूढ़िवाद स्वीकृति और विश्वास सम्मिलित होते हैं। (बर्ट,1977)

5.4.4 उपसंस्कृति मानदंडों के परिणाम के रूप में बलात्कार

मार्विन वोल्फगांग और फ्रेंको फेर्रकुटी ने इस अवधारणा को विकसित किया कि शहरी बस्ती (दी अर्बन घेटो) एक उपसंस्कृति पैदा करती है जिसमें यौन आक्रामक व्यवहार एवं अपराधों के उल्लंघन को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रामाणिक और स्वाभाविक माना जाता है। शहरी बस्तियों में एक अलग ही प्रकार की उपसंस्कृ ति उपजी है जिसमें यौन आक्रामकता एवं महिला विरोधी हिंसा को आम जीवन का हिसा मान लिया गया है और इसे सामान्यकृत मान लिया गया है, इस कारण महिलाओं के प्रति यौन हिंसा करने के बाद भी पुरुषों में अपराधबोध नहीं होता है (मूलविहिल्स एवं अन्य, 1969, वोल्फगनेग एवं फेर्रकट, 1967)। इन नारीवादियों का मानना था कि इस अवधारणा के माध्यम से महिलाओं के प्रति होने वाली यौन आक्रामकता एवं बलात्कार की घटनाओं की कारणात्मक व्याख्या स्पष्ट और बेहतर ढंग से की जा सकती है। उन्होंने विशेष रूप से इस तथ्य को संबोधित डवलिंग पुरुषों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और उन काले पुरुषों और महिलाओं को हिंसक अपराधों के शिकार लोगों के बीच बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। शहरी बस्ती में हर कोई हिंसा के लोकाचारों को नहीं मानते। इनमें कुछ ही लोग होते हैं जो इन लोकाचारों को मानते हैं। इन लोगों में मुख्य रूप से युवा पुरुष

शामिल होते हैं। इस वर्ग के पुरुषों में पुरुषत्व को साबित करने के लिए दबाव होता है, जिसके चलते ये युवा पुरुष खुद को साबित करने के लिए महिलाओं से छेड़ छाड़ यहाँ तक कि बलात्कार की घटनाओं को भी अंजाम देने से नहीं हिचकते हैं। और यह सब वांछित रूप से घेट्टो के सफल सदस्य बनने के लिए किया जाता है। मार्विन वोल्फगांग और फ्रेंको फेर्रकुटी जैसे कुछ गैर नारीवादी सम्प्रदाय के लोगों ने इस बात पर बल दिया है कि 1970 के दशक से पहले तक यह माना जाता था कि, यौन आक्रामक व्यवहार एवं पुरुषत्व के प्रदर्शन में सीधा संबंध है। (स्च्वेन्दिन्गेर एवं स्च्वेन्दिन्गेर, 1983)

5.4.5 बलात्कार के अन्य उत्तरदायी कारक

बलात्कार के लिए सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के साथ साथ अन्य कई ऐसे कारक हैं जो बलात्कार की घटनाओं की दर को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अध्याय में बलात्कार के लिए उत्तरदायी अन्य कारकों पर भी चर्चा करना अति प्रासंगिक है।

5.4.6 उपभोक्तावाद का विकास

वर्तमान समय में बलात्कार के लिए एक उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भी है। शारदा बैनर्जी ने अपनी पुस्तक 'बलात्कारः संस्कृति एवं स्त्रीवाद' में उपभोक्तावाद की संस्कृति पर चर्चा करते हुए कहा कि जब उपभोक्तावाद का विकास होगा तब स्त्री पर हमले भी तेज हो जाएंगे। उपभोक्तावाद ने स्त्री की एक ऐसी छवि बना दी जिसमें स्त्री एक 'माल' नजर आती है। उपभोक्तावाद के अनुसार स्त्री वह है जो सुन्दर हो, दुबली पतली हो, उत्तेजक हो। स्त्री वह अच्छी है जो इकहरे बदन की हो, जिसकी पतली कमर हो, जो नाजुक हो, कमसिन हो, कोम्लांगनी हो, इन विचारों को लागू करने के लिए उपभोक्तावाद ने दूरदर्शन, रेडियों, फिल्म, विज्ञापन, पत्र–पत्रिकाओं, सोशल मीडिया जैसे माध्यमों का सहारा लिया है। इसके जरिये उपभोक्तावाद अपनी वस्तु के लिए बाजार का निर्माण करता है। इसी के साथ महिलाओं के शरीर का भी बाजारीकरण हो जाता है। पुरुषों के

उपभोग की जाने वाली सामग्रियों में भी महिलाओं को अत्यधिक अभद्रता से प्रस्तुत किया जाता है। उपभोक्तावाद से स्त्रियों के प्रति पुरुषों की मानसिकता इस प्रकार निर्मित हो जाती है कि उन्हें लगता है स्त्रियां मात्र पुरुषों के लिए ही स्वयं को सुन्दर बनाती हैं, सजती सवरती हैं तथा पुरुषों को आकर्षित करने के लिए ही कामुक बनना चाहती हैं। इसका प्रभाव वास्तविक जीवन मे यह पड़ता है कि पुरुष रोजमर्रा के जीवन में भी स्त्रियों को उसी दृष्टि से देखने लगते हैं।

सेंड्रा ली बर्टकी ने अपने लेख "फूको फेमिनिट एंड द मॉड्र्नाइजेशन ऑफ पेट्रियाकल पॉवर" में डायटिंग उद्योग के कारण स्त्रियों में बढ़ती समस्यायों पर प्रकश डाला है। बर्टकी के अनुसार वर्तमान समय में भारी भरकम, स्थूल और ताकतवर स्त्री–शरीर को अरुचि की नजर से देखा जाता है। उपभोक्तावाद पुरुषवादी विचारधारा का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करता है।

5.4.7 पोर्नोग्राफी

वर्तमान समय में पोर्नोग्राफी ने स्त्रियों के लिए अत्यधिक गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। पोर्नोग्राफी के व्यवसाय में महिलाओं को शामिल करने के लिए कम उम्र की महिलाओं का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण नाबालिग लड़कियों की तस्करी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, साथ ही पोर्नोग्राफी के अबाध प्रसारण के कारण महिलाओं को बड़ी क्षति पहुंची है। पुरुषों के मनोरंजन को लक्षित करके निर्मित इस व्यवसाय में स्त्रियों को एक सेक्स टॉय की भूमिका अदा करनी पड़ती है। शारदा बैनर्जी ने अपने पुस्तक में इस बात पर प्रकाश डाला कि, पोर्न की आंतरिक संरचना जहां भेदभावपूर्ण लैंगिक संबंधों को उजागर करती है, वहीं दर्शकों को स्त्री को उपयोग मूलक तथा उपभोग केंद्रित दृष्टि से देखने पर जोर देती है। कामुक आनंद देने के नाम पर इस उद्योग ने स्त्री को गुलाम बनाया है एवं आम जनता में पुंसवाद का विस्तार किया है (ड्वोरकिन, 1976)।

पोर्न ने केवल अपरिचित बलात्कारियों को ही बलात्कार की प्रेरणा नहीं दी वरन् उसने हर घर में बलात्कार को वैध बना दिया है। पोर्नोग्राफी के अत्यधिक चलन ने युवकों एवं पुरुषों में शोषण–उत्पीड़न में आनंद लेने की प्रवृत्ति को पैदा किया है। सामान्यतः यह माना जाता था कि मानसिक रूप से बीमार पुरुष ही यौन उत्पीड़न में आनंद लेते हैं। परन्तु पोर्नोग्राफी ने इस व्यवहार को सामान्य व्यवहार की श्रेणी में शामिल कर दिया, इस कारण पोर्नोग्राफी बलात्कार के घटित होने में अहम् भूमिका निभाती है (बेनर्जी,2017)।

5.5 बलात्कार के लिए जिम्मेदार व्यक्तिगत कारक

बलात्कार के लिए न केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक जिम्मेदार हैं बल्कि व्यक्तिगत कारक भी जिम्मेदार होते हैं। यौन अपराधियों पर हुए कई शोधों में यह स्पष्ट हुआ है कि, अधिकांशतः यौन अपराधियों ने अपने साक्षात्कार में यह स्वीकार किया कि बलात्कार के लिए उन्होंने पहले से ही परिचित लड़कियों एवं महिलाओं को चुना। इसका कारण पूछने पर आरोपियों द्वारा बताया गया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि परिचित होने के कारण बलात्कार पीड़िता बलात्कार की रिपोर्ट कराने में हिचकती है। यही कारण है कि अधिकतर बलात्कार परिचितों द्वारा ही किये जाते हैं (हेइसे एवं टौबिया,1995)।

5.5.1 नशीले पदार्थों का सेवनः

शराब एवं नशीले पदार्थों के सेवन, बलात्कार अथवा अन्य यौन आक्रामक व्यवहारों में सीधा संबंध देखा गया है और स्त्री–उत्पीड़न का गहारा संबंध है। (एन० सी० आर०बी०) के रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर बलात्कार की घटनाओं को शराब पीकर अंजाम दिए गए हैं। शराब व्यक्ति की आत्मसंयम एवं विवेकशीलता पर गहरा प्रभाव डालती है, साथ ही साथ व्यक्ति के व्यवहार को अत्यधिक आक्रामक भी बना देता है। जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की छुपी हुई कुण्ठा एवं इच्छा जागृत हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार एवं यौन हिंसा की घटनाएं घटित होने की सम्भावनायें अत्यधिक बढ़ जाती हैं।

अपराधी यह भी मानते हैं कि यदि शराब का सेवन करके वे यौन अपराध करेंगे तो उन्हें जिम्मेदार ठहराने के बजाय शराब को जिम्मेदार माना जाएगा। इसी सन्दर्भ में सामूहिक दुराचार के कुछ प्रकार शराब पीने से भी जुड़ें हैं। इस सन्दर्भ में शराब कुछ व्यक्तियों में सामूहिक एकता का कार्य करता है। जिसके कारण निषेधात्मक व्यवहार सामूहिक रूप से कम हो जाते हैं और व्यक्तिगत निर्णय समूह के पक्ष में प्रतिबिंबित होते हैं (मेक्डोनाल्ड, 1994)।

5.5.2 मनोवैज्ञानिक कारक

1980 में बलात्कार के कारणों की व्याख्या करते हुए यह कहा जाता था कि बलात्कार एक यदा कदा होने वाली घटना है जो एक बड़े से समाज के बहुत ही कम लोगों द्वारा किया जाता है (ए. ड्रोह्सन 1980, स्कुल्ली 1990, बुक रेप्रोसेसिंग रेप) मनोविकृति विज्ञान मॉडल के अनुसार बलात्कारी अन्य लोगों की अपेक्षा असामान्य होते हैं। बलात्कारी कई प्रकार की मानसिक बीमारियों एवं यौन संबंधी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। जैसे कि :– मानसिक रूप से बीमार या असामान्य होना, अनियंत्रित यौन आवेगों, आक्रामक प्रवृत्ति और बीमार व्यक्तित्व से ग्रसित होते हैं। मनोविकृति वैज्ञानिकों के अनुसार बलात्कारियों को चिकित्सीय मूल्यांकन एवं मनोचिकीत्सक संरक्षण और इलाज की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक मनोचिकित्सक एवं मानसिक रोग के मॉडल में यह व्याख्या की गयी है कि बलात्कार हमेशा से विकृत मानसिकता का एक प्रमुख लक्षण रहा है। कभी कभी बलात्कारी अत्यधिक गंभीर रूप से यौन संबंधी असामान्य व्यवहार करता है अथवा बलात्कार करने का प्रयास बार बार करता है। अतः मनोचिकित्सक का मानना है कि बलात्कार करना अथवा बलात्कार का प्रयास करना मानसिक रोगी का एक लक्षण है। यहाँ तक कि मनोचिकित्सक यह भी मानते हैं कि यदि एक व्यक्ति अत्यधिक मानसिक रूप से बीमार है तो वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से सामान्य संबंध नहीं बना पाता है, उस व्यक्ति में एक प्रकार की संबंध विकलांगता उत्पन्न हो जाती है, खासकर महिलाओं के प्रति। अक्सर व्यक्ति जब अत्यधिक चिंता अथवा दबाव में होता है तो वह किसी महिला के प्रति अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाता है

(ग्रोथ, 1979 पृ० 5 –6) परन्तु बलात्कार के अत्यधिक प्रसार एवं बलात्कार संबंधी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ की आलोचना करते हुए कहा कि मनोचिकित्सीय मॉडल इसकी व्याख्या नहीं करता कि क्यों कुछ विशेष समाजों में महिलाओं के प्रति अत्यधिक बलात्कार और यौन शोषण की घटनाएं होती हैं। रुस्सेल्ल (1984, पृ० 65) यह तथ्य अनदेखा नही किया जा सकता है रसेल ने कहा कि सारे बलात्कार समाज के कुछ हिस्से के कुछ पुरुषों द्वारा किया जाता है।

5.6 बलात्कार के कारण पीड़िता पर पड़ने वाले शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों का विश्लेषण एवं बलात्कार पीड़िताओं का वैयक्तिक अध्ययन

बलात्कार को व्यक्ति विशेष के प्रति किये गए अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह मानवता के प्रति किये गए अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है। बलात्कार के बाद पीड़िता पर पड़ने वाले प्रभावों एवं परिणामों की व्याख्या अनेक सन्दर्भों की जा सकती है। परन्तु प्रस्तुत अध्याय में बलात्कार के कारण पीड़िता पर पड़ने वाले शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। बलात्कार पीड़िता को अनेक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है एवं इन प्रभावों का असर दूरगामी होता है। एन० वोलबर्ट और लिंडा लिशल होमेस्ट्रोम (2017) ने "दि विक्टिम ऑफ रेप" में बलात्कार के उपरान्त के लक्षणों में अनिद्रा एवं भूख न लगना, पीड़िता में अत्यधिक भय का स्तर बढ़ना, पीड़िता का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन से विच्छेद हो जाना, पीड़िता के कामुक जीवन शैली से विघटित हो जाना आदि समस्याओं से पीड़ितायें प्रभावित रहती हैं। एन वोलबर्ट और लिंडा लिशल होमेस्ट्रोम ने पीड़िताओं पर पड़ने वाले प्रभावों को दो चरणों में विभाजित करके इसकी व्याख्या की है। उन्होंने दो चरणों में प्रतिक्रियाओं के समूहों को अलग अलग करके इसकी व्याख्या की है, जिसमें कहा कि विघटन और विघटन के एक तीव्र तत्काल चरण और पुनर्गठन की एक दीर्घकालिक प्रक्रिया शामिल होती है। प्रत्येक चरण की लंबाई अलग–अलग हो सकती है, और लोग आगे के चरणों के बीच आगे बढ़ सकते हैं। प्रथम यह कि बलात्कार के कारण पीड़िता की सम्पूर्ण जीवन शैली अस्त व्यस्त हो जाती है। दूसरे स्तर में जिसमें

बलात्कार के कारण दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है जिसमें पीड़िता पूर्ण रूप से टूटी हुई जीवन शैली को पुनः संगठित करने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया के दौरान पीड़िता अत्यधिक शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक और व्यवहारमूलक दबाव में रहती है। दो चिकित्सक, एन बेर्गेस और लिंडा होल्स्टस्ट्रॉम, ने बलात्कार ट्रोमा सिंड्रोम को प्रतिक्रियाओं का एक समूह कहा है जिसमें भावनात्मक, शारीरिक और व्यवहार संबंधी मुद्दे शामिल होते हैं।

इसके अलावा अन्य भावनाएं अपमान, आत्म सम्मान में गिरावट, अपराध बोध, आत्म ग्लानि की भावनाएँ पीड़िता पर हावी होते हैं। और आत्म–दोष, क्रोध और बदला लेने के लिए शर्मिंदगी जैसी भावनाओं से पीड़िता ग्रसित रहती है। चिकित्सकों ने अपने शोध में पाया कि पीड़िता अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के दौरान भिन्न भिन्न व्यवहार करती है। व्यक्त करने की शैली में, पीड़िता अस्थिर होने, स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त होकर, या हमले के विशिष्ट विवरण का वर्णन करते हुए रोने या रोने की भावनाओं का प्रदर्शन करती है (बेर्गेस और लिंडा,1983)।

जूडिथ लेविस हर्मन (1992) ने अपनी पुस्तक ट्रोमा एंड रिकवरी में बलात्कार पीड़िताओं पर बलात्कार के कारण पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत एवं गहन अध्ययन किया है। हर्मन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि, बलात्कार के दौरान स्त्रियों को लगता है कि वे विकलांगता तथा मृत्यु का सामना कर रही हैं। अपने पुस्तक में हर्मन ने लिखा कि बलात्कर के अलग अलग स्वरूपों का प्रभाव भी पीड़िता पर अलग अलग पड़ता है, जूडिथ ने कहा कि एकल बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार का प्रभाव एवं तीव्रता अलग अलग होती है। हर्मन ने माना है कि सामूहिक बलात्कार के प्रभाव अधिक गंभीर होते हैं जैसे कि पीड़िता को बार बार मानसिक आघात और अत्यधिक अपमान से गुजरना पड़ता है जिसके कारण पीड़िता को एक अलग अप्रत्यक्ष तथा घातक तनाव पैदा होता है, जिसके कारण पीड़िता का सम्पूर्ण व्यक्तित्व नष्ट कर देता है। एकल बलात्कार के उपरान्त पीड़िता को यह महसूस होता है कि वह है ही नहीं पीड़िता स्वयं के प्रति शून्य हो जाती है। परन्तु सामूहिक बलात्कार के उपरान्त पीड़िता खुद के अस्तित्व को ही समाप्त मानने लगती है और

महसूस करती है कि वह पूरी तरह परिवर्तित हो गयी है पीड़िता अपने व्यक्तित्व को मृत्यु के तुल्य महसूस करती है (हर्मन,1992)।

बलात्कार के कारण पीड़िता पर पड़ने वाले कुप्रभावों को कई स्तरों में विभाजित करके देखा जा सकता है। प्रस्तुत अध्याय में बलात्कार के कारण पीड़िता पर पड़ने वाले प्रभावों की तीव्रता एवं स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण करके उन प्रभावों का विस्तारपूर्वक एवं गहन अध्ययन करेंगे। बलात्कार के प्रभावों में शारीरिक आघात के साथ साथ मानसिक आघात भी शामिल हो सकते। बलात्कार पीड़ितों के लिए यौन हिंसा के कारण होने वाले प्रभावों में अधिक सामान्य परिणाम प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक भलाई से संबंधित होता है।

5.6.1 बलात्कार के कारण पीड़िता पर पड़ने वाले शारीरिक प्रभाव

बलात्कार में पीड़िता पर शारीरिक एवं मानसिक आघात दोनों ही पहुंचता है। परन्तु यह आवश्यक नही है कि पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान उपस्थित ही हों। शारीरिक आघात को बलात्कार के एक आवश्यक लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। परन्तु बलात्कार के कारण पीड़िताओं को सर्वाधिक जिन समस्याओं से गुजरना पड़ता है उन में प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन में असंतुलन जैसी समस्यायें मुख्य हैं। बलात्कार के कारण पीड़िताओं में गंभीर सिर दर्द की शिकायत रहती है। और यह दर्द की अवधी 6 माह से लेकर सम्पूर्ण जीवन तक बना रहता है। अध्ययन में यह पाया गया है कि इस गंभीर सिर दर्द, जो माइग्रेन का रूप भी ले लेता है, इस कारण पीड़िता कई रातों तक सो भी नहीं पाती है। बलात्कार के कारण उन पीड़िताओं को शारीरिक आघात अधिक पहुंचता है। जिस केस में पीड़िता के साथ बलपूर्वक यौन उत्पीड़न किया गया हो, खासकर जिस बलात्कार में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया हो, सामूहिक बलात्कार, डेट रेप आदि केसो में पीड़िता को शारीरिक आघात पहुंचने का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। जबरन यौन उत्पीड़न अक्सर योनि अथवा गुदा क्षेत्र के आस पास और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट लगने या रक्तश्राव का कारण बन जाता है। बलपूर्वक हिंसा के कारण शरीर के अन्य अंग पर चोट के निशान देखने को मिलते

हैं। कई बलात्कार की घटनाओं में पीड़िता के शरीर पर भीषण प्रभाव पड़ता है। कई बार पीड़िता के अंग भंग तक हो जाते हैं, जो पीड़िता के सम्पूर्ण जीवन को नारकीय बना देता है (हेरी, 2016)।

बलात्कार पीड़िताओं ने अपने शरीर पर सभी प्रकार की चोटों एवं पीड़ा की सामान्य भावना की रिपोर्ट की। अन्य पीड़िताओं ने शरीर के विशिष्ट क्षेत्र को निर्दिष्ट किया है, जिन पीड़िताओं पर बलात्कार के दौरान शरीर के जिस क्षेत्र पर हमला किया गया था, जैसे कि गले, छाती, या पैरों पर हमलावरों के बल का केंद्र था उन्हीं शारीरिक अंगों से संबंधित समस्याओं की शिकायत हुयी थी। जैसे कि जिन पीड़िताओं को बलात्कार के दौरान मौखिक सेक्स करने के लिए मजबूर किया गया था उन पीड़िताओं को मुंह और गले में जलन की शिकायत हो सकती है। जिन बलात्कार पीड़िताओं को बलात्कार के दौरान योनि संभोग के लिए मजबूर किया गया था, उन पीड़िताओं में योनि स्राव, खुजली, पेशाब के दौरान जलन और सामान्य दर्द की शिकायत हो सकती है। और बलात्कार के दौरान जिन पीड़िताओं को गुदा मैथुन करने के लिए बाधित किया गया था उनमें बलात्कार के तुरंत बाद के दिनों में गुदा दर्द और रक्तस्राव की समस्या हो सकती है।

बलात्कार पीड़ितों को अव्यवस्थित दिनचर्या के पैटर्न के साथ कठिनाई हो सकती है। कुछ पीड़िता सो नहीं पाती हैं यदि उन्हें नींद आ भी जाती है तो वे रात के दौरान चौंक कर जाग जाती हैं और बाद में नींद आने में असमर्थता महसूस होती है। बलात्कार पीड़िताओं पर किये गए अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ है जिस समय पर बलात्कार पीड़िता पर हमला हुआ था, प्रत्येक दिन उसी समय के आने पर पीड़िता को डर का अनुभव होने लगता है। वह अत्यधिक आशंकित एवं आतंकित होने लगती हैं। यदि हमला देर रात में किया गया था, तो वही समय आने पर पीड़िता नींद में ही चीखने लगती है। इन सब समस्याओं के साथ ही साथ पीड़िता की पूरी दिनचर्या अस्त–व्यस्त हो जाती है।

बलात्कार के बाद कुछ पीड़िताओं को भूख में कमी आ जाती है। उनके पेट में गंभीर दर्द हो सकता है अथवा खाना निगलने में समस्या होती है। अक्सर बलात्कार

पीड़िताएं सिर्फ हमले के बारे में सोचती रहती हैं (जैसे बलात्कार के दौरान उनसे जो शब्द कहे गए थे, गालियाँ दी गयी थीं, बलात्कारियों की हँसी की आवाज आदि के बारे में पीड़िता बार बार सोचती रहती है और उसी बलात्कार के दर्द को पुनः महसूस करती रहती है)। इन सब विचारों से पीड़िता अत्यधिक क्रोध, अपमान, शर्म, बदला लेने, आत्महत्या, करने की भावना से भर जाती है। कई बार बलात्कार पीड़िताओं को यह निर्धारित करना मुश्किल होता है कि, मतली आने का लक्षण बलात्कार के बाद भावनात्मक प्रतिक्रिया से संबंधित है या महिलाओं के लिए, गर्भ–चिकित्सा विरोधी दवा की प्रतिक्रिया से संम्बंधित है।

5.6.2 व्यावहारिक प्रतिक्रियाएं :

सामान्यतः किसी भी प्रकार के हिंसा के शिकार लोग काफी दिनों तक डरे सहमे रहते हैं। उसी प्रकार यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़िताएं भी अत्यधिक डर और भ्रम के साथ प्रतिक्रिया कर सकती हैं। अक्सर बलात्कार पीड़िता को किसी भी प्रकार की सामान्य सी समस्या को भी हल करने में कठिनाई हो सकती है और पीड़िता को अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए भी अत्यधिक ताकत जुटाना पड़ता है। पीड़िता को नई जानकारी एवं सूचनाओं को समझने एवं अवशोषित करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। पीड़िता अपने जीवन जीने के तौर तरीकों में त्वरित बदलाव भी नही कर पाती है। पीड़िताओं में यह पेटर्न देखने को मिला है कि, पीड़िता अपने निवास स्थान भी बदल देती है, अपना फोन नंबर भी बदल देती है (बर्गेस,1983)।

5.6.3 स्त्री संबंधी रोग (गायनेकोलॉजिकल प्रोब्लेम्स)

बलात्कार पीड़िता को बलात्कार के हमले के बाद अनेक यौन संचारित रोग होने की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं, जिसमें सर्वाधिक सामान्य समस्याओं में–

(1) योनि अथवा गुदा से रक्तस्राव या संक्रमण का सामना करना पड़ता है,

(2) हाइपोएक्टिव यौन इच्छा विकारः इस विकार के अंतर्गत पीड़िता के यौन व्यवहार एवं इच्छा पर घातक प्रभाव पड़ता है। जिस कारण पीड़िता असामान्य यौन व्यवहार

कर सकती है। हाइपोएक्टिव यौन इच्छा विकार में पीड़िता में दोनों ही प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यौन इच्छा में अत्यधिक वृद्धि होना जिसमें पीड़िता अपने यौन इच्छा को नियंत्रित नही कर पाती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसके स्वास्थ्य एवं सामाजिक संबंधो पर पड़ता है। इसके विपरीत बलात्कार पीड़िता के यौन इच्छा में अत्यधिक गिरावट आ जाती है। जिस कारण पीड़िता सामान्य यौन जीवन जीने में असमर्थता का अनुभव करती है। यह भी पीड़िता के शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिस कारण पीड़िता को दर्दनाक संभोग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और पीड़िता की यौन इच्छा में गिरावट आती चली जाती है। जिसके कारण पीड़िता का वैवाहिक जीवन भी नष्ट हो जाता है (डेबरा, 2010)।

(3) वैजिनाइटिस या योनि की सूजन अथवा संक्रमण पीड़िता को बलात्कार के कारण गंभीर वैजिनाइटिस संबंधी रोग से जूझना पड़ता है। यह रोग लम्बे समय तक रह सकता है। इसका इलाज भी महंगा एवं दीर्घकालीन होता है, जिसके कारण पीड़िता पर शारीरिक कुप्रभाव के साथ साथ आर्थिक प्रभाव से भी दो चार होना पड़ता है।

(4) कष्टकारी संभोग

(5) वैजिनिस्मस – योनि की किसी भी रूप में अथवा किसी भी प्रक्रिया में संलग्न होने की एक महिला की क्षमता को प्रभावित करने वाली स्थिति होती है। बलात्कार के उपरान्त पीड़िता के यौन क्रिया कलापों को भारी क्षति पहुचती है, जिस कारण पीड़िता की प्रजनन क्षमता, पारिवारिक जीवन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है।

(6) गंभीर श्रोणि दर्द। (क्रोनिक पेल्विक पैन) बलात्कार में बची पीड़िताओं पर हुए अध्ययन में यह परिणाम समाने आये कि अधिकतर बलात्कार पीड़ितायें गंभीर श्रोणी दर्द से ग्रसित थी और कुछ पीड़ितायें इस समस्या से कई वर्षों तक ग्रसित रही हैं। मूत्र मार्ग में संक्रमण के कारण पीड़िता को होने वाले शारीरिक प्रभावों में मूत्र मार्ग

संक्रमण सर्वाधिक आम प्रभाव है जिसके कारण पीड़िता को मूत्र त्यागने में अत्यधिक पीड़ा महसूस होती है। कभी कभी यह संक्रमण इतना अधिक गंभीर रूप ले लेता है जिसके कारण पीड़िता की किडनी, श्रोणि प्रदेश में लगातार गंभीर दर्द बना रहता है।

(7) गर्भाशय फाईब्रोएड अथवा शियों के दीवारों पर मस्से– इन्हें गैर केंसर ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। यह बलात्कार के कारण होने वाले शारीरिक प्रभावों के दीर्घकाल में दिखने वाले लक्षण हैं जो पीड़िता को लम्बे समय तक प्रभावित करता हैं, जिसके कारण पीड़िता को अनियमित मासिक धर्म, हार्मोनल परिवर्तन, बांझपन की गंभीर समस्या से ग्रसित कर सकता है।

(8) गर्भधारण, गर्भाधारण बलात्कार का एक गंभीर परिणाम हो सकता है। यह परिणाम तब अत्यधिक गंभीर हो जाता है जब पीड़िता की आयु कम हो। गर्भ के अधिक दिन ठहर जाने के कारण गर्भ न गिरा पाने की स्थिति में पीड़िता की हालत अत्यधिक दयनीय हो जाती है। अमेरिका में हुए एक दीर्घकालीन अध्ययन जो 3 वर्ष तक चला था, जिसमें 4000 बलात्कार पीड़िताओं पर अध्ययन किया गया, जिसमें एक वर्ष में होने वाली गर्भवती महिलाओं में बलात्कार के कारण होने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत 5.0 था जो कि एक वर्ष में 32,000 थी। यह एक गंभीर समस्या थी जो वृहद् स्तर पर बलात्कार पीड़िताओं के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। किसी महिला के साथ बलपूर्वक यौन संबंध बनाने के कारण पीड़िता सम्पूर्ण जीवन के लिए यौन इच्छा को खो सकती है। 1982 में, अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की पत्रिका फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी में रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि बलात्कार से गर्भावस्था का जोखिम उतना ही होता है जितना कि एक समान सहमति से किये गए यौन संबंध में गर्भ ठहरने की संभावना रहती है, जिसका प्रतिशत 2 से 4 है (युज्पे एवं अन्य, 1982)।

1991 में, लीमा के एक प्रसूति अस्पताल में एक अध्ययन में पाया गया कि 12–16 वर्ष की आयु की 90 प्रतिशत माताएं बलात्कार होने से गर्भवती हो गईं, इस बलात्कार की घटना को अंजाम देने वालों में अधिकतर निकटम के संबंधी ही

शामिल थे, उनके पिता, सौतेले पिता या अन्य करीबी रिश्तेदार आदि। कोस्टा रिका में किशोर माताओं के लिए एक संगठन ने बताया कि 15 साल से कम उम्र के, उसके 95 प्रतिशत ग्राहक अनाचार के शिकार थी (टूले एवं लौरा, 1997)।

5.6.4 यौन संचारित रोग

हिंसक अथवा बलपूर्वक स्थापित किये गए यौन संबंधों के कारण (एच० आई० वी० एड्स) जैसे गंभीर यौन रोगों की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। सामान्यतः गर्भपात अथवा कट्स लगने के कारण भी यौन संचारित संक्रमण फैलता है। हालांकि यह पता लगाना मुश्किल होता है कि क्या पीड़िता बलात्कार से पहले यौन संक्रमण एच.आई.वी. से संक्रमित थी या बलात्कार के बाद। इस संबंध में एक अध्ययन किया गया, जिसमें पीड़िता के साथ बलात्कार होने के 72 घंटों के अन्दर ही जांच की गयी और फिर एक सप्ताह के बाद पुनः जांच की गयी। इस अध्ययन में 204 लड़कियों एवं 88 महिलाओं में कम से कम एक को पहले से ही यौन जनित रोग था। इन बीमारियों में नीसेरिया गोनोरिया (उनमें से परीक्षण किए गए जिसमें 6 प्रतिशत में यह लक्षण पाया गया) साइटोमेगालोवायरस 8 प्रतिशत में, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस (10 प्रतिशत), त्रिचोमोनास वेजिनेलिस (15 प्रतिशत), दाद सिंप्लेक्स वायरस (2 प्रतिशत), ट्रेपोनिमा पल्लीडियम (1 प्रतिशत) शामिल हैं और मानव इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस टाइप 1 (एचआईवी –1 या 1 प्रतिशत में पाया गया) और बैक्टीरियल वेजिनोसिस (34 प्रतिशत)। 109 रोगियों (53 प्रतिशत) के बीच जो कम से कम एक अनुवर्ती प्रक्रिया से लौटे (उन लोगों को छोड़कर जो पहले परीक्षण में संक्रमित पाए गए थे या जिन्हें रोगनिरोधी रूप से इलाज किया गया था), नई बीमारी की घटना निम्नानुसार थीः गोनोरिया, 4 रोगी प्रतिशत (3 का 71) क्लैमाइडियल संक्रमण, 2 प्रतिशत (65 का 1) ट्राइकोमोनिएसिस, 12 प्रतिशत (81 का 10) और बैक्टीरियल वेजिनोसिस, 19 प्रतिशत (77 का 15)। दाद सिंप्लेक्स वायरस, साइटोमेगालोवायरस, ट्रेप के साथ कोई नया संक्रमण नहीं था। पैलिडम या एचआईवी –1, लेकिन केवल 26 प्रतिशत रोगियों में अनुवर्ती सीरोलॉजिकल परीक्षण किया गया था। इस अध्ययन के मान्यताओं के आधार पर यह तथ्य सामने आया

कि बलात्कार के 72 घंटों के भीतर मौजूद अधिकांश पीड़िता संक्रमणों का शिकार थी और 1 से 20 सप्ताह बाद पहचाने गए नए संक्रमणों को हमले के दौरान प्राप्त कर लिया गया था, इससे यह निष्कर्ष निकलते हैं कि पीड़ितों में यौन संचारित रोगों की व्यापकता पीड़ितों में अधिक है। बलात्कार के हमले के परिणामस्वरूप ऐसी बीमारियों को प्राप्त करने का एक क्रम लेकिन पर्याप्त अतिरिक्त जोखिम बढ़ जाता है (एन० एंगल एवं मेड, 1990)।

5.7 बलात्कार के कारण पीड़िता पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव

हर्मन अपनी पुस्तक में बलात्कार के मनोवैज्ञानिक प्रभावों की चर्चा करते हुए कहती हैं कि बलात्कार के उपरान्त पीड़िता की सम्पूर्ण गतिविधि बाधित हो जाती है, पीड़िता अपनी दैनिक गतिशीलता एवं स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित हो जाती है और समाज एवं मित्र मंडली और कभी कभी तो परिवार के सदस्यों से भी दूर हो जाती है। एक तरह से बलात्कार के कारण पीड़िता अत्यधिक आतंक की स्थिति में आ जाती है, जिस कारण किसी से भी बात करने अथवा संबंध बनाने से डरती है। और इस आतंक एवं डर के कारण पीड़िता को बार बार दौरे पड़ते हैं, पीड़िता गंभीर अवसाद की शिकार हो जाती है तथा ऐसे में पीड़िता में आत्महत्या करने की दर अत्यधिक बढ़ जाती है (हर्मन,1992)।

हर्मन ने बलात्कार के बाद जो मानसिक आघात पीड़िता को लगता है उसे तीन अवस्थाओं में विभाजित करके उसका विश्लेषण किया है–

5.7.1 प्रथम अवस्थाः

प्रथम चरण आमतौर पर कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक रहती है। पीड़ित इस स्तर के दौरान भावनात्मक रूप से बेहद कमजोर होते हैं और उनके आसपास के लोगों की तत्काल प्रतिक्रिया बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। अति उत्तेजना की अवस्था के रूप में विश्लेषित किया है। चूंकि यह अवस्था बलात्कार के तुरंत बाद से लेकर कुछ महीनों तक की होती है जिसमें पीड़िता के शारीरिक घाव के साथ साथ मानसिक घाव एवं आतंक की याद एकदम ताजा होती है, इस कारण इस अवस्था में पीड़िता

अत्यधिक उत्तेजित एवं संवेदनशील होती है। पीड़िता को बार बार खतरे का आभास होता है जिस कारण पीड़िता बार बार चौक जाती है। पीड़िता को यह आभास होता है कि उस पर पुनः कोई हमला कर देगा अथवा हमला करने की कोशिश कर रहा है। इस डर और आतंक के चलते पीड़िता के स्नायु–तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और स्नायु–तंत्र सक्रिय रहता है, जिस कारण पीड़िता अनिद्रा की शिकार हो जाती है।

5.7.2 दूसरी अवस्थाः

इस अवस्था को हर्मन ने अनधिकृत प्रवेश की अवस्था के रूप में परिभाषित किया है। इस अवस्था में पीड़िता को यह आभास होता रहता है कि वर्तमान समय में भी पीड़िता के साथ लगातार बलात्कार की घटना हो रही है। जबकि बलात्कार की घटना को हुए काफी समय गुजर चुका होता है, उसके उपरान्त भी अवसाद एवं सदमें के कारण पीड़िता को स्वयं के बलात्कृत होने का आभास होता रहता है जो उसके सम्पूर्ण दिनचर्या को बाधित कर देता है। इस अवस्था में पीड़िता को बार बार चौकने के करण नींद नही आ पाती, जिसके कारण पीड़िता बार बार पूर्वदृश्य (फ्लेशबैक) में चली जाती है। जिसके कारण पीड़िता को सोते सोते दुह्स्वप्न आते रहते हैं। हर्मन ने बलात्कार पीड़िता के साथ किये साक्षत्कार में पाया कि पीड़िता को होने वाले आघात की स्मृतियों का मौखिक वर्णन तथा व्याख्या नहीं होती है। इसलिए वह विभिन्न अनुभूतियों और कल्पनाओं में संकेतिक होता है। इन समस्याओं से और अवसाद से स्वतन्त्र होने के प्रयास में पीड़िता की चेतना कुंद अथवा बाधित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़िता एक निर्जीव जीवन बितानते लगती है। बलात्कार के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण पीड़िता दूसरे व्यक्तियों से संबंध रखना पसंद नहीं करती है।

5.7.3 तीसरी अवस्था :

इस अवस्था को हर्मन ने संकुचन की अवस्था कहा है। इसके अंतर्गत बलात्कार के कारण पीड़िता का आत्मसम्मान अथवा आत्मबोध बिल्कुल समाप्त हो

जाता है और पीड़िता आत्मसमर्पण के भाव में आ जाती है। हर्मन ने अपने अध्ययन में पाया कि जो पीड़ितायें इस अवसाद अथवा आतंक से खुद को अलग नहीं कर पाती या उबर नहीं पाती हैं वे पीड़ितायें शराब या नशीले पदार्थ का सेवन करने लगती हैं जिसके कारण पीड़िता स्वयं को बलात्कार से उबरने के अवसरों से वंचित कर लेती है। हर्मन के अनुसार उत्तर–बलात्कार की अवस्था में पीड़िता सदमे के फलस्वरूप अपने परिवार, दोस्त, प्रेमी तथा समाज आदि के साथ संबंध को समाप्त कर देती है। पीड़िता ऐसा इसलिए भी करती है क्योंकि बलात्कार के कारण पीड़िता अत्यधिक आघात में रहती है, स्वाभिमान समाप्त हो जाता है एवं स्वयं के प्रति अपराधबोध एवं घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है, जो कि दूसरों के प्रभाव से निर्मित होती है। बलात्कार के कारण पीड़िता में क्रोध का अत्यधिक आवेग, असहायता, शर्मिंदगी, अपने आप में अपराधबोध की भावना आदि मनोदशा दिखाई पड़ती है (हर्मन, 1992)।

नैन्सी वेनेबल ने अपनी पुस्तक आफ्टर साइलेंसः रेप एंड माई जर्नी बैक, जो स्वयं एक बलात्कार पीड़िता थी। इस पुस्तक में नैन्सी ने स्वयं के बलात्कार के अनुभवों को साझा किया और लिखा कि बलात्कार के बाद वे एकदम संवेदनहीन हो गयी थी। मात्र दर्द के प्रति ही नहीं बल्कि प्रसन्नता के प्रति भी शून्य हो गयी थी। नैन्सी ने लिखा कि वे स्वयं की गहरी अनुभूतियों को महसूस करने में असमर्थ हो गयी और साथ ही साथ अन्य लोगों के भावनाओं एवं विचारों के प्रति भी शून्य हो गयी थी। और अन्दर ही अन्दर निराशा से भरी रहती थी। उन्हें प्रतीत होता था कि जीवन समाप्त हो चुका है। मुझे मेरा अपना शरीर अपना नहीं लगता था औए न ही मुझे कुछ महसूस होता था (वेनाबले, 1999)।

अन्य नारीवादियों द्वारा भी बलात्कार पीड़िता पर बलात्कार के कारण पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की है, जिसमें डेबरोहा रोज लिखती हैं कि बलात्कार में बची पीड़िता अक्सर दूसरों पर अविश्वास करने लगती है जिसके कारण वे समाज, परिवार एवं अपने मूल जड़ से भी कट जाती है। लिंडा के अनुसार बलात्कार के उपरान्त लगभग एक चौथाई बलात्कार पीड़ितायें संभोग से पूर्णतः दूर रहने का

निश्चय कर लेती हैं। हालांकि कुछ स्त्रियाँ तीन से छः माह तक सामान्य यौन जीवन में लौट आती हैं परन्तु कुछ पीड़िताओं को वर्षों का समय भी लग जाता है (बैनर्जी, 2016)।

बलात्कार के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभावों पर दो चिकित्सकों, एन बेर्गेस और लिंडा होल्स्टस्ट्रॉम, ने अपने लेख "रेप ट्रोमा सिंड्रोम" में बलात्कार के कारण पड़ने वाले प्रभावों का गहन अध्ययन किया और बलात्कार ट्रामा सिंड्रोम प्रतिक्रियाओं के समूह हैं के रूप में परिभाषित किया। अपने अध्ययन को दो चरणों में विभाजित किया (1) बलात्कार के बाद तीव्र तत्काल प्रभाव (2) बलात्कार के बाद पीड़िता के पुनर्गठन और दीर्घकालिक प्रक्रिया। एन० बेर्गेस और लिंडा होल्स्टस्ट्रॉम, ने अपने अध्ययन में पाया कि बलात्कार उत्तरजीवियों को बलात्कार के तात्कालिक प्रभावों में मनोवैज्ञानिक प्रभाव इतने तीव्र हो सकते हैं जिसके कारण बलात्कार पीड़िता में अत्यधिक डर पैदा हो जाता है जिस कारण वह सदमे की शिकार हो जाती है, किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पाती है, मौत का डर बना रहता है। इसके अलावा अपमान, आत्मविश्वास में गिरावट, आत्मसम्मान में गिरावट, शर्म, अपराध बोध, आत्मग्लनि दोष, बदला लेने का क्रोध और शर्मिंदगी जैसी भावनाओं से घिरी रहती हैं। साथ ही पीड़िता को अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कठिनाई होती है (http%//www-kcsarc-org) पर उपलब्ध।

5.7.4 आत्म–दोष

व्यवहार के दो महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं स्व एवं भूमिका मूल्यांकन। प्रत्येक व्यक्ति जब सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप कोई विशेष भूमिका निभाता है तब समाज द्वारा इन भूमिकाओं की पूर्ति के आधार पर उसे मूल्यांकित किया जाता है। एक महिला भी हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार का शिकार होने पर अपना मूल्यांकन करती है, जो मूल्यांकन उससे अपेक्षित उसकी भूमिका निभाने में या तो उसकी सहायता करता है या फिर बाधक बनता है। मुकेश आहूजा ने यौन हिंसा की शिकार पीड़िता एवं विधवा महिलाओं के आत्म मूल्यांकन एवं अपराध की शिकार होने के बाद खुद के प्रति अभिवृत्ति एवं छवि प्रबंधन से संबंधित शोध किया जिसमें दुर्व्यवहार, अपमान,

उपेक्षा, बोझ होने की अनुभूति, विद्रोह की भावना, घर से भाग जाने का मन, अपनी पसंद का जीवन जीने की कामना, आदि से संबंधित प्रश्न पूछे गये। अपने अध्ययन में आहूजा ने पाया कि, लगभग एक तिहाई (31) प्रतिशत महिलाओं की छवि प्रबंधन उच्च थी, एवं (28) प्रतिशत पीड़ित महिलाओं की अपने प्रति निम्न छवि थी (अहुजा, 1996:213) शिक्षा के स्तर, आय, आयु, तथा कार्य स्तर, आदि कारकों से जोड़ते हुए उन्होंने पाया कि शोषित महिला की स्व–छवि उसकी युवा आयु, उच्च शिक्षा, तथा उच्च आय से प्रभावित होती है परन्तु कार्य स्तर से नहीं होती है। जहां तक स्व–मूल्यांकन (सेल्फ स्टीम) का संबंध है, आमतौर पर विश्वास किया जाता है कि अपराध, हिंसा तथा शोषण की शिकार महिलाएं स्वयं के विषय में नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर लेती हैं, जिसको एन्जेलंड, 1983, ने इसे निम्न स्व–मूल्यांकन (लो सेल्फ स्टीम) कहा है। एलवर (एल्वेरत, 1987) ने स्व–अवमूल्यांकन (सेल्फ डीवेल्युऐशन) कहा है, (किनार्ड, 1980) ने तुच्छ स्व–विचार' (पुअर सेल्फ कांसेप्ट) कहा है, तथा जोर्थ और आस्ट्रो (ह्ज्रोथ एवं ओस्त्रो, 1982) ने घटिया स्व–छवि (पुअर सेल्फ इमेज) कहा है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यौन हिंसा अथवा बलात्कार की शिकार पीड़िताओं का स्वयं के प्रति अत्यधिक नकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो जाती है एवं वे स्वयं को ही दोषी मानती हैं।

5.7.5 शर्म का अनुभव :

जून टैंगनी ने बलात्कार पीड़िता पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों एवं कारणों की व्याख्या करते हुये पांच ऐसे तरीकों को सूचीबद्ध किया है जिनके कारण पीड़िता पर शर्म का अनुभव करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। (1) पीड़िता के देख रेख के लिए प्रेरणा की कमी का होना। (2) पीड़िता के प्रति परिवार एवं समाज की सहानुभूति में कमी। (3) पीड़िता का उसके सामाजिक पारिवारिक पर्यावरण से अलगाव के कारण। (4) क्रोध एवं (5) आक्रामकता। यह पांचवा आयाम है जिस पर यह निर्भर करता है कि पीड़िता की स्वयं के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक होगी अथवा नकारात्मक होगी। बलात्कार के मनोवैज्ञानिक प्रभावों के सन्दर्भ में हुए दीर्घकालीन अध्ययन में यह निष्कर्ष आया कि जिन लोगों के साथ बचपन में यौन अपराध हुए थे

उन बच्चों में शर्म का अनुभव अत्यधिक था और इसके कारण उन पीड़ितों ने बहुत कम उम्र से शराब एवं अन्य मादक पदार्थ का सेवन प्रारम्भ कर दिया था। शर्म एवं आत्मग्लानि की भावना पीड़ितों को नशीले पदार्थों एवं ड्रग्स के सेवन की तरफ धकेल देता है परन्तु भारत में बलात्कार पीड़ितों में नशीले पदार्थ के सेवन की बजाय अत्यधिक अवसाद, मानसिक एवं शारीरिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं (टैंगनी, 2002)।

5.7.5 आत्महत्या :

कम उम्र के बलात्कार पीड़ित अथवा वयस्क बलात्कार पीड़िताओं में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति एक समान होती है। बलात्कार की शिकार महिलाओं में आत्महत्या का प्रयास करने या करने की संभावना अधिक होती है (डेविडसन, 1996)।

इस सन्दर्भ में लिंग, उम्र, शिक्षा, पोस्ट–ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण और मनोरोग संबंधी विकारों की उपस्थिति कारकों के नियंत्रण के बाद भी इनमें सहसंबंध बना हुआ है। बलात्कार से प्राप्त अनुभव से किशोरावस्था में ही आत्महत्या जैसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो सकता है। इथियोपिया में, 6 प्रतिशत बलात्कार पीड़ित स्कूली छात्राओं ने आत्महत्या का प्रयास किया। क्योंकि उन्हें इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होती थी कि उनके साथ यौन हिंसा अथवा बलात्कार की घटना हुई थी। ब्राजील में किशोरों के एक अध्ययन में पाया गया कि यौन शोषण के करण होने वाले कई यौन जोखिम व्यवहारों की श्रृंखला में कई कारक है, जिसमें आत्महत्या के विचार और प्रयास शामिल हैं (अंटेजियोनी एवं अन्य, 2001)।

बलात्कार की शिकार पीड़िताओं में आत्महत्या करने अथवा प्रयास करने की संभावना अधिक होती है। सेक्स, पोस्ट–ट्रोमैटिक तनाव विकार के लक्षणों और मानसिक विकारों के नियंत्रण के बाद भी आत्महत्या के प्रयास में सुधार नहीं हो पाता है। जिन महिलाओं को किशोरावस्था में बलात्कार का सामना करना पड़ा है उनमें आत्महत्या करने की दर अधिक पाई गई है (विएड्रमैन एवं सनोसन, 1998)।

प्रस्तुत अध्याय में पूर्व ही बलात्कार के कारण बलात्कार पीड़िता पर पड़ने वाले शारीरिक मानसिक कुप्रभावों की चर्चा कर चुके हैं। प्रस्तुत शोध कार्य करते समय पांच बलात्कार पीड़िताओं का वैयक्तिक अध्ययन किया गया है। जिसके माध्यम से बलात्कार पीड़िता की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है एवं इन वैयक्तिक अध्ययनों को इस अध्याय में सम्मलित किया जा रहा है।

5.8 बलात्कार पीडित महिलाओं का वैयक्तिक अध्ययन

Case Study of Rape Victims

आई० पी० सी० की धारा 228 (ए) में बलात्कार पीड़िता के नाम और उसके स्थान एवं पता को सार्वजानिक करना कानूनन अपराध है इसलिए जिन जिन बलात्कार पीड़िताओं का वैयक्तिक अध्ययन किया गया है उनकी गोपनीयता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उनके वास्तविक नाम एवं पते के संबंध में बदले हुए नाम का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुतत शोध विषय बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति अभिवृत्ति एवं बलात्कार के कारण पीड़िताओं पर पड़ने वाले मानसिक, शारीरिक आघातों एवं चिकित्सकीय समस्याओं के संबंध में है इसलिए पीड़िता से साक्षात्कार करने के दौरान उपरोक्त समस्याओं एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पाँच बलात्कार पीड़ित पीड़िताओं की केस स्टडी की गयी है।

5.8.1 केस स्टडी– 1

प्रस्तुत केस स्टडी २० वर्षीय बलात्कार पीड़िता सुमन (बदला हुआ नाम) है। पीड़िता के साथ 05/06/2016 को सामूहिक दुराचार किया गया था। पीड़िता के मामले की सुनवाई अभी भी लखनऊ जिला न्यायालय में चल रही रही है। सुमन से मेरी पहली मुलाकात दिनांक 12/08/2018 को जिला न्यायालय के कोर्ट रूम में हुई थी। पीड़िता के मुवक्किल से मित्रता होने के कारण मुझे यह अवसर मिला कि मैं बलात्कार के केस के सुनवाई के दौरान वहाँ उपस्थित रह सकूं। मैं और पीड़िता के वकील पहले से ही कोर्ट रूम में आ चुके थे। हमारे वहाँ पहुचने से पहले ही बलात्कार आरोपी ठाकुर अनिल सिंह एवं अन्य दो बलात्कार आरोपी कोर्ट रूम में

पहले से ही बैठे हुये थे। अनिल सिंह एवं अन्य दो आरोपी पेशे से ठेकेदार हैं। कोर्ट रूम में वह सफेद कुर्ता एवं काला चश्मा लगा कर बैठा था। आरोपी को देख कर लग रहा था कि उसे कोई अपराधबोध नही है। अपराधी लगातार अपने मोबाइल पर बात कर रहा था। वह अत्यधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। पीड़िता को कोर्ट रूम में न्यायाधीश के आने के उपरान्त प्रस्तुत किया गया था। सुमन को जब कोर्ट रूम में प्रस्तुत किया गया तो पीड़िता ने अपने मुंह पर काले रंग का दुपट्टा बांध रखा था। पीड़िता के साथ उसकी माता और पिता भी आये थे। दोनों ही बहुत निराश लग रहे थे। पीड़िता की मात्र आँखे दिख रही थी। पीड़िता लगातार जमीन की तरफ देख रही थी। हाथों और पैरो की उँगलियों को लगातार रगड़ रही थी, जो पीड़िता के डर और बेचैनी को दिखा रहा था। कंधे झुके हुए थे पीड़िता की यह शारीरिक स्थित, यह दर्शा रही थी कि पीड़िता आत्मग्लानि से भरी हुई है और पीड़िता में आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं था। न्यायाधीश ने पीड़िता को बयान देने के लिए कठघरे में आने को कहा। पीड़िता अत्यधिक डरी हुई थी वह बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही थी पीड़िता की माँ ने उसे साहस बंधाया न्यायाधीश ने भी कहा बिल्कुल डरने की बात नहीं है जो भी हुआ है साफ साफ बिना डरे कहो। पीड़िता से जब सवाल पूछा गया कि क्या हुआ था, किसने किया ? पीड़िता कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं थी। वह लगातार रो रही थी। पीड़िता के बयान देने के दौरान बलात्कार आरोपी लगातार पीड़िता को घूर कर देख रहा था और पीड़िता के दिए गए हर बयान को गलत कहते हए बुदबुदा रहा था। विपक्ष के वकील द्वारा लगातार एक ही प्रश्न पूछा जा रहा था ? तुमने रिपोर्ट कराने में देरी क्यों की? घटना के 15 दिन बाद रिपोर्ट क्यों कराई? पीड़िता सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत धीमी और दबी आवाज में दे रही थी। उत्तर देने के दौरान पीड़िता नीचे की ही तरफ लगातार देख रही थी। पीड़िता एवं आरोपी की सुनवाई खत्म होने पर न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की अन्य तारीख 28/12/2018 दी गई। पीड़िता कटघरे से नीचे उतर कर अपनी माँ के गले लग कर लगातार रो रही थी। पीड़िता की माँ भी रोते हुए लगातार बोलती जा रही थी "हमारी लड़की की तो जिन्दगी बर्बाद हो गयी, अब कौन विवाह करेगा, परिवार की इज्जत चली गई सब बर्बाद हो गया"। मैंने भी अत्यधिक साहस

करके पीड़िता की माँ एवं पीड़िता से बात करने का प्रयास किया, यह मेरी दोनों से पहली मुलाकात होने के कारण मुझसे बात करने से इन्कार कर दिया एवं मुझे पत्रकार समझ कर पीड़िता की माँ कहने लगी "अब तुम अपने पेपर में बिटिया का नाम और मत उछालो" पीड़िता की माँ को वकील ने समझाया की मैं एन० जी० ओ० की तरफ से आई हूँ जो उनकी मदद कर सकती है। यह सुनने के बाद पीड़िता की माँ एवं पीड़िता मुझसे बात करने को तैयार हो गई। परन्तु कोर्ट रूम में कुछ भी बताने में पीड़िता को असहजता महसूस हो रही थी अतः कभी और बात करने के लिए कहा । पीड़िता का पता पूछने पर उसने स्वयं को बाराबंकी की रहने वाली बताया। मैंने पीड़िता के घर आकर बात करने की बात कही तो पीड़िता के पिता द्वारा मना कर दिया गया एवं कहा सब तो बर्बाद हो गया कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे आप के बात करने से इज्जत तो वापस नहीं आएगी। पीड़िता के पिता एवं माता ने पीड़िता से बात करने एवं मिलने से साफ मना कर दिया और दोबारा परेशान करने से भी मना कर दिया, परन्तु पीड़िता मुझसे बात करना चाहती थी। इस कारण मैंने पीड़िता के वकील से बात करके पीड़िता को बात करने के लिए तैयार कर लिया। पीड़िता के वकील के माध्यम से पीड़िता का फोन नंबर ले लिया। प्रस्तुत केस स्टडी फोन के माध्यम से किया गया है। क्योंकि पीड़िता के परिवार के सदस्य इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि पीड़िता मुझसे बात करे। पीड़िता के परिवार के लोग मुझे संशय की नजर से देख रहे थे। पीड़िता से कई बार कॉल करने के बाद ही पूरी बात हो पायी। पीड़िता अक्सर अकेले रहने अथवा सभी के सो जाने के बाद ही बात कर पाती थी। पीड़िता से बलात्कार के संबंध में बात करने से पूर्व, मैंने पीड़िता से अपने संबंध सहज करने के लिए मित्रता की सहानुभूति पूर्वक बातें की। पीड़िता से सबसे पहले यह प्रश्न पूछा कि क्या वह आरोपी को पहले से जानती थी ? पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी को पहले से ही जानती थी तकरीबन 1 साल से वह आरोपी से कई बार मिल चुकी थी। आरोपी ठेकेदारी का कार्य करता है, पीड़िता के पिता मिस्त्री का कार्य आरोपी के साथ ही करते थे। पीड़िता ने बताया कि घर का कार्य करने के लिए अक्सर माता एवं पिता से कहता था। घर पर पैसों की तंगी होने के कारण आरोपी के घर कार्य करने को

माता पिता द्वारा भेजा गया था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी का व्यवहार काफी अच्छा था। "अंकल जी बहुत ख्याल रखते थे, एकदम बेटी की तरह खाने पीने का सामान और कभी कभी कॉपी किताब भी लाकर देते थे" पीड़िता ने कहा कि काम से छुट्टी लेकर मुझे बाराबंकी वापस आना था, आरोपी ने कहा कि मुझे बाराबंकी ही जाना है मैं छोड़ दूंगा। मुझे अंकल जी पर बहुत विश्वास था इसलिए तैयार हो गई थी और पीड़िता बहुत जोर से रोने लगी और कहा "दीदी जब से इज्जत लुटी है किसी ने इतने प्यार से नहीं पूछा, सब हम ही को गलत बताते हैं आप को सब बताउंगी"। रास्ते में ले जाते वक्त आरोपी ने काम की बात कह कर एक गली की तरफ गाड़ी मोड़ ली, कहा कि किसी दोस्त को कुछ रुपये देने हैं सो वहीं जाना है। उस गली में तीन चार ही मकान थे। आरोपी उसमें से एक मकान में चला गया आधे घंटे बाद आया और बोला बेटा अभी थोड़ा टाइम लगेगा तुम अंदर ही आ जाओ बाहर गाड़ी में बहुत गर्मी है, अन्दर आकर ठंडा पानी पी लो। मैं भी अन्दर गई वहीं अंकल के दो दोस्त पहले से ही बैठे थे। मुझे बैठने को कहा और मिठाई पानी दिया था, "हमको क्या पता था कि वो मिठाई हमारी जिन्दगी को जहर बना देगी दीदी" तीनों लोग वहीं बैठ कर दारू पिए, पता नहीं क्यों उस वक्त अजीब सा डर लग रहा था। मैंने अंकल से कहा अंकल जल्दी कर लीजिये घर जल्दी जाना है। उसके बाद तीनों ने मेरे साथ गलत काम किया मुझे बहुत डराया धमकाया गया। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी। मुझे बहुत मारा, गन्दी गन्दी गालियाँ भी दी। रात को ग्यारह बारह के बीच में मुझे गाँव के घर के पास छोड़ दिया और कहा कि कुछ बताया तो पिता को मरवा देंगे, छोटी बहनों की जिन्दगी बर्बाद करवा देंगे। पिता घर पर नही थे, माँ से मिलते ही बहुत जोर से रोने लगी, माँ से सब बता दिया, मेरी माँ भी बहुत रोई दीदी। "माँ ने बोला हम छोटे गरीब लोग हैं कैसे लड़ेंगे, केस पिता को भी माँ ने बताया। पिता वापस आये कहा पूरे घर की इज्जत लूट लिया, बर्बाद हो गए हम लोग। मेरी माँ द्वारा पिता पर दबाव डाला गया कि पुलिस के पास चलो। पिता जी ने माँ को गाली दी कहा पूरे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा कौन शादी करेगा? छोटी बहनों का क्या होगा ? न पैसे हैं न पढ़े लिखे हैं। अनिल सिंह (आरोपी) एवं उसके दोस्त बड़े

आदमी हैं, पूरे घर को बर्बाद कर देंगे। माँ ने बोला पूनम दीदी (वकील) से बात करेंगे वो मदद करेंगी। "मेरी जिन्दगी तो बर्बाद हो गई" गांव में भी सब को पता चल गया। पहले शादी के रिश्ते आते थे, अब तो शादी की बात दूर की लगती है। पुलिस वाले भी साथ नहीं देते दीदी, बताइये गरीब आदमी कहाँ जाए? पहले तो पुलिस वालों ने एफ० आई० आर० करने से मना कर दिया कहा लखनऊ के थाने में करवाओ ये बाराबंकी का मामला नहीं है। पूनम दीदी (वकील) ने जब दबाव बनाया तो एफ० आई0 आर० दर्ज किया। मामला दर्ज होने के बाद खुद पुलिस ने भी कहा कि "कोर्ट में साबित नहीं हो पाएगा बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराने में देर कर दी है। मेडिकल जाँच में कुछ नहीं आएगा। कुछ पैसे लेकर सुलह कर लो, कचहरी के चक्कर काट कर कुछ नहीं पाओगे और लड़की की इज्जत जाएगी सो अलग"।

मैंने पीड़िता से प्रश्न पूछा कि परिवार में सबका व्यवहार कैसा है? पीड़िता ने बताया कि वैसे तो सीधे कोई कुछ नहीं कहता है मगर थोड़ा झगड़ा होने पर मुझे घर की इज्जत खराब करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। पिता अक्सर मुझे कहते हैं कि "तुम्हे संभलना चाहिए, तुम वहां जाकर जींस पैंट पहनने लगी, सूट नहीं पहनती थी, चुन्नी नहीं लेती थी, आदमी तो होता ही खराब है"। मुझे लोगों से ज्यादा पिता की बातें ज्यादा तकलीफ देती हैं।

पीड़िता से पूछा गया कि क्या पीड़िता के रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग एवं सहेलियां पहले की तरह ही आते जाते हैं? पीड़िता ने थोड़े देर चुप रही और कहा "अब ये दुर्भाग्य है मेरा, जिन्दगी भर ऐसे ही रहना है, जब भगवान ने साथ नहीं दिया तब और कौन देगा"? पीड़िता ने बताया कि उसे स्वयं लोगों से मिलने में संकोच होता है। कोई भी रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोग आते हैं तो में कमरे में ही छुपी रहती हूँ, किसी का भी सामना करने में शर्म आती है। बार बार एक ही सवाल पूछते हैं। मुझ पर तरस दिखाते हैं, बेचारी बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता इसलिए खुद ही बाहर नहीं निकलती। और सहेलियों ने आना बंद कर दिया है।

मेरे पूछने पर बताया कि उनके माँ बाप आने से मना करते हैं। मगर मेरी सहेलियां मुझ से फोन पर बात करती रहती हैं।

पीड़िता से पूछा गया कि क्या पीड़िता का किसी युवक के साथ प्रेम संबंध है? उसका व्यवहार कैसा है ? क्या वह बात करता है? प्रश्न सुनने के बाद पीड़िता उदास हो कर रोने लगी और कहा "दीदी, शादी की बात होने वाली थी शुरू में कुछ दिन बात किया फिर बात करना बंद कर दिया कहता है तुमसे शादी की तो हमारी बहनों से कौन रिश्ता करेगा। अब तो बात करना बंद कर दिया"। पीड़िता बात बात पर स्वयं को दोष दे रही थी। पीड़िता की मनोदशा अत्यधिक अस्थिर थी। साक्षात्कार के दौरान पीड़िता कई बार फूट फूट कर रोती थी। कई बार पीड़िता की जबान भी लड़खड़ाने लगती थी तो हमे साक्षात्कार रोकना पड़ता था। पीड़िता ने स्वयं बताया कि बाहर वाले कुछ सामने नहीं कहते मगर अजीब नजर से देखते हैं। कई बार शादी विवाह में जाने का न्योता आया, माँ ने तो चलने को कहा मगर पिता जी मना कर देते थे। पीड़िता की शादी की बात चलने की बात हो रही है पीड़िता स्वयं कहती है "अब तो किसी से भी शादी हो जाए हम तो बोझ ही हैं अपने घर का कलंक हैं कौन किसी कलंक का हाथ पकड़ता है"?

पीड़िता के अत्यधिक अस्थिर होने के कारण उससे प्रश्न पूछना अत्यधिक कठिन था क्योंकि पुनः वही घटना का स्मरण बार बार होने पर पीड़िता को अत्यधिक मानसिक आघात पहुँच रहा था और बलात्कार की घटना से पीड़िता को उबरने में कठिनाई हो रही थी। पीड़िता ने कहा "दीदी आप जब भी पूछते हैं तो एसा लगता है कि वह पूरी घटना दोबारा हो रही है आज पूरे 2 साल हो गए हैं लेकिन वो घटना दिमाग से जाती ही नहीं है। हर रोज हर वक्त उन पापियों की बात दिमाग में चलती रहती है, लगता है पूरा शरीर कचरे का डब्बा है, मुझे अपना शरीर अपना लगता ही नहीं।

इस केस स्टडी को करने में सबसे अधिक समस्या यह आ रही थी कि बलात्कार के वजह से पीड़िता मानसिक रूप से अत्यधिक आहत थी और बार बार उन्हीं प्रश्नों को पूछने से पीड़िता मानसिक रूप से और आहत हो रही थी। पीड़िता

से उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया कि उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहता है?

बातचीत के दौरान "पीड़िता ने बताया कि उसने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया और जब भी कोई कुछ कहता है या फिर बलात्कार की घटना की याद आती है तो मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मुझे पिछले 2 सालों से ठीक से नींद नहीं आयी है हर वक्त उनके चेहरे दिखते हैं, सोने में भी डर लगता है, नींद ही नहीं आती है, हर वक्त डर लगता है कोई जोर से चिल्लाता है या फिर कोई आवाज आती है तो मैं बहुत डर जाती हूँ" बात बात पर रोने का मन करता है। पीड़िता से बात करके यह साफ पता चल रहा था कि बलात्कार के कारण पीड़िता मानसिक रूप से अत्यधिक प्रभावित थी जो उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा था।

प्रस्तुत शोध में बलात्कार के कारण पीड़िता पर पड़ने वाले मानसिक और शारीरिक नकारात्मक प्रभावों के अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है अतः पीड़िता से स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न भी पूछे गए। सबसे पहले तो यह पूछा गया कि क्या पीड़िता को परिवार के सदस्य किसी मनोचिकित्सक अथवा एन० जी० ओ० में ले गये ? पीड़िता ने बताया कि गंभीर सिर दर्द की समस्या के कारण कई बार डॉक्टर को दिखाया गया मगर किसी मनोचिकित्सक अथवा एन० जी० ओ० के संबंध में परिवार में किसी के पास कोई जानकारी ही नहीं थी। पीड़िता को गंभीर माइग्रेन की समस्या बलात्कार के बाद से ही शुरू हुयी थी। अनियमित मासिक धर्म, और अत्यधिक दर्द की समस्या से लगातार पीड़िता बलात्कार के बाद से ही ग्रसित रही है। पीड़िता से बातचीत करके यह बात सामने आयी कि पीड़िता स्वयं को विवाह योग्य नहीं मानती, साथ ही पीड़िता विवाह एवं शारीरिक संबंध बनाने से अत्यधिक भयभीत है। बलात्कार की घटना के दो वर्ष बाद भी सुमन इस भयावह घटना से उभर नही पायी है, और आगे भी न जाने कितने वर्ष अभी लग सकते। बलात्कार की घटना ने सुमन की वर्तमान जिन्दगी को तो नष्ट किया ही है साथ ही उसके भविष्य, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन को भी संकट ग्रस्त कर दिया है।

5.8.2 केस स्टडी– 2

प्रस्तुत केस स्टडी पी० जी० आई० (लखनऊ) 16 वर्षीय बलात्कार पीड़िता पिंकी (बदला हुआ नाम) की है। दिनांक 18/03/2012 को पिंकी सामूहिक दुराचार की शिकार हुई थी। पिंकी का बलात्कार उसके साथ पढ़नेवाले छात्र प्रिंस (आयु २० वर्ष) मौसी का लड़का और मित्रों ने की थी। पीड़िता ने पहले बताया कि माँ बाप ने पहले लापता होने एवं अपहरण का मामला दर्ज कराया था मगर बाद में सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया। पीड़िता की बरामदगी अपहरण के 15 दिन बाद की जा सकी। बरामदगी के बाद पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि होने के बाद पीड़िता को कोर्ट के आदेश पर "नारी निकेतन" में भेज दिया गया। पीड़िता के बरामदगी के बाद पीड़िता के बयान को दर्ज करने का प्रयास किया गया परन्तु पीड़िता 1 महीने तक कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। पीड़िता नारी निकेतन मे अत्यधिक असहज महसूस कर रही थी, इस कारण पीड़िता को पुनः उसके माता पिता के साथ रहने की मंजूरी दे दी गयी। बलात्कार आरोपी ने बलात्कार की घटना के 21वें दिन पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया।

बलात्कार की घटना के समय पीड़िता हाईस्कूल की छात्रा थी। मेरा पीड़िता से संपर्क एक एन० जी० ओ० के माध्यम से हुआ था। पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना वर्ष 2012 में हुई थी आज उस घटना के 6 वर्ष हो चुके हैं और पीड़िता आज भी आरोपियों के विरुद्ध केस लड़ रही है। पीड़िता से लिया गया साक्षात्कार एक सप्ताह चला है, कुछ प्रश्न फोन पर पूछे गए एवं कुछ प्रश्न आमने सामने बैठ कर किये गए हैं। पीड़िता की सहजता एवं मानसिक स्थिति को ध्यान में रख कर ही स्थान एवं समय का निर्धारण किया जाता था। वर्तमान समय में पीड़िता की आयु 22 वर्ष हो चुकी है। पीड़िता से घटना के संबंध में पूछने पर बताया कि पीड़िता का बलात्कार वर्ष 2012 में हुआ था उस समय वह कक्षा 10 की छात्रा थी। दिनांक 18/03/2012 को रात को खाना खाने के बाद 9:30 बजे घर के अहाते में टहल रही थी। उसी समय उसकी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र प्रिंस (20 वर्ष) वहां

आया और बात करने लगा, चूंकि पीड़िता प्रिंस को पहले से ही जानती थी और आरोपी पीड़िता के घर से कुछ ही दूर पर रहता था तो पीड़िता भी बड़ी सहजता से ही बात कर रही थी, ″तभी आरोपी ने कहा कि तुम्हें मेरी माँ ने कुछ जरूरी काम से बुलाया है। तो मैंने कहा कि मैं घर पर बता कर आती हूँ, तो आरोपी ने कहा, कहाँ तुम आओगी जाओगी मेरे पास गाड़ी है मैं तुम्हे वापस लाकर जल्दी ही घर छोड़ दूंगा पास में ही तो घर है।'' मैं भी उसके साथ चली गई। गाड़ी को आरोपी का बड़ा भाई चला रहा था। आगे बैठने लगी तभी आरोपी ने मुझे कहा की आगे की सीट पर सामान रखा है तुम मेरे साथ पीछे बैठ जाओ, पीछे का दरवाजा जैसे ही खोला गाड़ी में आरोपी के दो दोस्त बैठे थे, उसमें से एक आरोपी प्रिंस के मौसी का भाई था। मुझे जबरदस्ती खींच कर गाड़ी में बैठा दिया। बात करते करते पीड़िता का गला भर्राने लगा और पीड़िता बहुत जोरों से रोने लगी। मुझे गाड़ी में खीचते ही उन सभी बदमाशों ने मिलकर मेरे कपड़े फाड़कर फेंक दिये। दो लोगों ने हाथ पैर पकड़ रखे थे और प्रिंस एवं उसके दोस्तों ने बारी बारी से मेरे साथ गलत काम किया। उस समय बहुत ज्यादा तकलीफ और दर्द हो रहा था उस समय इतना दर्द हो रहा था मेरे हाथ पैर जैसे सुन्न हो कर कट गए हो, 6 वर्ष हो चुके हैं घटना के मगर रोज वही सब दिमाग में चलता रहता है।

पीड़िता आगे बताती है कि ″पहले रास्ते में मेरे साथ कई बार बलात्कार किया गया। उसके बाद पीड़िता ने बताया कि, पीड़िता को कानपुर ले जाया गया और पीड़िता को कई दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया। आरोपी लगातार एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ″तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की, तू मुझसे दोस्ती तोड़ेगी″ साथ ही गन्दी गन्दी गालियाँ भी दे रहा था, आरोपी ने पीड़िता के चेहरे एवं पेट पर घूसे भी मारे जिस कारण पीड़िता शारीरिक रूप से अत्यधिक घायल भी हो गई थी। पीड़िता से पूछा गया कि क्या पीड़िता का आरोपी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसके ही स्कूल में पढ़ता था। आरोपी पीड़िता पर पर दोस्ती करने एवं प्रेम संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। मेरे मना करने पर मुझे सबक सिखाने के लिए ये सब आरोपी ने किया।

पिछले 6 वर्षों से पीड़िता का केस कोर्ट में चल रहा है और पीड़िता को कई बार कोर्ट में जाना पड़ता है। पीड़िता स्वयं कहती है कि "6 सालों से केस लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ, अभी तक बहुत पैसा लग चुका है वकील भी बहुत खर्चीले हैं, इतने पैसे अब लगाना बहुत मुश्किल लगता है। पीड़िता कहती है कि और न जाने कितना लंबा केस चलेगा। अब तो न्याय की उम्मीद भी नहीं है और अब मैं यह केस लड़ना भी नहीं चाहती हूँ"। पीड़िता से कोर्ट में होने वाली सुनवाई के संबंध में पूछा गया कि क्या पीड़िता को सुनवाई के दौरान असहजता महसूस होती है? पीड़िता के शब्दों में "मैं जितनी बार कोर्ट जाती हूँ हर बार मुझे लगता है कि वही बलात्कार की घटना मेरे साथ दोहराई जा रही है"। विरोधी पक्ष के वकील द्वारा लगातार उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कारण मुझे कोर्ट में सुनवाई के दौरान असहजता महसूस होती है। पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना के बाद पीड़िता ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, जब पीड़िता से पूछा गया कि पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पीड़िता ने बताया कि बलात्कार की घटना के बाद पीड़िता 7–8 महीने मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक नहीं थी पीड़िता की कई पसलियाँ एवं हाथ की हड्डियाँ टूट गयी थी। "मैं दोबारा स्कूल जाने की हिम्मत नहीं जुटा पायी, मुझे बहुत शर्म और आत्मग्लानि महसूस हो रही थी, पता नहीं स्कूल में लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते, मुझे दोषी ठहराते इसलिए मैंने खुद स्कूल जाना छोड़ दिया"। पीड़िता ने बलात्कार की घटना के बाद स्कूल के साथ साथ अपना निवास स्थान भी बदल दिया। पीड़िता घटना के बाद अपनी नानी के घर रहने लगी और सिलाई का काम करती है। पीड़िता 6 वर्षों के बाद भी मानसिक रूप से उबर नहीं पाई है पीड़िता अनिद्रा, अत्यधिक सिरदर्द और अनियमित मासिक धर्म की समस्या से ग्रसित है। पीड़िता के प्रति परिवार का कैसा व्यवहार रहा पूछने पर पीड़िता ने बताया कि परिवार के मान सम्मान को कम करने के लिए पीड़िता को जिम्मेदार ठहराया जाता है, यह भी एक कारण था कि पीड़िता ने अपना निवास स्थान बदल लिया। बलात्कार के कारण पिंकी को न केवल अपना स्कूल और पढ़ाई छोड़नी पड़ी बल्कि अपना निवास स्थान भी बदलना पड़ा एवं बलात्कार संबंधी लम्बी एवं खर्चीली प्रक्रिया से लगातार मानसिक त्रासदी झेलनी पड़ रही है। बलात्कार की घटना में

पीड़िता को ही दोषारोपित किया गया है और पीड़िता को ही मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक हानि उठानी पड़ी है। अतः बलात्कार, बलात्कार पीड़िता के लिए कभी न उबर पाने वाली त्रासदी है।

5.8.3 केस स्टडी–3

यह केस स्टडी 7 वर्षीय बालिका नाहिद सिद्दकी (बदला हुआ नाम) का है। आरोपी घनश्याम यादव (22) और विपिन्न यादव (16) ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। यह बलात्कार की घटना गोसाईगंज थाना पी० जी० आई० लखनऊ की है। पीड़िता का बलात्कार दिनांक 20/08/2017 को हुआ था। पीड़िता एवं पीड़िता के परिवार से मेरा संपर्क मेरे मित्र वकील के माध्यम से हुआ था, जो पीड़िता के मुकद्दमे की पैरवी कर रहे थे। इस केस स्टडी को करने में सर्वाधिक समस्या यह थी कि पीड़िता की आयु मात्र 7 वर्ष की थी और सामूहिक दुराचार होने के कारण पीड़िता डरी एवं मानसिक रूप से अत्यधिक अस्थिर थी इस कारण पीड़िता के साथ साथ पीड़िता की माँ से भी कई प्रश्न पूछे गए है ताकि पीड़िता की मानसिक दशा एवं शारीरिक स्वास्थ्य का ठीक से पता चल सके। नाहिद की माँ के शब्दों में पूरी घटना का विवरण– "दीदी हम लोग (पी० जी० आई० कॉलोनी) में किराए के कमरे में रह रहे थे। एक ही कमरा था सब लोग एक कमरे में नहीं सो पाते थे। 20/08/2017 की रात को नाहिद की दादी को बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए नाहिद की दादी उसको लेकर बरामदे में सो गई। रात को मकान मालिक का लड़का घनश्याम यादव और मकान मालिक का साला विपिन्न यादव घर की बाउंड्री फांद कर दबे पाँव आये और मेरी बच्ची नाहिद को चादर में लपेट कर उठा ले गए। घर से कुछ ही दूर पर जंगल है, वहीं मेरी बच्ची को घूसों और थप्पड़ों से मारा और दोनों ने दुष्कर्म किया, फिर मेरी नाहिद को धमकी दी कि घर पर कुछ बताया तो तुम्हारे अब्बू और अम्मी को जान से मार देंगे, उसके बाद मेरी बच्ची को अधमरी हालत में वहीं जंगल में छोड़ कर भाग गए। हमे तो कुछ पता ही नहीं था रात में नाहिद 3:30 घर वापस पहुँची और सबको जगाया। मेरी छोटी सी बच्ची बहुत तकलीफ में थी। अल्लाह उन दरिंदों को कभी माफ नहीं करेंगे। मेरी बेटी

बोली में इशारा करके बताया, बाद में मेडिकल रिपोर्ट में से पता चला कि मेरी बेटी के साथ (गुदा मैथुन किया, अपराधियों ने अपना यौनांग पीड़िता के मुख में दिया) मेरी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सुबह जब मकान मालिक को बताया गया तो मकान मालिक से बहुत झगड़ा हुआ। मकान मालिक ने बहुत गालियाँ दी और मुझे और मेरी बच्ची को जान से मारने की धमकी दी गयी, हमे घर से निकाल दिया। मैं भी बहुत डर गई। मैं नाहिद को ले कर अपने माँ के घर चली गयी वहां सबके समझाने के बाद मैं पुलिस में रिपोर्ट कराने के लिए हिम्मत जुटा पायी। बलात्कार की घटना के 8वें दिन दिनाँक 28/08/2017 बलात्कार की रिपोर्ट पी० जी० आई० थाने में कराया गया। पीड़िता की माँ से पूछा गया कि घटना के आठ दिन बाद रिपोर्ट क्यों कराया ? पीड़िता की माँ ने बताया कि उसके पति मैकेनिक का काम करते हैं हम लोग बहुत गरीब हैं। आरोपी के पिता बहुत रसूख वाले हैं हमे जान से मारने की धमकी दी गयी थी, साथ ही मेरे साथ भी बलात्कार करने की धमकी दी गयी थी, मेरी बच्ची की हालत बहुत नाजुक थी सारा परिवार सदमे में था। नाहिदा की एक बहिन कक्षा 9वीं और भाई कक्षा 5 में पढ़ता था। उनका भी स्कूल छुड़वा कर हम कहीं और चले गए थे। सब कुछ बर्बाद हो गया था, इसलिए रिपोर्ट कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। पीड़िता की माँ से पूछा गया की क्या नाहिदा को कोर्ट रूम में जाने से डर लगता है ? पीड़िता की माँ बताती है कि जब भी मामले की सुनवाई की तारिख आती है, नाहिदा को तैयार करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। पीड़िता को तेज बुखार आ जाता है, वह लगातार रोती है। दो बार आरोपियों को कोर्ट रूम में देख कर नाहिद बेहोश भी हो चुकी है। पीड़िता के माँ के शब्दों में "मेरी बच्ची को कोर्ट में अक्सर यह प्रताड़ना सहना पड़ता है, उसकी हालत देख कर लगता है कि ये सब न ही करें.....इन दरिंदों को बस 8–9 साल की सजा मिल जायेगी और फिर छूट जाएंगे मगर मेरी बच्ची की जिन्दगी तो बर्बाद ही हो गयी है और केस लड़ते लड़ते हम और नाहिदा की पूरी जिन्दगी खराब हो जाएगी। इनको तो फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैंने नाहिद की माँ से पूछा कि क्या मैं नाहिद से बात कर सकती हूँ? नाहिद की माँ ने तो मुझे बात करने की इजाजत दे दी, मगर नाहिद

मुझसे बात करने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद मैंने नाहिद के साथ 3–4 दिन बिताए, दोस्ती की और बात करने के दौरान पूछा कि क्या नाहिद को दोस्त बनाने में डर लगता है? पीड़िता ने उत्तर दिया "मुझे दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता सिर्फ मेरी अप्पी और भाईजान ही अच्छे हैं। बाकी सब गंदे हैं। पीड़िता से पूछा गया कि आपको ऐसा क्यों लगता है? पीड़िता ने कहा कि आरोपी श्याम भाईजान और विपिन्न भाईजान भी मेरे अच्छे दोस्त थे मगर उन दोनों ने मेरे साथ गन्दा काम किया। पीड़िता से फिर पूछा गया कि क्या वह बाहर खेलने जाती है? पीड़िता ने बताया कि वह घर से बाहर नही जाती, उसे बाहर जाने में बहुत डर लगता है। मेरी तबियत ठीक नही रहती है। मेरा बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है और अगर कहीं अप्पी के साथ ज्यादा खेलती हूँ तो मैं बेहोश भी हो जाती हूँ।

पीड़िता की माँ ने बताया कि नाहिद पहले बहुत बातें करती थी। मगर अब गुमसुम रहती है कई बार पूछने पर जवाब देती है। बात करने में बहुत अटकने लगी है। अकसर नाहिद रात को चिल्ला कर रोने लगती है सपने में बडबड़ाने लगी है। ठीक से खाती पीती भी नहीं है। पीड़िता की माँ ने बताया कि नाहिदा को पढ़ने का बहुत शौक था मगर अब किताब पढ़ने पर पीड़िता को तेज सिर दर्द होने लगता है। पीड़िता की माँ ने बताया कि नाहिदा को अक्सर यौन अंग में संक्रमण हो जाता है, मल–मूत्र त्यागने में अत्यधिक पीड़ा उठानी पड़ती है। पीड़िता की माँ से पूछा गया कि क्या पीड़िता को किसी मनोचिकित्सक को दिखाया गया ? अथवा किसी सरकारी संस्थाओं एवं गैर सरकारी संस्थानों से कोई मदद मिली। पीड़िता की माँ ने बताया कि बस एक बार ही पीड़िता को मनोचिकित्सक को दिखाया गया, वो भी जिला न्यायाधीश के कहने पर पहले मदद की गयी मगर बाद में किसी ने कोई मदद नहीं की । पीड़िता का केस अभी भी न्यायालय में चल रहा है। पीड़िता को एक लम्बी लड़ाई लड़ने के बाद न्याय मिल भी जाएगा परन्तु नाहिद को बलात्कार के बाद जो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना मिली है उससे उबरने में पीड़िता को शायद कई वर्ष लगेंगे और यह भी हो सकता है कि पीड़िता को पूरी उम्र बलत्कार का दंश झेलना पड़ेगा।

5.8.4 केस स्टडी–4

प्रस्तुत केस स्टडी नीलिमा यादव (बदला हुआ नाम) जिसकी आयु 30 वर्ष है। पीड़िता विकास नगर, लखनऊ, की निवासी है। पीड़िता से मेरी मुलाकात एक वकील मित्र के माध्यम से हुई थी। बलात्कार पीड़िता को इस केस स्टडी के लिए तैयार करने में एक माह का समय लगा, क्योंकि पीड़िता बलात्कार की घटना के बाद अत्यधिक अवसाद में थी। पीड़िता मुझे संशय की दृष्टि से देख रही थी कि कहीं मैं आरोपियों की तरफ से तो नहीं हूँ? परन्तु मैंने पीड़िता को अपने शोध विषय के कार्य के बारे में बताया, अपने पी० एच० डी० की सिनोप्सिस एवं आई० डी० कार्ड दिखाया इस पर पीड़िता ने कहा यह तो कोई भी गलत तरीके से बना सकता है, इसके साथ ही पीड़िता को मैंने अपना पता आधार कार्ड एवं पेन कार्ड भी दिखाया ताकि पीड़िता इस साक्षात्कार के लिए तैयार हो जाए। अंततः पीड़िता साक्षात्कार के लिए मान गयी। पीड़िता एक मल्टी नेशनल कंपनी में कार्यरत थी एवं पीड़िता के साथ ही कार्य करने वाले सहकर्मियों द्वारा पीड़िता का सामूहिक दुराचार किया गया था। मुख्य आरोपी हेमंत मिश्रा (आयु 36), आनद सिंह (आयु 28) एवं आरोपी संजीव यादव (आयु 32) फिलहाल तीन आरोपी जमानत पर बाहर हैं एवं केस लड़ रहे हैं। इस दुराचार में पीड़िता का प्रेमी भी शामिल था जो उसी कम्पनी में कार्य करता था। जिस कारण पीड़िता को इस घटना से उबरने में अत्यधिक समय लग रहा था। पीड़िता के शब्दों में "मार्च माह के अंत में वार्षिक क्लोजिंग होती है अतः हम सब सहकर्मियों पर अत्यधिक कार्यभार होता है। चूंकि मैं महिला कर्मियों में सीनियर मोस्ट थी, मुझे अक्सर देर रात तक रुकना पड़ता था उस दिन भी क्लोजिंग थी बहुत कार्य होने के कारण हम सभी काफी थके थे इसलिए थोड़ा बहुत ड्रिंक किया था (शराब सेवन) मगर मेरे साथी मित्रों ने अधिक किया था। मेरे साथी मित्रों में मेरा प्रेमी भी वहीं था, मगर मेरा संबंध 1 सप्ताह पहले ही खत्म हुआ था, हमारे बीच में काफी मनमुटाव था। कार्य खत्म होने पर मैं निकलने लगी उस समय मेरा प्रेमी एवं उसके दो मित्र ही ऑफिस में बचे थे सारे सहकर्मी जा चुके थे। ऑफिस खाली होने पर मेरे सहकर्मियों ने गार्ड को और शराब खरीद कर लाने को कहा, सब जा चुके थे मुझे एक जरूरी मेल चेक करने को कहा गया इसलिए मैं

रुक गयी, तभी मुझे तीनो ने पकड़ लिया और मेरे साथ बारी बारी से दुराचार किया गया, उन तीनों में मेरा प्रेमी मुख्य आरोपी था जिसने यह सब जान बूझ कर पहले से ही योजना बना कर किया था। तीनों आरोपियों ने अत्यधिक शराब का सेवन किया था और तीनों आरोपियों ने मुझे अत्यधिक प्रताड़ित किया। मुझे हर वक्त इस बात की तकलीफ ज्यादा होती है कि जिस व्यक्ति के साथ 4 साल से मेरा प्रेम संबंध था। उस पर अत्यधिक भरोसा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया"। पीड़िता का बलात्कार 30/03/17 को हुआ था परन्तु पीड़िता ने 14 दिन बाद बलात्कार के घटना की रिपोर्ट कराई। पीड़िता बहुत ही पढ़े लिखे और संभ्रांत परिवार से है उसके बावजूद घटना की रिपोर्ट उसी दिन नहीं कराया गया इसका कारण पूछने पर पीड़िता ने बताया कि "पिता को जब यह बात पता चली तो पिता ने कहा तुम्हारी और घर की इज्जत तो चली गयी अब तुम्हारे न्याय के लिए हम रोज अपने घर की इज्जत नहीं उछाल सकते। न जाने कितने साल केस चलेगा इतनी हिम्मत हममें नहीं है कि इतनी बदनामी झेलें, तुमने पहले ही हमारी नाक कटवा दी, कोई जरूरत नहीं है एफ० आई० आर० कराने की। पीड़िता द्वारा बताया गया कि पिता द्वारा एफ० आई० आर० न कराने का दबाव डाला जा रहा था। बड़ी बहन की शादी जल्दी ही होने वाली थी। पिता जी नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता टूटे इसलिए मैं रिपोर्ट कराने की हिम्मत नहीं कर पायी। बाद में दोस्तों और अन्य सहकर्मियों के सहयोग एवं समर्थन के कारण मैंने बलात्कार की रिपोर्ट कराने की हिम्मत जुटाई। पीड़िता से पूछा गया कि क्या पीड़िता को मेडिकल टेस्ट कराने एवं न्यायिक प्रक्रिया के दौरान क्या पीड़िता को किसी प्रकार के नकारात्मक अभिवृत्ति अथवा व्यवहार का सामना करना पड़ा? पीड़िता द्वारा बताया गया कि मेडिकल टेस्ट में 14 दिन की देरी होने के कारण मेरा केस कमजोर हो गया था। मेडिकल टेस्ट करवाने के दौरान बार बार चिकित्सक काफी गुस्से में यह बता रहा था कि अब बलात्कार साबित करना मुश्किल होगा क्योंकि आरोपियों के साक्ष्य मिट चुके हैं, तुम्हे तुरंत मेडिकल टेस्ट के लिए आना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा उठानी पड़ी। आरोपी पक्ष के वकील द्वारा बार बार यही बात साबित करने का प्रयास किया जा रहा था कि मैं रात को ऑफिस में 1 बजे तक क्यों रुकी

थी? और शराब का सेवन करने के कारण मुझ पर दोषारोपण किया जा रहा था। आरोपी पक्ष के वकील द्वारा मेरे चरित्र की पवित्रता पर ज्यादा एवं आरोपियों पर चर्चा कम हो रही थी। साथ ही मेरा नाम अन्य पुरुष सहकर्मियों के साथ जोड़ा जा रहा था। कोर्ट में मेरे कपड़ों, शराब सेवन एवं बोल्ड व्यवहार पर ज्यादा चर्चा की जा रही थी। मुझे सर्वाधिक मानसिक पीड़ा कोर्ट रूम में होती है क्योंकि बार बार मुझसे सबूत एवं घटना स्थल पर 1 बजे तक रुकने के कारण एवं शराब सेवन के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। (मैं एक बड़ी कम्पनी में कार्यत हूँ, अक्सर माह के अंत में क्लोजिंग के लिए रुकना पड़ता है और कभी कभी थोड़ा बहुत ड्रिंक (शराब) भी ले लेते हैं। मेरे साथ की अन्य महिला सहकर्मी भी करती हैं तो क्या इसका अन्य पुरुषों को बलात्कार का अधिकार मिल जाता है?)

पीड़िता ने अपना निवास स्थान भी बदल दिया है। ऐसा करने की वजह पूछने पर बताया गया कि परिवार में अत्यधिक निराशाजनक वातावरण रहता था। पिता और भाई मुझ पर अक्सर ताने मारते रहते थे कि मैंने घर की इज्जत नीलाम कर दी, मेरी माँ डॉक्टर है और पिता सरकारी अधिकारी। माँ एवं बहन द्वारा मुझे काफी सहायता मिलती थी परन्तु भाई और पिता का व्यवहार नकारात्मक था इस कारण मैं अब अलग रहती हूँ। पीड़िता ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। वर्तमान समय में पीड़िता अन्य किसी कम्पनी में पहले से छोटे पद पर काम कर रही है। पीड़िता ने बताया कि पुरानी कम्पनी में दोबारा जाने में असहजता महसूस हो रही थी, पीड़िता को लगता था कि उसे सम्मान की नजर से नहीं देखा जाएगा, सहकर्मी उसका मजाक बनायेंगे इस कारण पीड़िता ने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब पीड़िता दिल्ली में रहती है और केस की सुनवाई के लिए आती जाती रहती है।

पीड़िता से मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया। पीड़िता ने बताया कि वह अभी भी इस सदमें से उबर नहीं पाई है। पीड़िता हर दो सप्ताह में काउंसलिंग ले रही है। अब पीड़िता को किसी भी पुरुष पर विश्वास करने एवं दोस्ती करने में डर लगता है। साथ ही अनिद्रा एवं माइग्रेन की समस्या से पीड़िता

जूझ रही है। पीड़िता ने बताया कि जब वह घर में रह रही थी, दो बार आत्महत्या करने का असफल प्रयास भी किया।

नीलिमा यादव जो एक पढ़ी लिखी महिला होने के उपरान्त भी बलात्कार की घटना के तुरंत बाद रिपोर्ट कराने में सक्षम नहीं थी और पीड़िता का स्वयं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति थी। और पीड़िता भी इस घटना के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहरा रही थी। अधिकतर बलात्कार की घटनाओं में यह देखा गया है कि न केवल समाज, परिवार बल्कि स्वयं पीड़िता भी खुद को दोषी मानती है। पीड़िता को न केवल मानसिक एवं शारीरिक आघात पहुंचा वरन् पीड़िता को अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी जिस कारण पीड़िता को आर्थिक हानि भी पहुंची है।

<u>5.8.5 केस स्टडी–5</u>

प्रस्तुत केस स्टडी 20 वर्षीय महिला बबीता कुमारी (बदला हुआ नाम) पीड़िता काकोरी गाँव, लखनऊ की रहने वाली है। पीड़िता का विवाह 9 माह पहले ही हुआ था। पीड़िता का पति पान की दुकान लगाता था। पीड़िता की चचेरी बहन मेरे यहाँ घर का काम करती थी उसी के माध्यम से मैं पीड़िता के सम्पर्क में आयी। पीड़िता का बलात्कार उसके पडोसी विश्वनाथ तोमर (आयु 38) द्वारा 16/07/2013 को किया गया था। विश्वनाथ पेशे से ट्रक ड्राईवर है। वह अक्सर घर से बाहर ही रहता था, आरोपी के घर पीड़िता का आना जाना था। पीड़िता ने बताया कि विश्वनाथ की नजर उसके प्रति अच्छी नहीं थी वह अक्सर अपनी पत्नी के माध्यम से पड़ोसी होने के बहाने कुछ न कुछ भेजता रहता था। एक रात विश्वनाथ की पत्नी अपने माँ के घर गयी हुई थी मुझे यह बात पता नहीं थी। मैं उसकी पत्नी से मिलने गयी थी पर वह तो घर पर नहीं थी विश्वनाथ ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं किसी तरह वहां से भाग आयी परन्तु मैंने अपने घर पर पति, सास ससुर से कुछ भी नहीं बताया। मैं बहुत डर गयी थी। अगली सुबह जब मैं 6 बजे शौच के लिए बाहर गयी थी। तब विश्वनाथ और उसके दोस्त ने मेरा मुंह दबा कर ट्रक के पीछे मेरा हाथ मुह बांध कर फेंक दिया, आगे सुनसान जगह पर जाकर ट्रक रोक दिया गया। पहले विश्वनाथ ने मुझे बहुत लात घूसों से मारा। मेरे पूरे

कपड़े फाड़ दिए और कहा अब तुझे सबक सिखाता हूँ, मेरे साथ सोने से मना कर रही थी। अब तुझे मेरे सारे दोस्तों के साथ सोना पड़ेगा। आरोपी ने अपने अन्य दोस्तों को भी बुला लिया था। उस ट्रक में 5 आदमी थे पहले विश्वनाथ ने मेरा बलात्कार किया उसके बाद अन्य चार लोगों ने मेरा बलात्कार किया। मुझे बेहोशी आ रही थी तो लात मार मार कर होश में ला रहे थे। जब इससे भी उन लोगों का मन नहीं भरा तो मेरे यौन अंग में लकड़ी डाल कर मुझे बहुत प्रताड़ित किया। उसके बाद मुझे वहीं शौच वाले स्थान पर बिना कपड़ों के फेंक कर भाग गए। मेरे पूरे मुंह, नाक और यौनांग से खून बह रहा था। गाँव की कुछ औरतों ने मेरे घर पर खबर दी मुझे अस्पताल ले कर गए। डॉक्टरों ने कहा पुलिस केस है रिपोर्ट करवाओ तभी भरती करेंगे मेरे पति एवं देवर के विनती करने पर मुझे भर्ती कर लिया गया। मैं एक दिन बाद होश में आई। पुलिस थाने में रिपोर्ट कराने गए तो पुलिस वालों ने पहले मना कर दिया फिर घर वालों ने हंगामा किया तब जाकर रिपोर्ट दर्ज की गयी। पीड़िता को मेडिकल जांच कराने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। डाक्टरी जांच करने वाला डॉक्टर 2 दिन तक रोज बुला कर खुद नहीं आता। घटना के 4 दिन बाद डाक्टरी जाँच हो पायी।

पीड़िता ने बताया कि जब वह घर गयी तब सास ने उसके प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की और न ही बात की। मेरा पूरा शरीर सूजा था और दर्द से मैं न चल पा रही थी और न ही बोल पा रही थी। मेरे पति और देवर पहले मेरे साथ नरमी से पेश आये मगर धीरे धीरे उन दोनों का भी व्यवहार बदल गया। मेरी सास और ससुर मुझे रोज गालियां देते और मुझे ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराते थे। आरोपियों के खिलाफ पहले चार्ज शीट दाखिल की, 2 बार कोर्ट भी गए मगर बाद में मेरे पति, सास ससुर द्वारा समझौता करने का दबाव डाला जाने लगा। मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई तो ससुर द्वारा मेरा बलात्कार किया गया "इससे अच्छा तो मर जाती। जब यह बात पति को बतायी तो पति ने मुझे बहुत मारा कहा "तू है ही इसी लायक, तू कौन सी पवित्र है जो पिता और भाई ने तुझे अपवित्र कर दिया। मैं उन पाँचों को जान से मार देना चाहती हूँ जितना दर्द, तकलीफ और अपमान मुझे सहना पड़ा है उतना ही मैं उन्हें भी देना चाहती हूँ। मगर अंततः परिवार के दबाव

में कोर्ट के बाहर विश्वनाथ और अन्य आरोपियों से 2 लाख 50 हजार रुपये में समझौता कर लिया गया। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। मेरी ही किस्मत फूटी है। आरोपी की पत्नी भी अब मुझसे बात नहीं करती। बलात्कार की घटना से पहले काफी लोग घर आते जाते थे, परन्तु घटना के बाद से अब लोग बिल्कुल भी नहीं आते। पति का व्यवहार अत्यधिक हिंसक हो गया है। पीड़िता के शब्दों में "अब तो मेरे पति भी प्यार नहीं करते, रोज रात मुझे बुरी तरह से पीटतें हैं, साथ में सोते भी नहीं हैं, कहते हैं तू अब पवित्र नहीं रही, मुझे नीचे अलग जमीन पर बिस्तर लगा कर सोना पड़ता है। घर में सभी का व्यवहार बदल गया है। मेरे माता पिता को बुलवाया गया और कहा अपनी लड़की को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो इसके खर्चे के पैसे भिजवाया करो। पीड़िता ने बताया कि अक्सर पति शराब पीकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और गन्दी गालियों का प्रयोग करता है। मेरे साथ तो आरोपियों ने एक बार बलात्कार किया मगर उसके बाद तो जैसे रोज मेरी इज्जत लूटी जाती है। कहता है कि तांत्रिक के पास चलो और अपनी शुद्धता की परीक्षा दे। "मुझे मेरे ससुराल वाले तांत्रिक के पास ले कर गए ताकि मेरी शुद्धता का पता चल सके। वह सब यह जानना चाहते थे कि कहीं इस बलात्कार में मेरी भी इच्छा शामिल थी कि नहीं। तांत्रिक के पास ले गए तो तांत्रिक ने कहा कि एक डलिया में पत्थर भरे हैं इसका अगर सही अंदाजा लगा लिया तो तेरी पवित्रता साबित हो जाएगी, मैं नहीं लगा पायी तो मुझे कोड़ों से पीटा गया। तांत्रिक ने कहा अब दूसरे तरीके से इसकी पवित्रता को देखा जाएगा। तांत्रिक ने कहा अब मुझे इसके लिए खुद को कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तांत्रिक ने कहा इसे अगले दिन नहला धुला के लाओ मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बना कर इसकी पवित्रता का पता कर लूंगा"। मैं दोबारा वही सब नहीं झेलना चाहती थी इसलिए रात को ही अपने घर से भागकर अपने माँ बाप के घर आकर सब कुछ बताया, मेरे माँ बाप ने मुझे वहाँ दोबारा नहीं भेजा, मैं यहीं पास के कॉलोनी में घरों में काम करके गुजारा कर लेती हूँ। बहुत दुःख होता है मुझे, यहाँ भी मेरी पुरानी सहेलियां मेरे घर नहीं आती हैं। पीड़िता को बलात्कार के 4 साल बाद भी अत्यधिक शारीरिक कष्ट रहता है। पीड़िता से दोबारा शादी के संबंध में पूछा गया तो पीड़िता ने बताया अब मेरी

किस्मत में यही कलंक लिखा है। मेरी वजह से दो घरों की इज्जत चली गयी। मेरा तो सब बर्बाद हो गया और जिन्होंने ये सब पाप किया, जो असली अपराधी हैं भगवान ने उन्हे तो कोई सजा भी नहीं दिया। पीड़िता ने बताया कि बलात्कार के कारण पीड़िता की बच्चेदानी में अत्यधिक घाव एवं संक्रमण हो गया था जिस कारण उसकी बच्चेदानी निकाल दी गयी है। पीड़िता ने कहा "अगर कोई शादी कर भी ले मुझ अभागन से तो माँ बनने का सुख भी मुझे नहीं मिल पाएगा। मेरे पति ने तो 8 माह के बाद ही विवाह कर लिया था। मैं तो बस अपने पापों की सजा काट रही हूँ"।

बलात्कार के बाद बबीता कुमारी स्वयं पर ही दोषारोपण करती है और अपनी फूटी किस्मत को दोषी मानती है। न केवल समाज, परिवार स्वयं पीड़िता की भी अभिवृत्ति खुद के प्रति नकारात्मक हो गयी है। बलात्कार की घटना ने पीड़िता के भविष्य और सम्पूर्ण जीवन का विध्वंश कर दिया। अधिकतर मामलों में यह पाया गया है कि बलात्कार आरोपी को सजा मिलने के बजाय पीड़िता को ही दोषी माना जाता है और सारी नकारात्मक अभिवृत्ति पीड़िता के प्रति ही प्रदर्शित की जाती है।

प्रस्तुत वैयक्तिक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि बलात्कार पीड़िता को बलात्कार के कारण अत्यधिक मानसिक, शारीरिक कष्ट के साथ साथ अत्यधिक नकारात्मक अभिवृत्तियों का भी सामना करना पड़ता है। कई अध्ययनों एवं प्रस्तुत वैयक्तिक अध्ययन में भी यही तथ्य उभर कर सामने आया है कि बलात्कार पीड़िता पर मानसिक आघात का प्रभाव काफी लम्बे समय तक रहता है। इस मानसिक आघात के कारण पीड़िता का व्यक्तित्व बुरी तरह से प्रभावित होता है। पीड़िता अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो देती है एवं स्वयं को समाज एवं परिवार से विल्गावित महसूस करती है। ऐसी अवस्था में नकारात्मक अभिवृत्ति के कारण पीड़िता पर मानसिक आघात का प्रभाव अत्यधिक लम्बें समय तक रहता है। कभी कभी पीड़िता इन आघातों से जीवन भर भी नहीं उबर पाती है। बलात्कार के कारण पीड़िता पर पड़ने वाले शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बलात्कार पीड़िता बलात्कार के हमले के

बाद शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतया टूट जाती है। मानसिक रूप से अस्त–व्यस्त एवं समाज से कट जाती है। पीड़िता स्वयं से भी विल्गावित हो जाती है। पीड़िता आत्मविश्वास की कमी, आत्मग्लानि, एवं अपराधबोध से भर जाती है, अतः इस स्थिति में उसे पुनः समाज, परिवार से जोड़ना अत्यधिक दुरूह कार्य होता है। इसमें सर्वाधिक समस्या इस बात की होती है कि पीड़िता के व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण करना, उसको पुनः आत्मविश्वास से भरना, अपराधबोध एवं आत्मग्लानि से मुक्त करने में अत्यधिक सब्र और सावधानी की आवश्यकता होती है। उससे भी ज्यादा जरूरी यह होता है कि पीड़िता को शारीरिक एवं मानसिक चिकित्सा मिलती रहे। जिससे बलात्कार पीड़िता के व्यक्तित्व के पुनर्निर्माण, सामाजिक जीवन में उसके पुनर्स्थापना को सरल बनाते हैं, इसके अंतर्गत समाज एवं परिवार की बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति धारणाएं, व्यवहार अभिवृत्ति आदि सम्मिलित होते हैं। यौन हिंसा एवं अन्य हिंसा की शिकार पीड़िताओं के समायोजन को कई चरणों में विभक्त करके देखा है अतः यहां उसका उल्लेख करना प्रासंगिक है। हम यहां "समाज में बलात्कार के प्रति धारणाओं, अभिवृत्ति या सामाजिक कलंक (social stigma) एवं बलात्कार पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के मध्य अंतःसबंधों का विश्लेषण करेंगे"

5.9 बलात्कार पीड़िता के सामाजिक समायोजन के चरण :

आहूजा अपने पुस्तक में लिखते है कि कलंकित हो जाने के बाद जैसे (बलात्कार, अपमानित या पीटे जाने के बाद) शोषित महिलाओं का नये जीवन तथा नवीन भूमिकाओं को अपनाने में कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, यद्यपि इन चरणों में अंतर्गठन (इन्टरमेशिंग) होता है। इन चरणों में एक क्रम दिखाई देता है। बौलबी ने अपने लेख में बलात्कार पीड़िताओं के पुनर्स्थापन (रिकवरी) के चार चरण बताये हैं। आघात (शॉक), विरोध (प्रोटेस्टज), निराशा (होपलेस) और अनुकूलन (एडेपटेशन) के अंतराल का लम्बा समय। बौलबी और मुकेश आहूजा (1996) का अनुसरण करते हुए हम कलंकित होने के बाद भुग्तभोगी पीड़िता द्वारा जीवन में सामंजस्य की अवस्थाओं को चार चरणों में वर्गीकृत कर सकते हैं, (1) आघात या

पीड़ा (2) पीड़ा हरण (रिमोविंग पैन), (3) परिहार एवं अपमान (अवॉयड एंड हुमिलीएशन), एवं (4) अनुकूलन (एडेपटेशन) (बौलबी,1988)।

सभी पीड़िताये एक ही स्तर की आघात एवं पीड़ा, एक ही स्तर का अपमान या कतराना, और सामंजस्य में स्थानापन्न (सब्सीटीट्यूड), साधन ढूँढने में एक ही प्रकार की समस्या का अनुभव नहीं करती हैं बल्कि इन स्तरों में कठिनाई का स्तर कम या ज्यादा हो सकता है।

5.9.1 प्रथम चरण :

जिसके अंतर्गत आघात एवं पीड़ा को रखा गया है अहुजा ने लिखा है कि किसी भी पीड़िता को अनुभव होने वाला आघात व पीड़ा इस बात पर निर्भर करता है कि उसके प्रति किये गए अपराध की प्रकृति कैसी थी, अत्यधिक गंभीर थी, हिंसा का स्तर क्या था, यौन उत्पीड़न के दौरान एक व्यक्ति शामिल था अथवा अनेक आदि के आधार पर पीड़िता के आघात एवं पीड़ा का स्तर बिल्कुल भिन्न भिन्न हो सकता है। एवं अन्य कारकों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है जैसे कि पीड़िता की आयु घटना के दौरान क्या थी, आयु एक बड़ा कारक है। आयु अलग अलग होने के करण बलात्कार की घटना को देखने का नजरिया भी अलग अलग हो जाता है और इस अलग अलग परिप्रेक्ष्य का प्रभाव भी अलग पड़ता है। बहुत कम आयु की बच्चियों के साथ बलात्कार होने पर बच्चियों को शारीरिक कष्ट अधिक होता है परन्तु संज्ञानात्मक विकास अधिक न होने पर कम उम्र की पीड़िताओं में आत्मदोष व आत्मग्लानि की भावना ज्यादा आयु की पीड़िता की अपेक्षा कम होती है। इसके विपरीत अधिक आयु की पीड़िताओं का संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः हो जाने के कारण कलंक, अपमान, अपराधबोध, आत्मग्लानि, शर्म और अपवित्र होने की भावना अधिक विकसित हो जाती है जिसके कारण पीड़िता को अधिक अवसाद एवं पीड़ा होती है। पीड़िता के शिक्षा के स्तर का भी पीड़िता के आघात, अवसाद एवं मानसिक पीड़ा के स्तर पर काफी प्रभाव पड़ता है। शिक्षित पीड़िता अशिक्षित पीड़िता की अपेक्षा स्वयं पर दोषारोपण कम करती है। इसके अलावा पीड़ित महिला का

रोजगार, एवं भावनात्मक लगाव का भी पीड़िता के आघात व पीड़िता से सहसंबंध होता है।

5.9.2 दूसरा चरण :

इसमें पीड़ा को हरना दूर करना शामिल है। इस चरण के अंतर्गत पीड़िता को बलात्कार के हमले के बाद अत्यधिक समर्थन एवं सुरक्षा की आवश्यकता होती है, हमले के बाद पीड़िता गंभीर शारीरिक मानसिक सदमें में होती है साथ ही स्वयं अन्दर से टूट जाती है, यदि ऐसे में पीड़िता को समर्थन एवं सुरक्षा का अभाव महसूस होगा तो वह अवसाद में आत्महत्या का प्रयास भी कर सकती है। बलात्कार की घटना के बाद पीड़िता को अपराधी पक्ष से अत्यधिक धमकियां व रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया जाता है, जिस कारण पीड़िता आतंक में रहती है एवं स्वयं के दोबारा बलात्कृत करने के डर में रहती है जिसके कारण पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता सकता है।

पीड़िता को जितना अधिक परिवार एवं समाज से समर्थन एवं सुरक्षा मिलेगी पीड़िता उतनी ही जल्दी बलात्कार के सदमें से बाहर आकर स्वयं को पुनर्स्थापित कर पाएगी।

5.9.3 तीसरा चरण :

इसके अंतर्गत परिहार व कतराना/अपमान को शामिल किया जाता है। बलात्कार के हमले के बाद पीड़िता अपराधबोध और कलंकित हो जाने के कारण पीड़िता समाज एवं परिवार के साथ बातचीत करने या उनका सामना करने में शर्म एवं अपमान का अनुभव करती है जिसके कारण वह किसी से मिलना नहीं चाहती है। पीड़िता स्वयं को परिवार के मान सम्मान को कम करने के लिए दोषी मानती है। जिस कारण वह परिवार के अन्य सदस्यों का भी सामना करने से बचती है, इस क्रम में पीड़िता नातेदारों से, मित्रों से या किसी भी पहचान वाले से बात करने या उनका सामना करने से बचती है। क्योंकि पीड़िता को लगता है अब लोग उससे इस घटना के लिए दोषी ठहराएंगे, उसके चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे, उस पर

विश्वास नहीं किया जाएगा, आदि विचारों को सोच सोच कर पीड़िता अत्यधिक अपमान का अनुभव करती है। और इन समस्याओं से बचने के लिए पीड़िता स्वयं को सभी से अलग करने का प्रयास करती है। ऐसा करने पर पीड़िता एकदम अलग थलग पड़ जाती है एवं पीड़िता के बलात्कार के अवसाद एवं आघात से बाहर निकलने की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। इस स्थिति में परिवार के सदस्यों, नातेदारों, मत्रों एवं पहचान वालों की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती है। चूंकि पीड़िता पहले ही अपने प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति अपना लेती है यदि ऐसे में अन्य सभी लोगों के व्यवहार में कड़वाहट अथवा पीड़िता पर ही दोषारोपण किया जाएगा तो वह अत्यधिक निराश हो सकती है, अवसाद की शिकार हो सकती है, यहाँ तक कि आत्महत्या के लिए भी प्रोत्साहित हो सकती है। बलात्कार के बाद पीड़िता भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर पड़ जाती है व अपने परिवार पर निर्भर हो जाती है और उसे अपने परिवार एवं नातेदारों से सहानुभूति एवं सहयोग की अपेक्षा होती है जो उसके पुनर्स्थापन में अत्यधिक सहायक होता है।

5.9.4 चौथा चरण :

सबसे अंतिम चरण अनुकूलन का होता है जिसके अंतर्गत पीड़िता धार्मिक कृ त्यों में पुनःसंलग्न होने का प्रयास करने लगती है, पीड़िता स्वयं को सामाजिक चुनौतियों को स्वीकार कर प्रत्युत्तर देने का प्रयास करने लगती है, पीड़िता शर्म, आपमान, कलंक जैसी भावनाओं के प्रति निरपेक्ष हो जाती है या होने का प्रयास करने लगती है एवं सबसे अंत में पीड़िता में लगाव की भावना उत्पन्न होने लगती है और पीड़िता स्वयं के व्यक्तित्व के पुनर्निर्माण के प्रयास में जुट जाती है और खुद को समाज एवं परिवार में पुनर्स्थापित करने का प्रयास करती है (अहुजा, 1998)।

5.10 बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपण शोध के मॉडल

बलात्कार की घटना में बलात्कार पीड़िता पर ही सारा ध्यान केन्द्रित कर दिया जाता है जबकि बलात्कार को व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखा जा सकता है। बलात्कार को समझने एवं इसकी व्याख्या करने में बहुकारकों पर बल देना चाहिए परन्तु दोषरोपण सिद्धांत पीड़िता, बलात्कारी एवं परिस्थिति जन्य पक्षों को ही

महत्त्वपूर्ण मानता है, जिसके अंतर्गत पीड़िता पर सारा दोष मढ़ने एवं दोषी ठहराने की प्रवृत्ति विकसित की जाती है। स्टेनली ने चार प्राथमिक कारकों की पहचान की है प्राथमिक चर में (1) स्टेनली ने अपने अध्ययन में पाया कि बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति लगभग सभी समाजों में पायी गयी है अर्थात् पीड़िता पर दोषारोपण व्यवहार का विस्तार बहुत वृहद् स्तर पर फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत पीड़िता को बलात्कार हेतु उकसाने के लिए दोष दिया जाता है, पीड़िता के चाल–चलन, व्यवहार, चरित्र एवं अनैतिक व्यवहार को जिम्मेदार ठहराया जाता है और यौन कृत्य में शामिल होने पर पूरी जिम्मेदारी पीड़िता की ही मानी जाती है। यह मॉडल अपराधी दोषारोपण के विपरीत कार्य करता है। दूसरे कारकों में परिस्थितिजन्य आयामों को शामिल किया गया है जैसे कि अंधेरी जगह पर बलात्कार या यौन छेड़ छाड़, देर रात में अथवा सुनसान स्थान पर और पीड़िता एवं अपराधी दोनों के नशे में होने पर घटना की सारी जिम्मेदारी पीड़िता पर ही डाली जाती है। उदाहरण के लिए पीड़िता इतनी सुनसान और खाली जगह पर क्यों गयी? उसने शराब का सेवन किया इस कारण उसके साथ बलात्कार घटित हुआ अतः वह स्वयं ही जिम्मेदार है। और अंत में सामाजिक दोषारोपण एक महत्त्वपूर्ण कारण है, जहां मानदंडो एवं मूल्यों के कारण महिलाओं के प्रति हिंसा एवं यौन हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ प्रायोगिक दोषारोपण शोध (एक्सपेरीमेंटल ऐट्रीब्यूशन रिसर्च) बलात्कार पीड़िता पर पड़ने वाले प्रभाव, अपराधी एवं परिस्थिति के कारण समाज की अभिवृत्ति कैसे प्रभावित एवं प्रोत्साहित होती है इसका अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है (स्टैनले, 1976)। इन दोषारोपण करने की अभिवृत्ति के कारण बलात्कार, बलात्कार पीड़िता यौन एवं अपराधों के संबंध में अनेक बलात्कार मिथकों का निर्माण होता है जो बलात्कार पीड़िता के पुनर्स्थापन में बाधक का कार्य करता है। बलात्कार मिथक किसी वस्तु व्यक्ति अथवा घटना के संबंध में "पवित्रता से संबंधित एक कथात्मक विचारों का समूह है जो सामूहिक अनुभवों का प्रतीक है और यह विवेक सम्मत माना जाता है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है न ही इसकी वैधानिकता को जांचा जा सकता है। अक्सर यह झूठे होते हैं एवं यह सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करता है। मिथक वास्तव में सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करता है। मिथक सामाजिक संस्थाओं एवं प्रथाओं को भी वैधानिकता प्रदान करता है। कोई भी समाज अपनी व्यवस्था को

वैधानिकता प्रदान करने के लिए मिथकों का निर्माण करता है ताकि उसके अस्तित्व को कोई चुनौती न दे। मिथक सामाजिक व्यवस्था द्वारा निर्मित एवं संचालित होते हैं। एक बार मिथकों का निर्माण हो जाने पर यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्वचालित व स्वनिर्मित होते रहते हैं (बर्ट,1980)।

प्रस्तुत अध्याय में हम बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण मिथकों की व्याख्या करेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे कि ये बलात्कार मिथक किस प्रकार पीड़िता के पुनर्स्थापन में बाधक का कार्य करते हैं। अतः हम यहाँ बलात्कार मिथकों, नकारात्मक अभिवृत्ति एवं बलात्कार पीड़िता के पुनर्स्थापन के मध्य अन्तःसंबंधों की व्याख्या करेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे कि यह किस प्रकार किसी बलात्कार पीड़िता के पुनर्स्थापन को प्रभावित अथवा बाधित करता है :—

(1) **मिथक : बलात्कार की ज्यादातर खबरें झूठी होती हैं।**

वास्तविकता : बलात्कार की घटना के रिपोर्ट के संबंध में हुए अनेक शोधों से यह स्पष्ट होता है कि केवल 2—8 प्रतिशत बलात्कार मामलों की झूठी रिपोर्ट करायी जाती है (ग्रुब्ब एवं एमिली, 2012) बाकी 92 प्रतिशत बलात्कार के मामलें सत्य होते हैं।

पीड़िता के पुनर्वास पर प्रभाव :

लगभग सभी समाजों में यह मिथक व्याप्त होते हैं कि अधिकतर बलात्कार के मामलों की रिपोर्ट झूठी होती है। इस मिथक के कारण अक्सर पुलिस एवं समाज द्वारा पीड़िता को शक की नजर से देखा जाता है कि कहीं पीड़िता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पुरुष पर झूठा आरोप तो नहीं लगा रही है। इसका एक परिणाम यह भी होता है कि पुलिस द्वारा पीड़िता की एफ० आई० आर० नहीं दर्ज की जाती है एवं इसका लाभ आरोपी पक्ष को मिलता है और हानि ही होती है। अनेक शोधों में यह भी पाया गया है कि कई पीड़ितायें एवं परिवार बलात्कार की घटना की रिपोर्ट इसलिए भी नहीं कराते हैं।

(2) **मिथक : बलात्कार एक संभोग है।**

वास्तविकता : बलात्कार पीड़ितों द्वारा हिंसा के रूप में अनुभव किया जाता है। यह एक जानलेवा अनुभव है। इन अपराधियों के लिए शक्ति, नियंत्रण और क्रोध प्राथमिक उद्देश्य हैं। सूसन ब्राउनमिलर ने अपनी पुस्तक अगेंस्ट अवर विल बलात्कार में बलात्कार को परिभाषित करते हुए कहा है कि "मूलतः बलात्कार राजनीतिक संवृत्ति व पुरुष शक्ति की स्थापना और स्त्री अधिनिवारण के विचारों को संपोषित एवं संप्रेषित करता है। बलात्कार कामुक उत्तेजना से प्रेरित नहीं होते बल्कि राजनीतिक कारणों से प्रेरित होते हैं।

पीड़िता के पुनर्वास पर प्रभाव :

बलात्कार को मात्र एक यौन क्रिया के रूप में परिभाषित करने से बलात्कार के कारण पीड़िता पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करके आंकने जैसा है। यह बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कैंसर की बीमारी को मात्र एक ज्वर के रूप में देखना। बलात्कार को यौन क्रिया के रूप में देखने के कारण यह भी कयास लगाया जाता है कि पीड़िता ने भी इस सम्भोग क्रिया में आनंद लिया होगा, इस अभिवृत्ति के कारण पीड़िता पर बलात्कार के कारण पड़ने वाले शारीरिक, मानसिक प्रभावों को कम करके आंका जाता है। सूसन बलात्कार के प्रभावों की चर्चा करते हुए कहती हैं कि बलात्कार के कारण पीड़िता एवं स्त्रियां सदैव डर की स्थिति में रहती हैं, उनमें अत्यधिक आतंक एवं डर स्थापित हो जाने के कारण पीड़िता समाज एवं अपने जीवन में पूर्व जैसी सुरक्षा का अनुभव कभी नहीं कर पाती, जो उसके पुनर्स्थापन को बाधित करता है।

(3) **मिथक : बलात्कार मात्र खराब चरित्र वाली महिलाओं के साथ होता है।**

अथवा जिन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है वे इसी लायक थी।

वास्तविकता : यह बलात्कार संबंधित सबसे आम मिथक है एवं इसका प्रसार लगभग सभी प्रकार के समाजों में देखने को मिलता है। खराब चरित्र एवं चाल चलन से मतलब (जो लड़कियां देर रात बाहर घूमती हैं, लड़कों से अत्यधिक मित्रता करती हैं, शराब का सेवन करती हैं, तंग छोटे अथवा अश्लील कपड़े पहनती हैं से

है। किसी भी समाज में स्त्रियों के लिए व्यवहार संबंधी कुछ प्रतिमान स्थापित कर दिए जाते हैं, यदि महिलायें इसके विरुद्ध व्यवहार करती हैं तो उन्हें खराब चरित्र की लड़कियों की श्रेणी में डाल दिया जाता है। (बारबरा, 1988)। इस बलात्कार मिथक के कारण बलात्कार अपराधियों को अपने कृत्य को वैधानिकता प्रदान करने एवं बलात्कार को सही ठहराने की सहूलियत मिल जाती है और साथ ही यह मिथक प्रगतिशील, काम काजी महिलाओं एवं देर रात बाहर काम करने वाली महिलाओं के लिए बलात्कार के लिए जोखिमों को बढ़ा देता है।

पीड़िता के पुनर्वास पर प्रभाव :

बलात्कार संबंधी यह मिथक बलात्कार पीड़िताओं के पुनर्वास में सर्वाधिक बाधक होता है। बलात्कार मात्र खराब लड़कियों के साथ होता है, इस मिथक के प्रभाव में लोगों एवं परिवार का पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति अत्यधिक नकारात्मक हो जाती है। इस मिथक एवं नकारात्मक अभिवृत्ति के प्रभाव में आस पास के लोग, यहाँ तक कि परिवार के सदस्य भी पीड़िता को बलात्कार के लिए दोषी मानते हैं। कई शोधों के माध्यम से यह स्पष्ट हो चुका है कि न्यायिक सुनवाई के दौरान भी विरोधी पक्ष के वकील यहाँ तक कि न्यायाधीश भी इन बलात्कर मिथकों से ग्रसित होते हैं, जिसका प्रभाव न्यायिक फैसलों पर पड़ता है। बलात्कार के हमले के बाद पीड़िता शारीरिक एवं मानसिक रूप से अत्यधिक आहत होती है और इस प्रकार के मिथकों के स्वीकार्यता एवं नकारात्मक अभिवृत्ति पीड़िता के पुनर्वास की संभावनाओं को लगभग समाप्त कर देती है और पीड़िता के जीवन को पूर्णतया अन्धकारमय बना देता है।

(4) **मिथक : महिलाएं पुरुषों को बलात्कार के लिए उकसाती/उत्तेजित/प्रेरित करती हैं।**

वास्तविकता : बलात्कार मात्र बलात्कारी की ही जिम्मेदारी होती है। इसका महिलाओं के कपड़े पहनने या व्यवहार करने के तरीके से बिल्कुल भी संबंधित नहीं होता है। यह बलात्कार मिथक भी अन्य मिथकों की भांति बलात्कार की पूरी जिम्मेदारी पीड़िता पर ही डालने का पक्षधर प्रतीत होता है, जो बलात्कारी के कृत्य को सही ठहराता है। एन० सी० आर० बी० (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) के

अनुसार वर्ष 2011 में 33.764 बलात्कार मामलों में 33,707 मामले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया गया। वर्ष 2013 में 33,464 बलात्कार मामलों में 4427 मामले ऐसे थे जिसमें बलात्कार–पीड़ित लड़कियों की उम्र 14 वर्ष से कम थी जो 31.1 प्रतिशत दिखता है। कुल बलात्कार मामलों का 26.3 प्रतिशत बलात्कार पीड़ित महिलाओं की उम्र 14 से 18 वर्ष की थी। 46.1 प्रतिशत मामलों में पीड़िताओं की उम्र 18–30 थी, 13.8 प्रतिशत की उम्र 30–50 वर्ष की और 0.7 प्रतिशत मामलों में बलात्कार पीड़िता की उम्र 50 वर्ष से अधिक थी इन आकड़ों को देखा जाए तो लगभग हर उम्र की महिलाएं बलात्कार की शिकार होती हैं। इन आकड़ों के आधार पर इस मिथक को नकारा जा सकता है कि, महिलायें पुरुषों को बलात्कार के लिए उकसाती हैं।

पीड़िता के पुनर्वास पर प्रभाव :

यह मिथक बलात्कार एवं बलात्कारी दोनों को ही न्याय संगत ठहराता है। इस मिथक के कारण पीड़िता के प्रति यह अभिवृत्ति विकसित होती है कि जरूर पीड़िता ने ही बलात्कार के लिए अपने व्यवहार अथवा पहनावे से उकसाया होगा। इस प्रकार की अभिवृत्ति पीड़िता के लिए जोखिमों को अत्यधिक बढ़ा देती है, इस अभिवृत्ति के कारण पीड़िता को जो सहानुभूति अथवा सहयोग मिलना चाहिए अक्सर वह सहानुभूति अपराधी की तरफ झुकी रहती है और पीड़िता को तिरस्कार, कलंक एवं दोषारोपण से गुजरना पड़ता है जो पीड़िता के आत्म विश्वास को गहरा आघात पहुंचता है साथ ही उसके स्वयं को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया को तहस नहस कर देता है, जिस कारण पीड़िता मानसिक रूप से अत्यधिक दुःख एवं छोभ से ग्रसित हो जाती है एवं पीड़िता का खुद के प्रति भी अभिवृत्ति नकारात्मक हो जाती है।

(5) **मिथक :** महिलाओं का पहनावा बलात्कार के लिए जिम्मेदार होता है।

वास्तविक तथ्य :

बलात्कार को प्रोत्साहित करने वाला यह मिथक सर्वाधिक आम मिथक है। पीड़िता का पहनावा बलात्कार के लिए जिम्मेदार नही होता है। अनेक शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है कि बलात्कार के प्राथमिक उत्प्रेरक हिंसा, यौन उन्माद, पौरुष का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन एवं स्त्रियों पर नियन्त्रण करना होता है। महिलाओं को उनके

पहनावे के कारण बलात्कार के लिए दोषी मानने के पीछे पितृसत्तात्मक विचारधारा, महिलाओं एवं पुरुषों के बीच का असमान शक्ति संबंध के कारण होता है। इस मिथक के माध्यम से बलात्कारी के कृत्य को उचित ठहराने का प्रयास किया जाता है।

पीड़िता के पुनर्वास पर प्रभाव :

वास्तव में बलात्कार मिथक यौन व्यवहारों से संबंधित एक समूह है, जिसमें अपराधी के बजाय पीड़िता पर दोषारोपित किया जाता है। इस बलात्कार मिथक के कारण समाज में पीड़िता के प्रति यह अभिवृत्ति विकसित होती है कि यदि पीड़िता ने पाश्चात्य वस्त्र पहने हैं और उसके साथ बलात्कार हो जाता है तो इसके लिए अपराधी नहीं, पीड़िता जिम्मेदार होगी। दोषारोपित करने वाली अभिवृत्ति के कारण पीड़िता को परिवार से लेकर पुलिस, न्यायिक प्रक्रिया तक नकारात्मक अभिवृत्ति को झेलना पड़ता है।

(6) **मिथक : अधिकतर बलात्कार अजनबियों द्वारा होता है।**

वास्तविक तथ्य : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन०सी०आर०बी०) 2013 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2012 में पूरे भारत में 24,923 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। इनमें से 24,470 बलात्कार मामलों में पीड़िता बलात्कारी को पहले से ही जानती थी, जो सम्पूर्ण बलात्कार मामलों का (98 प्रतिशत) था।

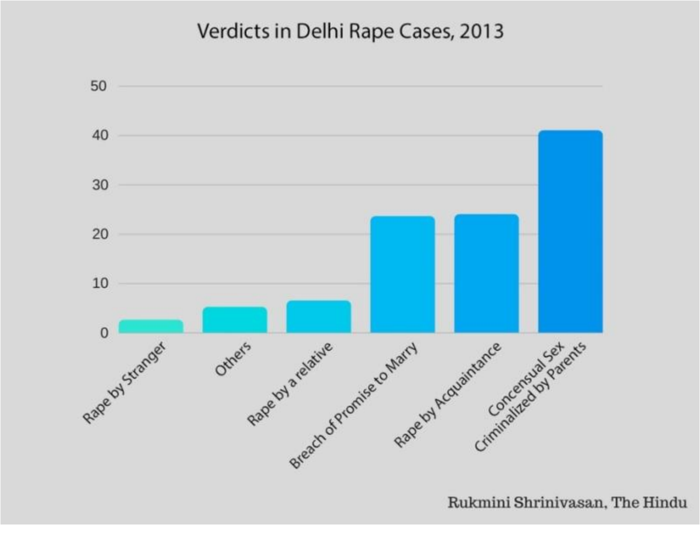

चित्र संख्या – 5.1

श्रोत : वर्ष 2013 दिल्ली बलात्कार निर्णय (द हिन्दू : रुक्मणि श्रीवास्तव)

उपरोक्त चित्र द हिन्दू समाचार पत्र में रुक्मणि, 2017 द्वारा प्रकाशित से उद्धृत किया गया है। इस चित्र के माध्यम से यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि सबसे ज्यादा बलात्कार परिवारों, नातेदारों एवं पीड़िता के जान पहचान के लोंगों द्वरा किया जाता है। अतः यहाँ यह मिथक पूर्णरूप से खारिज हो जाता है कि बलात्कार अपरिचित लोगों द्वारा होता है न कि जान पहचान द्वारा।

पीड़िता के पुनर्वास पर प्रभाव :

यह बलात्कार मिथक समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर सबसे बड़ा प्रहार है। अक्सर महिलाओं एवं लड़कियों को बाहर के लोगों से बचने की सीख दी जाती है परन्तु इसके विपरीत लड़कियों एवं महिलाओं को घर परिवार में भी अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस बलात्कार मिथक के कारण आमजन में यह अभिवृत्ति निर्मित होती है कि परिवार एवं नातेदार के लोग बलात्कार नहीं कर सकते। इस स्थिति में यदि कोई महिला अथवा बालिका परिवार के किसी सदस्य अथवा नातेदार पर यह आरोप लगाती है कि उसके द्वारा बलात्कार किया गया है, तो बहुत संभावना होती है कि पीड़िता के आरोपों को सही नहीं माना जायेगा।

(7) **मिथक : यदि महिला ने शराब का सेवन किया है तो वह बलात्कार के लिए स्वयं जिम्मेदार होती है।**

वास्तविक तथ्य :

यह एक आम बलात्कार मिथक है। यदि किसी महिला ने नशीले पदार्थ का सेवन किया है और उसके साथ बलात्कार होता है तो इस परिस्थिति में सारी जिम्मेदारी पीड़िता की मानी जाती है। क्योंकि सामाजिक मूल्यों के अनुसार महिलाओं को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ ही जो महिलायें शराब का सेवन करती हैं उन्हें समाज में बुरी औरत की श्रेणी में रखा जाता है। इस मिथक में महिला के शराब सेवन के कारण बलात्कार करने की सहूलियत अपराधी को प्रदान की जाती है। यह बलात्कार मिथक पूर्णतया अपराधियों की पक्षधर है। जो कि वास्तविकता में असत्य है।

पीड़िता के पुनर्वास पर प्रभाव :

कई शोधों में यह पाया गया है कि यदि बलात्कार के दौरान पीड़िता ने शराब का सेवन कर रखा है तो पुलिस जांचकर्ता घटना के बारे में जांच करने अथवा रिपोर्ट करने में कम सरोकार रखते हैं। कई बार पुलिस जांचकर्ता बलात्कार पीड़िता के आरोपों को सिरे से नकार देते हैं

क्योंकि पीड़िता के शराब सेवन के कारण पीड़िता को बलात्कार के लिए बराबर का दोषी माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि शराब का सेवन करने के पश्चात् पीड़िता ने स्वयं संभोग के लिए सहमति दी होगी। पुलिस के अलावा अदालतों में न्यायिक सुनवाई के दौरान भी विपक्ष के वकील द्वारा पीड़िता के शराब सेवन को उसके विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है। इस अभिवृत्ति के कारण कई बलात्कार पीड़ितों ने, जिन्होंने शराब का सेवन कर रखा था उन्होंने बलात्कार की रिपोर्ट इस डर से भी नहीं करवाई क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका विश्वास नहीं किया जाएगा और उन्हें ही दोषी माना जाएगा। इस प्रकार के मिथक एवं अभिवृत्ति के कारण पीड़िता को अपने प्रति भी अपराध बोध की भावना विकसित होती है और अन्दर ही अन्दर कुंठित होती चली जाती हैं। यह स्थिति सभी बलात्कार पीड़िताओं एवं समाज के लिए चिंताजनक विषय है कि पुलिस एवं समाज द्वारा मात्र शराब के सेवन भर से अपराधियों के बलात्कार जैसे संगीन अपराध को न्यायसंगत मान लिया जाता है एवं पीड़िता के मानसिक एवं सामाजिक पुनर्वास को बाधित करने के साथ साथ उसके न्याय पाने की संभावना को भी समाप्त कर दिया जाता है।(http%//www-startribune)

मिथक : एक पुरुष अपनी पत्नी का बलात्कार नही कर सकता है।

वास्तविक तथ्य :

यह मिथक लगभग सभी समाजों में व्याप्त है। क्योंकि यह माना जाता है कि विवाह में पति पत्नी का संभोग सहमति से ही होता है और पति को संतुष्ट करना पत्नियों का कर्तव्य एवं विवाह की एक प्रतिमानित भूमिका है। इस कारण यह

मिथक सर्वाधिक व्याप्त है कि एक पुरुष द्वारा उसकी पत्नी का बलात्कार नहीं किया जा सकता है। यह मिथक पूर्णरूप से असत्य है। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण) के नवीनतम शोध वर्ष (2015–16) में हुए शोध के अनुसार 5.4 प्रतिशत महिलाएं वैवाहिक बलात्कार की पीड़िता थी। जबकि भारतीय सरकार एवं कानून यह मानता है कि वैवाहिक बलात्कार जैसी कोई चीज उपस्थित नहीं होती है। इस सर्वे के होने के 12 माह पूर्व ही 4.4 महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में बलात्कार की शिकार हुईं थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण के 2005 –06 के सर्वेक्षण में यह 9.5 प्रतिशत था जबकि अविवाहित बलात्कार पीड़िताओं का प्रतिशत 11.5 प्रतिशत था (https%//thewire-in/gender/indian&law&denies&marital&rape&exist)। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वैवाहिक बलात्कार भारत जैसे देश में एक गंभीर समस्या है।

पीड़िता के पुनर्वास पर प्रभाव :

वैवाहिक बलात्कार का दंश झेल रही पीड़िताओं के पुनर्वास में सर्वाधिक समस्याएं आती हैं। सर्वप्रथम समस्या यह है कि वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार के रूप में मान्यता नहीं मिली है। कुछ ही देशों में इसे बलात्कार एवं यौन अपराध के रूप में स्वीकृति दी गयी है। भारत में सरकार एवं कानून द्वारा इसे बलात्कार अथवा अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। इस कारण पीड़िता के प्रति मानसिक शारीरिक आघात के सन्दर्भ में समाज एवं परिवार में सहानुभूति एवं सहयोग की कमी होती है। पीड़िता को परिवार एवं समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों के कारण जीवन भर बलात्कार का सामना करते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है। चूंकि वैवाहिक बलात्कार में पीड़िता को अपने बलात्कारी के साथ एक ही छत के नीचे जीवन भर रहना पड़ता है। इस कारण पीड़िता का पुनर्वास लगभग असंभव हो जाता है। (https%//www-healthyplace-)

5.11 अन्य बलात्कार मिथक :

मिथक, जिनकी समाज में स्वीकार्यता के कारण समाज एवं परिवार की अभिवृत्ति पीड़िता के प्रति नकारात्मक हो जाती है, वे निम्न हैं :–

मिथक : यदि एक महिला चाहे तो अपने ऊपर हमला करने वाले बलात्कारी का मुकाबला कर सकती है।

मिथक : बलात्कार की शिकार महिला के शरीर पर चोट के निशान अवश्य होते हैं।

मिथक : बलात्कार केवल अवांछित यौन संबंध है, न कि एक हिंसक अपराध।

मिथक : कुछ महिलाएं बलात्कृत होने की इच्छा रखती हैं।

मिथक : जो पीड़िता बलात्कार की घटना की रिपोर्ट विलम्ब से करवाती है उसकी विश्वसनीयता कम होती है।

5.12 परिवार का पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति एवं पीड़िता के पुनर्वास के मध्य संबंधः

सामान्यतः यह देखा गया है कि किसी भी प्रकार के आघात चाहे वे शारीरिक आघात, मानसिक आघात अथवा आर्थिक आघात हों, इन आघातों से उबरने में परिवार की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। समाजशास्त्री पारसंस ने अपने (एजिल) के मॉडल में यह स्पष्ट किया है कि परिवार तनाव प्रबंधन का कार्य करता है। एवं परिवार के सदस्यों को शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। यदि इस सन्दर्भ को ध्यान में रखा जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बलात्कार पीड़िता को सामान्य करने एवं उसके पुनर्वास में परिवार की अति महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है।

बलात्कार का कुप्रभाव मात्र पीड़िता पर ही नहीं पड़ता अपितु पीड़िता के अभिभावक, भाई, बहन, रिश्तेदार, मित्र एवं आस पड़ोस पर भी पड़ता है। पीड़िता के परिवार को द्वितीयक पीड़ित (सेकेंड्री विक्टिम) कहा जाता है। क्योंकि पीड़िता के बाद सर्वाधिक मानसिक आघात पीड़िता के परिवार को ही पंहुचता है एवं पीड़िता के साथ–साथ पीड़िता के परिवार को भी अपमान एवं मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है (डाने, 2005)।

5.13 पीड़िता के प्रति परिवार की प्रतिक्रिया

कई शोध अध्ययनों में यह पाया गया है कि हमले के बाद बलात्कार पीड़िता के प्रति परिवार का व्यवहार सहयोगात्मक एवं असहयोगात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। परिवार के सदस्यों का पीड़िता के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रिया की प्रकृति का पीड़िता के पुनर्वास पर गहारा प्रभाव पड़ता है। सहयोगात्मक प्रतिक्रया के अंतर्गत पीड़िता पर विश्वास करना, उसकी बात सुनना एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार सम्मिलित होता है। और असहयोगात्मक प्रतिक्रिया में पीड़िता पर विश्वास न करना, उनके कपड़ों एवं स्वतंत्र दिनचर्या के लिए जिम्मेदार ठहराना और बलात्कार हमले के लिए पीड़िता को दोषी ठहराना शामिल है। नकारात्मक प्रतिक्रिया पीड़िता को गंभीर रूप से मानसिक आघात पहुंचाता है जिसके कारण पीड़िता अपना आत्मविश्वास पूर्ण रूप से खो देती है। परिवार के सदस्यों की नकारात्मक प्रतिक्रिया, परिवार एवं पीड़िता की उत्तरजीविता के मध्य संवाद को समाप्त कर देता है एवं औपचारिक सहयोग एवं विधिक सहयोग में भी हानि पहुंचाता है। परिवार का पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति के कारण परिवार का माहौल अशांतिपूर्ण बन जाता है, पीड़िता एवं परिवार के मध्य संवाद समाप्त हो जाता है और परिवार की कार्य पद्धति भी बाधित हो जाती है। जिसके कारण परिवार में आपसी संबंध भी प्रभावित होते हैं। यह नकारात्मक अभिवृत्ति पीड़िता के पुनर्वास के अवसरों में बाधक का कार्य करता है (सी लिएवोर, 2005)।

इस सन्दर्भ में दो बातें महत्त्वपूर्ण हैं। नकारात्मक अभिवृत्ति परिवार के सदस्यों को गंभीर परिस्थिति में डाल देता है। सर्वप्रथम बलात्कार के कारण पीड़िता के परिवार के सदस्य द्वितीयक पीड़ित के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। एवं दूसरी तरफ परिवार नकारात्मक प्रतिक्रिया के माध्यम से पीड़िता को बलात्कार से संबंधित और अधिक आघात पहुंचाता है (https%//aifs-gov-au/sites/default/files/zm-pdf)।

5.14 पुलिस की नकारात्मक अभिवृत्ति एवं पीड़िता के पुनर्वास में सहसंबंध :

भारतीय पुलिस का अनुमान है कि 10 में से केवल 4 बलात्कार की घटनाओं की रिपोर्ट करायी जाती है, बड़े पैमाने पर भारतीय समाज की गहरी रूढ़िवादिता के कारण, जिसमें कई पीड़ित अपने परिवार और समुदाय द्वारा ''शर्मिंदा'' होने के डर

से आगे आने से डरती हैं। जो बलात्कार पीड़िता पुलिस के पास जाने के लिए स्वयं को तैयार कर भी लेती हैं, उन्हें अपने हमलावरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सर्वप्रथम बलात्कार की रिपोर्ट कराना सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है क्योंकि अक्सर पुलिस का रवैया असहयोगात्मक होता है और पीड़िता को ही अविश्वास की नजर से देखते हैं। दूसरे स्तर पर भ्रामक फोरेंसिक परीक्षाएं, परामर्श की कमी, पुलिस की जांच और अदालतों में कमजोर अभियोजन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। अदालतों में न्यायाधीशों और अभियोजकों की संख्या काफी हद तक अपर्याप्त है, ह्यूमन राइट्स वॉच की महिला अधिकार शोधकर्ता अरुणा कश्यप कहती हैं, बहुत सारे सरकारी अधिकारी, विशेष रूप से पुलिस, बलात्कार दोषियों खास कर सामाजिक आर्थिक रूप से सम्पन्न बलात्कारियों को अपने कर्तव्यों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं। ये न केवल हस्तक्षेप करते हैं बल्कि पीड़िता पर केस वापस लेने का दबाव भी बनवाते हैं और इस सन्दर्भ में साक्ष्य मिटाने एवं पीड़िता को डराने धमकाने का भी कार्य करते हैं। यही कारण है कि बलात्कार पीड़ितायें पुलिस कर्मियों के संपर्क में आने से बचती हैं। पुलिस आमतौर पर हिंसा की शिकार महिलाओं के प्रति अत्यधिक असंवेदनशील है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ट्रस्ट के हवाले से कहा, ''पूरी पुलिस बल लिंग असंवेदनशील नहीं है, लेकिन प्रशिक्षण और संवेदनशीलता की निश्चित रूप से जरूरत है। नवीनतम एन० सी० आर० बी० के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में, महिलाएं भारत के पुलिस बल का लगभग 6.5 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं। एक बलात्कार पीड़िता के लिए, पुलिस के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफ० आई० आर० दर्ज करना, पहली बाधा है। जिन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है वे अक्सर पीड़िता के लिए और भी भीषण, अपमानजनक और दर्दनाक होती हैं। वकीलों का कहना है कि नई दिल्ली में रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर हैं, लेकिन राजधानी के बाहर, भारत में पीड़ितों के मेडिकल या मनोवैज्ञानिक समर्थन के लिए कोई औपचारिक व्यवस्था नही है। एक अधिक बोझ वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली – जहां औसत स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास चिकित्सीय परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रशिक्षण नहीं है और अक्सर अपराधिक मामलों में उलझे रहने के डर से ऐसा करने से अनिच्छुक रहते हैं – मतलब

पीड़ितों को थोड़ी सहानुभूति मिलती है और इस अवस्था में पुलिस की पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति पीड़िता के आत्मविश्वास को समाप्त कर देता है । जिस कारण पीड़िता हर समय असहज ही रहती है एवं उसके पुनर्वास की प्रक्रिया धीमी होती चली जाती है (https%//in-reuters-com/article/india&delhi&gang&rape)। 2010 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में ''डिग्निटी ऑन ट्रायल'' में बलात्कार पीड़िता जिन जिन कानूनी एवं चिकित्सीय प्रक्रिया से गुजरते हुए जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन अनुभवों का उल्लेख किया गया है, जहां पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए एक सरकारी अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने के लिए या कई असुविधाजनक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। अक्सर सरकारी अस्पताल में कोई चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध नहीं होती है, जैसे चोटों या संक्रमणों के लिए प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ज्यादातर मामलों में पीड़िता को एच० आई० वी० एड्स का अनुबंध करने या गर्भवती होने की संभावना की जाँच संबोधित करने के लिए कोई सुविधा प्रदान नही करायी जाती है एवं पीड़िता को कोई आघात संबंधी परामर्श नहीं दिया जाता है, जिस कारण पीड़िता बलात्कार के बाद अत्यधिक दुःख, क्षोभ और अपमान का अनुभव करती है। बलात्कार पीड़िता का बचाव करने वाले वकील यह भी बताते हैं कि फोरेंसिक परीक्षाएँ भी समस्याग्रस्त होती हैं। तथाकथित ''टू फिंगर टेस्ट'' एक पुरातन प्रथा है, जो कई देशों में प्रतिबंधित है, परन्तु भारत के कई राज्यों में इस विधि से चिकित्सीय जांच होने की संभावनाएं रहती हैं। इस जांच में जिसमें एक डॉक्टर पीड़ित की योनि में उंगलियां डालती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उसे ''सेक्स करने की आदत है''। भारत में व्यापक रूप से एक आदेश के बावजूद इस विधि का उपयोग किया जाता है। 2011 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा इसे बंद कर दिया गया (https%//www-hrw-rg/sites/default/files/reports/india0910webwcover-pdf)।

5.15 बलात्कार के संबंध में न्यायिक फैसले एवं पीड़िता के पुनर्वास पर प्रभाव

भारत में बलात्कार के संबंध में मात्र प्रारंभिक प्रक्रिया ही सुस्त और निराशाजनक नहीं है बल्कि देश भर के न्यायालयों (स्थानीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय) में दिए गए फैसले भी अत्यधिक रूप से निराशाजनक

रहे हैं। निशांत सिंह ने अपनी पुस्तक बलात्कार और यौन उत्पीड़न और रंजीत वर्मा ने अपनी पुस्तक 'बलात्कार और कानून' में न्यायालयों के फैसलों पर गहन चर्चा की है उसी के कुछ अंश को यहाँ लिखना अति प्रासंगिक है।

26 मार्च 1972 (मथुरा बलात्कार कांड) में दो पुलिसकर्मियों ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के देसाई गंज पुलिस थाने में 16 वर्षीय मथुरा के साथ बलात्कार किया। सत्र न्यायालय में आरोपियों को दोषी नहीं माना गया और निर्णय आया की मथुरा को सम्भोग करने की आदत थी और उसके साथ किया गया बलात्कार, बलात्कार नहीं था। लेकिन मुम्बई उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच ने तुकाराम तथा गणपत को दोषी माना और पांच वर्ष की सजा सुनाई । लेकिन 1978 में उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराने के बावजूद 15 सितंबर 1979 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जशवंत सिंह और ए० डी० कौशल ने उन अपराधियों को यह कहते हुए निर्दोष घोषित कर दिया, क्योंकि पीड़िता के शरीर पर कोई चोट एवं खरोंच के निशान नहीं थे (शारदा, 2017)।

29 मार्च 1978 (रमीजा बी बलात्कार कांड) में हैदराबाद में तीन पुलिस कर्मियों ने रमीजा बी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। घटना में आंध्रप्रदेश सरकार ने के० ए०. मुख्तार नामक न्यायाधीश को इस घटना के लिए एक जांच कमेटी बनाने को कहा गया और यह प्रमाणित करने को कहा गया कि रमीजा एक वेश्या थी और घटना के वक्त वह अनाव्रत अवस्था में थी (जबकि वह बुर्के में थी) मगर कमीशन ने सरकार के अनुसार काम नहीं किया और दोषियों को दोषी माना परन्तु बाद में इस कमेटी की रिपोर्ट को दबा दिया गया और मामला सर्वोच्च न्यायालय गया, जहां सब–इंस्पेक्टर टी० सुरिंदर और अन्य दोषियों को दोषमुक्त कर दिया गया (शारदा, 2017)।

25 सितम्बर 1992 में (भंवरी देवी बलात्कार मामले) में अदालत ने दोषियों को यह कहकर दोषमुक्त कर दिया कि सभी आरोपी उच्च जाति के हैं और पीड़िता निम्न जाति की जिसे वे छूने से भी अछूत हो जातें हैं तो उसके साथ बलात्कार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उपरोक्त हुए न्यायिक फैसलों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में बलात्कार के संबंध में आये फैसले बलात्कार पीड़िता को न्याय एवं राहत दिलाने में सफल नहीं हुए हैं। बल्कि इन फैसलों के कारण बलात्कार पीड़िता को बलात्कार की घटना की तुलना में और अधिक मानसिक आघात पहुंचा है। बलात्कार पीड़िता के विरोध में आये फैसले पीड़िता के पुनर्वास की संभावनाओं को समाप्त कर देते हैं और साथ ही भविष्य में अन्य बलात्कार पीड़िताओं को यह सन्देश भी जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया अत्यधिक कष्टदायी होती है और न्याय मिलने की संभावनाएं भी कम होती हैं।

षष्टम अध्याय

बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने हेतु नीति में उपयोगी सुझाव एवं निष्कर्ष

षष्टम अध्याय

बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने हेतु नीति में उपयोगी सुझाव एवं निष्कर्ष

बलात्कार किसी एक व्यक्ति के प्रति किया गया अपराध नहीं है बल्कि यह सम्पूर्ण समाज के प्रति किया गया अपराध है। जब एक महिला बलात्कार की शिकार होती है तो इसका प्रभाव मनोवैज्ञानिक तौर पर पीड़िता के परिवार, पड़ोस, दोस्तों एवं सम्पूर्ण समाज पर पड़ता है। कविता कृष्णन कहती हैं कि बलात्कार महिलाओं पर एक सेंसर की तरह कार्य करता है, जिसके प्रभाव में आकर महिलायें अपने हाव–भाव, व्यवहार, पहनने ओढ़ने का तरीका, कार्य करने का समय, आने जाने का कार्यक्रम इसके प्रभाव में क्रियान्वित करती हैं। एक महिला के शिकार होने पर अन्य महिलाओं की स्वतंत्रता एवं मनोवैज्ञानिकता पर प्रभाव पड़ता है। बलात्कार के बाद बलात्कार पीड़िता के शरीर, जीवनशैली आचरण, मानसिक संतुलन में कई उतार चढ़ाव एवं विकृति आ जाती है। जिसके कारण पीड़िता का जीवन मृतप्राय हो जाता है। हर्मन एवं अन्य मनोचिकित्सकों ने इस आघात से उबरने के लिए विभिन्न प्रकार की थेरिपी की सुविधा की बात की है। यह सुविधा सरकार एवं गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम से पीड़िता तक पहुंचाया जा सकता है। पीड़िता के शीघ्र पुनर्वास में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी गुणवत्ता एवं संख्या भी पीड़िता के पुनर्वास में सहयोग प्रदान करती है। अतः इस अध्याय में भारत सरकार द्वारा बलात्कार पीड़िता को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं योजनाओं के संबंध में चर्चा करेंगे एवं गैर सरकारी संस्थाओं की गुणवत्ता एवं प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की भी जांच करेंगे। साथ ही बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने हेतु उपयोगी सुझाव भी देने का प्रयास किया गया है।

6.1 भारत सरकार द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बलात्कार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास हेतु प्रावधान–

बलात्कार एवं बलात्कार की शिकार पीड़ितों के पुनर्वास का मुआवजा भाग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(ए) के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, जिसमें

कहा गया है कि केन्द्र सरकार के साथ समन्वय में प्रत्येक राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार करेगी। बलात्कार सहित अपराध के पीड़िता को मुआवजा, अब तक 20 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने पीड़ित मुआवजा योजना तैयार की है। आई०पी०सी० की धारा 326 (ए) आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार, एसिड हमले के लिए सजा को कठोर बनाने के अलावा, यह पीड़ित के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए उचित और उचित जुर्माना प्रदान करता है और इसे पीड़ित को भुगतान किया जाएगा। सी०आर०पी०सी० में धारा 357 (ए) डाला गया है जो अंतर–आलिया हिंसा से प्रभावित पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए प्रदान करता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत, सभी महिलाएं मुफ्त कानूनी सहायता की हकदार हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय बलात्कार की शिकार महिलाओं सहित कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को राहत और पुनर्वास के लिए स्वधार और लघु प्रवास गृह योजनाएं भी संचालित कर रहा है (http%//pib-nic-in/newsite)।

6.2 विशाखा गाइड लाइन्स

विशाखा गाइड लाइन्स कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार पीड़ित महिलाओं के सुरक्षा एवं सहयोग हेतु बनाया गया एक गाइड लाइन है, जिसके अंतर्गत कार्यरत महिलाओं की यौन उत्पीड़न एवं यौन हमलों से सुरक्षा के लिए सेल स्थापित किया गया है। विशाखा गाइड लाइन भवरी देवी बलात्कार केस से संबंधित है। सन् 1996 में विशाखा एवं अन्य महिला संगठनों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। कामकाजी महिलाओं के बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए संविधान की धारा 14, 19 और 21 के तहत कानूनी प्रावधान किये जायें। महिला गुट विशाखा और अन्य संगठनों की ओर से दायर इस याचिका को विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार के मामले के तौर पर जाना गया।

उल्लेखनीय है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिए वर्कप्लेस बिल, 2012 भी लाया गया, जिसमें लिंग समानता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के तहत यह रेखांकित किया गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं, युवतियों के सम्मान को बनाए रखने के लिए क्या–क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अगर किसी महिला के साथ कुछ भी अप्रिय होता है तो उसे कहां और कैसे अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, अगर किसी भी कार्यस्थल पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो वह अपने वरिष्ठों के सामने इस स्थिति को विचार के लिए रख सकती है या फिर समुचित कानूनी कार्यवाही कर सकती है।

6.3 एकल विपणन केंद्र (वन स्टॉप सेंटर (सखी)

एकल विपणन केंद्र (सखी) के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस–डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउन्सलिंग की सुविधा वन स्टॉप सेन्टर में उपलब्ध करायी जाती है।

6. 3. 1 लक्षित समूह :

यौन हिंसा से पीड़ित महिलायें, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की बालिकायें भी सम्मिलित हैं, को सहायता प्रदान करना। 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की सहायता हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित संस्थाओं को सेन्टर से जोड़ना (http%//mpsdc-gov-in/osc/)।

- इस योजना के तहत पहले चरण में, प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में एक वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है, जिसमें चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता सहित सेवाओं की समन्वित श्रेणी तक पहुंच हो सके।

- पहले चरण में 36 केंद्रों के अलावा 2016–17 के दौरान दूसरे चरण में 150 अतिरिक्त केंद्र बनाए गए हैं।

- अब, 2017–18, 2018–19 और 2019–2020 के दौरान 50 अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- वन स्टॉप सेंटर को 181 और अन्य मौजूदा हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है।
- हिंसा से प्रभावित और निवारण सेवाओं की आवश्यकता वाली महिलाओं को इन हेल्पलाइनों के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर पर भेजा जा सकता है।
- 2014–15 और 2015–16 के बाद के वित्तीय वर्षों के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि (प्रत्येक वित्तीय वर्ष) निर्भया फंड के तहत प्रदान किया गया है।

6.4 नारी संरक्षण गृहः

नारी संरक्षण गृह प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार द्वारा संचालित संरक्षण संस्थान है। नारी संरक्षण गृह में परिवार में ही हिंसा की शिकार महिलाओं, अविवाहित महिलाओं, किसी पारिवारिक संघर्ष के कारण असुरक्षित महसूस करने वाली महिलाओं को अस्थायी संरक्षण के साथ साथ बलात्कार पीड़ित महिलाओं को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। नारी संरक्षण गृह में 16–45 वर्ष की पीड़िता को उनकी आवश्यकता के अनुसार 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक का आश्रय पीड़िता को प्रदान किया जाता है। नारी संरक्षण गृह में (1) पीड़िता के केस से सम्बन्धी पीड़िता को परामर्श प्रदान किया जाता है। (2) चिकित्सीय सुविधा एवं मनोवैज्ञानिक उपचार प्रदान किया जाता है। (3) व्यावसायिक उपचार, कौशल विकास के साथ साथ पीड़िता को पुनर्वास की सुविधा भी प्रदान की जाती है। (4) शैक्षिक, व्यावसायिक एवं मनोरंजक गतिविधियों में संलग्न किया जाता है और (5) कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा अविवाहित बालिकाओं की शिक्षा एवं विवाह का भी प्रबंधन किया जाता (http%//webcache-googleusercontent-com)।

6. 5 गैर सरकारी संस्थान :

बलात्कार पीड़िताओं के शारीरिक एवं मानसिक सुधार के साथ साथ उनके पुनर्स्थापन में गैर सरकारी संस्थान भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सरकारी संस्थानों की आपूर्ति इन गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। अधिकतर सरकारी संस्थाओं की खस्ता हालत के कारण बलात्कार पीड़िताओं को प्राथमिक उपचार एवं सहायता भी नहीं प्राप्त हो पाती है। इस परिस्थिति में गैर सरकारी संस्थान एक बेहतर विकल्प साबित होते हैं परन्तु अपने शोध के दौरान पाया गया कि अधिकतर गैर सरकारी संस्थान सरकारी फण्ड पर निर्भर करते हैं। फण्ड एवं सरकारी सहायता के अभाव में ये सरकारी संस्थान बेहतर सुविधा मुहैया कराने में असमर्थ होते हैं। कई गैर सरकारी संस्थान ऐसे भी पाए गए जो स्वयं के पैसों एवं इच्छा शक्ति से चलाये जा रहे हैं। परन्तु ये गैर सरकारी संस्थान भी फण्ड, सरकारी सहायता के अभाव में बलात्कार पीड़िता के पूर्ण पुनर्स्थापन में असमर्थता के साथ साथ असफल भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बलात्कार पीड़िता हेतु कार्यरत कुछ महत्त्वपूर्ण गैरसरकारी संस्थान निम्नलिखित हैं (1) आली एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल एनिसीऐटिव (2) समाधान (3) द रेड ब्रिगेड (4) गिव इंडिया (5) राही फाउंडेशन (6) आजाद फाउंडेशन (7) आसरा आदि महत्त्वपूर्ण गैर सरकारी संस्थान है।

प्रस्तुत शोध कार्य के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता के प्रति नगरीय समाज की अभिवृत्ति का मापन किया गया है। अभिवृत्ति का मापन तीन स्तर पर किया गया है जो क्रमशः सामुदायिक स्तर, पारिवारिक स्तर एवं वैयक्तिक स्तर पर बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का मापन किया गया है। अतः हम यहाँ सारांश में प्राप्त निष्कर्षों पर चर्चा करेंगे।

6.6 निष्कर्ष

बलात्कार एक गंभीर समस्या है और भारत में यह समस्या दिन प्रतिदिन अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। जबकि पहले की अपेक्षा बेहतर तकनीक से लेस पुलिस बल, फास्ट ट्रेक न्यायालय की सुविधा, पहले की अपेक्षा अधिक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान उपलब्ध हैं। उसके बावजूद न तो बलात्कार की घटनाओं में कमी आ रही है और न ही बलात्कार पीड़िता की स्थिति सुधर रही है। यहां यह गौर करना जरूरी है कि मात्र कानून के कठोर करने अथवा उन्नत तकनीक

विकसित करके इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है। इन अपराधों को रोकने के लिए कुछ अन्य कारकों पर कार्य करने की आवश्यकता है, जैसे संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन करके सामाजिक मूल्यों, पितृसत्तात्मक ढांचे, एवं सांस्कृतिक व्यवहारों एवं मूल्यों में परिवर्तन करके बलात्कार की घटनाओं की तीव्रता को कम किया जा सकता है। साथ ही बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को बदला जा सकता है। बलात्कार की घटनाओं को पूर्णतया रोकना संभव नही है। परन्तु समाज की पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को बदल कर पीड़िता के जीवन को सरल अवश्य बनाया जा सकता है। जब नकारात्मक अभिवृत्ति पीड़िता के बजाए बलात्कारी के प्रति हो जाएगी तो बलात्कार संस्कृति भी समाप्त हो जाएगी, साथ ही बलात्कार मिथकों की स्वीकार्यता भी कम हो सकती है और इसका प्रभाव बलात्कार की दर पर आवश्यक रूप से दृश्यमान हो सकता है।

6.6.1 सारांश :

प्रस्तुत शोध अध्ययन मे "भारतीय समाज में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति अभिवृत्ति, लखनऊ जिले का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" से संबंधित कुछ शोध उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया एवं इनके परीक्षण हेतु 400 उत्तरदाताओं का बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का मापन करके परिकल्पनाओं का परीक्षण करने का प्रयास किया गया है।

6.6.2 प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्नवत हैं :–

- बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों के पीछे सामाजिक–सांस्कृतिक कारणों का विश्लेषण करना।
- बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों एवं बलात्कार के कारण बलात्कार पीड़िता पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक प्रभावों का विश्लेषण करना।

- समाज में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों एवं उनके पुनर्वास के अवसर के मध्य अंतःसंबंधों का विश्लेषण करना।
- बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों का मापन एवं विश्लेषण करना।
- बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोणों में बदलाव लाने हेतु नीति में उपयोगी सुझाव देना।

6. 6.3 प्रस्तुत शोध की परिकल्पना निम्नवत है :–

- बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों के पीछे सामजिक–सांस्कृतिक कारक उत्तरदायी होते हैं।
- बलात्कार पीड़ित महिलाओं पर उनके प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की नकारात्मक अभिवृत्तियों एवं बलात्कार के कारण बलात्कार पीड़िता पर गंभीर मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक प्रभाव पड़ता है।
- समाज में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्तियां बलात्कार पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास में बाधक होते हैं।
- बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्ति नकारात्मक होती है।
- बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण में बदलाव हेतु नवीन योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण की आवश्यकता है।

प्रस्तुत शोध में बलात्कार पीड़िता के प्रति नगरीय समाज की अभिवृत्ति का मापन करने हेतु 40 प्रश्नों की एक साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गई एवं इन प्रश्नों के माध्यम से बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का मापन किया गया है। इन 40 प्रश्नों में पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति के सभी आयामों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है जैसे बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपण करने की अभिवृत्ति, बलात्कार के संबंध में बलात्कार

मिथकों की स्वीकार्यता, बलात्कार पीड़िता को स्वीकार करने एवं बलात्कार के संबंध में सामान्य जागरुकता से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। अतः हम यहाँ प्राप्त निष्कर्षों को अभिवृत्ति की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करके व्याख्या करेंगे।

➢ बलात्कार को एक गंभीर अपराध मानने के सन्दर्भ में नगरीय समाज के लोगों से प्रश्न पूछा गया कि क्या बलात्कार एक गंभीर अपराध है? इसके प्रत्युत्तर में 98.75 प्रतिशत नगरीय उत्तरदाताओं ने माना कि बलात्कार एक गंभीर अपराध है।

➢ बलात्कार पीड़िता का विवाह पूर्व यौन संबंध होने पर यदि महिला का बलात्कार हो जाए तो क्या उसे घटना की रिपोर्ट करानी चाहिए ? के सन्दर्भ में 77.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि पीड़िता को घटना की रिपोर्ट करानी चाहिए जबकि 19.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि विवाह पूर्व यौन संबंध होने पर पीड़िता को रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए। अतः हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं की यौन शुचित के संबंध में नगरीय समाज बलात्कार मिथकों की स्वीकार्यता रखता है।

➢ बलात्कार मिथक के संबंध में प्रश्न पूछा गया कि क्या बलात्कार मात्र निम्न तबकों तक ही सीमित होता है । 400 उत्तरदाताओ में 273 उत्तरदाता जो कि 73.50 प्रतिशत हैं, का मानना यह है कि बलात्कार मात्र निम्न वर्गों अथवा निम्न तबकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग एवं तबके में इसकी पैठ है जबकि इसके विपरीत 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं जो कि अपेक्षाकृत तो कम हैं फिर भी एक बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि बलात्कार मात्र निम्न तबकों अथवा वर्गों तक ही सीमित है। इससे यह प्रतीत होता है की नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में भी बलात्कार मिथक स्वीकृति है।

➢ यदि कोई महिला रोजमर्रा की जिंदगी में अपने प्रति किसी भी प्रकार के यौन छेड़ छाड़ का विरोध करती है, तो क्या महिला के साथ बलात्कार होने की संभावना बढ़ जाती है ? इस संबंध में नगरीय समाज के 66.75 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि यदि महिलायें अपने प्रति हुए छेड़ छाड़ का विरोध करती हैं तो उनका भविष्य में बलात्कृत होने की संभावना कम हो जाती है। इस आंकड़ें से यह स्पष्ट होता है कि नगरीय समाज के सदस्यों में बलात्कार मिथक संबंधी स्वीकृति कम है। इसके विपरीत 25.75 प्रतिशत

उत्तरदाता का यह मानना है कि यदि महिलायें रोजमर्रा के जीवन में यौन छेड़ छाड़ का विरोध करती हैं तो भविष्य में उनके बलात्कृत किये जाने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है।

➢ बलात्कार दोषी को सजा देने के सन्दर्भ में नगरीय समाज के सदस्यों से प्रश्न पूछा गया कि बलात्कार दोषी को किस प्रकार की सजा देनी चाहिए ? प्राप्त प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट होता है कि 70.0 प्रतिशत बलात्कार के लिए मृत्युदंड को उचित ठहराते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि नगरीय समाज के लोगों द्वारा बलात्कार को एक गंभीर अपराध के रूप में माना जाता है। इसके अलावा 15.0 प्रतिशत यह मानते हैं कि बलात्कार के लिए मृत्युदंड न देकर कठोर सश्रम कारावास देना चाहिए। 5.25 प्रतिशत उत्तरदाता अंग भंग को दंड प्रावधान के रूप में रखने की बात करते हैं जो बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण अभिवृत्ति की तरफ इंगित करता है।

➢ बलात्कार की घटनाएं महिलाओं को समाज में उनको, उनकी सही जगह (औकात) में रखने के लिए एक उपकरण अथवा यंत्र की तरह कार्य करता है? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 79.25 प्रतिशत उत्तरदाता बलात्कार को एक नियंत्रण के उपकरण के रूप में नहीं मानते हैं, तो यह आधुनिक एवं सकारात्मक अभिवृत्ति की ओर इंगित करता है। एवं 14.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार एक नियंत्रण करने वाले उपकरण के रूप में कार्य करता है।

➢ किसी अविवाहित महिला का बलात्कार होता है तो क्या दोषी को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 57.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि यदि बलात्कार पीड़िता अविवाहित है तो दोषी को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए परन्तु 19.25 प्रतिशत उत्तरदाता इससे सहमति नहीं रखते एवं 14.75 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि दंड का विवाहिता अथवा अविवाहिता से बलात्कार का कोई संबंध नहीं है, दोनों को ही बराबर शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुंचता है। प्राप्त आंकड़े से यह पता चलता है कि आधे से ज्यादा लोग यह मानते हैं कि विवाहिता की अपेक्षा अविवाहित महिलाओं के बलात्कार से ज्यादा हानि पहुंचती है। इस सन्दर्भ में महिलाओं की यौन

शुद्धता पर ज्यादा बल दिया जाता है, यौन शुचिता समाप्त होने पर समाज में महिलाओं को कम वांछनीय समझा जाता है।

- अच्छी लड़कियों की तुलना में बुरी लड़कियों का बलात्कार होने की संम्भावना अधिक होती है के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 59.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार का लड़की के अच्छे अथवा बुरे चरित्र से कोई लेना देना नहीं होता है। परन्तु 31.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि यदि किसी महिला का चाल चलन सही नही है तो उसके साथ बलात्कार होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। परन्तु 31.25 प्रतिशत भी एक बड़ा प्रतिशत है। अतः नगरीय समाज की अभिवृत्ति को पूर्णतः सकारात्मक नही कहा जा सकता है।

- बलात्कार के लिए पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 84.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार के लिए मात्र महिलाएं ही जिम्मेदार नहीं होती हैं। 8.75 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि मात्र महिलाएं ही बलात्कार के लिए जिम्मेदार होती हैं। नकारात्मक अभिवृत्ति का प्रतिशत सकारात्मक अभिवृत्ति की अपेक्षा काफी कम है, अतः प्राप्त परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बलात्कार हेतु मात्र बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराने के संबंध में नगरीय समाज के लोगों की अभिवृत्ति सकारात्मक है।

- क्या बलात्कार के न्यायिक मामलों की प्रक्रिया में बलात्कार पीड़िता के पुराने चाल चलन अथवा चरित्र को जिम्मेदार मानना चाहिए ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 85.5 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि बलात्कार मामलों की न्यायिक सुनवायी के दौरान पीड़िता के पूर्व चाल चलन का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। 10.5 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि पीड़िता के पूर्व चाल चलन को ध्यान में रख कर मामले की सुनवाई की जानी चाहिए। नकारात्मक अभिवृत्ति का प्रतिशत सकारात्मक अभिवृत्ति की अपेक्षा काफी कम है, अतः प्राप्त

परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 400 उत्तरदाताओं का एक बड़ा प्रतिशत पीड़िता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है।

- क्या बलात्कार के लिए बलात्कारी एवं बलात्कार पीड़िता दोनों ही बराबर के दोषी होते हैं? के सन्दर्भ में नगरीय समाज में बलात्कार पीड़िता एवं बलात्कारी दोनों को समान रूप से बलात्कार के लिए जिम्मेदार ठहराने में पुरुषों का प्रतिशत 12.50 प्रतिशत है, जबकि मात्र 7.0 प्रतिशत महिलाएं ही बलात्कार पीड़िता एवं बलात्कारी को बराबर का जिम्मेदार मानती हैं। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराने की अभिवृत्ति अधिक नकारात्मक है।

- बलात्कार पीड़ित महिला समाज द्वारा विवाह हेतु कम वांछनीय (लेस डिसायरेबल) होती है ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 55.50 प्रतिशत पुरुषों का यह मानना है कि बलात्कार पीड़ित महिला विवाह हेतु कम वांछनीय होती है। महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षाकृत कम है जो कि 49.50 प्रतिशत है। हालाँकि यह अंतर कम है परन्तु इस अंतर से स्पष्ट हो जाता है कि पुरुषों द्वारा बलात्कार पीड़िता को विवाह हेतु कम वांछनीय माना जाता है।

- बलात्कार पीड़िता को दोषी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 27.50 प्रतिशत पुरुषों ने माना कि बलात्कार पीड़िता का विवाह उसके बलात्कारी से करवा देना चाहिए। जबकि 14.00 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि बलात्कार पीड़िता का विवाह उसके बलात्कारी से करवा देना चाहिए। महिलाओं की अभिवृत्ति एवं पुरुषों की अभिवृत्ति में 13.50 प्रतिशत का अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अभिवृत्ति अधिक नकारात्मक है।

- किसी कार्यरत महिला के बलात्कार हो जाने पर उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 16.00 प्रतिशत पुरुषों ने माना कि किसी कार्यरत महिला के बलात्कार हो जाने पर उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। जबकि

महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा 8.50 प्रतिशत ही है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बलात्कार पीड़िता के विस्थापना को अधिक समर्थन दिया जाता है जो कि पीड़िता के प्रति कम समर्थन को प्रदर्शित करता है।

- क्या बलात्कार पीड़िता अपने प्रति हुए बलात्कार के लिए स्वयं जिम्मेदार होती है? पीड़िता पर दोषारोपण की अभिवृत्ति के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 89.00 प्रतिशत पुरुषों ने माना कि पीड़िता बलात्कार के लिए जिम्मेदार नही होती है। जबकि 94.80 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि पीड़िता बलात्कार के लिए जिम्मेदार नही होती है जो कि सकारात्मक अभिवृत्ति की ओर इंगित करता है। परन्तु लिंगवार पीड़िता पर दोषारोपण करने में महिलाओं का प्रतिशत मात्र 4.00 प्रतिशत है जबकि पीड़िता को बलात्कार के लिए जिम्मेदार ठहराने में पुरुषों का प्रतिशत 9.50 प्रतिशत है, जो कि महिलाओं के प्रतिशत से 5.50 प्रतिशत अधिक है। अतः इससे ज्ञात होता है कि पुरुषों के दोषारोपण करने की अभिवृत्ति महिलाओं की अपेक्षा अधिक है।

- क्या बलात्कार पीड़िता को शारीरिक आघात के साथ साथ मानसिक आघात भी पहुंचता है ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 67.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि बलात्कार पीड़िता को शारीरिक आघात के साथ साथ मानसिक आघात भी पहुंचता है, जिसमें पुरुषों का 71.50 प्रतिशत है। महिलाओं का 63.50 प्रतिशत है। अतः प्राप्त परिणाम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस सन्दर्भ में पुरुषों एवं महिलाओं की अभिवृत्ति सकारात्मक है।

- बलात्कार मिथक स्वीकार्यता से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि क्या नशे में धुत महिला यौन संबंध के लिए तैयार रहती है ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के पुरुष उत्तरदाताओं में 32.50 प्रतिशत का मानना है कि नशे में धुत महिला यौन संबंध के लिए तैयार रहती है, जबकि मात्र 10.50 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं का मानना है कि नशे में धुत महिला यौन संबंध के लिए तैयार रहती है। महिला और पुरुषों में बलात्कार स्वीकार्यता में 20 प्रतिशत का अंतर है। पुरुष उत्तरदाता

में बलात्कार मिथक स्वीकार्यता का प्रतिशत अधिक है। अतः हम यहाँ यह कह सकते हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अभिवृत्ति नकारात्मक है।

- बलात्कार मिथक स्वीकार्यता से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि क्या बलात्कार पीड़ित महिला को शर्म अथवा आत्मग्लानि महसूस करना चाहिए ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 86.50 प्रतिशत का मानना है कि बलात्कार पीड़ित महिला को शर्म अथवा आत्मग्लानि नही महसूस करना चाहिए जो कि सकारात्मक है। परन्तु लिंगवार परिणाम में लिंग एवं अभिवृत्ति में सहसंबंध स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 17.50 प्रतिशत पुरुषों का मानना है कि बलात्कार पीड़िता को बलात्कार हमले के बाद शर्म अथवा आत्मग्लानि महसूस होनी चाहिए। इसके विपरीत मात्र 5 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना कि बलात्कार पीड़िता को शर्म अथवा आत्मग्लानि महसूस करना चाहिए। इस सन्दर्भ में पुरुष उत्तरदाता महिलाओं की अपेक्षा पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति नकारात्मक है।

- क्या बलात्कार पीड़िता को बलात्कारी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए ? के संबंध में अभिवृत्ति का मापन किया गया है। 84 प्रतिशत महिला एवं 70.50 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार पीड़िता का विवाह बलात्कारी से नहीं करना चाहिए। पीड़िता का बलात्कारी से विवाह कराने के सन्दर्भ में महिलाओं एवं पुरुषों दोनों ही उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति सकारात्मक है। परन्तु महिलाओं की सकारात्मक अभिवृत्ति पुरुषों की अपेक्षा 14 प्रतिशत अधिक है।

- क्या बलात्कार पीड़िता को पति अथवा प्रेमी चुनने का अधिकार होना चाहिए ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 84.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार पीड़ित महिला को पति अथवा प्रेमी चुनने का अधिकार होना चाहिए जो सकारात्मक अभिवृत्ति है। परन्तु लिंगवार अभिवृत्ति में अंतर देखा जा सकता है। 79.50 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं एवं 90.00 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार पीड़िता को प्रेमी अथवा पति चुनने का अधिकार होना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की अभिवृत्ति नकारात्मक है। इसके

लिए सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, लिंग आधारित समाजीकरण एवं यौन शुचिता पर अत्यधिक बल देने के कारण महिलाएं यौन शुचिता पर अधिक ध्यान देती हैं।

- क्या अधिकतर बलात्कार के आरोप झूठे होते हैं ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 73.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अधिकतर बलात्कार के आरोप झूठे नही होते हैं। और 11.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का माना है कि अधिकतर बलात्कार के आरोप झूठे होते हैं। नगरीय समाज के उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति सकारात्मक प्राप्त हुई है। परन्तु लिंगात्मक आधार पर महिलाओं की अपेक्षा 17.50 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं का मानना है कि अधिकतर बलात्कार के आरोप झूठे होते है एवं मात्र 5 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि अधिकतर बलात्कार के आरोप झूठे होते हैं। अतः महिलाओं की अभिवृत्ति पुरुषों की अपेक्षा अधिक सकारात्मक प्राप्त हुई है।

- यदि किसी अविवाहित महिला का बलात्कार होता है तो दोषी को अधिक दण्ड मिलना चाहिए ? के सन्दर्भ में 57.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अविवाहित महिला का बलात्कार होता है तो दोषी को अधिक दण्ड मिलना चाहिए और 19.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का माना है कि दोनों मामलों में समान दण्ड मिलना चाहिए। 59 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं एवं 55 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने माना कि अविवाहित महिला का बलात्कार होने पर अधिक दंड मिलना चाहिए। इस अभिवृत्ति के पीछे यह सामाजिक मूल्य कार्य करता है कि कौमार्य भंग होने पर बलात्कार पीड़िता की वांछनीयता कम हो जाती है एवं विवाहित महिलाओं की अपेक्षा अविवाहित महिलाओं की मान सम्मान की हानि अधिक होती है।

- क्या महिलाओं का पहनावा जैसे (अधिक अंग प्रदर्शित करने वाले कपड़े, तंग ब्लाउज, छोटे कपड़े) बलात्कार को आमंत्रित करते है ? के संबंध में अभिवृत्ति का मापन किया गया है। जिसमें 34.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं का पहनावा बलात्कार को आमंत्रित करते हैं। और 59.25 प्रतिशत

उत्तरदाताओं का माना है कि पहनावा बलात्कार को आमंत्रित नहीं करते हैं। 49.50 प्रतिशत पुरुष यह मानते हैं कि महिलाओं का पहनावा बलात्कार को आमंत्रण देते हैं। इसके विपरीत मात्र 18.50 प्रतिशत महिलाएं ही यह मानती हैं कि महिलाओं का पहनावा बलात्कार को आमंत्रण देते हैं। पुरुषों में बलात्कार मिथक की स्वीकार्यता महिलाओं की अपेक्षा अधिक है जो कि नकारात्मक अभिवृत्ति की तरफ इंगित करता है।

- क्या बलात्कार पीड़िता के परिवार को बलात्कार के लिए शर्मिंदा होना चाहिए ? के सन्दर्भ में 79.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार पीड़िता के परिवार को बलात्कार के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। 19.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शर्मिंदा होना चाहिए। बलात्कार पीड़िता के परिवार को शर्म अथवा अपमान महसूस करने के सन्दर्भ में पुरुषों की अभिवृत्ति 30.00 प्रतिशत है एवं महिलाओं का 8.50 प्रतिशत है, जो पुरुषों की अपेक्षा काफी कम है। इससे ज्ञात होता है कि महिलाओं की अभिवृत्ति इस सन्दर्भ में पुरुषों की अपेक्षा सकारात्मक है।

- क्या एक महिला का बलात्कार उसके पति द्वारा किया जा सकता है? के सन्दर्भ में 41.50 प्रतिशत पुरुष का मानना है कि पति अपनी पत्नी का बलात्कार नहीं कर सकता है एवं 59.00 प्रतिशत महिलाएं मानती हैं कि पति द्वारा पत्नी का बलात्कार किया जा सकता है। इस बलात्कार मिथक के संबंध में विवाह संबंधी संस्कार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि विवाह में माना जाता है कि विवाह में यौन संबंध हेतु सहमति सम्मिलित होती ही है इसलिए जीवनसाथी द्वारा किये गए बलात्कार को बलात्कार के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

- एक महिला अगर रात को अकेले बाहर जाती है तो वह स्वयं को बलात्कार होने की स्थिति में डालती है ? के सन्दर्भ में 42.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिला अगर रात को अकेले बाहर जाती है तो वह स्वयं को बलात्कार होने की स्थिति में डालती है और 48.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं कहा। 52.50 प्रतिशत पुरुषों का मानना है यदि महिलाएं देर रात को बाहर निकलती हैं

तो उनके साथ बलात्कार होने की संभावनाए बढ़ जाती है। जबकि 32.50 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि देर रात बाहर निकलने के कारण स्वयं को बलात्कार होने की स्थिति में डालती है परन्तु महिलाओं की अभिवृत्ति पुरुषों की तुलना में अधिक सकारात्मक है।

बलात्कार पीड़िता के प्रति 400 नगरीय समाज के लोगों की अभिवृत्ति को अलग अलग आयामों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। मिश्रित सारणी के अंतर्गत उत्तरदाताओं की आयुवार, शैक्षिक स्थितिवार, उत्तरदाता की आर्थिक स्थितिवार परिस्थिति एवं उत्तरदाता के जीविकोपार्जन के आधार पर पीड़िता के प्रति उनके अभिवृत्ति में किस प्रकार का अंतर होता है, को जानने का प्रयास किया गया है। मिश्रित सारणी से प्राप्त निष्कर्ष –

6. 6.4 पीड़िता पर दोषारोपण अभिवृत्ति के मापन में प्राप्त परिणाम :

- बलात्कार पीड़िता का पूर्व यौन संबंध होने एवं घटना की रिपोर्ट कराने के सन्दर्भ में 18–25 आयु वर्ग के 47.30 प्रतिशत, 26–30 आयु वर्ग में 75.70 प्रतिशत, 31–35 आयुवर्ग के 74.80 प्रतिशत, 36–40 आयु वर्ग की 72.00 प्रतिशत एवं 40 से अधिक आयु वाले वर्ग में 48.80 प्रतिशत लोगों ने माना है कि जिन महिलाओं का पहले से ही यौन संबंध हो उन्हें बलात्कार की घटना की रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए।

- बलात्कार पीड़िता का पहले से यौन संबंध होने पर अशिक्षित वर्ग के 62.50 प्रतिशत, प्राथमिक स्तर तक शिक्षित 45.00 प्रतिशत, उच्च माध्यमिक 70.16 प्रतिशत, स्नातक 70.63 प्रतिशत, परास्नातक 63.90 प्रतिशत एवं अन्य शैक्षिक डिग्री धारको में 43.75 प्रतिशत ने माना कि यदि बलात्कार पीड़िता का पहले से यौन संबंध हो तो उन्हें रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए। सभी शैक्षिक स्तर पर उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति नकारात्मक प्राप्त हुई है।

- बलात्कार पीड़िता का पहले से ही यौन संबंध होने पर रिपोर्ट कराने के सन्दर्भ में बेरोजगार उत्तरदाताओं का प्रतिशत 63.16 प्रतिशत, सरकारी

कर्मचारी 70.00 प्रतिशत, गैर सरकारी 75.20 प्रतिशत, व्यावसायिक 76.32 प्रतिशत, विद्यार्थी 54.90 प्रतिशत, गृहणी 53.40 एवं अन्य जीविकोपार्जन में से 71.0 0 प्रतिशत ने माना कि यदि बलात्कार पीड़िता का पहले से ही यौन संबंध हो तो उसे घटना की रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए। सभी जीविकोपार्जन क्षेत्र से जुड़े लोगों की अभिवृत्ति नकारात्मक प्राप्त हुई है।

- बलात्कार पीड़िता का पहले से ही यौन संबंध होने पर रिपोर्ट कराने के सन्दर्भ में अति उच्च वर्ग में 50.00 प्रतिशत, उच्च वर्ग 56.86 प्रतिशत, मध्यम वर्ग 66.92 प्रतिशत एवं निम्न वर्ग का 74.10 प्रतिशत उत्तरदाताओ ने माना कि पीड़िता को पूर्व यौन संबंध होने पर रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए सभी वर्गों में नकारात्मक अभिवृत्ति है।

6. 6.5 बलात्कार पीड़िता के कम वांछनीय होने के सन्दर्भ में प्राप्त परिणाम

- बलात्कार पीड़िता के विवाह हेतु कम वांछनीय होने के सन्दर्भ में 18–25 आयु वर्ग के 54.05 प्रतिशत, 26–30 आयु वर्ग में 52.30 प्रतिशत, 31–35 आयुवर्ग के 49.50 प्रतिशत ने नकारात्मक प्रतिक्रया की, 36–40 आयु वर्ग के 50.70 प्रतिशत एवं 40 वर्ष से अधिक उत्तरदाताओं में 61.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार हमले के बाद बलात्कार पीड़िता विवाह हेतु कम वांछनीय हो जाती है, जो कि नकारात्मक अभिवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

- बलात्कार पीड़िता के विवाह हेतु कम वांछनीय होने के सन्दर्भ में अशिक्षित वर्ग के 37.50 प्रतिशत, हैं। प्राथमिक स्तर तक शिक्षित 70.00 प्रतिशत, उच्च माध्यमिक 47.60 प्रतिशत, स्नातक 54.38 प्रतिशत, परास्नातक 50.00 प्रतिशत एवं अन्य शैक्षिक डिग्री धारको में 68.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि बलात्कार पीड़िता बलात्कार के बाद विवाह हेतु कम वांछनीय हो जाती है। तुलनात्मक रूप से प्राथमिक स्तर तक शिक्षित उत्तरदाताओं में नकारात्मक अभिवृत्ति अधिक प्राप्त हुई है।

- बलात्कार पीड़िता के विवाह हेतु कम वांछनीय होने के सन्दर्भ में बेरोजगार वर्ग समूह में 63.16 प्रतिशत, सरकारी कर्मचारी 60.00 प्रतिशत, गैर सरकारी कर्मचारी 48.57 प्रतिशत, व्यवसायिक वर्ग से 55.30 प्रतिशत, विद्यार्थी वर्ग से 47.10 प्रतिशत, गृहणी उत्तरदाताओं में से 48.90 प्रतिशत एवं अन्य जीविकोपार्जन से संबंधित 64.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि बलात्कार हमले के बाद बलात्कार पीड़िता विवाह हेतु कम वांछनीय हो जाती है, जो कि नकारात्मक अभिवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

- बलात्कार पीड़िता के विवाह हेतु कम वांछनीय होने के सन्दर्भ में उच्च वर्ग में 62.50 प्रतिशत, उच्च वर्ग में 41.20 प्रतिशत, मध्यम वर्ग में 53.46 प्रतिशत एवं निम्न वर्ग में 55.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना है कि बलात्कार के हमले के बाद बलात्कार पीड़िता विवाह हेतु कम वांछनीय हो जाती है। बलात्कार पीड़िता को विवाह हेतु कम वांछनीय समझने की अभिवृत्ति नकारात्मक प्राप्त हुई हैं।

6. 6.6 बलात्कार पीड़िता के स्थानापन्न से संबंधित अभिवृत्ति मापन के परिणाम

- बलात्कार के हमले के बाद पीड़िता के निवास स्थान के बदलने के सन्दर्भ में 18–25 आयु वर्ग में 95.90 प्रतिशत, 26–30 आयु वर्ग में 91.60 प्रतिशत, 31–35 आयु वर्ग में 92.20 प्रतिशत, 36–40 आयु वर्ग में 92.00 प्रतिशत, 40 से अधिक आयु वर्ग में 87.80 प्रतिशत लोगों ने माना है कि बलात्कार हमले के बाद बलात्कार पीड़िता को अपना निवास स्थान नहीं बदलना चाहिए। निवास स्थान बदलने के सन्दर्भ में सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है।

- बलात्कार पीड़िता के निवास स्थान बदलने के सन्दर्भ में अशिक्षित वर्ग में 87.50 प्रतिशत, शिक्षित वर्ग में 55.00 प्रतिशत, उच्च माध्यमिक वर्ग में 90.30 प्रतिशत, स्नातक वर्ग में 98.75 प्रतिशत, परास्नातक वर्ग में 93.10 प्रतिशत एवं अन्य डिग्री धारक वर्ग में 87.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि बलात्कार पीड़िता को

बलात्कार हमले के बाद अपना निवास स्थान नहीं बदलना चाहिए। निवास स्थान बदलने के सन्दर्भ में सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है।

➢ बलात्कार पीड़िता के निवास स्थान बदलने के सन्दर्भ में बेरोजगार वर्ग में 84.20 प्रतिशत, सरकारी कर्मचारी वर्ग में 93.30 प्रतिशत, गैर सरकारी कर्मचारी वर्ग में 96.20 प्रतिशत, व्यावसायिक वर्ग में 93.40 प्रतिशत, गृहणी वर्ग में 89.80 प्रतिशत, विद्यार्थी वर्ग में 96.10 प्रतिशत एवं अन्य निम्न जीविकोपार्जन वर्ग में 80.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना है कि बलात्कार हमले के बाद बलात्कार पीड़िता को अपना निवास स्थान नहीं बदलना चाहिए। निवास स्थान बदलने के सन्दर्भ में सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है।

➢ बलात्कार पीड़िता के निवास स्थान के बदले जाने के सन्दर्भ में जिसमें अति उच्च वर्ग में 62.50 प्रतिशत, उच्च वर्ग वर्ग में 86.30 प्रतिशत, मध्यम वर्ग में 94.60 प्रतिशत, निम्न वर्ग में 91.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना कि बलात्कार पीड़िता को निवास स्थान नहीं बदलना चाहिए। सभी आर्थिक वर्गों से जुड़े उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति सकारात्मक है।

नोटः परन्तु बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का लिंगवार परिणाम सामान्य परिणाम से भिन्न है। महिला एवं पुरुषों की अभिवृत्ति की तुलना करने पर पता चलता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अभिवृत्ति नकारात्मक है। पीड़िता पर चाहे दोषारोपण करने का व्यवहार हो, बलात्कार मिथकों की स्वीकृति हो, बलात्कार पीड़िता का कम वांछित समझना के सन्दर्भ में पुरुषों की अभिवृत्ति महिलाओं की अपेक्षा अधिक नकारात्मक है।

6.7 बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने हेतु नीति में उपयोगी सुझाव

हमने अपने शोध में पाया कि बलात्कार पीड़िता को स्वयं के प्रति सकारात्मक बोध के पुनर्निर्माण हेतु अपने आस पास के लोगों के सहयोग एवं सहानुभूति की आवश्यकता होती है। बलात्कार पीड़िता महिलाओं के प्रति

नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत पीड़िता के आस पास का पूरा समाज शामिल होता है। इन्हें हम चार स्तरों में बाँट कर देख सकते हैं। प्रस्तुत शोध में हम चारों स्तरों पर पीड़िता के प्रति जो नकारात्मक अभिवृत्ति व्याप्त है उसे कम करने हेतु कुछ उपाय एवं सुझाव के संबंध में चर्चा करेंगे जो भविष्य में पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

प्राथमिक स्तर : पर पीड़िता का परिवार, नातेदार, पड़ोस, दोस्त और पीड़िता के वैवाहिक संबंधों से जुड़े संबंध शामिल होते हैं।

द्वितीयक स्तर : पर पीड़िता के न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग मसलन पुलिस, चिकित्सीय परिक्षण से जुड़े लोग. मनोचिकित्सक, वकील और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े न्यायाधीश।

तृतीयक स्तर : पर सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थान जो पीड़िता के पुनर्वास एवं विधिक सहायता प्रदान कराने का प्रयास करते हैं। और

चतुर्थ स्तर : पर स्वयं पीड़िता की भी अभिवृत्ति अपने प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति की भावना विकसित कर लेती है।

प्रस्तुत शोध में हम चारों स्तरों पर पीड़िता के प्रति जो नकारात्मक अभिवृत्ति व्याप्त है उसे कम करने हेतु कुछ उपाय एवं सुझाव के संबंध में चर्चा करेंगे, जो भविष्य में पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

6.7.1 प्राथमिक स्तर (परिवार, पड़ोस, नातेदार, मित्र, जीवनसाथी)

- पीड़िता को प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों के सहानुभूति एवं सहयोग की आवश्यकता होती है, अतः बलात्कार हो जाने की स्थिति में परिवार को चाहिए कि पीड़िता को बलात्कार के लिए दोष देने के बजाय पीड़िता के प्रति अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को अपनायें।

- परिवार द्वारा पीड़िता से घटना के संबंध में सहनुभूति पूर्वक बात करके, एफ० आई० आर० कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि परिवार द्वारा एफ० आई० आर० नहीं कराया जाता है तो पीड़िता चिकित्सीय, मनोचिकित्सीय सुविधा के साथ साथ न्यायिक सुविधा एवं न्याय से भी वंचित हो जाती है और अपराधियों को अपराध करने की प्रेरणा भी मिलती है।

- कई शोधों में यह पाया गया है कि परिवार को बलात्कार की खबर मिलने पर परिवार के सदस्यों द्वारा पीड़िता को बुरी तरह मारा पीटा जाता है। इस तरह के व्यवहार से पीड़िता को परिवार की तरफ से अत्यधिक नकारात्मकता का अनुभव होता है, जिस कारण पीड़िता आहत होकर आत्महत्या तक कर लेती है। अतः परिवार को इस तरह के व्यवहार से बचना चाहिए।

- बलात्कार हमले के बाद पीड़िता को अत्यधिक मानसिक एवं शारीरिक आघात पहुंचता है, जिसके कारण पीड़िता का व्यवहार असामान्य एवं अनियन्त्रित हो जाता है। परिवार के सदस्यों को इस स्थिति में अत्यधिक संयम एवं नियंत्रित व्यवहार करना चाहिए। और पीड़िता को चिकित्सीय जांच के लिए ले जाना चाहिए, साथ ही साथ मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। इस व्यवहार से पीड़िता को परिवार की तरफ से सकारात्मक अभिवृत्ति की अनुभूति होगी और पीड़िता सुरक्षित महसूस करेगी एवं पीड़िता में अपराध बोध की भावना नहीं पनपेगी।

- पीड़िता के प्रति आस पड़ोस, नातेदारों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि पीड़िता के प्रति हुए अपराध से पीड़िता को उबारने में सहयोग प्रदान करें। इसके लिए आस पड़ोस के लोगों को पीड़िता से बातचीत करना बंद नहीं करना चाहिए और न ही अपने बच्चों को पीड़िता के साथ खेलने अथवा मिलने से रोकना चाहिए।

- अक्सर बलात्कार का शिकार होने पर पीड़िता का या तो विवाह होने में समस्या होती है, विवाह टूट जाता है और यदि पीड़िता विवाहित होती है तो

पति एवं ससुराल पक्ष की तरफ से प्रताड़ित की जाने लगती है, यह सब व्यवहार बलात्कार मिथकों के प्रभाव के कारण होता है। इसमें सरकार द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे बलात्कार मिथकों के प्रति जागरुकता संबधी कार्यक्रम चलायें। छोटे छोटे गुटों का निर्माण करें जो गांव, कस्बों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बलात्कार पीड़िता के प्रति व्याप्त नकारात्मक अभिवृत्ति एवं मिथकों को दूर करने के लिए नाटकों का मंचन करें।

पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति एवं बलात्कार मिथक घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इनका निर्माण समाजीकरण एवं समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक मूल्यों के कारण होता है। अतः इस अवस्था से लिंगात्मक असमानता संबंधी मूल्यों को बालक अथवा बालिकाओं में स्थापित नहीं होने देना चाहिए। इसमें परिवार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

6.7.2 द्वितीयक स्तर :(पुलिस, चिकित्सीय परिक्षण से जुड़े लोग, मनोचिकित्सक, वकील और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े न्यायाधीश)

इस स्तर पर पीड़िता को सर्वाधिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पुलिस, फोरेंसिक जांच, मनोचिकित्सक, वकील एवं न्यायाधीश सभी लोग पीड़िता के लिए अपरिचित होते हैं। बलात्कार के हमले के बाद शर्म एवं ग्लानि के कारण अपनी पीड़ा एवं बात कहने में अत्यधिक संकोच और शर्म का अनुभव करती हैं और यहीं पीड़िता को सर्वाधिक लम्बी लड़ाई लड़नी होती है एवं धेर्य की जरूरत होती है। इस स्तर पर पीड़िता को नकारात्मक अभिवृत्ति का अनुभव होने पर पीड़िता अपना धेर्य खो सकती है और अपने प्रयास पर पूर्णविराम लगा सकती है। अतः इस स्तर पर नकारात्मक अभिवृत्ति को कम करना सबसे ज्यादा जरूरी है।

- न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस का कार्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है, पुलिस अधिकारियों को पीड़िता को बलात्कार के लिए दोषी ठहराने के बजाय बलात्कार की घटना की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करनी चाहिए।

- पुलिस विभागों में महिला अधिकारियों की संख्या अत्यधिक कम है, अतः सरकार द्वारा बलात्कार पीड़ित महिलाओं के केस के रिपोर्ट हेतु प्रत्येक थाने में प्रशिक्षित महिला अधिकारियों/कांस्टेबल का प्रबंधन करना चाहिए।

- अक्सर देखा गया है कि पुलिस द्वारा बलात्कार संबंधित केस को असंवेदनशील तरीके से हल किया जाता है। इस में सुधार हेतु विभागवार छमाही अथवा वार्षिक तौर पर पुलिस कर्मियों को बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति सहानुभूति एवं संवेदनशीलता विकसित करने के कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है।

- अस्पतालों या बलात्कार संकट केंद्रों और गैर सरकारी संस्थाओं में भी अपातकालीन विभाग होने चाहिए जहां (प्रशिक्षित चिकित्सक एवं नर्स हों, जिन्हें बलात्कार पीड़िता से व्यवहार करने एवं उन्हें सांत्वना देने में कुशलता प्राप्त हो) को तैनात किया जाना चाहिए ताकि पीड़िता बिना डरे एवं पुलिस थाने जाए बिना अपराध की रिपोर्ट करा सकें।

- महिला पुलिस अधिकारियों के समान ही न्यायालयों में भी महिला न्यायाधीशों की अल्पता है, साथ में यह भी देखा गया है कि वकील से लेकर उच्च पदों पर आसीन न्यायाधीशों में बलात्कार मिथकों की स्वीकार्यता होती है। जिसके कारण पीड़िता के प्रति नकारात्मक व्यवहार करते हैं साथ ही साथ न्यायिक फैसले भी इन नकारात्मक अभिवृत्ति से प्रभावित होकर किये जाते हैं। अतः इस संबंध में न्यायाधीशों को भी जागरुक करने की आवश्यकता है।

- हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पीड़िता की गवाही अकेले आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है (द हिंदू 2006), इसलिए जागरुक करने के साथ ही बलात्कार संबंधी मामलों की सुनवाई के दौरान भी विपक्ष के वकील द्वारा किये गए कपड़ों ,चरित्र एवं पूर्व यौन संबंधों पर अनावाश्यक चर्चा करने पर एवं पीड़िता को बलात्कार के लिए उकसाने संबंधी बलात्कार मिथकों को आधार न बनाया जाए।

- बलात्कार पीड़िता कि फोरेंसिक जाँच के लिए महिला चिकित्सक की व्यवस्था की जानी चाहिये। यदि ऐसा करना संभव न हो तो फोरेंसिक जांच के दौरान वहाँ एक महिला का मौजूद रहना सुनिश्चित किया जाय।

- वास्तव में, भारत में एक प्रभावी राष्ट्रव्यापी (पी० ई० आर० एस०) की स्थापना के लिए पेशेवर प्रशिक्षित कर्मियों (महिला अधिकार वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, यौन उत्पीड़न नर्स, मनोचिकित्सक, मेडिको–कानूनी विशेषज्ञ, प्रशिक्षित पुलिसकर्मी, आदि) के नेटवर्क का अभाव है। अतः इन सबका आवश्यकता के अनुरूप इनका विकास एवं आयोजन किया जाना चाहिए।

6.7.3 तृतीयक स्तर : (सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थान)

बलात्कार पीड़िता के पुनर्वास एवं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के सुधार हेतु जो भारतीय सरकारी संस्थाएं हैं उनकी खस्ता हालत एवं अव्यवस्था के संबंध में आये दिन खबरें आती रहती हैं और गैर सरकारी संस्थाएं इच्छा शक्ति होने के बावजूद भी फण्ड एवं सरकारी सहायता के अभाव में सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं।

एन० सी० आर० बी० (2016) के रिकॉर्ड के अनुसार भारत में प्रतिदिन 106 महिलायें बलात्कृत होती हैं। एन०सी० आर० बी० के इन आंकड़ों को मोटे तौर पर देखा जाए तो प्रतिवर्ष भारत में 38,690 महिलाएं बलात्कृत हो जाती हैं। इतनी बड़ी संख्या में बलात्कार पीड़िताओं को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मात्र कुछ सरकारी संस्थाओं के माध्यम से नहीं पहुंचाया जा सकता है। अतः सरकार को पीड़ितों के लिए एक पेशेवर हेल्पलाइन नेटवर्क की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। दिल्ली में महिला हेल्पलाइन जो 31 दिसंबर 2012 निर्भया बलात्कार की घटना के बाद बनाया गया, यहाँ प्रतिदिन लगभग 1800 कॉल प्राप्त की जाती हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह एक सफल योजना हो सकती है (कुमार 2013)।

- पीड़िता की देख भाल करने वाले पेशे से जुड़े लोगों को सशक्त बनाना अति आवश्यक है। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि पीड़िता की शारीरिक, मानसिक जांच करने से लेकर उनकी चिकित्सीय जांच एवं दवाइयों की सुविधा देने में घोर लापरवाही बरती जाती है। जिसके कारण पीड़िता को अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। अच्छी सुविधा एवं देखभाल के अभाव में पीड़िता का पुनर्वास बाधित होता है साथ ही उसकी अभिवृत्ति भी नकारात्मक होती जाती है।

- केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सहायता केद्र में रह रही बलात्कार पीड़िताओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ पीड़िताओं की देख रेख करने वाले कर्मचारियों को भी उचित प्रशिक्षण एवं पीड़िता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने का प्रशिक्षण देने के बाद ही नियुक्ति की जाए ताकि पीड़िता के प्रति उनकी अभिवृत्ति भी सकारात्मक हो।

- पीड़िता की देखभाल में शामिल सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में पेशेवर क्षमता बढ़ाने और बलात्कार के बाद के प्रोटोकॉल/प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाये बिना, भारत में बलात्कार पीड़िता के साथ सहानुभूति नहीं रखा जा सकता है और न ही उनका इलाज किया जा सकता है। इन्हीं के विकास से पीड़िता की विश्वसनीयता को साबित कर पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को कम किया जा सकता है।

6.7.4 चतुर्थ स्तर : बलात्कार पीड़िता की स्वयं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति

जब पीड़िता को बलात्कार के बाद लगातार नकारात्मक अभिवृत्ति का सामना करना पड़ता है तो पीड़िता की भी अभिवृत्ति स्वयं के प्रति नकारात्मक हो जाती है। इस स्थिति में पीड़िता गंभीर अवसाद की शिकार हो जाती है एवं अपराधबोध के कारण आत्महत्या तक भी कर लेती है। अतः समाज, परिवार, पड़ोस, मित्रों, पुलिस, न्यायाधीशों की नकारात्मक अभिवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ पीड़िता की भी अभिवृत्ति में बदलाव लाना आवश्यक हो जाता है।

- भारत सरकार को यौन अपराधियों को दण्डित करने के साथ साथ पीड़िता को सार्थक जीवन को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए अधिक मानवीय संसाधनों एवं सुविधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि पीड़िता के आत्मविश्वास में विकास हो और वह स्वयं को समाज में पुनः प्रस्थापित कर पाए।

- भारत सरकार को बलात्कार पीड़िताओं हेतु फोरेंसिक नर्सों/ परीक्षकों की तैनाती को अनिवार्य करना चाहिए।

- फोरेंसिक और बलात्कार–संकट की सुविधाओं में निवेश करना चाहिए और सबूत संग्रह और पीड़ित परामर्श की सुविधा के लिए पेशेवरों को संवेदनशील बनाना चाहिए। ताकि पीड़िता उनसे बात करने में असहजता का अनुभव न करे एवं अपनी समस्याओं पर खुल कर चर्चा कर पाए। पीड़िता के साथ जितनी संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाएगा पीड़िता का स्वयं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का स्तर भी कम होता जाएगा।

- भारत एवं राज्य सरकारों के सहायता केन्द्रों के माध्यम से समय समय पर बलात्कार पीड़िता हेतु व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए, जिससे पीड़िता में बलात्कार के आघात का स्तर कम किया जा सके एवं सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित हो सके।

- सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम से बलात्कार पीड़िताओं को कौशल विकास कार्यक्रमों में संलग्न कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। रोजगार प्राप्त होने से पीड़िता में नई ऊर्जा का संचार होगा एवं सकारात्मक अभिवृत्ति का भी विकास होगा।

- बलात्कार के हमले के बाद कई बालिकाओं द्वारा शिक्षा बीच में ही छोड़ दिया जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को पीड़िता के परिवार को सहयोग एवं सहायता प्रदान कर जागरुक करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Reference

1. Ahuja, Ram.,(1987).Violence against Woman, Rawat Publicatio,Jaipur,pp20-38.
2. Albarancin, D, B. Johnson, M.Zanner, and G.Kumkale. (2005). Attitudes: Introduction and Scope in D. (eds) the Handbook Of Attitudes. London: Lawrence Eelbaum Associates.
3. Anderson, V. N., et al. (2004). "Gender, age, and rape-supportive rules." Sex Roles 50(1-2): 77-90.
4. Bajpai, G.S. (2006). Psycho-Social Consequences of Victimization in Rape. International Perspectives in Victimology, 2(1), 67-81.
5. Banyard, K. (1010). The Equality Illusion: The Truth about Women and Men Today. London: Faber and Faber.
6. Bell, S. T., et al. (1994), Understanding Attributions of Blame in Stranger Rape Date Rape Situations-An Examination Of Gender, Race Identification ,And Students Social Percepctions of Rape Victims, Journal of Applied Social Psychology 24(19): 1719-1734.
7. Bohner, G., Eyssel, F., Pina, A., Siebler, F., & Viki, G.T. (2009). Rape myth acceptance: Cognitive, affective and behavioural effects of beliefs that blame the Victim and Exonerate the Perpetrator. In M. Horvath & J. Brown (Eds.), Rape: Challenging Contemporary Thinking. Cullompton: Willan, pp. 17-45.
8. Brownmiller, S. (1975). Against our will: men, women and rape. New York: Fawcett Columbine.
9. Buchwald, E. (2005). Transforming A Rape Culture. Minneapolis: Milkwee Editions.
10. Burt. M. (1980). Cultural Myths and Support for Rape. Journal of Personality and Social Psychology, 38, 217-230.
11. Butalia, Urvashi (1998), the other Side of Silence: Voices from the Partition of India, Viking, New Delhi.
12. Chill, Anna J., (2001), Rethinking Rape, Cornell University press, Ithaca.

13. Crime in India, (2014). National Crime Record Bureau, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
14. Dworki, Andrea (1976), Our Blood: Prophecies and Discourses on Sexual Politics, Perigee Books, New York.
15. Dube, Dipa (2008), Rape Laws in India, Lexis Nexis Butterworths (A Division of Reed Elsevier India Pvt Ltd), New Delhi.
16. Ensign, J.D. (1996). "Victim blame found in women: A comparison of sex role stereotyping and acceptance of rape myths as it relates to blaming behavior. " Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering 57 (2-B): 1499
17. Ellis, L. (1989). Theories of Rape: Inquires into the Cause of Sexual Aggression. Washington, DC: Hemisphere.
18. Fairstein, L. (2012). Sexual Violence or War against Rape. London: Hachette Digital.
19. Fredrik, I (2012). Rape Stereotypes And Myths And There Physico – Legal Consequence, Sex Roles, vol- 61, pg 589-91.
20. Gray, N.B. et al. (1993). "Explaining Rape Victim Blame- a Tst of Attreibution theory." Sociological Spectrum 13(4): 377-392.
21. Griffin, Susan (1971), Rape: The All American Crime,[https://www.unz.org/pub/Ramparts-sep-00026].
22. Guha,Sarabni and Ghoshal,Guha(2009)Socio-Political Dimensions of RapeThe Indian Journal of Political Science, Vol. 70, No. 1 (JAN. - MAR., 2009), pp. 107-120.
23. Harding, k. (2015). Asking For it The Alarming Rise of Rape Culture and What We Can Do Aout It. USA: Dacapo Press.
24. Harrison, P.J., et al. (1991). Date and Acquaintance Rape: Perceptions and Attitude Change Strategies. Journal of college Student Development. 32 (2): 131-139.
25. Hayes. S, R.M., L.M levett. (2010). Student Pereceptions of Sexual Assault Resourecs and Prevalence of Rape Myths Attitudes: "Feminist Criminology, 5 (4): 335-354.
26. Herman, J., L (1992), Trauma and Recovery, http://unityandstruggle.org/wp-content/uploads/2016/04/Herman_Trauma-and-Recovery.pdf.

27. Henderson, M.S. (1994). University Students' Views On Sexual Assault Prevention Education in The Pensylvania State System of Higher Education" College Student Journal, 28(4): 478-485.
28. Hernandez, G.S., et al. (2004). Validation of the Violence Acceptance Scale and Rape Myths in Univesity Students "Salud Mental, 27 (6): 40-46.
29. Heppner, M.J., et al. (1995). "Examining sex differences in alterning attitudes about rape: A test of the Elaboration Likelihood Model." Journal of Counseling & Development 73 (6): 640-647.
30. Hernandez, G.S. et al. (2004). "Validation of the violence acceptance scale and rape myths in university students. "Salud Mental 27(6):40-49
31. Hetu, Vibha (2014), Reflections on the Society's Reaction towards Rape Victims in Delhi City, Žrtve seksualnog nasilja http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-6637/2014/1450-66371403003H.pdf (online access).
32. Hinck, S.S. and R.W. Thomas (1999). "Rape Myth acceptance in college students: How far have we come?" Sex Roles 40 (9-10): 815-832
33. Horeck, Tanya (2004), Public Rape, Routledge, New York.
34. Hull, D.B., et al. (1992). "How to avoid date rape: College students' perceptions. "Chrisler, Joan c [Ed]:188-199.
35. Igel, Fredrik (2009), Rape stereotypes and myths and their phyco-legal consiqunses, sex roll, voll-61 pageno 589-91.
36. Jewkes R., Sen P., & García-Moreno C. (2002). Sexual Violence. Geneva: World Health Organization.
37. Jewekes, R., Penn-Kekana, l., Rose- Junius, H. (2005). If They Rape Me, I Can't Blame Them|| : Reflections on Gender in the Social Context of Child Rape in South Africa and Namibia. Social Science & Medicine 61: 1809-1820.
38. J.H. Bogart, 'On the Nature of Rape', Public Affairs Quarterly, Vol. 5, 2, April 1991, pp. 117- 136, references to pp. 118-20.
39. Jonna, R.A., J.G. (2010). Cited bohner, Forensic Psychology: Concept debates and Practice. New York: Willan Publications.
40. Krishann, Kaviata. (2014) Against Rape Culture, www.Debateonline. 29-11-2015.

41. Kohsin Wang, S. & Rowley, E. (2007). Rape: How Women, The Community and the Health Sector Respond. World Health Organisation/ Sexsual Violence Research Initiative.
42. Kopper, B.A. (1996), Gender, Gender Identity, Rape Myth Acceptance, and Time of Initial Resistance on the Perception of Acquaintance Rape Blame and Avoidability. Sex Roles, 34, 8193.
43. Longsway, K.A., D Filzerald, L.F. (1994). Rape myths: in Review Psyeology of women Quarterly, 18, 134-164
44. MacKinnon, Catherine A., (1989), Toward a Feminist Theory of the State, Harvard University Press, Cambridge.
45. Mason, G.E., Riger, S., & Foley, L.A. (2004). The Impact of Past Sexual Experiences on Attributions of Responsibility for Rape. Journal of Interpersonal Violence, 19, 1157-1171.
46. Millett,Kate(2000),Sexual Politics, University of Illinois Press,Urbana.
47. Misra, A. (2008). Rape: A psychological Analysis. Journal of Psychosocial Research, 3(2),215-224.
48. Nagel, B., Hisako M., Kevin P. Mclntyre and Nancy M. (2005), Attitudes Toward Victims of Rape: Effects of Gender, Race, Religion, and Social Class, Interpers Violence, 20(6): 725-373
49. Paglia, Camille (1992), Sex Art and American Culture, Vintage Books, New York.
50. Puniyan, Ram (2013), India's Rape Culture: Urban Verses Rural[http://www.countercurrents.org/puniyani170113.htm.
51. Raphael, J.D. (2013). Rape is Rape: How Denial , Distortion and Victim Blaming Are Fueling a Hidden Acquaints Rape Crisis, Lawrence Hill Books, Chicago(1989),Justice and Gender:Sex Discrimination and The Law,Harv.
52. Rhode, Deborah (1989), Justice and Gender: Sex Discrimination and the Law, Harvard University Press, Cambridge.
53. Shrivastava, J. (2016).Mapping the trends of rapes in Punjab snd Haryana. Paripex-Indian Journal of Research, Vol, 5, Issue 5, ISSN-2250-199.
54. Shochor, M., & Idris, Y. (2006). Rape Myths and Social Distance towards Sex Offenders and Victims among Therapist and Students, Sex Roles, vol 54, pag 651-58.

55. Sleath, E., & Bull, R. (2010). Male Rape Victim and Perpetrator Blaming. Journal of Interpersonal Violence, 25, 969-988.
56. Saah, sneha (2014), Rape: An Analysis of Youth Attitude's, International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2014, Vol 1, No.5, 69 – 72, http://www.ijims.com, (online access).
57. Suarez, E., & Gadalla, T.M. (2010). Stop Blaming the Victim: A Meta-Analysis on Rape Myths. Journal of Interpersonal Violence, 25, 2010-2035.
58. Suri, Sushma and Sanjeeda (2013), An Analytical Study of Rape in Delhi, International Journal of Education and Psychological Research (IJEPR), Vol. 2, Issue 3, August, pp: 60-68.
59. Stahlberg, D., Freg.D. (1996). Attitudes: Structure Measurement and Functons in Hewstone, M., Stroebe, W. and Stepheson. Cabridge: Blackwell Pblisher.
60. Unnithan, Prabha, N (2013), Crime and Justice in India, Sage Publications India Pvt Ltd, New Delhi, pp269.
61. Vashistha, Sarita (2012), Crime Agaist Women, K.K.Publication, New Delhi, pp147-206.
62. Venkitakrishnan, Usha and Kurien, S.G. (2003), Rape Victims in Kerala,, KeralaResearch Programme on Local Level Development, Centere for Development Studies,Thiruvananthapuram,pp73-94.
63. Veeraraghavan, Vimala (1987), Rape and Victims of Rape, New Delhi: Northern Book Center.
64. Ward, C.A. (1995). Attitudes toward Rape: Feminist and Psychological Perspectives. London: Sage Publications.
65. Ward, C.A. (1988). The Attitudes towards Rape Victims Scale Psychology of Women Quarterly, 12,127-146. (Online access).
66. https://www.academia.edu/14901031/_A_Womans_Body_Is_Like_a_Foreign_Country_Thinking_About_National_and_Bodily_Sovereignty_
67. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.debateonline.in/wp-content/uploads/2013/04/Germaine-Greer-on-Rape.pdf&hl=en_US
68. https://feminisminindia.com/2018/04/25/summary-second-wave-of-feminism/#:~:text=The%20Second%20Wave%20of%20feminism%20is%20usually%20demarcated%20from%20the,of%20the%20Second%20World%20War.&text=38%20percent%20of%20American%20women,as%20teachers%2C%20nurses%20or%20secretaries.

69. Abbey, A., Jacques-Tiura, A. J., & LeBreton, J. M. (2011). Risk factorsfor sexual aggression in young men: An expansion of the confluencemodel. Aggressive Behavior, 37, 450–464.
70. Ahuja, R. and Mukesh, A. (1998). Vivechnaatmk apradhshastr.New Delhi: Rawat Publications.
71. Albarancin, D, B. Johnson, M.Zanner, and G.Kumkale. (2005) Attitudes: Introduction and Scope in D. (Eds) the Handbook Of Attitudes. London: Lawrence Eelbaum Associates.
72. Allison, J and Wrightman, L.S. (1993). Rape: The misunderstood crime. California: Sage.
73. Amir, M. (1971). Patterns of forcible rape. Chicago, IL. University of
74. Chicago.
75. Anteghini M; et al. (2001). "Health risk behaviours and associated risk and protective factors among Brazilian adolescents in Santos, Brazil". Journal of Adolescent Health. **28** (4): 295–302.
76. Bartle, EE. (2000). "Lesbians and Hate Crimes". Journal of Poverty (pdf). **4** (4): 23–44.Citeseerx 10.1.1.196.9177.
77. Barnett, N.J. and Field, H.S.(1977).Sex differences in university students' attitudes towards rape. Journal of college student personal 18, 93-6.
78. Bergner, Jeffrey T. (2008). Country Reports on Human Rights Practices for 2008: Vols. I and II: Joint Committee Print, U. S. House of Representatives and U. S. Senate. DIANE Publishing. pp. 2297–2304.
79. Bevacqua, M. (2000). Rape on the public agenda: Feminism and the Politics of sexual assault. Boston, MA: Northeastern University Press.
80. Bryden, D. P., & Grier, M. M. (2011). The search for rapists' ''real'' Motives. The Journal of Criminal Law & Criminology, 101, 171–278.
81. Branscombe, Nyla; Wohl, Michael; Owen, Susan; Allison, Julie; N'gbala, Ahogni. (2003). "Counterfactual Thinking, Blame Assignment, and Well-Being in Rape Victims". Basic & Applied Social Psychology. **25** (4): 265–273.
82. Brownmiller, S.(1975).Against Our Will: Men, Women and Rape. Toronto: Bantam Books.
83. Burt, Martha R. (February 1980). "Cultural myths and supports for rape".Journal of Personality and Social Psychology. American Psychological Association.38 (2): 217-230. Doi: 10.1037/0022-3514.38.2.2017.
84. Burt. M.R and Estep, R.E. (1977) .Who is a Victim: Definitional Problems in Sexual Victimization. Paper Presented at the Society for the Study of Social Problems Annual Meeting, Chicago.

85. Burgess, G.H. (2007). Assessment of Rape-Supportive Attitudes and Beliefs in College Men: Development, Reliability, and Validity of the Rape Attitudes andBeliefs Scale. Journal of Interpersonal Violence, 22, 973-993.
86. Cahill, A. J. (2001). Rethinking rape. Ithaca, NY: Cornell University Press. ,nitsirhC(1997)troper emirc ecilop egdirbmaA.Courtois.(1988) Healing the incest wound: Adult survivors in therapy. Norton Professional Books.
87. Clark, L., and Lewis, D.(1977) Rape: The Price of Coercive Sexuality. Toronto: Women's Press.
88. Collett, BJ; Cordle, CJ; Stewart, CR; Jagger, C (1998). "A comparative study of women with chronic pelvic pain, chronic nonpelvic pain and those with no history of pain attending general practitioners". British Journal of Obstetrics and Gynaecology.Wiley. 105 (1):87-92.
89. Dallert, C. (2000). Beliefs in a just world questionnaire. In J. Maltby, C.A. Lewis & A. Hill (Eds.), Commissioned reviews of 250 psychological tests (pp. 461465). Lampeter, Wales: Edwin Mellen Press.
90. Deborah L. Rhode, Deborah L Rhode,(2009)Justice and Gender: Sex Discrimination and the Law, Harvard University Press, Washington, D.C.
91. Dinwiddie, S and M.P Dunne.(2000) Early sexual abuse and lifetime psychopathology: A co-twin-control study. Psychological medicine 30:41-52.
92. Donat, P. L. N., & D'Emilio, J. (1992). A feminist redefinition of rape and sexual assault: Historical foundations and change. Journal of Social Issues, 48, 9–22.
93. Dworkin, A.(1976) Our Blood: Prophecies and Discourses on Sexual Politics. New York: Perigee Books.
94. Ellis,L.,(1889)Theories of rape: Inquiries into the causes of sexual aggression. New York: Hemisphere.
95. Fihlani, P (2011-06-29). "South Africa's lesbians fear 'corrective rape'". BBC News. Retrieved 2012-04-16.
96. Frese, B., Moya, M.; Megius, J. L. (2004). "Social Perception of Rape: How Rape Myth Acceptance Modulates the Influence of Situational Factors". Journal-of-Interpersonal-Violence. **19** (2): 143–161.
97. Furnham, A. (2003). Belief in a just world: research progress over the past decade. Personality and Individual Differences; 34: 795–817.
98. Griffin, S. (1971) Rape: The all-American Crime. Ramparts September, 26-35.
99. Herman, D. (1989) The Rape Culture. In J. Freeman(ed), Women: A Feminist Perspective (pp.20-44). Mountain View, CA: Hayfield Publishing.Herma, Judith, M.D.(1992).Trauma and Recovery.New York: Basic Books.
100. Keith Burgess-Jackson,(1999). A Most Detestable Crime: New Philosophical Essays on Rape, Oxford University Press, Oxford, New York.
101. Knight, R. A. (1999). Validation of a typology for rapists. Journal of Interpersonal Violence 14, 303–330.
102. Koss, M. P. (1985). The hidden rape victim: Personality, attitudinal,

103. and situational characteristics. Psychology of Women Quarterly, 9, 193–212.
104. Koss, M.P., Gidycz, C.A. and wisniewski, N.(1987)The scope of rape: incidence and prevalence of sexual aggression and victimization in a national sample of students in higher education. Journal of consulting and clinical psychology 55,162-70.
105. Lisak, D., & Miller, P. M. (2002). Repeat rape and multiple offending Among undetected rapists. Violence and Victims, 17, 73–83.
106. Lerner, Melvin J. (1980). The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion. Perspectives in Social Psychology. New York: Plenum Press.
107. Lottes,I.L.(1991)Belief systems: sexuality and rape. Journal of psychology and human sexuality 4, 37-59.
108. Lonsway, K.A.,Fitzgerald,L.F.(2011)."RapeMyths:In review " Psychology of women Quartrly. 18: 133-164.doi: 10.1111/j.1471-6402.1994.tb00448.
109. Mathur, Kanchan. (2004). Countering Gender Violence: Initiatives towards Collective Action in Rajasthan. SAGE Publications. pp. 60–61.
110. Mathur, Kanchan (2004). Countering Gender Violence: Initiatives towards Collective Action in Rajasthan. SAGE Publications. pp. 60–61. .
111. Marshall, W. L., & Barbaree, H. E. (1990). An integrated theory of theaetiology of sexual offending. In W. L. Marshall, D. R. Laws, & H.E. Barbaree (Eds.), Handbook of sexual assault: Issues, theories, andtreatment of the offender (pp. 257–275).NewYork, NY: PlenumPress.
112. Malamuth, N. M. (1981). Rape proclivity among males. Journal of Social Issues, 37, 138–157.
113. MacKinnon, C. A .(1989) Toward a Feminist Theory of the state .Cambridge Harvard University Press.
114. Manhart, M. A., & Rush, F. (1974). New York radical feminists manifesto. In N. Connell & C. Wilson (Eds.), Rape: The first sourcebook.McGuire, W.J.(1985) Attitudes and Attitudes Change. in G. Lindzey and E. Aronson(eds), Handbook of Social Psychology: Vol.2. Special Fields and Applications. (3rd edn,pp.233-346). New York: Random House.
115. Medea, C. and Thompson, K. (1974) Against Rape: A Survival Manual for Women. New York: Farrar, Straus,& Giroux.
116. Mehrhof, B.and Kearon, P.(1973). Rape: An act of terror. In A. Koedt, E. Levine and A. Rapone (eds), Radical Feminism (pp.228-33). New York: Quadrangle Books.
117. Mieses, A.(2009). Gender inequality inequality and corrective rape of women who have sex with women (pdf) GMHC Treatment issues: asylumlaw.org.Millett, K. (1969) Sexual Politics. London: Abacus.
118. Nawal, E.I Saadawi.(1980).The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World. London: Zed Books.

119. Payne, D., Lonsway, K., & Fitzgerald, L. (1999). Rape Myth Acceptance: Exploration of Its Structure and Its Measurement Using the Illinois Rape Myth Acceptance Scale. Journal of Research and Personality, 33, 27-68.
120. Ram, A.(1998). Violence against women. New Delhi: Rawat Publication.
Rose, V.M.(1977). Rape as a Social Problem: A byproduct of the feminist movement. Social Problems 25, 75-89.
121. Russell, D. E. (1975) .The Politics of Rape: The Victim's Perspective. New York: Stein & Day.
122. Ryan, W.(1976). Blaming the Victim. New York: Random House.
123. Sanday, P.R.,(1981). The Socio-cultural context of rape. Journal of Social Issues 37, 5-27.
124. Saks, M.J. and Krupat, E. (1988).Social Psychology Its Applications. New York: Harper & Row.
125. Saulnier, C. F. (1996). Feminist theories in social work: Approaches and applications. New York, NY: The Haworth Press.
126. Scully, D. & Marolla, J. (1984). Convicted Rapists'Vocabulary of Motive: Excuses and Justifications. Social Problems, 31, 530-544.
127. Sleath, E.,& Bull, R. (2010). Male rape victim and perpetrator blaming. Journal of Interpersonal Violence, 25, 969-988.
128. Stahlberg, D., Freg.D. (1996). Attitudes: Structure Measurement and Functons in Hewstone, M., Stroebe, W. and Stepheson. Cabridge: Blackwell Pblisher.
129. Thornhill, R., & Palmer, C. T. (2000). A natural history of rape: Biological bases of sexual coercion. Cambridge, MA: MIT Press.
130. Violence against Women: Worldwide Statistics Available at.
131. Warshaw, R. (1988). I never called it rape: The Ms. Report on recognizing, fighting, and surviving date and acquaintance rape. New York, NY: Ms Foundation, Lazin Books, & Harper and Row.
132. Ward, C.A. (1995). Attitudes toward Rape: Feminist and Psychological Perspectives. London: Sage Publications.
133. Wiederman, MW; Sansone, RA; Sansone, LA. (1998)."History of trauma and attempted suicide among women in a primary care setting". Violence and Victims. **13** (1): 3–9.
134. Wingood, G; DiClemente, R; Raj, A.,(2000). "Adverse consequences of intimate partner abuse among women in non-urban domestic violence selters". American Journal of Preventive Medicine. **19** (4): 270–275.
135. Yuzpe, A. Albert; Smith, R. Percival and Rademaker, Alfred W. (April 1982). "A Multicenter Clinical Investigation employing ethinyl estradiol combined with dl-norgestrel as a Postcoital Contraceptive agent". Fertility and Sterility. **37**(4): 508–13.
136. Zajonc, R.B. (1968). Attitudinal effects of mere exposure. Journal of Personality and Social Psychology Monograph Supplement 9,2-27.

137. Zillah R. Eisenstein.(1988). The Female Body and the Law. USA: University of California Press.

138. http://www.amenesty.org.nz.

139. moc.ygrenys-llewkcalb.www//:ptth

140. http://www.amarujala.com

141. http:// www.moc.semitaidnI

142. http://www.edition.cnn.com

143. https://www.guttmacher.org.

144. Htpp://www.rainn.org/college rape.

145. http://www.brown.uk.com/domesticviolence/dobash.pdf.

146. http://www.kcsarc.org/sites/default/files/Resources%-20 20%Rape%20Trauma%20Syndrome.pdf.

147. http://www.kcsarc.org.

148. http://www. navbharattimes.indiatimes.com.

149. https://www.healthyplace.com/abuse/rape/effects-of-rape-psychological- and-physical-effects-of-rape.

150. http://www.kcsarc.org/sites/default/files/Resources%-20 20%Rape%20Trauma%20Syndrome.pdf.

151. Abelson, R.P.,(1972)Are attitudes necessary ? In B.T .King an and E. McGinnies (Eds), Attitudes: Conflict and social change. Academic press, New York.

152. Albarancin, D, B. Johnson, M.Zanner, and G.Kumkale. (2005).And Men Today. London: Faber and Faber.

153. Black, James A. and Dean J .Champion (1976).Methods and issues in social research, John wiley, New Yourk.Blackwell Pblisher.

154. Bogardu, E. S., (1953). Sociology, MacGraw- Hill, New York.

155. Bohner, G., (1998). Writing about rape: user of the passive voice and other distancing text features as an expression of perceived responsibility of the victim. British journal of social psychology.

156. Brownmiller, Susan. (1975). Against Our Will: Men, Women and Rape. New York: Fawcett Columbine.

157. Burns, Rbert B., (2000).Introduction to research methods (4^{th} ed.), sage publications, London.

158. Burns, Robert B., (2000).Introduction to research methods, Sage publications, London.

159. Campbell, R., Wasco, S., Ahrens, C., Self, T., & Barnes, H. (2001). Preventing the "second rape": Rape survivors' experiences with community service providers. Journal of Interpersonal Violence, 16, 1239–1259.
160. Goode, W., Hatt, P.K.,(1952).Methods in social research,MacGraw-Hill,New York.
    a. In Hewstone, M., Stroebe,W. and Stepheson. Cabridge:
161. Kerlinger, Fred N., (1964).Foundation of behavioral research, Holt, Rinehart and Winston Inc., New York.
162. Krosnick, J.A, Judd, C.M., & Witten brink, B.(2005).Attitude measurement. In D.Albarancin, D, B. Johnson, M.Zanner, and G.Kumkale. (2005). Attitudes: Introduction and Scope in D. (Eds) the Handbook Of Attitudes. London: Lawrence Eelbaum Associates.
163. Longsway, K.A., D Filzerald, L.F. (1994). Rape myths: in Review
    Manheim, Henry L., (1977).Sociological research: Philosophy and research, the Dorsey press, Illinois.
164. Moser, C.A (1991).Survey method in social investigation, Himen, London.
165. Moser, C.A and Katton, G.,(1991). Survey methods in social investigation, Parten,Psychology of Women Quarterly, 12,127-146.
166. Psyeology of women Quarterly, 18, 134-164Sarantakos, S., (1998). Social research (2nd ed.), Macmillan press, London..
167. Singleton, Royce and Bruce C.(1989). Approaches to social research (3rd Ed.)Oxford University press, New York.
168. Singleton, Royce and Bruce C. (1999). Approaches to social research (3rd ed.)Oxford University press, New York.
169. Stahlberg, D., Freg.D. (1996). Attitudes: Structure Measurement and
    Theodorson, G.A., Theodorson, A.G.,(1969).Modern dictionary of sociology. Ty Crowell Company, New York.
170. Ward, C.A., (1988). The Attitudes Towards Rape Victims Scale.
171. Zikmund, William,(1988). Business research methods, The Dryden press Chicago.
172. https://ncrb.gov.in/crime-india-year-2015
173. https://ncrb.gov.in/hi/crime%20in%20India-2016
174. https://ncrb.gov.in/sites/default/files/Crime%20in%20India%202017%20-%20Volume%201_0.pdf

175. https://lucknow.nic.in/
176. RAIN https://www.rainn.org/sites/default/files/8_Out_of_10_Rapes_3.jpg
177. https://ncrb.gov.in/hi/node/2167**(2018).**
178. https://www.rainn.org/
179. Ahuja,R.(1989).Crime against women.The University of Michigan.Rawat publication,ISBN:817033022X,9788170330226.
180. Attitudinal and sexual correlates. Paper Presented at the meeting of the American Psychological association, Los Angeles.
181. Bandura, A. (1967). Behavioral psychotherapy. Scientific American 216, 78-86.
182. Bandura, A. (1978). Social learning theory of aggression. Journal of Communication, 28, 12-29.
183. Beneke, T.(1982).Men on rape. St Martin's Press. Oakland California, ISBN: 031259503, 9780312529505.
184. Bourgois P (1996). "In search of masculinity: violence, respect and sexuality among Puerto Rican crack dealers in East Harlem". British Journal of Criminology.36 (3), (412–427).
185. Briere, J., Malamuth, N., & Ceniti. J. (1981). Self assessed rape proclivity.
186. Brown C (2012). Rape as a weapon of war in the Democratic Republic of the Congo. Torture. 22 (1): 24–37.PMID-23086003.
187. Brownmille, Susan (1975). Against Our Will: Men, Women and Rape. New York: Fawcett Columbine.
188. Burt, M. R. (1977).Who is victim: Definitional problems in sexual victimization. Paper presented at the society for the study of social problems annual meeting, Chicago.
189. Burt, M.R.(1980). Cultural and supports for rape. Journal of personality and social pcychology,38,217-230.
190. Clark, L and Lewis, D. (1977). Rape: The Price of Coercive Sexuality. Toronto: The Women's Press.
191. Coy, Maddy. Kelly, Liz; Horvath, Miranda A.H. (2012). "Troubling notions of male entitlement: men consuming, boasting and confessing about paying for sex", in Coy, Maddy, Prostitution,harm and gender inequality: theory, research and policy, Farnham, Surrey, England Burlington, Vermont: Ashgate, pp. 121–140, ISBN 9781409405450.

192. Deutsch, H. (1944).The Psychology of women: Vol. I. Girlhood. New York: Bantam Books.

193. Dworkin, A. (1985).Against the male flood: Censorship, pornography, and equality. Harvard Women’s Law Journal, 8, 1-29.

194. Dworkin, A. (1989). Pornography: Men possessing women, E.P. Dutton, New York.

195. Greer, Germaine (1995). "Call rape by another name". The Guardian, p. 20.

196. Groth, N. (1979). Men who rape. Plenum, New York.

197. Hadidi M, Kulwicki A, Jahshan H (2001)."A review of 16 cases of honors killings in Jordan in 1995". International Journal of Legal Medicine. 114 (6): 357–359.

198. Heise L, Moore K, Toubia N.(1995) Sexual coercion and women's reproductive health: a focus on research. Routledge Curzon: New York.

199. Hite,S. (1981). The hite report on male sexuality. New York: Knopf.

200. https://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/rapeweaponwar.aspx

201. https://www.psychologytoday.com/us/blog/busting-myths-about-human-nature//201407the-real-reason-sexual-violence-is-so-widespread

202. Huesman, L. R. & Malamuth, N.M.(1986). Media violence and antisocial behavior: An overview. Journal of social Issues, 42,1-6.

203. Jewkes R, Abrahams N (2002). "The epidemiology of rape and sexual coercion in South Africa: an overview". Social Science & Medicine.55 (7): 1231–44.

204. Lana E. Stermac,Gill .(1971). Incidence of nonsexual violence in incest offenders: International journal of offender therapy and comparative criminology, ISSN: 0306-0306-624X.

205. Mackinnon, C. (1984). Not a moral issue. Yale law and Policy Review,2,321-345.

206. Madr, et al. (2011) Our Bodies Are Still Trembling: Haitian Women Continue to Fight Against Rape Archived 2011-08-15 at the Way back Machine.

207. Madre, et al. (2011). **Gender-Based Violence Against Haitian Women & Girls in Internal Displacement Camps**; Submitted to the 12th Session of the Universal Periodic Review.

208. Malamuth, N.M. (1983). Factors associated with rape as predictors of laboratory aggression against women. Journal of personality and social psychology,432-442.

209. Malamuth,N. M.(1986).Prediction of naturalistic sexual aggression.Journal personality and social Psychology, 50,953-962.

210. Martin, N.G., (1977).Molecular genetics: Applications to the clinical neuros ciences. Science,238,765-772.

211. McDonald M, ed.(1994). Gender, drink and drugs. Berg Publishers, Oxford.

212. Medea, C. and Thompson, K. (1947). Against Rape: A survival manual for women New York: Farrar, Straus, & Giroux.

213. Morrell R, ed. (2001).Changing men in Southern Africa. Pietermaritzburg, University of Natal Press.

214. Mulvihil, M. M. Tumin, (eds.), (1969).Crimes of violence. Washington, DC: U.S. Social Problems 22(February): pp. 332-345.

215. Nelson, H., & Jurmain, R.(1982. Introduction to physical anthropology.(2nded.).St .Paul, MN: West.

216. Quinsey, V.L. (1986). Men who have sex with children. In D.N. Weisstub (Ed.), Law and mental health: International perspective (Vol.2, pp.140-172), New York: Pergamon Press.

217. Russell, D.E. (1975).The politics of rape: The Victim's perspective. New York: Stein & Day.

218. Russell, D.E.(1982).Rape in marriage. New York: Macmillan.

219. Russell, D.E.(1984). Sexual exploitation. Beverly Hills, CA: Sage.

220. Sanday, P.(1981).The socio-cultural context of rape. Journal of Social Issues, 37,5-27.

221. Schwendinger,J., & Schwendinger, H.(1982).Rape, the law, and private property. Crime and Delinquency, 15, 270-291.

222. Scully, D. & Marolla,J.(1984).Convicted rapists vocabulary of motives: Excuses and justifications. Social problems,31,530-544.

223. Sen P. (1999).Ending the presumption of consent: nonconsensual sex in marriage. London, Centre for Health and Gender Equity

224. Shrivastava, J. (2016).Gender discrimination and inequality in contemporary India: Dimensions and voices of protests. Kalpaz Publications (Gyan Books Pvt.Ltd) New Dellhi.

225. War on Women-Time for action to end sexual violence in conflict".(2011). Nobel Women's initiative, May

226. Wolfgang, E. Ferracut, F.(1967). The subculture of violence: Towards an integrated theory in criminology.Sage Publications. New York

227. Wood, K. Maepa J, Jewkes R. (1997). Adolescent sex and contraceptive experiences: perspectives of teenagers and clinic nurses in the Northern Province. Pretoria, Medical Research Council.

228. Anteghini M; et al. (2001)"Health risk behaviors and associated risk and protective factors among Brazilian adolescents in Santos, Brazil". Journal of Adolescent Health.**28** (4): 295–302. Doi:10.1016/S1054-139X(00)00197-X.PMID 11287247.

229. Davidson JR; et al. (June 1996). "The association of sexual assault and attempted suicide within the community". Archives of General Psychiatry. **53** (6): 550–555. doi:10.1001/archpsyc.1996.01830060096013. PMID 8639039.

230. Frazier, Patricia A.; Mortensen, Heather; Steward, Jason (2005). "Coping Strategies as Mediators of the Relations among Perceived Control and Distress in Sexual Assault Survivors". Journal of Counseling Psychology. **52** (3): 267–278. Doi:10.1037/0022-0167.52.3.267.

231. Tangney, J., Dearing, R.L. (2002).Shame and Guil, Guilford Press, ISBN 1-57230-987-3.

232. Ahuja, M. (1996). Widows: Role adjustment and violence, New Age Publications, Delhi.

233. https://genius.com/Melissa-harris-perry-an-open-letter-about-rape-to-richard-mourdock-annotated

234. Brison, S .J.,(2003). Aftermath: violence and the Remaking of a self, Princeton University Press.

235. Venable, N.J. (1999).After silence: Rape and my journey back. Broadway Books. New York.

236. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2155389.

237. Engle, N., Med, J. (1990).Sexually transmitted diseases in victims of rape. Mar 15; 322(11):713-6. DOI:10.1056/NEJM199003153221101.

238. Vashistha, S.(2012).Crime against women. K.K. Publications. New Delhi

239. O'Toole, Laura L., ed. (1997). Gender violence: interdisciplinary perspectives. New York [u.a.]: New York Univ. Press. p. 235. ISBN 978-0814780411.

240. Yuzpe, A. Albert; Smith, R. Percival and Rademaker, Alfred W. (April 1982). "A Multicenter Clinical Investigation Employing ethinyl estradiol combined

with dl-norgestrel as a Postcoital Contraceptive agent". Fertility and Sterility. **37**

241. https://www.everydayhealth.com/sexual-health/hypoactive-sexual-desire-disorder.aspx
242. https://www.healthyplace.com/abuse/rape/effects-of-rape-psychological-and-physical-effects-of-rape)
243. Herman, J.L.(1992).Trauma and recovery. NY: Basic Books, New York.
244. Burgess, A. & Lynda, H. (1983) the victims of rape: Institutional reactions. Transaction publishers. New York.
245. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=103215
246. http://www.wcd.nic.in/sites/default/files/Final VC Sheme_0.pdf
247. https://pradhanmantri-yogana.in/one-stop-centre-scheme-in-hindi/
248. http://mpsdc.gov.in/osc/
249. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.grcgujarat.org/pdf/l-t/d6-Government-Support-Services-for-women-victims-of-violence.pdf.
250. https://www.thequint.com/news/india/india-rape-data-106-rapes-per-day-4-in-10-victims-minors
251. https://www.prsindia.org/uploads/media/Justice%20verma%20committee/js%20verma%20committe%20report.pdf
252. Ahuja ,R.(1987).Crime against women, Rawat Publications: Jaipur.
253. Ahuja ,M. (1996).widows, New Age Publications, Delhi.
254. Brodsky, S. L. (1976).Sexual assault: Perspective on prevention and assailants. In M. Walker and S. L. Brodsky (eds), Sexual Assault: The victim and the Rapist(pp.1-7). Lexington, MA: Lexington Books.
255. Brownmiller, S,(1975) Against our will: Men, women and rape. New York.
256. Bowlby, B.(1988).Journal of social Issues, Vol,44, No.3.
257. Burt, M. R.(1980).Cultural myths and supports for rape. Journal of personality and social Psychology,38, 217-30.
258. Daane, D. M. (2005). The ripple effects: Secondary sexual assault survivors.
259. In F.P. Reddington & B. W. Kreisel (Eds) Sexual assault: The victims, the perpetrators and the criminal justice system.
260. Grubb, Amy & Turner, Emily. (2012). "Attribution of blame in rape cases: A review of the impact of rape myth acceptance, gender role conformity and substance use on victim blaming" Aggression and Violent Behavior 17 (5) 443-452.
261. Griffin, S .(1971).Rape: The all American crime. Ramparts September, 26-35.

262. George L., Winfeld I., Blazer D.)1992.(Sociocultural factors in sexual assault: Comparison of two representative samples of women. Journal of Social Issues.;48:105–125.
263. Figley, C. & Kleber, R. (1995) Beyond the “victim”: Secondary traumatic stress. In R. J. Kleber, D., Figley, C & Gersons, B. (Eds). Beyond trauma: Cultural and societal dynamics. New York: Plenum.
264. Hamilton, M. and Yee, J. (1990). Rape knowledge and propensity. Journal of Research in Personality 24, 111-22.
265. Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Retaliation. New York: Wiley.
266. Jones, C. and Aronson, E. (1973). Attribution of fault to a rape victm as a function of respectability of the victim. Journal of Personality and social psychology 26, 415-19.
267. Kelley, H. H. (1973)The process of casual attribution. American Psychologist 28, 107-28.
268. Kanekar, S. and Kolsawala, M. B(1980). Responsibility of a rape victim in relation to her respectability, attractiveness and provocativeness. Journal of social psychology 112, 153-4.
269. Lievore, D. (2005). No longer silent: A study of women’s help-seekingdecisions and service responses to sexual assault: A reportprepared by the Australian Institute of Criminology for theAustralian Government’s Office for Women, Canberra: AustralianGovernment Department of Families, Community Services andIndigenous Affairs, Office for Women.
270. Mitchell, D.(1979) A new diction nary of sociology. Rutledge & Kegan Paul: London.
271. Rosenblatt,. wright.(1988).Grief: The social context of private feelings, Journal of social Issues,Vol,44(3):68-69.
272. Shaver, K.G.(1970). Defensive Attribution: Effects of severity and relevance of responsibility assigned for an accident. Journal of personality and social psychology, 14, 101-13.
273. Sirnate, Vasundhara (1 February 2014). "Good laws, bad implementation". The Hindu. Chennai, India. Retrieved 1 February 2014.
274. S, Rukmini (2014-07-29). "The many shades of rape cases in Delhi". The Hindu. ISSN 0971-751X. Retrieved 2017-09-26.
275. http://www.startribune.com/how-alcohol-foils-rape-investigations-in-minnesota-denied-justice-part-three/488413421/
276. https://www.healthyplace.com/abuse/rape/marital-rape-spousal-rape

277. https://thewire.in/gender/indian-law-denies-marital-rape-exists-5-4-married-indians-claim-victims
278. "Why don't women report rape? Because most get no justice when they do". Global News. Retrieved 3 November2017.
279. http://sciencenordic.com/judgemental-families-hinder-rape-survivors-seeking-help.
280. Campbell, R., Am, J.(1998). The community response to rape: victims' experiences with the legal, medical, and mental health systems. Community Psychol. Jun; 26(3):355-79.
281. Madigan L., Gamble N. (1991).The second rape: Society's continued betrayal of the victim. New York: Lexington Books.
282. Martin P., Powell R. (1994).Accounting for the “second assault”: Legal organizations framing of rape victims. Law and Social Inquiry; 19:853–890.
283. Williams J. (1984).Secondary victimization: Confronting public attitudes about rape. Victim logy. ; 9:66–81.
284. http://www.bbc.com/hindi/india-39299355.
285. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1705531/.
286. http://www.sansarlochan.in/bhartiya-samvidhan-ki-prastavana-preamble-hindi/
287. http://ncrb.nic.in/.
288. https://aifs.gov.au/sites/default/files/zm.pdf.
289. https://in.reuters.com/article/india-delhi-gang-rape-women-safety-polic/analysis-how-indias-police-and-judiciary-fail-rape-victims-idINDEE90F0AY20130116
290. https://aifs.gov.au/sites/default/files/zm.pdf
291. https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/india0910webwcover.pdf(A)https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/med_leg_guidelines/en/
292. http://mpsdc.gov.in/osc/
293. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=103215
294. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.grcgujarat.org/pdf/l-t/d-6Government-Support-Services-for-women-victims-of-violence.pdf
295. http://www.wcd.nic.in/sites/default/files/Final VC Sheme_0.pdf
296. https://pradhanmantri-yogana.in/one-stop-centre-scheme-in-hindi/
297. https://www.thequint.com/news/india/india-rape-data-106-rapes-per-day-4-in-10-victims-minors

हिन्दी पुस्तकों की सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहूजा,राम (2015),सामाजिक अनुसंधान,रावत पब्लिकेशन्स,नयी दिल्ली। आईएसबीएन 978–8170338994।
2. आहूजा, आर. मुकेश,ए.(1998),विवेचनात्मक अपराधशास्त्र. रावत पब्लिकेशन,नई दिल्ली। आईएसबीएन 8170334527।
3. .अरोड़ा, सुधा (2009), आम औरत और ज़िंदा सवाल, सामाजिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 स० 6। आईएसबीएन 8171381529।
4. आर्या, अनीता (2012), नारी–विमर्श : बलात्कार–चित्कार : मुज़रिम फ़रार, 'मालती' अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी ई–शोध पत्रिका, वर्ष–1, अंक–2, जुलाई–दिसम्बर, पृ0 स० 16–19।
5. ओल्फमैन, शारना (2009), बचपन का लैंगिकरण, ABC-CLIO, पी, 9।
6. अब्दुल शरर, गुलिश्ता, लखनऊ, पृष्ट 71।
7. कृष्णन, कविता (2014), 'बलात्कार संस्कृति' के विरुद्ध, http%//www.debateonline.in) में उपलब्ध, पृ0 स० 29–11–2015।
8. कवितेन्द्र, इन्दु (2012), हम एक रेप कल्चर में जी रहे हैं। (http%//www-debateonline-in/291212) पर उपलब्ध सामाग्रीं।
9. जिनेवा,विश्व स्वास्थ्य संगठन, (1997) (दस्तावेज WHO / FRH / WHD / 97. 8)।
10. जैन, अरविन्द (2015),बचपन से बलात्कार यौन हिंसाःमानसिकता और कानून,राजकमल प्रकाशन प्रा.लि.,नयी दिल्ली,जनसुलभ संस्करण। आईएसबीएन – 9788126728855।
11. जोशी, धनेश कुमार एवं उमेश कुमार पाठक (2013), महिला हिंसा और मीडिया : एक आलोचनात्मक अध्ययन, 'मालती' अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी ई–शोध पत्रिका, वर्ष–2, अंक–1, जनवरी–जून, पृ0 39–42।
12. जैन, अरविन्द (2015),बचपन से बलात्कार यौन हिंसाःमानसिकता और कानून,राजकमल प्रकाशन प्रा.लि.,नयी दिल्ली,जनसुलभ संस्करण।

13. जैन, कमलेश(2008),बलात्कार होने परःपीड़िता के लिए कानून एवं मार्गदर्शन,राधाकृष्ण प्रकाशन प्राईवेट लिमटेड,नयी दिल्ली।

14. टाकभौरे, सुशीला (2007), स्त्री विरोधी पुरुषों की विकृत मानसिकता का खण्डन, युद्धरत आम आदमी, विशेषांक– स्त्री नैतिकता का तालिबानीकरण, पृ0 21–27।

15. ठाकुर, सुनीता (2013), बलात्कार और क़ानून, हम सबला, जनवरी–सितम्बर, पृ0 स० 23–24।

16. दत्ता, निलांजू (2013), हमारी बात (सम्पादकीय), हम सबला, जनवरी–सितम्बर।

17. नैमिशराय, मोहनदास (2010), दलित उत्पीड़न की परम्परा और वर्तमान, सामायिक प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 48.

18. पटेल, विभूति (2013), हिंसा व महिला सशक्तिकरण... हम सबला, जनवरी–सितम्बर, पृ0 3–5.

19. पार्टन, गुप्ता, शर्मा (1993). सामजिक अनुसंधान (शोध) एवं अभियोग्यता, साहित्य भवन पब्लिकेशन, मेरठ पृष्ट 193।

20. सिंह, सुरेन्द्र (1975),सामाजिक अनुसंधान (भाग–1), उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ।

21. सिंह, मीनाक्षी एन0 (2010) दुष्कर्म की शिकार औरतें, ओमेगा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली.

22. सूज़न, निशा (2013),बलात्कार के बाद का सफ़र, हम सबला, जनवरी–सितम्बर, पृ0 10–14।

23. वर्मा,रंजीता (2007),"बलात्कार और कानून",राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली (प्रथम संस्करण)।

24. फ्लिंटॉफ्ट,रेबेका (2001),जॉन निकोलेट्टीय सैली स्पेंसर–थॉमसय क्रिस्टोफर एम, बोलिंगर, संस्करण,कॉलेज जाने के लिए हिंसाः मार्गदर्शिका,चार्ल्स सी थॉमस, पी,134. आईएसबीएन 978–0398071912।

25. बेनर्जी,शारदा.(2017),बलात्कारः संस्कृति और स्त्रीवाद,अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली। आईएसबीएन –9788179757901।

26. इन्डियन मेट्रोलोजिकल विभाग, अमौसी, लखनऊ, 28 जून 2014।
27. भारत की जनगणना (2011), जनसंख्या के अनन्तिम आकंडे, श्रृंखला–10,जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश,पृष्ट 30।
28. यू0 पी0 डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लखनऊ,1932, पृष्ट 75।
29. लखनऊ विकास का दर्पण(2000), सुचना एवं जनसंम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, पृष्ट23।
30. वही, पृष्ट 53,60।
31. यू0 पी0 डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लखनऊ(1932), पृ0 75।
32. इण्डियन मेट्रोलोजिकल विभाग, अमौसी, लखनऊ, 28 जून 2014।
33. सिंह, निशांत (2010),"यौन उत्पीड़न और बलात्कार", राधा पब्लिकेशन,नई दिल्ली, हिंदी संस्करण।
34. मूर्ति, लक्ष्मी (2013), मथुरा से भंवरी तक, हम सबला, जनवरी–सितम्बर, पृ0 6–9.
35. .शर्मा, कल्पना (2013),समय है स्त्रीद्वेषी सोच से जूझने का, हम सबला, जनवरी–सितम्बर, पृ0 32–33।
36. शर्मा, जितेन्द्र (2013), यौन अनाचार (बलात्कार) की समस्या–गॉधीवादी समाधान, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थाट्स, वॉ0–71, इश्यू–12, दिसम्बर, पृ0 1–12।
37. सागोरकर, वर्षा एवं वर्मा, धनन्जय कुमार (2014), बलात्कार – क्यों और कब तक ??? इंटरनेशनल ह्यूमन रिसर्च जर्नल, वा0–2, इश्यू–2, अप्रैल–जून।

<u>साक्षात्कार अनुसूची</u>

वयैक्तिक विवरण

1. उत्तरदाता का नाम...

2. उत्तरदाता का लिंग

(कोड : (क). पुरुष ( ) (ख). महिला ( ) (ग) अन्य ( )

3. उत्तरदाता की आयु

(कोड : (क). 18 – 25 ( ) (ख). 2 – 30 ( ) (ग). 31 – 35 ( )

(घ). 36 – 40( ) (ड). 40 से अधिक( )

4. शैक्षिक योग्यता

कोड : (क). अशिक्षित ( ) (ख). बिना औपचारिक शिक्षा के शिक्षित ( ) (ग). पूर्वप्राथमिक ( ) (घ).प्राथमिक ( ) (ड). पूर्व माध्यमिक( ) (च). माध्यमिक ( ) (छ).हाई स्कूल ( ) (ज) हायर सेकेंड्री (इन्टर ( ) (झ). स्नातक ( ) (य) स्नातकोत्तर ( ) (प) अन्य हो तो बताएं ....

5. उत्तरदाता का निवास स्थान

(कोड : (क) गोमतीनगर ( ) (ख). जानकीपुरम ( )

(ग) आलमबाग ( ) (घ) अमीनाबाद ( )

6. व्यक्तिगत व्यवसाय

(कोड : (क). बेरोजगार ( ) (ख). सरकारी नौकरी ( ) (ग) गैर सरकारी नौकरी (घ). व्यापार ( ) (ड).विद्यार्थी ( ) (च). गृहणी ( ) (छ) अन्य हो तो बताएं ....

7. उत्तरदाता के परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि का स्तर

(कोड : (क).अति उच्च वर्ग ( ) (ख).उच्च वर्ग ( ) (ग). मध्यम वर्ग ( ) (घ). निम्न वर्ग ( ) (ड).अन्य हो तो बताएं ....

8.परिवार का स्वरुप

(कोड : (क). संयुक्त परिवार ( ) एकल परिवार (ख) (ग). विस्तृत परिवार ( )

(घ).अन्य हो तो बताएं ....

10. उत्तरदाता का धर्म

(कोडः (क). हिन्दू ( ) (ख). मुस्लिम ( )(ग) सिक्ख ( ) (घ) इसाई ( )

(च).अन्य बताएं ....

11. उत्तरदाता की जाति

(कोड : (क) सामान्य ( ) (ख) अनुसूचित जाति ( )

(ग) पिछड़ी जाति( ) (घ). अनुसूचित जनजाति ( )

(ड).अल्पसंख्यक ( ) (च).अन्य बताएं ....

12. उत्तरदाता की वैवाहिक स्थिति

(कोड : (क). विवाहित( ) (ख). अविवाहित ( ) (ग).तलाकशुदा ( ) (घ) विधुर/विधवा( ) (ड) अन्य बताएं ....

सामुदायिक स्तर पर पूछे गए प्रश्न:

1. क्या बलात्कार गम्भीर अपराध है ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )
(ड.) अन्य (बताएं ....

2. क्या महिला का बलात्कार उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा सकता है ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( ) (ड.) अन्य (बताएं ....

3. बलात्कार दोषी बलात्कार के लिए पूर्णतया दोषी नहीं होते बल्कि पीडिता भी जिम्मेदार होती है ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )
(ड.) कुछ मामलों में ( ) (ढ) अन्य (बताएं ....
..

4. क्या बलात्कार पीड़ित महिला समाज द्वारा विवाह हेतु सबसे कम वांछनिय(Less Desirable) होती है?

(क)हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )
(ड.) अन्य (बताएं ....

5. क्या बलात्कार पीड़ित महिला को सामाजिक सांस्कृतिक समारोंह में भाग लेना चाहिए ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( ) (ड.) अन्य (बताएं ....

6. क्या बलात्कार पीडिता को दोषी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( ) (ड.) अन्य (बताएं ....

7. क्या बलात्कार पीडिता को अपना निवास स्थान बदल लेना चाहिए ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( ) (ड.) अन्य (बताएं ....

8. क्या किसी कार्यरत महिला के बलात्कार हो जाने पर उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ङ.) अन्य (बताएं ....

9. क्या किसी बालिका का बलात्कार होने पर उसे स्कूल बदल लेना चाहिए ?

(क)हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ङ.) अन्य (बताएं ....

10. क्या बलात्कार पीड़िता अपने प्रति हुए बलात्कार के लिए उत्तरदायी होतीं हैं द्य

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( ) (ङ.) अन्य (बताएं ....

11. क्या बलात्कार दोषी मानसिक रूप से विकृत होते है ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( ) (ङ.) अन्य (बताएं ....

12. क्या बलात्कार का डर महिलाओं को बलात्कार से बचा सकता है ?

(क(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( ) (ङ.) अन्य (बताएं ....

13. जिन बलात्कार पीड़ित महिलाओं का पहले से ही यौन संबंध हो तो, क्या उन्हें बलात्कार की घटना की रिपोर्ट करना चाहिए ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( ) (ङ.) अन्य (बताएं ....

14. क्या बलात्कार मात्र निम्न तबको ? निम्न वर्गों तक ही सीमित है ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ङ.) अन्य (बताएं ....

15. क्या नशे में धुत औरत यौन सम्बन्ध के लिए तैयार रहती है ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ङ.) कुछ मामलों में( ) (ढ.) अन्य (बताएं ....

16. बलात्कार दोषी को किस प्रकार की सजा देनी चाहिए जाना चाहिए?
(क) कठोर सश्रम कारावास ( ) (ख) आजीवन कारावास( ) (ग) मृत्युदंड ( ) (घ) अर्थदंड ( ) (ड.)अंग भंग( ) (ढ.) अन्य (बताएं ....

17. क्या बलात्कार पीड़ित महिला को शर्म /आत्मग्लानी महसूस करना चाहिए
(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )
(ड.) अन्य बताएं ....

18. क्या बलात्कार पीड़ित महिला को पति / प्रेमी चुनने का अधिकार होना चाहिए ?
(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )
(ड.) अन्य (बताएं ....

19. यदि कोई महिला रोजमर्रा की जिंदगी में अपने प्रति किसी भी प्रकार के यौन छेड़ छाड का विरोध करती है तो क्या महिला के साथ बलात्कार होने की संभावना बढ़ जाती है ?
(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )
(ड.) अन्य (बताएं ....

20. क्या महिलायें अपने कपड़ो वा व्यवाहार से बलात्कार की घटना को आमंत्रण देती हैं?
(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )
(ड.) अन्य (बताएं ....

21. यदि किसी विवाहित महिला का बलात्कार होता है तो यह उसके पति के लिए शर्मनाक घटना है ?
(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )
(ड.) अन्य (बताएं ....

22. बलात्कार की घटनाएं महिलाओं को समाज में उनको उनकी जगह (सही औकात) पर रखने के लिए एक यन्त्र /उपकरण के रूप में काम करता है ?
(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )
(ड.) अन्य (बताएं ....

23. महिलाए पहले अपनी सहमती से यौन संम्बंध बनाती है बाद में इरादा बदल जाने पर बलात्कार का झूठा दावा करती है ?

(क (क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ड.) कुछ मामलों में ( ) (ढ) अन्य (बताएं ....

24. क्या बलात्कार की घटना की रिपोर्ट में विलम्ब करने से बलात्कार पीडिता की विश्वसनीयता को कम कर देता है ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ड.) अन्य (बताएं ....

25. अच्छी लड़कियों की तुलना में बुरी लड़कियों का बलात्कार होने की संम्भावना अधिक होती है ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ड.) अन्य (बताएं ....

26. क्या अधिकतर बलात्कार के आरोप झूठे होते हैं ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते

(ड.)अधिकतर मामलों में ( ) (ढ) अन्य (बताएं ....

27. यदि किसी अविवाहित महिला का बलात्कार होता है तो दोषी को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ड.) दोनों मामलों में बराबर दंड मिलना चाहिए ( ) (ढ.) अन्य (बताएं ....

28. क्या महिलाओं का पहनावा (छोटे कपड़े, तंग ब्लाउज,अधिक अंग प्रदर्शित करने वाले कपडे) बलात्कार को आमंत्रित करती है ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ड.) अन्य (बताएं ....

29. बलात्कार के लिए पुरुष नहीं बल्कि महिलाए ही जिम्मेदार होती है ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ड.) दोनों बराबर के दोषी होते हैं ( ) (ढ.) अन्य (बताएं ....

30. कयी महिलाये विवाह पूर्व गर्भवती होने पर बलात्कार की झूठी कहानियां बना लेती है?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते (

(ड.) कुछ मामलों में ( ) (ढ.)अन्य (बताएं ....

31. क्या बलात्कार पीडिता को शारीरिक आघात के साथ साथ मानसिक आघात भी पहुचता है ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ड.) अन्य (बताएं ....

32. क्या बलात्कार के मामलों में बलात्कार पीडिता के पुराने चाल चलन एवं चरित्र को जिम्मेदार मानना चाहिए ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ड.) अन्य (बताएं ....

33. क्या बलात्कार पीडिता के परिवार को बलात्कार के लिए शर्मिंदा होना चाहिए ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ड.) अन्य (बताएं ....

34. क्या बलात्कार पीडिता का विवाह किसी भी व्यक्ति(जैसे की विकलांग, विधुर , बुजुर्ग आदि से) करा देना चाहिए ?

((क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ड.) अन्य (बताएं ....

35. क्या बलात्कार पीडिता बलात्कार के प्रभाव को बढ़ा चढ़ा कर दर्शाती है ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ड.) अन्य (बताएं ....

36. क्या अदालत में बलात्कार के केश की सुनवाई के अंतर्गत महिला के कपड़ों और व्यवाहार करने के तरीके पर गौर करना चाहिए ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ड.) अन्य (बताएं ....

37. क्या बलात्कार से पीडिता को शारीरिक आघात के साथ साथ मानसिक आघात भी पहुचता है ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ड.) अन्य (बताएं ....

38. क्या एक महिला का बलात्कार उसके पति द्वारा किया जा सकता है ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ड.) अन्य (बताएं ....

39. क्या बलात्कार, बलात्कारियों को अपनी मर्दानगी दिखाने का अवसर प्रदान करता है ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ड.) अन्य (बताएं ....

40. एक महिला अगर रात को अकेले बाहर जाती है तो वह स्वंम को बलात्कार होने की स्तिथि में डालती है ?

(क) हाँ ( ) (ख) पता नहीं ( ) (ग) नहीं ( ) (घ) उत्तर नहीं देना चाहते ( )

(ड.) अन्य (बताएं ....

वैयक्तिक स्तर पर पूछे गये प्रश्नों की सूची

1. क्या अधिकतर बलात्कार पीड़ित महिलायें घटना की रिपोर्ट नहीं कराती हैं?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं...
2. क्या पीड़िता ने बलात्कार की सूचना तुरंत घरवालों को दी ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
3. पीड़िता ने बलात्कार की सूचना घर वालों को काफी दिनों बाद क्यूँ दी क्यूँ कि वह ?
(क) अत्यधिक डरी हुई थी (ख) उस पर दोषारोपण किया जाएगा
(ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
....
4. क्या पीड़िता स्वयं को बलात्कार के लिए दोषी मानती है ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहता (ड.) अन्य (बताएं ....
5. क्या पीड़िता बलात्कारी को पहले से जानती थी ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहता (ड.) अन्य (बताएं ....
6. क्या परिवार के सदस्य पीड़िता को परिवार के सम्मान को कम करने के लिए दोषी मानते हैं ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहता (ड.) अन्य (बताएं ....
7. क्या बलात्कार के बाद पीड़िता के आत्मविशवास में कमी आई है ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहता (ड.) अन्य (बताएं ....
8. बलात्कार पीड़िता को बलात्कार के उपरान्त किन किन समस्याओं से ग्रसित /जूझ रही हैं ?

1. आत्मसम्मान में कमी ( )
2. अवसाद ( )
3. पुरुषों से डर ( )
4. आत्मविशवास में कमी ( )
5. गंभीर सर दर्द ( )
6. चिंता ( )
7. अनियमित मासिक धर्म ( )

9. बलात्कार के उपरान्त बलात्कार पीड़िता मानसिक अघात से कितनी अवधी तक पीड़ित रही ?

1. कम समय तक ( )
2. मध्यम समय तक ( )
3. लम्बे समय तक ( )

10. क्या बलात्कार पीड़िता बलात्कार के उपरांत स्वयं को विवाह योग्य मानती है/स्वयं को पति के योग्य मानती है ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
11. बलात्कार के बाद क्या पीड़िता ने स्कूल/कॉलेज/कार्य स्थल पर जाना छोड़ दिया ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
12.क्या बलात्कार की घटना के बाद पीड़िता के प्रति परिवार का रवैया बदल गया?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
13. क्या परिवार के सदस्य पीड़िता को परिवार के सम्मान को कम करने का दोषी मानते है ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नही ंचाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
14. बलात्कार के उपरान्त क्या पीड़िता के लिए विवाह का कोई प्रस्ताव आया ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
16. स्कूल/कॉलेज अथवा कार्य स्थल पर पीड़िता के साथ कैसा व्यवहार किया गया सहानुभूतिपूर्ण/घृणास्पद?
(क) सहानुभूतिपूर्ण (ख) घृणास्पद (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य(बताएं ....
17.क्या पीड़िता के सहपाठी/सहकर्मी व्यंग अथवा फबतियां कसते थे/ है ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
18. क्या पीड़िता को परिवार वाले सार्वजनिक स्थलों जैसे सिनेमा,मंदिर अथवा पार्क में ले जाने का प्रयास किया गया ?

(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य
(बताएं ....

19. क्या पीड़िता पर परिवार ने किसी समाहरो में भागीदारी करने पर पाबन्दी लगाईं गयी ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य
(बताएं ....

20. बलात्कार के उपरांत पतिध्प्रेमी के व्यवहारमें क्या कोई परिवर्तन आया ?
(क) हाँ (ख) नहीं ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य
(बताएं ....

21. पीड़िता के प्रति पड़ोसियों वा रिश्तेदारों का व्यवहार कैसा था ?
(क) सहानुभूतिपूर्ण (ख) घृणास्पद (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य(बताएं ....

22. क्या परिवार के सदस्य पीड़िता को कभी चिकित्सक अथवा मनोचिकित्सक के पास ले कर गए ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य
(बताएं ....

23. क्या बलात्कार के बाद परिवार /पति मार पिटाई की घटनाएं हुई /बढ़ी गयी ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य
(बताएं ....

24. क्या पीड़िता रिपोर्ट कराने से पहले डरी हुयी थी की पीड़िता पर ही दोषारोपण किया जाएगा ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य
(बताएं ....

25. पुलिस कर्मियों का पीड़िता के प्रति व्यवहार कैसा था ?
(क) सहानुभूतिपूर्ण (ख) घृणास्पद (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य(बताएं.........................

26. क्या पीड़िता पर पुलिस द्वारा दोषी के साथ समझोता करने का प्रस्तवा /दबाव डाला गया ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य
(बताएं ....

27. पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज करने में क्या पुलिस कर्मियों द्वारा आना कानी की गयी ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य
(बताएं ....

28. पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए क्या पीडिता से रुपयों की मांग की गयी ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
29. बलात्कारकी घटना की पुष्टि हेतु शारीरिक जांच महिला चिकित्सक ने किया अथवा पुरुष चिकित्सक ने ?
(क) महिला चिकित्सक (ख) पुरुष चिकित्सक (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
30. शारीरिक जांच करते समय चिकित्सक का व्यवहार कैसा था ?
(क) सहानुभूतिपूर्ण (ख) असहानुभूतिपूर्ण (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती
(ड.) अन्य (बताएं ....
31. क्या पीड़िता न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक असहज थी ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं . ...
32. न्यायिक प्रक्रिया के दौरान वकील एवं न्यायाधीश का व्यवहार कैसा था ?
(क) सहानुभूतिपूर्ण (ख) असहानुभूतिपूर्ण (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती
(ड.) अन्य (बताएं ....
33. क्या पीड़िता को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पुनः मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
34. क्या पीड़िता बलात्कार की घटना के उपरान्त दैनिक कार्य अथवा पढ़ाई लिखाई सामान्य रूप से कर पाती है ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) आसानी से (घ) कठिनता पूर्वक
(ड.) अन्य (बताएं ....
35. क्या न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पीड़िता से घटना के दौरान पहने गये कपड़ो के संबंध में बार बार प्रश्न पूछे गये ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
36. क्या न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पीड़िता से घटनास्थल पर मौजूद होने के प्रयोजन के संबंधमें प्रश्न पूछागया ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....

37. क्या पीड़िता को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान घटनास्थल पर अकेले जाने के कारण बलात्कार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
38. क्या पीड़िता से उसके दोस्तों से सामाजिक दूरी बना ली गयी ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
39. क्या पीड़िता के मित्रों के परिवार ने दूरी बनाने का दबाव डाला था ?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
40. क्या पीड़िता के साथ उसके आस पड़ोस के लोग पहले जैसा व्यवहार करते है?
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
41. घटना के कितने वर्ष हो चुके हैं ?क्या पीड़िता घटना से उबर पायी है ?
(क) घटना के वर्ष......... (ख) हाँ (ग) नहीं (घ) पता नहीं (ड.) अन्य (बताएं ....

पारिवारिक स्तर पर पूछे गये प्रश्नों की सूची

1. क्या परिवार पीड़िता के वजाह से शर्मिंदगी महसूस करता है ?
   (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहता
   (ड.) अन्य (बताएं ....
2. क्या परिवार पीड़िता को बलात्कार के लिए दोषी मानता है ?
   (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहता (ड.) अन्य
   (बताएं ....
3. क्य बलात्कार की घटना की रिपोर्ट कराने से पहले रिश्तेदारों ने रिपोर्ट ना कराने की सलाह दी गयी थी ?
   (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहता (ड.) अन्य
   (बताएं ....
4. बलात्कार की घटना के बाद क्या सामाजिक समारोह में परिवार को निमंत्रण दिया गाया ?
   (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहता (ड.) अन्य
   (बताएं ....
5. क्या बलात्कार की घटना के बाद पूरा परिवार अवसाद ग्रसित है रहा ?

   (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहता (ड.) अन्य
   (बताएं ....
6. क्या बलात्कार की घटना से परिवार की सामाजिक परिस्थिति में कमी आयी है ?

   (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहता (ड.) अन्य
   (बताएं ....
7. बलात्कार की घटना के बाद क्या नातेदारों का व्यवहार सहयोगात्मक रहा ?

   (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहता (ड.) अन्य
   (बताएं ....

8. क्या बलात्कार की घटना के बाद समाज का व्यवहार सम्मानजनक रहा ?
   (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहता (ड.) अन्य
   (बताएं ....
9. पड़ोसियों का व्यवहार परिवार के प्रति क्या सहयोगात्मक था ?
   (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहता (ड.) अन्य
   (बताएं ....

10. क्या परिवार पीड़िता को किसी सामाजिक सांस्कृतिक समारोह में ले जाना पसंद करते है?
    (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहता (ड.) अन्य (बताएं ....
11. क्या बलात्कार की घटना के बाद रिश्तेदारों ने घर बदलने का दबाव डाला अथवा सुझाव दिया ?
    (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहता (ड.) अन्य (बताएं ....
12. बलत्कार की घटना के बाद परिवार के किसी सदस्य को बलात्कार संबंधी व्यंग का सामना करना पडा है ?
    (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहता (ड.) अन्य (बताएं ....
13. परिवार के अन्य सदस्यों के दोस्तों एवं रिश्तेदारों ने क्या उनसे सामाजिक दूरी बना ली थी ?
    (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
14. पुलिस का व्यवहार बलात्कार पीड़िता के सदस्यों के साथ क्या सहयोगात्मक था ?
    (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
15. बलात्कार की घटना के पश्चात क्या पीड़िता के लिए विवाह का कोई प्रस्ताव आया ?
    (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
16. क्या परिवार के सदस्य चाहते है कि पीड़िता अपनी शिक्षा अथवा नौकरी जारी रखे ?
    (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....
17. बलात्कार की घटना के पश्चात क्या परिवार में किसी सदस्य का विवाह अथवा सगाई का संबंध टूटा ?
    (क) हाँ (ख) नहीं (ग) पता नहीं (घ) उत्तर देना नहीं चाहती (ड.) अन्य (बताएं ....